

भारत वर्तमान और भावी

लेखक

रजनी पाम दत्त



पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड

नयी दिल्ली ११००५५

पहला हिन्दी संस्करण : जून, १९५६
दूसरा हिन्दी संस्करण : जनवरी, १९७६

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा
भारत, पाकिस्तान और लंका के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित।
प्रकाशक से लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना पाच सौ शब्दों
से अधिक इस पुस्तक के किसी भाग का उद्धरण वर्जित है।

(P.H.51)

अनुवादक

ओमप्रकाश संगल

मूल्य : २१ रु. ५० पैसे

उत्पन्न सेन गुप्ता द्वारा न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी भासी रोड, नई दिल्ली में
मुद्रित और उन्हीं के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली
को उत्तर से प्रकाशित.

प्रस्तावना

भारत की समस्याओं का यह संक्षिप्त अध्ययन लेखक की पूर्व प्रकाशित पुस्तक *आज का भारत* पर आधारित है, जिसकी अंग्रेजी आवृत्ति सर्व प्रथम १९४० में, और उसके बाद १९४७ और १९४९ में प्रकाशित हुई। पहला हिन्दी संस्करण दिसम्बर १९४८ में प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत संक्षिप्त संस्करण को दोहराया गया है और १९५५ के आरम्भ काल तक की घटनाओं का विवरण इसमें और जोड़ दिया गया है। अध्ययन का मुख्य भाग साम्राज्यवादी रिकार्ड तथा १९४७ में साम्राज्यवादी शासन के अन्त तक राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास से सम्बंधित है; किन्तु पहले के भागों में कुछ ऐसे नये तथ्यों और आंकड़ों को, जो पहले हासिल नहीं थे, जोड़ देने के साथ-साथ १९४७ के बाद के काल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नया अध्याय और जोड़ दिया गया है।

संक्षिप्त संस्करण के पहले खाके को तैयार करने में देवी प्रसाद चटर्जी और दिलीप बोस ने जो काम किया है, उसके प्रति मैं आभारी हूँ।

यह बता देना आवश्यक है कि यह संक्षिप्त संस्करण, जो मौलिक पुस्तक से लगभग आधा रह गया है, *आज का भारत* का स्थान नहीं ले सकता। केवल *आज का भारत* में ही ज्यादा मुकम्मिल विश्लेषण और प्रमाण हैं। उद्धरणों और अन्य सामग्री के श्रोतों का यहाँ जहाँ-जहाँ स्थानाभाव के कारण उल्लेख नहीं किया गया है, वे मूल पुस्तक *आज का भारत* में मिल सकते हैं।

जुलाई, १९५५

रजनी पाम दत्त

प्रकाशक की ओर से

स्वर्गीय आदरणीय रजनी पाम दत्त की यह पुस्तक उनकी मूल पुस्तक आज का भारत के संशोधित तथा संक्षिप्त संस्करण के रूप में हिन्दी में जून १९५६ में प्रकाशित की गयी थी। स्वर्गीय रजनी पाम दत्त एक महान विचारक तथा लेखक थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के अग्र्यन्त ख्यातिपूर्ण नेता रहे हैं। ब्रिटेन से निकलने वाली अंग्रेजी मासिक पत्रिका लेंबर मंथली में उनकी लिखी गयी टिप्पणियों ने मार्क्सवादी विचारधारा और मीमांसा से कई पीढ़ियों को शिक्षित किया है।

स्वर्गीय रजनी पाम दत्त का भारत से निकटतम सम्बन्ध रहा है। भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितियों और उनके विकास का उनका अध्ययन बहुत गहरा, पंना और शिक्षाप्रद था। भारत पर लिखे गये उनके लेखों, उनकी महान पुस्तक आज का भारत तथा उसी के संक्षिप्त संस्करण भारत : वर्तमान और भावी ने भारत के नौजवानों की कई पीढ़ियों को मार्क्सवाद तथा मार्क्सवादी-लेंनिनवादी नजरिये से भारतीय हालात को समझने और आत्मसात करने में चिरस्मणीय योगदान दिया है। इस पुस्तक का यह द्वितीय हिन्दी संस्करण निकालते हुए हम हार्दिक प्रसन्नता और गौरव अनुभव कर रहे हैं।

स्वर्गीय रजनी पाम दत्त ने इस संशोधित तथा संक्षिप्त संस्करण को १९५५ में तैयार किया था। पुस्तक में भारत की घटनाओं के मूल्यांकन में उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो संकीर्णतावादी विचार-रुझन थी उसका प्रभाव है। १९५१ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम भी इसी कमजोरी और खामी का शिकार था। उक्त कार्यक्रम में उसके पहले के काल की समझ की कई घोर संकीर्णतावादी खामियों को दुरुस्त कर लिया गया था, फिर भी १९४७ में भारत में हुए सत्ता परिवर्तन के मूल्यांकन के तथा भारत में स्थापित राज्यसत्ता के वर्ग विश्लेषण के प्रश्न इत्यादि मामलों में उक्त कार्यक्रम में गंभीर संकीर्णतावादी भटकाव मौजूद थे।

उस कार्यक्रम की समझ के अनुसार १९४७ में हुए परिवर्तनों के बारे में यह माना गया था कि "त्रिदिश साम्राज्यवाद ने अपने आर्थिक प्रभुत्व को कायम रखने का प्रयास किया है और ऐसी व्यवस्था की है जिसमें भारत के आर्थिक विकास पर नियंत्रण रख सके और साम्राज्यवाद के हितों में उसे रोक सके।"

बाज्जादी के बाद भारत में कायम हुई सरकार को "अब भी उन्हीं पुराने

एकधिकार पूंजीपतियों और जमींदारों पर आधारित" सरकार माना है "जिन्होंने साम्राज्यवाद से सम्बन्ध बनाये रखा है।"

१९४७ के परिवर्तन को "दोनों पक्षों के ऊपरी वर्ग की शक्तियों का संयुक्त मोर्चा" माना है और "सौदा और समझौते से भारत का औद्योगीकरण कदापि नहीं हो सकता।"

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस संकीर्णतावादी समझ को विरुद्ध गंभीर और कट्टर आन्तरिक सैद्धान्तिक संघर्ष कर १९६४ में पार्टी का नया कार्यक्रम स्वीकार किया। उस कार्यक्रम में १९४७ के परिवर्तन को भारतीय आजादी के संघर्ष की महान सफलता माना गया है। आजादी के बाद भारत में जो सरकार कार्य में हुई वह पूंजीपति वर्ग की सरकार है। हालांकि उसके निर्माण में और उसकी नीतियों के निर्धारण में इजारेदार पूंजीपतियों और जमींदारों-जागीरदारों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, लेकिन राज्यसत्ता बुनियादी रूप से पूंजीपति वर्ग के हाथ में है।

यह वर्ग दोमूही नीतियों का वर्ग है। इसका साम्राज्यवाद, सामंतवाद और इजारेदार पूंजी से वर्ग टकराव और अन्तर्विरोध है और इस अन्तर्विरोध का प्रभाव उसकी नीतियों पर पड़ता है, लेकिन साथ ही यह वर्ग समझौतावादी और ढलमूल वर्ग है और जहां तक मेहनतकश जनता के वर्ग-हितो का प्रश्न है, उनसे इस वर्ग का घोर टकराव भी है। यही मूल आधार है जिसकी मदद से घटनाक्रम को सही ढंग से समझा जा सकता है।

आजादी के बाद के वर्षों में भारत के औद्योगीकरण तथा विशेषकर बुनियादी उद्योगों के निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण तथा विस्तार, समाजवादी देशों से सहयोग, तथा मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद-विरोधी नीति, चाहे सीमित और ऋटिपूर्ण क्यों न हो लेकिन रजवाड़े की समाप्ति, भूमिसुधार तथा इजारेदारों के हितों पर चोट इत्यादि के जो कदम उठाये गये हैं उन्हें इसी आधार पर समझा जा सकता है।

साथ ही पूंजीवादी तरीके से विकास के इस रास्ते के परिणामस्वरूप न सिर्फ यह कि विकास जन आवश्यकताओं और संभावनाओं की तुलना में बहुत सीमित और धीमा हुआ है और उसका बोझ भी मेहनतकश जनता पर गला गया है जिसके कारण लोगों के जीवन में सुधार न हो, ज्यादातर उनकी कठिनाइयाँ बढ़ी हैं, भंगवाई, बेरोजगारी की हालत गंभीर हुई है तथा देश के अर्थतंत्र को संकटों के दौर से गुजरना पड़ता है।

यह पुस्तक १९५५ में लिखी गयी थी जब इन प्रश्नों पर नव रूप से चिंतन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इस पुस्तक में इन बातों का संकेत किया गया है कि "गंसार की राजनीति में भारत नया रूप अपनाने लगा है। वह शान्ति की रक्षा के लिए अधिकाधिक सक्रिय भूमिका बढ़ा करने लगा है। देश की अदमनी राजनीतिक स्थिति में भी नयी धाराएँ नजर आने लगी हैं।"

लेकिन पुस्तक में शुरू के राष्ट्रीय आन्दोलन के मूल्यांकन, १९४६ के

संघर्षों तथा विशेषकर १९४७ के परिवर्तनों व बाद की घटनाओं की जो मीमांसा की गयी है उनमें जगह-जगह उस समय की विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की समझ तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के १९५१ के कार्यक्रम की स्थापनाओं का प्रभाव मौजूद है। पुस्तक का अध्ययन करते समय मार्क्सवादी-लैनिनवादी मीमांसा के गंभीर अध्ययन के लिए यत्नशील पाठक इस बात का ध्यान रखेंगे।

इस एक सीमा के बावजूद आदरणीय स्वर्गीय रजनी पाम दत्त की इस पुस्तक में की गयी तथ्यपूर्ण स्थापनाएं, गंभीर अन्वेषणात्मक विवेचन तथा मार्गदर्शक मूल्यांकन अपना विशेष महत्व रखते हैं। इस पुस्तक का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है इसीलिए हम इस पुस्तक को ठीक इसके मूलरूप में पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

हिन्दी प्रकाशन
संपादकीय समिति

विषय-सूची

१. भारत और आधुनिक संसार	१
२. भारत की दौलत और उसकी गरीबी	५
१. भारत की दौलत	५
२. भारत की गरीबी	८
३. आबादी बहुत ज्यादा होने का भ्रम	१५
३. दो दुनियाएं	२३
१. समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीस वर्ष	२३
२. मध्य एशियाई प्रजातंत्रों का अनुभव	२६
४. भारत की गरीबी का रहस्य	३४
१. भारत पर मार्क्स के विचार	३४
२. भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास	३६
३. भारत में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका	३६
४. ब्रिटिश शासन की "पुनः जीवन देनेवाली" भूमिका	४३
५. भारत में ब्रिटिश शासन का पुराना आधार	४६
१. भारत की सूट	४६
२. भारत और औद्योगिक क्रान्ति	५०
३. उद्योग-धंधों का नाश	५३
६. भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद	५७
१. बंक-भूजी युग का श्रीगणेश	५७
२. बंक-भूजी और भारत	६०
३. औद्योगीकरण का ममला	६२

४. औद्योगीकरण में अड़चने	६३
५. दूसरे महायुद्ध के पहले के बीस वर्षों का लेखा-जोखा	६५
६. बंक-मूंजी का नागफांस	६७
७. बंक-मूंजी और दूसरा महायुद्ध	६९
८. साम्राज्यवादी और भारतीय इजारेदारों का गठबंधन	७१
९. भारत में साम्राज्यवाद का परिणाम	७५
७. खेती का संकट	७६
१. खेती पर जरूरत से ज्यादा दबाव	७७
२. खेती पर जरूरत से ज्यादा दबाव के नतीजे	७८
३. खेती में ठहराव और खेती का पतन	७९
८. किसानों पर बोझ	८४
१. जमीन का इजारा	८४
२. भूमि-व्यवस्था में रूपान्तर	८६
३. जमींदारी प्रथा का जन्म	८८
४. किसानों की बढ़ती हुई गरीबी	९१
५. कर्ज का बोझ	९४
६. तीन तरह का बोझ	९६
९. किसान-क्रान्ति की ओर	९८
१. खेती के संकट में बढ़ती	९८
२. किसान-क्रान्ति की आवश्यकता	१०१
३. सरकारी सुधारों की असफलता	१०३
४. किसान आन्दोलन की प्रगति	१०६
१०. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय	१०९
१. एकता और विविधता	१०९
२. जात-पात, धर्म और भाषा के सवाल	१११
३. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का श्रीगणेश	११५
४. राष्ट्रीय कांग्रेस का अभ्युदय	१२३

११. राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन मंजिलें	१३०
१. संघर्ष की पहली बड़ी लहर (१९०५-१०)	१३०
२. संघर्ष की दूसरी बड़ी लहर (१९१९-२२)	१४०
३. संघर्ष की तीसरी बड़ी लहर (१९३०-३४)	१६१
१२. मजदूर वर्ग का उभार	१९२
१. औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती	१९३.
२. मजदूर वर्ग की हालत	१९५
३. मजदूर आन्दोलन का जन्म	२०१
४. राजनीतिक जागरण	२०८
५. मेरठ का मुकदमा	२१४
६. मेरठ के बाद मजदूर आन्दोलन का पुनर्गठन	२१७
७. दूसरे महायुद्ध के पहले का उभार	२२१
८. दूसरे महायुद्ध के काल में मजदूर वर्ग	२२५
१३. भारतीय जनतंत्र की समस्याएं	२३२
१. देशी राजा और नवाब	२३२
२. साम्प्रदायिक भेदभाव	२३६
३. बहु-जातीयता और पाकिस्तान	२४७
१४. दूसरे महायुद्ध में भारत	२६३
१. अंग्रेजों की अन्तरराष्ट्रीय रणनीति और भारत	२६३
२. भारत और युद्ध (१९३६-४२)	२६५
३. अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद (१९४२-४५)	२६८
१५. भारत में अंग्रेजी शासन का अन्त	२७३
१. १९४५-४६ का राष्ट्रीय उभार	२७४
२. कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन समझौता	२७७
३. १९४७ के समझौते का स्वरूप	२८१
१६. नवीनतम चरण	२८६
१. नयी सरकारें	२८७

२. भारत में अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद	२६४
३. आर्थिक समस्याएँ	३००
४. वंदेगिक नीति में नयी पवृत्तियाँ	३०५
५. भारतीय जनता — प्रगति के पथ पर	३१२
अनुक्रमणिका	३१६

भारत और आधुनिक संसार

भारत ने आज बड़े महान और गम्भीर परिवर्तनों के युग में प्रवेश किया है। इन परिवर्तनों का क्या स्वरूप है और भविष्य में उनका विकास किस तरह होगा—इस प्रश्न को लेकर अभी तीव्र वाद-विवाद चल रहा है। इन परिवर्तनों का अन्तिम फल क्या होगा, यह केवल उन सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों के दौरान में तै होगा जो आज भारत में चल रहे हैं, और जिनका पूरे एशिया में होनेवाली नयी घटनाओं से गहरा सम्बंध है। भारत का भविष्य आज विश्व की राजनीति का एक प्रमुख प्रश्न बना हुआ है।

भारतीय महाद्वीप (जिसमें १९४७ के बाद से भारत संघ और पाकिस्तान नाम के दो राज्य कायम हो गये हैं) में रहनेवाले ४५ करोड़ लोग पूरी मानव जाति का लगभग पाचवाँ हिस्सा होते हैं। दो सदियों से उन पर विदेशी राज करते आये हैं। अब प्रत्यक्ष विदेशी शासन समाप्त हो गया है, हालांकि साम्राज्यवादी शोषण अभी नहीं मिटा है। लेकिन वह भी समाप्त होनेवाला है। दुनिया के पैमाने पर देखा जाय तो आधुनिक संसार में साम्राज्यवादी प्रभुत्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आधार भारत की दासता रही है। सदियों से इस विशाल भूमि-खंड की सम्पत्ति और साधन, उसके निवासियों का जीवन और श्रम पश्चिम के पूँजीवादियों के हस्तक्षेप, आक्रमण और लूट का लक्ष्य रहे हैं; और अन्त में तो यहाँ पर उनका पूर्ण आधिपत्य कायम हो गया था और वे उसका तीव्र शोषण करने लगे थे। इस व्यवस्था का अन्त होने पर न सिर्फ मानव जाति के पाँचवें हिस्से के लिए एक नये भविष्य के द्वार खुल जायेंगे; बल्कि उसमें दुनिया के सम्बंधों का संतुलन निर्णायक रूप से बदल जायगा, और दुनिया भर में जनता की आजादी की शक्तियाँ और आगे बढ़ेंगी तथा और मजबूत होंगी। स्वतंत्र चीन के साथ-साथ, भारत के भी आजाद हो जाने पर, एशिया

भारत : वर्तमान और भावो
 को सभी क्रौमों और दुनिया की तमाम गुलाम क्रौमों की आजादी का रास्ता
 खुल जायगा ।

प्राधुनिक संसार की मानो सभी समस्याएं और संघर्ष भारत में आकर
 केन्द्रोभूत हो गये हैं । यहां एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक सम्यता के भग्नावशेषों
 के बीच, जो प्राधुनिक विजेताओं के भसहनीय बौद्ध के नीचे दबकर सांस तक
 नहीं ले पा रही है, बंक-पूजी के सबसे प्राधुनिक ढंग के शोषण के साथ-साथ
 सबसे नीचे दर्जे की, भादिम ढंग की भय-व्यवस्था, गरीबी और गुलामी भी
 मौजूद है । यहां की सैती सदा संकट में रहती है । नित नये प्रकार पड़ते हैं ।
 सोय कर्ज न चुका पाने के बदले में महाजनो की गुलामी करते हैं । यहां इंसान
 छूत और धरूज के बंधनों में जकड़ा हुआ है । यहां के उद्योग-बंधों में मजदूरों
 का ऐसा शोषण होता है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती । यहां दौलत और
 गरीबी के बीच जितनी चौड़ी और गहरी सार्ई है, वैसी दुनिया के किसी और
 देस में नहीं दिखाई देती । यहां धार्मिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, और नये जातीय
 प्रश्न सारे हो रहे हैं । भारत पर चूकि सदियों से एक भौपनिवेशिक शक्ति शासन
 करती आयी है, इसलिये उसका विकास रुक गया है और ये तमाम समस्याएं
 उसके इस रूके हुए विकास तथा पिछड़ेपन को ही व्यक्त करती हैं । आज ये सभी
 समस्याएं उमरकर सामने आ रही हैं और उनके कारण ये परिस्थितियां और
 भी उलझ जाती हैं जिनमें भारत की मुक्ति का संघर्ष चल रहा है ।

आज भारत एक गम्भीर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति के
 युग में प्रवेश कर रहा है । राष्ट्रीय मुक्ति के लिए भारतीय जनता का वीरतापूर्ण
 संघर्ष एक सम्मे समय से जारी है । दूसरा महादुःख समाप्त होते-होते और उसके
 बाद के दिनों में वह इतना अधिक विकास कर गया कि भयंरु साभ्राज्यवादियों
 को मजबूर होकर भारत पर अपना प्रत्यक्ष शासन और सैनिक कब्जा खतम कर
 देना पडा । लेकिन भारत की जनता के साधनो तथा जीवन पर से साम्राज्यवाद
 का पजा अभी नहीं हटाया जा सका है । भारत के धार्मिक साधनों पर आज
 भी ब्रिटेन की उस बंक-पूजी का खबर्दस्त आधिपत्य है, जिसने भारत के खमींदारों
 और एकाधिकारी पूंजीपतियों को अपना छोटा सामीदार बना रखा है । उपर
 धर्मोका की बंक-पूजी, जो भारत के व्यापार का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से छीनने
 में कामयाब हो गयी है, भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन में
 बुगने की बहुत तेज कोशिश कर रही है । साम्राज्यवाद से विरासत के रूप में
 जो धाम सामाजिक, धार्मिक और सरकारी बांधा मिसा है, वह आज भी प्रायम
 है । जनता आज भी स्थानीय खमींदारों तथा देसी एकाधिकारी पूंजीपतियों
 रही है । वह अब भी स्थानीय खमींदारों तथा देसी एकाधिकारी पूंजीपतियों
 और विदेशी एकाधिकारी पूंजीपतियों के दोहरे शोषण में खसती में पिस रही

है। उसकी गरीबी उस स्तर पर पहुँच गयी है जिससे नीचा स्तर दुनिया में कोई नहीं है; और तथ्य तथा आंकड़े बताते हैं कि पिछले दिनों में हालत और खराब हो गयी है। खेती का संकट बराबर गहरा होता जा रहा है और भूमि-सुधार के जो बहुत ही सीमित क्रम अभी तक उठाये गये हैं, उनसे खेती के संकट में कमी नहीं आयी है।

इस प्रकार, भारत की सभी परिस्थितियां बहुत दुनियादी परिवर्तनों के लिए परिपक्व हो रही हैं। ये परिवर्तन उस अस्थायी ममभौते से बहुत आगे जायेंगे जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारत के ऊपरी तबकों के बीच १९४७ में हुआ था।

भारत में इस बात के लिए परिस्थितियां परिपक्व हो रही हैं कि जनवादी साम्राज्य-विरोधी क्रान्ति को पूरा कर दिया जाय, जमींदारी प्रथा तथा सामन्ती श्रवणियों को मिटा दिया जाय, साम्राज्यवाद के सहायक एकाधिकारी पूंजीपतियों का शासन समाप्त कर दिया जाय और भारत के आर्थिक साधनों को साम्राज्यवादियों के पंजे से छुड़ा लिया जाय। जनता के जनवादी आन्दोलन की विजय के फलस्वरूप जब भारत इस प्रकार सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, तब आर्थिक पुनर्निर्माण के विशाल कार्य के लिए द्वार खुल जायेंगे; तब उद्योग-धंधों का विकास करने, खेती में रूपान्तर करने, जनवाद का विस्तार करने, पुरानी प्रतिक्रियावादी व्यवस्था की विरासत को दूर करने और देश का सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान करने के काम भारतीय जनता के सामने आयेंगे।

विश्व इतिहास के जिस युग में भारतीय जनता को ये काम करने पड़ेंगे, वह एक ऐसा युग है जिसमें संसार के प्रत्येक महाद्वीप में, और विशेषकर एशिया में बड़े गम्भीर परिवर्तन हो रहे हैं। यह साम्राज्यवाद के कमजोर होने का और निकट भविष्य में साम्राज्यवाद के पतन का युग है, दुनिया भर में जनता की आजादी की ताकतों के आगे बढ़ने का युग है। मानव जाति के एक-तिहाई भाग ने साम्राज्यवाद की जंजीरों से अपने को पूर्णतया मुक्त कर लिया है। सोवियत संघ में संसार का पहला पूर्ण समाजवादी समाज अग्रिम हुआ है। करीब छत्तीस साल हुए जब सोवियत संघ में खारशाही साम्राज्यवाद का तस्ता उलटा गया था। तब से अब तक वहाँ राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुक्ति का कार्य पूरा हो चुका है और जनता को हृदय की गरीबी और पतन की हालत से निकासकर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया है। और अब सोवियत संघ कम्युनिज्म की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी योरप में, जनता के सच्चे जनवादी राग्यों में समाजवाद की नींव डाली जा रही है। एशिया में चीनी क्रान्ति की विजय और चीनी जनता के लोकतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप एक नये युग का शीघ्र आगमन हो गया है। उस में समाजवादी

की विजय से दुनिया में जो गम्भीर परिवर्तन शुरू हुए थे, वे इस युग में एक नयी मंजिल पर पहुँच रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करने का सघर्ष आंधी की तरह बढ़ रहा है। मध्य-पूर्व में बेचैनी फैल रही है, और अफ्रीका के प्रत्येक भाग में एक नया राजनीतिक उभार आ रहा है।

दुनिया भर में साम्राज्य-विरोधी शक्तियों की जो विराट प्रगति हो रही है, उससे भारत के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की सफल जनवादी क्रान्ति के उदाहरण का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नसार के शक्ति-संतुलन में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसने भारत की वैदेशिक नीति को नयी दिशा में मोड़ दिया है। भारत की अन्दरूनी राजनीति में भी नयी धाराएँ जोर पकड़ रही हैं। पुरानी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। नयी जनवादी ताकतें आगे बढ़ रही हैं। उनमें सबसे आगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है।

भारत में जो मकड़ जोर पकड़ रहा है, उसमें बड़े गम्भीर अन्दरूनी सामाजिक सघर्ष तथा समस्याएँ सामने आ रही हैं। भारतीय जनता के सामने आज जैसे बुनियादी क्रान्तिकारी काम हैं, वैसे मानवता के और किसी हिस्से के सामने नहीं हैं। जब भारत राष्ट्रीय मुक्ति प्राप्त करेगा, तब भारत के पिछड़ेपन से पैदा हुईवाली अधिक गहरी समस्याएँ, युगो पुरानी दासता, रूके हुए विकास तथा रूढ़िवादी सामाजिक रीति-रिवाजों की तमाम गदगी और सड़ांध को दूर करने की समस्याएँ, उसी शृंगु हल नहीं हो जायेंगी; बल्कि उस समय ये तमाम समस्याएँ केवल अपनी पूर्णता में सामने आयेंगी और उनको हल करने के लिए जो परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, देस उनकी ओर बढ़ना आरम्भ करेगा।

जैसे-जैसे भारत की श्रमजीवी जनता की चेतना बढ़ेगी और वह अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों में लेगी, वैसे-वैसे ये सघर्ष और समस्याएँ हल होती जायेंगी तथा भारत अपने मौजूदा आर्थिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन से उठकर नसार के सबसे उन्नत देशों के स्तर पर पहुँच जायेगा। सारी दुनिया में समाजवाद स्थापित करने, और पूर्व तथा पश्चिम के बीच, दुनिया की उन्नत जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के बीच आज जो अन्तर पाया जाता है, उसे अन्तिम रूप में दूर करने के महान काम में भारत की जनता को एक बहुत प्रमुख भूमिका अदा करनी है।

भारत के लोग इसके पहले भी संसार के इतिहास में बहुत बड़ा हिस्सा ले चुके हैं—विजैताओं के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति, चिन्तन, कला और उद्योग-मधो के क्षेत्र में। भारतीय जनता की राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुक्ति से मानवता को बहुत बड़ी और नयी देन प्राप्त होगी।

दूसरा अध्याय

भारत की दौलत और उसकी गरीबी

भारत की मौजूदा हालत के बारे में दो बातें एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।

पहली बात है भारत की दौलत—उसके अतुलित साधन जिनमें उसकी आजकल की पूरी आबादी को, और उससे भी बड़ी आबादी को, सुखी और समृद्ध बनाने की शक्ति है।

दूसरी बात है भारत की गरीबी—उसकी अधिकांश जनता की गरीबी, ऐसी गरीबी जिसकी वे लोग कल्पना तक नहीं कर सकते जो पश्चिमी संसार की परिस्थितियों के आदी हैं।

इन दो बातों के बीच में खड़ी है भारत की, मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की समस्या।

१. भारत की दौलत

भारत गरीब लोगों का देश है। लेकिन वह गरीब देश नहीं है।

न सिर्फ भारत के प्राकृतिक साधन इतने अधिक हैं कि यदि खेतों और उद्योग-धंधे दोनों का मिला-जुला विकास किया जाय तो देश समृद्धि के गिफ्ट पर पहुँच सकता है, बल्कि इसके साथ-साथ यह बात भी सच है कि अंग्रेजी राज्य के पहले यदि दुनिया के पैमाने पर देगा जाता, तो भारत आर्थिक विकास में सबसे आगे था।

यह एक जानी-मानी बात है कि पुराने जमाने में इनके देशों के रहनेवाले भारत को बेसुमार दौलतवाला देश समझते थे। १७५७ में क्लाइव को था कि बंगाल की पुरानी राजधानी मुग़लशाहदा "जुना ही पैदा हुआ" ही अधिक धायदीवाला और उतना ही धनी नगर है जितना कि मग़ल ।

वर्णनों को थोड़े सन्देह के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस जमाने के लोग चन्द्र धनी और ताकतवर लोगों के हाथों में दौलत के जमा हो जाने को अधिक महत्व देते थे और दौलत के बटवारे को कम महत्व देते थे। उस जमाने में भारत आनेवाले विदेशी यात्रियों की जितनी रिपोर्टें मिलती हैं, उनमें काफी बातों में भेद भी पाया जाता है और लगता है कि उनमें काफी नमक-मिचं लगा कर वास्तविकता को पेश किया गया है। लेकिन इन दोनों बातों का खयाल रखते हुए भी यह देखने में आता है कि सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के शुरू में भारत में आनेवाले तैर्नियर, मनुची, बर्नियर, आदि यात्रियों ने अक्सर यह बताया है कि उस जमाने में गाँवों में भी लोग आम तौर पर सुखी और सम्पन्न थे। आजकल हालत बिलकुल उल्टी है। यह बात विवाद से बिलकुल परे है कि अंग्रेजी राज्य के पहले भारत का औद्योगिक विकास दुनिया के उस जमाने के मापदंड से बहुत बढ़ा-चढ़ा था। १६१६-१८ के भारतीय औद्योगिक कमीशन की रिपोर्टें इन मचाई को मानकर शुरू होती हैं, और कमीशन के अध्यक्ष और भारत की खनिज सम्पत्ति के अधिकारी विद्वान सर थॉमस होलेंड की रिपोर्ट (१६०८) से पता चलता है कि अंग्रेजी राज्य के पहले भारत में लोहे और इस्पात का उत्पादन काफी ऊँचे स्तर तक विकास कर चुका था। इससे पता चलता है कि भारत में आधुनिक उद्योग-धंधों के विकास के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ किस हद तक तैयार थी।

यह बात भी सभी लोग मानते हैं कि आधुनिक ढंग के ऊँचे से ऊँचे आर्थिक विकास के लिए जरूरी सभी प्राकृतिक साधन भारत में मौजूद हैं। भारत सरकार को आर्थिक पैदावार के सम्बन्ध में सलाह देनेवाले अफसर सर जार्ज वाट ने १८६४ में कहा था कि "यदि केवल अविकसित साधनों के मूल्य और विस्तार को देखा जाय, तो समार के बहुत कम देशों में खेती का इतने शानदार ढंग में विभाग करने की क्षमता है, जैसी भारत में है।" और उद्योग-धंधों के विकास के लिए जो साधन जरूरी हैं, वे तो और भी बड़ी मात्रा में भारत में मौजूद हैं। भारत में कोयला, लोहा, तेल, मैंगनीज, सोना, सीसा, चांदी और तांबा बड़े परिमाण में मौजूद हैं। १९४२ में एक अमरीकी टेक्निकल मिशन भारत आया था। उसने अनुमान लगाया था कि भारत में २५ करोड़ टन कोयलाइंट मौजूद है, और केवल बंगाल और बिहार में ६० अरब टन कोयला मौजूद है, जिसमें से २० अरब टन काम में आ सकता है। इनमें भी अधिक महत्व लोहे की खनिज का है। बहुत समतल अनुमान लगाने पर भी भारत में ३ अरब टन से कम लोहा नहीं है। इनके मुकाबले में ब्रिटिश में केवल २ अरब २५ करोड़ ४० लाख टन, और जर्मनी में १ अरब ३७ करोड़ ४० लाख टन लोहा मौजूद है। भारत में ज्यादा लोहे की खनिज केवल अमरीका और फ्रांस में है।

अमरीका में ६ अरब ८८ करोड़ ५० लाख टन और फ्रांस में ४ अरब ३६ करोड़ ६० लाख टन लोहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के भूगर्भ पर्यालोकरन विभाग (जिओलोजिकल सर्वे डिपार्टमेंट) को “अपने प्रबंध का खर्चा चलाने तथा खनिज पदार्थों का पता लगानेवाली मशीनें खरीदने के लिए बहुत कम पैसा दिया गया है।” यह इसलिए कि वह खोज-बीन का अपना काम इस हद तक न कर सके जिससे इन अतुलित प्राकृतिक साधनों का उपयोग भारत का धन बढ़ाने के लिए होने लगे। इस प्रकार, भारत की खनिज सम्पत्ति का हिसाब केवल कागजों में ही दर्ज है, मानो किसी ज्योतिषी ने अपने पत्रों में आकाश के तारों का नक्शा खींच रखा हो।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात भारत की जल-शक्ति के साधन हैं, जिनका उपयोग करके सारे देश में विजली के तारों का जाल फैलाया जा सकता है और जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जल-शक्ति के साधनों में भारत केवल अमरीका से ही पीछे है। फिर भी १९३६ में भारत अपने इन साधनों के केवल १३ प्रतिशत भाग का ही उपयोग करता था, जब कि उसके मुकाबले में अमरीका उस वर्ष अपने साधनों का ५२ प्रतिशत, जापान ७२ प्रतिशत, और फ्रांस ८८ प्रतिशत भाग इस्तेमाल कर रहे थे। (वर्ल्ड अलमनेक, १९३६)

भारत की अर्थ-व्यवस्था के किसी भी पहलू को लीजिए, तो यही चित्र सामने आता है कि यहां प्राकृतिक साधनों की कोई सीमा नहीं है, पर अभी तक उनके विकास की अवहेलना की गयी है। साम्राज्यवादी खुद भी इस परिस्थिति के संकटजनक रूप को स्वीकार करते थे, हालांकि उनके पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। कलकत्ते के दैनिक स्टेट्समैन के सम्पादक सर एलफ्रेड वाट्सन ने १९३३ में रॉयल एम्पायर सोसायटी की एक बैठक में कहा था : “यद्यपि भारत में एक महान औद्योगिक देश बनने के लिए सभी आवश्यक बातें उपलब्ध के साथ मौजूद हैं; मगर फिर भी आज वह आर्थिक दृष्टि से दुनिया का एक पिछड़ा हुआ देश है, और उद्योग-धंधों की दृष्टि से तो बहुत ही पीछे है...। भारत में उद्योग-धंधों का विकास करने की क्षमता अमदिग्य रूप से मौजूद है, लेकिन हमने इस समस्या को हल करने की कोई गम्भीर कोशिश कभी नहीं की।... यदि आनेवाले वर्षों में भारत अपनी विनाश आवादी की घड़ी हुई मांग के आधार पर एक अभूतपूर्व ढंग से अपना औद्योगिक विकास नहीं कर सकेगा, तो देश का जीवन-निर्वाह का स्तर, जो आज भी हद दर्जे नीचा है, भूखी मरने के स्तर से भी नीचे गिर जावेगा।”

२. भारत की गरीबी

भारत के वास्तविक प्राकृतिक धन और उसके जरा भी विकास न किये जाने की इस पृथ्वी में भारत के लोगों की भयानक गरीबी खास तौर पर डरावनी मानस पड़ने लगती है।

भारत के सरकारी आकड़े शासन की मशीन चलाने के लिए तो जरूरत से ज्यादा हैं, पर जब जनता की हालत पता लगाने का कोई सवाल उठता है, तो वे बहुत ही बेकार और अनुपयोगी साबित होते हैं। १९५१ के पहले भारत में सरकारी तौर पर इसका कभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया था कि देश की राष्ट्रीय आय अथवा औसत आय क्या है (केवल कभी-कभी बहुत ही हवाई ढंग से कुछ आकड़े मान लिये गये थे, जैसे कि १९३० में साइमन कमीशन ने एक आकड़ा माना था, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे)। और यहां तक कि १९५१ में राष्ट्रीय आय समिति ने भी जो अनुमान प्रकाशित किया, उसके बारे में कहा गया कि वह एक "आरजी" चीज है, क्योंकि वह "ऐसी सामग्री पर आधारित है जिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितना भरोसा किया जा सकता है, या फिर कुछ अन्य बातों में वह ऐसी गणना पर आधारित है जो कुछ ऐसी बातें पहले से मान लेता है जिनकी सच्चाई के बारे में पूरा मकान नहीं है।" मजूरी, काम के घटे, मजदूरी की शर्तें, मजदूरी का स्वास्थ्य, रहने के मकानों की सुविधा—इन सब बातों के बारे में भी इसी प्रकार पर्याप्त आकड़ों की बड़ी कमी है।

भारत के रहनेवालों की फी आदमी कितनी औसत आमदनी है, इसके अभी तक अनेक अनुमान लगाये जा चुके हैं, और उनको लेकर काफी गरम बहस चलती रही है। १९३० में साइमन कमीशन ने एक अनुमान लगाया था। इस कमीशन की रिपोर्ट का पहला भाग भारत में साम्राज्यवादी शासन का धोखेपत्र साबित करने के लिए बड़ी संख्या में वितरित करने के उद्देश्य से निराला गया था। उसमें भारतीयों की औसत आय को जबर्दस्ती बढ़ा-बढ़ाकर लगभग ८ पौंड प्रति वर्ष बताया गया था; और इन अनुमान का बाद में शूब प्रचार किया गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट १९३० में तैयार की थी, लेकिन उसने अपने हिसाब का आधार बनाया था पहले महायुद्ध के दौरान बाद के वर्षों की, अर्थात् १९१६-२०, १९२०-२१ और १९२१-२२ की, जब कि मुद्रा-प्रसार के कारण चीजों के दाम बहुत बढ़ते ही गये थे। और फिर कमीशन ने इन वर्षों की भी सबसे ऊंची गिनती को पुनः उग आधाकरण संख्या को (कमीशन के शब्दों में, "सबसे अधिक आनावादी संख्या" को) पूरे मान की प्रतिनिधि गिनती मान लिया था। लेकिन इन सबके बाद भी, सरकार के नियुक्त

किये हुए इस साइमन कमीशन ने १९२१-२२ में भारतीयों की औसत आय का जो "सबसे अधिक आशावादी" अनुमान लगाया, वह ५ पैसे रोजाना से ज्यादा नहीं बैठता था।

परन्तु, मचाई तक पहुँचने के लिए जरूरी है कि जिन बातों की तरफ कमीशन ने ध्यान नहीं दिया था, हम उनको ध्यान में रखते हुए उसका हिसाब ठीक कर लें। भारत सरकार चीजों के दामों का जो सूचक भ्रक रखती है, वह १९२१ में २३६ था और १९३६ तक १२५ रह गया था—यानी लगभग आधा हो गया था। इस मदी का सबसे ज्यादा असर खेती की पैदावार के दामों पर पड़ा था, जो कि भारतीयों की आमदनी का मुख्य आधार है। १९२१ और १९३६ के बीच अनाज के फुटकर दामों का सूचक भ्रक आधे से भी कम रह गया था। इस प्रकार, यदि खेती की पैदावार के दामों की इस गिरावट का भी हिसाब में खयाल रखा जाय, तो साइमन कमीशन ने १९२१-२२ में औसत आय जो ५ पैसे रोजाना का अनुमान लगाया था, वह १९३१-४० में आकर ढाई पैसे रोजाना रह जाता है। लेकिन, यह संख्या केवल पूरी आबादी की आय का औसत बताती है। उसमें अधिकांश आबादी की वास्तविक आय का कोई पता नहीं चलता। इस संख्या में से वह रकम घटानी होगी जो साम्राज्यवाद घरेलू स्वर्च के नाम पर और अपने खिराज के तौर पर वसूल कर लेता है (इन मदों में कर्जों का मूद, भारत में लगी अंग्रेजी पूँजी से होनेवाला मुनाफ़ा, बैंकों तथा महाजनो की दलाली, आदि शामिल हैं), और जिसके बदले में ब्रिटेन से भारत में कोई माल नहीं आता था। शाह और खम्भाता नामक अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि कुल राष्ट्रीय आय का दसवें से कुछ अधिक भाग इस तरह देश के बाहर चला जाता है। यानी, वह ढाई पैसे रोजाना की आय, इस प्रकार केवल मवा दो पैसे रोजाना रह जाती है। इसके बाद हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ता है कि औसत आय के पीछे बहुत ही कममान आमदनियाँ छिपी होनी है। शाह और खम्भाता ने माँवित किया था कि राष्ट्रीय आय का एक-तिहाई हिस्सा आबादी के केवल १ प्रतिशत लोग ले जाते हैं, और ६० प्रतिशत आबादी के हिस्से में राष्ट्रीय आय का सिर्फ ३० प्रतिशत भाग पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ तक आबादी के ६० प्रतिशत भाग या अधिकांश का मन्वध है, फी आदमी औसत राष्ट्रीय आय को घाटा करने पर ही यह पता चल सकता है कि आबादी के इस ६० प्रतिशत की मन्वमुच कितनी औसत आय है।

इस प्रकार, यदि हम साइमन कमीशन के "सबसे अधिक आशावादी अनुमान" को भी लें और उस पर आय के बंटवारे के धाँकड़ों को लागू करें तथा बाद में आनेवाली मंदी और घरेलू स्वर्च तथा साम्राज्यवादी खिराज के

इसी प्रकार यह बात भी महत्व से खाली नहीं है कि भारत सरकार को पंच-वर्षीय योजना ने, जो १९५१ में प्रकाशित हुई थी, अपना प्रारम्भिक लक्ष्य भारतीयों के रहन-सहन के स्तर को फिर से पुरानी प्रवस्था में ले आना निश्चित किया था। इस तरह पंच-वर्षीय योजना में भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि पिछले वर्षों में भारतीयों का जीवन-स्तर गिर गया है। १९५१ में राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन ने पोषण सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसमें ३४ देशों की स्थिति की जांच बतायी गयी थी। उससे पता चला कि दस देशों में पोषण का औसत स्तर रोजाना ३,००० कैलोरी की आदमी से ज्यादा था; २२ देशों में २,००० से लेकर ३,००० कैलोरी तक था; और दो देश, भारत और इंडोनेशिया, सूची में सबसे नीचे थे। वहाँ पोषण का औसत स्तर २,००० कैलोरी से भी कम था। राष्ट्र संघ ने १९५३ की जो आंकड़ों की वार्षिकी प्रकाशित की है, उसमें भारत के पोषण के स्तर को दुनिया में सबसे नीचे बताया गया है। वार्षिकी का अनुमान है कि यहाँ हर आदमी को भोजन के रूप में औसतन रोजाना केवल १,५६० कैलोरी मिलती है।

इन आंकड़ों का महत्व केवल इतना ही है कि उनसे हमें भारत की भयकर गरीबी का एक प्रारम्भिक आभास मिल जाता है। रहन-सहन की परिस्थितियों के रूप में इन आंकड़ों का क्या अर्थ होता है? भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री शाह और सम्भाता ने (१९२४ में) इसे इन शब्दों में व्यक्त किया है: "भारतीय लोगों की औसत आय इतनी होती है कि उससे या तो आबादी के हर तीन आदमियों में से दो को रोटी दे दी जाय, और या पूरी आबादी को जितनी बार भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें हर तीन बार में से केवल दो बार उसे रोटी दी जाय; और इतना भी सिर्फ़ इस शर्त पर मिल सकता है कि पूरी आबादी नये धूमना कुबूल करे, वारहों महीने घर के बाहर खुले में रहे, किसी प्रकार के मनोरंजन या खेल-कूद में भाग न ले तथा भोजन के सिवा—और वह भी सवने नीचे स्तर के, सबसे ज्यादा मोटे ढंग के और सबसे कम पोषण-शक्तिवाले भोजन के निवा—और किसी चीज की मांग न करे।"

जहाँ तक जनता की हालत का सवाल है, हमारे सामने आधा पेट खाकर गद्दी और संकरी कोठरियों में रहनेवाले इसानों का भयानक चित्र आता है। १९३३ में भारत के डाक्टरों विभाग के सचालक मैजर जनरल सर जॉन मैगो ने अनुमान लगाया था कि आबादी के ६१ प्रतिशत को भोजन में आवश्यक पोषण-शक्ति नहीं मिलती। १९२६ में सरकार ने भारत की खेती की जांच करने के लिए एक शाही कमिशन नियुक्त किया था। खुद सरकारी अफसरों ने कमिशन के दफ्तर में किसानों की भयानक हालत के प्रमाणों का डेर लगा

दिया। कर्नल ग्राहम ने कमीशन को बताया कि "खेती में मुधार करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि किसानों को भोजन में बहुत कम पोषण-शक्ति मिलती है।" कून्नूर के पंचयर इस्टीमेट में अभावजन्य बीमारियों के अनुसंधान के सचालक लेफ्टिनेंट-कर्नल एम मकहैरिसन ने तो और भी जोरदार शब्दों का प्रयोग किया था : "भारत में जनता जिन अनेक अभावों से दुखी है, उनमें शायद सबसे बड़ा पोषण-शक्ति का अभाव है।"

१९२६ में सरकार ने भारत के मजदूरों की हालत की जांच करने के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया था। इस कमीशन ने पता लगाया कि "अधिकतर औद्योगिक केन्द्रों में ऐसे परिवारों और व्यक्तियों की संख्या, जो कर्ज से दबे हैं, कुल आबादी की दो-तिहाई से कम नहीं है... अधिकतर लोगों का कर्ज उनकी तीन महीने की तनखा से ज्यादा है और अक्सर तो वह उससे भी ज्यादा होता है।"

जहां तक रहने के मकानों का सम्बन्ध है, औसत मजदूर परिवार के पास एक कोठरी भी नहीं होती, बल्कि अक्सर तो कई-कई परिवार एक कोठरी में रहते हैं। १९३१ की जन-गणना से पता चला था कि बम्बई में आबादी का एक-तिहाई भाग एक-एक कोठरी में पांच से भी ज्यादा आदमियों के हिसाब से रहता था, २५६,३७६ भाग एक कोठरी में छः से लेकर नौ आदमियों तक के हिसाब से रहते थे; ८१३३ लोग एक कोठरी में दस से लेकर उन्नीस आदमियों तक के हिसाब से रहते थे; और १५,४६० लोग ऐसे थे जो एक-एक कोठरी में बीस या उससे भी ज्यादा के हिसाब से रहते थे।

१९३१ के बाद और घास तौर पर दूसरे महायुद्ध के बाद में रहन-सहन की स्थिति बहुत ज्यादा सराब हो गयी है। वातावरण स्वच्छता समिति (एनवायरनमेंटल हाइजीन कमिटी) की रिपोर्ट में, जो १९४८ में निकली थी, बताया गया था कि उसके पहले के आठ वर्षों में लोगों के रहन-सहन की परिस्थितियां बहुत अधिक बिगड़ गयीं हैं। इस समिति ने अनुमान लगाया था कि १९४२ से लेकर १९५१ तक के दस वर्षों में नहरों की आबादी ६९ प्रतिशत बढ़ जायेगी, जब कि रहने के मकानों की तादाद २० प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगी।

जहां तक मकानों का सम्बन्ध है, ब्रिटिश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था : "मकानों की तरफ जो जागरूकता बरती जा रही है, वह अक्सर मकानों की दूरी के दायरे और भू-संपत्तियों के रूप में जाहिर होती है; और पर्याप्तों के अभाव के कारण इस और निरी में घास तौर पर मकानों बढ़ जाती है। मकानों के नाम पर अक्सर केवल एक कोठरी होती है जिसमें न तो कोई नौर होती है, न उनमें निर्दिष्टियां होती हैं और न ही इस के माने-जाने का कोई सम्बन्ध होता है। कोठरी का इरादा रहना नीचा होता है कि जिना भुंके उभरे

से, निकला नहीं जा सकता। पर्दा करने के लिए मिट्टी के तेल के पुराने टिनों की दीवार उठा दी जाती है और कोई पुराना बोरा टांग दिया जाता है, जिससे रोशनी और हवा का अन्दर आना और भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह की कोठरियों में इंसान पैदा होते हैं, सोते और खाते हैं, जीवन बसर करते हैं और मर जाते हैं।”

१९३२-३३ में बम्बई सरकार के मजदूर विभाग ने मजदूर वर्ग की आमदनी और खर्च के हिसाब की जाच की थी। उसने पता लगाया कि मजदूरों के घरों में से २६ प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें पानी का एक नल आठ या आठ से कम घरों के बीच में है, ४४ प्रतिशत घर ऐसे हैं जिनमें नौ से लेकर पन्द्रह घरों तक के बीच एक नल है; और २९ प्रतिशत घर ऐसे हैं जिनमें सोलह या उससे भी ज्यादा घरों के बीच एक नल है। ६५ प्रतिशत घरों में आठ या उससे कम घरों के बीच एक पाखाना है, १२ प्रतिशत घरों में नौ से लेकर पन्द्रह घरों के बीच एक पाखाना है, और २४ प्रतिशत घरों में सोलह या उससे भी ज्यादा घरों के बीच एक पाखाना है। ऐसी रिपोर्टें और विवरण और भी हैं; उनकी सख्या की कोई सीमा नहीं है।

इन परिस्थितियों का लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। यह इन्हीं परिस्थितियों का प्रताप था कि १९३७ में भारत में सरकारी तौर पर जो मौतें दर्ज की गयीं, उनका अनुपात २२.४ फी हजार था (१९४९ में वह १६.४ फी हजार हो गया)। इसके मुकाबले में इंग्लैंड और वेल्स में मौतों का अनुपात १२.४ फी हजार था (जो कि १९५२ में ११.३ फी हजार हो गया था)। इयर्लैंड और वेल्स में रहनेवाला आदमी औसतन जितने वर्ष जिन्दा रहने की आशा करता है, भारत में रहनेवाला उसके केवल आधे समय तक जिन्दा रहता है। यह भी इन्हीं परिस्थितियों का प्रताप है कि भारत में यदि एक हजार बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको पैदा करने में २४.५ माए मर जाती है, जब कि उसके मुकाबले में इंग्लैंड और वेल्स में माँ को मृत्यु का अनुपात ४.१ फी हजार है। यह भी इन्हीं परिस्थितियों का प्रताप है कि १९४३ में भारत में एक साल में जितने बच्चे पैदा हुए, उनमें से हर हजार बच्चों में से १६३ मर गये; जब कि इंग्लैंड और वेल्स में मरनेवाले बच्चों की संख्या ४६ फी हजार रही। और फी हजार पर मौतों की यह संख्या कनकलें में २३९, बम्बई में २६८ और मद्रास में २२७ तक पहुँच गयी थी।

मरकारगी कागजों में मौत का कारण प्रायः “बुखार” बताया जाता है। आधा पेट खाकर रहने और गरीबी की जिन्दगी बिताने के बुरे स्वास्थ्य के रूप में जो परिणाम होते हैं, वे नव इमी गॉन-गॉन शब्द की मद में धा जाते हैं। भारत की आर्थिक परिस्थितियों की भागी हुई विद्वान बेरा एस्टे की महानुभूति

साम्राज्यवाद के साथ है। पर वह भी इस नतीजे पर पहुंची हैं कि भारत में जितने लोग मरते हैं, उनमें चार में से तीन आदमी "गरीबी की बीमारियों" में मरते हैं। जी. इमेमन एक भारतीय गांव में रहने के लिए गये। उन्होंने पाया कि गांववालों को डाक्टरों मदद या अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाने के तमाम प्रयत्न गरीबी की बुनियादी समस्या से टकराकर बेकार हो जाते हैं (१९३१)। यहाँ तक कि टाइम्स के अनुदारदली साम्राज्यवादी कलकत्ता सम्वाददाता को भी कुछ इसी तरह की बात कहनी पड़ी। उसे भी यह मत प्रकट करना पड़ा कि निकट से देखने पर भारत "अध-भुखमरी" का ऐसा चित्र पेश करता है जो 'आसो में चुभने लगता है।" (१ फरवरी, १९२७)

क्या हाल के दिनों में हालत कुछ बदल गयी है? समुद्र पार के देशों का प्राथिक सिंहावलोकन नामक पुस्तक में, जो १९५३ में प्रकाशित हुआ था, भारत को १९५२ की हालत का यह चित्र सीखा गया है:

"अनुमान लगाया गया है कि इस पूरे भूखंड में कम से कम दस करोड़ आदमी हर साल मलेरिया में बीमार पड़ते हैं; और इस मर्ज से मरनेवालों की संख्या भारत में हर साल शायद दस या पन्द्रह लाख तक पहुंच जाती है। अनुमान किया जाता है कि हर साल लगभग २५ लाख आदमी तपेदिक में बीमार रहते हैं और अकेले इस मर्ज में हर साल पाच लाख आदमी मर जाते हैं...।

"बुरा भोजन खाने या कम भोजन मिलने के कारण जनता के एक काफी बड़े भाग के बदन में जीवन-शक्ति और बीमारियों से बचने की ताकत कम हो जाती है। लोगों के भोजन की जाच-पड़ताल करने पर पता चला कि ३० प्रतिशत परिवार ऐसा भोजन खाते हैं जो बदन में आवश्यक शक्ति पैदा करने के लिए अपर्याप्त होता है।"

इस बात की घोर भी ध्यान देना अनप्यक्त आवश्यक है कि गरीबी की यह परिस्थिति एक स्तर पर नहीं टहरी रहती। वह बराबर बदसती और विकृति होनी जारी है। बंगाल के म्याम्ब मंचालक ने १९२७-२८ की जो रिपोर्ट दी थी, उसमें लिखा था कि "बंगाल में आजकल के किमानों का प्राथिक भाग ऐसा भोजन खाने लगा है जिसे आठर चूहे भी पाच सकता है खादा बिन्दा नहीं रह सकते," और "घर-घरपास भोजन मिलने के कारण उनके बदन में इतनी कम जीवन-शक्ति रह गयी है कि वे पाचक बीमारियों के मर्ग में घाते ही उनके निहार ही जाने हैं।" इसी प्रकार १९३३ में भारत के हास्टी विभाग के मन्त्रालय ने रिपोर्ट दी थी कि "भारत भर में" बीमारियाँ "बराबर बढ़ रही हैं, और मरता है कि बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।" हालत

के इस तरह विगड़ने जाने का सम्बंध इस बात से है कि साम्राज्यवादी शोषण की परिस्थितियों में खेती का संकट बराबर तेज होता जा रहा है। यह संकट बुनियादी सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लानेवाली एक जवर्दस्त प्रेरक शक्ति का काम कर रहा है। हमारे सामने जितने भी तथ्य हैं, उनसे यही प्रकट होता है कि एकदम हाल के दिनों में भी हालत बराबर गिरती ही गयी है।

३. आवादी बहुत ज्यादा होने का भ्रम

भारतीय जनता की इस भयंकर गरीबी का क्या कारण है ?

समस्या का गम्भीरता से विश्लेषण करने के बजाय अक्सर कुछ बहुत सतही वजहें बता दी जाती हैं। इसकी एक अच्छी मिसाल यह दलील है कि भारतीय जनता चूक अज्ञान, अंधविश्वास और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार है, इसलिए वह गरीब है। निस्संदेह, भारत की गरीबी में इन बातों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और भारतीय जनता के सामने आज पुनर्निर्माण का जो काम है, उसका एक प्रमुख अंग देश को पीछे धमीटनेवाली इन बुराइयों को दूर करना होगा। लेकिन जब इन बुराइयों को भारत की गरीबी का मूल कारण बताया जाता है, नव वास्तव में गाड़ी को घोंडे के आगे रख दिया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन लोगों की गिरी हुई आर्थिक हालत तथा राजनीतिक पराधीनता का प्रतिबिम्ब एवं परिणाम होता है, न कि लोगों की गिरी हुई आर्थिक हालत तथा राजनीतिक पराधीनता उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का परिणाम होती है। संगठन के भौतिक आधार में परिवर्तन के जरिए ही इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। यही दूसरे मधो दरवाडों की कुजी है। केवल एक शक्तिशाली जन-आन्दोलन ही साम्राज्यवादी और सामन्ती सम्बंधों को जजोरो को तोड़कर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक माय रास्ता खोल सकता है। यह विश्लेषण सही है, इनका सोवियत संघ के उदाहरण में काफी प्रमाण मिल जाता है। जब वहाँ के मजदूरों और किसानों ने एक बार मिलकर अपने शोषकों का तस्ता उलट दिया, तो फिर उन्होंने औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रगति की ऐसी क्षमता का परिचय दिया जिसने दुनिया के सबसे अधिक उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में विकास की इस क्रिया को भले ही किन्हीं भिन्न रूपों और मजिती में ने गुजरना पड़े, पर वहाँ के मजदूर और किसान भी उमी क्षमता का परिचय देगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

भारत की गरीबी की अन्तर एक और वजह बताया जाती है, जिसका हमने कम प्रचार नहीं है। वह यह कि भारत की गरीबी यहाँ की "असुरत

से ज्यादा आवादी की वजह से है।" दुनिया में बेरहम लोगों की मदद के लिए जितने भूठ गड़े गये हैं, उनमें सबसे बड़ा भूठ यह है कि आवादी के जूरत से ज्यादा बड़ जाने के कारण पूजोवादी समाज में जनता की गरीबी बड़ जाती है। आधुनिक काल में यह भूठ माल्थस नामक उस प्रतिक्रियावादी पादरी के समय में प्रचलित हुआ है, जिसने कोई नया आविष्कार नहीं किया था, बल्कि जिसने १७९८ में फ्रांसीसी क्रान्ति और उदारतावादी सिद्धान्तों के खिलाफ प्रचार करने के लिए एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में अपने इस सिद्धान्त को गड़ा था, और जिसको इसके इनाम में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कालेज में प्रोफेसरी मिली थी। इंग्लैंड के धनिक वर्ग ने उसके इस सिद्धान्त का "मानव विकास की समस्त आकाशाओं को नष्ट कर देनेवाली एक महान शक्ति के रूप में बड़ी खुशिया मनाकर स्वागत किया था।" (माल्स, पूंजी, खंड १, पच्चीसवा अध्याय) आज भी माल्थस का सिद्धान्त प्रतिक्रियावादियों का बड़ा प्यारा सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त उत्पादन के विकास की सम्भावनाओं पर मनमाने तौर पर कुछ लौह-सीमाएँ थोप देता है, और इस बात को मानकर चलता है कि किसी भी हालत में इन सीमाओं के आगे उत्पादन का विकास नहीं हो सकता। यही इस सिद्धान्त के तर्कों का आधार है। और माल्थस ने यह मनगढ़न्त धारणा ठीक उस समय बनायी थी जब उत्पादन का विकास सबसे तेज विस्तार के युग में प्रवेश कर रहा था। उन्नीसवीं सदी के अनुभव ने इस सिद्धान्त को चकनाचूर कर दिया। उस सदी में आवादी जिस रफ्तार में बढ़ी, उसके मुकाबले में दौलत कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ी और यह बात साफ हो गयी कि गरीबी की कोई भी वजह है। बीसवीं सदी में, छान तोर पर पहले महायुद्ध के बाद और सत्तार-ज्यापी अर्थ-मकट आने पर, इस सिद्धान्त को फिर से जिताने की कोशिशें की गयीं। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय आकड़ों ने उसे फिर तलतम कर दिया। युद्ध में और उसके बाद, पँदावार का और पँदावार के साधनों का बड़े विशाल पैमाने पर बिनाश हुआ था, मगर उसके बावजूद आकड़ों में पता चला कि दुनिया की आवादी जितनी बड़ रही है, खाने-पीने की चीजों, कच्चे मालों और औद्योगिक मालों की पँदावार दुनिया में लगातार उगने कहीं अधिक तेजी में बड़ रही है। इनमें लोगों को मजबूर होकर घबरे वट्टो और दुखों का कारण समाज-व्यवस्था में दृष्टा पड़ा। सामक वर्ग के सामने यह समझ्या मड़ी हो गयी कि दौलत को पँदावार को कंभे रोका जाय। इनके उगने अनेक बड़े अतुर उपाय निकाने। जहाँ तक आवादी का सम्बन्ध था, सामक वर्ग को यह निराश होने लगी कि योरप और अमरीका के जाग तांतों का धारा बनने के लिए तापी बनने नहीं पँदा कर रहे हैं। मानवम के सिद्धान्त को उगट कर आधुनिक सामक वर्ग ने यह नया नया अज्ञान कि दौलत कम पँदा करो और बच्चे ज्यादा !

पुराने ढर के प्रतिक्रियावादियों का यह दिवालिया सिद्धान्त अब योरप और अमरीका से निकाल दिये जाने पर एशिया में अपने लिए अन्तिम आश्रय खोज रहा है। कहा जाता है कि भारत की गरीबी का एकमात्र कारण वहाँ की समाज-व्यवस्था नहीं, बल्कि आबादी का जरूरत से ज्यादा हो जाना है। कहा जाता है कि आबादी के बढ़ने पर जो कुछ पवित्र "प्राकृतिक बधन" लगे हुए थे (जैसे युद्ध, महामारी और अकाल), साम्राज्यवादी शासन के जन-हिनकारी प्रभाव ने उनको दूर कर दिया है और इस कारण अदूरदर्शी हिन्दुस्तानी इतने अधिक बच्चे पैदा करने लगे जिनके लिए जीवन-निर्वाह के साधन जुटाना असम्भव था। अर्थशास्त्र के एक प्रमुख साम्राज्यवादी विशेषज्ञ (एस्टे) ने बड़े नाटकीय ढंग से चिल्लाकर कहा : "वह भारतीय माल्यस कहा है जो बच्चों की इस सत्यानासी बाढ़ को रोकेंगा?" साम्राज्य के अर्थ-शास्त्र के एक दूसरे विशेषज्ञ (नोल्स) ने घोषणा की : "भारत माल्यस के इस सिद्धान्त को चरितार्थ कर रहा है कि जब युद्ध, महामारी अथवा अकाल आबादी की बढ़ती रोकने के लिए नहीं होते, तब वह इस हद तक बढ़ जाती है कि लोगों को जिन्दा रहने लायक भी खाने को नहीं मिलता।" १९३३ में लन्दन के स्वास्थ्य विज्ञान तथा उष्ण कटिबंध की बीमारियों के स्कूल में गर्भ-निरोध विश्व केन्द्र के तत्वावधान में एक सम्मेलन हुआ था। उसका विषय था "एशिया में गर्भ-निरोध।" इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि न केवल चिकित्सा विज्ञान के एक प्रश्न के रूप में, बल्कि एशिया की गरीबी की समस्याओं को हल करने के एक आर्थिक उपाय के रूप में गर्भ-निरोध का समर्थन किया जाय। इसका परिणाम यह हुआ है कि अभी हाल में भारत सरकार ने भी गरीबी का मुकाबला करने के एक तयारकृत ऋण के रूप में गर्भ-निरोध का सरकारी तौर पर प्रचार करना शुरू कर दिया है।

तथ्य क्या कहते हैं ?

पहली बात तो यह है कि ऊपर दी गयी तमाम दलीलों से कुछ ऐसी तसवीर सामने आती है मानो अंग्रेजों के राज्य में भारत की आबादी और देशों के मुकाबले में हद से ज्यादा तेज रफ्तार में बढ़ती गयी है, और अब हालत यहाँ तक पहुँच गयी कि आबादी के इस तरह अवाधुन बढ़ने की वजह से यह देश हद से ज्यादा गरीब हो गया है। लेकिन, अनलियत यह है कि अंग्रेजों के राज्य में भारत की आबादी मध्यम जिस रफ्तार में बढ़ी है, वह योरप के किसी भी देश की रफ्तार में बहुत कम है। बल्कि, तब पूछा जाय तो दुनिया के अलग-अलग देशों में जिन रफ्तार में आबादी बढ़ी है, उसकी सूची में भारत बिनकुन नीचे की तरफ आता है। चाहे प्रायः अंग्रेजी राज्य के पूरे युग को ले लीजिए और चाहे पिछले पचास वर्षों को, यह बात दोनों मूरतों में मच निबनेगी।

मोरलैंड ने अनुमान लगाया था कि सोलवीं सदी के अन्त में भारत की आबादी १० करोड़ थी। १६५१ तक भारत और पाकिस्तान की आबादी ६३ करोड़ ३० लाख हो गयी थी। १७०० में इंग्लैंड और वेल्स की आबादी ५१ लाख थी। १८५१ तक वह बढ़कर ४ करोड़ ३७ लाख हो गयी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ थोड़े समय में ही आबादी आठ-गुनी बढ़ गयी थी। यानी, भारत में जिस रफ़्तार से आबादी बढ़ी है, इंग्लैंड और वेल्स में उसकी दुगुनी में भी ज्यादा रफ़्तार रही है।

आधुनिक युग का अधिक महत्व है। औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ योरोप में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी थी। पर आधुनिक काल में रफ़्तार धीमी पड़ गयी है। नीचे के आकड़े देखिए; उनमें यह पता चल जाता है कि १८७० और १९१० के बीच भारत में और योरोप के प्रमुख देशों में आबादी किस रफ़्तार में बढ़ी है

				प्रतिशत बढ़ती
भारत	१८.६
इंग्लैंड और वेल्स	५८.०
जर्मनी	५६.०
बेल्जियम	४७.८
हालैंड	६२.०
रूस	७३.६
योरोप का औसत	४५.४

एक प्रायः की छोटकर, बाकी सभी योरोपीय देशों के मुकाबले भारत में आबादी के बढ़ने की रफ़्तार कम रही है।

यदि १८७१ में १८६१ तक के साल की लिया जाय, तो पता चलता है कि भारत में आबादी के बढ़ने की रफ़्तार ५२ प्रतिशत रही, जब कि उसके मुकाबले ब्रिटिश द्वीपों में आबादी में ५७ प्रतिशत की बढ़ती हुई।

१८७१ में लेकर १८६१ तक भारत की आबादी के बढ़ने की औसत रफ़्तार लगभग ०.६० प्रतिशत मानना रही। १८५० में लेकर १८६० तक के साल में पूरी दुनिया की आबादी के बढ़ने की रफ़्तार का जो अनुमान लगाया गया है (यानी ०.६६ प्रतिशत), उसमें भारत की रफ़्तार थोड़ी कम थी।" (डॉ. के. ए. हिम्मतू डेविड, भारत और पाकिस्तान की आबादी, १९५१)

१९६१ में केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति को भी यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारत की शरीबी का कारण जरूरत से ज्यादा आवादी को बताने की जो प्रथा चली आ रही थी, उसका अपनी रिपोर्ट में खंडन करे। उसने लिखा :

“इन परिस्थितियों का केवल एक यही कारण नहीं है कि आवादी अनुचित रूप से बढ़ गयी है और उसके फलस्वरूप जमीन पर आवादी का दबाव बढ़ गया है। भारत की आवादी की इंग्लैंड की आवादी से तुलना कीजिए। हमारे पास दोनों देशों के तीन दशकों के आंकड़े मौजूद हैं। उनको देखने पर पता चलता है कि इंग्लैंड और वेल्स की आवादी में १८६१ और १९०१ के बीच १२.१७% की बढ़ती हुई थी, १९०१ और १९११ के बीच १०.६१% की, और १९११ और १९२१ के बीच ४.८% की। इसके मुकाबले में ब्रिटिश भारत की आवादी में क्रमशः २.४%, ५.५% और १.३% की बढ़ती हुई थी।”

आवादी का घनापन कितना था ? १९४१ में पूरे भारत में २४६ आदमी प्रति वर्ग-मील की आवादी थी, जब कि इंग्लैंड और वेल्स में ७०२, बेल्जियम में ७०२, हालैंड में ६३६ और जर्मनी में ३४८ आदमी प्रति वर्ग-मील की आवादी थी।

क्या आवादी की बढ़ती खाने-पीने की चीजों की पैदावार की बढ़ती में आगे निकल गयी है ? भारत में हालांकि खेती के विकास की तरफ मुजरिमाना लापरवाही बरती गयी है, और जितनी जमीन पर खेती हो सकती है, उसके सिर्फ एक हिस्से पर ही खेती होती है, फिर भी आधुनिक काल के जो आंकड़े मिलते हैं, उनमें यह बात नहीं निकलती कि आवादी की बढ़ती, पैदावार की बढ़ती से आगे निकल गयी हो। देश में पैदा होनेवाली खाने-पीने की चीजों की कुल मात्रा अब भी बहुत अपर्याप्त है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि आवादी की बढ़ती ने पैदावार की बढ़ती को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि इसका कारण यह है कि भारत में पैदावार के अब भी बहुत पिछड़े हुए तरीके बरते जाते हैं, यहाँ जमीन के स्वामित्व का पुराना ढर्रा आज भी बराम है, और तरह-तरह के भारी बोझों ने खेती की कमर तोड़ रखी है।

१८६१ और १९२१ के बीच आवादी ६.३ प्रतिशत बढ़ी। इसी काल में वह रकवा जिस पर घनात्र बोया जाता था, १६ प्रतिशत यानी आवादी की बढ़ती के मुकाबले दुगुनी रफ्तार में बढ़ गया। १९२१ में १९३१ तक के काल के लिए हमारे पास प्रोफेसर पी. जे. थोमस के आंकड़े हैं। उनके अनुसार, इस काल की आवादी में जब कि १०.४ प्रतिशत की बढ़ती हुई, तब खेती की पैदावार में १६ प्रतिशत की और औद्योगिक पैदावार में ५१ प्रतिशत की बढ़ती हो गयी।

मॉरलैंड ने अनुमान लगाया था कि सोनर्वा सदी के अन्त में भारत की आबादी १० करोड़ थी। १९५१ तक भारत और पाकिस्तान की आबादी ८३ करोड़ ३० लाख हो गयी थी। १७०० में इंग्लैंड और वेल्स की आबादी ५१ लाख थी। १९५१ तक वह बढ़कर ४ करोड़ ३७ लाख हो गयी थी। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ थोड़े समय में ही आबादी आठ-गुनी बढ़ गयी थी। यानी, भारत में जिस रफ्तार में आबादी बढ़ी है, इंग्लैंड और वेल्स में उसकी दुगुनी में भी ज्यादा रफ्तार रही है।

आधुनिक युग का अधिक महत्व है। औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ योरोप में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी थी। पर आधुनिक काल में रफ्तार धीमी पड़ गयी है। नीचे के आकड़े देखिए; उनमें यह पता चल जाता है कि १८७० और १९१० के बीच भारत में और योरोप के प्रमुख देशों में आबादी किस रफ्तार में बढ़ी है

प्रतिशत बढ़ती

भारत	१८.९
इंग्लैंड और वेल्स	५८.०
जर्मनी	५९.०
बेल्जियम	४७.८
हॉलैंड	६२.०
रूस	७३.९
योरोप का औसत	४५.४

एक फ़ास को छोड़कर, बाकी सभी योरोपीय देशों के मुकाबले भारत में आबादी के बढ़ने की रफ्तार कम रही है।

यदि १८७१ से १९४१ तक के काल को लिया जाय, तो पता चलता है कि भारत में आबादी के बढ़ने की रफ्तार ५२ प्रतिशत रही, जब कि उसके मुकाबले ब्रिटिश द्वीपों में आबादी में ५७ प्रतिशत की बढ़ती हुई।

“ १८७१ से लेकर १९४१ तक भारत की आबादी के बढ़ने की औसत रफ्तार लगभग ०.६० प्रतिशत सालाना रही। १८५० से लेकर १९४० तक के काल में पूरी दुनिया की आबादी के बढ़ने की रफ्तार का जो अनुमान लगाया गया है (यानी ०.६९ प्रतिशत), उसमें भारत की रफ्तार थोड़ी कम थी।” (प्रोफेसर किंग्सले डेविस, भारत और पाकिस्तान की आबादी, १९५१)

१९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति को भी यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारत की गरीबी का कारण जरूरत से ज्यादा आवादी को बताने की जो प्रथा चली आ रही थी, उसका अपनी रिपोर्ट में खंडन करे। उसने लिखा :

“इन परिस्थितियों का केवल एक यही कारण नहीं है कि आवादी अनुचित रूप से बढ़ गयी है और उसके फलस्वरूप जमीन पर आवादी का दबाव बढ़ गया है। भारत की आवादी की इंग्लैंड की आवादी से तुलना कीजिए। हमारे पास दोनों देशों के तीन दशकों के आकड़े मौजूद हैं। उनको देखने पर पता चलता है कि इंग्लैंड और वेल्स की आवादी में १८६१ और १९०१ के बीच १२.१७% की बढ़ती हुई थी, १९०१ और १९११ के बीच १०.६१% की, और १९११ और १९२१ के बीच ४.८% की। इसके मुकाबले में ब्रिटिश भारत की आवादी में क्रमशः २.४%, ५.५% और १.३% की बढ़ती हुई थी।”

आवादी का घनापन कितना था ? १९४१ में पूरे भारत में २४६ आदमी प्रति वर्ग-मील की आवादी थी, जब कि इंग्लैंड और वेल्स में ७०३, बेल्जियम में ७०२, हालैंड में ६३६ और जर्मनी में ३४८ आदमी प्रति वर्ग-मील की आवादी थी।

क्या आवादी की बढ़ती खाने-पीने की चीजों की पैदावार की बढ़ती में आगे निकल गयी है ? भारत में हालांकि खेती के विकास की तरफ मुजरिमाना लापरवाही बरती गयी है, और जिनकी जमीन पर खेती हो सकती है, उसके सिर्फ एक हिस्से पर ही खेती होती है, फिर भी आधुनिक कान के जो आकड़े मिलते हैं, उनसे यह बात नहीं निकलती कि आवादी की बढ़ती, पैदावार की बढ़ती से आगे निकल गयी हो। देश में पैदा होनेवाली खाने-पीने की चीजों की कुल मात्रा अब भी बहुत अपर्याप्त है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि आवादी की बढ़ती ने पैदावार की बढ़ती को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि इसका कारण यह है कि भारत में पैदावार के अब भी बहुत पिछड़े हुए तरीके बरते जाते हैं, यहाँ जमीन के स्वामित्व का पुराना ढर्रा आज भी कायम है, और तरह-तरह के भारी बोझों ने खेती की कमर तोड़ रखी है।

१८६१ और १९२१ के बीच आवादी ६.३ प्रतिशत बढ़ी। इसी काल में वह रकबा जिस पर अनाज बोया जाता था, १६ प्रतिशत यानी आवादी की बढ़ती के मुकाबले दुगुनी रफ्तार में बढ़ गया। १९२१ में १९३१ तक के काल के लिए हमारे पास प्रोफेसर पी. जे. योमन के आकड़े हैं। उनके अनुसार, इस काल की आवादी में जब कि १०.८ प्रतिशत की बढ़ती हुई, तब खेती की पैदावार में १६ प्रतिशत की और औद्योगिक पैदावार में ५१ प्रतिशत की बढ़ती हो गयी।

प्रोफेसर राधाकमल मुरुजी माल्यन के पक्के शिष्य हैं, लेकिन यह भी यह मानने पर मजबूर हैं कि "आबादी में जितनी बढ़ती हुई है, उनमें सेती की कुल पैदावार की घटती आने निकल गयी है।" (१९३८)

भारत की मौजूदा हालतों में, जब कि जमीन पर एक ग्राम किसान का स्वामित्व तायम है और किसानों को केवल कुछ विशेष प्राणर के सीमित अधिकार ही प्राप्त हैं, जब कि पैदावार का ढर्रा वाया आदन के जमाने का है और तरह-तरह के मुफतगोर किसानों की पीठ पर चढे हुए हैं, और जब कि देश में जितने लोग मेहनत करने की स्थिति में हैं, उनका अपभ्यम हो रहा है—ऐसी हालतों में यहा जीवन-निर्वाह के जितने साधन पैदा होते हैं, वे जनता की आवश्यकताओं के लिए काफी हैं, यह कोई नहीं कहता। नहीं, मौजूदा पैदावार तो बहुत ही नाकाफी है। डॉ. ऐकरोयड ने (१९४१ में) बताया है कि मर्द हो या औरत, यदि कोई व्यक्ति बिना ममरुकत क्रिये साधारण ढग का जीवन बिताता है, तो उसे हजम हो जानेवाले भोजन के रूप में रोजाना २,४०० कॅलोरी जीवन-शक्ति मिलनी चाहिए, मगर भारत में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको केवल १,७५० कॅलोरी रोजाना ही मयस्मर होती है। इसके अलावा, चर्बीवाले पदार्थों, प्रोटीनवाले पदार्थों, और शरीर की रक्षा करनेवाले पदार्थों की घाम तोर पर भोजन में सख्त कमी रहती है।

इन तथ्यों से भारत की उस मौजूदा सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का दिवालियापन साबित हो जाता है, जो यहा के बेद्युमार प्राकृतिक साधनों को जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित नहीं करती। लेकिन इन तथ्यों में यह नहीं साबित होता कि भारत की आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ गयी है। इसके विपरीत, सभी विशेषज्ञ यह बात मानते हैं कि यदि भारत के साधनों का सही ढग में उपयोग किया जाय, तो आज इस देश की जितनी आबादी है, या निकट भविष्य में कभी भी जितनी हो सकती है, उससे कहीं बड़ी आबादी इन साधनों के सहारे बड़ी खुशहाल जीवन बिता सकती है। भारत में आज खेती के लायक जितनी जमीन है, उसका लगभग एक-तिहाई भाग अभी तक तोडा नहीं गया है। और जिस भाग पर खेती होती भी है, उसे ऐसी आदिम ढग की पिछड़ी हुई परिस्थितियों में जोता-बोया जाता है कि बहुत ही कम पैदावार होती है। यदि गेहू की फसल को ले, तो इंग्लैंड और स्काटलैंड में कम आदिमियों से काम लेते हुए फी एकड जितनी उपज होती है, भारत में उसकी लगभग एक-तिहाई उपज होती है।

साम्राज्यवाद के अर्थशास्त्री और साम्राज्यवाद के प्रचारक किस तरह असली सवाल से साफ कन्नी काट जाते हैं, उसकी सबसे अच्छी मिसाल यही मिलती है। ये लोग कहते हैं कि "मौजूदा हालतों में" होनेवाली पैदावार

नाकाफी है और इसलिए भारत में "जरूरत से ज्यादा आबादी" है। "मोजूदा हालतों में" कहने का यह मतलब हुआ कि ये महानुभाव यह मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पर लदा हुआ साम्राज्यवादी और सामन्ती बोझ, मूढखोर महाजनों की लूट, विकास का गला गोट्टा जाना, और आर्थिक अर्थव्यवस्था, आदि भगवान के दिये हुए ऐसे वरदान हैं— जो जैसे आज हैं सदा वैसे ही बने रहेंगे। डॉ. एस्टे ने भी इसी तरह की दलीलें दी हैं। और भारत में खेती की जांच करने के लिए जो भारी-भरकम शाही कमीशन नियुक्त किया गया था, उसे जमीन के स्वामित्व, किसानों के अधिकारों तथा लगान और मालगुजारी की व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालियों की जांच करने की मनाही कर दी गयी थी।

१९३३ में लन्दन के स्वास्थ्य विज्ञान तथा उष्ण कटिबंध की बीमारियों के स्कूल में "एशिया में गर्भ-निरोध" पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष ने कहा था कि डॉ. कुर्किवस्की "आबादी की समस्याओं के जीवित विद्वानों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और अधिकारी विद्वान हैं।" इन्हीं डॉ. कुर्किवस्की ने इस सम्मेलन में भारत सम्बन्धी इस मिथ्या धारणा का निर्ममता से खंडन किया था। उन्होंने कहा था :

"इन चीजों की तरफ हमें स्थिर और अपरिवर्तनवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमसे कहा जाता है कि भारत में इस समय २० करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है, और उसकी आबादी को प्रच्छेदों तरह खिलाने के लिए ३५.३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती करने की आवश्यकता है। लेकिन इतनी सारी जमीन पर खेती करना क्यों आवश्यक है, और किन परिस्थितियों में इतनी सारी जमीन पर खेती करना आवश्यक है? वह सभी आवश्यक है जब हम रामायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करें और जब हम खेती में मुधार नहीं करें। जिस आदमी को प्राधुनिक खेती का जरा भी ज्ञान है, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि २० करोड़ एकड़ जमीन पर सभी भारतीयों के लिए ढ़ेरो खाने-पीने की चीजें पैदा की जा सकती हैं; और इसके लिए हमें भारतीय किसानों को कोई बहुत शिक्षा देने की भी आवश्यकता न होगी। एक-दो साल में वे आसानी से जितना सीख सकते हैं, उतना ही इसके लिए पर्याप्त होगा। जिस प्रकार स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय के जरिए भारत में मौतों की ऊंची रफ्तार को कम किया जा सकता है, उसी प्रकार खेती में मुधार करके खाने-पीने की चीजों के अभाव को दूर किया जा सकता है।"

भारत और योरोप के देशों में निर्णायक भ्रूंड आबादी के बढ़ने की रफ्तार का नहीं है। आबादी के बढ़ने की रफ्तार तो योरोप के देशों में यहाँ में ऊंची

प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी माल्यम के पक्के निष्पक्ष हैं, लेकिन वह भी यह मानने पर मजबूर हैं कि "आबादी में जितनी बढ़ती हुई है, उमने खेती की बुन पैदावार की घटती आगे निकल गयी है।" (१९३८)

भारत की मौजूदा हालतों में, जब कि जमीन पर एक गास किस्म का स्वामित्व कायम है और किसानों को केवल कुछ विशेष प्रकार के सीमित अधिकार हों प्राप्त हैं, जब कि पैदावार का डर्रा बाबा आदम के उमाने का है और तरह-तरह के मुपतयोंर किसानों की पीठ पर चड़े हुए हैं, और जब कि देश में जिनने लोग मेहनत करने की स्थिति में है, उनका अपव्यय हो रहा है—ऐसी हालतों में यहा जीवन-निर्वाह के जितने साधन पैदा होते हैं, वे जनता की आवश्यकताओं के लिए काफी है, यह कोई नहीं कहता। नहीं, मौजूदा पैदावार तो बहुत ही नाकाफी है। डॉ. ऐकरोयड ने (१९४१ में) बताया है कि मरें हो या औरत, यदि कोई व्यक्ति बिना मसकत किये साधारण ढग का जीवन बिताता है, तो उसे हजम हो जानेवाले भोजन के रूप में रोजाना २,४०० कैलोरी जीवन-शक्ति मिलनी चाहिए, मगर भारत में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको केवल १,७५० कैलोरी रोजाना ही मयस्मर होती है। इसके अलावा, चर्बीवाले पदार्थों, प्रोटीनवाले पदार्थों, और शरीर की रक्षा करनेवाले पदार्थों की आम तौर पर भोजन में सलन कमी रहती है।

इन तथ्यों से भारत की उस मौजूदा सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का दिवालियापन साबित हो जाता है, जो यहा के बेगुमार प्राकृतिक साधनों को जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित नहीं करती। लेकिन इन तथ्यों से यह नहीं साबित होता कि भारत की आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ गयी है। इसके विपरीत, सभी विशेषज्ञ यह बात मानते हैं कि यदि भारत के साधनों का सही ढग में उपयोग किया जाय, तो आज इस देश की जितनी आबादी है, या निकट भविष्य में कभी भी जितनी हो सकती है, उससे कहीं बड़ी आबादी इन साधनों के सहारे बड़ी खुशहाल जीवन बिता सकती है। भारत में आज खेती के लायक जितनी जमीन है, उसका लगभग एक-तिहाई भाग अभी तक तोड़ा नहीं गया है। और जिस भाग पर खेती होती भी है, उसे ऐसी आदिम ढग की पिछड़ी हुई परिस्थितियों में जोता-बोया जाता है कि बहुत ही कम पैदावार होती है। यदि गेहू की फसल को ले, तो इंगलंड और स्कॉटलंड में कम आदमियों में काम लेते हुए फी एकड़ जितनी उपज होती है, भारत में उसकी लगभग एक-तिहाई उपज होती है।

साम्राज्यवाद के अर्थशास्त्री और साम्राज्यवाद के प्रचारक किस तरह असली सवाल में साफ कन्नी काट जाते हैं, उसकी सबसे अच्छी मिसाल यही मिलती है। ये लोग कहते हैं कि "मौजूदा हालतों में" होनेवाली पैदावार

नाकाफी है और इसलिए भारत में "जरूरत से ज्यादा आवादी" है। "मोज़दा हालतो में" कहने का यह मतलब हुआ कि ये महानुभाव यह मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पर लदा हुआ साम्राज्यवादी और सामन्ती बोझ, मूदखोर महाजनों की लूट, विकास का गला गोटा जाना, और आर्थिक अव्यवस्था, आदि भगवान के दिये हुए ऐसे वरदान हैं— जो जैसे आज हैं सदा वैसे ही बने रहेंगे। डॉ. एंस्टे ने भी इसी तरह की दलीले दी हैं। और भारत में खेती की जांच करने के लिए जो भारी-भरकम शाही कमीशन नियुक्त किया गया था, उसे जमीन के स्वामित्व, किसानों के अधिकारों तथा लगान और मालगुजारी की व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों की जांच करने की मनाही कर दी गयी थी।

१९३३ में लन्दन के स्वास्थ्य विज्ञान तथा उष्ण कटिबंध की बीमारियों के स्कूल में "एशिया में गर्भ-निरोध" पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष ने कहा था कि डॉ. कुक्ज़िस्की "आवादी की समस्याओं के जीवित विद्वानों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और अधिकारी विद्वान हैं।" इन्हीं डॉ. कुक्ज़िस्की ने इस सम्मेलन में भारत सम्बंधी इस मिथ्या धारणा का निर्ममता से खंडन किया था। उन्होंने कहा था :

"इन चीजों की तरफ हमें स्थिर और अपरिवर्तनवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमसे कहा जाता है कि भारत में इस समय २० करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है, और उसकी आवादी को अच्छी तरह खिलाने के लिए ३५.३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती करने की आवश्यकता है। लेकिन इतनी सारी जमीन पर खेती करना क्यों आवश्यक है, और किन परिस्थितियों में इतनी सारी जमीन पर खेती करना आवश्यक है? वह तभी आवश्यक है जब हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करें और जब हम खेती में सुधार नहीं करें। जिस आदमी को आधुनिक खेती का जरा भी ज्ञान है, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि २० करोड़ एकड़ जमीन पर सभी भारतीयों के लिए ढेरों खाने-पीने की चीजें पैदा की जा सकती हैं; और इसके लिए हमें भारतीय किसानों को कोई बहुत शिक्षा देने की भी आवश्यकता न होगी। एक-दो साल में वे आसानी से जितना सीख सकते हैं, उतना ही इसके लिए पर्याप्त होगा। जिस प्रकार स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय के जरिए भारत में मौतों की ऊंची रफ्तार को कम किया जा सकता है, उसी प्रकार खेती में सुधार करके खाने-पीने की चीजों के अभाव को दूर किया जा सकता है।"

भारत और योरोप के देशों में निर्णायक भेद आवादी के बढ़ने की रफ्तार का नहीं है। आवादी के बढ़ने की रफ्तार तो योरोप के देशों में यहाँ में ऊंची

है। भारत और योरप की हालतों में जो भेद है, वह इस कारण पैदा हुआ है कि योरप में जो आर्थिक विकास तथा उत्पादन का विस्तार हो चुका है और जिसने आबादी के तेजी से बढ़ने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं, वह आर्थिक विकास और उत्पादन का विस्तार भारत में नहीं हुआ है; बल्कि जैसा कि हम आगे देखेंगे, वह ब्रिटिश पूँजीवाद की कारंवाइयों के कारण और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोक दिया गया है। इसीका नतीजा है कि आबादी के एक अधिकाधिक बढ़ते हुए भाग को लाचार होकर आदिम वंग की, बहुत ही पिछड़ी हुई और तरह-तरह के बोझों से दबी हुई खेती का सहारा लेना पड़ता है। एक ओर देश की दीर्घत खिंचकर बाहर चली गयी है और औद्योगिक विकास तथा तरक्की के अन्य रास्ते बन्द कर दिये गये हैं; और दूसरी ओर, उस खेती की भी कमर तोड़ दी गयी जिसे अधिकतर जनता के लिए जीविका का एकमात्र साधन बना दिया गया है। खेती की ओर भी लापरवाही दिखायी जा रही है, उसका भी पतन हो रहा है।

भारत के लोगों की भयंकर गरीबी का यही रहस्य है। उसका कोई ऐसा प्राकृतिक कारण नहीं है जो मनुष्य की क्षमता या नियंत्रण के बाहर हो। न ही उसका कारण आबादी के बढ़ने की मनगढ़ंत कहानी है। उसका कारण ये सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, जो साम्राज्यवादी शासन से उत्पन्न हुई हैं। इसके प्रमाण, और उन प्रमाणों से निकलनेवाले राजनीतिक निष्कर्ष को हम आनेवाले अध्यायों में पेश करेंगे।

तीसरा अध्याय

दो दुनियाएं

१९१७ के पहले यह दलील देना सम्भव था कि भारत के साधनों का विकास न करने और जनता का स्तर ऊपर न उठाने के लिए सिद्धान्त की दृष्टि से साम्राज्यवाद की निन्दा करना, एक कल्पनावादी दृष्टिकोण से आलोचना करने के समान है। उस समय तक यह कहना मुमकिन था कि जो लोग इस तरह की आलोचना करते हैं, वे यह यही देखते कि हृद से ज्यादा अ विकसित उत्पादन कौशल और एक विशाल, पिछड़ी हुई तथा मुख्यतया निरक्षर जनसंख्या के कारण किसी भी एशियाई देश के विकास के रास्ते में कितनी भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज इस तरह की दलील देने का कोई साहस नहीं कर सकता। खास तौर पर १९१७ के बाद से सोवियत संघ में समाजवादी क्रान्ति ने जो सफलताएं प्राप्त की हैं, और एक ऐसे विशाल देश में जहां उत्पादन का कौशल बहुत ही पिछड़ा हुआ था, हृद दर्जे की अव्यवस्था फैली हुई थी, लोग प्रायः निरक्षर थे, और जहां योरपीय तथा एशियाई दोनों तरह की कौमें रहती थीं, उसने जैसे महान परिवर्तन कर दिखाये हैं, उनसे सबके सामने इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण पेश हो गया है कि ऐसे देशों में भी क्या किया जा सकता है। सोवियत संघ का अनुभव सभी देशों की जनता की आंखें खोल रहा है, और भारत की जनता इस चीज से अलग नहीं है।

१. समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीस वर्ष

समाजवादी क्रान्ति की विजय के पैंतीस वर्ष बाद, १९५३ के आते-आते, सोवियत संघ और भारत के आर्थिक विकास में जो भयानक अन्तर दिखाई देता है, वह दर्शक को चकित कर देता है। सोवियत संघ आज दुनिया की उत्पादक शक्तियों की सबसे भगली पांत में, अमरीका के साथ खड़ा हुआ है, और उसने उन

तमाम देशों को पीछे छोड़ दिया है, जहाँ प्राधुनिक उद्योग-धंधों का विकास बहुत पहले शुरू हो गया था। भारत आज भी दुनिया के औपनिवेशिक तथा अर्ध-औपनिवेशिक देशों के निम्ने प्राथिक स्तर पर पड़ा हुआ है।

इस पूरे काल में दोनों देशों का कितना विकास हुआ, इसकी आकड़ों के द्वारा तुलना करना किसी हद तक कठिन है, क्योंकि १९४७ के पहले के संयुक्त भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के और १९४७ के बाद के भारत और पाकिस्तान के कोई ऐसे आकड़े नहीं मिलते जिनकी सोवियत संघ के आकड़ों से तुलना की जा सके। लेकिन यदि हम दूसरे महायुद्ध के पूर्व के बीस वर्षों के आकड़ों को लें, और कभी-कभी बाद के आकड़ों पर भी एक नजर डाल लें, तो साम्राज्यवाद और समाजवाद के अन्तर्गत होनेवाले विकास का तुलनात्मक अध्ययन ज्यादा सही ढंग से किया सकता है।

इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम १९१७ के जारशाही रूस को नहीं लेंगे, जब कि उसकी पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी, हालांकि समाजवादी शासन को देश इसी हालत में मिला था। बल्कि हम १९१३-१४ के जारशाही रूस को लेंगे जब कि वह उन्नति के शिखर पर था और उसका मुकाबला १९३७ के रूस से करेंगे। उससे हमें मालूम हो जायगा कि बीस वर्ष में समाजवाद ने देश का क्या किया। उसके बाद हम पहले महायुद्ध के पहले के, यानी १९१४ के भारत को लेंगे और देखेंगे कि बीस वर्ष में, यानी बीसवीं सदी के चौथे दशक तक, साम्राज्यवाद ने क्या करके दिखाया। अन्त में, हम एक और भी अधिक उपयोगी तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि इसी काल में सोवियत संघ के मध्य-एशियाई प्रजातंत्रों में कितना विकास हुआ है। इन प्रजातंत्रों में वे तमाम विशेष कठिनाइयाँ और समस्याएँ मौजूद थीं जो भारत में पायी जाती हैं और वहाँ की जनता के विकास का साधारण स्तर शुरू में भारत से कहीं अधिक पिछड़ा हुआ था।

उत्पादक शक्तियों के विकास की जो मूल कसौटी है, हम यहाँ उसी बात से आरम्भ करेंगे।

सोवियत संघ में औद्योगिक पैदावार का सूचक अंक १९१३ में १०० था; १९३७ तक वह बढ़कर ८१६ (और १९५१ तक २,४१२) हो गया। राष्ट्र की कुल पैदावार में उद्योग-धंधों की पैदावार का भाग १९१३ में ४२ प्रतिशत था। १९३७ तक वह बढ़कर ७७ प्रतिशत हो गया, यानी रूस जो पहले प्रधानतया खेतिहर देश था, वह प्रधानतया औद्योगिक देश बन गया। देश में कुल जितने काम करनेवाले लोग थे १९१३ में उनके १६ प्रतिशत लोग कल-कारखानों में काम करते थे, १९३७ तक ३१ प्रतिशत लोग कल-कारखानों में काम करने लगे। १९१३ में राष्ट्रीय आय (यदि १९२६-२७ के दामों को आधार माना

जाय तो) २१ अरब रूबल थी; १९३७ तक वह बढ़कर ९६ अरब रूबल हो गयी, अर्थात् पहले से साढ़े चार-गुनी हो गयी। फिर १९५१ तक राष्ट्रीय आय १९३८ की सवा दो-गुनी हो गयी; यानी १९१३ से १९५१ तक राष्ट्रीय आय दस-गुनी हो गयी।

भारत में अभी हाल तक औद्योगिक पैदावार का, या कुल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय का साधारण सूचक अंक निकालने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया था। मुख्य उद्योगों में औद्योगिक पैदावार का सूचक अंक निकालने का एक गैर-सरकारी प्रयत्न डी. बी. मीक ने किया था। उन्होंने १९१०-११ से लेकर १९१४-१५ तक के पांच वर्षों के सूचक अंक को १०० मानकर हिसाब लगाया था कि १९३२-३३ का सूचक अंक १५६ था, यानी कुल ५६ प्रतिशत बढ़ती हुई थी, जो कि सोवियत संघ में हुई बढ़ती की रफ्तार का सोलहवाँ हिस्सा होती है। १९११ और १९२१ में जन-गणना के साथ-साथ उद्योग-धंधों में काम करनेवालों की भी गणना हुई थी, हालांकि १९३१ में वह नहीं हुई। उससे पता चला था कि "मगठित उद्योगों" में, अथवा २० से अधिक मजदूरों में काम लेनेवाले कारखानों में, १९११ में २१ लाख आदमी काम करते थे, और १९२१ तक उनकी संख्या २६ लाख हो गयी थी। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे मजदूरों की संख्या में हर माल २४ प्रतिशत की बढ़ती होती थी, जो यदि २० वर्ष तक बराबर होती रहती, तो कुल ४८ प्रतिशत की बढ़ती के बराबर होती (असल में, युद्ध और उसके तुरन्त बाद के वर्षों में बढ़ती की जो रफ्तार थी, वह उसके बाद क्रायम नहीं रही)। यह सोवियत बढ़ती की रफ्तार का उन्नीसवाँ भाग होती है। सरकारी कागज़ों में उद्योग-धंधों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या १९११ में १७५ लाख बतायी गयी थी और १९३१ में १५३ लाख, जिसका मतलब यह हुआ कि आबादी के बढ़ने के बावजूद उद्योग-धंधों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या में निपेक्ष रूप से १२६ प्रतिशत की कमी हो गयी। यह इस बात की भूलक थी कि छोटे पैमाने के हाथ के उद्योग अब भी नष्ट होते जा रहे थे, और उसके अनुरूप आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि खेती पर निर्भर करनेवाले लोगों की संख्या, जो कि १९११ में कुल आबादी की ७२ प्रतिशत थी, १९२१ में बढ़कर ७३ प्रतिशत हो गयी, और १९३१ में भी इसी स्तर पर रही, लेकिन उद्योग-धंधों में काम करनेवालों की संख्या, जो कि १९११ में कुल काम करने वालों की संख्या की ११७ प्रतिशत थी, १९३१ तक १० प्रतिशत रह गयी (बाद के आंकड़ों के लिए पृष्ठ ७८ देखिए)।

यह तो हुआ साधारण चित्र। दोनों देशों की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक उपज के आंकड़ों की और सही-सही तुलना करके इस चित्र को और ठोस बनाया

जा सकता है। जिन बीस वर्षों की हम चर्चा कर रहे थे, उनमें भारत में कोयले की पैदावार में ३४ प्रतिशत की बढ़ती हुई, जब कि रूस में इन्हीं वर्षों में ३४० प्रतिशत की बढ़ती हुई थी। इस्पात की पैदावार भारत में युद्ध के पहले प्रारम्भ ही हुई थी, और १९३४-३५ तक वह १० लाख टन तक नहीं पहुँची थी। सोवियत संघ में इस्पात की पैदावार १९३७ तक १७५ लाख टन तक पहुँच गयी थी, जो कि युद्ध के पहले की पैदावार से १३० लाख टन ज्यादा थी। १९५२ तक सोवियत संघ की इस्पात की पैदावार ३५० लाख टन तक पहुँच गयी, जब कि भारत में उसकी पैदावार १९५१ में भी केवल १५ लाख टन ही थी। १९१३ में रूस में १९० करोड़ किलोवाट-घंटे बिजली तैयार होती थी; १९३७ तक वहाँ ३,६५० करोड़ किलोवाट-घंटे बिजली तैयार होने लगी। भारत में इस काल में कितनी बिजली तैयार होती थी, इसके कोई आकड़े नहीं मिलते, हालांकि इतना मालूम है कि १९३५ में अनुमान लगाया गया था कि यहाँ २५० करोड़ किलोवाट-घंटे बिजली पैदा होती है। १९५२ तक सोवियत संघ में बिजली की पैदावार ११,७०० करोड़ किलोवाट-घंटे तक पहुँच गयी थी, जब कि भारत में वह १९५२ तक केवल ६२१ करोड़ किलोवाट-घंटे तक ही पहुँची थी। यानी सोवियत संघ में भारत से उन्नीस-गुनी अधिक बिजली तैयार होती थी।

खेती के क्षेत्र में यह अन्तर और भी तीखा हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ की अधिकतर आबादी में जो रूपान्तर हुआ है, उसका मौलिक महत्व है। जारशाही रूस में गरीबी के मारे, जमीन के भूखे किसान सदा जमींदारों, सूदखोर महाजनों और धनी किसानों की दया पर निर्भर रहते थे। आज वे ही सामूहिक खेती करनेवाले स्वतंत्र और समृद्ध किसान बन गये हैं और वे अपने बड़े पैमाने के पंचायती खेतों पर अधिक से अधिक उन्नत मशीनों और कौशल का प्रयोग करते हुए खेती करते हैं। जब से खेतों का सामूहिकरण पूरा हुआ, तब से पांच बरस के अन्दर इन किसानों ने अपनी नक़द आय तिगुनी कर ली थी। १९१३ और १९३७ के बीच सोवियत संघ में फसल के रकबे में एक-तिहाई की बढ़ती हुई, अनाज की फसल डेढ़-गुनी हो गयी, और कपास की पैदावार साढ़े तीन-गुनी हो गयी। भारत में खेती का संकट वर्ष-प्रति-वर्ष अधिक गहरा होता जा रहा है। पहले अध्यायो में हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जमींदारों, सूदखोर महाजनों और तहसील उगाहनेवालों के मिले-जुले दबाव ने किसानों की कमर तोड़ दी है, उनका दिवाला निकाल दिया है, और अधिकाधिक किसानों की जमीनें छिनती जा रही हैं। जिस काल पर हम विचार कर रहे हैं, उस काल में फसल के रकबे और फसल के परिमाण में जो बढ़ती हुई है, वह आबादी की बढ़ती से मुश्किल से ही बढ़ पायी है।

भाइए, अब हम उन सामाजिक उपायों पर विचार करें जो इन दोनों देशों में राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जन-कल्याण के लिए किये हैं।

जारशाही रूस में ७८ प्रतिशत से अधिक आबादी निरक्षर थी। १९३० में सोवियत सरकार ने एक आदेश के द्वारा सार्वजनिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की स्थापना की और १९३४ के आदेश के द्वारा सभी लोगों के लिए सात वर्ष की शिक्षा अनिवार्य बना दी गयी। अब वहाँ के सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा (अर्थात् दस वर्ष की शिक्षा जो सत्रह वर्ष की आयु तक चलती है) अनिवार्य कर दी गयी है। १९६० तक वह देश के सभी हिस्सों में अनिवार्य हो जायगी। भारत में १९११ में ६४ प्रतिशत लोग निरक्षर थे और १९३१ तक भी ६२ प्रतिशत लोग निरक्षर रहे। १९५१ तक निरक्षर लोगों की संख्या थोड़ी कम होकर ८४ प्रतिशत हो गयी। सोवियत संघ में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करनेवाले बच्चों की संख्या १९३७ में कुल आबादी की १७.२ प्रतिशत थी। भारत में जिन बच्चों को सरकारी कागजों में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, उनकी संख्या १९३४-३५ में कुल आबादी की ४.६ प्रतिशत थी। लेकिन जांच करने पर प्रकट हुआ कि जिन बच्चों को केवल चार वर्ष की सीमित प्राथमिक शिक्षा मिल रही थी, उनकी भी असली संख्या कुल आबादी की केवल ०.८ प्रतिशत थी। यदि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं के विद्यार्थियों की संख्या को लिया जाय तो १९३४-३५ के ब्रिटिश भारत में कुल आबादी के साथ उसका जो अनुपात था, वह १९३७ के सोवियत अनुपात का आठवाँ हिस्सा होता था। औद्योगिक कौशल की शिक्षा का किसी भी अविकसित देश के लिए बड़ा महत्व होता है। इस क्षेत्र में, भारत में कुल आबादी के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या सोवियत संघ की संख्या का ७.८वाँ हिस्सा थी।

जहाँ तक अखबारों और प्रकाशनों का सम्बंध है, इन बीस वर्षों में सोवियत संघ में अखबारों की संख्या ८५६ से बढ़कर ८,५२१ हो गयी थी, जब कि भारत में यह ८२७ से बढ़कर १,७४८ ही हुई थी; और सोवियत संघ में पुस्तकों की संख्या ८६७ लाख से बढ़कर ६,७३० लाख तक पहुँच गयी थी, जब कि भारत में पुस्तकों की संख्या में बीस बरस के अरसे में केवल एक-तिहाई की बढ़ती हुई थी।

जारशाही रूस में १९१३ में जन-स्वास्थ्य पर १,२८० लाख रूबल खर्च किये गये थे। सोवियत संघ में १९२८ में इस मद पर ६,६६० लाख रूबल और १९३७ में ६०,५०० लाख रूबल खर्च किये गये; यानी इस मद के खर्च में सत्तर-गुनी बढ़ती हुई। और १९५२ तक तो इस मद का खर्च २२८,००० लाख रूबल तक पहुँच गया। भारत में केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें

सब मिलाकर सावजनिक स्वास्थ्य पर जो खर्चा करनी थी, वह १९२१-२२ में ४३ लाख रुपये बँटा था और १९३५-३६ में ५७२ लाख रुपये। १९१३ में जागसाही रुस के अस्पतालों में १३८,००० बीमारों के रहने का इन्तजाम था; १९३७ तक सोवियत रुस के अस्पतालों में ५८३,००० बीमारों के रहने का इन्तजाम हो गया। ब्रिटिश भारत में १९१४ में ४८,४३५ बीमारों के रहने का इन्तजाम था, और १९३८ तक केवल ७२,२७१ बीमारों के रहने का इन्तजाम हो पाया। जागसाही रुस में १९१३ में मृत्यु-संख्या २८३ फी हज़ार थी। भारत में १९१८ में मृत्यु-संख्या ३० फी हज़ार थी; यानी, दोनों देशों में मृत्यु-संख्या लगभग बराबर थी। लेकिन सोवियत मघ में यह गिरकर १९२६ में २०.६ फी हज़ार पर आ गयी, जब कि भारत में वह उम साल भी २६.७ फी हज़ार रही। १९५३ तक सोवियत मघ में मृत्यु-संख्या ८६ फी हज़ार रह गयी, लेकिन १९४६ तक वह भारत में १६ फी हज़ार बनी रही। या सावजनिक सफाई और छूत की बीमारियों पर उसके प्रभाव को लीजिए। १९१३ और १९२६ के बीच सोवियत मघ में टाइफम बुखार में ७२ प्रतिशत की कमी हो गयी, डिप्थीरिया में ८० प्रतिशत की, और चेचक में ६० प्रतिशत की। भारत में टाइफम बुखार और डिप्थीरिया के कोई आकड़े नहीं मिलते। चेचक में होनेवाली मौतों में वहाँ १९१४ और १९३४ के बीच केवल इतनी कमी आयी कि उनकी संख्या आवादी के अनुपात में ३२ फी १० हज़ार में ३० फी १० हज़ार हो गयी। जागसाही रुस में १९१३ में डॉक्टरों की संख्या १६,८०० थी। सोवियत रुस में १९३७ तक उनकी संख्या ६७,००० हो गयी। भारत में १९३४-३५ में जितने डॉक्टर विश्वविद्यालयों से परीक्षा पास करके निकले थे, उनकी कुल तादाद ६३० थी, जिसमें इंग्लैंड में शिक्षा लेकर लौटनेवाले चन्द लोग और जोड़े जा सकते थे।

अन्त में, हम मजदूरों की हालत पर विचार कर लें। सोवियत मघ में १९२२ में सब उद्योगों में आठ घंटे का दिन जारी किया गया और १९२७ में सब उद्योगों में सात घंटे का दिन। खननकाक पेशों में या जमीन के नीचे काम करनेवाले मजदूरों के लिए, दिमाग में काम करनेवालों के लिए और १६ तथा १८ वर्ष के बीच के नाबालिगों के लिए उसी साल छह घंटे का दिन नियत किया गया (युद्ध आरम्भ होने तक यह व्यवस्था कायम रही)। वहाँ १४ वर्ष से कम के बच्चे किसी भी हालत में नौकर नहीं रखे जा सकते, और १४ से १६ साल के बच्चों में केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही काम लिया जा सकता है, और वह भी ४ घंटे में ज्यादा नहीं।

भारत में १९२२ के फैक्टरी एक्ट के द्वारा प्यारह घंटे का दिन जारी किया गया और १९३८ के फैक्टरी एक्ट ने उसकी जगह दस घंटे का दिन जारी

किया और बारह वर्षों से कम उम्र के बच्चों को नौकर रखने की मनाही कर दी गयी। लेकिन कारखानों की जांच करनेवाले इंस्पेक्टरों की संख्या इतनी कम रखी गयी (बिहटले कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार १९०६ में उनकी संख्या पूरे भारत में केवल ३६ थी) कि एक साल में एक बार भी इंस्पेक्टर का हर कारखाने में पहुंचना नामुमकिन था। नतीजा यह हुआ कि कारखानों के मालिक खुलेआम कानून तोड़ते रहे। इसके अनावा, फंक्टरी ऐक्ट औद्योगिक मजदूरों के केवल एक छोटे में भाग पर लागू है (१९३१ की जन-गणना में पता चला था कि भारत में कुल १७७ लाख आदमी उद्योग-वधो तथा यातायात में काम करते हैं, १९३६ में इनमें से सिर्फ १६ लाख पर फंक्टरी ऐक्ट लागू था)। भारत के अधिकतर मजदूरों के लिए काम के घंटों की कोई सीमा नहीं है। उनके अधिकारों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे में छोटे बच्चों के शोषण की भी कोई सीमा नहीं है। बिहटले कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि कमीशन को पाच-पाच बरस के बच्चे बारह-बारह घंटे काम करते हुए मिलते थे।

यह तुलनात्मक चित्र ठोस वास्तविकता और निर्विवाद तथ्यों का चित्र है।

फिर भी प्रथम महायुद्ध के पहले जारशाही रूस और अंग्रेजों द्वारा शामिल भारत की जनता की हालत में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं था। यह परिवर्तन बीस साल के समाजवादी शासन से पैदा हुआ। इसलिए, जाहिर बात है कि भारत में भी ऐसा ही परिवर्तन हो सकता है, बशर्ते कि यहाँ आवश्यक राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा हो जायें और वर्ग-शक्तियों के सम्बन्ध में जरूरी तब्दीलियाँ हो जायें।

२. मध्य-एशियाई प्रजातंत्रों का अनुभव

सोवियत संघ के मध्य-एशियाई प्रजातंत्रों के अनुभव से यह अन्तर और भी स्पष्ट हो जाता है। भारत जितना पिछड़ा हुआ है, २० वर्ष पहले ये प्रजातंत्र उसमें कहीं अधिक पिछड़े हुए थे। इसलिए, उन्होंने जो उन्नति की है और आज वे विकास की जिस अवस्था में हैं, उसमें भारत के लिए विशेष रूप से मूल्यवान सबक मिलते हैं। एशियाई अर्थ-व्यवस्था और एशियाई सामाजिक परिस्थितियों में, तथा स्त्रियों की स्थिति और धर्म, आदि में सम्बन्धित सभी विशेष प्रकार की समस्याएँ इन प्रजातंत्रों में अपने बहुत ही उग्र रूप में मौजूद थीं। इसलिए साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक नीति और पिछड़ी हुई जातियों के प्रति समाजवाद की नीति में जो भारी अन्तर है, वह जितना इन प्रजातंत्रों में स्पष्ट होता है उतना और कहीं नहीं होता। क्रान्ति के पहले मध्य एशिया अर्थ-मुलाम और

भारत : वर्तमान घोर भाषो

धोपनिवेशिक मजदूरों की भूमि थी। अब वह समान अधिकारवाली जातियों, समाजवादी खेती और नव-निर्मित उद्योग-धंधों की भूमि बन गयी है।
सोवियत संघ में पांच मध्य-एशियाई सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र हैं:

तुर्कमानिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किरगीजिया और अजरबैजान।
ताजिकिस्तान भारत से चन्द मील की दूरी पर है। पहले उसीसे गुरू करें।
पुराने जमाने में ताजिक लोगों का जीवन सुखी नहीं था। क्रान्ति के समय तक वे रूसी जारशाही और बुखारा के भरीर की सामन्ती-मजहबी तानाशाही की गुलामी में जकड़े हुए थे। जारशाही साम्राज्य के टूटने के बाद जो शह-मुदु भारतभ हुए, वे अन्तिम रूप से १९२५ तक समाप्त नहीं हुए। १९२५ में ताजिकिस्तान एक स्वायत्तशासी प्रजातंत्र बन गया और १९२९ में वह एक स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ में शामिल हुआ।

ताजिक लोगों को जारशाही ने कितने घोर पिछड़ेपन की हालत में रख छोड़ा था, इसका कुछ अनुमान इस बात से लग सकता है कि क्रान्ति से पहले वहाँ के केवल ०.५ प्रतिशत लोग ही पढ़-लिख सकते थे (भारत में, इसके मुकाबले १९११ में ६ प्रतिशत लोग साक्षर थे)। १९३३ तक वहाँ के ६० प्रतिशत लोग साक्षर हो गये (जब कि भारत में १९३१ तक केवल ८ प्रतिशत साक्षर हो पाये थे), और १९४३ तक तो वहाँ साक्षरों की संख्या ७५ प्रतिशत हो गयी। १९३६ तक ताजिक प्रजातंत्र में ३,००० स्कूल (यानी, भावादी के ५०० लोगो के लिए १ स्कूल), ५ उच्च शिक्षा की संस्थाएँ, और ३० से ज्यादा धोद्योगिक कौशल के (टेक्निकल) स्कूल हो गये थे। १९३९ तक वहाँ १९५४ स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या ३२८,००० तक पहुँच गयी थी (जब कि १९१४ में यह संख्या १०० थी) और उच्च शिक्षा की संस्थाओं की संख्या २१ हो गयी थी। १९५२ तक पूरा समय देनेवाले विद्यार्थियों की संख्या कुल भावादी के अनुपात में ५८० फी लाख हो गयी थी, जब कि भारत में यह संख्या केवल ९० फी लाख ही थी।

१९२४ में ताजिकिस्तान में कुल १,००५,००० एकड़ जमीन जोती-बोयी गयी थी। १९३६ तक १,६२६,००० एकड़ जमीन जोती-बोयी जाने लगी। अधिकतर किसान परिवारों ने खेती का सामूहिक तरीका अपना लिया है। कपास की खेती की प्रारंभिक प्रती क्रिया में अब मशीनों का उपयोग होने लगा है। सिंचाई का विकास विशेष महत्व रखता है। १९२९ में ताजिकिस्तान ने सिंचाई पर ३० लाख रूबल खर्च किये, १९३० में १२० लाख रूबल और १९३१ के बजट में इस मद में ६१० लाख रूबल रखे गये थे, जो कि ५० रूबल प्रति निवासी बँटता था। और इस सब में जो रुपया खर्च हुआ, उसमें से अधिकतर स्थानीय जनता पर कर लगाकर नहीं वसूल किया गया था, बल्कि सोवियत संघ

१९२४ में ताजिकिस्तान में कुल १,००५,००० एकड़ जमीन जोती-बोयी गयी थी। १९३६ तक १,६२६,००० एकड़ जमीन जोती-बोयी जाने लगी। अधिकतर किसान परिवारों ने खेती का सामूहिक तरीका अपना लिया है। कपास की खेती की प्रारंभिक प्रती क्रिया में अब मशीनों का उपयोग होने लगा है। सिंचाई का विकास विशेष महत्व रखता है। १९२९ में ताजिकिस्तान ने सिंचाई पर ३० लाख रूबल खर्च किये, १९३० में १२० लाख रूबल और १९३१ के बजट में इस मद में ६१० लाख रूबल रखे गये थे, जो कि ५० रूबल प्रति निवासी बँटता था। और इस सब में जो रुपया खर्च हुआ, उसमें से अधिकतर स्थानीय जनता पर कर लगाकर नहीं वसूल किया गया था, बल्कि सोवियत संघ

की केन्द्रीय सरकार से मिला था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस देश में कोई उद्योग-धंधों को जानता तक न था, वहाँ बड़ी तेजी से औद्योगिक विकास हुआ, और जहाँ एक भी सड़क न थी, वहाँ आधुनिक सड़कों का जाल बिछ गया।

अब सार्वजनिक स्वास्थ्य को लीजिए। १९१४ में ताजिकिस्तान में १३ डाक्टर थे, और १९३९ तक ४४० हो गये। १९१४ में वहाँ पूरी आबादी के लिए अस्पतालों में केवल १०० बीमारों के रहने का इन्तजाम था, १९३९ तक वहाँ ३,६७५ बीमारों के रहने का इन्तजाम हो गया। १९१४ में यहाँ के जन्मा-स्नानों में एक भी मरीज के रहने का इन्तजाम नहीं था, १९३७ में २४० मरीजों के रहने का इन्तजाम हो गया। १९१४ में वहाँ जन्माओं और बच्चों की सहायता का एक भी केन्द्र न था, १९३७ तक ऐसे केन्द्रों की संख्या ३६ तक पहुँच गयी।

अब आइए, उजबेकिस्तान को देखें जो इन प्रजातंत्रों में सबसे बड़ा है और जिसकी आबादी ५५ लाख है। क्रान्ति से पहले वहाँ के केवल ३ या ५ प्रतिशत लोग साक्षर थे। १९३२ तक वहाँ के प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ५३१,००० और माध्यमिक स्कूलों में १३०,००० तक पहुँच गयी थी, और उसी वर्ष ७१०,००० व्यक्ति निरक्षरता-निवारण संस्थाओं में पढ़ रहे थे। सामूहिक खेती के तेज विकास के अलावा, उद्योग-धंधों की भी इतनी अधिक उन्नति हुई कि जहाँ १९१३ में उद्योग-धंधों से केवल २,६९० लाख रूबल के मूल्य की पैदावार हुई थी, वहाँ १९३६ में उनसे ११,७५० लाख रूबल की पैदावार हुई; और जहाँ १९२८ में ३४० लाख यूनिट बिजली पैदा हुई थी, वहाँ १९३६ में २,३०० लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। १९१४ और १९३७ के बीच उजबेकिस्तान में डाक्टरों की संख्या १२८ से बढ़कर २,१८५ हो गयी। क्रान्ति से पहले इस प्रदेश के पास अपनी कोई वर्णमाला तक न थी। लैटिन के ढंग की एक नयी वर्णमाला के द्वारा यह कठिनाई हल कर दी गयी। और १९३५ तक इस प्रजातंत्र में पाँच भाषाओं में ११८ अखबार निकलने लगे, जिनकी साल भर में १० करोड़ से ज्यादा प्रतियाँ निकलती थी।

इस विराट परिवर्तन का खर्चा कहाँ से आया? इस सवाल का जवाब एकदम साफ़ कर देता है कि पिछड़ी हुई जातियों का औपनिवेशिक शोषण करने के साम्राज्यवादी तरीक़े में और समाजवाद के अन्तर्गत समानता के आधार पर जातियों के सहयोग में कितना भारी अन्तर है। साम्राज्यवादी शासन में औपनिवेशिक देशों की पिछड़ी हुई, गरीबी की मार से दुखी जातियों से हर साल बेधुमार खिराज वसूला जाता है, जो साम्राज्यवादी देशों के शोषक वर्ग की दौलत को बढ़ाता है। समाजवाद में पिछड़ी हुई जातियों के तेजी से उन्नति करने में जो अतिरिक्त खर्चा होता है, वह सोवियत संघ के बजट में उनके लिए

अनुपात से अधिक रुपया रखकर पूरा किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि परिवर्तन के इस काल में ये पिछड़ी जातियाँ राज्य को जितना देती हैं, उससे कहीं अधिक उनको हर साल मिलता जाता है। प्राये दो गयी तालिका से मालूम होगा कि १९२७-२८ में सोवियत संघ के अलग-अलग प्रजातंत्रों में फी आदमी किस मद पर कितना खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी।

१९२७-२८ में सोवियत प्रजातंत्रों का प्रति आदमी खर्च का बजट

मद	रूसी प्रजातंत्र	यूक्रेन	बेलारूस	दूस-काकेशिया	उजबेकिस्तान	तुर्कमानिस्तान	औसत
शासन प्रबंध	०.६६	०.८६	१.०६	२.२३	१.६०	२.४५	१.०२
आर्थिक प्रबंध	१.०८	०.८८	१.५७	१.१३	१.०४	१.४६	१.०६
सामाजिक-सांस्कृतिक	२.१६	१.६२	२.५७	३.५६	२.४८	३.८४	२.२०
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था	१.६५	१.६२	२.३७	४.६५	३.३६	८.६०	१.६१
स्थानीय बजट	५.८७	५.५६	५.५७	६.७०	५.७७	५.५८	५.८३
अन्य खर्च	०.०४	—	—	०.५३	०.२०	—	०.०६
कुल जोड़	११.७६	१०.८४	१३.१४	१६.१३	१४.४८	२२.२३	१२.०८

सोवियत संघ का १९३६ का बजट भी इसी प्रकार का चित्र उपस्थित करता है। उससे प्रकट होता है कि जहाँ पूरे सोवियत संघ तथा प्रजातंत्रों के कुल बजट में गुजरे साल के मुकाबले में १२.४ प्रतिशत की बढ़ती हुई थी, वहाँ कजाकिस्तान के बजट में २०.१ प्रतिशत और तुर्कमानिस्तान के बजट में २२.४ प्रतिशत की बढ़ती हुई थी। १९२८-२९ और १९३६ के बीच पूरे सोवियत संघ का सामाजिक तथा सांस्कृतिक खर्च २५ गुना हो गया था, लेकिन तुर्कमानिस्तान का इन मदों का खर्च इसी काल में २६ गुना और कजाकिस्तान का ३१ गुना हो गया था। नये कल-कारखाने बनाने के मामले में भी इसी प्रकार पिछड़े हुए इलाकों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता था। १९२३ में

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की बारहवी कांग्रेस में स्तालिन ने घोषणा की थी : “सरहदी इलाकों में, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रजातंत्रों में—और ध्यान रहे कि ये प्रजातंत्र अपने किसी दोष के कारण पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इसलिए पिछड़े हुए हैं कि पहले इन्हे कच्चा माल सप्लाई करनेवाले प्रदेश समझा जाता था—स्कूलों और भाषा का विकास करने के अलावा, रूसी मजदूर वर्ग को ऐसे तमाम उपाय करने होंगे जिनसे इन प्रजातंत्रों में उद्योग-धंधों के केन्द्रों का निर्माण हो सके।”

मध्य-एशियाई सोवियत प्रजातंत्रों के समान अधिकारों और तेज उन्नति का यह चित्र देखकर और उसका भारत के विकास में आये हुए ठहराव तथा उसके शोषण से मुकाबला करके हरेक आदमी का दिल कटुता से भर उठेगा। लेकिन यह एक ऐसा चित्र है जो इसके साथ-साथ हमारे मन में यह उत्कट आशा और दृढ़ विश्वास भी पैदा करता है कि भविष्य में, जब साम्राज्यवादी शासन के जुए को उतार फेंकने के बाद भारत की मेहनतकश जनता खुद अपने देश की मालिक बन जायगी, तब भारत में भी इतनी ही तेजी से उन्नति हो सकेगी।

चौथा अध्याय

भारत की शरीरी का रहस्य

भारत में साम्राज्यवाद की भूमिका को समझने के लिए जरूरी है कि कुछ इतिहास पर नजर डाली जाय और बीते हुए जमाने का अध्ययन करके उन गतिशील शक्तियों का पता लगाया जाय जो आज के जमाने में भी ज़िन्दा हैं। भारत के इतिहास का इस गतिशील दृष्टिकोण से सबसे पहले आधुनिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने अध्ययन किया था। उन्होंने सबसे पहले उन सामाजिक शक्तियों पर वैज्ञानिक प्रणाली की तेज रोशनी डाली थी जिनकी प्रेरणा से ब्रिटिश शासन के पहले भी और बाद में भी भारत का विकास हुआ था। उन्होंने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका को खोलकर बताया था और साथ ही उसकी भारत को पुनः जीवन देनेवाली भूमिका को और भविष्य के लिए उसके क्रान्तिकारी महत्व को स्पष्ट किया था।

१. भारत पर मार्क्स के विचार

इंग्लैंड की लेबर पार्टी के प्रमुख सिद्धान्तवेत्ता हेराल्ड लास्की ने १९२७ में भी यह मत प्रकट किया था कि "मार्क्सवाद की बनी-बनायी स्थापनाओं की दृष्टि से भारत की समस्या का अध्ययन करना समाजवाद की प्रगति में गम्भीर बौद्धिक मदद देता नहीं, बल्कि केवल कल्पना के घोड़े दौड़ाना है।"

लास्की साहब को इस बात की जरा भी जानकारी न होना कि मार्क्स ने अपने चिन्तन तथा कार्य का एक बड़ा भाग निरन्तर भारत का अध्ययन करने में लगाया था, पश्चिमी योरप के समाजवादी चिन्तन की सीमाओं का एक अच्छा उदाहरण है। सच तो यह है कि भारत पर मार्क्स के प्रसिद्ध लेख उनकी बंसी रचनाओं में गिने जाते हैं जो विचारों को सबसे अधिक उत्तेजना देती हैं; और उनमें जिन प्रश्नों की चर्चा की गयी है, उनके सम्बन्ध में आधुनिक चिन्तन का

श्रीगणेश मार्क्स के इन लेखों से ही होता है। मार्क्स ने ये लेख १८५३ में एक लेख-माला के रूप में लिखे थे जब कि ईस्ट इंडिया कम्पनी का चार्टर (अनुमति-पत्र) आखिरी बार पार्लामेंट के सामने स्वीकृति के लिए आया था। मार्क्स की रचनाओं का अधिक पूर्ण अध्ययन करने पर पता चलेगा कि एशियाई अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर भारत और चीन में पायी जानेवाली एशियाई अर्थ-व्यवस्था की खास-खास विशेषताओं पर उन्होंने सदा बहुत ध्यान दिया था और वह इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि योरप के पूंजीवाद का इस व्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ था और संसार के भावी विकास के लिए तथा साथ ही भारतीय एवं चीनी जनता की मुक्ति के लिए उससे क्या नतीजे निकाले जा सकते हैं। मार्क्स ने कितने ध्यान के साथ भारत की समस्याओं का अध्ययन किया था, इसका एक उदाहरण यही बात है कि पूंजी में भारत का पचास बार जिक्र आया है और मार्क्स-एंगेल्स के पत्र-अवहार में तो इससे भी ज्यादा बार भारत की चर्चा की गयी है।

कम्युनिस्ट घोषणापत्र (जिसमें मार्क्स और एंगेल्स ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि पूंजीवादी उत्पादन के विकास के लिए भारत और चीन के बाजारों के खुल जाने का कितना भारी महत्व है) लिखने के बाद, और १८४८ की क्रान्तिकारी लहर के दब जाने के बाद, शीघ्र ही मार्क्स ने इस बात की खोज-बीन में अपना ध्यान लगाया कि यह लहर क्यों दब गयी। उन्होंने पाया कि इसका सबसे बड़ा कारण पूंजीवाद का योरप के बाहर, एशिया, आस्ट्रेलिया और कैलिफ़ोर्निया में फैल जाना था।

“हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूंजीवादी समाज एक बार फिर सोलहवीं सदी में से गुजर रहा है। मुझे आशा है कि जिस प्रकार पहली सोलहवीं सदी ने पूंजीवादी समाज को जन्म दिया था, उसी प्रकार यह दूसरी सोलहवीं सदी उसकी मौत की घंटी बजायेगी। पूंजीवादी समाज का खास काम है संसारव्यापी बाजार को कायम कर देना, या कम-से-कम उसका ढांचा खड़ा कर देना और उसके आधार पर उत्पादन का संगठन करना। चूंकि दुनिया गोल है, इसलिए कैलिफ़ोर्निया और आस्ट्रेलिया में उपनिवेश कायम हो जाने तथा चीन और जापान के बाजारों के खुल जाने के बाद मालूम होता है कि यह काम पूरा हो गया है। अब हमारे लिए बचनदार सवाल यह है : योरप में क्रान्ति होने ही वाली है और शुरू से ही उसका समाजवादी रूप होगा। लेकिन दुनिया के इससे कहीं अधिक बड़े भाग में चूंकि अब भी पूंजीवादी समाज की प्रगति का बोलबाला है, इसलिए क्या इस छोटे से कोने में यह क्रान्ति लाजिमी तौर पर कुचल नहीं दी जायगी ?”

योरप के बाहर पूंजीवाद के प्रसार का पूंजीवाद के विकास के लिए तथा योरप में समाजवादी क्रान्ति के लिए क्या महत्व है—यही वह मुख्य विचार है जिसे मार्क्स ने उन्नीसवीं सदी के छठे दशक में ही समझ लिया था और जिसे बाद के एक सौ वर्षों की घटनाओं ने पूर्णतया सही साबित कर दिया है।

२. भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विनाश

मार्क्स ने अपना विश्लेषण "एशियाई अर्थ-व्यवस्था" की विशेषताओं से शुरू किया, जिसको सबसे पहले पूंजीवाद के धक्के ने उखाड़ा था। एंगेल्स ने जून १८५३ में लिखा था : "सारे पूरब को समझने की कुंजी यह है कि वहां जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।" लेकिन जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का न होना कोई अनोखी बात नहीं है। योरप की अर्थ-व्यवस्था का आदिम प्रारम्भिक स्वरूप इससे भिन्न नहीं था। उसमें भेदवाद के विकास से पैदा हुआ। मार्क्स ने लिखा था :

"कुछ दिनों से लोगों में यह वेसिर-पैर की धारणा फैल गयी है कि अपने आदिम रूप में सामूहिक सम्पत्ति स्लाव जातियों की या शायद केवल रूसियों की ही विशेषता है। हम साबित कर सकते हैं कि वही आदिम रूप रोमन, ट्यूटन तथा कैल्ट लोगों में था, और उसके अनेक उदाहरण हिन्दुस्तान में आज भी मिल सकते हैं, हालांकि अब वे कुछ हद तक तबाही की हालत में हैं। सामूहिक स्वामित्व के एशियाई और विशेष कर भारतीय रूपों का अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि आदिम साम्यवाद के विभिन्न रूपों से किस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी धाराएं फूट निकली जिन्होंने उस समाज को नष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए, हम पायेंगे कि रोमन और ट्यूटन व्यक्तिगत सम्पत्ति के जो विविध प्रकार के मूल रूप थे, उनका सम्बंध भारतीय साम्यवाद के विभिन्न रूपों से है।"

तब फिर पश्चिम की तरह पूरब में भी आदिम साम्यवाद से भू-सम्पत्ति और सामन्तवाद का विकास क्यों नहीं हुआ? एंगेल्स का सुझाव है कि इसका कारण वहां की जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति है।

"यह कैसे हुआ कि पूरब के लोग भू-सम्पत्ति और सामन्तवाद तक नहीं पहुँचे? मेरी समझ में इसका मुख्य कारण वहां की जलवायु है। इसके साथ ही वहां की खास तरह की धरती भी इसका एक कारण है। विशेष रूप में, उन बड़े रेगिस्तानी इलाकों का इस सम्बंध में बहुत महत्व है जो महारा से लेकर अरब, ईरान, भारत और तातारों के प्रदेश से होते

हुए एशिया के सबसे ऊंचे पठारों तक फैले हुए हैं। यहाँ खेती की पहली शर्त यह है कि मनुष्य खुद सिंचाई का प्रबंध करे; और यह काम या तो गांव की पंचायत के जिम्मे होता है या प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार के।”

खेती जिन परिस्थितियों में होती थी, उनमें भूमि पर निजी स्वामित्व होना सम्भव नहीं था। इसीलिए यहाँ उस विशेष प्रकार की “एशियाई अर्थ-व्यवस्था” का जन्म हुआ, जिसमें नीचे गांवों में तो आदिम साम्यवाद के अवशेष पाये जाते थे और ऊपर निरंकुश केन्द्रीय सरकार होती थी, जिसका काम लडाई और लूटमार के साथ-साथ सिंचाई का प्रबंध करना और सार्वजनिक उपयोग के निर्माण-कार्य करना भी था।

अतः, भारत को समझने की कुंजी वहाँ की ग्राम-व्यवस्था है। ग्राम-व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन मार्क्स ने पूंजी में दिया है :

“भारत की ये छोटी-छोटी और अत्यन्त प्राचीन वस्तियाँ, जिनमें से कुछ आज तक चली आती हैं, ज़मीन के सामूहिक स्वामित्व, खेती तथा दस्तकारी की मिलावट, और एक ऐसे श्रम-विभाजन पर आधारित हैं जो कभी नहीं बदलता और जो नयी वस्ती शुरू करने के समय पहले से बनी-बनायी और तैयार योजना के रूप में काम में आता है। ये वस्तियाँ सौ से लगाकर कई हजार एकड़ तक के रकबे में फैली रहती हैं, और हर वस्ती खूब गठी हुई और अपने में पूर्ण होती है तथा अपनी जरूरत की सभी चीजें पैदा कर लेती है। पैदावार का मुख्य भाग सीधे वस्ती के ही काम में आता है और वह बाजार में विकनेवाले माल का रूप नहीं धारण करता। इसलिए भारतीय समाज में मोटे तौर पर, मालो के विनिमय से जो श्रम-विभाजन पैदा हुआ, उससे यहाँ उत्पादन स्वतंत्र है। केवल फालतू पैदावार ही बाजार में विकनेवाला माल बनती है और उसका भी एक हिस्सा उस वक्त तक बाजार में विकने नहीं जाता जब तक कि वह राज्य के हाथों में नहीं पहुँच जाता। बाबा आदम के ज़माने से यह रीति चली आ रही है कि पैदावार का एक निश्चित भाग वतौर लगान के जिन्स की शक्ल में ही राज्य को दे दिया जाता है।

“भारत के अलग-अलग हिस्सों में इन प्राचीन वस्तियों का विधान अलग-अलग ढंग का है। जिनका सबसे सरल विधान है, उनमें सब लोग मिलकर खेती करते हैं, और पैदावार आपस में बाँट लेते हैं। इसके साथ-साथ कातने और बुनने का काम हर कुनबे में सहायक घड़े के रूप में होता है। इस प्रकार, एक और गांव के आम लोग होते हैं जो एक ही

प्रकार के काम में लगे रहते हैं। दूसरी ओर, 'मुखिया' होता है जो जज, पुलिस और तहसीलदार का काम एक साथ करता है। पटवारी खेती-बारी का हिसाब रखता है और उसके धारे में हर बात अपने कागजों में दर्ज करता है। एक दूसरे कर्मचारी का काम होता है कि अपराधियों पर मुकदमा चलाये, अजनबी मुसाफिरो की हिफाजत करे और उन्हें आगे गांव तक सफुशल पहुंचा आये। पहरेंदार पड़ोस की बस्तियों से गांव की सरहद की रक्षा करता है। आबपाशी का हाकिम सिंचाई के लिए सार्वजनिक तालाबों से पानी वाटता है। ग्राह्यण धार्मिक अनुष्ठान कराता है। पाठशाला का पंडित बच्चों को वातू में लिखना-पठना सिखाता है। ज्योतियों जोतने-बोने, फसल काटने और खेती के दूसरे कामों के लिए मुहूरत विचारता है। लोहार और बढ़ई खेती के औजार बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। कुम्हार सारे गांव के लिए बरतन-भाड़े तैयार करता है। इनके साथ नाई, धोबी, मुनार, और कहीं-कहीं कवि भी होता है जो कुछ बस्तियों में मुनार का और कुछ में पाठशाळा के पंडित का भी काम करता है। इन दस-बारह आदमियों की जीविका पूरी बस्ती के सहारे चलती है। अगर आवादी बड़ी तो खाली जमीन पर, उसी पुराने ढांचे के मुताबिक एक नयी बस्ती खड़ी हो जाती है।

“अपने में पूर्ण, इन बस्तियों में उत्पादन का संगठन बहुत ही सरल ढंग से किया जाता है। वे बस्तिया लगातार एक ही ढंग की बस्तियों को जन्म देती रहती हैं और जब कोई बस्ती अकस्मात बरबाद हो जाती है, तो उसी जगह पर और उसी नाम से, वंसी ही दूसरी बस्ती उठ खड़ी होती है। एशियाई समाजों में जो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता दिखाई देता, उसकी कुंजी इन बस्तियों में उत्पादन के संगठन की यह सरलता ही है। एशियाई समाजों की अपरिवर्तन-शीलता के विलकुल विपरीत एशियाई राज्य लगातार विगडते और बनते रहते हैं और हुकूमत करने वाले राजवसों में होनेवाले परिवर्तन तो मानो कभी सकते ही नहीं। पर राजनीति के आकाश में जो तूफानी बादल उठते हैं, वे समाज के आर्थिक तत्वों के ढांचे को नहीं छू पाते।”

ऐसी थी वह परम्परागत भारतीय अर्थ-व्यवस्था जिसे ब्रिटिश शासन के रूप में विदेशी पूंजीवाद ने जड़-मूल से चकनाचूर कर दिया। अंग्रेजों से पहले और लोगो ने भी भारत को जीता था, लेकिन एक बात में अंग्रेजों की जीत और उनके पहले के विजेताओं की जीतों में अन्तर था। वह यह कि जहां पहले के विदेशी विजेताओं ने महा के आर्थिक आधार को हाथ नहीं लगाया था और

अन्त में वे उसी में घुल-मिल गये थे, वहाँ अंग्रेजों की जीत ने इस आघार को चकनाचूर कर दिया और वे ऐसी विदेशी ताकत ही बने रहे, जो बाहर से काम करती थी और भारत से खिराज वसूल करके बाहर ले जाती थी। एक मामले में भारत में विदेशी पूजीवाद की जीत, योरप में पूजीवाद की जीत से भी भिन्न थी। वह इस बात में कि यहाँ ध्वंसात्मक क्रिया के साथ-साथ उसी पैमाने की नयी शक्तियों का उदय नहीं हुआ। इसीलिए, ब्रिटिश शासन के नीचे भारतीय जनता के दुखों के साथ “एक विशेष प्रकार की उदासी” आ मिली; क्योंकि उसकी “पुरानी दुनिया तो बिछुड़ गयी थी, मगर नयी का कहीं पता न था।”

“लेकिन इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों ने जो मुसीबत डायी है, वह हिन्दुस्तान पर अब तक पड़ी तमाम मुसीबतों से बुनियादी तौर पर भिन्न और कहीं ज्यादा गहरी मुसीबत है। मेरा संकेत योरप की उस निरकुश तानाशाही की तरफ नहीं है जिसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एशियाई तानाशाही पर ऊपर से थोप दिया है, और जो एशिया की अपनी तानाशाही से मिलकर एक ऐसा भयानक दैत्य बन गयी है कि उसके सामने सालसेट के मन्दिरों की भयंकर मूर्तियां भी फोकी पड़ जाती हैं।...

“हिन्दुस्तान में अनेक गृह-युद्ध छिड़े हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, क्रान्तियां हुई हैं, देश को विदेशियों ने बार-बार जीता है, अकाल पड़े हैं। एक के बाद दूसरी होनेवाली घटनाएं ऊपर से देखने में भले ही अजीबो-गरीब ढंग से पेचीदा, जल्दी-जल्दी होनेवाली, और सत्यानाशी मालूम पड़ती हों, परन्तु वे हिन्दुस्तान में सतह के नीचे नहीं जाती थी। लेकिन इंग्लैंड ने तो भारतीय समाज के पूरे ढांचे को तोड़ डाला है, और उसके पुनर्निर्माण के अभी तक कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का इस तरह बिछुड़ जाना और नयी का कहीं पता न लगना—यह हिन्दुस्तानियों के वर्तमान दुखों पर एक विशेष प्रकार की उदासी की परत चढा देता है, और ब्रिटिश शासन के नीचे हिन्दुस्तान को उसकी समस्त प्राचीन परम्पराओं और उसके सम्पूर्ण पुराने इतिहास से काट देता है।”

३. भारत में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका

यह विनाशकारी भूमिका किस प्रकार पूर्ण हुई, इसका माक्स ने बड़े ध्यान से अध्ययन किया था और १८१३ के पहले के और उसके बाद के युगों का अन्तर बखूबी स्पष्ट कर दिया था। १८१३ के पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कम्पनी को

एकाधिकार मिला हुआ था। १८१३ के बाद यह एकाधिकार तोड़ दिया गया और इंग्लैंड के पूजीवादी उद्योग-धंधों के माल ने भारत पर चढ़ाई बोलकर रहीं-सही कसर भी पूरी कर दी।

पहले युग में विनाश के प्रारम्भिक कदम उठाये गये। एक तो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सीधे-सीधे भारत को बेतहाशा लूटा। दूसरे, उसने सिचाई और सार्वजनिक उपयोग के निर्माण-कार्यों की ओर ध्यान देना बन्द कर दिया। पहले की सरकारें इन कामों की ओर ध्यान देती थी और नहरों, सड़कों, आदि को अच्छी हालत में रखती थी। अब उनकी ओर से आंखें मूद ली गयीं। तीसरे, कम्पनी ने जमींदारी की अग्रणी प्रथा, जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार, तथा जमीन को बेचने और खरीदने की रीति जारी कर दी और इंग्लैंड का पूरा फौजदारी क़ानून यहा लागू कर दिया। चौथे, भारत में बने हुए मालों पर सीधे-सीधे प्रतिबंध लगाकर या उसके आयात पर भारी चुगी लगाकर, पहले इंग्लैंड में और फिर योरप में भी आने से उन्हें रोक दिया गया।

लेकिन इस सबसे भी "अन्तिम आहुति नहीं पड़ी।" वह उन्नीसवीं सदी के पूजीवाद के युग में पड़ी।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिकार का अंग्रेज धन-कुबेरो के उस गुट से घनिष्ठ सम्बंध था जिसने ह्विग-क्रान्ति के द्वारा इंग्लैंड में अन्तिम रूप से अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी।

"पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के अस्तित्व को उस डच राजा के अग्र्युदय के काल में स्वीकार किया जब कि ह्विग-दल वाले ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों से राज्य-कर वसूल करनेवाले बन चुके थे, 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' का जन्म हो चुका था, इंग्लैंड में बाहर से आनेवाले माल पर भारी चुगी लगा कर देश उद्योगों की रक्षा करने की व्यवस्था वाक़ायदा जारी हो गयी थी, और योरप में निश्चित रूप से 'शक्ति-संतुलन कायम हो चुका था। दिखावटी स्वतंत्रता का यह युग, वास्तव में, उन इजारेदारियों का युग था जो एलिजाबेथ और चार्ल्स प्रथम के काल की तरह अब शाही आज्ञापत्र से नहीं बनती थी, बल्कि जिनको पार्लियामेंट ने यह अधिकार दिया था और जिनका उसने राष्ट्रीकरण कर दिया था।"

इस एकाधिकार के खिलाफ इंग्लैंड के कारखानेदार बराबर आन्दोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि भारत के बने हुए माल को इंग्लैंड में न आने दिया जाय और उनकी यह मांग मान ली गयी। उनके अलावा वे व्यापारी लोग भी इस एकाधिकार के खिलाफ़ आन्दोलन कर रहे थे जो भारतीय व्यापार से लाभ उठाने से बंचित रह गये थे। इंडिया-विल के सवाल पर १७८३ में फ़ोक्स

की सरकार के पतन के पीछे यही सघर्ष काम कर रहा था। यह विल कम्पनी के डायरेक्टरों तथा मालिकों के कोर्टों को तोड़ देना चाहता था। बाद में १७८६ से लेकर १७९५ तक, वारेन हेस्टिग्स के मुकदमे को लेकर जो लम्बा संग्राम चला, उसके पीछे भी यही बात थी। लेकिन जब तक औद्योगिक क्रान्ति पूरी नहीं हो गयी और उसके कारण इंग्लैंड का कारखानेदार पूँजीवाद सामने नहीं आया, तब तक यह एकाधिकार खतम नहीं हुआ। यही कारण है कि कम्पनी की इजारेदारी कही १८१३ में जाकर टूट पायी और वह अन्तिम रूप से तो १८३३ में जाकर समाप्त हुई।

भारत का आर्थिक ढाँचा भी १८१३ के बाद ही निर्णायक ढंग से तब टूटा जब इंग्लैंड के कारखानों में बने हुए माल ने उस पर धावा बोला। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के आर्थिक ढाँचे के इस तरह टूटने का क्या प्रभाव हुआ, इसका मार्क्स ने अकाट्य तथ्य देते हुए चित्र खींचा है। १७८० और १८५० के बीच इंग्लैंड से भारत में आनेवाले माल की कीमत ३८६,१५२ पींड से बढ़कर ८,०२४,००० पींड हो गयी। यानी, इंग्लैंड से जितना माल दूसरे देशों को जाता था, १७८० में उसका केवल बत्तीसवाँ भाग भारत गया था, जब कि १८५० तक उसका आठवाँ भाग वहाँ जाने लगा। १८५० में ब्रिटेन के सूती उद्योग का बना हुआ जो माल विदेशी बाजारों में जाता था, उसका चौथाई हिस्सा अकेले भारत के बाजार में खपता था; और उस समय ब्रिटेन की आबादी का आठवाँ हिस्सा सूती उद्योग में लगा हुआ था और इस उद्योग से ब्रिटेन की सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय को बारहवाँ हिस्सा मिलता था।

भारत में ग्राम-व्यवस्था की रचना "खेती-बारी और उद्योग-घंधों के घरेलू एके" के आधार पर हुई थी। "करघा और चर्खा पुराने भारतीय समाज की धुरी थे।" लेकिन "जब अंग्रेजों के चरण भारत में पड़े तो उन्होंने भारत के करघे को तोड़ डाला और चर्खे को नष्ट कर दिया।" और ऐसा करके ब्रिटेन ने "एशिया की महानतम और सच कहा जाय तो एशिया की एकमात्र सामाजिक क्रान्ति कर डाली।" इस क्रान्ति ने न केवल उद्योग-घंधों के पुराने नगरो को नष्ट कर दिया और उनके रहनेवालों को गावों में खदेड़ दिया तथा इस तरह गावों की आबादी बहुत बढ़ा दी, बल्कि उसने गावों के आर्थिक जीवन का संतुलन भी नष्ट कर दिया। इससे खेती के लिए बुरी तरह छीना-भपटी होने लगी, जो आज दिन तक बराबर बढ़ती ही गयी है। इसके साथ ही कास्तकारों से बड़ी बेरहमी के साथ ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी वसूल की जाने लगी, लेकिन बदले में खेती और सिंचाई वगैरा की बढ़ती के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि खेती का विकास रुक गया (१८५०-५१ में राज्य की आमदनी का केवल ०.८ प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण-कार्य पर खर्च किया गया था)।

लेकिन क्या मार्क्स ग्राम-व्यवस्था के पतन और भारतीय समाज के पुराने आधार के विनाश पर आसू बहाते हैं ? मार्क्स ने देखा था कि हर देश की तरह भारत में भी पूजोवादी सामाजिक क्रान्ति से जनता को अपार कष्ट हुआ है और वह जानते थे कि भारत में तो और भयानक कष्ट हुआ है, क्योंकि यहा यह क्रान्ति ऊपर बतायी हुई परिस्थितियों में हुई है। परन्तु, इसके साथ-साथ मार्क्स ग्राम-व्यवस्था के घोर प्रतिश्रियावादी स्वरूप को भी देखते थे और समझते थे कि यदि मानवता को प्रगति करना है, तो इस व्यवस्था का नष्ट होना लाजिमी है। उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में बताया है कि इन "सुन्दर ग्रामीण वस्तियों" में मानवता का कैसा भयानक पतन हुआ था। योरप की तरह भारत में भी जो लोग आगे की ओर देखने की बजाय पीछे की ओर देखा करते हैं, और जो लोग भारत में अंग्रेजों हुकूमत से लड़ने का तरीका यह समझते हैं कि अंग्रेजों के पहले के चर्खें और करघेवाले भारत को फिर से जीवित किया जाय, उनके लिए मार्क्स के ये शब्द आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मार्क्स के समय में थे :

"इसमें सन्देह नहीं कि उन असह्य, मेहनती, पितृ-सत्तात्मक एवं निरीह सामाजिक संगठनों का टूटना और बिखर जाना और दुखों के सागर में डूबने-उतराने लगना, तथा उनके अलग-अलग सदस्यों का अपनी प्राचीन सभ्यता को और जीविका कमाने के अपने पुरतनी साधनों को खो बैठना—ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हे देखकर मनुष्य का हृदय ग्लानि से भर जाता है। परन्तु, साथ ही हमें यह न भूलना चाहिए कि ये सुन्दर ग्रामीण वस्तियां, जो ऊपर से भले ही बड़ी निर्दोष दिखती हों, सदा पूरब की तानाशाहियों के ठोस आधार का काम करती आयी हैं। उन्होंने मानव मस्तिष्क को संकुचित से संकुचित सीमाओं में जकड़ रखा था; उसे अध-विश्वास का निस्तहाय साधन और पुराने रीति-रिवाजों का गुलाम बना रखा था; उन्होंने उसके सम्पूर्ण गौरव तथा गरिमा और उसकी ऐति-हासिक शक्तियों को नष्ट कर दिया था।

"हमें उस बर्बर अहमन्यता को न भूलना चाहिए जो अपना सारा ध्यान जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर लगाये हुए, बड़े-बड़े साम्राज्यों को टूटते और मिटते देखती रही, जो अवर्णनीय अत्याचारों को बिना एक शब्द भी मुंह से निकाले सहन करती रही, जिसने बड़े-बड़े शहरों में कत्लेआम होते देखा और देखकर इस तरह मुंह फेर लिया मानो कोई स्वाभाविक घटना हो रही हो, और जो स्वयं भी हर उस आक्रमण-कारी का शिकार बनती रही, जिसने उसकी ओर किंचितमात्र भी ध्यान दिया।

“हमें यह न भूलना चाहिए कि प्रतिष्ठा और गौरव से हीन इस निश्चल और सर्वथा जड़-जीवन ने, इस निष्क्रिय ढग के अस्तित्व ने, दूसरी और अपने से बिलकुल भिन्न, विनाश की विवेकहीन, उद्देश्यहीन, और उच्छ्रंखल शक्तियों को जन्म दे रखा था और मनुष्य-हत्या को भी हिन्दु-स्तान की एक धार्मिक प्रथा बना दिया था ।

“हमें यह न भूलना चाहिए कि इन नन्ही बस्तियों को जात-पात के भेद-भाव और दासता की प्रथा ने दूषित कर रखा था । उन्होंने मनुष्य को बाह्य परिस्थितियों का स्वामी बनाने के बजाय, उनका दास बना दिया था; उन्होंने स्वयं अपना विकास करनेवाली एक सामाजिक व्यवस्था को कर्मा न बदलनेवाली प्राकृतिक नियति का रूप दे दिया था, और इस प्रकार एक ऐसी प्रकृति-पूजा को जन्म दिया था कि मनुष्य अपनी मनुष्यता खोता जा रहा था और प्रकृति का स्वामी इंसान, वानर हनुमान और गऊ शबला के सामने घुटने टेकता था ।”

इसलिए, मार्क्स ने हालांकि भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति को “सुअरपन” कहा है, परन्तु इसके साथ ही, वह अंग्रेजों की जीत को “इतिहास का अचेतन साधन” समझते हैं ।

“यह सच है कि हिन्दुस्तान में एक सामाजिक क्रान्ति लाने में इंग्लैंड निकटतम उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम कर रहा था, और अपने इन उद्देश्यों को पूर्ण करने का उसका ढंग अति भूर्खतापूर्ण था । परन्तु प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न तो यह है : क्या एशिया की सामाजिक अवस्था में बिना एक बुनियादी क्रान्ति के मानव जाति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती थी ? यदि नहीं, तो मानना पडेगा कि इंग्लैंड ने चाहे जितने पाप किये हों, इस क्रान्ति को लाने में उसने इतिहास के एक अचेतन साधन का काम किया है ।”

४. ब्रिटिश शासन की “पुनः जीवन देनेवाली” भूमिका

मार्क्स की राय में, इंग्लैंड को भारत में “दो काम करने थे : एक ध्वंसात्मक काम था; दूसरा रचनात्मक । उसे पुराने एशियाई समाज को नष्ट करना था और एशिया में पश्चिमी समाज का भौतिक आधार तैयार करना था ।”

मार्क्स ने “पुनः जीवन देने” की शुरुआत किन बातों में देखी ? उन्होने इसके कई चिन्ह बताये हैं :

१) "राजनीतिक एकता . . . मुगल बादशाहों के शासन काल में स्थापित एकता से कहीं अधिक मजबूत और व्यापक एकता" जिसे "विजली का तार और मजबूत करेगा तथा स्थायी बना देगा;"

२) "देशी सेना" (यह १८५७ के विद्रोह के पहले मार्क्स ने लिखा था। १८५७ के बाद यह सेना तोड़ दी गयी और अंग्रेजी फौजों की संख्या जान-बूझकर बढ़ा दी गयी। उनकी तादाद पूरी सेना की एक-तिहाई तक पहुँच गयी, और सभी फौजों पर अंग्रेजों का कड़ा नियंत्रण कायम हो गया),

३) "एशियाई समाज में पहली बार स्वतंत्र अखबार और छापे-खाने कायम हुए" (मार्क्स ने यह बात १८३५ की, उस घोषणा के बाद लिखी थी जिसमें भारत के लिए अखबारों और छापेखानों की स्वतंत्रता का ऐलान किया गया था। परन्तु बाद में, १८७३ से ब्रिटिश सरकार अखबारों और छापेखानों का गला घोटनेवाले एक के बाद दूसरे अनेक कानून बनाती गयी; और पतनोन्मुख साम्राज्यवादी शासन के आधुनिक युग में तो वह लगातार अपना शिकंजा मजबूत करती गयी);

४) "एशियाई समाज में जिस चीज की सबसे बड़ी कमी थी—यानी, जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की—वह चालू हो गया;"

५) अंग्रेजों ने, चाहे जितनी कम संख्या में और चाहे जितना मन मसोसकर क्यों न हो, भारतीय लोगों का एक शिक्षित वर्ग तैयार किया, "जिसे सरकार चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और योरोपीय विज्ञान की जानकारी प्राप्त थी;"

६) आप से चलनेवाले जहाजों ने भारत का "योरोप के साथ नियमित और आसान सम्पर्क स्थापित कर दिया।"

इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि औद्योगिक पूँजीवाद द्वारा भारत के शोषण का एक लाजिमी नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों के लिए भारत में रेलों, सड़कों और सिंचाई के साधनों का विकास करना जरूरी हो गया। इस नवीन विकास के परिणामों को ध्यान में रखकर ही मार्क्स ने वह भविष्यवाणी की थी जो उनकी भारत-सम्बंधी घोषणाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है :

"मे जानता हूँ कि अंग्रेज कारखानेदार केवल इसी उद्देश्य को सामने रखकर भारत में रेलें बनवा रहे हैं कि उनके द्वारा कम खर्च में अधिक कपास और दूसरा कच्चा माल अपने उद्योग-धंधों के लिए निकाल सकें। लेकिन, यदि आप एक बार किसी देश के आवागमन के साधनों में मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दें, और यदि उस देश में कोयला और

लोहा भी मिलते हैं, तो फिर आप उस देश को मशीनें बनाने से नहीं रोक सकते। यह नहीं हो सकता कि आप एक विशाल देश में रेलों का जाल बिछाये रहें और उन औद्योगिक प्रक्रियाओं को वहाँ आरम्भ न करें, जो रेल-यातायात की तात्कालिक और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होती है, और जिनका यह परिणाम होना लाजिमी है कि उद्योग की जिन शाखाओं का रेलों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, उनमें भी मशीनों का उपयोग होने लगे। इसलिए, रेल-व्यवस्था से हिन्दुस्तान में सचमुच आधुनिक उद्योग-धंधों की नींव पड़ गयी है।... रेल-व्यवस्था से उत्पन्न होनेवाले ये उद्योग-धंधे उस/पुस्तैनी श्रम-विभाजन को भंग कर देंगे, जिस पर भारत की प्रगति और उसकी शक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, भारत की वर्ण-व्यवस्था टिकी हुई है।”

तो इसका क्या यह मतलब है कि मार्क्स भारत में साम्राज्यवाद को एक प्रगतिशील शक्ति समझते थे? क्या उनकी दृष्टि में साम्राज्यवाद में भारतीय जनता को आजाद करने और उसे सामाजिक प्रगति के पथ पर ले जाने की सामर्थ्य थी? नहीं; मार्क्स की राय उल्टी थी। जब मार्क्स ने भारत में अंग्रेजों के पूजावादी शासन की “पुनः जीवन देनेवाली” भूमिका की चर्चा की थी, तो उन्होंने यह बात साफ कर दी थी कि वह साम्राज्यवाद की केवल इस भूमिका का खिन्न कर रहे हैं कि उसने नवीन प्रगति के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ तैयार कर दी हैं। लेकिन यह नवीन प्रगति स्वयं भारतीय जनता ही कर सकती थी, और वह भी इस शर्त पर कि या तो खुद सफल क्रान्ति करके या ब्रिटेन में औद्योगिक मजदूर वर्ग की विजय के परिणामस्वरूप—जो भारतीय जनता को भी आजाद करेगी—वह साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हो जाय। मार्क्स ने लिखा था :

“अंग्रेज पूजापति वर्ग ने हिन्दुस्तानियों के बीच समाज के जो नये बीज बिखेरे हैं, उनके फल हिन्दुस्तानी उस वक्त तक नहीं चख सकेंगे जब तक कि या तो स्वयं ब्रिटेन में वर्तमान शासक वर्गों का स्थान औद्योगिक मजदूर वर्ग न ले लेगा, या हिन्दुस्तानी खुद इतने ताकतवर न हो जायेंगे कि अंग्रेजों की गुलामी के जुए को एकदम उतार फेंकें।” ।

एक शताब्दी पहले मार्क्स ने भारत में साम्राज्यवाद का जो विरलेपण किया था, वह इस अचूक भविष्यवाणी के साथ समाप्त हुआ था।

पाँचवाँ अध्याय

भारत में ब्रिटिश शासन का पुराना आधार

आज हम मार्क्स के विश्लेषण को आगे ले जा सकते हैं और विकास के एक पूरे नये युग पर उसे लागू कर सकते हैं।

भारत में साम्राज्यवादी शासन के इस इतिहास में तीन मुख्य युग सामने आते हैं। पहला युग प्रारम्भिक पूँजीवाद का युग है जिसकी प्रतिनिधि ईस्ट इंडिया कम्पनी थी। जहाँ तक साम्राज्यवादी व्यवस्था के साधारण स्वरूप का सम्बन्ध है, यह युग अठारहवीं सदी के अन्त तक चला जाता है। दूसरा, औद्योगिक पूँजी का (यानी, मशीनें इस्तेमाल करनेवाले पूँजीवादी उद्योगों का) युग है, जिसने उन्नीसवीं सदी में भारत के शोषण का एक नया आधार तैयार किया। तीसरा, बक-पूँजी का आधुनिक युग है, जिसने शोषण की पुरानी व्यवस्था के खड्डहरों पर भारत को लूटने की अपनी एक खास ढंग की व्यवस्था जारी की, और जो कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में पहले-पहल शुरू होकर बीसवीं सदी में विकास को प्राप्त हुई।

१. भारत की लूट

ईस्ट इंडिया कम्पनी का युग आम तौर पर १६०० से १८५८ तक माना जाता है। १६०० में उसे पहला चार्टर (सरकारी अनुमति-पत्र) मिला था और १८५८ में उसका राज्य अन्तिम रूप से सम्राट के अधिकार में चला गया। पर वास्तव में १६९८ में, जब से उसका पुनर्गठन हुआ और उसे नया चार्टर मिला, तब से वह उस महाजनी शासक वर्ग की बनावी हुई एकाधिकारी कम्पनियों का एक अर्द्धात्मना बन गयी थी, जिसने ह्विग-क्रान्ति के द्वारा इंग्लैंड पर अपना पजा जमा लिया था। भारत पर कम्पनी के प्रभुत्व का मुख्य काल अठारहवीं सदी का उत्तरार्ध था।

भारत के साथ व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कम्पनी का मूल उद्देश्य वही था जो सौदागरी मत की एकाधिकारी कम्पनियों का सदा हुआ करता था— अर्थात्, समुद्र पार के किसी देश के माल और पैदावार के व्यापार पर अपना इजारा (एकाधिकार) क्रायम करके मुनाफ़ा कमाना। ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रधान लक्ष्य अंग्रेजों को माल के लिए बाज़ार की तलाश करना नहीं था, बल्कि उसकी कोशिश यह थी कि भारत और पूर्वी द्वीप-समूह की पैदावार (खास कर मसाले, और सूती तथा रेशमी सामान) उसे मिल जाय, क्योंकि इन चीज़ों की इंग्लैंड और योरोप में बड़ी मांग थी, और इसलिए पूरब का हर फेरा करने पर बड़ा मोटा मुनाफ़ा कमाया जा सकता था।

परन्तु कम्पनी के सामने शुरू से ही यह समस्या थी कि व्यापार के जरिए भारत से यह सब माल लेने के लिए जरूरी था कि बदले में भारत को कुछ दिया जाय। सत्रहवीं सदी के शुरू में इंग्लैंड विकास की जिस मंज़िल तक पहुंच पाया था, उसमें उसके पास भारत को देने के लिए कोई भी मूल्यवान चीज़ न थी। उसकी पैदावार इतनी अच्छी न थी कि भारत की पैदावार का मुकाबला कर सके। उस वक्त तक इंग्लैंड में केवल एक उद्योग का विकास हुआ था। वह था ऊनी सामान तैयार करने का उद्योग। लेकिन ऊनी सामान भारत के किसी काम का न था। इसलिए, भारत में माल खरीदने के लिए अंग्रेजों को बहुमूल्य धातुएं निकालनी पड़ती थी। लेकिन प्रारम्भिक पूंजीवाद के व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही शोचनीय और घृणित बात समझी जाती थी, क्योंकि उस जमाने में तो इन बहुमूल्य धातुओं को ही देश की एकमात्र असली दौलत समझा जाता था, और व्यापार का जरूरी उद्देश्य यह माना जाता था कि लेन-देन पूरा करने के बाद अपने देश में बाहर से बहुमूल्य धातुएं आयें, यानी उसकी असली दौलत में वढ़ती हो।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के “उठाई-गीर” सौदागर शुरू से ही इस समस्या का कोई हल खोजने की चेष्टा कर रहे थे। वे कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहते थे कि अपनी जेब से कुछ भी नहीं या बहुत कम देना पड़े और भारत का माल हाथ लग जाय। शुरू में उन्होंने घुमा-फिराकर व्यापार करने की तरकीब निकाली। खास तौर पर वे यह तरकीब करते कि अपने बाकी उपनिवेशों से, अफ्रीका और अमरीका से वे लूट का जो माल जमा करते थे, उससे भारत में उनका खर्चा पूरा हो जाता था, जहां कि अभी उनके पास सीधे-सीधे लूटने की ताकत नहीं थी।

परन्तु जैसे ही, कोई अठारहवीं सदी के बीच तक, भारत पर कम्पनी का प्रभुत्व क्रायम होने लगा, वैसे ही जोर-जबर्दस्ती के तरीके भी अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगे। ऐसे तरीकों से विनिमय में अपना पलड़ा भारी रखा जाता

२. भारत और औद्योगिक क्रान्ति

अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को लूटकर जो दौलत मिली, उसी की नींव पर आधुनिक इंग्लैंड की इमारत खड़ी की गयी।

अठारहवीं सदी के बीच के दिनों तक इंग्लैंड मुख्यतया एक खेतिहर देश ही बना हुआ था। ऊनी उद्योग उन दिनों का खास उद्योग था। सामाजिक दृष्टि से, जहां तक वर्ग-विभाजन, सर्वहारा की उत्पत्ति तथा मुरझित पूंजीवादी शासन की स्थापना का सम्बन्ध है, औद्योगिक-पूजीवाद की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां परिपक्व हो गयी थीं। उसका व्यापारिक आधार तैयार हो गया था। लेकिन औद्योगिक पूजीवाद की अवस्था की ओर बढ़ने के लिए यह भी आवश्यक था कि एक काफी बड़े पैमाने पर पहले से पूजी इकट्ठा हो जाय। अठारहवीं सदी के बीच के दिनों तक इंग्लैंड में इस पैमाने पर पूजी इकट्ठा नहीं हो पायी थी।

तभी १७५७ में प्लासी की लड़ाई हुई, और उसके बाद भारत की दौलत बरसाती नदी की तरह इंग्लैंड की तरफ बह चली।

इसके कुछ ही समय बाद बड़े-बड़े आविष्कारों का एक तांता सा लग गया, जिनसे औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ हुई। १७६४ में हारग्रीव्स ने कातने की जेनी का आविष्कार किया। १७६५ में वाट ने भाप से चलनेवाला इंजन बनाया और १७६९ में उसका पेटेंट रजिस्टरी कराया। १७६९ में आर्क राइट ने वाटर-फ्रेम तैयार किया और १७७५ में रूई सफाई, खिंचाई और कताई की मशीनों के पेटेंट रजिस्टरी कराये। १७७९ में क्रोम्पटन ने मूल नामक काटने की मशीन का आविष्कार किया। १७८५ में कार्टराइट ने मशीन का करघा (पौवर लूम) बनाया। और १७८८ में लोहा गलाने की भट्टियों में भाप का इंजन इस्तेमाल किया गया।

इस काल में इन आविष्कारों का तांता लग गया। इससे मालूम होता है कि उनसे काम लेने के लिए सामाजिक परिस्थितियां परिपक्व हो गयी थीं। पहले जो आविष्कार हुए थे, उनको उपयोगी ढंग से काम में नहीं लाया गया था : " १७३३ में के ने प्लाई-शटल नामक बुनने की मशीन का पेटेंट रजिस्टरी करा लिया था, और १७३८ में ब्याट्ट पानी की ताकत से चलनेवाली रोलरदार कातने की मशीन का पेटेंट रजिस्टरी करा चुका था; लेकिन मालूम होता है कि इन आविष्कारों में से कोई भी काम में नहीं लाया गया। "

इंग्लैंड के औद्योगिक इतिहास के अधिकारी विद्वानों में डॉ. कनिंघम प्रमुख हैं। उन्होंने बताया है कि आविष्कारों का यह युग "अचानक और अकारण आविष्कारक प्रतिभा के फूट पड़ने के कारण" नहीं आरम्भ हुआ था,

बल्कि उसके पीछे यह बात काम कर रही थी कि इंग्लैंड में इस वक्त तक इतनी काफी पूंजी जमा हो चुकी थी, जिससे इन आविष्कारों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना सम्भव हो गया था। लेकिन कनिंघम का विचार है कि “बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य बैंकों की स्थापना से पूंजी के निर्माण में बड़ी सहायता मिली थी।” किन्तु, १६६४ में केवल बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना से ही शुरू में पूंजी जमा नहीं हो सकती थी। अठारहवीं सदी के बीच के दिनों तक बैंक-पूंजी और चल-पूंजी फिर भी कम थी। तब फिर अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में यकायक पूंजी का संचय कैसे होने लगा? मार्क्स ने बताया है कि आधुनिक दुनिया में पूंजी का प्राथमिक संचय, चाहे वह पूंजीवाद के विकास की शुरू की मजिलों में होनेवाला प्राथमिक संचय हो, और चाहे बाद की मजिलों में, सबसे ज्यादा उपनिवेशों की लूट से हुआ है। मार्क्स ने दिखाया है कि शुरू की यह पूंजी मैक्सिको और दक्षिणी अफ्रीका की चांदी, दासों के व्यापार और भारत की लूट से जमा हुई थी। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में अचानक पूंजी की जो बाढ़ आयी थी, उसका सबसे बड़ा कारण भारत में लूटी हुई दौलत थी।

इस प्रकार, भारत की लूट ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति को सम्भव बनाने में एक अति-महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

लेकिन, जब एक बार भारत की लूट की मदद से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति हो गयी, तो उसके बाद नयी समस्या यह पैदा हुई कि कारखानों में बने ढेरों माल के लिए कहीं बाजार मिले। इससे आर्थिक व्यवस्था में एक क्रान्ति करना आवश्यक हो गया। प्रारम्भिक पूंजीवाद के व्यापारवादी सिद्धान्तों की जगह पर औद्योगिककरण के युग के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्तों की स्थापना करना जरूरी हो गया। और इसका फिर यह परिणाम हुआ कि औपनिवेशिक व्यवस्था के तौर-तरीक़े भी पूरी तरह बदल गये।

नयी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक था कि भारत में पुराने एकाधिकार की जगह एक स्वतंत्र बाजार का निर्माण किया जाय। उसके लिए जरूरी हो गया कि भारत, जो सारी दुनिया को अपना सूती माल भेजा करता था, अब खुद सूती माल बाहर से भगाने लगे। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की पुरानी व्यवस्था पूरी की पूरी बदल दी जाय। अतएव, अठारहवीं सदी के अखिरी पच्चीस वर्षों में राज्य की केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया कि वह भारत में कम्पनी की कारवाइयों को व्यवस्थित करे। भारत के व्यापार पर अकेली ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिकार के खिलाफ जितने भी विभिन्न प्रकार के लोग थे, वे सब मिल गये और उन्होंने संगठित रूप में कम्पनी के खिलाफ एक अवर्द्धत जिहाद छेड़ दिया। इस जिहाद को न केवल इंग्लैंड के

उठते हुए कारखानेदारों का समर्थन प्राप्त था, बल्कि वे ताकतवर व्यापारी भी उसका समर्थन कर रहे थे जिनका ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिकार में कोई हिस्सा नहीं था। यह जिहाद नये, बढ़ते हुए, औद्योगिक पूजीवाद के आने की सूचना दे रहा था, जो यह मांग कर रहा था कि भारत के बाजार में सबको पुसने की छूट होनी चाहिए और अफसरों के भ्रष्टाचार और लूटमार के कारण वहाँ के बाजार का भली-भाँति शोषण करने के मार्ग में जितनी कठिनाइयाँ पैदा हो गयी हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए।

यह ध्यान देने की बात है कि कम्पनी के खिलाफ इस जिहाद का श्रीगणेश १७७६ में एडम स्मिथ ने किया था, जो स्वतंत्र व्यापार के क्लासिकी अर्थशास्त्र के पिता और नये युग के अग्रदूत माने जाते हैं।

१७८२-८३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुराने आधार का विरोध और उसमें परिवर्तन की मांग, कौमन्स सभा (हाउस ऑफ कौमन्स) की सेलेक्ट कमिटी की बैठको में होती रही। १७८३ में फौक्स ने अपना इंडिया बिल पेश किया जिसका उद्देश्य यह था कि डायरेक्टरो और मालिकों के कोर्टों को खतम करके पार्लामेंट उनकी जगह पर कुछ कमिश्नरों को नियुक्त कर दे। कम्पनी के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। बिल गिर जाने के परिणामस्वरूप फौक्स की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह पिट ने नयी सरकार बनायी। अगली दो पीढियों तक पिट के हाथ में ताकत रही। इस नाजुक मौके पर पता चला कि भारत इंग्लैंड की राजनीति की एक मूल समस्या बन गया है। १७८४ में, हेस्टिंग्स तथा कम्पनी के विरोध के बावजूद पिट का इंडिया ऐक्ट पास हो गया। उसमें हालांकि फौक्स के सुझाव के बदले भद्दी दोहरी व्यवस्था कायम करके पुरानी व्यवस्था से समझौता किया गया था, लेकिन फिर भी, उसमें राज्य द्वारा सीधे नियंत्रण के उसी मूल सिद्धान्त की स्थापना की गयी थी, जिसकी स्थापना करना फौक्स के सुझावों का उद्देश्य था। १७८८ में वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा असल में सरकार की तरफ से चलाया गया था और वह व्यक्ति के खिलाफ इतना नहीं, जितना कि एक व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया था। १७८६ में लार्ड कार्लवालिस को गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा गया कि वह शासन-प्रबंध में भारी परिवर्तन करें और अलग-अलग अफसरों द्वारा मनमानी लूट और भ्रष्टाचार के तरीके की जगह पर अच्छी तनखा पानेवाली सिविल सर्विस कायम करे। पहले जिस मनमाने ढंग से मालगुजारी लगातार बढ़ायी जा रही थी, उससे देश वीरान बनता जा रहा था और शोषण का आधार ही मिटता जा रहा था। लार्ड कार्लवालिस ने इस प्रथा को खतम करने की कोशिश की, बगाल में जमीन का इस्तमरारी बन्दोबस्त किया, जिससे जमींदारों का एक नया वर्ग ब्रिटिश हुकूमत के सामा-

जिक आधार के रूप में पैदा हो गया, और सरकार को एक बंधी रकम हर साल देने लगा।

इन सब परिवर्तनों का उद्देश्य सुधार करना था। वास्तव में इन परिवर्तनों के द्वारा भारत का अधिक वैज्ञानिक ढंग से शोषण करने के लिए जमीन साफ की गयी थी, जो कि पूरे पूंजीपति वर्ग के हित में था। इन परिवर्तनों ने एक नये युग के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें औद्योगिक पूंजी भारत का शोषण करनेवाली थी, और पहले की अव्यवस्थित लूट-खसोट के मुकाबले में भारत की समूची आर्थिक व्यवस्था को कहीं ज्यादा तबाह कर देनेवाली थी।

३. उद्योग-धंधों का नाश

१८१३ में आखिर कारखानेदारों और दूसरे व्यापारियों का हमला कामयाब हो गया, और भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार खतम कर दिया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि औद्योगिक पूंजीवाद के द्वारा भारत के शोषण का नया काल १८१३ से आरम्भ हुआ। १८१३ की पार्लामेण्टी जाच की कार्यवाही से पता चलता है कि उस समय तक चिन्तन की दिशा किस प्रकार एकदम बदल गयी थी और सबका ध्यान केवल ब्रिटेन के नये, उठते हुए, और मशीनों से चलनेवाले उद्योग-धंधों में बने माल के बाजार के रूप में भारत का विकास करने पर केन्द्रित हो गया था।

१८१३ के पहले भारत के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार होता था। लेकिन १८१४ और १८३५ के बीच, भारत में इंग्लैंड के बने सूती कपड़े की खपत १० लाख गज से कुछ कम से बढ़कर ५१० लाख गज से अधिक हो गयी। इसी काल में इंग्लैंड में भारत के बने सूती कपड़े के कटपीस के टुकड़ों की खपत साढ़े १२ लाख से गिरकर ३ लाख ६ हजार हो गयी, और १८४४ तक तो इंग्लैंड में केवल ६३,००० टुकड़ों की ही खपत रह गयी। भारत कई शताब्दियों से अपना कपड़ा सारी दुनिया को भेजता आया था; लेकिन १८५० तक यह हालत पैदा हो गयी कि वह उल्टे विदेशी कपड़ा मगाने लगा; और ब्रिटेन कुल जितना कपड़ा बाहर भेजता था, उसका चौथाई अकेले भारत में खपने लगा। लेकिन भारतीय बाजार में अंग्रेजी माल का बोलवाला कायम हो जाने और भारत के उद्योगों के चौपट हो जाने का केवल एक यही कारण नहीं था कि मशीनों से काम लेनेवाले उद्योग कौशल की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होते हैं। इस काम में राज्य ने भी सीधे-सीधे मदद की और एक-तरफा स्वतंत्र व्यापार चालू कर दिया (इसका मतलब यह था कि अंग्रेजी माल को तो भारत में आने की पूर्ण स्वतंत्रता थी या उस पर महज नाममात्र की बन्दिश थी, लेकिन ब्रिटेन में आनेवाले भार-

तीय मालो पर भारी चुंगी लगी हुई थी और जहाजी कानूनों के द्वारा भारत और योरप अथवा अन्य विदेशी क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार पर रोक लगा दी गयी थी) ।

एक तरफ जहां इंग्लैंड के मशीन में बने कपड़े ने भारत के बुनकरों को बरबाद किया, वहा दूसरी तरफ, मशीन के बने सूत ने भारत के चरखेवालों को मिटा दिया । १८१८ और १८३६ के बीच भारत में इंग्लैंड के बने सूत की खपत ५,२०० गुनी बढ़ गयी । रेगमी कपड़े, ऊनी कपड़े, लोहे, बर्तन, कांच और कागज के साथ भी यही हुआ ।

भारत के उद्योग-धंधों के इस तरह जड़ से नैस्तनावूद हो जाने का देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । इंग्लैंड में भी हाथ के करघे से काम करनेवाले पुराने बुनकर तबाह हुए थे; लेकिन वहा उनकी तबाही के साथ-साथ मशीन से चलनेवाला नया उद्योग कायम हो गया था । मगर भारत में लाखों और करोड़ों कारीगरों और दस्तकारों के तबाह हो जाने पर भी किसी नये प्रकार के धंधों का विकास नहीं हुआ । पुराने औद्योगिक नगर—ढाका, मुंशिदाबाद, मूरत, आदि—जो पहले बहुत घने बसे हुए थे, अंग्रेजी राज की कृपा से चन्द बरसों के अन्दर ही ऐसे उजाड हो गये कि भयानक से भयानक युद्ध होने पर या विदेशी विजेताओं का शिकार होने पर भी उनकी वंसी दशा न होती । १८६० में सर हेनरी कोटन ने लिखा : “ऐसा कोई साल नहीं जाता जब कमिश्नर और जिलों के अफसर इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करते कि देश के सभी हिस्सों में उद्योग-धंधों से जीविका चलानेवाले वर्ग चौपट होते जा रहे हैं ।” और १९११ में जो जन-गणना हुई, उसकी रिपोर्ट से पता चला कि यह क्रिया उम समय भी जारी थी ।

न केवल पुराने औद्योगिक केन्द्र और नगर वीरान हो गये और उनकी आवादी उजड़कर गावों में भर गयी, बल्कि सबसे बड़ी बात यह हुई कि पुरानी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का आधार मिट गया । खेती और घरेलू उद्योगों की उस एकता पर भ्रमन्तिक प्रहार हुआ जो पुरानी व्यवस्था की नींव थी । लाखों तबाह और बरबाद कारीगरों और दस्तकारों के लिए, कातनेवालों, बुनकरों, कुम्हारों, चमड़े का काम करनेवाले चर्मकारों, लुहारों, मुनारों आदि के लिए, वे चाहे शहरों के हों चाहे देहात के, इसके सिवा और कोई चारा न रह गया कि वे खेती के धंधे में जाकर भीड़ लगायें । इस तरह जो भारत, खेती और उद्योग-धंधों की मिली-जुली व्यवस्था का देश था, उसे जबदस्ती ब्रिटेन के कल-कारखानोंवाले पूजीवाद का खेतिहर उपनिवेश बना दिया गया । त्रितीय शानन के इसी काल से, और अंग्रेजी राज्य के प्रत्यक्ष प्रभाव के परिणामस्वरूप, भारत में खेती पर आवादी का वह जबदस्त और घातक दबाव शुरू होता है, जिसे सरकारी साहित्य

में लीप-पोत कर "जरूरत से ज्यादा आबादी बढ़ जाने" के एक चिन्ह के रूप में पेश किया जाता है।

ब्रिटेन के औद्योगिक पूजीपतियों की यह नीति, अर्थात् भारत को ब्रिटिश पूंजीवाद का एक ऐसा खेतिहर उपनिवेश बना देने की नीति, जो ब्रिटेन को अपना कच्चा माल दिया करे और उससे कल-कारखानों का बना माल खरीदा करे, १८४० में मंचेस्टर के व्यापार मंडल (चैम्बर्स आफ कॉमर्स) के अध्यक्ष थोमस बंजले ने विलकुल स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था :

"भारत एक बहुत ही विशाल देश है और वहाँ की आबादी इतना अधिक अंग्रेजी माल खरीदा करेगी कि उसकी कोई सीमा न होगी। हमारे भारतीय व्यापार की पूरी समस्या यह है कि हम जो माल वहाँ भेजने को तैयार हैं, उसकी कीमत क्या भारत के लोग अपनी धरती की पैदावार देकर अदा कर सकते हैं।"

७५ बरस पहले क्लाइव ने जिस स्पष्ट और बेदूक ढंग से भारत के पुराने युग के शोषण का हिसाब लगाया था, ठीक उसी ढंग से यहाँ नये युग के शोषण का हिसाब लगाया गया है।

अंग्रेज पूजीपतियों की नीति एक नयी अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, इसका संकेत १८३३ में मिला जब अंग्रेजों को भारत में ज़मीन खरीदकर बागानों के मालिकों के रूप में वहाँ बस जाने की इजाज़त दी गयी। उसी साल पश्चिमी द्वीप-समूह में गुलामी की प्रथा खतम कर दी गयी थी। उसके बाद तुरन्त ही भारत में बागानों की यह नयी प्रथा जारी कर दी गयी, जो एक भौने आवरण से ढकी गुलामी के सिवा और कुछ न थी। और यह बात महत्व से खाली नहीं है कि भारत में जिन लोगों ने पहले-पहल जाकर बागानों का काम शुरू किया, उनमें से बहुत ने पश्चिमी द्वीप-समूह के गुलामों के मालिक थे। इस प्रथा के जो भयानक नतीजे हुए, उनका पर्दाफाश १८६० के नील-कमीशन के सामने हुआ। आज दस लाख से अधिक मजदूर चाय, रबड़ और कॉफी के बागानों से बंधे हुए हैं; यानी कपड़ा-मिलों, कोयला-खानों, इंजीनियरिंग के कारखानों और लोहे तथा इस्पात के उद्योगों में सब मिलाकर जितने मजदूर काम करते हैं, उनकी लगभग दो-तिहाई संख्या बागानों में काम करती है।

१८३३ के बाद कच्चे मालों का निर्यात खास तौर पर एकदम बढ़ गया। १८१३ में भारत से २० लाख पाउंड कपास बाहर गयी थी, १८३३ में ३२० लाख पाउंड बाहर गयी, १८४४ में ८८० लाख पाउंड और १९१४ में ९,६३० लाख पाउंड। १८३३ में ३,७०० पाउंड भेड़ का ऊन बाहर गया था, १८४४ में २७ लाख पाउंड बाहर गया। १८३३ में २,१०० बुसल तिलहन बाहर गया था, १८४४ में २३७,००० बुसल बाहर गया।

इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह थी कि भूखो मरनेवाले भारत से अधिकाधिक माल बाहर भेजा जाने लगा। १८४६ में ८५८,००० पौंड की कीमत का अनाज बाहर गया था, १८५८ में ३८ लाख पौंड की कीमत का अनाज बाहर गया—१८७७ में ७६ लाख पौंड का, १९०१ में ६३ लाख पौंड का और १९१४ में १६३ लाख पौंड का।

इसके साथ-साथ, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में आकालों की सख्या और भयंकरता में भारी वृद्धि हो गयी। डब्ल्यू. एस. लिली ने अपनी पुस्तक भारत और उसकी समस्याएं में सरकारी अनुमानों के आधार पर आकालों में होनेवाली मौतों के ये आकड़े दिये थे :

वर्ष	अकाल से होनेवाली मौतों की सख्या
१८००-२५	१,०००,०००
१८२५-५०	४००,०००
१८५०-७५	५,०००,०००
१८७५-१९००	१५,०००,०००

१८८० में भारतीय अकाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था :

“भारत के लोगों की गरीबी, और अन्न संकट के समय उनको जिन खतरों का सामना करना पड़ता है, उनकी जड़ में सबसे बड़ी बात यह शोचनीय परिस्थिति है कि आवादी के अधिकांश भाग का एकमात्र व्यवसाय खेती है, और मौजूदा बुराइयों को दूर करने के लिए ऐसा कोई भी उपाय पूरी तरह कारगर नहीं हो सकता जिसमें लोगों के लिए तरह-तरह के बहुत से धंधे जारी करना शामिल नहीं हो। कारण कि आज जो फालतू आवादी खेती के धंधे में लगी हुई है, उसे वहां से हटाने और उद्योग-धंधों में या ऐसे ही किसी और काम में लगाने का यही तरीका है।”

इन शब्दों में औद्योगिक पूंजी ने भारत में अपने कारनामों पर खुद ही फलवा दे दिया है।

द्वितीय अध्याय

भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद

उन्नीसवीं सदी में भारत पर ब्रिटेन की औद्योगिक पूँजी का आधिपत्य था। बीसवीं सदी में उनकी जगह, भारत पर ब्रिटेन ही बँक-पूँजी का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक नतीजे हुए। इस काम को मनाने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि औद्योगिक पूँजी का युग बँक-पूँजी के युग में किस तरह बदला और उसके क्या परिणाम हुए।

१. बँक-पूँजी युग का शीतलेश

उन्नीसवीं सदी में औद्योगिक पूँजी जिस विशेष ढंग से भारत का शोषण करती थी, उसमें सीधी सूट-भार के पुराने तरीके एकदम खतम नहीं हो गये थे। वे भी जागे थे और साथ ही उनका रूप बदल गया था।

जिसे उस वक्त खुल्लमखुल्ला "खिराज" कहा जाता था, यह सूट का पैसा बराबर भारत से जाता रहा, और उन्नीसवीं सदी में व्यापार के विकास के साथ-साथ यह "खिराज" भी लगातार बढ़ता गया। बीसवीं सदी में यह और भी तेजी से बढ़ा, हालाँकि व्यापार में अपेक्षाकृत गिरावट आ गया। आधुनिक काम में इंग्लैंड के द्वारा भारत का शोषण किस प्रकार बढ़ता गया है, इसका प्रमाण नीचे की तालिका में मिलेगा :

भारत से इंग्लैंड जानेवाले खिराज में बढ़ती (साल पीछों में)

	१८५१	१९०१	१९१३-१४	१९३३-३४
यंग्लू खर्चों की मद में ...	२५	१७३	१९४	५७४
आयात से निर्यात				
कितना ज्यादा हुआ ...	३३	११०	१०९	५९०

तालिका से पता चलता है कि भारत से इंग्लैंड जानेवाला खिराज अधिकाधिक बढ़ता गया है। वास्तव में, इन आकड़ों से इस बात पर पर्दा पड़ जाता है कि इस बीच शोपण के एक नये रूप ने जन्म ले लिया था। यह रूप स्वतंत्र व्यापार पर आधारित उन्नीसवीं सदी के पूजावाद की परिस्थितियों में ही विकसित हुआ था, मगर अब वह बक-पूजा द्वारा भारत का शोपण बनता जा रहा था। यह बीसवीं सदी की नयी मजिल थी।

उन्नीसवीं सदी के स्वतंत्र व्यापार पर आधारित पूजावाद की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ थीं, जिनसे मजबूर होकर अंग्रेजों को भारत में अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने पड़े।

एक तो इस बात की आवश्यकता थी कि कम्पनी को एक बार सदा के लिए खतम कर दिया जाय, और उसकी जगह पर, ब्रिटेन के पूरे पूजापति वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्थापित कर दिया जाय। यह काम अंतिम रूप से १८५८ में पूरा हुआ।

दूसरे, व्यापार के लिए भारत को एकदम खोल देना जरूरी था। उसके लिए आवश्यक था कि रेल की लाइनों का जाल देश में बिछा दिया जाय, सड़कों का विकास हो; सिंचाई की व्यवस्था की तरफ अंग्रेजी राज्य में जो एकदम लापरवाही दिखायी गयी थी, उसकी तरफ फिर ध्यान देना शुरू किया जाय; बिजली से काम करनेवाले तार की व्यवस्था की जाय; सारे देश में एक सी डाक-व्यवस्था कायम हो; क्लर्कों और मातहत एजेंटों की भर्ती के लिए थोड़ी अंग्रेजी ढंग की शिक्षा की शुरुआत की जाय; और योरपीय ढंग की बैंक-व्यवस्था जारी की जाय।

लेकिन सक्रिय विकास की इस क्रिया का, विशेषकर रेल-निर्माण का एक और भी नतीजा लाजिमी रूप से होना था। भारत में अपना व्यापार फैलाने के उद्देश्य से औद्योगिक पूजा को विकास के जो काम करने पड़े, जो रेलें, आदि बनानी पड़ीं, उनसे एक नयी मजिल की नींव पड़ गयी। उनके कारण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पूजा लगानी शुरू कर दी।

साम्राज्यवादी विस्तार के सामान्य क्रम में इस क्रिया को पूजा का निर्यात कहा जायगा। लेकिन, जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यहाँ इंग्लैंड में बहुत कम पूजा आयी। १९१४ तक का जो पूरा काल है, उसमें केवल १८५६ से लेकर १८६२ तक के सात वर्ष ही ऐसे हैं जब कि भारत से जितना माल इंग्लैंड गया, उससे ज्यादा माल वहाँ से भारत आया, यानी निर्यात से आयात अधिक रहा। वर्ना आम तौर पर तो सदा निर्यात ही अधिक रहता था। इन सात वर्षों में जितनी कीमत का माल भारत से इंग्लैंड गया, उससे २२५ लाख पाँड ज्यादा कीमत का माल इंग्लैंड से भारत आया। यह देखते हुए कि अन्त में जाकर

भारत में लगी हुई अंग्रेजी पूंजी १९१४ तक अनुमानतः ५,००० लाख पांड के लगभग पहुँच गयी थी, यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। इसलिए, भारत में अंग्रेजों ने जो पूंजी लगायी, वास्तव में, उसे पहले उन्होंने भारत में ही, वहाँ की जनता को लूटकर जमा किया और फिर उसे भारत पर ब्रिटेन के कर्ज के रूप में हिस्साब में चढ़ा दिया। इस पर तभी से भारत को बराबर सूद और मुनाफ़ा देना पड़ रहा है।

भारत में लगायी गयी अंग्रेजी पूंजी का केन्द्र था सार्वजनिक कर्ज। जब १८५८ में शासन की बागडोर अंग्रेजी सरकार ने सभाली तो उसे ईस्ट इंडिया कम्पनी से विरासत में ७०० लाख पांड का कर्जा मिला था। लेकिन यदि हिस्साब ठीक-ठीक किया जाता तो इंग्लैंड पर भारत का कर्ज निकलता। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रिटिश सरकार के हिस्साब में भारत ही कर्जदार रहा और उसका यह कर्ज तेजी से बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार के हाथों में, यह कर्ज लगभग ७५ वर्ष के अन्दर बारह-गुने से ज्यादा हो गया। १९३६ तक वह ८,८४२ लाख पांड तक पहुँच गया था, जिसमें से ५,३२४ लाख पांड भारतीय कर्ज था और ३,५१८ लाख पांड कर्ज इंग्लैंड में था।

विशेष महत्व की बात यह थी कि इंग्लैंड में जो स्टॉकिंग कर्ज था, वह तेजी से बढ़ रहा था। १८५६ तक वह ४० लाख पांड के नीचे ही था; लेकिन १९३६ तक वह ३,५१८ लाख पांड हो गया था।

यह कर्ज हुआ कैसे? एक तो युद्ध, आदि के उन खर्चों के कारण जो भारत के नाम चढ़ा दिये जाते थे (अक्सर ये ऐसे युद्ध और ऐसी फौजी कार्रवाइया होती थी, जो भारत के बाहर होती थी), और बाद में रेल-निर्माण तथा सार्वजनिक निर्माण के अन्य ऐसे कामों के कारण जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में शुरू किये थे।

रेल-निर्माण, और चाय, कॉफी, तथा खड के बागानों और चन्द छोटे-छोटे कारखानों के विकास के साथ-साथ, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज पूंजीपति बड़ी तेजी से अपनी निजी पूंजी भारत में लगाने लगे। इसी काल में अंग्रेजों ने अगने अनेक निजी बैंक भी भारत में खोले। कम्पनी के एकाधिकार की वन्दियों चूँकि अब हट गयी थी, इसलिए बैंक खोलना मुमकिन था। १९०६-१० में सर जार्ज पेंस ने अनुमान लगाया था कि भारत और तका में कुल ३,६५० लाख पांड की ब्रिटिश पूंजी लगी हुई है। लेकिन यदि यह देखा जाता कि यह पूंजी किन व्यवसायों में लगी हुई थी, तो माफ पता चल जाता कि भारत में ब्रिटिश पूंजी लगने का, या तथाकथित "पूँजी के निर्यात" का यह मतलब कतई न था कि भारत में आधुनिक उद्योग-पधों का विकास हो गया था। १९१४ की लड़ाई के पहले भारत में जितनी ब्रिटिश पूंजी लगी थी, उसका ६७ प्रतिशत भाग

सरकारी कामों में, यातायात में, वागानों में और बैंकों में लगा हुआ था। मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों की अधिकतर पूँजी ऐसे कामों में लगी हुई थी जिनसे केवल उनको भारत में अपना व्यापार फैलाने में और कच्चे मालों के भंडार तथा अंग्रेजी माल के बाजार के रूप में उनका शोषण करने में मदद मिलती थी, और जिन कामों का औद्योगिक विकास से कोई सम्बन्ध न था।

२. बँक-पूँजी और भारत

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों का उद्योग-धंधों का क्षेत्र में एकाधिकार कायम हो गया था और वे दुनिया के बाजार पर राज करते थे। लेकिन १८७५ के बाद यह प्रभुत्व कमजोर पड़ने लगा। यहाँ तक कि इस काल में भारत में भी उनका कारखार धीरे-धीरे किन्तु अतबरत गति से ढीला पड़ने लगा।

१८७४ से १८७६ तक के पांच वर्षों में भारत में जो कुल माल विदेशों में आया, उसका ८२ प्रतिशत भाग ब्रिटेन में आया था। इसके अलावा ११ प्रतिशत ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे भागों में आया था, और बाकी दुनिया के हिस्से में भारत के बाजार का $\frac{1}{6}$ में भी कम हिस्सा पड़ा था। लेकिन १८८४-८६ तक ब्रिटेन का हिस्सा ८२ प्रतिशत में ७६ प्रतिशत हो गया, १८६६-१९०४ तक ६६ प्रतिशत रह गया, और १९०६-१८ तक तो केवल ६३ प्रतिशत रह गया।

लेकिन, इसके साथ-साथ भारत में लगी हुई ब्रिटिश पूँजी से होनेवाले मुनाफे और धरेलू खर्च की रकम बराबर बढ़ती जा रही थी। १९१३-१४ में ब्रिटेन और भारत के बीच कुल १,१७० लाख पाँड का व्यापार हुआ था, जिसमें अंग्रेज व्यापारियों, कारखानेदारों और जहाजों के मालिकों को १९१३ में अनुमानतः अधिक में अधिक कुल २८० लाख पाँड का मुनाफा हुआ था।

परन्तु भारत में लगी ब्रिटिश पूँजी १९११ तक अनुमानत ४,५०० लाख पाँड तक, और १९१८ तक ७,००० लाख पाँड तक पहुँच गयी थी। यदि इस पूँजी पर सूद की दर बहुत कम करके केवल ५ प्रतिशत ही रखी जाय, तो भी उससे २५० लाख पाँड की आमदनी जरूर होती होगी। इसमें उस पूँजी से होने वाला मुनाफा और आय जोड़नी होगी जिसका प्रतिनिधित्व भारत में काम करने वाली गैर-व्यापारी कम्पनियाँ करती थी। इनके अलावा, उनमें बैंकों का कर्मागण, एन्सचर के नेत-देन की आमदनी, और बँकों तथा बीमा कम्पनियों की अन्य आय जोड़नी होगी। सब मिलाकर ४०० लाख पाँड की आमदनी होती थी। इसलिए, जाहिर है कि १९१४ तक भारत के साथ व्यापार करनेवाली व्यापारी कम्पनियों, कारखानेदारों, और जहाजों कम्पनियों को कुल मिलाकर जितना मुनाफा होता था, उसमें कहीं ज्यादा बड़ी रकम यहाँ लगी हुई ब्रिटिश पूँजी के मुनाफे तथा

सीधे खिराज के रूप में चली जाती थी। अर्थात्, बीसवीं सदी में बंक-पूजी द्वारा भारत का शोषण ही इस देश की लूट का मुख्य रूप बन गया था।

१९१४-१८ की लड़ाई के समय और उसके बाद के काल में इस क्रिया में बहुत ज्यादा तेजी आयी, और भारत के बाजार में ब्रिटेन का हिस्सा एकदम गिर गया।

लेकिन जहाँ एक ओर, शोषण का पुराना आधार मिट रहा था, वहाँ दूसरी ओर बंक-पूजी के शोषण से होनेवाले मुनाफे का नया आधार बराबर तैयार होता और फैलता जा रहा था। यदि बहुत कम करके भी अनुमान लगाया जाय तो १९२९ तक भारत में कुल ५,७३० लाख पाँड की ब्रिटिश पूजी लग गयी थी और १९३३ तक वह १०,००० लाख पाँड पर पहुँच गयी थी। उस समय विदेशों में अग्रजों की जितनी पूजी लगी हुई थी, उसका पूरे सप्ताह का जोड़ अनुमानतया ४०,००० लाख पाँड था। भारत में लगी हुई पूजी इस जोड़ के चौथाई से कम नहीं होती थी। मगर १९११ में मर जॉर्ज पैंग ने हिसाब लगाया था कि भारत में लगी हुई ब्रिटिश पूजी, विदेशों में लगी हुई कुल ब्रिटिश पूजी का केवल ११ प्रतिशत होती थी। नवे हिस्से का इस तरह बढ़कर चौथाई हो जाना, ११ प्रतिशत का बढ़कर २५ प्रतिशत हो जाना—यह बताता है कि आधुनिक काल में ब्रिटिश बंक-पूजी के लिए भारत का महत्व किस तरह बढ़ता गया है। साम्राज्यवाद की आधुनिक नीति को समझने की भी यही कुजी है। इस नीति के जरिए भारत में ब्रिटेन की बंक-पूजी के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपायों की व्यवस्था की गयी थी।

भारत में इंग्लैंड जो खिराज बमूलता था, उसकी कुल कितनी कीमत होती थी? ग्राह और खम्भाना का अनुमान था कि १९२१-२२ में इंग्लैंड ने भारत से १,५०० लाख पाँड का खिराज बमूला था। मर एम. विश्वेश्वरैया ने हिसाब लगाया था कि १९३४ में यह रकम १,०१० लाख पाँड तक पहुँची थी (उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में नहीं रखा था, जिनको हिमाव में शामिल करने पर पूरी रकम कम से कम १,३५० लाख पाँड हो जाती)। और वारेंस के रोजिजर ने १९४५ में हिमाव लगाया था कि इंग्लैंड भारत से हर साल १,३५० लाख पाँड का खिराज बमूलता है।

जिन मर्दों का बिलकुल ठीक-ठीक हिमाव नहीं लगाया जा सकता, उनसे जो थोड़ा-बहुत अन्तर हो सकता है, उसका पूरा-पूरा ध्यान रखने पर भी, इस आम नतीजे पर पहुँचने में कोई नहीं यह सकता कि आधुनिक काल में भारत का पहले काल से कहीं अधिक तीव्र शोषण हुआ है। हिमाव लगाया गया था कि जिस समय ब्रिटिश सम्राट ने खुद भारत के शासन की बागडोर संभाली, उसके पहले के ७५ बरसों में इंग्लैंड ने कुल १,५०० लाख पाँड भारत में

खिराज के रूप में वसूले थे। आधुनिक काल में, दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले के बीस बरसों में, अनुमान लगाया जाता है कि इंग्लैंड ने भारत से हर साल १,३५० लाख से लेकर १,५०० लाख पौंड तक खिराज वसूला। इस काल में भारत में राजनीतिक सकट जो इतना गहरा हो गया और साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत में विद्रोह ने जो इतना जोर पकड़ लिया, उसका मूल कारण शोषण की यह अत्यधिक बढ़ती थी।

३. औद्योगिकीकरण का मसला

कभी-कभी यह मत प्रकट किया जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के बंक-पूजी वाले आधुनिक रूप से कम से कम इतना लाभ तो हुआ ही कि भारत के उद्योग-धंधों की उन्नति हो गयी और उनका आर्थिक विकास हुआ। तथ्यों को देखने से पता चलता है कि यह मत सच्चाई से काफ़ी दूर है। यह सही है कि आधुनिक काल में भारत में उद्योगों का किसी कदर विकास हुआ है; लेकिन इसी काल में सप्तर के अन्य प्रमुख गैर-योरपीय देशों में जितना विकास हुआ है, उसके साथ भारत के विकास की किन्हीं भी मायनों में तुलना नहीं की जा सकती। (देखिए अध्याय ३) भारत का जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ भी है, वह आर्थिक तथा राजनीतिक, दोनों ही क्षेत्रों में ब्रिटिश बक-पूजी के सख्त विरोध का सामना करके और उससे सघर्ष करके हुआ है।

१९१४ तक साम्राज्यवाद भारत के औद्योगिक विकास का खुल्लमखुल्ला और बिना किसी लाग-तपेट के विरोध करता था। भारत के औद्योगिक विकास को तब सिर्फ़ सरकारी फरमानों या सरकारी उदासीनता से ही नहीं रोका जाता था, बल्कि चुगी के मामले में एक खास तरह की नीति बरतकर भी औद्योगिक विकास पर बर्दाश लगा दी गयी थी। इसलिए, १९१४ तक औद्योगिक विकास बहुत ही धीरे-धीरे और बहुत ही कम हुआ।

पहले महायुद्ध के शुरू होने पर सरकार ने अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन की घोषणा की। सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में जिम्मेदार सरकार कायम करना है, उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में उनका लक्ष्य भारत का औद्योगिकीकरण करना है।

नीति में परिवर्तन की इस घोषणा के कारण युद्ध की परिस्थितियों से उत्पन्न हुए थे। उसके तीन प्रकार के कारण बताये जा सकते हैं।

सबसे पहले, नैतिक और सामरिक कारण थे। भारत में आधुनिक उद्योग-धंधों का चूक बहुत मामूली विकास भी नहीं हुआ था, इसलिए बहुत ही ज़रूरी

फ्रीजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सात समुद्र पार से आनेवाले सामान पर ही भरोसा करना पड़ता था।

दूसरे, आर्थिक होड़ से पैदा होनेवाले कारण थे। भारत के बाजार पर अंग्रेजों ने जो एकाधिकार क्रायम कर रखा था, उसे उनके विदेशी प्रतिद्वंद्वी नष्ट किये डाल रहे थे। उनको रोकने के लिए भारत में बाहर से आनेवाले माल पर चुगी लगाना जरूरी था। चुगी की इस प्रणाली से दो काम बनते थे। एक तो उससे जिस हद तक विदेशी उद्योगपतियों के देश में घुसने के बजाय खुद भारत के अन्दर उद्योग-धंधों का विकास होता था, उस हद तक अंग्रेजों के लिए इस बात की गुंजायश रहती थी कि अपने आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण वे अन्त में ब्रिटिश पूँजी के लिए ही मुनाफा खींच सकें। इसके विपरीत, यदि भारत का बाजार एक स्वतंत्र विदेशी पूँजीवादी शक्ति के हाथों में चला जाता, तो इसकी कोई गुंजायश न रहती। दूसरे, एक बार चुगी की व्यवस्था हो जाने पर फिर इस बात के लिए भी जमीन तैयार हो जाती थी कि ब्रिटेन से आनेवाले माल पर चुगी कम कराके अंग्रेज फिर भारत के बाजार को हथिया लें।

तीसरे, अन्दरूनी राजनीतिक कारण थे। लड़ाई के जमाने में, और लड़ाई के बाद के अशान्त काल में, भारत पर अपना कब्जा जमाये रखने की खातिर अंग्रेजों के वास्ते जरूरी था कि वे भारत के पूँजीपति वर्ग का सहयोग प्राप्त करें और इसके लिए आवश्यक था कि वे यहां के पूँजीपति वर्ग को कुछ आर्थिक तथा राजनीतिक सुविधाएं दे तथा और सुविधाएं देने का वादा करें। तभी अंग्रेजों को यहां के पूँजीपतियों का समर्थन मिल सकता था।

इस समय भारत के औद्योगिक पूँजीपतियों को बड़ी आशाएं हो गयी कि सरकार अब उद्योगों के विकास में मदद करने की नीति पर चलेगी। लेकिन आनेवाले वर्षों में उनकी इन आशाओं पर निर्मम तुपारापात होनेवाला था।

४. औद्योगीकरण में अड़चनें

१९१४-१८ के युद्ध के बाद सरकार ने औद्योगिक विकास में जो मदद दी, उसकी चरम सीमा यह थी कि १९२४ में उसने लोहे और इस्पात के उद्योग को संरक्षण और आर्थिक सहायता दी। इसके बाद सरकारी मदद कम होती गयी।

भारतीय औद्योगिक कमिशन ने एक लम्बी-चौड़ी योजना बनायी थी कि केन्द्र में एक शाही उद्योग-विभाग खोला जाय, जिसके मातहत हर प्रांत में काम करनेवाले प्रांतीय विभागों का एक जाल बिछा दिया जाय। पर यह योजना यों ही रह गयी। केन्द्रीय संगठन तो कभी बना हो नहीं, प्रांतीय विभागों को, शिक्षा-विभाग की तरह, "हस्तान्तरित" विभागों की सूची में शामिल कर

दिया गया। इसका मतलब यह था कि उनको खर्च के लिए पैसा न मिले और जब उनकी तरफ से कोई काम न हो, तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों के सर डाल दी जाय।

१९२४ में लोहे और इस्पात के उद्योग को सरक्षण मिल जाने पर चुगी-बोर्ड के पास कई और उद्योगों की भी दरखास्ते आयीं कि उन्हें भी सरक्षण दिया जाय। उनमें से केवल एक दरखास्त मंजूर की गयी। वह भाविस-उद्योग की दरखास्त थी। उसके मंजूर होने का कारण यह था कि भारत के भाविस-उद्योग में विदेशी पूंजी लगी हुई थी। सबसे अधिक महत्व की बात यह हुई कि एक नये सिद्धान्त की स्थापना कर दी गयी। यह ब्रिटेन से आनेवाले माल पर कम चुगी लगाने या साम्राज्य के माल पर रियायत के साथ चुगी लगाने का सिद्धान्त था। यह रियायती चुगी, चुगी की पूरी व्यवस्था का मुख्य मूत्र बन गयी। उससे ब्रिटिश उद्योगों को अपने प्रतिद्वन्दियों से हट करने में जो सीधी मदद मिली वह अलग है। उसके अलावा, चुगी की व्यवस्था का भारत में उद्योगों के विकास पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें भी प्रधानतया विदेशी हितों का, और सबसे अधिक ब्रिटिश हितों का ही फायदा हुआ है। इस प्रकार, बुरु में जो व्यवस्था भारतीय उद्योगों को मदद पहुंचाने के साधन के रूप में जारी की गयी थी, वह जल्द ही ब्रिटिश उद्योगों को मदद पहुंचानेवाली रियायती चुगी की व्यवस्था में बदल गयी।

१९१४-१८ की लड़ाई के सतम होते ही दुनिया के अलग-अलग देशों में व्यापार में जो तेजी आयी थी, उसका रूप भारत में और जगहों में अधिक उग्र था। सूती कपड़े और जूट की मिलों ने वेनुमार मुनाफा कमाया, और युद्ध खतम होने के फौरन बाद के उन वर्षों में इस वेनुमार मुनाफे में हिस्सा बंटाने की उम्मीद में काफी अंग्रेजी पूंजी भारत चली आयी।

लेकिन १९२० और १९२१ के सतम होते-होते तेजी एकबारगी मन्दी में बदल गयी। सरकार की एक्सचेंज (मुद्रा के चिनिमय में सम्बन्धित) नीति ने तबही की क्रिया को और तेज कर दिया। युद्ध के बाद की तेजी के दिनों में बनी बहुत सी भारतीय कंपनियों का बाद के वर्षों में दिवाना निकल गया। नीचे लिये आंकड़े बड़े महत्व के हैं। १९०८ में १९१० तक भारत और तब में ब्रिटेन में १४७ लाख पाँड की पूंजी आयी थी, १९२१ में १९२३ तक ३०२ लाख पाँड की आयी, १९२५ में १९२७ तक २१ लाख पाँड की आयी, १९३२ में १९३४ तक ४२ लाख पाँड की आयी, और १९३४ से १९३६ तक केवल १० लाख पाँड की आयी। ब्रिटिश भारत में रजिस्ट्री-मुद्रा कंपनियों की परिदत्त पूंजी (पेट-ग्रुप कैपिटल) १९१४-१५ में ७,४८० लाख रुपये थी, और १९२४-२५ तक वह २३,६६० लाख रुपये हो गयी थी। इस प्रकार १९१४ में

१९२४ तक के दस वर्षों में भारत में रजिस्ट्री-शुदा कम्पनियों की पूंजी में २२२ प्रतिशत की बढ़ती हुई थी। लेकिन, इसके बाद के दस वर्षों में, यानी १९२४ से १९३४ तक की पूंजी में केवल १ प्रतिशत की औसत वार्षिक बढ़ती हुई और उसके बाद के पांच वर्षों में केवल डेढ़ प्रतिशत की।

इससे यह बात जाहिर है कि १९२६ का ससारव्यापी अर्थ-संकट आने के पहले ही भारत के औद्योगिक विकास में बहुत अड़चने पड़ने लगी थी। भारतीय उद्योगों को एक नया और बहुत जबरदस्त धक्का १९२७ में तब लगा जब सरकार ने भारतीय रुपये का मूल्य, जो युद्ध के पहले १ शिलिंग ४ पेंस था, स्थायी रूप से १ शिलिंग ६ पेंस नियत कर दिया। इस प्रकार, जब परिस्थितियाँ पहले से ही कठिन हो गयी थी, तब ससारव्यापी आर्थिक संकट आया, और उसकी चोट भारत पर और देशों से अधिक गहरी लगी, क्योंकि भारत प्राथमिक उत्पादन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। १९२८-२९ में भारत से ३३,६०० लाख रुपये का सामान बाहर गया था। १९३२-३३ तक यह हालत पैदा हो गयी कि उस साल केवल १३,५०० लाख रुपये का माल बाहर गया। लेकिन भारत से इंग्लैंड जानेवाले खिराज, कर्जों के सूद, और घरेलू खर्च की मद की रकम में कोई कमी नहीं आयी। उल्टे, दामो के गिर जाने के कारण उसका बोझ अर्थ-पहले से दुगुना हो गया था। और यह पूरी रकम भारत से बेरहमी के साथ वसूल की गयी। उसके एवज में खजाना इंग्लैंड भेजा गया। १९३१-३५ के दौरान में ३२० लाख आउस से कम सोना भारत से इंग्लैंड नहीं गया। अर्थ-संकट के पहले इंग्लैंड के खजाने में कुल जितना सोना था, उससे ज्यादा इन चार वर्षों में भारत से इंग्लैंड चला गया। १९३६ और १९३७ में और सोना यहां से गया, जिसकी कीमत ३८० लाख पाँड होती थी। भारत के किसानों और ग्राम गरीब लोगों में अपनी बचत का पैसा बैंकों में जमा करने का चलन नहीं है। यहां का प्रचलित ढंग यह है कि जो पैसा बचता है, उसमें लॉय गॉंगा खरीद लेते हैं। वही सोना, यानी भारत के किसानों और ग्राम गरीब लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई की बचत, इस तरह इंग्लैंड पहुंच गया। जिन प्रकार औद्योगिक क्रान्ति के दिनों में हुआ था, उसी प्रकार एक बार फिर १९३३-३७ में ब्रिटिश पूंजीवाद ने भारत को लूटकर दुनिया में अपने पैर जमाये।

५. दूसरे महायुद्ध के पहले के बीस वर्षों का भारत की भाँति

दो महायुद्धों के बीच जो बीस वर्ष हुए, उनमें भारत में औद्योगिक विकास का स्तर बहुत बढ़ा, यह निर्विवाद बात है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी पूंजीवाद का था। अमेरिकी पूंजीवाद ने भारत को लूटकर दुनिया में अपने पैर जमाये।

कपड़ा-उद्योग का विकास नहीं होता । औद्योगीकरण के लिए निर्णायक महत्व भारी उद्योगों के विकास का होता है, लोहे तथा इस्पात और मशीनों के उत्पादन का होता है । और इसी क्षेत्र में भारत की कमजोरी बिलकुल स्पष्ट थी । सच्चे औद्योगीकरण के लिए पहले भारी उद्योगों से, लोहे तथा इस्पात और मशीनों के उत्पादन से शुरू करना होता है । यह बात सोवियत संघ की महान समाजवादी औद्योगिक क्रान्ति में साबित हो चुकी है । सोवियत संघ ने अपनी पहली पंच-वर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया और यह उसीका परिणाम था कि वह अपनी दूसरी पंच-वर्षीय योजना में हल्के उद्योगों का विकास कर सका । एक पराधीन, औपनिवेशिक देश का आर्थिक विकास किस प्रकार बिलकुल उल्टे क्रम से होता है, इसका भारत एक अच्छा उदाहरण है ।

यदि हम इस बात की तुलना करके देखें कि १९१४ के पहले के मुकाबले में इस काल में उद्योग-धंधों तथा खेती में आवादी किस अनुपात में बढ़ी हुई है, तो औद्योगिक विकास का नीचा स्तर और भी स्पष्ट हो जाता है । जन-गणना के आकड़ों के अनुसार, १९११ और १९३१ के बीच उन लोगों की संख्या वास्तव में कम हो गयी जो उद्योग-धंधों पर निर्भर करते थे, और खेती के सहारे रहनेवालों की संख्या इस बीच बढ़ गयी । यहाँ तक कि सरकारी कामों में भी उद्योग-धंधों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या दर्ज की गयी है, उसमें इन बीस वर्षों में २० लाख की कमी आ गयी । इस प्रकार, दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले, भारत का जो सच्चा चित्र हमारे सामने आता है, उसके लिए "अनुद्योगीकरण" का उपयुक्त शब्द इस्तेमाल हुआ है । सचमुच, साम्राज्यवादी शासन में भारत का "औद्योगीकरण" नहीं हुआ है, बल्कि "अनुद्योगीकरण" हुआ है । १९१४ के बाद यहाँ विकास की जो गति रही, उसे तेज़ औद्योगीकरण हरगिज़ नहीं कहा जा सकता । कुछ बातों में तो यह गति १९१४ के पहले की गति से भी धीमी थी । १८९७ और १९१४ के बीच कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या में ५३०,००० की बढ़ती हुई थी, जब कि १९१४ और १९३१ के बीच उनकी संख्या में केवल ४८०,००० की ही बढ़ती हुई । इस प्रकार न सिर्फ पहले के मुकाबले में १९१४ के बाद विकास की गति धीमी रही, बल्कि कुल बढ़ती भी पहले से कम हुई ।

भारत में औद्योगीकरण की इस धीमी गति के क्या कारण हैं ? इसका मुख्य कारण पुनः साम्राज्यवादी व्यवस्था में निहित है । यह व्यवस्था ऐसे विरोधों को जन्म देती है जो भारतीय उद्योगों का विकास नहीं होने देते । ये विरोध न केवल इस रूप में प्रकट होते हैं कि साम्राज्यवाद भारत के औद्योगिक विकास का सीधे-सीधे विरोध करता है, बल्कि वे इस रूप में भी प्रकट होते हैं कि साम्राज्यवादी शोषण के एक ताजिमी नतीजे के तौर पर देश की रसिंह

आवादी हृद से ज्यादा गरीब हो जाती है और उसकी वजह से भारतीय उद्योगों में बने हुए माल के लिए देश का अन्दरूनी बाजार बेहद सिकुड़ जाता है। इस प्रकार, भारत में उद्योग-धंधों का सवाल खेती के सवाल से अलग करके हल नहीं किया जा सकता, और खेती का सवाल साम्राज्यवादी शोषण के मूल आधार से सम्बंधित है। अन्त में, ये विरोध ब्रिटिश बैंक-पूंजी के नागफास के रूप में प्रकट होते हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था के सभी निर्णायक महत्व के स्थानों पर अंग्रेजी बैंक-पूंजी का कब्जा रहता है। इसलिए, प्रत्येक भारतीय व्यवसाय उसकी दया पर निर्भर रहता है।

६. बैंक-पूंजी का नागफास

भारतीय पूंजी के विकास के बावजूद, भारत की अर्थ-व्यवस्था पर ब्रिटिश पूंजी का एकाधिकार सुरक्षित है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है जो इस एकाधिकार को कायम रखती है, और १९४७ में औपनिवेशिक शासन खतम हो जाने के बाद भी यह बात सच रहती है। लोहे और इस्पात के उद्योग के क्षेत्र में भारतीय पूंजी को ब्रिटिश पूंजी से समझौता कर लेना पड़ा। यहां तक कि कपड़ा-उद्योग में भी, जो भारतीय पूंजी का मूल स्थान है, "मैनेजिंग एजेंसी" प्रथा के जरिए ब्रिटिश पूंजी का काफ़ी नियंत्रण कायम रहा।

अंग्रेजी राज में, मैनेजिंग एजेंसी प्रथा का विकास भारत के औद्योगिक विकास पर अंग्रेजों का नियंत्रण रखने के एक प्रधान अस्त्र के रूप में हुआ। इस प्रथा के द्वारा मैनेजिंग एजेंसी का काम करनेवाली छोड़ी कम्पनियां बहुत सी औद्योगिक कम्पनियों और कल-कारखानों को खालू करती हैं, उन पर नियंत्रण रखती हैं, बहुत हद तक उनके लिए पूंजी इकट्ठा करती हैं, और साथ ही उनकी तमाम कार्रवाइयों का और पैदावार का संचालन करती हैं तथा पैदावार को बेचती हैं। मुनाफे की मलाई इन कम्पनियों के हिस्सेदारों को नहीं मिलती, बल्कि उसे मैनेजिंग एजेंसियां डकार जाती हैं।

मैनेजिंग एजेंसी का काम करनेवाली कम्पनियां भारतीय और अंग्रेजी दोनों प्रकार की हैं। लेकिन सबसे ताकतवर और सबसे पुरानी और जमी हुई मैनेजिंग एजेंसियां अंग्रेजों की हैं। जाहिर है कि लन्दन के माय सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध भी इन्हीं एजेंसियों के हैं। १९२८-३२ के ममारव्यापी अर्थ-संकट के समय, इन मैनेजिंग एजेंसियों को सूती कपड़े की मिल्तो पर अपने पंजे जमाने का मौका मिला, और कुछ ने तो भारतीय हिस्सेदारों में पूरी कम्पनियां ही छीन लीं। १९३१ की भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसका विवरण दिया है।

भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूँजी का शिकंजा आज भी कसा हुआ है। १९४७ से लेकर १९५२ के अन्त तक, भारत में लगी हुई ८६० लाख पौड की ब्रिटिश पूँजी अपने देश को लौट गयी। लेकिन, दूसरी तरफ उल्टी क्रिया चलती हुई दिखाई दे रही है। नयी ब्रिटिश और अमरीकी पूँजी भारत में आ रही है। विदेशी कम्पनियों ने भारत में अपनी मातहत कम्पनियाँ खोल दी हैं और उनकी भारत में रजिस्टरी करा ली है। लिवर ब्रदर्स, डनलप, इम्पीरियल कैमिकल, जैसी भीमाकार कम्पनियों ने भारत में अपनी मातहत कम्पनियाँ कायम कर दी हैं। हाल के दिनों में अमरीकी पूँजी अधिकाधिक तेजी से भारत में घुसती आ रही है।

देश की अर्थ-व्यवस्था पर ब्रिटिश बँक-पूँजी का नियंत्रण मजबूत बनाने में विदेशी बँकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बँक सरकार की आर्थिक एवं मुद्रा सम्बन्धी नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। दूसरे महायुद्ध के पहले भारत की बँक-व्यवस्था चार प्रकार के बँकों में संगठित थी।

(१) भारत का रिजर्व बँक—इसकी स्थापना १९३५ में हुई (और राष्ट्रीकरण १९४९ में हुआ)। इसे कायम करने का उद्देश्य यह था कि वह सरकार के बँक के रूप में “बँक ऑफ इंग्लैंड” की तरह काम करे और कर्ज की व्यवस्था पर नियंत्रण रखे। इसका विधान शुरू में इस तरह का बनाया गया था कि यदि बंधानिक मुद्धारों के मार्ग पर चलकर कभी कुछ भारतीय प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार में आ भी जायें, तो आर्थिक शक्ति का यह दुर्ग उनकी पहुँच के बाहर रहे, अथवा लन्दन के टाइम्स (११ फरवरी, १९२८) के शब्दों में यह “उस राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रहे जिससे कर्ज और मुद्रा की व्यवस्था को पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहिए।”

(२) भारत का इम्पीरियल बँक, जो रिजर्व बँक के साथ मिलकर काम करता है। साथ ही उसकी व्यापारिक कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इसकी लगभग चार सौ शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं और भारत के तमाम बँकों में जितनी रकमें जमा हैं, उनकी एक-तिहाई इस बँक में जमा है। इस प्रकार, यह भारत की पूरी बँक-व्यवस्था पर दबाव हुआ है। १९३६ में इसके ग्यारह डायरेक्टर अंग्रेज थे और चार हिन्दुस्तानी।

(३) एक्सचेंज बँक, अथवा भारत में काम करनेवाले ब्रिटिश या विदेशी निजी बँक। इन तमाम बँकों के केन्द्रीय दफ्तर भारत के बाहर हैं, और इनका स्वरूप पूरी तरह गैर-हिन्दुस्तानी है। दूसरे महायुद्ध के ठीक पहले भारत के तमाम बँकों में कुल जितनी रकमें जमा थी, उनका पाँचवा हिस्सा इन बँकों में जमा था।

(४) सम्मिलित पूंजी के भारतीय बैंक, या ऐसे निजी बैंक जिनकी रजिस्टरी भारत में हुई है। इनका दर्जा बैंकों की व्यवस्था में सबसे नीचे है। भारतीय पूंजी केवल इसी एक क्षेत्र में कुछ हाथ-पैर मार पायी, लेकिन इनमें से भी कुछ बैंकों पर विदेशी नियंत्रण क्रायम हो गया था।

बैंकों के इन अन्तिम तीन गुटों के पास कितनी रकमों जमा थीं, उनकी यदि तुलना की जाय तो साफ मालूम हो जाता है कि सम्मिलित पूंजी के भारतीय बैंकों की तुलना में १९४३ तक भारत में इम्पीरियल बैंक और एक्सचेंज बैंकों की ही तूती बोलती थी।

भारत की बैंक-व्यवस्था पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण क्रायम था, वह भारत के औद्योगिक एवं स्वतंत्र आर्थिक विकास को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत के कारखानेदार अक्सर बड़े जोरदार शब्दों में इसकी शिकायत किया करते थे। भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के अल्पमत की रिपोर्ट (१९३१) में श्री टी. सी. गोस्वामी तथा सर एम. विश्वेश्वरया (१९३४) के बयानों में यह बात कही जा चुकी है।

७. बैंक-पूंजी और दूसरा महायुद्ध

दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो जाने पर साम्राज्यवादियों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि पूरब में लड़ाई का सामान सप्लाई करनेवाले अपने मुख्य अड्डे के रूप में भारत का विकास किया जाय। लेकिन इससे भी भारत के उद्योगों का विकास करने के सवाल पर साम्राज्यवादियों के रुख में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन, फिर भी यह लाजिमी हो गया कि लड़ाई के जमाने में औद्योगिक कारखानों में थोड़ी तेजी आये। मगर, जैसा कि भारतीय व्यापार एवं उद्योग सभाओं के संघ (फ्रेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) के अध्यक्ष सर बन्नीदास गोयनका ने कहा था कि लड़ाई के जमाने में भारत में उत्पादन में जो कुछ भी उन्नति हुई, वह "मौजूदा कल-कारखानों और मशीनों को अंधाधुंध चलाकर और मजदूरों से कई-कई पालियों में काम कराके हुई है। लड़ाई में शामिल दूसरे देशों में जिस तरह नये कल-कारखाने खोलकर उत्पादन बढ़ाया गया, उस तरह हमारे यहां नहीं हुआ। हमारे यहां यह चीज नहीं के बराबर हुई।" इस बात की भी कोई परवाह न की गयी कि यदि भारत के विशाल साधनों का उपयोग नहीं किया जाता, तो युद्ध-उद्योग संकट में पड़ सकता था। अमरीकी टेक्निकल मिशन ने जो सिफारिशें की थीं, भारत सरकार ने उन्हें नहीं माना, बल्कि उसने कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित ही नहीं किया और उसे ताले में बन्द कर दिया।

भारत के विकास को रोकने की इस नीति को अमल में लाने के लिए पूर्वी क्षेत्र की सप्लाई काउंसिल की सेवाओं का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस संस्था का दफ्तर भारत में था। उसे इस उद्देश्य से कायम किया गया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न देशों से लड़ाई का सामान और रसद वगैरा एक जगह इकट्ठा करे और वितरण करे। इसके लिए दलील यह दी गयी कि साम्राज्यके कई-कई देशों को एक ही चीज के उत्पादन में लगकर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। और इस दलील की बुनियाद पर ब्रिटिश सरकार ने इस काउंसिल के जरिए इसकी पक्की व्यवस्था कर दी कि भारत के उद्योग आगे न बढ़ने पायें। पूर्वी-क्षेत्र की सप्लाई काउंसिल जिस प्रतिक्रियावादी लक्ष्य को सामने रखकर काम कर रही थी और जिस तरह काम कर रही थी, उसे देखकर अंग्रेज पूजीपतियों ने दिसम्बर १९४० में ही सन्तोष प्रकट किया था।

युद्ध के इस पूरे काल में भारत में जरा भी वास्तविक औद्योगिक विकास नहीं हुआ। उल्टे, इस काल में भारत का जैसा भयंकर शोषण हुआ, वैसा ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस बार पिछली लड़ाइयों से भी ज्यादा भारी बोझ भारतीय जनता के कंधों पर डाल दिया गया। भारतीय अर्थ-व्यवस्था को इस काल में कितना भारी बोझ घसीटना पडा, इसका पता लगाने के लिए भारत के सैनिक रक्षा के खर्च और ब्रिटिश सरकार के सैनिक रक्षा के खर्च को जोड़कर कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है। १९३९ के आर्थिक समझौते में जिन मदों के खर्चों को भारत की सैनिक रक्षा का खर्च माना गया था, वह बेहद बढ गया। यहाँ तक कि कुछ वर्षों में तो वह युद्ध के पहले की कुल राष्ट्रीय आय का एक-तिहाई तक हो गया। करीब इतना ही वह खर्चा था, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को वापिस मिलनेवाला था। लेकिन इस रकम को भारत अपने किसी काम में नहीं ला सकता था—न तो सोने के रूप में और न किसी सामान की शक्ल में। रकम बराबर बढ़ती जा रही थी, लेकिन भारत उसमें से एक पाई भी अपनी जरूरत की मशीनों, वगैरा खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था।

भारत के मालिक की हैसियत से ब्रिटेन ने पूरा-पूरा फायदा उठाया। दूसरे देशों में इस तरह की रकम के बढ़ने में—इस पौंड-भावने के बदले में—वहाँ लगी हुई ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी पूजी ले ली गयी। पर भारत को इसकी भी इजाजत नहीं मिली।

इसके अलावा, साम्राज्यवादी शासकों ने भारत के डालर-कोष को भी हड़प कर लिया। लड़ाई के जमाने में “डॉलर पूल एरेंजमेंट” नामक एक व्यवस्था की गयी थी। इसके मातहत “स्ट्रिंग क्षेत्र” के सभी देशों को इसके लिए मजबूर

किया गया कि अमरीका के हाथ सामान बेचकर वे जितने डालर कमायें, सबको एक जगह इकट्ठा करते जायें। अपने इन डालरों के बल पर भारत और अन्य देश अमरीका से सीधे कुछ नहीं खरीद सकते थे। इन डालरों का केवल ब्रिटिश सरकार ही लड़ाई का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी।

लड़ाई का खर्चा चलाने का यह साम्राज्यवादी तरीका पूरी तौर पर अंधाधुंध मुद्रा-प्रसार पर आधारित था। १९३९ और १९४५ के बीच ६ गुने ज्यादा नोट जारी किये गये, जब कि औद्योगिक कारखानों का सूचक अंक १९३९-४० में ११४ से १९४५ में केवल १३२.५ तक ही बढ़ा। इस मुद्रा-प्रसार से कल कारखानों के मालिकों और फौजी ठेकेदारों को बेशुमार मुनाफ़ा कूटने में मदद मिली, मगर भारत की अर्थ-व्यवस्था पर उसका भयंकर प्रभाव पड़ा। युद्ध का असली बोझ उस जनता पर पड़ा जो पहले से ही भूखों मर रही थी। मजूरियों और तनख़ाओं में बार-बार कटौती, खाने-पहनने की चीज़ों का अभाव, देश-व्यापी अकाल और तबाही और बरबादी—छ-बरस तक भारतीय जनता को तरह-तरह की मुसीबतें उठानी पड़ी।

इस प्रकार मुख्यतया भारत की अर्थ-व्यवस्था के प्रति साम्राज्यवाद के रख के कारण भारत पहले से भी अधिक गरीब होकर युद्ध में से निकला। न सिर्फ़ भारत की आर्थिक व्यवस्था का विकास करने का एक बड़ा अच्छा मौका हाथ से निकल गया, बल्कि युद्ध-कालीन बोझों के कारण दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने पर भारत की आर्थिक हालत बहुत ही नाजुक हो गयी और वह आसमान को छूनेवाले मुद्रा-प्रसार, महंगाई और आम तबाही का शिकार हो गया।

८. साम्राज्यवादी और भारतीय राजनेतवर्ग का अलग-अलग

भारत में साम्राज्यवादी नीति का साथ नहीं देकर स्वयं को ही एक ही जगह पर ही अंग्रेजों के साम्राज्यवादी स्वार्थों को काममें रखना चाहा, अपनी स्वतंत्र नीति तथा उनको और मजबूत बनाया जाय। भारत में अंग्रेजों को अपनी मजबूत साम्राज्यवादी नीति को लागू करने में राजनीतिक नेताओं की मदद मिली, सबका मुख्य उद्देश्य यही था। यहाँ तक कि सबसे बाद में १९४७ का जो माउंटबेटन-समझौता हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के शोभीनियतों की जो स्थापना हुई, यदि उसके पीछे छिपे हुए वास्तविक आर्थिक सम्बंधों का अध्ययन किया जाय, तो पता चलेगा कि भारत में और पाकिस्तान की दिशावली आवादी की भाँति दरमियाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने आर्थिक प्रभुत्व को काममें रखने का प्रयास किया है और ऐसी व्यवस्था की है जिसमें वह भारत के आर्थिक विकास पर नज़र रख सके और साम्राज्यवाद के हितों में उसे रोक सके।

लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद जो नाजुक जमाना आया, उसमें साम्राज्यवाद की मूल नीति को न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी नये रूपों और तरीकों की तलाश करनी पड़ी। अब आर्थिक परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन हो गया था। खास तौर पर, ब्रिटिश पूंजीवाद पहले से बहुत कमजोर हो गया था। अमरीकी पूंजीवाद बड़े हमलावर ढंग से बढ़ा चला आ रहा था। और भारतीय पूंजीपति वर्ग की ताकत में भी, बहुत नीचे स्तर पर ही रही, कुछ इजाफा हो गया था। इन बदली हुई परिस्थितियों में साम्राज्यवादी नीति में भी परिवर्तन करना आवश्यक था। इसलिए, साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा करने के वास्ते भारत के आर्थिक विकास पर लगाम कड़ी रखने और उसे रोकने की नीति, युद्ध के बाद के काल में नये ढंग से और नयी शकल में लागू की गयी। इन नये रूपों का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय कारखानेदारों के साथ किये गये वे सौदे हैं जिनके द्वारा मिली-जुली भारतीय-अंग्रेजी और भारतीय-अमरीकी कम्पनियां खोलने की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय इजारेदारों (एकाधिकारी पूंजीपतियों) और साम्राज्यवादी इजारेदारों के बीच विरोध की आज भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन, इसके बावजूद सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी इजारेदारों और प्रमुख भारतीय इजारेदारों के बीच किसी माने में गठबंधन भी कायम हो गया है। यह गठबंधन बराबरी के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि उसमें भारतीय इजारेदारों की हैसियत नीची रखी गयी है। और इस गठबंधन के भीतर भी विरोध कायम है। लेकिन साथ ही, इस गठबंधन से यह भी प्रकट होता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों ने मिलकर उभरते हुए जन-विद्रोह को दबाने का निश्चय कर लिया है। बड़े पूंजीपतियों के बीच इस तरह के सौदे १९४५ से ही शुरू हो गये थे। इनसे वह आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार हुई जिसमें नये बंधानिक समझौते किये गये और भारत तथा पाकिस्तान के बोमीनियनों की स्थापना हुई।

युद्ध से हालांकि भारतीय जनता की गरीबी और मुसीबत बहुत बढ़ गयी, लेकिन उससे पूंजीपतियों के ऊपर के स्तर का बड़ा फायदा हुआ। बड़े-बड़े व्यापारियों, सोदागरों, ठेकेदारों और कारखानेदारों की दौलत हृद से ज्यादा बढ़ गयी। सड़ाई के कारण उन्होंने बेधुमार मुनाफे कमाये। युद्ध के सतम होते-होते भारत के पूंजीपति वर्ग के पास विशाल परिमाण में पूंजी इकट्ठा हो गयी थी; लेकिन पूंजी के इस संचय का आधार यह नहीं था कि युद्ध-काल में भारत की उत्पादक शक्तियों का बहुत विकास हुआ हो, या कोई खास औद्योगिक उन्नति हुई हो। इसलिए युद्ध समाप्त होने पर भारतीय पूंजीपति वर्ग की इस मांग ने हृद से ज्यादा जोर पकड़ लिया कि भारत का औद्योगीकरण होना चाहिए और

पूजीपतियों को अपनी पूंजी लगाने के नये मौक़े मिलने चाहिए। भारत का बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास करने के लिए अनेक गैर-सरकारी योजनाएं तैयार की गयीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध वह योजना है जिसे टाटा ग्रुप के प्रतिनिधियों और दूसरे बड़े पूंजीपतियों ने पेश किया था, और जो आम तौर पर बम्बई-योजना कहलाती है। अपनी अनेक कमजोरियों के बावजूद इस योजना ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि उसमें भारत के लोगों की अपने देश का औद्योगीकरण करने की जबरदस्त इच्छा की झलक थी।

अतएव, साम्राज्यवाद ने नये युग के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्न किया। अब भारत में ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करने का एक यही तरीका था कि भारत के बड़े पूंजीपति वर्ग से समझौता कर लिया जाय। अब भारतीय औद्योगीकरण पर बाहर से नहीं, बल्कि अन्दर से हमला करने के लिए तैयारी आवश्यक थी। अब केवल भारतीय इजारेदारों की मदद से ही भारत को अंग्रेजी माल के बाजार के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता था।

सर आर्किबाल्ड रोलेड्स ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक सम्बंध भविष्य में कैसे भी रहे, यह दोनों के हित में है कि "उद्योग-धंधों, व्यापार तथा संस्कृति के क्षेत्रों में उनके सम्बंध को पहले से अधिक घनिष्ठ बनाया जाय।" लार्ड वेवेल ब्रिटेन के पूंजीपतियों को यह आश्वासन देते थे कि १९३५ के इंडिया ऐक्ट में "व्यापारिक हितों की सुरक्षा" की जो धाराएं हैं, वे हटायी नहीं जायेंगी। उसके साथ-साथ उन्होंने यह मत भी प्रकट किया कि भविष्य में अंग्रेजों के आर्थिक हितों की पूर्ण सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय यह है कि भारत और ब्रिटेन के पूंजीपति साझे में व्यवसाय करें।

१९४५ के बाद से ही भारतीय तथा अंग्रेज इजारेदारों के बीच, और भारतीय तथा अमरीकी इजारेदारों के बीच भी, बहुत से सौदे होते आये थे। जून १९४५ में विइला ब्रदर्स लिमिटेड और इंग्लैंड के नफ़ील्ड ग्रुप के बीच एक समझौता हुआ। दिसम्बर १९४५ में टाटा ग्रुप और इम्पीरियल कॅमिकल इंडस्ट्रीज के बीच इसी तरह का एक समझौता हुआ। बिडला-स्टूडेबेकर समझौते, बालचन्द-क्राइस्तर समझौते और नेगनल रेयोन कार्पोरेशन की स्थापना के रूप में इसी प्रकार भारतीय और अमरीकी पूंजीपतियों के साझे में व्यवसाय करने की व्यवस्था की गयी।

भारत के बड़े और मझोले दजे के पूंजीपतियों के साथ इन तरह के सौदे करने के अलावा, अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने योजना बनायी थी कि वे भारत के तानाशाही देसी राज्यों का विकास भविष्य के अपने मुख्य धड़ों के रूप में करेंगे। अप्रैल १९४५ में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के बारे में जो निकाता था, उसमें देसी राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए विशेष

की गयी थी। भारतीय नरेन्द्र-मंडल के मंत्री मीर मकबूल अहमद ने कहा था : “देशी रियासतों का विकास करने के मामले में भारतीयों और अंग्रेजों के सार्थक में काम करने की बड़ी सम्भावनाएं हैं।”

कई देशी रियासते मैदान में आ भी गयी थी और उन्होंने अंग्रेज पूजा-पतियों से साझा कर लिया था। हैदराबाद राज्य ने अपनी गोदावरी घाटी योजना का ऐलान किया था। उसमें लगनेवाली कुल पूजा का ४० से लेकर ७० प्रतिशत तक भाग अंग्रेजों ने देने को कहा था। श्रावणकोर राज्य के रेत में बहुमूल्य थोरियम बहुत मिलता है। उसने थोरियम का विकास करने का पूरा अधिकार एक अंग्रेज कम्पनी के हाथों बेच दिया।

इस प्रकार, साम्राज्यवाद यह कोशिश कर रहा था कि भारत की धरती में अंग्रेजी बक-पूजा की जड़ें और भी गहरे तक पहुंचा दें ताकि भारत में उसका भविष्य पूर्णतया सुरक्षित हो जाय। भारतीय उद्योगपतियों से समझौता करके इस बात की व्यवस्था की जा रही थी कि भारत में लगी हुई ब्रिटिश पूजा हमेशा सुरक्षित रहे, और श्री घनश्यामदास बिड़ला ने, जो भारत के सबसे बड़े इजारेदारों में गिने जाते हैं, कहा था : “मे नहीं समझता कि कभी ब्रिटिश पूजा जन्त की जायेगी। अंग्रेजी कम्पनिया इसी तरह काम करती रहेगी।”

लेकिन इन सौदों और समझौतों से भारत का औद्योगीकरण हरगिज नहीं हो सकता था। जैसा कि बिड़ला तथा नफील्ड और टाटा तथा इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज के दो महत्वपूर्ण सौदों की शर्तों से बिलकुल साफ है, सार्थक की इन दो कम्पनियों के बनने के फलस्वरूप भारत में बुनियादी और भारी उद्योग नहीं खुलेंगे; रासायनिक पदार्थ एक अनिश्चित समय तक इंग्लैंड में ही बनते रहेगे, और एक भारतीय कम्पनी के नाम से भारतीय जनता के हाथ बेचे जायेंगे। इसी प्रकार, भारत में केवल ब्रिटेन में बने औजारों और पुर्जों को जोड़ने के बर्कसाप खोले जायेंगे। जैसा कि २७ दिसम्बर, १९४५ को बाम्बे क्रॉनिकल ने एक सम्पादकीय लेख में कहा था : (इस तरह भारत में) “एक नये प्रकार के स्थिर स्वार्थ पैदा हो जायेंगे, जो इस देश का अच्छी तरह औद्योगीकरण करने के रास्ते में भारी रुकावटें डालेंगे।”

भारतीय और अंग्रेज इजारेदारों के बीच इस तरह के आर्थिक समझौते १९४५ में ही बड़े पैमाने पर होने शुरू हो गये थे। १९४६ में इन सौदों में मितता-जुलता जो राजनीतिक समझौता हुआ और आगे चलकर १९४७ में भारत और पाकिस्तान के डोमोनियनों की जो स्थापना हुई, उसके लिए इन आर्थिक समझौतों ने एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का काम किया था। बड़े-बड़े भारतीय और साम्राज्यवादी इजारेदारों के बीच आर्थिक सहयोग के इन समझौतों का आगे चलकर किस तरह विकास हुआ, यह नयी डोमोनियन सरकारों की आर्थिक

नीति के रूप में देखा जा सकता है; और यह इस बात में भी देखा जा सकता है कि इन सरकारों के संरक्षण में अंग्रेजी तथा अमरीकी पूंजी बढ़ती हुई तेजी के साथ भारत और पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है।

६. भारत में साम्राज्यवाद का परिणाम

जब मार्क्स ने यह कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत में "एक सामाजिक क्रान्ति का कारण बनेगा," तब उनका मतलब एक दोहरी क्रिया से था। एक तो पुरानी समाज व्यवस्था के विनाश की क्रिया; दूसरी, नयी समाज व्यवस्था के लिए भौतिक आधार तैयार करने की क्रिया। ये दोनों क्रियाएं आज भी जारी हैं, हालांकि साम्राज्यवाद की नयी मंजिलों की विशेषताओं के सामने उनका महत्व फीका पड़ गया है। साम्राज्यवाद की नयी मंजिलें उस पुरानी क्रिया से ही पैदा हुई हैं। हाथ से चलनेवाले पुराने उद्योगों के चौपट हो जाने का एक नतीजा आज भी इस शक्ति में देखा जा सकता है कि औद्योगिक मजदूरों की संख्या बराबर कम होती जा रही है। साम्राज्यवाद की प्रारम्भिक विकास हुआ है, मगर बहुत ही धीरे-धीरे।

लेकिन आज इसी क्रिया के जारी रहने के फलस्वरूप एक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है। भारत में उत्पादक शक्तियों के बड़े पैमाने पर विकास करने और साम्राज्यवाद स्तर तक पहुँचने के लिए परिस्थितियाँ परिपक्व हो गयी हैं। पहले भारत में अंग्रेजों के पूंजीवादी प्रभुत्व ने अज्ञान में एक क्रान्तिकारी भूमिका भेदा की थी। पर अब क्रान्तिकारी भूमिका की बात तो दूर रही साम्राज्यवाद उत्पादक शक्तियों के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है और भारत की प्रतिक्रियावादी धार्मिक तथा सामाजिक शक्तियों के साथ जुड़ गया है।

इसलिए, साम्राज्यवाद काल में भारतीय समाज की सभी प्रगतिशील शक्तियों के लिए तथा उस दक्षिणावृत्ती धार्मिक व्यवस्था को खतम करने के लिए, जिसे साम्राज्यवाद ने कायम रख छोड़ा है और जिसकी वह हिफाजत करता है, एक अधिकारिक शक्तिशाली राष्ट्रीय आन्दोलन में एकजूट हो रही हैं। यह संपर्क सेती के संकट के रूप में प्रकट होता है, जो इस बात का मापदंड है कि साम्राज्यवादी धर्म-व्यवस्था कितनी दिवालिया हो गयी है, और जो निर्णायक परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति का काम करता है।

सातवां अध्याय

खेती का संकट

भारत की मौजूदा समाज-व्यवस्था, जो साम्राज्यवादी शासन के अन्तर्गत विकसित हुई है, जनता के जीवन के लिए गला घोटनेवाला शिकंजा बन गयी है। इस व्यवस्था की नींव का पता लगाने के लिए खेती के सम्बंधों के क्षेत्र में चलना होगा। परिवर्तन की अत्यन्त शक्तिशाली प्रेरक शक्तियां भी इसी क्षेत्र में पैदा हो रही हैं और बल-संचय कर रही हैं। ये शक्तियां मौजूदा समाज-व्यवस्था को बदल डालेंगी और एक नयी व्यवस्था के लिए रास्ता खोल देंगी। लेकिन खेती की समस्या को देश की साधारण अर्थ-व्यवस्था से अलग करके उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। जब १९२६ में खेती की जांच करने के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी हिदायतों में उसे यह चेतावनी दी थी कि “भूमि के स्वामित्व तथा जोतों की मौजूदा व्यवस्था के विषय में, अपना मालगुजारी तथा भावपासी के बन्दोबस्त की मौजूदा प्रणाली के बारे में कोई सिफारिश करना कमीशन के क्षेत्र के बाहर होगा।” यह तो वैसे ही हुआ जैसे हेम्लेट नाटक में से डेनमार्क के राजकुमार को निकाल दिया जाय।

खेती के मौजूदा संकट के पीछे जो बुनियादी सवाल काम कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :

(१) खेती पर भावादी का जरूरत से ज्यादा दबाव, क्योंकि लोगों के लिए दूमरे आर्थिक रास्ते सब बन्द हैं;

(२) जमीन के इजारे का असर और किसानों पर जो तरह-तरह के बोझ लदे हुए हैं, उनका प्रभाव;

(३) खेती के कोशल का नीचा स्तर और उसके विकास को रोकनेवाले कारण;

(४) औपनिवेशिक तथा अर्ध-औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था की परिस्थितियों के कारण खेती में ठहराव भा जाना और उसका पतन होने लगना;

(५) किसानों की अधिकाधिक तेजी से बढ़ती हुई गरीबी, जोतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटते जाना, और आम पमाने पर किसानों के खेतों का उनके हाथों से निकलते जाना;

(६) इस सबके परिणामस्वरूप किसानों में वर्ग-भेदों का बढ़ना और उसके कारण किसानों की एक बढ़ती हुई संख्या का, जो कहीं-कहीं तो एक-तिहाई से लेकर आधी तक पहुंच जाती है, भूमिहीन सर्वहारा की हालत में पहुंच जाना।

इन तमाम कारणों का अध्ययन करके ही खेती के संकट का कोई हल निकाला जा सकता है।

१. खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव

भारत में आबादी का अधिकतर भाग खेती पर निर्भर करता है; मगर पश्चिमी योरप के उन देशों में, जहां काफ़ी औद्योगीकरण हो चुका है, बिलकुल दूसरी हालत है। अक्सर इस फर्क को इस तरह पेश किया जाता है जैसे यह कोई प्राकृतिक घटना हो; इससे भारतीय समाज के पिछड़े हुए स्वरूप का प्रमाण मिलता है, और इसलिए जिसकी वजह से हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इस समाज में किसी परिवर्तन का सुभाव देने के पहले ख़ुब सोच-समझ लिया जाय।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण १९१८ की मांट्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट का यह अंश है: "यदि पूरे भारत को लिया जाय तो २२ करोड़ ६० लाख आदमी धरती के सहारे जीते हैं, और २० करोड़ ८० लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपनी या औरों की जमीन को जोत-चोकर जीविका कमाते हैं।" १९३० की साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ऊपर का यह अंश उद्धृत करने के बाद यह आशाजनक निष्कर्ष निकाला गया था कि इस कारण परिवर्तन "सचमुच बहुत ही धीरे-धीरे होना चाहिए।"

साम्राज्यवाद परिस्थिति का सदा यही भोंडा चित्र पेश करता है। उससे यह बात कभी प्रकट नहीं होने पाती कि आबादी के तीन-चौथाई भाग के एकमात्र धंधे के रूप में खेती पर आज जो हद से ज़्यादा बड़ा दबाव, असंतुलित और अप-व्ययी दबाव दिखाई देता है, वह इस पमाने पर केवल आधुनिक काल में ही दिखाई पड़ा है और सीधे-सीधे साम्राज्यवादी शासन का परिणाम है। अंग्रेज़ी राज्य में आबादी का खेती पर निर्भर करनेवाला भाग बराबर बढ़ता गया है। यह इस बात का सूचक है कि साम्राज्यवाद के आने के पहले उद्योग-धंधों और खेती के बीच जो संतुलन था, वह नष्ट हो गया है और भारत साम्राज्यवाद का खेतिहर पिछलग्गू बनकर रह गया है।

असली बिन्न पिछले पचास वर्षों की जन-गणना की सरकारी रिपोर्टों में मिलता है। १८६१ में आबादी का ६१.१ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर था; १९०१ में ऐसे लोगों की संख्या ६६.५ प्रतिशत हो गयी, १९११ में ७२.२ प्रतिशत और १९२१ में ७३.० प्रतिशत। १९३१ की जन-गणना में ऐसे लोगों की संख्या ६५.६ प्रतिशत दिखायी गयी है। लेकिन संख्या सचमुच कम नहीं हुई थी, केवल वर्गो-करण के तरीके में थोड़ा परिवर्तन हो जाने से यह दिखावटी कमी हो गयी थी। और १९३१ की जन-गणना के बाद सरकारी संख्या फिर बढ़ गयी और १९५१ में ६५.६ से बढ़कर ६९.८ हो गयी।

खेती पर इस तरह दबाव बढ़ने के साथ-साथ, उन लोगों की संख्या कम होती गयी है जो उद्योग-धंधों पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या १९११ में कुल आबादी की ५.५ प्रतिशत थी; वह १९३१ में ४.३ प्रतिशत रह गयी। १९४१ में लड़ाई का जमाना होने के कारण वह थोड़ी बढ़ गयी थी और ५.१ प्रतिशत हो गयी थी, लेकिन १९५१ में फिर ४.६ प्रतिशत रह गयी। १९११ में अविभाजित भारत की आबादी ३१ करोड़ ५० लाख थी। उसमें से १ करोड़ ७५ लाख आदमी उद्योग-धंधों में काम करनेवाले मजदूर थे; जब कि १९५१ में भारत सभ की आबादी ३५ करोड़ ६० लाख हो जाने पर भी वहाँ केवल १ करोड़ ६७ लाख मजदूर उद्योग-धंधों में काम करते थे। इससे पता चलता है कि "अनुद्योगीकरण" की सत्यानासी क्रिया अब भी जारी है। अर्थात्, हाथ से चलनेवाले पुराने उद्योग-धंधे नष्ट हो गये हैं, लेकिन उनकी जगह लेने लायक आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप खेती पर आबादी का दबाव बराबर बढ़ता जा रहा है।

इसके साथ-साथ खाने-पीने की चीजों की फसलों के मुकाबले में देश से बाहर जानेवाली अन्य चीजों की फसलों की पैदावार बढ़ गयी है। १८६२-६३ और १९१६-२० के बीच खाने-पीने की चीजों की फसलों के रकबे में केवल ७ प्रतिशत की बढ़ती हुई, जब कि अन्य चीजों की फसलों का रकबा इसी अरसे में ४३ प्रतिशत बढ़ गया।

२. खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव के नतीजे

खेती पर दबाव बढ़ जाने का यह मतलब होता है कि भारत की मौजूदा पिछड़ी हुई खेती को एक बढ़ती हुई आबादी के हर बरस पहले से बड़े भाग को जीविका के साधन देने पड़ते हैं।

दूसरी ओर, जमीन के इजारे तथा किसानों की पीठ पर लदे हुए शोषण के असहनीय बोझ के कारण खेती का विकास ऐसे बधनों में जकड़ कर रह गया

है जो खेती का गला घोटें डाल रहे हैं, और इस कारण मौजूदा ढंग की खेती बढ़ती हुई आवादी को इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अधिकाधिक भ्रामयें होती जाती है।

इसी भवर में फंसकर भारत की खेती दम तोड़ रही है। खेती के बढ़ते हुए संकट के पीछे यही चीज है। इसीका यह परिणाम हों रहा है कि खेती के विकास में ठहराव आ गया है; यहां तक कि खेती पर लदे हुए अराहनीय बोझ के कारण पैदावार के वर्तमान स्तर के भी गिरने के चिन्ह दिखायी दे रहे हैं, और खेती करनेवालों की हालत उबाहु और बरबाद होती जा रही है।

खेती पर बढ़ते हुए दबाव का यह मतलब होता है कि हर खेती करनेवाले को जितनी जमीन मिल सकती है, उसमें बराबर कमी आती जा रही है। १९११ में सर थोमस हॉल्डरनेस्स ने लिखा था :

“भारत की जमीन न सिर्फ़ इस बड़ी भारी आवादी को भोजन देती है, बल्कि उसके एक काफ़ी बड़े हिस्से को उन चीजों की पैदावार भी लिए प्रलग कर दिया गया है जो देश के बाहर भेजने के लिए खोयी जाती हैं...। इस तरह इस्तेमाल होनेवाली जमीन को घटाने पर जो जमीन बचती है... हम देखेंगे कि वह भारत की कुल आबादी के बीच बँट पकड़ की आदमी से ज्यादा नहीं पड़ती। इसलिए, बँट पकड़ की आबादी में जो कुछ पैदा हो पाता है, उसी से भारत की आबादी का जीवण जीव फ़ारस तक कपड़ा भी मिलता है।”

खेती के जितने भी भाँके मिलते हैं, उनमें गारे जाय में जमीन में अत्यधिक दबाव का ही भिन्न सामन सामा है। ये भिन्न तथ्य हैं कि जमीन में कोई इनकार नहीं कर सकता। जमीन जमीन के लिए, जमीन के लिए ही पुरानी घोर बराबर बढ़ती जानेवाली धन का जमीन में मिलता है। जमीन तथ्य केवल एक दिशा में ही मिल सकता है और जब जमीन के लिए ही रूस की खेती के इसी प्रकार के तथ्य ही मिल सकते हैं।

३. खेती में ठहराव और खेती का भ्रामय

किन्तु समस्या यह नहीं है कि भारत में जमीन की ऐसी कमी है जो खेती के विकास में घोर कमी भी पूरी हो ही नहीं सकती। भारत में जमीन की जमीन की कमी पड़ती है, वह इस कारण पैदा हुई है कि आज भी खेती के सामयिक विकास में जमीन मौजूद है, उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जाता। इसकी वजह है कि यह तरह के बंधन घोर विकास की तरफ़ लापरवाही। दूसरे, यह कमी पैदा हुई है कि जिन जमीन पर खेती होती भी है, उन पर जमीन

बहुत नीचा है। इसकी वजह है मौसूदा समाज-व्यवस्था के असह्य बोझ जिन्होंने खेती के कौशल को पंगु बना रखा है, और कौशल की उन्नति तथा बड़े पैमाने के संगठन के रास्ते में आनेवाली अनेक बाधाएं।

भारतीय अर्थशास्त्री आर. के. दास ने १९३० में अनुमान लगाया था कि खेती के लायक देश में जितनी जमीन है, उसका ७० प्रतिशत भाग बेकार पड़ा है और केवल ३० प्रतिशत भाग पैदावार के काम में लाया जाता है। "१९३६-४० में ब्रिटिश भारत में खेती का रकबा" शीर्षक सरकारी आकड़ों से पता चलता था कि उस साल देश में कुल ३५ करोड़ ५० लाख एकड़ जमीन ऐसी थी जिस पर खेती हो सकती थी; लेकिन उसमें से केवल ५६ प्रतिशत जमीन पर ही फसल बोयी गयी थी, १३.२ प्रतिशत जमीन को जोतकर बिना बोये छोड़ दिया गया था, और २७.३ प्रतिशत जमीन खेती के योग्य होने पर भी एकदम बेकार पड़ी थी। १९४६-५० के भारत संघ के आकड़े बताते हैं कि जंगलों को छोड़ देने पर देश में जमीन का कुल रकबा ७१ करोड़ एकड़ था; उसमें से २८ करोड़ ३० लाख एकड़, यानी ४० प्रतिशत पर फसल बोयी गयी थी, ५ करोड़ १० लाख एकड़, यानी ८ प्रतिशत को जोतकर बिना बोये छोड़ दिया गया था, और २३ करोड़ ३० लाख, यानी ३३ प्रतिशत जमीन एकदम खाली पड़ी थी, जिसे जोता भी नहीं गया था।

यह कौसी जमीन थी "जो एकदम खाली पड़ी थी" और "जिसे जोता भी नहीं गया था," और क्या कारण था जो उस पर खेती नहीं की गयी? इस प्रश्न का उत्तर सर जेम्स केड की रिपोर्ट ने १८७६ में ही दे दिया था। उसमें कहा गया था: "देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी बहुत सी अच्छी जमीन बेकार पड़ी है जिस पर जंगल लगे हुए हैं और जिसे साफ करके खेती के योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पूंजी की दरकार होगी और लोगों के पास बहुत कम पूंजी है जो ऐसे कामों में लगा सकें।"

यह काम तो केवल एक सामूहिक संगठन ही कर सकता है और वह भी सरकारी मदद से। लेकिन साम्राज्यवाद ने इस जिम्मेदारी को कभी महसूस नहीं किया। शुरू में ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण के कार्यों की ओर जो लापरवाही दिखायी थी, उसके लिए वह काफी कुख्याति प्राप्त कर चुकी है और भावसं ने तो बहुत दिन पहले उसका उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था: "भारत में अंग्रेजों ने अपने पूर्वाधिकारियों से विरासत में मिले अर्थ तथा युद्ध विभागों की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ओढ़ी, मगर सार्वजनिक निर्माण के कार्यों की जिम्मेदारी की तरफ उन्होंने एकदम लापरवाही बरती। खेती के पतन का यही कारण था..." १८३८ में जी. थोम्पसन ने, १८५४ में सर आर्थर कोटन ने, १८५८ में मोटगोमरी मार्टिन ने और १८५८ में ही जॉन ब्राइट

ने सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के प्रति ईस्ट इंडिया कम्पनी की उदासीनता का उल्लेख किया था।

कोई यह न सोचे कि यह उदासीनता और लापरवाही केवल पुराने जमाने में ही दिखाई गयी थी और बाद के काल में अंग्रेजों का रुख यह नहीं रहा था। इसलिए, यहां बंगाल के सिचार्ड-विभाग की समिति की १९३० की रिपोर्ट का उल्लेख कर देना अनुचित न होगा जिसमें साफ-साफ कहा गया था कि इस प्रान्त के आर्थिक जीवन के लिए नहरों और नदियों का बहुत ही निर्णायक महत्व है, लेकिन उनकी ओर जो लापरवाही दिखायी गयी है, उससे हालत इतनी बिगड़ गयी है कि "अब उसे सम्भाला नहीं जा सकता और यह इलाका लाजिमी तौर पर धीरे-धीरे दलदल और जंगल में बदल जायगा।" १९३१ में पानी के प्रमुख इंजीनियर, सर विलियम विलकोक्स ने बंगाल की सिचार्ड-व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत पर जो मत प्रकट किया था, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। "उन आधुनिक प्रयासों और अप्रसरों की सर विलियम विलकोक्स ने सख्त आलोचना की है, जो हर मुमकिन मौके पर विशेषज्ञों से सलाह लेने तो बैठ जाते हैं, पर जिन्होंने इस सत्यानाशी परिस्थिति में सुधार करने के लिए—जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिगड़ती ही जा रही है—कुछ भी नहीं किया है।"

इसलिए, सरकारी लापरवाही और उसके फलस्वरूप हालत का बराबर बिगड़ते जाना—यह अंग्रेजी राज के केवल पहले डेढ़ सौ बरसों के पुराने इतिहास की ही विशेषता नहीं है। आधुनिक काल में भी यह बात बदस्तूर जारी रही है। १९३० की एक सरकारी रिपोर्ट के शब्दों में "जमीन खेती से निकलती जा रही थी"—और यह ठीक उस वक्त हो रहा था जब कि देश में जमीन की भयानक कमी थी और जितनी जमीन पर खेती हो रही थी उसके लिए किसानों में भयंकर छीना-झपटी चलती थी।

गावों में जरूरत से ज्यादा भीड़ लगाकर खेती करनेवाले भारतीय किसानों को न सिर्फ खेती के लायक जमीन के केवल दो-तिहाई भाग पर ही अपनी फसलें पैदा करनी पड़ती हैं, बल्कि इस सीमित रकम की खेती में भी समाज की परिस्थितियों, किसानों पर लदे कमरतोड़ बोझ, उनकी हृद दर्जों की गरीबी और पिछड़े हुए कौशल का यह मतलब होता है कि उस देश में—जहां जमीन के सहारे जीनेवालों की संख्या सभी देशों से अधिक है—पूरी अर्थ-व्यवस्था के असंतुलन के कारण, उत्पादन का स्तर अन्य किसी भी देश से नीचा है। १९४५ में भारत में गेहूँ की उपज फ्री एकड़ केवल ६७१ पाउंड (अर्थात् लगभग ८ मन १५ ३/४ सेर) थी, जब कि उसी वर्ष अमरीका में गेहूँ की उपज फ्री एकड़ १,०३३ पाउंड (अर्थात् लगभग १३ मन) और फ्रांस में फ्री एकड़ १,००६ पाउंड (अर्थात् लगभग साढ़े १२ मन) थी। भारत में (बर्मा के साथ) धान की पैदावार फ्री

एकड़ ८०५ पाउंड (अर्थात् लगभग १० मन २ $\frac{1}{2}$ सेर) थी, जब कि उसी साल अमरीका में फी एकड़ १,४८२ पाउंड (अर्थात् लगभग १८ मन २१ सेर) और जापान में २,३०७ पाउंड (अर्थात् लगभग २८ मन ३८ $\frac{1}{2}$ सेर) की उपज हुई थी। खेती पर आवादी का जबर्दस्त दबाव और कौशल का पिछड़ापन धर्म के भयानक अपव्यय के रूप में प्रकट होते हैं। भारत में २६ एकड़ जमीन के पीछे एक आदमी खेती करने में लगा हुआ है, जब कि ब्रिटेन में १७ $\frac{3}{4}$ एकड़ और जर्मनी में ५४ एकड़ के पीछे एक आदमी खेती का काम करता है।

लेकिन भारत में कम उपज होने का कारण यह नहीं है कि यहां की धरती प्राकृतिक रूप से ही कम उपजाऊ है। १९३१ की भारतीय सेंट्रल बैंकिंग जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट (मैक्डूगल स्मृतिपत्र) में लिखा है: "कहा जाता है कि भारत की धरती कुदरती तौर पर कम उपजाऊ है। यह बात सही नहीं है। वह कम उपजाऊ हो गयी है, पहले ने ऐसी नहीं थी।" इसके अलावा, इसी स्मृतिपत्र में यह भी कहा गया है कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि "भारत में जमीन के एक हिस्से पर हर साल दो फसल लगायी जाती है। इससे जो फायदा होता है, उससे सूखे से होनेवाला नुकसान पूरा हो जाना चाहिए...। अतः ग्रामीण भारत की गरीबी के लिए यहाँ की धरती जिम्मेदार नहीं है।"

खेती का उत्पादन न सिर्फ आज बहुत नीचे स्तर पर है, बल्कि साम्राज्यवाद का पूरा इतिहास इस बात के प्रमाणों में भरा पड़ा है कि भारत की खेती की उत्पादन-शक्ति बराबर गिरती गयी है। यदि १९३६-३७ से लेकर १९३८-३९ तक का औसत निकाला जाय, तो दूसरे महायुद्ध के पहले भारत में अनाज की फी एकड़ उपज ५७७ पाउंड (यानी, लगभग ७ मन साढ़े ८ सेर) थी, वह १९४४-४५ में ५३३ पाउंड (करीब ६ मन साढ़े २६ सेर) रह गयी, १९४६-५० में ५२० पाउंड (करीब ६ मन २० सेर) हो गयी, और १९५०-५१ में तो वह ४८० पाउंड (करीब ६ मन) पर पहुच गयी।

इस तरह, यदि हम केवल आम परिस्थितियों को देखें और खेती की पैदावार को प्रवृत्तियों पर ही विचार करें, और आगे बढ़ते हुए सामाजिक विरोधों की ओर अभी ध्यान न दें, तो भी हर दृष्टिकोण ने विकास के पूरे इतिहास से यही प्रकट होता है कि भारत की खेती का सकट दिन-ब-दिन अधिक-अधिक गहरा होता जा रहा है। १९६७ के बाद हान के उमाने में जो घटनाएँ हुई हैं, उन पर विचार करने पर भी यही पता चलेगा कि १९५१ के बाद पंच-वर्षीय योजना के मातहत खेती की पैदावार में योड़ी बढ़ती हो जाने के बावजूद, यह मरुट हान होने से अभी बहुत दूर है और उल्टे ओर विकट रूप धारण करता जा रहा है।

इस बढ़ते हुए संकट का कारण प्राकृतिक परिस्थितियाँ नहीं हैं। न ही उसका कारण किसानों में कौशल घबरा धमना का अभाव है। जिन सीमाओं

के भीतर उन्हें काम करना पड़ता है, उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय किसानों में इन युगों का अभाव है। इस संकट का यह कारण भी नहीं है कि भारत के किसान स्वभाव से पिछड़े हुए हैं। नहीं; इस संकट का कारण साम्राज्यवादी शासन और वे सामाजिक सम्बंध हैं जिनको यह शासन कायम रखता है और जिनकी वजह से खेती पर आबादी का दबाव बढ़ता जाता है, जिनकी वजह से खेती के विकास में ठहराव आ गया है और उसका पतन होने लगा है, जिनके कारण अधिकतर किसानों को दिन-ब-दिन बढ़ती हुई परेशानी की जिन्दगी बितानी पड़ती है और आधा पेट खाकर रह जाना पड़ता है, और जिनके फल-स्वरूप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं जिनका एकमात्र परिणाम और एकमात्र हल समाज की जड़ों तक जानेवाली एक क्रान्ति ही हो सकती है। अब आवश्यक है कि खेती के इन सामाजिक सम्बंधों पर विचार किया जाय। उनसे हमें पता चलेगा कि भारतीय क्रान्ति की कौन सी प्रेरक-शक्तियां हैं।

‘आठवाँ अध्याय

किसानों पर बोझ

खेती की पैदावार में जो सकट दिखाई पड़ता है, वह खेती के सामाजिक सम्बंधों के अन्दरूनी संकट का केवल बाहरी स्वरूप है।

साम्राज्यवादी शोषण की परिस्थितियों में तरह-तरह के छोटे मुफ्तखोरों की एक पूरी सेना तैयार हो जाती है, जो पूरी व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं और उसके अभिन्न अंग बन जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल किसानों पर लदा हुआ बोझ बढ़ता जाता है, बल्कि उनमें वर्ग-भेद भी बराबर बढ़ते जाते हैं और अधिकतर किसानों से उनके खेत छिनते जाते हैं। जिन किसानों से जमीन छिन जाती है, उनकी हालत कम्मी या अर्ध-गुलाम किसान जैसी हो जाती है या फिर वे भूमि-विहीन सर्वहारा की बढ़ती हुई सेना में भरती हो जाते हैं। यही वह क्रिया है जो आनेवाले तूफान की सूचना दे रही है।

१. ज़मीन का इजारा

अंग्रेजी राज के पहले भारत में जो परम्परागत भूमि-व्यवस्था कायम थी, उसमें ज़मीन किसानों की समझी जाती थी और सरकार को उपज का एक हिस्सा मिल जाता था—जो हिन्दू राजाओं के राज में बारहवें भाग से लेकर छठे भाग तक हुआ करता था, और जिसे मुगल बादशाहों ने बढ़ाकर एक-तिहाई कर दिया था। जब मुगल साम्राज्य के संबंहरों पर अंग्रेजों ने अपने राज की इमारत खड़ी की, तो उन्होंने ज़मीन की धाय से सरकारी खर्चा चलाने की प्राचीन पद्धति तो अपनायी, पर साथ ही उसका स्वरूप उन्होंने बदल दिया। और ऐसा करके दरप्रसल उन्होंने भारत की भूमि-व्यवस्था को ही बदल डाला। जिस समय उन्होंने शासन की बागडोर संभाली, उस समय तक भारत का पुराना शासन प्रबंध जर्जर और अव्यवस्थित हो चुका था। उस समय किसानों को हद से

ज्यादा चूसा और लूटा जाता था। लेकिन, फिर भी गांव की सामूहिक समाज-व्यवस्था और भूमि के साथ उसका परम्परागत सम्बन्ध, मोटे तौर पर उस वक्त तक नहीं टूटा था। किसानों को जो कुछ राज्य को देना पड़ता था, वह उस वक्त भी वार्षिक उपज का एक हिस्सा ही होता था; और पैदावार चाहे कम हो या ज्यादा, हर साल एक निश्चित जोत की एक निश्चित मालगुजारी देने की प्रथा अभी नहीं जारी हुई थी।

अव्यवस्था और अराजकता के असामान्य काल में किसानों को जिस बुरी तरह चूसा जाता था, वह नये विजेताओं को सामान्य ढंग मालूम पड़ा। उन्होंने समझा कि भारत में किसानों को कसकर चूसने का ही चलन है और उन्होंने इसीसे धुरुआत की। उस काल के डॉ. ब्रुकानन, बिदाप हेबर, घौम्पसन और गैरट जैसे लेखकों की रचनाओं से मालूम पड़ता है कि धुरु में नये शासकों में पहले से ज्यादा वसूल करके दिखाने की प्रवृत्ति काम कर रही थी, या शायद वसूलवादी की पहले से अधिक कुशल और कारगर व्यवस्था के कारण किसान पहले से ज्यादा चूसे जाने लगे थे। १६२१ में डॉ. हैरोल्ड मैन ने दकन के एक गांव के हर तरह के झंझड़े जमा किये। उन्होंने पाया कि झंग्रेजों के पहले किसानों से ली जानेवाली मालगुजारी और झंग्रेजी राज कायम हो जाने के बाद ली जानेवाली मालगुजारी में बहुत फर्क है। उन्होंने लिखा : "झंग्रेजों द्वारा जोत लिये जाने के बाद (गांव की) हालत एकदम बदल गयी, जब कि १८२३ में २,१२१ रुपये की मालगुजारी वसूल की गयी जो न पहले कभी सुनी गयी थी, न देखी गयी थी, और गांव का खर्चा १८१७ का आधा रह गया।"

बंगाल में, मुगल बादशाह के प्रतिनिधियों के शासन का अंतिम वर्ष १७६४-६५ था। उस साल वहां ८१८,००० पौंड की मालगुजारी वसूल हुई थी। जब बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में आयी तो उसने पहले साल ही, १७६५-६६ में मालगुजारी को बढ़ाकर १,४७०,००० पौंड कर दिया। १७६३ में बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त हुआ। उस साल कम्पनी ने ३,०६१,००० की मालगुजारी वसूल की।

कम्पनी अपने पूरे राज से जो मालगुजारी वसूल करती थी, वह कुल मिलाकर १८००-०१ में ४२ लाख पौंड हुई थी और १८५७-५८ तक, जब भारत के शासन की बागडोर कम्पनी से लेकर पुद्द ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में सभाली, वह बढ़कर १५३ लाख पौंड हो गयी थी (यह बढ़ती ज्यादातर इलाका बजने से हुई थी, लेकिन साथ ही मालगुजारी की बढ़ी हुई दर भी उसका एक कारण थी)। ब्रिटिश सरकार के सीधे शासन में मालगुजारी की रकम बढ़कर १९००-०१ में १७५ लाख पौंड और १९११-१२ में २०० लाख पौंड हो गयी। १९३६-३७ में मालगुजारी २३६ लाख पौंड हो गयी थी।

आधुनिक काल में ज़मीन के जो बंदोबस्त हुए हैं, उनके आंकड़ों को देखने पर लगेगा कि ब्रिटेन की राज के शुरू के ज़माने के मुकाबले में वाद में उपज का पहले से कम भाग किसान से लिया जाने लगा था। लेकिन उस वक्त तक शोषण के दूसरे तरीकों का महत्व इसी अनुपात में बढ़ गया था। पुराने ज़माने के सीधे वसूल किये जानेवाले खिराज की जगह पर—जिसका कि मुख्य आधार किसानों से ली जानेवाली मालगुजारी थी—आधुनिक बंक-पूजी के तरह-तरह के शोषण के रूपों का जाल देश में बिछ गया था और उसके कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था में छोटे मुफ्तखोरो की एक पूरी सेना पैदा हो गयी थी। फिर भी, आधुनिक काल में हर नये बंदोबस्त के समय मालगुजारी की दर को बढ़ा देने की ही प्रवृत्ति नज़र आती है, जिसके फलस्वरूप जन-विद्रोह के आन्दोलन जन्म लेते हैं। १९२८ में कांग्रेस के नेतृत्व में नये बंदोबस्त के ज़रिए मालगुजारी बढ़ा देने के खिलाफ वारदोली में ८७,००० किसानों का एक संयुक्त आन्दोलन चला। इससे मजबूर होकर सरकार को यह मानना पड़ा कि मालगुजारी बढ़ाना अनुचित था और उसने उसकी दर कम कर दी।

२. भूमि-व्यवस्था में रूपान्तर

शुरू के ज़माने में मालगुजारी की दर में जो बढ़ती हुई, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत के ब्रिटेन की द्वारा जीत लिये जाने के बाद वहाँ की भूमि-व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। ब्रिटेन के आने से पहले भारत में एक परम्परा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा "राजा का भाग" माना जाता था जो सभके में खेती करनेवाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गाँव का सुद प्रबंध करनेवाला ग्रामीण समाज, खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। मानाना पैदावार के घटने-बढ़ने के साथ "राजा का भाग" भी अपने-आप घट-बढ़ जाता था। ब्रिटेन ने इस पुरानी परम्परा को खत्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तै की जाती थी, और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज्यादा, जो रकम पहले से तै कर दी गयी थी वही वसूल की जाती थी। और ज्यादातर मालगुजारी प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष व्यक्तियों पर लगायी गयी थी, जो या तो सुद खेती करने वाले शासक थे या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जमींदार थे। इनके बाद भी जो कसर बची थी, वह भारत में इंग्लैंड के डग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूँजीवादी कानून व्यवस्था जारी करने की पूरी कर दी गयी। यह भारी भरकम व्यवस्था भारत की अर्थ-व्यवस्था के लिए एक बिल्कुल परदेसी थी; और

और इस व्यवस्था को देश पर लागू करती थी एक ऐसी विदेशी नौकरशाही— जो कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना, ये तीनों काम करती थी। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर अन्तिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की जमीन पर लगान देकर खेती करनेवाला बन गया। लगान न देने पर उसे जमीन से बेदखल किया जा सकता था। या, अंग्रेजी सरकार ने जमीनें कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने जमींदार नामजद करना पसन्द किया। ये लोग भी सरकार की मर्जी से ही जमीन के मालिक थे और मालजुदारी न देने पर उनसे भी सारी जमीन छीन ली जा सकती थी। पुराने जमाने में अपना प्रबंध अपने-आप करनेवाले ग्रामीण समाज के पास अब न तो कोई शासन-सम्बन्धी काम रह गया और न कोई आर्थिक काम। दोनों तरह के अधिकार उससे छीन लिये गये और जो जमीन पहले पूरे गांव की सामूहिक सम्पत्ति समझी जाती थी, वह ज्यादातर अलग-अलग व्यक्तियों में बांट दी गयी।

इस प्रकार, औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद जो-जो काम करता है, वे सारे काम भारत में बड़ी बेरहमी के साथ और बड़े मुकम्मिल ढंग से किये गये। किसान जमीन के मालिक नहीं रहे, बल्कि लगान देकर दूसरे की जमीन पर खेती करनेवाले काश्तकार बन गये; और जब यह क्रिया और आगे बढ़ी तो किसानों का एक बड़ता हुआ हिस्सा भूमि-हीन खेत-मजदूरों में या ग्रामीण सर्वहारा के नये वर्ग में शामिल होता गया; और यहां तक कि खेती पर निर्भर रहनेवाला आबादी का एक-तिहाई से ज्यादा भाग खेत-मजदूर बन गया। मार्क्स ने प्रैसल में इसी परिवर्तन की शुरू की मजिलों का हवाला दिया था; जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि “इन छोटे-छोटे आर्थिक संगठनों को छिन्न-भिन्न करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में शासकों और जमींदारों के रूप में अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत दोनों का एक साथ इन्तेभाल किया।” इसके साथ मार्क्स ने यह फुटनोट भी जोड़ा था : “बंगाल में उन्होंने इंग्लैंड को जमींदारी प्रथा की एक भोड़ी नकल बड़े पैमाने पर सड़ी की, दक्षिण-पूर्व भारत में उन्होंने लगान पर उठाये गये छोटे-छोटे खेतों की ‘एलोटमेंट प्रथा’ जारी की और उत्तर-पश्चिम में उन्होंने भारतीय गांवों के पचासवीं समाज को, जिसमें जमीन सब की माने की सम्पत्ति हुआ करती थी, इस तरह बदल डालने का प्रयत्न किया कि यह खुद अपना ही व्यंग-चिद बन जाय।”

३. ज़मींदारी प्रथा का जन्म

पश्चिमी विजेताओं ने भारत में ज़मीन का बन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने की कोशिश की कि इंग्लैंड की ज़मींदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहाँ जारी कर दी जाय। १७६३ में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो मशहूर इस्तमरारी बन्दोबस्त किया था, वह इसी ढंग का था। बाद में, मद्रास प्रान्त के उत्तरी हिस्सों में भी इसी तरह का बन्दोबस्त किया गया। इन प्रान्तों में पहले से ज़मींदार चले आते थे, लेकिन वे ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि कर या मालगुजारी वमूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इन प्रान्तों के पुराने शासकों ने नियुक्त किया था। जितनी मालगुजारी वे वसूल करते थे, उसके हिसाब से उन्हें उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। अंग्रेज़ी सरकार ने इन ज़मींदारों को सदा-सदा के लिए ज़मीन का मालिक बना दिया और तै कर दिया कि उन्हें सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं।

उस ज़माने में ये शर्तें ज़मींदारों और काश्तकारों के लिए बहुत सस्त और तकलीफ़देह और सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी। सरकार ने तै कर दिया था कि अब मे बंगाल के ज़मींदार हर साल ३० लाख पौंड किसानों से वमूल करके उसे दिया करेंगे। पुराने शासकों के राज में ज़मींदार सरकार के लिए जो कुछ वमूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज्यादा थी। बहुत से पुराने ज़मींदार परिवारों ने इस नये ज़माने में भी अपना पुराना ढंग बरतना चाहा और मुत्सिवत के बन्धु किसानों पर कुछ रहम दिखाया और वसूली में उनके साथ दिलाई की। ये लोग मालगुजारी की पहलू से निश्चित रकम के बोझ को नहीं उठा सके और फौरन उनकी ज़मींदारिया नीताम कर दी गयी। और तब एक नयी तरह की जीकों ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन ज़मींदारियों को खरीद लिया जो किसानों की आखिरी छद्राम तक छीन लेने के लिए नीच से नीच हथकंडों को इस्तेमाल करने में भी न हिचकिचाते थे। ऐसा था वह "भद्र ज़मींदारों" का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोबस्त का प्रधान लक्ष्य था।

बाद को यह व्यवस्था उल्टी दिशा में काम करने लगी और उसने ऐसे नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भी न की थी। एक तरफ, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ़, ज़मींदार किसानों का लगान बराबर बढ़ाते गये। इन दोनों बातों का यह नतीजा हुआ कि दश लूट में सरकार का हिस्सा, जो हमेशा के लिए ३० लाख पौंड तै हो चुका था, ज़मींदारों के मुकाबले में बराबर गिरता गया और ज़मींदारों का हिस्सा बढ़ता गया।

जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त की हर ओर से आलोचना और बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, बल्कि जमींदारों को छोड़कर बाक़ी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी बन्दोबस्त का विरोध करने लगी, यहाँ तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्दा करने लगे। साम्राज्यवाद के आधुनिक समर्थक यह सफ़ाई देने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा बन्दोबस्त ग़लती से हो गया था और ग़लती इसलिए हुई थी कि उस समय के अंग्रेज़ हाकिमों को यह नहीं मालूम था कि भारत में जमींदार लोग ज़मीन के मालिक नहीं थे। लेकिन यह परियों की कहानी सरासर भ्रूठ है। उस ज़माने की दस्तावेज़ों को देखने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि लार्ड कानिंगहाम और उस काल के दूसरे अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह बात बिलकुल साफ़ थी कि वे जमींदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, और वे यह भी अच्छी तरह समझते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर रहे हैं। अंग्रेज़ शासकों का विचार था कि अंग्रेज़ों की एक बहुत ही छोटी सी सख्या को चूँकि भारत की इतनी विशाल आबादी को दबाकर रखना पड़ता है, इसलिए उनके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके अपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करें। यह वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसे भारत की लूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे और इसलिए जिसका स्वायं भारत में अंग्रेज़ी राज को कायम रखने में हो। यही कारण था कि जब भारत की जनता स्वतंत्रता के लिए सपर्यं कर रही थी, और किसानों के मधुप राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त में जमींदार सभ, जमींदार एसोसियेशन, या ऐसी ही दूसरी संस्थाएं अंग्रेज़ी राज की जफ़ादारी की कसमें खाया करती थी। इसका एक उदाहरण १९२५ में वायसरॉय को बंगाल लेंडमोनर (जमींदार) एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया अभिनन्दन-पत्र है। उसमें कहा गया था : "महामहिम, इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जमींदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे और सच्चे दिल से उसकी न्यायता करेंगे।"

इस्तमरारी बन्दोबस्त के सिलसिले में जो "ग़लतियाँ" एक बार हो गयी थीं, उन्हें फिर दोहराया नहीं गया। इसके बाद जो जमींदारी ढग के बन्दोबस्त किये गये, वे सब "भारती" थे—यानी, कुछ सान के धरने के बाद ज़मीन का नये भिरे से बन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी मातयुजारी बढ़ाती जाय।

इस्तमरारी बन्दोबस्त के बाद जो नाल आरम्भ होता है, उसमें मुर्दा इनाज़ों में एक नया तरीक़ा अपनाया गया, जिसे रेंटवारी बन्दोबस्त का नाम दिया गया था। यह बन्दोबस्त ग़बने पहले मद्रास में शुरू हुआ। उसका धर

३. ज़मींदारी प्रथा का जन्म

पश्चिमी विजेताओं ने भारत में ज़मीन का बन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने की कोशिश की कि इंग्लैंड की ज़मींदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहाँ जारी कर दी जाय। १७६३ में लार्ड कानॉनवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो मशहूर इस्तमरारी बन्दोबस्त किया था, वह इसी ढंग का था। बाद में, मद्रास प्रान्त के उत्तरी हिस्सों में भी इसी तरह का बन्दोबस्त किया गया। इन प्रान्तों में पहले से ज़मींदार चले आते थे, लेकिन वे ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि कर या मालगुजारी वसूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इन प्रान्तों के पुराने शासकों ने नियुक्त किया था। जितनी मालगुजारी वे वसूल करते थे, उसके हिस्सा से उन्हें उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। अंग्रेज़ी सरकार ने इन ज़मींदारों को सदा-सदा के लिए ज़मीन का मालिक बना दिया और तै कर दिया कि उन्हें सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं।

उस ज़माने में ये शर्तें ज़मींदारों और काश्तकारों के लिए बहुत सख्त और तकलीफदेह और सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी। सरकार ने तै कर दिया था कि अब से बंगाल के ज़मींदार हर साल ३० लाख पौंड किसानों से वसूल करके उसे दिया करेंगे। पुराने शासकों के राज में ज़मींदार सरकार के लिए जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज्यादा थी। बहुत से पुराने ज़मींदार परिवारों ने इस नये ज़माने में भी अपना पुराना ढंग बरतना चाहा और मुसीबत के वक्त किसानों पर कुछ रहम दिखाया और वसूली में उनके साथ ढिलाई की। ये लोग मालगुजारी की पहले से निश्चित रकम के बोझ को नहीं उठा सके और फौरन उनकी ज़मींदारियां नीलाम कर दी गयीं। और तब एक नयी तरह की जीको ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन ज़मींदारियों को खरीद लिया जो किसानों की आखिरी छद्राम तक छीन लेने के लिए नीच से नीच हथकड़ों को इस्तेमाल करने में भी न हिचकिचाते थे। ऐसा था वह "भद्र ज़मींदारों" का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोबस्त का प्रधान लक्ष्य था।

बाद को यह व्यवस्था उल्टी दिशा में काम करने लगी और उससे ऐसे नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भी न की थी। एक तरफ़, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ़, ज़मींदार किसानों का लगान बराबर बढ़ाते गये। इन दोनों बातों का यह नतीजा हुआ कि इस लूट में सरकार का हिस्सा, जो हमेशा के लिए ३० लाख पौंड तै हो चुका था, ज़मींदारों के मुकाबले में बराबर गिरता गया और ज़मींदारों का हिस्सा बढ़ता गया।

जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त की हर ओर से आलोचना और बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, बल्कि जमींदारों को छोड़कर बाकी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी बन्दोबस्त का विरोध करने लगी, यहाँ तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्दा करने लगे। साम्राज्यवाद के आधुनिक समर्थक यह सफाई देने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा बन्दोबस्त गलती से हो गया था और गलती इसलिए हुई थी कि उस समय के अंग्रेज हाकिमों को यह नहीं मालूम था कि भारत में जमींदार लोग जमीन के मालिक नहीं थे। लेकिन यह परियों की कहानी सरासर झूठ है। उस जमाने की दस्तावेजों को देखने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि लार्ड कार्नवालिस और उस काल के दूसरे अंग्रेज राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह बात विलकुल साफ थी कि वे जमींदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, और वे यह भी अच्छी तरह समझते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर रहे हैं। अंग्रेज शासकों का विचार था कि अंग्रेजों की एक बहुत ही छोटी सी सख्या को चूँकि भारत की इतनी विशाल आबादी को दबाकर रखना पड़ता है, इसलिए उनके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके अपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करें। यह वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसे भारत की लूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे और इसलिए जिसका स्वार्थ भारत में अंग्रेजी राज को कायम रखने में हो। यही कारण था कि जब भारत की जनता स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष कर रही थी, और किसानों के सघर्ष राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त में जमींदार संघ, जमींदार एसोसियेशन, या ऐसी ही दूसरी संस्थाएँ अंग्रेजी राज की बफ़ादारी की कसमें खाया करती थी। इसका एक उदाहरण १९२५ में वायसराय को बंगाल लैंडओनर (जमींदार) एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया अभिनन्दन-पत्र है। उसमें कहा गया था : “महामहिम, इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जमींदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे और सच्चे दिल से उसकी सहायता करेंगे।”

इस्तमरारी बन्दोबस्त के सिलसिले में जो “गलतियाँ” एक बार हो गयी थी, उन्हें फिर दोहराया नहीं गया। इसके बाद जो जमींदारी ढंग के बन्दोबस्त किये गये, वे सब “आरजी” थे—यानी, कुछ साल के अरसे के बाद जमीन का नये सिरे से बन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी मालगुजारी बढ़ाती जाय।

इस्तमरारी बन्दोबस्त के बाद जो काल आरम्भ होता है, उसमें कुछ इलाकों में एक नया तरीका अपनाया गया, जिसे रयतवारी बन्दोबस्त का नाम दिया गया था। यह बन्दोबस्त सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ। उसका सर

३. ज़मींदारी प्रथा का जन्म

पश्चिमी विजेताओं ने भारत में ज़मीन का बन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने की कोशिश की कि इंग्लैंड की ज़मींदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहाँ जारी कर दी जाय । १७६३ में लार्ड कानॉनवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो मसहूर इस्तमरारी बन्दोबस्त किया था, वह इसी ढंग का था । बाद में, मद्रास प्रान्त के उत्तरी हिस्सों में भी इसी तरह का बन्दोबस्त किया गया । इन प्रान्तों में पहले से ज़मींदार चले आते थे, लेकिन वे ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि कर या मालगुजारी वसूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे । उन्हें इन प्रान्तों के पुराने शासकों ने नियुक्त किया था । जितनी मालगुजारी वे वसूल करते थे, उसके हिसाब से उन्हें उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी । अंग्रेजी सरकार ने इन ज़मींदारों को सदा-सदा के लिए ज़मीन का मालिक बना दिया और तै कर दिया कि उन्हें सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं ।

उस ज़माने में ये शर्तें ज़मींदारों और काश्तकारों के लिए बहुत सख्त और तकलीफदेह और सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी । सरकार ने तै कर दिया था कि अब से बंगाल के ज़मींदार हर साल ३० लाख पौंड किसानों से वसूल करके उसे दिया करेंगे । पुराने शासकों के राज में ज़मींदार सरकार के लिए जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज्यादा थी । बहुत से पुराने ज़मींदार परिवारों ने इस नये ज़माने में भी अपना पुराना ढंग बरतना चाहा और मुसीबत के वक्त किसानों पर कुछ रहम दिखाया और वसूली में उनके साथ ढिलाई की । ये लोग मालगुजारी की पहले से निश्चित रकम के बोझ को नहीं उठा सके और फौरन उनकी ज़मींदारियां नीलाम कर दी गयीं । और तब एक नयी तरह की जीकों ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन ज़मींदारियों को खरीद लिया जो किसानों की आखिरी छदाम तक छीन लेने के लिए नीच से नीच हथकड़ों को इस्तेमाल करने में भी न हिचकिचाते थे । ऐसा था वह “भद्र ज़मींदारों” का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोबस्त का प्रधान लक्ष्य था ।

बाद को यह व्यवस्था उल्टी दिशा में काम करने लगी और उससे ऐसे नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भी न की थी । एक तरफ, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ, ज़मींदार किसानों का लगान बराबर बढ़ाते गये । इन दोनों बातों का यह नतीजा हुआ कि इस लूट में सरकार का हिस्सा, जो हमेशा के लिए ३० लाख पौंड तै हो चुका था, ज़मींदारों के मुकाबले में बराबर गिरता गया और ज़मींदारों का हिस्सा बढ़ता गया ।

जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त की हर ओर से आलोचना और बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, बल्कि जमींदारों को छोड़कर बाकी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी बन्दोबस्त का विरोध करने लगी, यहाँ तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्दा करने लगे। साम्राज्यवाद के आधुनिक समर्थक यह सफाई देने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा बन्दोबस्त गलती से हो गया था और गलती इसलिए हुई थी कि उस समय के अंग्रेज हाकिमों को यह नहीं मालूम था कि भारत में जमींदार लोग जमीन के मालिक नहीं थे। लेकिन यह परियों की कहानी सरासर भूठ है। उस जमाने की दस्तावेजों को देखने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि लार्ड कार्नवालिस और उस काल के दूसरे अंग्रेज राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह बात बिलकुल साफ़ थी कि वे जमींदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, और वे यह भी अच्छी तरह समझते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर रहे हैं। अंग्रेज शासकों का विचार था कि अंग्रेजों की एक बहुत ही छोटी सी संख्या को चूँकि भारत की इतनी विशाल आबादी को दबाकर रखना पड़ता है, इसलिए उनके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके अपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करें। यह वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसे भारत की लूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे और इसलिए जिसका स्वार्थ भारत में अंग्रेजी राज को कायम रखने में हो। यही कारण था कि जब भारत की जनता स्वतंत्रता के लिए सघर्ष कर रही थी, और किसानों के सघर्ष राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त में जमींदार सघ, जमींदार एसोसियेशन, या ऐसी ही दूसरी संस्थाएं अंग्रेजी राज की वफादारी की कसमें खाया करती थीं। इसका एक उदाहरण १९२५ में वायसराय को बंगाल लैंडओनर (जमींदार) एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया अभिनन्दन-पत्र है। उसमें कहा गया था : "महामहिम, इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जमींदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे और सच्चे दिल से उसकी सहायता करेंगे।"

इस्तमरारी बन्दोबस्त के सिलसिले में जो "गलतियाँ" एक बार हो गयी थी, उन्हें फिर दोहराया नहीं गया। इसके बाद जो जमींदारी ढग के बन्दोबस्त किये गये, वे सब "आरज़ी" थे—यानी, कुछ साल के अरसे के बाद जमीन का नये सिरे से बन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी मालगुजारी बढ़ाती जाय।

इस्तमरारी बन्दोबस्त के बाद जो काल आरम्भ होता है, उसमें कुछ इलाकों में एक नया तरीका अपनाया गया, जिसे रयतवारी बन्दोबस्त का नाम दिया गया था। यह बन्दोबस्त सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ। उसका सर

३. ज़मींदारी प्रथा का जन्म

पश्चिमी विजेताओं ने भारत में ज़मीन का बन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने की कोशिश की कि इंग्लैंड की ज़मींदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहाँ जारी कर दी जाय। १७६३ में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो मसहूर इस्तमरारी बन्दोबस्त किया था, वह इसी ढंग का था। बाद में, मद्रास प्रान्त के उत्तरी हिस्सों में भी इसी तरह का बन्दोबस्त किया गया। इन प्रान्तों में पहले से ज़मींदार चले आते थे, लेकिन वे ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि कर या मालगुजारी वसूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इन प्रान्तों के पुराने शासकों ने नियुक्त किया था। जितनी मालगुजारी वे वसूल करते थे, उसके हिसाब से उन्हें उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। अंग्रेज़ी सरकार ने इन ज़मींदारों को सदा-सदा के लिए ज़मीन का मालिक बना दिया और तै कर दिया कि उन्हें सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं।

उस ज़माने में ये शर्तें ज़मींदारों और काश्तकारों के लिए बहुत सख्त और तकलीफ़देह और सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी। सरकार ने तै कर दिया था कि अब में बंगाल के ज़मींदार हर साल ३० लाख पौंड किसानों से वसूल करके उसे दिया करेंगे। पुराने शासकों के राज में ज़मींदार सरकार के लिए जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज्यादा थी। बहुत से पुराने ज़मींदार परिवारों ने इस नये ज़माने में भी अपना पुराना ढंग बरतना चाहा और मुसीबत के वक्त किसानों पर कुछ रहम दिखाया और वसूली में उनके साथ ढिलाई की। ये लोग मालगुजारी की पहले से निश्चित रकम के बोझ को नहीं उठा सके और फौरन उनकी ज़मींदारियां नीलाम कर दी गयीं। और तब एक नयी तरह की जीकों ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन ज़मींदारियों को खरीद लिया जो किसानों की आखिरी छद्दाम तक छीन लेने के लिए नीच से नीच हथकंडों को इस्तेमाल करने में भी न हिचकिचाते थे। ऐसा था वह “भद्र ज़मींदारों” का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोबस्त का प्रधान लक्ष्य था।

बाद को यह व्यवस्था उल्टी दिशा में काम करने लगी और उससे ऐसे नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भी न की थी। एक तरफ़, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ़, ज़मींदार किसानों का लगान बराबर बढ़ाते गये। इन दोनों बातों का यह नतीजा हुआ कि इस लूट में सरकार का हिस्सा, जो हमेशा के लिए ३० लाख पौंड तै हो चुका था, ज़मींदारों के मुकाबले में बराबर गिरता गया और ज़मींदारों का हिस्सा बढ़ता गया।

जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त की हर ओर से आलोचना और बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, बल्कि जमींदारों को छोड़कर बाकी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी बन्दोबस्त का विरोध करने लगी, यहाँ तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्दा करने लगे। साम्राज्यवाद के आधुनिक समर्थक यह सफ़ाई देने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा बन्दोबस्त ग़लती से हो गया था और ग़लती इसलिए हुई थी कि उस समय के अंग्रेज़ हाकिमों को यह नहीं मालूम था कि भारत में ज़मींदार लोग ज़मीन के मालिक नहीं थे। लेकिन यह परियों की कहानी सरासर मूठ है। उस ज़माने की दस्तावेज़ों को देखने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि लार्ड कार्नवालिस और उस काल के दूसरे अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह बात बिलकुल साफ़ थी कि वे ज़मींदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, और वे यह भी अच्छी तरह समझते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर रहे हैं। अंग्रेज़ शासकों का विचार था कि अंग्रेज़ों की एक बहुत ही छोटी सी सख्या को चूँकि भारत की इतनी विशाल आबादी को दबाकर रखना पड़ता है, इसलिए उनके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके अपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करें। यह वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसे भारत की सूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे और इसलिए जिसका स्वार्थ भारत में अंग्रेज़ी राज को कायम रखने में हो। यही कारण था कि जब भारत की जनता स्वतंत्रता के लिए सघर्ष कर रही थी, और किसानों के सघर्ष राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त में ज़मींदार संघ, ज़मींदार एसोसियेशन, या ऐसी ही दूसरी संस्थाएँ अंग्रेज़ी राज की वफ़ादारी की कसमें ख़ाया करती थी। इसका एक उदाहरण १९२५ में वायसराय को बंगाल लैंडओनर (ज़मींदार) एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया अभिनन्दन-पत्र है। उसमें कहा गया था : “महामहिम, इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि ज़मींदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे और सच्चे दिल से उसकी सहायता करेंगे।”

इस्तमरारी बन्दोबस्त के सिलसिले में जो “ग़लतियाँ” एक बार हो गयी थी, उन्हें फिर दोहराया नहीं गया। इसके बाद जो ज़मींदारी ढंग के बन्दोबस्त किये गये, वे सब “आरज़ी” थे—यानी, कुछ साल के अरसे के बाद ज़मीन का नये सिरे से बन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी मालगुजारी बढ़ाती जाय।

इस्तमरारी बन्दोबस्त के बाद जो काल आरम्भ होता है, उसमें कुछ इलाकों में एक नया तरीक़ा अपनाया गया, जिसे रयतवारी बन्दोबस्त का नाम दिया गया था। यह बन्दोबस्त सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ। उसका सर

आम बना दिया गया है कि उससे खेती करनेवालों की जोतों के रकबे पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, और इसलिए उससे बड़े किसानों, मंझोले किसानों और छोटे किसानों के भेदों पर पर्दा पड़ जाता है। खास तौर पर इस विभाजन से यह नहीं मालूम होता कि किसानों के उस सबसे बड़े हिस्से की क्या संख्या है जिसके पास अपने गुजर-बसर लायक भी जमीन नहीं है, जिसकी हालत खेत-मजदूरों जैसी हो गयी है और जिसे आम तौर पर खेत-मजदूरों की तरह दूसरों के खेतों में जागर चलाकर जीविका कमानी पड़ती है। व्यवहार में, छोटे शिकमी किसान और खेत-मजदूर में बहुत कम फर्क रह जाता है, इसलिए किसानों की हालत की असली तसवीर पाने के वास्ते हमें आम जन-गणना के आकड़ों के अलावा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रीय तथा स्थानीय खोज और छान-बीन से मिले आकड़ों पर भी विचार करना होगा। और ऐसे आकड़ों से पता चलता है कि खेती न करनेवाले जमींदारों की संख्या में कितनी बढ़ती हुई है, और भूमि-हीन खेत-मजदूरों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है।

उदाहरण के लिए, मद्रास में १९०१ से लेकर १९३१ तक के तीस बरसों में ऐसे लोगों की संख्या, जो कि काम नहीं करते और लगान वसूलते हैं, ढाई-गुनी हो गयी और भूमि-हीन खेत-मजदूर, जो कि पहले खेती पर निर्भर पूरी आबादी के एक-तिहाई थे, इन तीस बरसों में बढ़कर आबादी के आधे हो गये। बंगाल की जन-गणना के आकड़ों से भी यही चित्र सामने आता है कि खेती पर निर्भर करनेवाली पूरी आबादी में बिना कुछ किये लगान वसूलनेवालों और भूमि-हीन खेत-मजदूरों का हिस्सा बढ़ गया है।

सबसे ज्यादा महत्व भूमि-हीन खेत-मजदूरों की संख्या के बढ़ने का है। १८८१ की जन-गणना के पहले इस बात के कोई आंकड़े नहीं मिलते थे कि भारत में भूमि-हीन खेत-मजदूरों की कितनी संख्या है। १८८२ में जन-गणना करनेवालों ने अनुमान लगाया कि खेती में ७५ लाख "भूमि-हीन दिन-मजूर" काम करते हैं। १९२१ की जन-गणना के समय खेत-मजदूरों की संख्या २ करोड़ १० लाख बतायी गयी, जो खेती पर निर्भर करनेवाली पूरी आबादी का पाचवाँ हिस्सा होती थी। १९३१ की जन-गणना से पता चला कि खेत-मजदूरों की संख्या ३ करोड़ ३० लाख हो गयी है। यह खेती में लगी हुई कुल आबादी का एक-तिहाई हिस्सा है। १९५१ में बटवारा हो जाने के बाद भारत संघ में खेत-मजदूरों की संख्या (जिनके पास या तो जमीन बिलकुल नहीं थी, या गुजर के लायक नहीं थी) ३ करोड़ ५० लाख पायी गयी, जो खेती के सहारे जीने-वाली कुल आबादी का ३/५ होती थी। (इंडियन लेबर गजट, नवम्बर १९५४)

इन खेत-मजदूरों की मजदूरों कितनी मिलती थी, यह आगे दी गयी तालिका में देखिए :

१८४२ १८५२ १८६२ १८७२ १९११ १९२२

(आनों में)

खेत-मजदूर की रोजाना मजदूरी, बिना भोजन के	}	१	१ $\frac{३}{४}$	२	३	४	४-६
---	---	---	-----------------	---	---	---	-----

(सेरो में)

चावल का भाव (फी रुपया)	४०	३०	२७	२३	१५	५
------------------------	----	----	----	----	----	---

इस प्रकार, जहाँ खेत-मजदूरों की नकद मजदूरी इस बीच में चार-गुनी या छ-गुनी हो गयी, वहाँ चावल का भाव आठ-गुना बढ़ गया।

१९५०-५१ में सरकार ने खेत-मजदूरों की हालत की एक जांच की थी। उसकी रिपोर्ट (खेत-मजदूर—उनका काम और उनका जीवन) १९५४ में प्रकाशित हुई थी। उससे पता चला कि खेत-मजदूरों की औसत रोजाना मजदूरी मर्दों के लिए साढ़े १७ आने और औरतों के लिए लगभग पाँचे ११ आने थी। साल भर में १०० दिन खेत-मजदूरों को बेकार रहना पड़ता था। एक साधारण आदमी के जिन्दा रहने के लिए कम से कम जितने भोजन की आवश्यकता है, खेत-मजदूरों को उससे २५ प्रतिशत कम मिलता था। और ३ करोड़ ५० लाख खेत-मजदूरों में से ४५ प्रतिशत कर्ज से लदे थे।

समाज की सीढ़ी पर और भी नीचे उतरने पर—यदि और नीचे उतरना संभव हो तो—हम अर्ध-गुलामी, हरी-बेगार और साहूकारों की दासता में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें ऐसे खेत-मजदूर मिलते हैं जिन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती। ये भारत के सभी हिस्सों में पाये जाते हैं। बहुत से इलाकों में ये अर्ध-गुलाम और साहूकारों के दास आदिवासी जातियों के लोग हैं। लेकिन उस किसान की हालत भी कानूनी अर्ध-दास से बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी जमीन छिन गयी है और जिसे कर्ज के नागफांस ने साहूकार की गुलामी में जकड़ दिया है, या जो बटाई पर खेती करने लगा है। इनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती हालत बागानों में काम करनेवाले गुलामों की है। चाय, कॉफी और रबड़ के बड़े-बड़े बागानों में दस लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इन बागानों में से ९० प्रतिशत से अधिक की मालिक विलायती कम्पनियाँ हैं, जो इन दस लाख से ज्यादा गुलामों की मेहनत लूटकर मोटी हो रही हैं।

किसानों की तबाही का एक और सबूत छोटे किसानों की हालत है। इनमें से अधिकतर के पास इतनी कम जमीन है कि वे उस पर अपनी गुजर के लायक भी नहीं पैदा कर पाते। बंसी ही हालत शिकमी काश्तकारों की है और उन किसानों की है जिनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त हैं। व्यवहार में,

इन तमाम लोगों की हालत में खेत-मजदूरों की हालत से कोई विशेष अन्तर नहीं है; और इन लोगों को एक-दूसरे से अलग करनेवाली रेखा बहुत ही घुंघली पड़ गयी है।

बंगाल मालगुजारी कमीशन (प्लाउड कमीशन) के सामने जो गवाहियां पेश हुई थी, उनमें आम तौर पर यह मत प्रकट किया गया था कि एक औसत परिवार के लिए अपना तमाम खर्चा चलाने के वास्ते कम से कम ५ एकड़ जमीन की आवश्यकता है। लेकिन कमीशन को जांच करने पर पता चला कि बंगाल के लगभग तीन-चौथाई किसान परिवारों के पास ५ एकड़ से कम जमीन है, और ५७.२ प्रतिशत जोतें तो ३ एकड़ से भी कम की हैं।

तब यह बहुसंख्यक किसान जनता, जिसके पास गुजर-बसर के लायक जमीन भी नहीं है, अपनी जीविका कैसे कमाती है? वह नहीं कमा पाती। वह अधिकाधिक कर्ज के गढ़ में गिरती जाती है, उसकी जमीन छिन जाती है, और अन्त में वह भूमि-हीन खेत-मजदूरों की सेना में शामिल हो जाती है।

५. कर्ज का बोझ

जैसे-जैसे किसान की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे वह कर्ज के बोझ के नीचे अधिकाधिक दबता जाता है, जिससे उसकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। इस तरह वह एक ऐसे भंवर में फस जाता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अन्त में वह भंवर में डूब जाता है, यानी उसकी जमीन छिन जाती है।

यह बात सब लोग मानते हैं कि अंग्रेजी राज के साथ-साथ किसानों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया है, और कर्ज का सवाल एक बहुत ही जरूरी और व्यापक सवाल बन गया है। अंग्रेजी राज में किसानों पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ता गया? खास तौर पर आधुनिक काल में इस समस्या ने इतना विकट रूप क्यों धारण कर लिया? साम्राज्यवाद के पापों पर पर्दा डालनेवाले लोग इसका अक्सर यह कारण बताया करते थे कि किसान चूकि दूरदर्शिता से काम नहीं लेते और बहुत फिजूलखर्ची करते हैं, इसलिए वे कर्ज के चंगुल में फस जाते हैं। कर्ज के बोझ को वजह से लोग किसानों के सामाजिक रीति-रिवाजों में देखते थे और कहते थे कि शादी, गमी और अन्य सामाजिक समारोहों पर और मुकदमेबाजी में किसान अपनी सामर्थ्य से ज्यादा रुपया खर्च कर देते हैं। यदि तथ्यों को देखा जाय तो यह बात सही नहीं उतरती। दकन के किसान विद्रोह के कारणों की जांच करनेवाले कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में १८७५ में ही लिख दिया था कि "ब्याह-शादी और तीज-त्योहार पर जो खर्चा होता है, उसे बना-

वश्यक महत्व दिया गया है।... इस मद में किसान को काफ़ी ख़र्च करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि इस मद के खर्चों के कारण किसान कभी कर्जों में फंसा हो।" बंगाल प्रान्त की बैंकिंग जाच समिति भी "गांवों की हालत की बहुत गहरी छान-बीन" करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह आरोप ग़लत है।

तथ्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत के किसानों के कर्जों की चक्की में पिंसने के कारण आर्थिक हैं; और उनका किसानों के शोषण से गहरा सम्बंध है। किसान कर्जा लेते हैं तो लगान देने के लिए, अपनी खेती में कोई ऐसा सुधार करने के लिए जिसमें पूँजी की आवश्यकता हो, पुराना कर्ज चुकाने के लिए, या ऐसे ही किसी अन्य काम के लिए। बम्बई सरकार के माल विभाग के एक अफसर सर टी. होप ने १८७६ में कहा था : "यदि सच पूछिए तो किसानों पर लदे हुए कर्जों का एक कारण हमारी मालगुजारी की व्यवस्था भी है।" बीपन नंश ने १९०० में लिखा था : "बम्बई मात्रा के बाद यह बात मेरे दिमाग में बिलकुल साफ हो गयी कि अधिकारी वर्ग की दृष्टि में किसान मुख्यतया महाजन और साहूकार की मदद से ही मालगुजारी दे पाते हैं।"

साहूकार और कर्ज भारतीय समाज के लिए कोई सर्वथा नयी वस्तुएं नहीं हैं। लेकिन जब से भारत का पूँजीवादी शोषण शुरू हुआ, खास तौर पर साम्राज्य के काल में, साहूकार की भूमिका आकार और विस्तार में बहुत बढ़ गयी है। पहले साहूकार को गांव के जनमत का खयाल रखते हुए अपना कारबार चलाना पड़ता था। पुराने कानूनों के मातहत कोई महाजन कर्जों के एवज में जमीन नहीं छीन सकता था। अंग्रेजी राज के आने पर ये सारी बातें बदल गयीं। भारत में इंग्लैंड के कानून जारी कर दिये गये, जिनके अनुसार कर्जदारों को जेल में बन्द किया जा सकता है और जमीन एक आदमी के हाथ से निकल कर दूसरे आदमी के हाथ में जा सकती है। इन कानूनों से महाजन या साहूकार की चारों उंगलिया धी में हो गयीं और पुलिस और अदालत की पूरी ताकत उसके पीछे-पीछे चलने लगी। साहूकार पूँजीवादी शोषण की पूरी व्यवस्था की आवश्यक धुरी बन गया। कारण कि न केवल साहूकार की मदद के बिना मालगुजारी जमा नहीं हो सकती, बल्कि आम तौर पर साहूकार सूद पर कर्ज देने के अलावा अनाज की खरीद और बिक्री भी करता है। जब फसल कटती है, तो किसानों की लगभग सारी उपज साहूकार खरीद लेता है। अक्सर वही फसल के शुरू में किसानों को बीज और हल, बैल, आदि देता है। और उसका वही-खाता किसानों के लिए जादू का पिटारा बना रहता है। साहूकार का उन पर कितना चाहिए था और वे उसमें से कितना अदा कर चुके हैं, इसका हिसाब प्रायः किसानों को नहीं मालूम होता। नतीजा यह होता है कि दिन-ब-दिन वे

उसके गुलाम बनते जाते हैं; और साहूकार गांव का तानाशाह बन जाता है। जैसे-जैसे किसानों की जमीन उसके हाथ में आती जाती है, वैसे-वैसे यह क्रिया और आगे बढ़ती है। किसान खेत-भजदूर बन जाते हैं या बटाई पर साहूकार के खेत जोतने लगते हैं और जो कुछ पैदा करते हैं, उसका अधिकतर भाग लगान और सूद के रूप में उसे सौंप देते हैं। साहूकार अधिकाधिक भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में छोटे पूजीपति की भूमिका ग्रहा करने लगता है और किसान भजदूरों की तरह उसकी नौकरी बजाने लगते हैं। शुरू-शुरू में, मुमकिन है कि किसानों का गुस्सा पहले साहूकार पर फूटे, क्योंकि उनकी नजरों में वही सबसे बड़ा जालिम और उनकी तमाम मुसीबतों की जड़ मालूम पड़ता है। लेकिन, बहुत जल्द किसानों को मालूम हो जाता है कि साहूकार के पीछे साम्राज्यवाद की पूरी ताकत खड़ी है। साहूकार बक-पूजी की शोषण-व्यवस्था का एक ऐसा पुर्जा है, जो खास उस जगह का काम करता है जहां उत्पादन होता है, और जिसके बिना यह पूरी मशीन काम नहीं कर सकती।

जैसे-जैसे साहूकार का जुल्म और शोषण बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे सरकार कानून बनाकर उसे कुछ रोकने की कोशिश करती है। सरकार को डर लगता है कि कहीं साहूकार इस सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी को एकदम हलाल न कर दे। सूद की दर को कम करने के लिए और खेती की जमीनों को किसानों के हाथ से निकलने से बचाने के लिए कानूनों के पोथे रग डाले गये हैं। लेकिन सरकार खुद भी मानती है कि ये सारे कानून बेकार साबित हुए हैं। इसका सबूत यह है कि किसानों पर कर्ज का बोझ बराबर बढ़ता जाता है और यहाँ तक कि उसके बढ़ने की रफतार दिन-ब-दिन ज्यादा तेज होती जाती है।

६. तीन तरह का बोझ

अब हम सारास में यह बता सकते हैं कि साम्राज्यवादी शोषण का किसानों पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव हुआ है। साम्राज्यवादी शोषण का अन्त में यह परिणाम हुआ कि यदि किसान किसी तरह भूमि-हीन खेत-भजदूरों में मिलने से बच गया, तो उस पर तीन तरह का बोझ लद गया। सरकार की मालगुजारी का बोझ सभी पर पड़ता था। इसके अलावा अधिकतर किसानों पर जमींदार के लगान का बोझ भी पड़ता था। और साहूकार के सूद का बोझ उससे भी बड़ी संख्या को डोना पड़ता था। इस तरह कुल मिलाकर किसान की पैदावार का कितना हिस्सा उसके हाथ से निकल जाता था? और खुद उसकी गुजर के लिए कितना बचता था? यह भारत की खेती का एक बुनियादी सवाल है। मगर कोई ऐसे आंकड़े नहीं मिलते जिनके आधार पर इन सवाल का जवाब

दिया जा सके। सही जानकारी के अभाव में केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमिटी के अल्पमत की रिपोर्ट में एक बहुत मोटा सा अनुमान लगाने की कोशिश की गयी थी। यह बात बिलकुल साफ है और इसके लिए हमारे सामने स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि इस मोटे अनुमान से जो चित्र सामने आता है, वास्तव में किसानों की पीठ पर इससे कहीं अधिक बोझ लदा हुआ है। फिर भी, यह अनुमान भी, उसके साथ तमक-कर का बोझ जोड़ देने पर, २० रुपये फी किसान तक पहुंच जाता है। इसके मुकाबले में किसान का औसत आमदनी भी देखिए। केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमिटी के बहुमत के रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि “ब्रिटिश भारत में किसान की औसत आमदनी ४२ रुपये सालाना से ज्यादा नहीं बैठती।”

शोषण की एक ज्यादा सही भूलक एन. एस. सुब्रमन्यन की रचना, दक्षिण भारत के एक गांव का अध्ययन में मिलती है जो १९३६ में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में हर बीघा का बड़े विस्तार से अध्ययन किया गया है। उससे पता चलता है कि इस गांव का प्रत्येक निवासी हर साल औसतन ३८ रुपये कमाता था। सरकार की मालगुजारी, जमींदार का लगान, और साहूकार का सूद देने के बाद उसके पास १३ रुपये बचते थे, जिनके सहारे उसे साल भर जीना पड़ता था। यानी, जो कुछ वह कमाता था, उसका केवल एक-तिहाई उसके पास बचता था और दो-तिहाई उसके हाथ से निकल जाता था।

महान फ्रांसीसी क्रान्ति के पहले फ्रांस के किसानों की दशा का वर्णन करते हुए कार्लोईल ने लिखा था :

“विधवा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल में जड़े चुन रही हैं; और होटल के बरामदे में नजाकत के साथ लेटे हुए चिकने-चुपड़े भद्र पुरुष के पास एक ऐसा जादू है जिससे वह बुढ़िया की हर तीसरी जड़ छीन लेगा, और कहेगा कि यह लगान और कानून का जादू है!”

अंग्रेजी राज में भारत ने इससे भी बड़ा एक जादू देखा। यहाँ किसान के पास तीन में से केवल एक जड़ बचती थी और दो जड़ें भद्र पुरुष के पास पहुंच जाती थी।

नवा अध्याय

किसान-क्रान्ति की ओर

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अब संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि खेती का संकट किन विशेषताओं के साथ बढ़ रहा है।

१. खेती के संकट में बढ़ती

पहली विशेषता यह है कि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में खेती का स्थान अधिकाधिक असंतुलित होता जाता है; उसके साथ-साथ खेती पर आबादी का दबाव ज़रूरत से ज्यादा बढ़ता जाता है, देश का विकास नहीं होता और भारतीय अर्थ-व्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप के कारण "अनुधोगीकरण" की क्रिया जारी रहती है। इस आम परिस्थिति का दूसरी तमाम बातों पर भी प्रभाव पड़ता है और वे भी उग्र रूप धारण कर लेती हैं।

दूसरी विशेषता यह है कि खेती के विकास में ठहराव आ जाता है और उसका पतन होने लगता है, जमीन की उपज कम रहती है, श्रम का अपव्यय होता है, खेती के लायक जमीन पर भी खेती नहीं होती, जिस पर होती है उसका विकास नहीं होता, और यहाँ तक कि कुछ समय बाद खेती की उपज गिरने लगती है, जमीन खेती से निकलने लगती है और खेती के कुल रकबे में कमी आने लगती है।

तीसरी विशेषता यह है कि जमीन के लिए किसानों की भूख बढ़ती जाती है, उनकी जोते बराबर छोटी होती जाती है, और अधिकाधिक छोटे टुकड़ों में बटती जाती है, ऐसी जोतों का अनुपात बढ़ता जाता है जिनके सहारे किसान के लिए अपनी गुजर करना अमम्भव होता है, और अन्त में हालत यहाँ तक पहुँचती है कि ज्यादातर जोते इसी तरह की रह जाती है।

चौथी विशेषता यह है कि जमींदारी प्रथा का विस्तार बढ़ता जाता है, तरह-तरह के शिकमी और शिकमियों के शिकमी और फिर उनके शिकमी कायम

हो जाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है जो खेती नहीं करते और मुफ्त में लगान वसूलते हैं, और अधिकाधिक किसानों की जमीनें इन मुफ्तखोरो के हाथों में जाने लगती हैं।

पांचवीं विशेषता यह है कि जिन किसानों के पास थोड़ी-बहुत जमीन बचती है, उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है, और अभी हाल के कुछ बरसों में तो किसानों पर लदे कर्ज की कुल रकम एकदम आसमान पर पहुंच गयी है।

छठी विशेषता यह है कि किसानों की जमीनें कर्ज के एवज में उनके हाथ से अधिकाधिक निकलकर साहूकारों और सट्टेबाजों के हाथों में पहुंचती जाती हैं।

सातवीं विशेषता यह है कि ऊपर बतायी गयी बातों के परिणामस्वरूप खेत-मजदूरों की संख्या अधिकाधिक तेजी से बढ़ती जाती है। १९२१ में तमाम खेती करनेवालों का पांचवां हिस्सा खेत-मजदूरों का था। दस वर्ष के अन्दर, यानी १९३१ में एक-तिहाई खेती करनेवाले खेत-मजदूर बन गये। और तब से आज तक उनकी संख्या और भी बढ़ गयी है (१९५०-५१ में भारत सरकार के श्रम सचिवालय ने जो जांच करायी थी, उससे पता चला था कि ३६ प्रतिशत खेती करनेवाले खेत-मजदूर बन गये हैं)।

खेती के पतन, किसानों की जमीनों के छिनने, और उनमें वर्ग-भेदों के बढ़ने की यह पूरी क्रिया संसारव्यापी अर्थ-संकट के कारण, खेती की पैदावार के दामों के यकायक एकदम गिर जाने के कारण, और उसके बाद दूसरे महायुद्ध तथा उसके फलस्वरूप देश में अकालों की लहर आने के कारण बहुत आगे बढ़ गयी है और बहुत तेजी से चल रही है। १९२८-२९ में फसल कटने के समय के औसत दामों को आधार मानने पर लगभग १,०३४ करोड़ रुपये के मूल्य की पैदावार खेती से हुई थी। १९३३-३४ में केवल ४७३ करोड़ की पैदावार हुई। यानी, उसमें ५५ प्रतिशत की कमी हो गयी। लेकिन मालगुजारी ज्यों की त्यों रही। १९२८-२९ में ३३ करोड़ १० लाख की मालगुजारी वसूल की गयी थी; १९३१-३२ में ३३ करोड़ की और १९३३-३४ में ३० करोड़ की। १९३३-३४ में जो करीब ६ प्रतिशत की थोड़ी सी कमी आयी, उसका भी केवल यह कारण था कि किसानों के लिए ज्यादा देना असम्भव हो गया था और बहुतों ने मालगुजारी देने के बदले अपनी जमीनों से इस्तीफे दे दिये थे।

बंगाल में १९२०-२१ से लेकर १९२९-३० तक हर साल औसतन ७२ करोड़ ४० लाख रुपये की ऐसी फसल तैयार हुई थी जो बाजार में बेची जा सकती थी। १९३२-३३ में केवल ३२ करोड़ ७० लाख की ऐसी फसल तैयार हुई। लेकिन किसानों पर नरुद बोझ कम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा २७ करोड़ ६० लाख रुपये से बढ़कर २८ करोड़ ३० लाख रुपये हो गया। इसका मतलब

यह हुआ कि लगान, सूद, आबपाशी, आदि देने के बाद किसानों की जेब में जो पैसे बचते थे, या उनके पास जो "स्वतंत्र खरीदने की शक्ति" बचती थी, वह अर्थ-संकट के कारण ४४ करोड़ ५० लाख रुपये से गिरकर केवल ४ करोड़ ४० लाख रुपये रह गयी।

किसान आम तौर पर जो पैसा बचाते हैं, उससे सोने के जेवर खरीद लेते हैं। अर्थ-संकट के दिनों में दिवालिया बनने से बचने के लिए किसानों ने धड़ाधड़ सोने के जेवर बेचे। १९३१ और १९३७ के बीच कुछ नहीं तो २४ करोड़ १० लाख पौंड का सोना भारत से निकल गया। लेकिन सोना बेचकर भी किसान केवल कुछ दिनों के लिए ही दिवाला निकलने की घड़ी को टाल सके। ऐसे किसानों की संख्या तेजी से बढ़ती हो गयी जो लगान न दे पाने के कारण ज़मीनों से इस्तीफे दे रहे थे। १९३० में बंगाल में सिचाई की व्यवस्था की जांच करने वाली एक कमिटी ने बताया कि "जमीन खेती से निकल रही है।"

१९३४-३५ में खेती के आकड़ों से पता चला कि खेती की जमीन फेरकबे में ५० लाख एकड़ की कमी आ गयी है। अनाज की फसलों के रकबे में ५५ लाख = ६ हजार एकड़ की कमी आ गयी थी।

कर्ज का बोझा तिगुना हो गया। १९२१ में किसानों पर कुल ४० करोड़ पौंड का कर्ज था। १९३७ में वह बढ़कर १३५ करोड़ पौंड हो गया था।

भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का दिवालियापन नग्न रूप में उस समय प्रकट हुआ जब जापान के लड़ाई में शामिल हो जाने के बाद भारत में बर्मा से चावल आना बन्द हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा देश अकाल का आस बन गया और हर तरफ भुखमरी फैल गयी। अकेले बंगाल में, प्रोफ़ेसर के. पी. चटोपाध्याय ने हिसाब लगाया है कि ३५ लाख आदमी अकाल के परिणाम-स्वरूप मौत के शिकार हुए। अकाल के बाद महामारी आयी और सितम्बर १९४४ तक बंगाल में १२ लाख आदमी विभिन्न बीमारियों के शिकार हो गये। जनता का सारा जीवन छिन्न-भिन्न हो गया। मां-बाप अपने दूध-पीते बच्चों को इन आशा के सबक के किनारे छोड़कर चल देते थे कि किसी दयालु आदमी की उनपर दृष्टि पड़ गयी तो सम्भव है कि उनकी जान बच जाय। पुरुष अपने परिवारों को भाग्य के सहारे छोड़कर रोजी की तलाश में बाहर निकल जाते थे। स्त्रियाँ भूख की मार से विवश होकर अपनी देह का व्यापार करने लगी थी और वेर्यालयों में भरती हो रही थी।

यह अकाल "इंसान का पैदा किया हुआ" अकाल था। असल में, बंगाल में केवल छः हफ्ते के राशन की कमी थी, और बाहर से अनाज मंगाकर और पाने-पीने की चीजों का सब में बराबर-बराबर वितरण करके इस कमी को प्रास्थानी से दूर किया जा सकता था। लेकिन, ऐसा किया जाने के बजाय बंगाल

में अकाल पड़ा, और अकाल भी ऐसा कि उसकी लपेट में प्रान्त की एक-तिहाई जनता आ गयी। अनाज का सारा स्टॉक बड़े-बड़े जमींदारों और व्यापारियों ने हथिया लिया था और घूसखोर नौकरशाही छिपा हुआ अनाज बाहर निकालने के बजाय, भाव बढ़ाने और करोड़ों आदमियों के जीवन से खिलवाड़ करने में इन अनाजचोरों की मदद कर रही थी। जनवरी १९४२ में चावल का भाव ६ रुपये मन था, नवम्बर १९४२ तक वह ११ रुपये मन हो गया। फरवरी-अप्रैल १९४३ में वह २४ रुपये मन, मई में ३० रुपये मन, जुलाई में ३५ रुपये मन, अगस्त में ३८ रुपये मन, और अक्टूबर १९४३ में ४० रुपये मन हो गया। मुफ़स्सिल के जिलों में तो भाव ५० से लेकर १०० रुपये मन तक चला गया था। अकाल के दिनों में भी चावल हर जगह मिलता था और चाहे जितने परिमाण में मिल सकता था, लेकिन १०० रुपये मन का भाव देने पर ही !

इस अकाल के परिणामस्वरूप किसान और गरीब हो गये, और धनी जमींदारों और साहूकारों के पास पहले से भी ज्यादा जमीन जमा हो गयी।

गांव की पूरी अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। अकाल की मार सबसे ज्यादा गांव के दस्तकारों और कारीगरों पर पड़ी थी। मछुए, मोची, लुहार, कुम्हार, जुलाहे, आदि सबसे ज्यादा तबाह हुए थे। अकाल की चोट वास्तव में सबसे पहले इन लोगों पर ही पड़ी थी और वे उसके कारण दिवालिया बन गये।

बंगाल में जो कुछ हुआ, वह उस सकट का केवल सबसे उग्र रूप था जो सारे देश को निगले जा रहा था।

२. किसान-क्रान्ति की आवश्यकता

इस प्रकार, भारत के किसानों के सामने आज यह सवाल पैदा हो गया है कि वे जिन्दा भी रहेंगे या नहीं। और अब यह सवाल और टाला नहीं जा सकता। किसानों को उसे आज और अभी हल करना होगा।

क्या वर्तमान व्यवस्था के रहते हुए इस सवाल को हल किया जा सकता है? सभी लोग मानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में बहुत बुनियादी परिवर्तन करना आवश्यक है।

सिद्धान्त रूप में बहुत दिनों से लोग यह बात स्वीकार करते चले आये हैं कि जमींदारी प्रथा को मिटाये बिना काम नहीं चल सकता। १९३८ में पलाउड कमीशन के बहुमत ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल में जमींदारी प्रथा को खतम करने की सिफारिश की थी—लेकिन, उसकी राय थी कि 'जमींदारों को मुभावजा दिया जाय। भारत में जमींदारी प्रथा विदेशी सरकार की पैदा की

हुई चीज है और राष्ट्र की परम्परा में उसका कोई स्थान नहीं है। जमींदार जो कुछ किसानों से वसूलते हैं, उसके एवज में वे किसानों का खर्चा बराबर भी फायदा नहीं करते। लेकिन जमींदारी प्रथा को सचमुच मिटाने का तरीका यह नहीं है कि केवल बाहरी स्वरूप में रस्मी परिवर्तन कर दिया जाय और जमींदारों को "मुआवजा" देने के नये रूप में किसानों पर आर्थिक बोझ ज्यों का त्यों बना रहे। असल में किसानों को उस आर्थिक बोझ से मुक्त करने की आवश्यकता है, जो जमींदारी प्रथा ने किसानों पर लाद रखा है।

साहूकारी प्रथा और कर्जों के पहाड़ के बारे में भी यही बात सच है। कर्जों की रकम को पहले एकदम कम कर देना और अन्त में बिलकुल मंसूख कर देना लाजिमी है। लेकिन केवल इतना करने से कुछ लाभ न होगा, या केवल अस्थायी रूप से थोड़ी सी राहत मिलेगी, यदि इसके साथ-साथ साहूकार की जगह किसानों को कर्जा देने की कोई अन्य व्यवस्था न की जायेगी और यदि कर्जों को बढ़ने से रोकने के उपाय न किये जायेंगे।

यह मानना पड़ेगा कि आशिक उपायों से अस्थायी ढंग की तो कुछ राहत मिल सकती है, और देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कुछ उपाय करने का न्यूनधिक प्रयत्न भी हुआ है, लेकिन किसानों के सवाल का ज्यादा बुनियादी हल निकालने के लिए जरूरी है कि पूरी भूमि व्यवस्था का पुनःसंगठन किया जाय। यदि जमींदारी प्रथा के अभिशाप से देश को मुक्त करने के लिए अधिक मुनियोजित ढंग से प्रयत्न करना है, तो ऐसा केवल एक अधिक व्यापक आर्थिक पुनर्संगठन के अंग के रूप में ही किया जा सकता है। इस आर्थिक पुनर्संगठन के द्वारा न केवल "जमीन का मालिक जोतनेवाला" का सिद्धान्त कार्यान्वित किया जायगा, बल्कि उन लाखों और करोड़ों आदमियों के लिए जीविका कमाने के नये साधन तैयार किये जायेंगे जो आबादी के बोझ से दबी हुई खेती से नाता तोड़कर ही सुखी जीवन बिता सकते हैं। खेती के विकास के लिए और उद्योग-धंधों के विकास के लिए जो उपाय करने हैं, वे यहां आकर एक हो जाते हैं।

बुनियादी प्रश्न केवल जमींदारी प्रथा का सवाल नहीं है। बुनियादी प्रश्न पूरी भूमि व्यवस्था का पुनःसंगठन और जोतो का फिर से बंटवारा करने का है। लेकिन इस तरह का बंटवारा, जो बहुमंल्यक जनता के हितों को महत्व देगा और व्यक्तिगत स्वामित्व की भ्रवहेलना करने से न हिचकेगा—ऐसा बंटवारा करना नौकरशाही ढंग से काम करनेवाली विदेशी सरकार अथवा विदेशी साम्राज्यवाद से सम्बंध रखनेवाली एकाधिकारी पूंजीपतियों की सरकार के बूते के बाहर है। ऐसी किसी सरकार में यदि इस प्रकार का बंटवारा करने की इच्छा भी हो, तो भी उसमें उसकी सामर्थ्य न होगी। ऐसा बंटवारा तो खुद किसान जनता ही अपनी पहल से और अपने हाथों से कर सकती है; और यह

कार्य वह मजदूर वर्ग के सहयोग से तथा मजदूरों-किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा उनके हितों के लिए लड़नेवाली सरकार के नेतृत्व में पूरा करेगी।

लेकिन जमीन का फिर से बंटवारा करना सिर्फ पहला कदम है। उसके बाद खेती के विकास की पूरी समस्या को हाथ में लेना होगा, खेती के कौशल को विकसित करके उसे आधुनिक स्तर तक ले जाना होगा, खेती में मशीनों का इस्तेमाल शुरू करना पड़ेगा और खेती के लायक जमीन के जो विशाल इलाके परती पड़े हैं, उनको तोड़कर खेती का रकबा बढ़ाना होगा।

३. सरकारी सुधारों की असफलता

पहले भारत में साम्राज्यवादियों का प्रत्यक्ष राज था। फिर उसकी जगह भारत संघ तथा पाकिस्तान की सरकारों कायम हुई, जो अब भी उन्हीं पुराने एकाधिकारी पूँजीपतियों और जमींदारों पर आधारित हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद से सम्बन्ध बनाये रखा है। पुरानी अंग्रेजी सरकार ने और इन नयी भारतीय तथा पाकिस्तानी सरकारों ने खेती में सुधार करने के जो प्रयत्न किये हैं, उनसे यह बात साबित हो जाती है कि इस ढंग के सामाजिक आधार पर टिकी हुई कोई भी सरकार खेती के बढ़ते हुए संकट को हल नहीं कर सकती।

साम्राज्यवाद के हित एक तरफ जमींदारी प्रथा और सामन्ती तथा अर्ध-सामन्ती संस्थाओं और रीतियों को सुरक्षित रखने के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनता को दबाकर रखने के लिए उसे इस सामाजिक आधार की सहायता की जरूरत होती है। दूसरी तरफ, साम्राज्यवाद के हित इस बात के साथ जुड़े हुए हैं कि इंग्लैंड की बँक-पूँजी भारत का शोषण करती रहे और उसे एक पिछड़ा हुआ खेतिहर उपनिवेश बनाये रहे। इन दोनों बातों की वजह से साम्राज्यवाद के लिए यह नामुमकिन था कि वह खेती की समस्या को हल करने का प्रयत्न करता। साम्राज्यवाद की इस असमर्थता का एक प्रमाण यह है कि १९२७ में खेती की जाँच करने के लिए उसने जो शाही कमीशन नियुक्त किया था, उसे भूमि-व्यवस्था को छूने की भी मनाही कर दी गयी थी। और अमली तौर पर इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी सरकार ने जिस दिवालियेपन का परिचय दिया है, उसने साम्राज्यवाद की इस असमर्थता को और भी स्पष्ट कर दिया।

खेतिहरों की सहायता के लिए अनेक कानून बनाये गये, लेकिन उनसे कर्ज के बोझ का बढना नहीं रुका। यह बात कृषि कमीशन की रिपोर्ट में ही स्वीकार की जा चुकी है। इसी प्रकार, जमीन पर किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी अनेक कानून बनाये गये; लेकिन उनसे जमींदारी प्रथा और शिकमी प्रथा का विकास नहीं रुका, उनसे हर साल लगान बढ़ते

जाने की क्रिया बन्द नहीं हुई, और जिन थोड़े से किसानों को कुछ विशेष अधिकार दिये गये थे, वे खुद अक्सर छोटे जमींदार बन गये और अधिकार-विहीन किसानों का शोषण करने लगे।

उन्नीसवीं सदी के मध्य से ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो थोड़ा-बहुत काम किया है, उसका बहुधा बड़ा ढोल पीटा जाता है। लेकिन १९३९-४० में भी ब्रिटिश भारत के कुल जितने रकबे पर खेती होती थी, उसका केवल २३ प्रतिशत भाग सिंचाईवाला रकबा था। और उसमें भी सरकार की तरफ से सिंचाई केवल १० प्रतिशत पर होती थी। १९४९-५० का आकड़ा यह बताता है कि भारत सघ में कुल जितनी जमीन जोती गयी, उसके केवल १७७ प्रतिशत भाग की सिंचाई हुई थी।

१९४७ के बाद, भारतीय तथा पाकिस्तानी सरकारों के मातहत जो अनुभव हुआ है, उससे भी यह साबित होता है कि इन नयी सरकारों ने हालांकि भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किये हैं, मगर चूंकि वे उन बड़े-बड़े एकाधिकारी पूँजी-पतियों और जमींदारों के शासन का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका साम्राज्यवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए वे खेती के संकट को हल करने में असफल रही हैं।

भारत सघ और पाकिस्तान के लगभग सभी प्रदेशों में जमींदारी और जागीरदारी प्रथाओं को खतम करने के लिए रस्मी तौर पर कानून पास हो चुके हैं। इसके साथ-साथ जोतों के विस्तार की हदबन्दी कर दी गयी है। लेकिन इन कानूनों से बहुत कम लाभ हुआ है, और व्यावहारिक रूप में उनसे जमींदारी प्रथा तो हरगिज खतम नहीं हुई है। न ही इन कानूनों से साधारण किसान और खेत-मजदूर जनता की समस्याएँ हल हुई हैं।

“जमींदारी उन्मूलन” के इन कानूनों को बनाते समय इस साधारण सिद्धान्त को आधार बनाया गया है कि जमींदारों को लगान की मौजूदा दरों के मुताबिक पूरा मुआवजा दिया जाय। इन मुआवजों के रूप में जो अधिक बोझ किसानों पर पड़ता है, उसी का यह नतीजा हुआ है कि इनमें से बहुत से कानून व्यवहार में कार्यान्वित नहीं किये जा सके हैं, और जहाँ कहीं इन कानूनों पर अमल भी हुआ है, वहाँ किसानों पर लदे हुए अधिक बोझ का केवल रूप बदला है, उसमें कोई खास कमी नहीं आयी है; और कुछ जगहों में तो वह बढ़ गया है (पहले जमींदार को जितना लगान देना पड़ता था, अब उसमें ज्यादा मुआवजों की किस्त के रूप में देना होता है)।

इन कानूनों में केवल थोड़े से धनी किसानों का लाभ हुआ है। अधिकतर गरीब किसानों को, अस्थायी पट्टे वाले कानूनकारों को, बटाईदारों को और खेत मजदूरों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके अलावा, जहाँ कहीं जमीन के पट्टों पर नामचारे के लिए हद बाध दी गयी है, वहाँ भी व्यवहार में जमींदार

अपनी विशाल जमीदारियों को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दिलावे के लिए अपनी जमीन अपने भाई-भतीजों में बाट दी है या ऐसी ही कोई श्रौर तरकीब करके या बहाना बनाकर कानून से बच गये हैं।

भारत संघ के विधान में बिना मुद्रावजा दिये किसी की सम्पत्ति लेने पर रोक लगा दी गयी है। १९४८ में भारत सरकार ने आदेश निकाला कि प्रदेशों की दरिद्र सरकारों को जमींदारों को मुद्रावजा देना होगा और इस काम के लिए उन्हें केन्द्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। १९४९ में भारत सरकार के वित्त-मंत्री ने इस सिद्धान्त की घोषणा की कि जिस कानून में "सरकारी आय में से अथवा सच्चा कर्ज लेकर मुद्रावजा देने की व्यवस्था नहीं हो, उसे रद्द कर देना चाहिए।" मतलब यह हुआ कि जमींदारों को उनकी जामदाद के एवज में मूद देनेवाली बौड़ों के रूप में या सालाना किस्तों के रूप में मुद्रावजा नहीं दिया जाना चाहिए।

इन घातक बन्दिशों का जो नतीजा हुआ, वह होना लाजिमी था। १९५० में भारत के रिजर्व बैंक ने हिसाब लगाया कि केवल सात प्रदेशों में ही ४१४ करोड़ रुपये का मुद्रावजा देना होगा। नवम्बर १९५१ में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा. विधानचन्द्र राय ने ऐलान किया कि जमींदारी उन्मूलन के लिए कोई बिल पेश करना व्यर्थ है, क्योंकि उसका आर्थिक बोझा उठाना नामुमकिन है, और इसलिए ऐसे कानूनों से किसानों का कोई लाभ न होगा। उत्तर प्रदेश में, जहाँ मुद्रावजों की रकम १६० करोड़ रुपये या १२ करोड़ पौंड बैठती थी, यह तरकीब इस्तेमाल की गयी कि किसानों से "जमींदारी उन्मूलन कोष" में स्वेच्छा से रुपया जमा करने के लिए कहा गया। इस तरह जो किसान लगान की दस-गुनी रकम जमा कर देता था, उसे लगान पर ली हुई जमीन के ऊपर अधिकार मिल जाता था। असल में केवल धनी किसानों की एक छोटी सी सख्या ही इस व्यवस्था से लाभ उठा सकी। दूसरे प्रदेशों में किसानों को चालीस साल तक मुद्रावजा देना पड़ेगा।

इसलिए, कोई आश्चर्य नहीं यदि प्रोफ़ेसर बालोग अपनी भारत यात्रा के बाद इस नतीजे पर पहुँचे :

"भूमि-मुधार, विशेषकर व्यक्तिगत जोतों की हृदबन्दी का कानून, ... देश के काफी बड़े भाग में अमल में नहीं आ सका।" (न्यूयॉर्क नेशन, १२ मार्च १९५५)

श्री विनोबा भावे के नेतृत्व में चलनेवाले "भूदान" आन्दोलन को सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। यह आन्दोलन सीधे-सीधे तैलंगाना के उन किसानों के विद्रोह से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस आन्दो-

जन का उद्देश्य है किसानों के विद्रोह को रोकना और भूमि-सुधार के कानूनों की असफलता से उत्पन्न असंतोष को पथभ्रष्ट कर देना। इसके लिए जमींदारों से कहा जाता है कि वे अपनी जमीनों का एक हिस्सा स्वेच्छा से दान कर दें। यह लाजिमी था कि इस प्रकार के आन्दोलन के ठोस नतीजे बहुत कम हों। ऐसा आन्दोलन मूल समस्या के एक नन्हे से अंग पर ही प्रभाव डाल सकता है। लेकिन उसका महत्व उसके नतीजे में नहीं है। भूदान आन्दोलन का असली महत्व इस बात में है कि उसके रूप में अर्ध-सरकारी तौर पर शासकों ने भी यह मान लिया है कि तथाकथित "जमींदारी उन्मूलन" कानून असफल रहे हैं।

भारत की खेती की समस्या एक सफल जन-क्रान्ति के द्वारा हल होगी, और वह होना अभी बाकी है।

४. किसान आन्दोलन की प्रगति

पिछले कुछ वर्षों में किसान-आन्दोलन में जो प्रगति हुई है, वह इस पृष्ठभूमि में भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाती है।

जब से भारत में अंग्रेजी राज्य कायम हुआ, तभी से किसानों में बार-बार बेचैनी पैदा हुई और किसानों के विद्रोह हुए तथा उनकी संख्या और तेजी बराबर बढ़ती ही गयी। गुरु-गुरु में किसानों का गुस्ता और बेचैनी अलग-अलग साहूकारों और जमींदारों से बदला लेने और हिंसा का प्रयोग करने की शक्की-दुक्की कारंवाइयो का स्वयं-स्फूर्त रूप लेती थी।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जो किसान विद्रोह हुए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण १८५५ का संवाल विद्रोह और १८७५ का दकन विद्रोह थे।

लेकिन, असल में १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद और विशेषकर संसार-व्यापी अर्थ-संकट के बाद से, इस आधुनिक काल में ही, किसानों की बेचैनी अभूतपूर्व गति से बढ़ी है और अधिकाधिक उग्र रूप धारण करती गयी है। भारत की खेती की अर्थ-व्यवस्था का पहले से ही दम निकला हुआ था। ऊपर से संसारव्यापी अर्थ-संकट ने तो उसकी कमर ही तोड़ डाली। उसके फलस्वरूप लगान बढ़ाने, कर्जदारों को गुनाम बनाने और किसानों की जमीन छीनने की जो क्रिया शुरू हुई, उसका परिणाम भारत के सभी भागों में किसान आन्दोलन के जन्म के रूप में प्रकट हुआ। किसान अपने-आप गाव-कमिटियाँ बनाने लगे। उनके जरिए वे बेदखलियों का विरोध करते थे, कुर्क जमीनों के नीलामों का बहिष्कार करते थे और साहूकारों के गिनाऊ अपनी एकता दृढ़ करते थे।

ये किसानों की अपनी मुनीयों और तहतीफें थी जो उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक मर्प में खींच लायी। लेकिन, राजनीतिक मर्प

का कभी स्थानीय किसान कमिटी से सीधा सम्बंध नहीं स्थापित किया गया। धीरे-धीरे किसान इन कमिटियों को विकसित करने और खुद अपने जन-संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस करने लगे। किसानों की गांव-कमिटियों ने धीरे-धीरे एक-दूसरे के साथ सम्बंध स्थापित करके जिला कमिटियों की स्थापना की और ये जिला-कमिटियां शुरू में बहुत ढीले-ढाले ढंग से प्रान्तीय संगठनों के रूप में एक-दूसरे से सम्बंधित हो गयीं।

१९३६ में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना—उसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। इस संगठन का पहला अखिल भारतीय अधिवेशन दिसम्बर १९३६ में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ फँजपुर में हुआ। उसमें बीस हजार किसानों ने भाग लिया, जिनमें से बहुत से सैकड़ों मील पैदल चलकर आये थे। इसके साथ-साथ, कांग्रेस ने अपने फँजपुर अधिवेशन में एक खेती-सम्बन्धी कार्यक्रम पास किया और दोनों संस्थाओं के राजनीतिक भाई-चारे की घोषणा की गयी।

अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा अधिवेशन अप्रैल १९३९ में गया में हुआ। वहाँ बताया गया कि उसके सदस्यों की संख्या ८ लाख हो गयी है।

गया अधिवेशन के कुछ महीने बाद ही दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। “भारत रक्षा कानून” के नाम पर भारतीय जनता का क्रूर दमन होने लगा। लेकिन तमाम दमन के बावजूद, सारे देश में किसानों ने साम्राज्यवादी-सामन्ती व्यवस्था के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा।

१९४२-४५ का काल पूरे किसान आन्दोलन के लिए अग्नि-परीक्षा का काल था। अगस्त १९४२ में साम्राज्यवाद ने पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन पर एक क्रूर हमला किया। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दमन की चक्की अंधाधुंध चलने लगी।

इस समय संगठित किसान आन्दोलन के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा और उसकी प्रान्तीय शाखाओं ने राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए दृढ़तापूर्वक आन्दोलन चलाया; सरकार के दमन का बहादुरी से मुकाबला किया; गुद-कोष के लिए किसानों से जबर्दस्ती पैसा वसूल करने का विरोध किया; अधिक अन्न पैदा करने के लिए एक आत्म-सहायता आन्दोलन संगठित किया; और हर गांव में नौकरशाहों, अनाजचोरों और चोर-बाजारियों को शिकस्त दी।

यह पूरा काल भारतीय किसानों की महान सफलताओं से भरा है। आंध्र में हजारों और लाखों एकड़ परती जमीन तोड़कर जोती-बोयी गयी। जब बंगाल की जनता को अकाल के दैत्य ने आ दबोचा, तो अखिल भारतीय किसान सभा

के नेतृत्व में सारे देश में बंगाल की सहायता का आन्दोलन चलाया गया। किसानों ने बंगाल की जनता के प्रति अपना कर्तव्य समझा और देश के कोने-कोने में उन्होंने बंगाल की मदद के लिए धन और अनाज जमा किया। खुद अपने प्रान्तों के अन्दर किसानों ने अनाज-कमिटियां कायम की, चोर-बाजारियों का भंडाफोड़ किया और अनाज के छिपे हुए गोदामों का पता लगाकर उनको अन्न जरूरतमन्द जनता के बीच बांट दिया।

अखिल भारतीय किसान सभा देश की आजादी के लिए और जन-साधारण के अधिकारों के लिए दृढ़तापूर्वक लड़ रही थी। इसलिए, वह अधिकाधिक शक्तिशाली और जनप्रिय संगठन बनती गयी। १९४२ में उसके सदस्यों की संख्या २२५,७८१ थी; १९४४ में वह ५५३,४२७ हो गयी और १९४५ में ८२६,६८६ तक पहुँच गयी। युद्ध समाप्त होने पर भारत की गरीब किसान जनता में जाप्रति की एक नयी लहर आयी। इस समय अन्न-संकट बहुत तीखा हो गया था और तेजी से बढ़ रहा था। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की बड़ी कमी थी और और उनके दाम एकदम चढ़ गये थे। गाँवों में सरकार की क्रूरता और जमींदारों का अत्याचार सीमा पार कर गया था। ये तमाम बातें भारत के किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकाधिक लडाकू ढंग से संघर्ष करने के वास्ते मजबूर कर रही थी। एक ओर, किसान यह माँग कर रहे थे कि जमींदारी प्रथा को खतम करने के लिए तुरन्त कानून बनाये जाये; दूसरी ओर, वे खुद भी पहल कर रहे थे और किसान सभा के नेतृत्व में जमींदारों की परती जमीन पर कब्जा कर रहे थे, और उन्हें बेदखल करने तथा लगान बढ़ाने की कोसिसों का उर्बर्दस्त मुकाबला कर रहे थे।

हाल के कुछ वर्षों में यह बढ़ता हुआ किसान विद्रोह नयी ऊचाइयों पर पहुँचा है। इसका एक उदाहरण बंगाल का तिभागा आन्दोलन है, और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण हैदराबाद में तैलंगाना का महान आन्दोलन है। तैलंगाना में २,००० गाँवों ने निजाम के फासिस्ट गुंडों के अत्याचारों से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी जन-समितियाँ बनायीं, जमीन पर अधिकार कर लिया, और १५,००० वर्ग-मील के इलाके में—जो मोटे तौर पर डेनमार्क के रकबे के बराबर होता है—खुद अपना शासन-प्रबंध और सैनिक व्यवस्था कायम की। इन घटनाओं से इस बात की सूचना मिल रही थी कि भारत में परिस्थितियाँ परिपक्व हो रही हैं और किसान-क्रान्ति की घड़ी नजदीक आ रही है।

दसवां अध्याय

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय

इसके पहले के तमाम अध्यायों में हमने मुख्यतया इतिहास की वस्तु के रूप में भारतीय जनता की स्थिति और दुखगाथा का वर्णन किया है। अब अधिक सुखदायी अध्याय आरम्भ होता है। आगे हम इतिहास के कर्ता के रूप में भारत की जनता की चर्चा करेंगे।

१. एकता और विविधता

शुरू-शुरू के दिनों में साम्राज्यवाद के समर्थक एक विशेष प्रश्न किया करते थे। वे पूछा करते थे : क्या भारत के लोगों की कोई एक क्रीम है ? क्या भारत में रहने-वाले तरह-तरह की नस्लों और धर्मों के लोगों को, जिनको जात-पात की दीवारों ने अनेक टुकड़ों में बांट रखा है, जिनमें भाषा के और अन्य अनेक प्रकार के भेद पाये जाते हैं, और जिनके अलग-अलग हिस्सों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर अलग-अलग है—क्या इस पंचमेल खिचड़ी को एक "राष्ट्र" या एक "जाति" कहा जा सकता है, या क्या ये लोग कभी भी एक क्रीम बन सकते हैं ?

पुराने मत के साम्राज्यवादी भारत के लोगों को एक जाति समझने की प्रत्येक धारणा को भ्रम और आत्म-प्रवचना कहकर उपेक्षा से ठुकरा दिया करते थे। "भारत नाम की कोई चीज न तो है और न कभी होगी"—यह सर जोन स्ट्रैची की घोषणा थी जो उन्होंने १८८८ में की थी। बीसवीं सदी में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती हुई शक्ति के कारण यह पहले से ज्यादा माना जाने लगा कि भारतीय नाम की भी एक जाति है। कम से कम उदारतावादी मत के साम्राज्यवादियों ने तो यह बात मान ही ली। और तब यह दलील से प्रामाण्य लगी कि भारत के लोगों का एक जाति के रूप में संगठित हो जाना अर्थ-हीन राज की देन है और अर्थ-हीन उदारतावादी विचारों के भारत में प्रवेश की परिणाम है। कहा जाता था कि अर्थ-हीन राज की इस महान मशरूफा से ४०१

चलता है कि ब्रिटिश शासन भारतीय जनता के लिए कितना हितकारी साबित हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से यह नया प्रचार हो रहा है कि हिन्दुओं और मुसलमानों की दो अलग-अलग जातियाँ हैं।

भारत की विविधता को अपना आधार बनानेवाली दलील ब्रिटिश शासन के अन्तिम दिनों तक बहुत प्रचलित थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के "पर्या-लोकन खंड" में वह आज भी अपनी पूरी शान-शौकत के साथ देखी जा सकती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का यह खंड भारत के बारे में आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रचार का मुख्य ग्रंथ है। इस चिरस्मरणीय राजकीय पुस्तक के आरम्भ में ही घोषणा कर दी गयी है कि "जो भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन कहलाता है," वह वास्तव में "भारत की असंख्य जनता के केवल एक बहुत छोटे भाग की आशा-आकाशाओं को ही सीधे-सीधे प्रभावित करता है।" इस घोषणा में कितनी दूर-दरिशा कूट-कूटकर भरी थी, यह थोड़े दिनों के बाद ही तब एकदम साफ हो गया जब १९३०-३४ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्वरूप और १९३७ के आम चुनाव के नतीजे सामने आये। इस घोषणा के बाद रिपोर्ट में भारत का एक प्रचलित चित्र पेश करके पाठकों को डराने और आतंकित करने का प्रयत्न किया गया है। हर कदम पर रिपोर्ट के लेखक यह दावा करते जाते हैं कि वे तो विशुद्ध वैज्ञानिक, पूर्णतया तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण से केवल तथ्यों को पाठकों के सामने पेश कर रहे हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़े। और इसके साथ-साथ वे कभी भारतीय "समस्या" की "विशालता और दुरूहता" से पाठकों को डराते हैं, तो कभी भारत की "विशाल भूमि और विराट जन-संख्या" की चर्चा करते हैं। कभी "२२२ वोलियो" से पैदा होने-वाली "भाषा की समस्या" का जिक्र करते हैं, तो कभी "धार्मिक क्षेत्र में पाये जानेवाले अमरुत भेदों" का हवाला देते हैं, और "हिन्दुओं और मुसलमानों के युनियन विरोध" का होम्रा खड़ा करते हैं। "तरह-तरह की नस्लों और धर्मों की पंचमेल लिचड़ी," "नस्लों और धर्मों का यह जमाव," "विविध प्रकार के जन-समूहों का यह ढेर"—और इसी प्रकार के अन्य नम्रता और भलमनसाहत से भरे विरोपण इस ग्रंथ में भरे पड़े हैं !

ऊपर से देखने में भले ही यह लगता हो कि इस ग्रंथ के लिखनेवालों ने तो केवल निष्पक्ष राजनीतिज्ञों की तरह कुछ कड़े तथ्यों को स्वीकार भर किया है; लेकिन वास्तव में यह केवल मिथ्या और बेधर्म प्रचार है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जान-बूझकर और एक राम उद्देश्य को गानने रखकर कुछ तथ्यों को छाटा गया है और इन तथ्यों के पीछे जो वास्तविकता थी, उसको तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। भारत की मौजूदा हालत को समझने के लिए जितनी बातें महत्वपूर्ण थी, उन सब पर पर्दा डाल दिया गया है और जितनी बातें में भारत

के लोगों की बदनामी होती थी और अंग्रेजों के “फूट डालो और राज करो” के सरकारी सिद्धान्त को बल मिलता था, उन सब की बड़े प्रेम और विस्तार के साथ विवेचना की गयी है।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जिस भावना के साथ भारत की परिस्थितियों का अवलोकन किया गया है, उसकी एक बड़ी सुन्दर नकल आर. पेज आर्नॉट ने तैयार की है: “सयुक्त राज्य अमरीका के विशाल भूखंड के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और भौगोलिक विशेषताएं पायी जाती हैं और वहां के रहनेवालों में इसी प्रकार तरह-तरह के नस्ल और धर्म के भेद पाये जाते हैं ...।” सच तो यह है कि अमरीकी क्रान्ति के कुछ समय पहले अंग्रेज लोग अमरीकी कौम के द्वारे में भी इसी तरह के गूढ़ “विश्लेषण” किया करते थे और इस बात के “प्रमाण” दिया करते थे कि अमरीकी कौम का एकताबद्ध होना असम्भव है।

पुराने जमाने में भारत में कितनी एकता थी और कितनी नहीं, यह प्रश्न इतिहासकारों के लिए छोड़ा जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि आधुनिक काल के इतिहासकार और अनुसंधानकर्ता, यहां तक कि उनमें से साम्राज्यवाद का पक्ष लेनेवाले लोग भी, अब उन बातों का समर्थन नहीं करते जो कि पचास वर्ष पहले डके की चोट पर कही जाती थी। विसेट ए. स्मिथ ने १९१६ में लिखा था. “समस्त भारत की राजनीतिक एकता हालांकि कभी पूरी तौर पर स्थापित नहीं हुई है, परन्तु वह सदियों से जनता का आदर्श अवश्य रही है।”

अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि इस समय भारत में कितनी एकता है और कितने भेद हैं। और तब उन भेदों के बारे में कुछ कहना आवश्यक हो जाता है जिनका साम्राज्यवादी प्रचारकों ने इतना डोल पीटा है और जिसकी वजह से, उनका कहना है कि भारत के लोगों को स्वराज्य देना असम्भव हो गया था और अंग्रेजी राज को कायम रखना जरूरी हो गया था।

२. जात-पांत, धर्म और भाषा के सवाल

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय जनता को बीते हुए जमाने से विरासत के रूप में तरह-तरह की समस्याएं, उलझनें, भेद और असमानताएं मिली हैं और वे पुराने जमाने के अवशेष के तौर पर आज भी मौजूद हैं और जिन्हें भारत के लोगों को दूर करना है। हर कौम की कुछ अपनी खास समस्याएं होती हैं जो उसे अपने पुराने इतिहास से विरासत में मिलती हैं। साम्राज्यवाद से पूर्ण

स्वतंत्रता प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि तब भारतीय जनता के प्रगतिशील नेताओं को इन समस्याओं में हाथ लगाने और उन्हें हल करने का मौका मिलेगा और वे भारत के लोगों को जनवादी एवं सामाजिक प्रगति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। कारण कि पिछले पचास वर्षों के अनुभव से स्वाम तौर पर यह बात साबित हो गयी है कि साम्राज्यवाद के पतन के इस आधुनिक काल में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रतिनिधि अधिकाधिक सक्रिय रूप में इन बुराइयों पर हमला कर रहे हैं, जब कि साम्राज्यवाद सुधार की अनेक योजनाओं के रास्ते में अड़गे डालने का काम कर रहा है और इस तरह पेग आ रहा है जिससे ये बुराईया जिन्दा रहती हैं और यहाँ तक कि और उग्र रूप धारण कर लेती हैं।

ऐसी नीति खुद अपना मुँह काला कर लेती है जो व्यवहार में तो एक पराधीन कौम को फूट और पिछड़पन का पोषण करती है और उनको कायम रखती है, और यहाँ तक कि अपने शासन के तरीकों से उन्हें और बढ़ावा देती है, मगर दिखावे के लिए इस बात का ढोल पीटती है कि इन अफसोसनाक बुराइयों से प्रभावित हो जाता है कि यह कौम न तो कभी अपने अन्दर एकता स्थापित कर सकता है और न स्वराज्य के योग्य बन सकता है।

वस्तुतः स्वयं साइमन कमिशन को अपनी रिपोर्ट में यह मानना पड़ा था कि हिन्दू-मुस्लिम विरोध उन श्लाको की विशेषता है जो सीधे अंग्रेजी राज के भातहत हैं, और यह विरोध अंग्रेजी राज में बड़ा है। इसके कारण उन राजनीतिक बातों में सम्बन्धित हैं, जो साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना के रूप में प्रकट हुई थीं, और अन्त में जिनका परिणाम भारत के बटवारे के रूप में सामने आया था।

जहाँ तक जात-पात और शूत-अछूत के भेदों का सवाल है, हम इस बात की मराहना किये बिना नहीं रह सकते कि साम्राज्यवादी लोग अछूतों तथा दलित जातों पर इतने दयालु हैं कि वे सदा उनकी सख्या को बढ़ाते रहने का प्रयत्न करते आये हैं! कोई एक पाँचों पहले, जब राजनीतिक परिस्थिति ने इतना उग्र रूप धारण नहीं किया था, तब आम तौर पर अछूतों और दलित जातों के लोगों की सख्या ३ करोड़ बतायी जाती थी। १९१० में बँलटाइल विरोध ने उसे बड़ाकर ५ करोड़ कर दिया। १९२६ में एस्टे ने उसे ६ करोड़ पर पहुँचा दिया।

अछूत प्रथा के निरन्तर विटिय सरकार ने नहीं, बल्कि प्रगतिशील राष्ट्रीय आन्दोलन ने मथपं चलाया है। पाटनों को बह पटना याद होगी जब महात्मा गांधी के आन्दोलन के प्रभाव ने दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध मठियों ने, जिनमें मठियों ने अछूतों का प्रवेश मंजूर था, अपने द्वार उनके लिए खोल दिये थे।

तब अछूतों को मन्दिरों में घुसने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुलिस भेजी थी और दलील यह दी थी कि अछूतों के मन्दिर प्रवेश से जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगेगी और इसलिए उसे रोकना सरकार का पुनीत कर्तव्य है।

हां, इस बात की ब्रिटिश सरकार को अवश्य चिन्ता थी कि अछूतों या दलित जातों के लोगो की मतदाताओं की सूची अलग से बनायी जाये और उनको अलग से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने की गारंटी दी जाय, ताकि भारत के लोगो मे फूट का एक और तत्व पैदा हो जाय और कांग्रेस कमजोर पड जाय। खुद अछूत लोगो का सरकार के इस अति-स्नेह के विषय में क्या विचार था, यह अछूत सघ के नेता डॉक्टर अम्बेदकर के मुह से सुनिए, जिनको सरकार भी अछूतो का नेता और प्रवक्ता मानती है

“अंग्रेज लोग हमारी शोचनीय हालत का विज्ञापन इसलिए नहीं करते कि वे उसे बदलना चाहते हैं, बल्कि वे केवल इसलिए उसका ढोल पीटते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें भारत की राजनीतिक प्रगति को रोकने का एक बहाना मिल जाता है।”

दलित जातो के लोगो के हित और उनकी मुक्ति का लक्ष्य अवश्यम्भावी रूप से सम्पूर्ण भारतीय जनता के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन से जुडा है।

जात-पात की समाज को पगु बनानेवाली प्रथा उपदेश देने या कोसने से नहीं खतम होगी। वह तो केवल आधुनिक उद्योग-धधे तथा राजनीतिक जनतंत्र के विकास से ही मिटेगी। जैसे-जैसे पुराने सामाजिक बधनो का स्थान नये सामाजिक बधन और समान हित लेते जायेंगे, वैसे-वैसे यह प्रथा भी मिटती जायगी। मार्क्स के शब्दो मे : “आधुनिक उद्योग-धधे उस बक्ष-परम्परागत श्रम-विभाजन को मिटा देगे जिस पर भारत की जात-पांत की वह व्यवस्था आधारित है जो भारत की उन्नति और शक्ति-वर्धन के रास्ते में जवर्दस्त अडगा बनी हुई है।” मार्क्स ने सौ वर्ष पहले जो भविष्यवाणी की थी, वह किस प्रकार सच उतर रही है, इसका एक प्रमाण १९२१ की जन-गणना की रिपोर्ट मे मिलता है। उसमे कहा गया है : “जमशेदपुर जैसी जगहो मे, जहा कि आधुनिक परिस्थितियो मे काम हो रहा है, सभी जातो और नस्लो के लोग मिल के अन्दर साथ-साथ काम करते हैं और इस बात की कोई चिन्ता नहीं करते कि उनके बराबर मे जो काम कर रहा है, उसकी क्या जात है।”

जहा तक भाषाओं के भेद का सवाल है, यदि हम १९२१ की जन-गणना की, जिसे साइमन कमीशन ने अपना आधार बनाया है, १९०१ की जन-गणना से तुनना करे तो हम इस दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं कि १९०१ और १९२१

के बीच आवादी २६ करोड़ २० लाख से बढ़कर केवल ३१ करोड़ ६० लाख हुई, लेकिन उसी अरसे में भापाओं की संख्या १४७ से बढ़कर २२२ हो गयी।

लेकिन, यदि थोड़े और विस्तार से विचार किया जाय तो "२२२ अलग-अलग भापाओं" की इस पुराण-कथा पर काफी प्रकाश पड़ जाता है। इस संख्या में १३४ हिन्दू-चीनी भापाएं शामिल हैं, और १९०९ में प्रकाशित भारत का इम्पीरियल गजेटियर हमें बताता है कि इन भापाओं में से प्रत्येक के कितने बोलनेवाले हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भापाओं के बोलनेवालों की संख्या देखिए कबुइ भापा को ४ आदमी बोलते हैं, आद्रो को १ आदमी, कसुइ को ११, भानू को १५, आका को २६, ताइरोग को १२, और नोरा को २। अभी तक यह समझा जाता था कि भापा मनुष्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का साधन है; लेकिन जब आद्रो भापा को केवल १ आदमी बोलता है, तो निश्चय ही भापा के विषय में हमें अपनी धारणा बदलनी होगी। मगर नोरा नामक भापा के भापा होने में किसी को संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर उसके बोलनेवालों की संख्या २ है !

उसके बाद जब १९३१ की जन-गणना हुई तो उसमें भापाओं की संख्या २०३ ही रह गयी। लगता है, जिन भापाओं के केवल एक, दो, या चार बोलनेवाले थे, उनके बोलनेवाले इस बीच दुर्भाग्यवश मर गये थे और इस प्रकार अपनी नासमझी के कारण भारत के लोगों की स्वराज्य की मांग के खिलाफ साम्राज्यवादियों की दलीलों को कमजोर कर गये थे ! १९३७ में बर्मा के भारत से अलग हो जाने पर तो मानो भापाओं की सूची में महामारी फैल गयी, क्योंकि भारत के लोगों में फूट भावित करने के लिए जिन सैकड़ों भापाओं का नाम गिनाया जाता था, उनमें से अधिकतर (१२८) बर्मा की भापाएं थीं।

भारत में भापाओं की समस्या व्यावहारिक रूप से १२ या १३ भापाओं की समस्या है, जिनमें से ९ उत्तर-भारतीय भापाएं एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। यहां तक कि १९२१ की जन-गणना की रिपोर्टों को भी यह कहना पड़ा था -

"इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर तथा मध्य भारत की मुख्य भापाओं में एक समान तत्व है, जिसके कारण उनके बोलनेवाले बिना अपनी बोलचाल में कोई श्रान परिवर्तन क्रिये एक-दूसरे की बात समझ लेते हैं। इस प्रकार भारत के बहुत बड़े हिस्से के लिए समान भापा का आधार पहने से ही तैयार है।"

भारतीय नाम की कोई जाति है या नहीं, इसका प्रमाण आकड़ेवालों के दृष्टियों में या पार्लामेंटों के मन्त्रणागृहों में नहीं मिल सकता। इसका प्रमाण तो

अमल के मैदान में मिल चुका है। बीसवीं सदी का पूरा अनुभव इसका प्रमाण है, क्योंकि भारत के लोगों की विविधता अथवा उनका बहुजातीय स्वरूप इस बुनियादी एकता का खंडन नहीं करते। वे तो ऐसी समस्याएं हैं जिनको केवल भारत के लोग ही स्वयं हल कर सकते हैं।

३. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का श्रीगणेश

आधुनिक काल में, भारत में राष्ट्रीय जनवादी चेतना के अस्तित्व से इनकार करना व्यावहारिक रूप से असम्भव हो गया था। इसलिए साम्राज्यवाद के ज्यादा होशियार प्रतिनिधि एक नयी दलील देने लगे। वह यह कि भारत के लोगों में जो जातीय अथवा राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, वह साम्राज्यवाद की देन है, उसे साम्राज्यवाद ने भारत में ब्रिटेन के जनवादी आदर्शों के बीज बोकर पैदा किया है। १९१८ में मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने कहा था : "भारत के लोगों का वह हिस्सा जिसमें राजनीतिक चेतना है...बौद्धिक रूप से हमारी सन्तान है।"

आधुनिक साम्राज्यवाद का यह दावा एक पतनोन्मुख शक्ति की निरीह आत्म-प्रवर्चना तथा आत्म-परितुष्टि मात्र कदापि नहीं है। इस तर्क का व्यावहारिक महत्व स्पष्ट है। उसका महत्व यह है कि यदि यह दावा सच है तो भारत की "विवेकशील" तथा "रचनात्मक" राष्ट्रवादिता को चाहिए कि वह साम्राज्यवाद को अपना शत्रु नहीं समझे। और तब उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना बन्द करके साम्राज्यवाद से समझौता और सहयोग करना चाहिए, और यहां तक कि कागजी "आजादी" की रामनामी की आड़ में या तो ब्रिटिश "राष्ट्र-समूह" अथवा साम्राज्य के अन्दर बने रहना चाहिए, या उससे सम्बंध कायम रखना चाहिए।

क्या यह समझना सही होगा कि भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन अंग्रेजी राज का फल और परिणाम है? निस्सन्देह, एक अर्थ में यह बात सही है। भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन चूँकि साम्राज्यवाद से लड़ने के दौरान में पैदा हुआ है और बढ़ा है, इसलिए इस अर्थ में साम्राज्यवाद उसकी भूमिका लिखने तथा उसका सूत्रपात करने का दावा कर सकता है। इसी तरह जारशाही भी रूस में मजदूर वर्ग की विजय का सूत्रपात करने का दावा कर सकती है और चार्ल्स प्रथम क्रॉमवेल की विजय के लिए परिस्थिति तैयार करने का दावा कर सकता है। और चीन पर हमला करनेवाले जापानी यह दावा कर सकते हैं कि वे अपने हमले से चीनी जनता को राष्ट्रीय एकता कायम करने में मदद दे रहे थे।

लेकिन आधुनिक काल के साम्राज्यवादी प्रचारको का यह मतलब नहीं है। एल. एफ. रशब्रुक विलियम्स की तरह वे यह कहते हैं कि : "इंग्लैंड के इतिहास में भारत के लोगों को धीरे-धीरे नागरिक अधिकार प्राप्त करने का पाठ पढ़ाया। बर्क और मिल की सीखों के रूप में इंग्लैंड की राजनीतिक विचारधारा ने इस पाठ को और हृदय से उनके मन पर अंकित किया। शिक्षित भारतीयों की बुद्धि बुनियादी तौर पर बड़ी तेज होती है और वे जल्दी से जोश में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगा मानो उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।" (ह्याट ग्रवाउट इंडिया?, १९३८)

इस दावे में सत्य का कितना अंश है ?

आधुनिक काल की जनवादी क्रान्ति, जो बहुत से देशों में हो चुकी है और जो इंग्लैंड में बहुत शुरु में हुई थी, कोई खास इंग्लैंड की चीज नहीं है। न ही यह कहना सही है कि जनवादी क्रान्ति के बीज बोने के लिए किसी देश पर विदेशी राज का होना आवश्यक है। उन्नीसवीं सदी के जनवादी आन्दोलन में अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा से और उससे भी अधिक फ्रांस की महान क्रान्ति में जितनी प्रेरणा प्राप्त की थी, उतनी उसने इंग्लैंड से नहीं की थी, जहाँ कि बादशाहत और पार्लियामेंट के बीच समझौता हो गया था। और बीसवीं सदी में दुनिया भर के राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आन्दोलनों को प्रेरणा देने का काम मुख्यतया १९०५ और १९१७ की रूसी क्रान्तियों ने और १९४९ की चीनी क्रान्ति की ऐतिहासिक विजय ने किया है।

भारत में जनता की जागृति सतार की इन्हीं धाराओं के साथ-साथ बड़ी है, वह उसके इतिहास में माबित किया जा सकता है। उन्नीसवीं सताब्दी में भारत के पूँजीवादी-राष्ट्रवाद के पिता राममोहन राय १८३० में इंग्लैंड गये थे। उन्होंने बहुत तकलीफ उठाकर भी एक फ्रांसीसी जहाज में यात्रा की, ताकि इस प्रकार वह फ्रांसीसी क्रान्ति के मिडान्तों में अपनी भक्ति तथा निष्ठा को पोषण कर सकें। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरु में सरकारी प्रेरणा से हुई थी। उसे जनता के उठते हुए आन्दोलन को दवाने तथा अंग्रेजी राज को मुर्झित रखने के उद्देश्य में बनाया गया था। वह योग्य माल तब इन्हीं हानत में पड़ी सोती रही और अपनी नींद में पहली बार तब जागी जब १९०५ के बाद जनता में बड़े पैमाने पर बेचनी और हलचल पैदा हुई। उसके बाद जब बेचनी की लहर दब गयी, तो कांग्रेस फिर नरमदली अंग्रेज उन्मुख राजनीति के शान्त नागर में विश्राम करने लगी। और जब १९१७ के बाद दुनिया भर में जन-आन्दोलन की लहर उठी, तब वह भी फिर एक बार जागी और पहले में भी त्याग बड़े पैमाने पर पाये बर चली।

क्या भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन इसलिए पैदा हुआ कि यहाँ के शिक्षित वर्ग को उसके शासकों ने बर्क, मिल और मँकाले की रचनाओं को पढ़ना और म्लैडस्टन तथा ब्राइट जैसे वक्ताओं की पार्लियामेन्टी भाषण-शैली में रस लेना सिखा दिया था ? साम्राज्यवादियों ने यही कहानी गढ़ रखी है। कहानी बहुत सरल है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है, कि आधुनिक फ्रांस नेपोलियन की इच्छा-शक्ति से उत्पन्न हुआ है; और कैथोलिक कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म लूथर की व्यक्तिगत दुर्भावनाओं से पैदा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों से पैदा हुआ है। वह साम्राज्यवाद की परिस्थितियों से और उसकी शोषण की व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। वह उन सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ है जो इस शोषण के कारण भारतीय समाज में उत्पन्न हो गयी थी। वह इस कारण पैदा हुआ है कि भारत में पूँजीपति वर्ग जन्म ले चुका था और शिक्षा की कँसी भी व्यवस्था होती, ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग के प्रभुत्व के साथ उसका टकराव होना लाजिमी था।

जब मँकाले ने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के समर्थकों को हराकर साम्राज्यवाद की तरफ से यहाँ अंग्रेजी ढंग की शिक्षा जारी की थी, तो उसका उद्देश्य भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक खोद डालना था। यह साम्राज्यवाद की पूरी व्यवस्था में निहित अन्तर्विरोधों का परिणाम था कि शिक्षा की जो पद्धति साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा करने के लिए जारी की गयी थी, उसी ने भारत के लोगों के लिए इंग्लैंड के जनवादी जन-आन्दोलनों और जन-सघर्षों से, और मिल्टन, शैली तथा वायरन जैसे कवियों से प्रेरणा प्राप्त करने का भी रास्ता खोल दिया। इंग्लैंड को यह महान जनवादी धारा उसी प्रकार की निरंकुशता से लड़ रही थी, जिस प्रकार की निरंकुशता भारत में कायम थी, और कभी-कभी तो उसका मुकाबला शासक वर्ग के उन्हीं व्यक्तियों से होता था जो भारत को गुलाम बनाये हुए थे और उसका शोषण कर रहे थे, जैसे विट्टु, हेर्स्टिग्ज, और वेलिंगटन। इस असंगति का मूल कारण यह था कि भारत का साम्राज्यवादी शासन एक ऐसे देश का शासक वर्ग चला रहा था, जहाँ की जनता खुद अपनी आजादी के लिए उससे लड़ रही थी।

भारत में अंग्रेजी राज की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है, उसे कम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जिन शक्तियों ने भारत के लोगों को एक राष्ट्र के साचे में ढाला है, उनको पैदा करने में भी अंग्रेजी राज ने—चाहे जितनी अनिच्छा-पूर्वक—जो योग दिया, उसे भी कम करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्क्स बता चुके हैं कि भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका के वे कौन से दो तत्व थे जिनके कारण उसने “धीरे-धीरे तथा नीचतम उद्देश्यों” से प्रेरित होकर भी “अज्ञान में” भारत के विकास के लिए “इतिहास के साधन” का काम किया।

भारत में अंग्रेजी राज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, या उसकी ध्वंसात्मक भूमिका की देन यह थी कि भारत में पुरानी समाज व्यवस्था का आधार निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। आगे किसी भी तरह की उन्नति के लिए पहले इस आधार का नाश होना जरूरी था। मगर लाजिमी तौर पर इसका यह मतलब नहीं होता कि यदि अंग्रेजों ने भारत को न जीता होता तो पुरानी समाज व्यवस्था का आधार मिटता ही नहीं। इसके विपरीत, जितनी सामग्री हमारे सामने मौजूद है, उसके आधार पर यह धारणा बनती है कि जिस समय अंग्रेजों ने भारत को जीता, उस समय यहाँ का परम्परागत समाज पूँजीवादी क्रान्ति की पहली मजिल के कणार पर खड़ा काँप रहा था और यह मजिल वह केवल अपने साधनों के बल पर तै करनेवाला था। लेकिन भारतीय समाज परिवर्तनकालीन अव्यवस्था के दौर में ही था कि ब्रिटेन की पूर्णतया परिपक्व पूँजीवादी क्रान्ति ने उसे आ दबोचा और भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। फिर भी इतिहास में यही लिखा जायगा कि भारत की पुरानी समाज व्यवस्था का आधार अंग्रेजी राज ने नष्ट किया था।

अंग्रेजी राज की दूसरी देन यह थी कि उसने भारत में नयी समाज व्यवस्था का भौतिक आधार तैयार किया, हालांकि यह काम उसने उतने पूर्ण रूप में नहीं किया जितने पूर्ण रूप में उसने अपनी ध्वंसात्मक भूमिका अदा की थी।

लेकिन इन दोनों कामों से ही न तो भारतीय जनता को आजादी मिल सकती थी और न ही उसकी हालत में कुछ सुधार हो सकता था।

उसके लिए एक तीसरा कदम जरूरी था। उनके लिए जरूरी था कि भारत की जनता उत्पादन की नयी शक्तियों पर अधिकार कर ले और उनका अपने हित में मगटन करे। और जैसा कि मार्क्स ने बहुत जोर देकर कहा था, यह काम भारत की जनता खुद ही करेगी। जब मार्शाज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करती हुई वह इतनी शक्ति का संचय कर लेगी कि "अंग्रेजी जुए को एकदम उतार फेंकने में कामयाब हो जाय," तभी यह तीसरा कदम उठाया जा सकेगा।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में, अंग्रेजी राज के पहले काल में, अंग्रेज शासक भारत में जो तबाही और बरबादी ढा रहे थे, और यहाँ के उद्योग-धंधों को जिम तरह तहम-नहम कर रहे थे, उसके बावजूद, या कहना चाहिए कि उसी के जरिए, ये कुछ बातों में इतिहास के दृष्टिकोण ने एक क्रान्तिकारी भूमिका अदा कर रहे थे। देगी रियासतों को जबरदस्ती हूँस लेने की उनकी नीति के फलस्वरूप बहुत सी नवाबियाँ और रियासतें मिटती जा रही थीं और बारी राजा और नवाब भय से दर-दर काप रहे थे। यह धार्मिक मुथारों का युग था। अंग्रेजी सरकार ने मनी-प्रथा को बन्द कर दिया था (और भारतीय समाज

के प्रगतिशील तत्वों ने इसका पूरे हृदय से समर्थन किया था)। उसने गुलामी की प्रथा को खतम कर दिया था (हालांकि अमल में यह कुछ रस्मी ढंग की कार्रवाई साबित हुई)। वह शिशु-हत्या और ठगी के खिलाफ जिहाद चला रही थी। उसने देश में पश्चिमी ढंग की शिक्षा जारी की थी और पत्र-पत्रिकाओं को आजादी दी थी। गुरु के जमाने के इन अंग्रेज शासकों का दृष्टिकोण बड़ा कट्टर था। भारत की परम्परागत प्रथाओं में जो कुछ भी प्रतिक्रियावादी था, उसके साथ उन्हें जरा भी सहानुभूति न थी। उनका पक्का विश्वास था कि उन्नीसवीं सदी की अंग्रेजों की पूजावादी तथा ईसाई धारणाओं को ममस्त मानवता की धारणाएं बन जाना चाहिए। फिर भी, ये लोग उस काल के उदीयमान पूजापति वर्ग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, और इस रूप में उन्होंने भारत में सीमित ढंग के काफी परिवर्तन किये। उस जमाने में भारत के नवजात पूजापति वर्ग के प्रगतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व राजा राममोहन राय और ब्राह्म-समाजी आन्दोलन के समाज-सुधारक करते थे, और ये सब लोग अंग्रेजों की खुलेआम प्रशंसा किया करते थे और उन्हें भारत की प्रगति का समर्थक समझते थे। ये लोग अंग्रेजी सरकार के सुधारों का निस्संकोच समर्थन करते थे और उनको एक नयी सम्यता की भूमिका समझते थे। अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु पुराने प्रतिक्रियावादी राजा-रजवाड़े थे, जो अंग्रेजों के इन क्रदमों को अपने अस्तित्व के लिए खतरनाक समझते थे।

१८५७ के विद्रोह के दो पहलू थे। एक ओर उससे पता चलता था कि भारतीय समाज के गर्भ में जन-विद्रोह की कितनी विराट शक्तियां जन्म ले रही हैं और साम्राज्यवादी शासन का आधार कितना कमजोर और अस्थिर है। लेकिन दूसरी ओर, इस विद्रोह पर पुरानी दकियानूसी और सामन्ती शक्तियों की छाप थी, और उसका नेतृत्व उन राजाओं और नवाबों के हाथ में था जो अपने विशेषाधिकारों को मिटते हुए देखकर उनकी रक्षा के वास्ते मैदान में उतरे थे। विद्रोह के इस प्रतिक्रियावादी स्वरूप के कारण उसे जनता का अधिक व्यापक समर्थन न मिल सका, और इसलिए यह लाजमी था कि वह असफल रहता। फिर भी, इस विद्रोह से यह बात साफ हो गयी कि सतह के नीचे-नीचे जनता में असंतोष और बेचैनी की कंसी भयानक आग सुलग रही है, और इसमें अंग्रेज शासकों में ऐसी घबराहट पैदा हुई जो उसके बाद की उनकी सारी कार्रवाइयों में दिखाई देती है। लार्ड मंटकाल्फ, जो १८३५-३६ में भारत के गवर्नर जनरल थे, इसके पहलेवाले काल में ही लिख चुके थे कि "पूरा भारत हर घड़ी यही मनाया करता है कि हमारा तख्ता उलट जाय। हमारे नाश पर हर जगह लोग खुशिया मनायेंगे, या कम से कम सोचते हैं कि वे खुशिया मनायेंगे। और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उस घड़ी को नजदीक लाने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।"

१८५७ के बाद अंग्रेजों की नीति और अंग्रेजी राज के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके बाद अंग्रेजों की नीति अधिकाधिक इस बात पर खास जोर देने लगी कि जनता के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कितनी तरह भारत के प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन प्राप्त किया जाय। इसके साथ-साथ, भारत के नवजात पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाली, नयी प्रगतिशील शक्तियों के साथ अंग्रेज शासकों के सम्बन्धों में भी एकदम परिवर्तन हो गया। पहले दोनों में मैत्रीपूर्ण घनिष्ठता थी, अब उसका स्थान उदासीनता, सन्देह और यहाँ तक कि शत्रुता ने ले लिया। उसमें थोड़ी कमी कभी आती भी थी तो केवल उस समय जब अंग्रेज शासक मौके से मजबूर होकर जनता के खिलाफ उनसे भी अस्थायी गठबन्धन कर लेते थे। देशी रियासतों को जबर्दस्ती ब्रिटिश भारत में मिला लेने की नीति यकायक त्याग दी गयी। इसके बाद से बचे-खुचे राजाओं और नवाबों को अपनी कठपुतलिया बनाकर जिन्दा रखने की नीति का पालन किया जाने लगा। अंग्रेजों ने उन्हें "पूर्णतया स्वतंत्र" घोषित कर दिया और कहा कि ये हमारे मित्र और सहयोगी हैं। देशी रियासतों में अब अंग्रेज हर तरह के सामन्ती अत्याचार और अनाचार की रक्षा करने लगे। बल्कि सामन्ती अत्याचार अब पहले से भी बढ गये, क्योंकि अब देशी राजा और नवाब एकदम मुफ्तखोर और जनता का खून चूसनेवाली जोकें बनकर रह गये थे। यह इस नयी नीति का ही नतीजा है कि अंग्रेजों ने भारत के नवजन्मे छोटी-छोटी रियासतों के ऐसे पबन्द लगा रखे थे जिनका कोई तिर-पैर नहीं था। अंग्रेजी राज के हाल के दौर में इन राजाओं और नवाबों को, जो उस समय तक एकदम भट्टे हो गये थे और अपने साम्राज्यवादी आक्रामकों के दूसारे पर नाचनेवाली कठपुतलिया बन गये थे, फिर एक बार भारत के बंधानिक विकास के मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की शक्तियों का विरोध करने के लिए सामने लाया गया। १८५७ के बाद अंग्रेजों ने समाज-मुधार के मार्ग पर भी चलना बन्द कर दिया। उसी जगह वे हर प्रतिक्रियावादी धार्मिक प्रयास और रीति का जोरों में समर्थन करने लगे, और दिन-ब-दिन यह बात अधिक स्पष्ट होती गयी (इस काल का नगनग एकमात्र अपवाद "एज ऑफ़ कमेन्ट ऐक्ट" था)। १८५८ में महारानी विक्टोरिया की तरफ से जो घोषणा की गयी, उसमें एक तरफ तो भारत के लोगों और अंग्रेजों को बराबरी का दर्जा देने का रूपक रचा गया था (त्रिमके धारे में बाद में वायसराय लार्ड लिटन ने कहा था कि "ये दावे और ये उम्मीदें न तो कभी पूरी हो सकती हैं और न पूरी होंगी"), और दूसरी तरफ उसमें सरकार के दम फँसने पर जोर दिया गया था कि प्रायः से वह "धार्मिक विश्वास और उपानना के मामलों में कभी किसी तरह का हस्तक्षेप न करेगा;" और भारतीय समाज की दक्रियानुधी ताकतों को यह विश्वास दिलाया गया था कि "भारत के प्राचीन

अधिकारों, रीतियों और रिवाजों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा।” १८७६ में एक शाही उपाधियों का कानून बनाया गया, जिसके मातहत अगले वर्ष महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। वायसराय लार्ड लिटन ने कहा कि यह कानून “एक नयी नीति” के आरम्भ होने की सूचना देता है जिसके फलस्वरूप “अब से इंग्लैंड के राज्य-सिंहासन को भारत के एक शक्तिशाली देशी अभिजात वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों और हितों का प्रतिनिधि और रक्षक समझा जाने लगेगा।” इस काल से ही अंग्रेज शासक हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में भिड़ा देने और भारत के लोगों के अन्य प्रकार के छोटे-मोटे मतभेदों से फायदा उठाने के तरीकों का अधिकाधिक ध्यान-पूर्वक अध्ययन करने लगे। यहाँ तक कि अन्त में अंग्रेज शासक साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्रों की आधुनिक पद्धति के द्वारा इस सवाल को भारत की राजनीति का मुख्य सवाल बनाने में सफल हो गये। इसके साथ-साथ १८५७ के बाद से, अंग्रेज शासकों और भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों का अलगाव बढ़ता गया। दोनों पक्षों के लोग मानते हैं कि १८५७ के बाद से ही अंग्रेज शासकों और प्रगतिशील हिन्दुस्तानियों के सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन हो गया।

इस प्रकार ब्रिटेन में और दुनिया के पैमाने पर पूजावाद के सामान्य स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ था, पूजावाद की प्रारम्भिक काल की प्रगतिशील भूमिका के स्थान पर जिस प्रकार एक अधिक प्रतिक्रियावादी और पतनोन्मुख भूमिका का श्रीगणेश हो गया था, उसी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया था। जब पूजावाद ने आधुनिक साम्राज्यवाद अथवा मरनोन्मुख पूजावाद की अन्तिम अवस्था में प्रवेश किया, तो उसकी यह प्रतिक्रियावादी भूमिका विशेष रूप से स्पष्ट हो गयी।

दूसरी ओर जहाँ उन्नीसवीं सदी के बाद के दशकों में भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका अधिकाधिक प्रतिगामी बनने लगी थी, वहाँ भारतीय समाज में नयी शक्तियाँ जन्म ले रही थीं।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत का पूजापति वर्ग सामने आने लगा था। १८५३ में बम्बई में पहला कामयाब सूती मिल खुला। १८८० तक भारत में १५६ सूती मिल चालू हो गये, जिनमें ४४,००० मजदूर काम करते थे। १९०० तक मिलों की संख्या १६३ और उनमें काम करनेवाले मजदूरों की संख्या १६१,००० हो गयी। शुरू से ही सूती कपड़े का यह नया उद्योग हिन्दुस्तानियों के हाथ में था, और उसमें उन्हीं की पूजा लगी थी; और इस उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ-साथ नये शिक्षित मध्य वर्ग ने भी जन्म लिया था। वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और सरकारी नौकरों के इस नये वर्ग को पश्चिमी ढंग की शिक्षा मिली थी और वह उन्नीसवीं सदी की जन-

वादी धारणाओं के अनुसार नागरिक अधिकारों की मांग कर रहा था। पूंजीवादी उद्योग-धंधे तथा पश्चिमी ढंग का नया बुद्धिजीवी वर्ग, दोनों का ही अभी अपेक्षाकृत कम विकास हुआ था। लेकिन उस नये वर्ग ने जन्म ले लिया था जिसको लाजिमी तौर पर आगे चलकर अपने से ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वन्दी और अपनी तरक्की के रास्ते में रोड़े के रूप में ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग का मुकाबला करना था और इसलिए जिसके भाग्य में यह लिखा था कि वह भारत की राष्ट्रीय मांग को सबसे पहले बुलन्द करेगा और देश का नेतृत्व करेगा।

भारत के इस नये पूंजीपति वर्ग और ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग के आर्थिक हिता का बुनियादी टकराव १८८२ में ही सामने आ गया था जब कि लकाशायर की कपड़ा मिलों के मालिकों की मांग पर सरकार ने भारत के बढ़ते हुए कपड़ा उद्योग का गला घोटने के लिए भारत में आनेवाले सूती कपड़े पर नए तरह की चुगो हटा ली थी। इसके तीन साल बाद भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गयी।

अन्तिम बात यह कि भारत में अंग्रेजी पूंजी के घुसने के परिणामस्वरूप किसानों की गरीबी और तबाही बढ़ रही थी, और उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक और खास तौर पर उसके आखिरी तीस वर्षों में हालत यहां तक पहुंच गयी थी कि किसान सब तरफ से निराश हो गये थे और उनकी बेचनी फूटकर निकलने लगी थी। हम ऊपर बता चुके हैं कि जहां उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में सात अकाल पड़े थे और उनमें १५ लाख आदमी मरे थे, वहां उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में चौबीस अकाल पड़े थे और उनमें २ करोड़ ८५ लाख आदमी मरे थे; और इन चौबीस अकालों में से अठारह अकाल उन्नीसवीं सदी के अन्तिम पच्चीस वर्षों में पड़े थे। किसानों में आम पैमाने पर जो बेचनी बढ़ रही थी, उसकी एक चेतावनी १८७५ में दकन के किसान विद्रोह के रूप में मिली। सरकार को उससे कितनी चिन्ता हुई, यह इस बात से प्रकट होता है कि उसने १८७५ में दकन के उपद्रवों की जांच करने के लिए एक कमिशन नियुक्त किया जिसने देहात की हालत की पूरी जांच की और उपद्रवों के कारणों की ध्यान-चीन की। इसके बाद १८७८ में सरकार ने एक अकाल कमिशन भी नियुक्त किया।

इस प्रकार, उन्नीसवीं सदी का तीन-चौथाई हिस्सा बीतते-बीतते भारत में ये तनाम परिस्थितियां तैयार हो गयी थी, जो राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ होने के लिए आवश्यक थी, और जो उन्नीसवीं सदी के पहले पचत्तर वर्षों में यहां मौजूद नहीं थीं।

४. राष्ट्रीय कांग्रेस का अभ्युदय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना १८८५ में हुई ।

उसके जन्म की कहानी का हवाला देकर अक्सर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने ही पाल-पोसकर बड़ा किया है । किन्तु वास्तव में, कांग्रेस का जिस तरह जन्म हुआ और बाद में उसका जिस तरह विकास हुआ, उसके बीच गहरा विरोध है, और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत में राष्ट्रीय जाग्रति की शक्तियाँ कितनी बलवान थीं और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का बढ़ना अनिवार्य था ।

एक सगठन के रूप में कांग्रेस का जन्म एक अंग्रेज की पहलकदमी पर हुआ था । कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की नीति के अनुसार और उसके सीधे नेतृत्व में की गयी थी । उसकी पूरी योजना वायसराय के मशविरे से पहले ही चुपचाप तैयार कर ली गयी थी । इरादा यह था कि अंग्रेजी राज को जनता की बढ़ती हुई बेचैनी और अंग्रेज-विरोधी भावना से बचाने के लिए इस नयी संस्था का इस्तेमाल किया जाय ।

लेकिन बाद में कांग्रेस का जो इतिहास रहा, जिस तरह उसका विकास हुआ, और जिस तरह कांग्रेस साम्राज्यवाद के शुरू के इरादों की सीमाओं को तोड़कर आगे निकल गयी, उससे केवल यही साबित होता है कि राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्तियाँ अबाध गति से आगे बढ़ रही थीं और साम्राज्यवाद ने उनको बांधने के लिए जो सकरी नालियाँ बना रखी थीं, उनमें इन शक्तियों को रोक रखना असम्भव था । सच तो यह है कि खुद भारतीय पूँजीपति वर्ग की कार्रवाइयों के फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार जोर पकड़ने लगा था । (१८२८ में ब्राह्म-समाज की स्थापना होने के समय से लेकर १८८३ में श्री आनन्दमोहन बोस के सभापतित्व में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये जाने तक, यह विचार बराबर फैलता गया ।) तभी अंग्रेजी सरकार ने बीच में टांग अड़ाने का फैसला किया । लेकिन उसने किसी ऐसे आन्दोलन को जन्म नहीं दिया जिसका देश में पहले से कोई अस्तित्व या आधार नहीं था । आन्दोलन तो अपने-आप बढ़ ही रहा था; जब सरकार ने यह देखा कि वह हर हालत में बढ़ता ही जायगा, तब उसने उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली ।

सरकार का दृष्टिकोण यह था कि कांग्रेस की स्थापना से निकट भविष्य में होनेवाली क्रान्ति की सम्भावना मिट जायेगी या उसका खतरा टल जायेगा ।

कांग्रेस का संस्थापक मि. ए. थो. ह्यूम नामक एक अंग्रेज हाकिम को समझा जाता है । १८८२ तक ह्यूम ने सरकारी नौकरी की थी । फिर पेंशन लेकर वह कांग्रेस की स्थापना के काम में लग गये । सरकारी हाकिम होने की

वजह से ह्यूम को पुलिस की कुछ युत और बहुत भारी-भरकम रिपोर्टें देखने को मिली थी। उनसे यह पता चलता था कि जनता में बेचैनी बहुत बढ़ गयी है और जगह-जगह लोग छिपकर पडयंत्रकारी संगठन बनाने लगे हैं। उन्नीसवीं सदी का आठवा दशक बड़े-बड़े अकालों और भुखमरी का दशक था, और जनता की बढ़ती हुई बेचैनी दकन के किसान विद्रोहों के रूप में फूट भी चुकी थी। १८७७ में एक तरफ भयंकर अकाल पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ बड़े ठाठ-वाट से राज-दरवार हो रहा था जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरा अफगान-युद्ध भी इसी साल हुआ था। जनता की बेचैनी का उत्तर दमन के जरिए दिया गया। १८७८ में देशी भाषाओं के अखबारों का कानून बनाकर पत्र-पत्रिकाओं की आजादी छीन ली गयी। अगले वर्ष हथियारों का कानून (आर्म्स ऐक्ट) बनाकर देहात के लोगों से जंगली जानवरों में अपनी रक्षा करने के साधन तक छीन लिये गये। सभा करने के अधिकार पर बन्दिने लगा दी गयी। ह्यूम की जीवनी के लेखक सर विलियम वेडरबर्न ने लिखा है :

“दुर्भाग्य में, सरकार ने जिन प्रतिक्रियावादी उपायों से काम लिया और जिन हसी तरीकों में पुलिस के जरिए दमन किया, उन सबका यह नतीजा हुआ कि लार्ड लिटन के जमाने में भारत में चन्द दिनों के अन्दर एक क्रान्तिकारी विस्फोट होने की आशंका पैदा हो गयी। वह तो संरिप्त हुई कि इसी समय मि ह्यूम और उनके भारतीय सलाहकारों के मन में बीच में हस्तक्षेप करने का विचार पैदा हुआ और परिस्थिति बच गयी।” सर विलियम ने आगे बताया है कि “मि. ह्यूम को विश्वास हो गया था कि जनता की बढ़ती हुई बेचैनी को रोकने के लिए कोई अमानी कदम उठाना जरूरी है।”

सरकारी आशोर्वाद के माय कार्य में की स्थापना के पहले दमन-चक्र चला। ये दोनों क्रियाएँ एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक थी। जब तक दमन के जरिए क्रान्तिकारी आन्दोलन को दूर नहीं कर दिया गया, तब तक नरमदली नेताओं के नेतृत्व में एक कानूनी आन्दोलन शुरू कराना भी सतरे में सामना नहीं सम्भल जाता था। इसलिए, सूबे जोगों में दमन करने के बाद ही “जनता की बढ़ती हुई बेचैनी को रोकने के लिए” वह दूसरा कदम उठाना गया। बारी-बारी में दमन और सम्भोजना करने का यह दोहरा तरीका, एक हाथ में सट्टर सट्टाओं को दवाने और दूसरे हाथ में “बक़ादार” नरमदली नेताओं का पुनःसम्मेलन और उनमें मध्यस्थ करने का यह हथकण्डा साम्राज्यवादी राजनीतियों की पुनःजीवनीय है, जिसका में आनेवाले जमाने में भी कई बार इस्तेमाल करनेवाला है।

पुलिस की रिपोर्टों में मि. ह्यूम को ऐसी कौन सी बातें मिली थी जिनके आधार पर उन्होंने यह लिखा कि "मुझे न तब जरा भी सन्देह था और न आज है कि हम उस समय सचमुच एक बहुत ही भयानक क्रान्ति के खतरे का सामना कर रहे थे और खतरा हृद से ज्यादा बढ चुका था ?" इन बातों को मि. ह्यूम के शब्दों में ही बताना अधिक उपयोगी होगा :

"मुझे सात बड़ी-बड़ी जिल्दें दिखायी गयीं ..जिनमें बहुत सामग्री जमा थी। उनमें देशी भाषाओं में लिखी गयी किसी न किसी तरह की रिपोर्टों या समाचारों का अंग्रेजी में सारांश या संक्षिप्त अथवा विस्तृत अनुवाद दिया गया था... उस वक्त बताया गया था कि तीस हजार से ज्यादा अलग-अलग सवाददाताओं की रिपोर्टें इन जिल्दों में जमा थी। बहुत सी रिपोर्टों में सबसे नीचे दर्जे के लोगों की बातचीत दर्ज की गयी थी, और उन सबसे पता चलता था कि ये गरीब लोग अपनी मौजूदा हालत से एकदम निराश हो गये हैं और उन्हें विश्वास हो गया है कि वे भूखों मर जायेंगे, और इसलिए वे अब कुछ करना चाहते हैं। वे कुछ करने पर तुल गये हैं और एक-दूसरे का साथ देना चाहते हैं, और इस कुछ का मतलब हिंसा है। बेगुमार रिपोर्टों में पुरानी तलवारे, भाले और बन्दूकें छिपाकर जमा करने की बात थी कि मौका पडते ही उनमें काम लिया जाय। यह खयाल नहीं था कि इस सबके परिणामस्वरूप शुरू में ही हमारी सरकार के खिलाफ बगावत खड़ी हो जायगी। सबसे नीचे स्तर के आधा पेट खाकर रहनेवाले लोगों की जो हालत थी, उसे देखते हुए यह लगता था कि पहले कुछ छिटपुट अपराध होंगे और फिर उनके होते ही उसी प्रकार के सैकड़ों अपराधों का ताता लग जायगा, और देश में ऐसी अराजकता फैल जायगी कि अधिकारियों से और भद्र वर्गों से कुछ भी करते-धरते न बनेगा। यह भी खयाल था कि... जब बदमाशों के दल काफी मजबूत हो जायेंगे, तो पडे-लिखे वर्गों के भी कुछ लोग उनके साथ हो जायेंगे। पडे-लिखे लोग पहले से ही सरकार से बहुत नाराज थे, भले ही इसका कोई कारण न रहा हो। डर था कि ये लोग आन्दोलन में शामिल होकर कहीं-कहीं उसके नेता बन जायेंगे, उपद्रवों को एक सूत्र में बाध देंगे और एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उनकी रहनुमाई करने लगेंगे।"

१८८५ के शुरू के हिस्से में ह्यूम ने वायसराय लार्ड डफरिन से बातचीत की और सारी परिस्थिति उनके सामने रखी। लार्ड डफरिन अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। शिमला में साम्राज्यवाद के मुख्य कार्यालय में इस बातचीत के दौरान में ही

कांग्रेस की रूपरेखा तैयार की गयी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थी डब्ल्यू. सी. वैनर्जी ने कांग्रेस के जन्म का इस प्रकार वर्णन किया है :

“शायद बहुत लोगों को यह बात मालूम न होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस रूप में शुरू-शुरू में स्थापना हुई और जिस प्रकार वह तब से काम करती आयी है, वह असल में डफ़रिन और आवा के भारक्विस की बनायी हुई है। उस समय वह भद्र पुरुष भारत के गवर्नर-जनरल थे। १८८४ में मि. ए. प्रो. ह्यूम के मन में यह विचार पैदा हुआ कि यदि देश के प्रमुख नेताओं को साल में एक बार एक जगह जमा किया जा सके और वहाँ वे सामाजिक विषयों पर विचार-विनिमय किया करें तथा एक-दूसरे से मित्रता का सम्बंध कायम कर सकें, तो देश का बहुत लाभ होगा। मि. ह्यूम यह नहीं चाहते थे कि ये लोग राजनीति पर भी बातचीत करें।... लार्ड डफ़रिन ने मि. ह्यूम से यह शर्त मनवा ली थी कि जब तक वह देश में रहे, तब तक उनका नाम गुप्त रहे।”

शुरू के राष्ट्रीय आन्दोलन का जिन लोगों ने अभी हाल में इतिहास लिखा है (जैसे सी. एफ. ऐण्ड्रयूज और जी. सी. मुकर्जी), उन्होंने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है :

“१८५७ के बाद इतना खतरनाक वक्त कभी नहीं आया था, जितना कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले आया था। अंग्रेज हाकिमों में ह्यूम थे जिन्होंने इस खतरे को देखा और उसको रोकने की कोशिश की। ... इस अखिल भारतीय आन्दोलन के लिए परिस्थिति पूरी तरह परिपक्व हो गयी थी। एक ऐसे किसान विद्रोह की जगह, जिसमें पढ़े-लिखे वर्गों की सहानुभूति और समर्पण प्राप्त होता, इसके जरिए नये उदीयमान वर्गों को नये भारत का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल गया। कुल मिलाकर यह अन्धा ही हुआ कि देश में एक बार फिर हिंसा पर आधारित क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा होने से रोक दी गयी।”

ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस की “हिंसा पर आधारित क्रान्तिकारी परिस्थिति को पैदा होने से रोकने” की भूमिका गांधी जी के आने के बाद नहीं शुरू हुई थी। साम्राज्यवाद ने कांग्रेस के जन्म के समय ही उसे इसकी पूटी पिला दी थी।

कांग्रेस की भूमिका के विषय में गुड ह्यूम साहब की क्या धारणा थी, यह उन्हीं के मन्शे में गुनिए :

“हमारे आने का मो से जो विघट और बढ़ती हुई गतियां भारत में पैदा हो गयी थीं, हिंसाइत के साथ उनका सारा जोग बाहर निकाल

देने के लिए एक यंत्र की जरूरत थी; और इस काम के लिए हमारे कांग्रेस आन्दोलन से ज्यादा कारगर कोई यंत्र नहीं बनाया जा सकता था।"

लार्ड डफरिन का उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के जरिए "वफादार" लोगो को "वागियों" से अलग करके सरकार की मदद करने के लिए एक आधार तैयार कर दिया जाय। उन्होंने अपना यह उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना के एक साल बाद १८८६ में, शिक्षित वर्गों की मांगों के विषय में भाषण करते हुए बहुत ही साफ़ शब्दों में बता दिया था :

"जिन काले आदिमियों से मैं मिला हूँ, उनमें काफ़ी लोग योग्य भी हैं और बुद्धिमान भी। इन लोगो की वफादारी और सहयोग पर कोई भी बिला-शक़ भरोसा कर सकता है। जब ये लोग सरकार का समर्थन करने लगेंगे तो सरकार के बहुत से ऐसे कामों का जनता में प्रचार हो जायगा जो आज उसकी निगाह में धारासभाओं से जबर्दस्ती कानून बनवा कर किये जाते हैं। और अगर इन लोगों के पीछे काले आदिमियों की एक पार्टी की ताक़त हो जाती है, तो फिर भारत सरकार आज की तरह अकेली न रह जायेगी। आज तो मालूम होता है कि अंग्रेज़ी सरकार एक अकेली चट्टान की तरह एक तूफ़ानी समुद्र के बीचोबीच खड़ी है और चारों दिशाओं से भयानक लहरें आ-आकर उस पर एक साथ दूट रही हैं।"

लार्ड डफरिन ने जो हिसाब लगाया था, वह बिल्कुल साफ़ था। और शुरू-शुरू में कांग्रेस की स्थापना का जो परिणाम हुआ, उससे लगता था कि डफरिन साहब की तरकीब पूरी तरह कामयाब रहेगी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन ने परम साम्राज्य-भक्ति का परिचय दिया। उसने नौ प्रस्ताव पास किये। सभी में शासन-प्रबंध में केवल छोटे-मोटे सुधारों की मांग थी। राष्ट्र की जनवादी मांगों से कुछ मिलती-जुलती सिर्फ़ यह प्रार्थना थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिलों में कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी ले लिये जायें। अपनी भेड़ों को मनचाहे ढंग से हॉकने में ह्यूम साहब को कितनी कामयाबी मिली, यह अधिवेशन समाप्त होने के समय की एक घटना से स्पष्ट हो जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की रिपोर्ट में इस घटना का वर्णन दिया गया है :

"मि. ह्यूम ने अपने प्रति प्रकट किये गये सम्मान के लिए धन्यवाद देने के बाद कहा : जयकार का काम चूँकि मुझे सौंपा गया है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि भला काम शुरू में नहीं, तो बाद में कर लेने के सिद्धान्त का पालन करते हुए, सब लोग तीन बार ही नहीं, बल्कि तीन तिया नौ बार, और अगर हो सके तो नौ तिया सत्ताइस बार उस व्यक्ति

की जय बोले जिसके पूतों के फीते खोलने के लायक भी मैं नहीं हूँ, जो आप सबको प्यार करती हूँ, और जो आप सबको अपने बच्चों के समान समझती हूँ। मेरा मतलब है कि सब मिलकर बोलिए महामहिम, महा-उदार, महारानी विक्टोरिया की जय !

“वक्ता ने और क्या कहा, यह नहीं सुना जा सका क्योंकि तभी चारों तरफ से जय-जयकार होने लगी और मि. ह्यूम की आवाज शोर में डूब गयी। उनकी इच्छानुसार लोगों ने बार-बार जय-जयकार की।”

इस तरह कांग्रेस की शुरुआत जी-हजुरी से हुई (परन्तु, ध्यान देने की बात है कि इस काम में बाजी हिन्दुस्तानियों के नहीं, अंग्रेजों के ही हाथ रही)। लेकिन वही कांग्रेस एक रोज गैर-कानूनी करार दे दी गयी। एक दिन प्रायः कि उसी कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार जहा-तहा दूढ़ती फिरती थी, और लाखों आजादी के मिपाही उसके इशारे पर लड़ने-मरने को तैयार थे। कांग्रेस के इन दोनों रूपों में यह कितना बड़ा अन्तर है !

कांग्रेस के जन्म के समय ही उसका जो यह दौरगा रूप प्रकट हुआ था, उसका कांग्रेस के बाद के इतिहास के लिए भी बहुत महत्व था। जब तक कांग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन के अस्त्र के रूप में काम करती रही, तब तक उसकी भूमिका और उसके अस्तित्व का यह दौरगापन बराबर कायम रहा। यह बात कांग्रेस के पूरे इतिहास में साफ नजर आती है। एक तरफ तो कांग्रेस जन-आन्दोलन के “सतरे” से बचने के लिए साम्राज्यवाद की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाती थी; दूसरी तरफ वह राष्ट्रीय सघर्ष में जनता का नेतृत्व करती थी। कांग्रेस के पुराने युग के नेता गोखले से लेकर, नये युग के नेता गोराने के निष्पत्ता तक—कांग्रेस के सभी नेताओं की असंगतियों के रूप में यह बात प्रकट होती है (गोखले और गांधी का अन्तर मुख्यतया जन-आन्दोलन की अलग-अलग मजिलों का अन्तर है, और इसलिए दोनों नेताओं को अलग-अलग ढंग की कार्य-नीति अपनानी पड़ी)। यह दौरगापन भारत के पूंजीपति वर्ग की दोहरी या दुनमुन भूमिका का प्रतिबिम्ब है, जिनकी ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग में टक्कर होती है और इसलिए जो भारतीय जनता का नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन इसके साथ-साथ जिसे मदा यह-उर भी बना रहता है कि जन-आन्दोलन को रफ्तार नहीं “इतनी तेज” न हो जाय कि साम्राज्यवादियों के साथ-साथ उनके विरोधाधिकारों का भी नफावा हो जाय।

दूसरे महायुद्ध के बाद जब भारत में आन्तिकाही उभार घाया, तो यह अमरानि अमनी अरम गीमा दर पहुँच गयी। कांग्रेसी नेताओं ने भारत के अन्तरे और भारत तथा पाकिस्तान के अन्तरेणियों की स्वापनर करने को आउटबैंटन

योजना स्वीकार कर ली। ऐलान किया गया कि साम्राज्यवाद से उन्होंने यह अन्तिम समझौता किया है। इस समय से कांग्रेस भारत संघ की नयी डोमीनियन सरकार की सरकारी पार्टी बन गयी। बाद में भारत संघ भारतीय प्रजातंत्र बन गया मगर वह इंग्लैंड के राजा को "राष्ट्र-समूह का प्रमुख" मान कर ब्रिटिश राष्ट्र-समूह में शामिल रहा। तब से भारत की स्वतंत्रता का सघर्ष नये रास्तों पर होकर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा होने के पहले एक लम्बा अरसा गुजरा जिसमें मुख्यतया कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन बार-बार आगे बढ़ा और पीछे हटा; कभी उसने आगे बढ़कर साम्राज्यवाद को चुनौती दी और कभी फिर उससे समझौता कर लिया। इस पूरे काल में व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य अस्त्र कांग्रेस थी; और इसी मार्ग पर चलकर भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन आगे बढ़ा।

ग्यारहवां अध्याय

राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन मंजिलें

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का ऐतिहासिक विकास सघर्ष की तीन बड़ी लहरों से गुजरा है। इनमें से हर लहर पहले से अधिक ऊंची उठी और हरेक आन्दोलन पर अपनी स्थायी छाप छोड़ गयी तथा नयी लहर के आने के लिए रास्ता खोल गयी। जैसा हम देखा चुके हैं कि शुरू-शुरू में भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन केवल बड़े पूंजीपति वर्ग का—जमींदारों के प्रगतिशील तत्वों का, नये कारखानेदारों का और धनी बुद्धिजीवियों का—प्रतिनिधित्व करता था। इस निश्चल जल में पहली बार १९१४ के पूर्व के युग में हलचल पैदा हुई जब कि देश में आन्दोलन की पहली बड़ी लहर उठी। यह लहर गहरों में रहनेवाले निम्न पूंजीपति वर्ग के अग्रतमों को व्यक्त करती थी, लेकिन यह जन-साधारण तक अभी नहीं पहुँच पायी थी। राष्ट्रीय आन्दोलन में साधारण जनता की—किमानों की और कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की, जो देश में एक नयी शक्ति के रूप में सामने आये थे—इन दोनों ही वर्गों की क्या भूमिका है, यह केवल १९१६-१८ के महायुद्ध के बाद ही स्पष्ट हुआ। युद्ध के बादवाले काल में जन सघर्ष की दो बड़ी लहरें देश में आयीं—पहली युद्ध के बाद फौरन ही, और दूसरी मसालेव्यापी अर्थ-महल के बाद। और यह सब उस निर्णायक परीक्षा की तैयारी मात्र थी जो दूसरे महायुद्ध के साथ आरम्भ हुई और उसके उपसंहार के बाद तक चलती रही।

१. संघर्ष की पहली बड़ी लहर (१९०५-१९१०)

बीस साल तक भारत उसी रास्ते पर चलती रही जो राजा उनके मसालों ने उनके लिए तैयार कर दिया था। इन बीस वर्षों में उनके प्रशासकों में कभी भी घोटालों की हवा में दरमध्य की माग नहीं थी। यानी, अपने सघर्ष

की कोई बुनियादी मांग नहीं उठायी। इन बीस बरसों में वह केवल यही मांग करती रही कि अंग्रेजी शासन-व्यवस्था में ही इतना सुधार ही जाय कि हिन्दुस्तानियों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाय। शुरू के जमाने के कांग्रेस के नरमदली नेताओं का दृष्टिकोण जानने के लिए रमेशचन्द्र दत्त का एक उदाहरण दिया जा सकता है। रमेशचन्द्र दत्त उस युग के नेताओं में सबसे अधिक योग्य—और सबसे अधिक नरम थे—और १८६० में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। उन्होंने १९०१ में “भारत की जनता” की मांग को निम्नलिखित शब्दों में पेश किया था :

“भारत की जनता यकायक होनेवाले परिवर्तनों और क्रान्तियों को पसन्द नहीं करती ... वह मौजूदा सरकार को और मजबूत बनाना चाहती है और साधारण लोगों से उसका अधिक घनिष्ठ सम्पर्क कायम करना चाहती है। वह चाहती है कि भारत-मंत्री की काउंसिल में और वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल में भारत की खेती तथा उद्योग-धंधों के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ भारतीय सदस्य और लिये जायें। वह हर प्रान्त की कार्यकारिणी समिति में कुछ भारतीय सदस्यों को देखना चाहती है। वह चाहती है कि शासन से सम्बन्धित हर महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने के समय भारत के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी मौजूद रहे। वह चाहती है कि साम्राज्य तथा उसके विशाल प्रान्तों का शासन-प्रबंध जनता के सहयोग से चलाया जाय।”

इन मांगों की नरमी शुरू के जमाने के भारतीय पूजीपति वर्ग की स्थिति को सही तौर पर व्यक्त करती थी। उस जमाने की कांग्रेस पूजीपति वर्ग के केवल ऊपरी स्तर की, और विशेष रूप से विचारों के क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि पढ़े-लिखे मध्य वर्ग की प्रतिनिधि थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक अंग्रेज सदस्य डब्ल्यू. एस. केन ने कांग्रेस के १८८६ के अधिवेशन में भाग लिया था। उन्होंने लिखा था : “मेरे इर्द-गिर्द जो चार हजार भद्र पुरुष बंटे हुए हैं, वे पूरे भारत के वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और लेखकों में से चुने हुए लोग हैं।” उस काल के नरमदली नेताओं को यह अच्छी तरह मालूम था कि वे लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं और वे जनता के नाम पर उसकी भावनाओं की व्याख्या करने का भले ही प्रयत्न करते हों, पर वे उसकी तरफ से दोलन का दावा नहीं कर सकते। शुरू के सालों में कांग्रेस के मुख्य मार्ग-प्रदर्शक सर फ्रीरीजशाह मेहता ने कहा था : “अवश्य ही कांग्रेस जनता की आवाज नहीं थी; लेकिन पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों का फर्ज था कि वे जनता की शिकायतों को पेश करें और उनको दूर करने लिए सुझाव दें।”

उस काल का भारत का प्रारम्भिक पूजीपति वर्ग अच्छी तरह समझता था कि वह अंग्रेजी राज को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। उल्टे, वह अंग्रेजी राज को अपना मददगार समझता था। उसके लिए मुख्य शत्रु खुद अंग्रेजी राज नहीं था। उसके लिए मुख्य शत्रु थे जनता का पिछड़ापन, देश में विकास की कमी, अज्ञान और अधविश्वास की शक्तियों की जवर्दस्त ताकत, और "नौकर-शाही" शासन व्यवस्था के वे दोष जिनके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इन बुराइयों के खिनाफ लड़ने में उन्हें यह आशा थी कि अंग्रेज शासकों से उन्हें सहयोग मिलेगा। कांग्रेस के १८६८ के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री आनन्द मोहन बोस ने कहा था : "शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का शत्रु नहीं, बल्कि मित्र है। इंग्लैंड के सामने आज जो काम है, उनमें उसे भारत के पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता है और वे स्वभावतया उसकी मदद करेंगे।" सर फीरोजशाह मेहता ने १८६० में कहा था : "मुझे इन बातों में तनिक भी सन्देह नहीं है कि अन्त में अंग्रेज राजनीतिज्ञ वक्त की पुकार को सुनेंगे।" कांग्रेस के पितामह श्री दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष-पद में भाषण करते हुए अंग्रेज शासकों से यह अपील की थी : "इस शक्ति को (यानी पढ़े-लिखे हिन्दु-स्तानियों को) अपनी तरफ खींचने के बजाय वे उसे अपना दुश्मन न बनायें।" पुराने कांग्रेसी नेताओं में सबसे प्रभावशाली वक्ता सर मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के मामले में यह आदर्श रखा था कि "वह सदा अंग्रेजों के प्रति अट्टल राजभक्ति के साथ काम करे—क्योंकि हमारा उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज को हटाना नहीं, बल्कि उसके आधार को और व्यापक बनाना है। हमारा उद्देश्य अंग्रेजी राज के स्वरूप को और उदार बनाना है और उसे राष्ट्र के स्नेह की झट्ट नींव पर लडा कर देना है।"

इन घोषणाओं और ऐलानों में जो ध्वनि निकलती है, उसमें हमें यह नहीं गमक लेना चाहिए कि गुरु के जमाने के कांग्रेसी नेता विदेशी सरकार के प्रति-क्रियावादी और राष्ट्र-विरोधी जाकर थे। उनके विपरीत, मूल्य यह है कि वे उन समय भारतीय समाज की राजनीतिक दृष्टि में गगनचिम्बने अधिक प्रगतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करने थे। जब तक ज्ञान ही में पैदा हुए मजदूर वर्ग ने अपनी आवाज बुलन्द करना शुरू नहीं कर दिया था और जब तक उनका गगनचिम्बन काम नहीं हो गया था और ज्ञान प्रगतिशील प्रवृत्तियों में थे, तब तक भारत का पूजीपति वर्ग ही बहा ही सबसे प्रगतिशील-गगनचिम्बन शक्ति था। वह समाज सुधार का काम करता था। जनता में जागरूकता फैलाना था और देश की सामान्य शिक्षाओं और विद्यार्थियों के विपरीत शिक्षा तथा नयी रीतियों का प्रचार करना था। यह मान लिया जा कि उद्योग-धंधों और रीतियों की दृष्टि में भारत का आर्थिक विकास हो।

लेकिन उनका यह विश्वास और यह आशा कि इस काम में ब्रिटिश साम्राज्यवाद उनकी मदद करेगा, झूठी साबित होनेवाली थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद यह अच्छी तरह समझता था—बल्कि कहना चाहिए कि इन लोगों से भी ज्यादा अच्छी तरह समझता था—कि इस काम का क्या परिणाम होगा। वह जानता था कि इन सब सुधारों का यह मतलब होगा कि अन्त में यह नयी ताकत साम्राज्यवादी शासन तथा शोषण के हितों से टकरायेगी। इसलिए, शुरू में कांग्रेस को सरकार से जो सरपरस्ती मिली थी, वह बहुत जल्द सन्देश और शत्रुता में बदल गयी। कांग्रेस की स्थापना के तीन साल के अन्दर ही लार्ड डफ़रिन, जिनकी प्रेरणा से कांग्रेस का जन्म हुआ था, बड़े निरादर के साथ कांग्रेस की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस तो “केवल मुट्ठी भर लोगों” का ही प्रतिनिधित्व करती है। १८८७ में जब एक प्रतिनिधि ने अपने जिले के कलेक्टर के हुकम की अवहेलना करके कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, तो उससे २०,००० रुपये का मुचलका माग लिया गया। १८९० में सरकार ने एक गस्ती हुकम जारी किया कि सरकारी अफसरों को कांग्रेस के अधिवेशनों में दर्शकों की तरह भी भाग नहीं लेना चाहिए। १९०० में लार्ड कर्जन ने भारत मंत्री को एक खत में लिखा : “कांग्रेस लड़खड़ाकर गिरनेवाली ही है, और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शान्ति से दफनाने में मदद करूँ।”

अतएव, भारतीय राष्ट्रवाद की पुरानी धारा के नेताओं के भ्रम में यही लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उन्होंने जो आशाएँ बांध रखी थी, वे धूल में मिल जायें। नरमदली नेताओं के अग्रज श्री गोखले ने अपने अन्तिम वर्षों में बड़े दुःख के साथ कहा : “नौकरशाही साफ-साफ स्वार्थी बनती जा रही है और राष्ट्र की आशाओं का खुलकर विरोध कर रही है। पहले वह ऐसी नहीं थी।”

जैसे-जैसे यह बात साफ़ होती गयी कि पुरानी नीति असफल रही है, वैसे-वैसे एक नयी धारा का उदय होना अवश्यम्भावी होता गया। इस धारा का प्रतिनिधित्व करनेवाले लोग पुराने नेताओं की आलोचना करते थे और माग करते थे कि कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम और नीति अपनायी जाय जिसका मतलब साम्राज्यवाद से नाता तोड़ लेना हो। इस नयी धारा का लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के नेतृत्व से सख्त सम्बंध था। वैसे तो उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में ही यह धारा देश के सामने आ गयी थी, लेकिन जब तक परिस्थिति परिपक्व नहीं हुई, तब तक वह कोई निर्णायक भूमिका अदा न कर सकी। यह बात दस साल बाद हुई। तिलक ने बम्बई प्रान्त में महाराष्ट्र प्रदेश को अपना आधार बनाया था, जहाँ उन्नीसवीं सदी के आठवें दशक में सबसे तेज किसान विद्रोह हुआ था। तिलक के अलावा नये नेताओं में सबसे अधिक विख्यात बंगाल के विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष और पंजाब के लाला लाजपत राय थे।

नयी धारा के नेता अपने को "राष्ट्रवादी" और कभी-कभी "प्रगट राष्ट्रवादी" और "कट्टर राष्ट्रवादी" भी कहते थे। जनता आम तौर पर उन्हें "नरमदली" नेताओं के मुकाबले में "गरमदली" नेता कहती थी। इन नामों से यह समझ लेना गलत होगा कि दोनों पक्षों में केवल इतना ही अन्तर था कि उनमें से एक उग्रवादियों का वामपक्ष था और दूसरा रुढ़िवादियों का दक्षिण पक्ष था। वास्तव में उस समय की परिस्थिति में एक आन्तरिक विरोध था जिससे यह बात झलकती थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन का अभी पूरा विकास नहीं हुआ है।

पुराने नेताओं के मुकाबले में विरोधी पक्ष शुरुआत ही इसी बात से करता था कि साम्राज्यवाद से समझौता करने की नीति को त्याग जाय और उसके खिलाफ डटकर और निर्णायक ढंग से संघर्ष करने की नीति अपनायी जाय। इस हृद तक नये नेता एक प्रगतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन संघर्ष की नीति अपनाने की उनकी यह इच्छा अभी केवल इच्छा ही थी। अभी जन-आन्दोलन का वह आधार नहीं तैयार हुआ था जिसके सहारे ही ऐसा निर्णायक संघर्ष चलाया जा सकता था। इन नेताओं का असर असंतुष्ट निम्न मध्य वर्ग पर था। पड़े-लिखे नौजवानों के दिलों पर और रास तौर पर गरीब विद्यार्थियों तथा बेकार अथवा बहुत ही कम तनखा पर काम करनेवाले बुद्धि-जीवियों के दिलों पर नये नेताओं की बातें जबदस्त असर डालती थीं। बीनवी सदी के शुरू के सालों में ऐसे बुद्धिजीवियों की एक पूरी सेना तैयार हो गयी थी। उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी और यह बात अधिकाधिक साफ होती जा रही थी कि साम्राज्यवादी शासन के रहते हुए इन लोगों के लिए न तो उल्लति का कोई रास्ता खुल सकता है और न ही उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में समाज में अच्यो तरह से जमे हुए ऊपरी वर्ग के नेता-गण क्रमशः एवं मुगम विकास की जो बातें क्रिया करते थे, वे निम्न मध्य वर्ग के लोगों को पसन्द नहीं आ सकते थे। सामाजिक परिवर्तन और किसी पुरानी व्यवस्था के ध्वन के समय इस तरह के लोग जनता की बेचनी और मध्य शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन गुद अपनी परिस्थिति से मजबूर होने के कारण जब तक वे लोग जन-आन्दोलन से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते, तब तक इन लोगों में अपनी प्राकृष्ट पूर्ण करने की शक्ति नहीं पैदा होती। तब तक वे या तो बहुत गरम-गरम बातें करके संतोष प्राप्त कर सकते हैं, या धराशयकतावादी और व्यक्तित्वादी काम कर सकते हैं जिनका धन में जाकर राजनीतिक दृष्टि में कोई फल नहीं निकलता।

नये नेताओं का सामाजिक विकास में तथा राजनीतिक के किसी बंगालिक सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध न था। इसलिये वे नरमदली नेताओं की समझौतावादी

और असफल नीति का कारण यह समझते थे कि पुराने नेताओं की "भारतीयता" नष्ट हो गयी है और वे देश को पश्चिम के रंग में रंग देना चाहते हैं। इसलिए वे नरमदली नेताओं की इन्हीं प्रवृत्तियों का सबसे ज्यादा विरोध करते थे। इस प्रकार गरमदली नेता पुराने नरमदली नेताओं की ठीक उन्हीं बातों की सबसे कड़ी आलोचना करते थे जो सचमुच प्रगतिशील बातें थीं। इन प्रगतिशील प्रवृत्तियों के मुकाबले में वे राष्ट्रीय आन्दोलन को सामाजिक रूढ़िवाद की उन शक्तियों के आधार पर खड़ा करना चाहते थे, जो भारत में इस समय भी बहुत बलवान थीं। वे राष्ट्रीय आन्दोलन को कट्टर हिन्दुत्व और इस भावना के आधार पर खड़ा करना चाहते थे कि प्राचीन हिन्दू अथवा "आर्य" सभ्यता आध्यात्मिक दृष्टि से "पश्चिम" की आधुनिक सभ्यता से श्रेष्ठतर है। यानी, वे राष्ट्रीय आन्दोलन को, जो भारत का सबसे प्रगतिशील आन्दोलन था, एक पुरानपथी धर्म और घोर अधविश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते थे। इसी युग से भारत में उग्रवादी राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रियावाद का वह सत्यानाशी गठबंधन आरम्भ होता है, जिसका राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए इतना घातक परिणाम हुआ है, और जिसके प्रभाव को नष्ट करना अभी भी बाकी है।

उग्र राष्ट्रवाद और कट्टर हिन्दुत्व की सबसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के गठबंधन का घटा १९६० में तब बजा जब तिलक ने "एज ऑफ कंसेंट" बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यह बिल लड़की की उम्र दस के बजाय बारह वर्ष हो जाने के बाद ही उसके पति को उसके साथ यौन-कर्म करने की इजाजत देता था। रानाडे और पुराने प्रगतिशील राष्ट्रीय नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया। तिलक ने उसके खिलाफ बुद्धि आधार आन्दोलन चलाया और हिन्दू समाज के घोर प्रतिक्रियावादी लोगों की मार्गों को बुलन्द किया। बाद को, उन्होंने "गोरक्षा समिति" का संगठन किया। राष्ट्रीय त्यौहार मनाये जाने लगे—न केवल मराठा जाति के राष्ट्रीय वीर शिवाजी की स्मृति में, बल्कि हिन्दुओं के देवता गणपति के सम्मान में भी उत्सव होने लगे। बंगाल में कुछ विशेष उत्साही लोगों ने संहार की देवी काली की पूजा बड़े जोरों से शुरू कर दी।

इन धार्मिक उत्सवों और पूजा के पीछे जो राष्ट्रीय उद्देश्य और देशभक्ति की भावना छिपी थी, उसे समझ लेना आवश्यक है। जिस समय साम्राज्यवाद हर तरह के प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रचार और संगठन का क्रूर दमन करता था और राष्ट्रीय आन्दोलन को जनता के बीच कोई आधार नहीं प्राप्त हुआ था, उस समय इस तरह के धार्मिक रूपों का सहारा लेना समझ में आता है। लेकिन यहाँ सिर्फ यह सवाल नहीं है कि राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक उत्सवों की आड़ ली जाती थी। न ही यहाँ यह सवाल है कि एक राजनीतिक आन्दोलन विशेष प्रकार के रूपों से गुजर कर आगे बढ़ा है। कहा यह जाता था कि प्राचीन हिन्दू धर्म

ही राष्ट्रीय आन्दोलन की जान है। इससे लाजिमी तौर पर आन्दोलन की वास्तविक प्रगति रुकती थी, आन्दोलन कमजोर पड़ता था, और राजनीतिक चेतना कमजोर पड़ती थी। मुस्लिम जनता के एक बहुत बड़े भाग के राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग रहने का एक कारण यह भी है कि उसमें हिन्दू धर्म पर इतना जोर दिया जाता है।

इन धारणाओं का भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर ज्वरदस्त असर पड़ा है, क्योंकि आधुनिक काल में ये ही बातें और भी निखरे हुए रूप में गांधीवाद में प्रकट हुई हैं। इसलिए, यह अनुचित न होगा यदि उन पर थोड़े अधिक ध्यान से गौर कर लिया जाय। ये धारणाएँ वास्तव में इस विश्वास को व्यक्त करती हैं कि भारत के विकास तथा उसकी स्वतंत्रता का मार्ग सामाजिक विकास और पुरानी कमजोरियों, फूट और बुरी परम्पराओं को दूर करने का मार्ग नहीं है, बल्कि वह समाज की पीछे की ओर ले जाने और बीते हुए जमाने के तौर-तरीकों में और उस काल के अवशेषों में फिर से जान डालने का मार्ग है।

कट्टर राष्ट्रवादी पूजावाद के काम करने के ढंग को नहीं समझ सकते थे। वे न तो उसकी अन्ध्याइयों को देख पाते थे, और न बुराइयों की। इसके परिणामस्वरूप वे यह नहीं समझ पाते थे कि जिस "अप्रोजी" संस्कृति के पीछे वे डडा लेकर पड़ गये हैं, वह वास्तव में पूजावाद की संस्कृति है, और जिम हद तक राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व पूजापति वर्ग के हाथ में है, उस हद तक यह आन्दोलन इस सांस्कृतिक आधार में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि तयारपित "अप्रोजी" संस्कृति का प्रगतिशील दृष्टिकोण से विरोध तो अन्त में जाकर केवल मजदूर वर्ग ही कर सकता था। पूजावादी संस्कृति का एकमात्र जवाब मजदूर वर्ग की संस्कृति है। यही पूजावादी संस्कृति की जगह ले सकती है; यही उमंगें आगे जानी है और उमंगें जो कुछ अन्ध्या है, उमंगें ले लेती है और बाकी को छोड़ देती है। लेकिन उस समय तक भारत में जितना अनुभव हुआ था, उनके बल पर गरमदनी नेता मजदूर वर्ग के इस दृष्टिकोण तथा संस्कृति की कल्पना भी न कर सकते थे।

इसलिए, जब उन्होंने देखा कि देश में ब्रिटेन की पूजावादी संस्कृति तथा विचारधारा की बाढ़ आ गयी है और भारतीय पूजापति वर्ग तथा बुद्धिजीवी लोग उमंगें बढे जा रहे हैं, तो इस बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने जन्सी-जन्सी हिन्दू संस्कृति एवं विचारों की कमजोर दीवार मढ़ी करने की सोचिनी की, हालांकि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में इस विचारधारा का घब रोंई प्राकृतिक आधार न रह गया था। गरमदनी नेताओं में भी जो क्या कट्टर थे, वे हर तरह के सामाजिक तथा वैज्ञानिक विकास की दिशाओं की संस्कृति बहकर कोमंगें थे, और हर तरह की पुगनी बातों को और परा तक कि अन्ध-

चार, स्वेच्छाचारिता और अंध विश्वासों को भी श्रद्धा और आदर की वस्तु समझते थे ।

यही कारण था कि जनता के ये लड़ाकू राष्ट्रीय नेता, जिनमें से बहुत से बड़े निडर और सच्चे देशभक्त थे, व्यवहार में सामाजिक रूढ़ियों और अंध-विश्वासों के समर्थक बन गये थे ।

कट्टर राष्ट्रवादियों को विश्वास था कि इस प्रकार वे साम्राज्यवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय जन-आन्दोलन खड़ा कर रहे हैं । केवल इसी प्रकार यह बात समझ में आती है कि तिलक जैसे मेधावी नेता भी बाल-विवाह तथा गोरक्षा के समर्थन में क्यों आन्दोलन चलाते थे ।

लेकिन यह नीति न केवल सिद्धान्त में घातक थी, बल्कि व्यवहार में भी गलत थी । उससे न केवल राजनीतिक चेतना लाजिमी तौर पर कमजोर हो जाती थी और आन्दोलन का मार्ग धुंधला पड़ जाता था, बल्कि प्रगति की ओर बढ़नेवाली शक्तियों में फूट पड़ जाती थी । यह बात अकारण नहीं है कि लगभग सभी प्रसिद्ध गरमदली नेता बाद में चलकर या तो न्यूनार्थिक मात्रा में साम्राज्यवाद से सहयोग करने लगे, या राजनीति से सन्यास लेकर दार्शनिक गुत्थियाँ सुलझाने लगे, और उन्हें आन्दोलन की प्रगति में कोई दिलचस्पी न रह गयी । इसके अलावा, सामाजिक मामलों में गरमदली नेताओं का प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम देखकर बहुत से ऐसे लोग आन्दोलन से दूर हट गये जो एक लड़ाकू राष्ट्रीय नीति का समर्थन करने को तो तैयार थे, मगर इतने खर-दिमाग नहीं थे कि उग्रवादी कार्यक्रम के नाम पर प्रतिक्रियावादी गंदगी और दार्शनिक कलाबाजियों की पूजा करने लगते ।

कट्टर राष्ट्रवादियों ने अपनी दलीलों के लिए यह धार्मिक आधार तो तैयार कर लिया था, किन्तु व्यावहारिक संघर्ष में वे उसकी सहायता से कोई नया अस्त्र, कोई नयी कार्य-योजना नहीं बना सके । उन्होंने कोई अस्त्र खोजकर निकाला भी तो वही व्यक्तिवादी आत्मकवाद का अस्त्र, जो हर देश में चारों ओर से निराश किन्तु निष्क्रिय, और हर प्रकार के जन-आन्दोलन से कटे हुए निम्न-पूजोपति वर्ग का अस्त्र रहा है । यहाँ भी उस बहुत ही धुंधली धार्मिक भावना और प्रेरणा ने बहुत कम काम किया । गुप्त संगठन बनाये गये, लेकिन उन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया । बाद में जब आन्दोलन का एक नया युग आरम्भ होने के लिए परिस्थिति तैयार हो गयी, तभी आत्मकवादी आन्दोलन ने भी एक सहयोगी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ।

१९०५ तक आन्दोलन के एक नये युग के लिए परिस्थितियाँ तैयार हो गयी । उस समय हमारे इन कट्टर राष्ट्रवादियों ने जो मुख्य अस्त्र खोजकर निकाला, वह उनकी तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक कलाबाजियों से बहुत दूर

की चीज था और बुनियादी तौर पर एक आधुनिक एवं आर्थिक अस्त्र था। वह था आर्थिक बहिष्कार का अस्त्र। उस समय केवल एक यही कारगर अस्त्र था जिसे अपनाया जा सकता था। उसे अपनाकर गरमदली नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका आन्दोलन पूँजीवादी आन्दोलन है, और बाद में तो नरमदली नेताओं ने भी इस अस्त्र को अपना लिया।

१९०५ में आन्दोलन के नये युग का श्रीगणेश करने के लिए जो शक्तियाँ एकत्रित हुई थी, वे वास्तव में प्रगति की उस संसारव्यापी लहर का ही प्रतिबिम्ब थी, जो जापान के हाथों जारसाही को हार और पहली रूसी क्रान्ति की प्रारम्भिक जीतो के बाद दुनिया में आयी थी। जारसाही पर जापान की विजय आधुनिक काल में योरोप की एक शक्ति पर एक एशियाई शक्ति की पहली जीत थी, और भारत पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। जिस फ़ौरी सवाल पर भारत में सघर्ष शुरू हुआ, वह बग-भंग का सवाल था। बंगाल उस जमाने में राजनीतिक प्रगति का केन्द्र था। लार्ड कर्जन ने उसके दो टुकड़े कर देने की योजना तैयार की और उनके उत्तराधिकारी ने इस योजना को कार्यान्वित कर दिया। इस बटवारे से सारे देश में गुस्से की लहर दौड़ गयी और ७ अगस्त, १९०५ को उसका विरोध करने के लिए विदेशी माल के बहिष्कार की घोषणा की गयी।

इसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। कांग्रेस के १९०५ के अधिवेशन ने केवल आंशिक रूप से बहिष्कार का समर्थन किया था। परन्तु १९०६ के कलकत्ता अधिवेशन ने, जिस पर गरमदली नेताओं की गहरी छाप थी, एक पूर्णतया नवीन कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम को सुद कांग्रेस के पितामह दादाभाई नौरोजी ने पेश किया था। उगमें पहली बार यह घोषणा की गयी कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना है। स्वराज्य की परिभाषा यह की गयी कि ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए भारत को सुद अपना शासन प्रबंध चलाने का अधिकार मिल जाना चाहिए (कार्यक्रम के शब्दों में भारत में ऐसी राज्य-व्यवस्था कायम होनी चाहिए "जैसी अंग्रेजों के अपना शासन-प्रबंध प्राप्त चलानेवाले उपनिवेशों में कायम है")। इसके अलावा कार्यक्रम में बहिष्कार आन्दोलन का समर्थन किया गया, "स्वदेशी" अर्थात् देशी उद्योग-पंथों को बढ़ावा देने की नीति का समर्थन किया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति का समर्थन किया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति का समर्थन किया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा — कांग्रेस कार्यक्रम के ये चार मूल मंत्र हो गये।

एक वर्ष बाद, १९०७ में मूरल अधिवेशन में कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गयी। मोनरो के नेतृत्व में नरमदल और तिनक के नेतृत्व में गरमदल एक-दूसरे में घसग हो गये। इसके बाद, १९१६ तक दोनों दलों का घनग-घनग बिखार हुआ। १९१६ में दोनों में एकता हो गयी, लेकिन १९१८ में नरमदली नेताओं

ने कांग्रेस को सदा के लिए त्याग दिया और अपना लिबरल फेडरेशन अलग बना लिया।

नयी जाग्रति के आते ही सरकार के दमनचक्र का चलना भी शुरू हो गया। १९०७ में राजद्रोही सभाओं पर रोक लगानेवाला कानून बनाया गया। १९१० में एक नया प्रेस-कानून बनाया गया जो पुराने प्रेस-कानून से भी ज्यादा सख्त था (१८७८ का पुराना प्रेस-कानून लार्ड रिपन के उदारपंथी शासन के काल १८८२ में मंसूख कर दिया गया था)। गरमदली नेताओं को बिना मुकदमा देश से जलावतन करने के लिए १८९८ का एक पुराना रेगुलेशन खोद कर निकाला गया और यह सब उस जमाने में हुआ जब कि "उदारपंथी" कहलानेवाले लार्ड मोर्ले भारत मंत्री थे। सरकार सबसे ज्यादा तिलक से डरती थी। चुनावे १९०८ में तिलक को अपने अखबार में एक लेख लिखने के लिए ६ वर्ष की कैद की सजा सुना दी गयी, और १९१४ में युद्ध आरम्भ होने तक उनको वर्मा में मांडले की जेल में बन्द करके रखा गया। तिलक की गिरफ्तारी पर बम्बई के कपडा मजदूरों ने आम हड़ताल की। यह भारत के मजदूर वर्ग की पहली राजनीतिक हड़ताल थी और लेनिन ने उसको भविष्य की शुभ सूचना मानकर उसका अभिनन्दन किया था। दूसरे प्रमुख नेताओं को भी या तो सजा सुनाकर जेल में ठूस दिया गया, या बिना मुकदमा चलाये जलावतन कर दिया गया। कुछ लोग सजा से बचने के लिए खुद देश छोड़कर चले गये। १९०६ और १९०९ के बीच अकेले बंगाल में ५५० राजनीतिक मुकदमे चलाये गये। पुलिस बड़ी सख्ती से अपनी कार्रवाई कर रही थी। सभाएं तोड़ी जाती थी। पंजाब में एक किसान विद्रोह का बड़ी क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाने पर ही पकड़ लिया जाता था।

पहले काल की तरह इस बार भी दमन के बाद सुधारों का नम्बर आया ताकि उनके जरिए सरकार को नरमदली नेताओं का समर्थन प्राप्त हो जाय। १९०९ में मोर्ले-मिटो का सुधार आया जो बहुत ही सकुचित ढंग की योजना थी। १८९२ के इंडियन काउंसिल्स ऐक्ट के द्वारा काउंसिलों में कुछ भारतीय प्रतिनिधि लेने की जिस क्रिया का श्रीगणेश किया गया था, वह क्रिया अब और आगे बढ़ी। मोर्ले-मिटो सुधार-योजना द्वारा केन्द्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीय प्रतिनिधि ले लिये गये, हालांकि इन प्रतिनिधियों का काउंसिल में अल्पमत था और वे अप्रत्यक्ष रीति से चुने जानेवाले थे। और प्रांतीय काउंसिलों में अप्रत्यक्ष रीति से चुने गये प्रतिनिधियों का बहुमत कर दिया गया। लेकिन इन काउंसिलों को कोई ठोस अधिकार नहीं दिया गया। उनका काम केवल प्रॉजेक्ट गवर्नर को सलाह देना था। कांग्रेस इस समय नरमदली नेताओं के कब्जे में थी। सुधारों का ऐलान होते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि वे सरकार के

साथ है। १९१० में जब नया वायसराय आया तो कांग्रेस के नेताओं ने राब-भक्ति के भावों से भरे एक अभिनन्दन पत्र से उसका स्वागत किया। और जब १९११ में एक शाही फरमान के द्वारा बग-भंग रद्द कर दिया गया, तो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि "इस समय हरेक भारतीय का हृदय ब्रिटिश सम्राट के प्रति श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत है; और ब्रिटिश राजनीतियों में हमारा विश्वास फिर से दृढ़ हो गया है और हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

१९११ में बग-भंग का रद्द किया जाना बहिष्कार आन्दोलन की एक आशिक जीत थी। १९०६ से १९११ तक भारत में सघर्ष की जो लहर उठी थी, वह बाद के वर्षों में नीचे गिरने लगी; लेकिन उससे राष्ट्रीय आन्दोलन के बल और विस्तार में जो स्थायी विकास हुआ था, वह कायम रहा। १९१४ के पहले के गरमदली नेताओं ने अपने बहुत से दोषों के बावजूद एक महान एवं स्थायी कार्य कर डाला था। उनके कार्य के फलस्वरूप इतिहास में पहली बार भारत की आजादी की भाग दुनिया की राजनीति का एक प्रमुख प्रश्न बन गयी; और भारत के राजनीतिक आन्दोलन में पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संघर्ष के बीज पड़ गये, जो आगे चलकर आम जनता से बन प्राप्त करके प्रकुरित हुए।

२. संघर्ष की दूसरी बड़ी लहर (१९१६-२२)

पहले ममारव्यापी महायुद्ध ने साम्राज्यवाद की पूरी व्यवस्था पर ऐसा उर्ध्वस्त प्रहार किया कि वह मरने के लिए कमजोर हो गयी; और १९१७ तथा उसके बाद के वर्षों में मारो दुनिया में एक प्रान्तिकारी लहर शुरू हो गयी। इन्हीं दो बातों में भारत में भी पहले जन-आन्दोलन के रूप में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ।

जिम प्रकार १९०५ के जागरण पर सत्तारव्यापी आन्दोलन की छाप थी, ठीक उन्ही प्रकार, बल्कि उमंगे भी ज्यादा उस महान जन-आन्दोलन पर ममार के सघर्ष की छाप थी जिमने कि १९१७ के बाद के वर्षों में अर्थियों के राज्य-निहासन को हिंसा दिया। भारत के सघर्ष तथा दुनिया की जनता के सघर्ष की एकता की समझना अत्यन्त आवश्यक है। साम तौर पर इगलिए कि भारत के राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी विचारधाराएँ भी हैं जो भारत को दुनिया में प्रयोग करके देती हैं और जिन्होंने यह अर्थशास्त्रिक समझ बना रखी है कि कुछ महान व्यक्तियों सबका दनों के नेतृत्व करने या न करने में ही बड़े-बड़े आन्दोलन पतने या टा हो जाते हैं। इममें मन्देह नहीं कि १९१७ के बाद के वर्षों में भारत में राजनीतिक आन्दोलन बाँटने में लोगों की पीढ़ न रूठर जनता का आन्दोलन बन गया। लेकिन यह परिवर्तन करने भारत में ही नहीं हुआ था।

दस साल पहले जापान के हाथों जारशाही रूस की हार के बाद १९१४ के महायुद्ध ने एशिया के लोगों के सामने यह बात और भी साफ कर दी कि पश्चिम के साम्राज्यवादी अजेय नहीं हैं। जब साम्राज्यवादी शक्तियां खुद एक-दूसरे का गला काटने लगी, तो गुलाम देशों के करोड़ों लोगों को यह आशा बघने लगी कि साम्राज्यों का सूर्य अब अस्त होनेवाला है।

साम्राज्यवाद ने शुरू से ही परिस्थिति पर काबू पाने के लिए बड़ी सक्ती से काम किया। उसने नये-नये कानून बनाकर विशेष अधिकार अपने हाथ में ले लिये। खास तौर पर इसके लिए भारत रक्षा कानून बनाया गया और सबसे ज्यादा डटकर लड़नेवाली को या क्रांतिकारी दलों के सदस्यों को कैंद या नजरबन्द कर दिया गया। युद्ध के शुरू के दिनों में राजनीतिक आन्दोलन के ऊपरी हिस्से ने अपनी इच्छा से इस काम में साम्राज्यवाद की मदद की। कांग्रेस नरमदली नेताओं के कब्जे में थी। युद्ध-काल में उसके जो चार वार्षिक अधिवेशन हुए, उनमें कांग्रेस ने अपनी राजभक्ति का ऐलान किया और युद्ध के समर्थन में प्रस्ताव पास किये। यहाँ तक कि युद्ध खतम हो जाने के बाद १९१८ में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ, उसमें भी अंग्रेज बादशाह के प्रति वफादारी का ऐलान किया गया और उसे "युद्ध के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने" पर बधाई दी गयी। बदले में सरकार ने भी कांग्रेस पर कृपादृष्टि रखी। कांग्रेस के १९१४ के अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर लार्ड पेटलैंड ने, १९१५ के अधिवेशन में बम्बई के गवर्नर लार्ड विलिंगडन ने, और १९१६ के अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने भाग लिया, और हर वार अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। लड़ाई शुरू होने के समय जो जिम्मेदार भारतीय नेता लन्दन में मौजूद थे, उन्होंने तुरन्त सरकार की मदद करने का ऐलान किया। उस समय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि-मंडल लन्दन गया हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय, मि. जिन्ना, लार्ड सिन्हा, आदि थे। इस प्रतिनिधि-मंडल ने भारत-मंत्री को एक पत्र लिखकर अपना यह विश्वास प्रकट किया कि "भारत के राजे-रजवाड़े और साधारण जनता बड़ी तत्परता के साथ और स्वेच्छा से भरसक सहयोग करेंगे और देश के तमाम साधन सभ्राट को अर्पण कर देंगे" ताकि "साम्राज्य की शीघ्र विजय हो।"

गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से नये-नये लन्दन आये थे। सिसिल होटल में उनका स्वागत किया गया। वहाँ उन्होंने अपने नौजवान भारतीय दोस्तों से कहा कि उन्हें "साम्राज्य के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए" और "अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।" अपने तथा दूसरों के दस्तखतों के साथ उन्होंने भारत मंत्री के पास एक पत्र भेजा और अपनी सेवाओं का वचन दिया। बाद में उन्होंने लन्दन में रहनेवाले भारतीयों को भर्ती करके एक डाक्टरी दल संगठित

करने के सिलसिले में जो काम किया, वह सर्व-विदित है। भारत लौटकर उन्होंने फिर अपनी सेवाएं वायसराय को अर्पण की और कहा कि वह मेसोपोटामिया के युद्ध में होनेवाले जल्लिमियों की बौने के लिए एक टुकड़ी भर्ती करना चाहते हैं। वायसराय ने १९१७ में जब दिल्ली में एक युद्ध-सम्मेलन बुलाया, तो उसमें गांधी जी भी शरीक हुए। और यहाँ तक कि जुलाई १९१८ में भी गांधी जी गुजरात में रगहटों की भर्ती का प्रचार करते घूम रहे थे और गुजराती किसानों से कह रहे थे कि स्वराज्य लेना है तो फ़ौज में भर्ती हो।

नरमदली नेताओं के इन ऐलानों और "राजभक्ति" के प्रदर्शनों का अंग्रेजी सरकार ने यह मतलब लगाया कि भारत के नेताओं में अंग्रेजी राज के उपकारों को देखकर बड़ा उत्साह और कृतज्ञता का भाव पैदा हुआ है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। बाद को खुद कांग्रेस के नेताओं ने बात साफ कर दी। असल में उन्होंने यह हिसाब लगाया था कि युद्ध में साम्राज्यवाद की महायत्ना करने पर सबसे जल्दी स्वराज्य का दरवाजा खुल जायगा। चुनावों १९२२ में गांधी जी ने अपने मुकदमे के दौरान में बयान देते हुए कहा था :

"साम्राज्य की सेवा करने के ये तमाम प्रयत्न मैंने इस विश्वास के साथ किये थे कि इस प्रकार की सेवाओं के द्वारा मैं अपने देशवासियों के लिए पूर्ण सम्मानता का स्थान प्राप्त कर सकूँगा।"

बाद में इन लोगों ने खुद कहा कि उनकी आशाएं सूठी साबित हुईं।

अगरी नेताओं की इस नीति के बावजूद जनता का असंतोष बढ़ने से नहीं रुका। युद्ध के कारण जनता की हालत बहुत खराब हो गयी थी। युद्ध का गर्ना चलाने के लिए भारत की गरीब जनता ने इतना कमरूर खपाया मसूला गया था कि उसकी कमर टूट गयी थी। महगाई की मार और अपाधुष मफ़ोरों-सोरी ने लोगों की तबाह और बरबाद कर दिया था। यह दुगोका एक नतीजा था कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में काले कुम्हार की ऐसी महामारी फैली, जैसी पहले कभी न आयी थी। १ करोड़ ४० लाख आदमी इस महामारी के शिकार हो गये। जनता की बड़ती हुई बेचनी की एक अनक पंजाब के ग़दर आन्दोलन और लोको की बगावतों के रूप में दिगायी दी जिनका बड़ा बेरहमी में दमन किया गया और जिनकी चुचलने के लिए अनेक लोगों को फाँगी और लम्बी गैद की मसाल दी गयी। १९१७ में रंगंड के एक जत्र की मातहतों में रोड वर्मागल निरुद्ध किया गया। इस कमीशन को आदेश दिया गया कि वह "भारत में बनिशाने आन्दोलनों में सम्बन्धित पड़वतों की जांच" करके निरार्थित करे कि उनका दमन करने के लिए सरकार कौन से नये क़ानून बनाये।

कुछ समय बाद जनता की बढ़ती हुई बेचैनी राजनीतिक आन्दोलन में भी प्रकट होने लगी। १९१६ के बाद से राष्ट्रीय आन्दोलन में कुछ नयी प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ने लगी। १९१६ में तिलक महाराज ने होम-रूल (स्वराज्य) लीग की स्थापना की। उनके आन्दोलन में श्रीमती एनी बेसेंट नामक एक अंग्रेज़ थियोसोफिस्ट महिला भी शामिल हुई। श्रीमती बेसेंट राष्ट्रीय आन्दोलन को साम्राज्य के प्रति "वफ़ादारी" के मार्ग पर घसीटने का प्रयत्न करती थी। बाद की इन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग आन्दोलन का विरोध किया। १९१६ में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और इस अवसर पर गरमदली और नरमदली नेताओं में मेल हो गया। इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह रही कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग (जिसकी स्थापना १९०५ में हुई थी) के बीच समझौता कराने के जिन प्रयत्नों का सूत्रपात १९१३ में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था, वे अन्त में १९१६ में आकर सफल हो गये। कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होने का एक कारण यह था कि तुर्की के खिलाफ़ अंग्रेज़ों के लड़ाई छेड़ देने की वजह से मुस्लिम जनता में बड़ा गुस्सा फैल गया था, और उसकी यह भावना १९१५ में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में व्यक्त भी हो चुकी थी। १९१६ में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हो गया। दोनों ने मिलकर सुधारों की एक संयुक्त योजना तैयार की। इस योजना का आधार साम्राज्य के अन्दर रहते हुए आंशिक स्वराज्य था (उसकी मुख्य बातें ये थी : काउंसिलों में चुने हुए सदस्यों का बहुमत हो, काउंसिलों के अधिकार बढ़ाये जायें, वायसरॉय की कार्यसमिति के आधे सदस्य भारतीय हों)। इसके साथ-साथ दोनों संस्थाओं ने यह ऐलान किया कि भारत का उद्देश्य यह है कि उसे "साम्राज्य के अन्दर खुदमुस्तार डोमोनियनों जैसा बराबरी का दर्जा मिले।"

भारत की यह हालत थी जब कि १९१७ में रूसी क्रान्ति के बाद दुनिया की परिस्थिति में यकायक एक बड़ा परिवर्तन आया, और उसके कारण घटना-चक्र बड़ी तेज़ी से घूमने लगा। यह परिवर्तन ब्रिटेन और भारत के सम्बंधों के क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। रूसी क्रान्ति ने राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के सवाल को इस तरह दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि दोनों पक्षों की साम्राज्यवादी शक्तियाँ बेहद परेशानी में पड़ गयीं। ज़ारशाही के पतन को पाँच महीने भी नहीं बीते थे कि ब्रिटिश सरकार ने जल्दी-जल्दी यह ऐलान निकाला कि भारत में अंग्रेज़ी राज्य का उद्देश्य "स्वायत्त शासन की संस्थाओं का धीरे-धीरे विकास करना है ताकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग रहते हुए क्रमशः जिम्मेदार हुकूमत की ओर बढ़ सके।" साथ ही इस ऐलान में यह वादा किया गया था कि "जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस क़दम उठाये जायेंगे।" (यही वह ऐलान है जो माटेम्बू-घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उस समय माटेम्बू

माहव भारत-मन्त्री थे; हालांकि असल में इस ऐलान को कर्जन और ओस्टेन चेम्बरलेन ने तैयार किया था।) ब्रिटिश सरकार ने कितनी जल्दी में यह ऐलान किया था, यह इस बात से साफ हो जाता है कि ऐलान कर चुकने के बाद ही इस बात की छान-बीन शुरू हुई कि आखिर किस मतलब से यह ऐलान किया गया था। इस छान-बीन के नतीजे के तौर पर, माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट वही एक माल बाद जाकर तैयार हुई। उसके आधार पर कानून कही १९१६ में बनाया गया। और उस पर अमल करना तो १९२० में जाकर शुरू हुआ। तब तक भारत की पूरी परिस्थिति बदल गयी थी।

१९१८-१९१९ के मुधारों की मुख्य बात यह थी कि प्रान्तों में "डायरी" यानी दोहरी हुकूमत कायम कर दी गयी; अर्थात्, कुछ विभाग अंग्रेज मंत्रियों के हाथ में रहे और कुछ भारतीय मंत्रियों के सौंपे कर दिये गये। इस बात पुरानी मॉर्ले-मिटो योजना की तरह ये मुधार भी इस माने में कामयाब रहे कि उनमें ऊपरी वर्गों के राष्ट्रीय नेताओं में फूट पड़ गयी। लेकिन, इस बार मुधारों के द्वारा जिन नरमदली नेताओं का समर्थन साम्राज्यवाद को मिला, उनका देश के राजनीतिक जीवन में कम बढन था। यह इस बात का सूचक था कि राष्ट्रीय आन्दोलन विकास की एक नयी मजिल में पहुँच गया है। १९१७ के अन्त में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उसकी अध्यक्ष श्रीमती वेमेट थी। उन्होंने वहाँ एक प्रस्ताव पास कराया जिसमें कहा गया था कि "एकता के सूत्र में बंधी हुई भारत की जनता को और से कांग्रेस, महामहिम सम्राट को अत्यन्त आदरपूर्वक अपनी हार्दिक यफ़ादारी और गहरे प्रेम का विश्वास दिलाती है तथा निवेदन करती है कि भारत की जनता हर मुनीबत में और हर कीमत देकर ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देगी।" लेकिन जब माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट १९१८ की गरमियों में प्रकाशित हो गयी, तब बम्बई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और उसमें रिपोर्ट के मुद्दों को "निराशाजनक और घमटोपन्न" बताने हुए उनकी निन्दा का प्रस्ताव पास किया। इस विशेष अधिवेशन के बाद ही गांधी जी के निवा बाकी सभी नरमदली नेता कांग्रेस में प्रवेश हो गये और बाद को उन्होंने भारतीय निराल फेडरेशन की स्थापना कर डाली। ये लोग पूँजीपति वर्ग के उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करने थे जो साम्राज्यवाद में सहयोग करना चाहते थे। लेकिन डिगम्बर १९१६ में भी कांग्रेस ने फिर मुधारों को स्वीकार करने का ही प्रस्ताव पास किया, हालांकि इस बार इस मुद्दे को लेकर मतभेद में गहरा भांभेद उठ खड़ा हुआ। गांधी जी ने श्रीमती वेमेट के समर्थन में मुधारों को स्वीकार करने पर जोर दिया। रिपोर्ट पत्र हा नैतून थी भी. धार. इस ने किया। अन्त में जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें मुधारों को एक बार फिर ध्यापना करने के बाद यह मांग ही गयी थी कि "घान निगुंन के

सिद्धान्त के अनुसार पूरी तौर पर जिम्मेदार हुकूमत कायम करने के लिए फौरन क़दम उठाये जायें।” लेकिन इसके साथ-साथ प्रस्ताव में गांधी जी का यह संशोधन भी जोड़ दिया गया था कि “जब तक ऐसे क़दम नहीं उठाये जाते, तब तक कांग्रेस यह विश्वास करती है कि जनता जहाँ तक सम्भव होगा, इन सुधारों से इस तरह काम लेगी कि जल्द ही देश में एक पूरी तौर पर जिम्मेदार हुकूमत कायम हो सके।”

गांधी जी का मत १९१९ के अन्तिम दिनों में भी सरकार से सहयोग करने और सुधारों को मज़ूर करने का था। उन्होंने अपने साप्ताहिक पत्र में एक लेख के दौरान में लिखा था :

“सरकारी ऐलान के साथ सुधारों का जो क़ानून पास हुआ है, वह इस बात का सबूत है कि अंग्रेज लोग भारत के साथ न्याय करना चाहते हैं और अब इस बारे में हमारे सन्देह दूर हो जाने चाहिए ... इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सुधारों की बेकार नुक्ताचीनी न करके चुपचाप उनसे काम लेना शुरू करे ताकि वे कामयाब हों।”

गांधी जी का यह ऐलान बड़े महत्व का है, क्योंकि रौलट क़ानूनों के बनने, जलियावाला बाग की घटना और पंजाब में मार्शल-लों लगने के बाद यह बात कही गयी थी। यानी, यह उन तीनों घटनाओं के बाद का ऐलान है जिनको बाद में असहयोग आन्दोलन छेड़ने का कारण बताया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब अगले साल नेताओं ने असहयोग आन्दोलन छेड़ने का फैसला किया, तब ये तीन घटनाएँ नहीं, बल्कि कुछ और ही बात उनके सामने थी।

वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस हालांकि अब भी सरकार से सहयोग कर रही थी, मगर १९१९ में परिस्थिति एकदम बदल गयी थी और कांग्रेस की सहयोग की नीति का सारा आधार नष्ट हुआ जा रहा था। १९१९ में सारे देश में बेचैनी की लहर फैल गयी। १९१८ के अन्तिम और १९१९ के शुरू के महीनों में हड़तालों की एक ऐसी लहर शुरू हो चुकी थी, जैसी पहले भारत में कभी नहीं देखी गयी थी। दिसम्बर १९१८ में बम्बई की मिलों से हड़ताल आरम्भ हुई जो जनवरी १९१९ तक १२५,००० मज़दूरों में फैल गयी। १९१९ के आरम्भ में रौलट क़ानून काउन्सिल में पेश हुए और मार्च के महीने में पास हो गये। इन क़ानूनों का उद्देश्य यह था कि युद्ध-काल में सरकार ने विशेष क़ानून पास करके दमन करने के जो असाधारण अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे, वे युद्ध समाप्त हो जाने और विशेष क़ानूनों की मियाद ख़तम हो जाने के बाद भी सरकार के हाथों में बने रहें, ताकि उमें अदालती कार्रवाई करने की ज़रूरत न पड़े और वह लोगों को बिना मुक़दमा जेल में बन्द कर सके। इन क़ानूनों ने यह भा १०

भारत : वर्तमान और भावी

बात मारु हो गयी कि सरकार मुह से तो सुधारो की मीठी बातें कर रही है मगर उसके हाथ में दमन का डडा है। जनता को यह देखकर बड़ा क्रोध प्राया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने अनुभव के आधार पर रोलट का नूतनो के खिलाफ सत्याग्रह आन्दोलन चलाना चाहा और इसके लिए फरवरी के महीने में उन्होंने एक सत्याग्रह लीग भी बना डाली। जनता से ६ अप्रैल को हड़ताल करने की प्रणाली की गयी। जनता ने इतने उत्साह से प्रणाली पर प्रमत्त किया कि मुद्रा प्रणाली करनेवाले हक्के-बक्के रह गये। मार्च और अप्रैल में देश के अनेक भागों में बड़े-बड़े जनम निकले, हड़तालें हुईं, और कहीं-कहीं पर जनता की पुतिन से टक्करें हो गयीं और जनता ने सरकारी दमन का बहादुरी से मुकाबला किया, हानाकि इसमें बहुत से लोग जल्मी हुए और अनेक मारे गये। इस वर्ष की गणराशी रिपोर्ट में इस बात पर बड़ी हैरानी और घबराहट जाहिर की गयी है कि लोगों में यकायक ऐसी एकता कैसे कायम हो गयी कि हिन्दू-मुस्लिम विरोधों की मांगी जाने गायब हो गयी। रिपोर्ट के शब्द हैं :

"इस घाम हलचल में एक खास बात यह देखी गयी कि हिन्दुओं और मुसलमानों में अमृतपूर्व भाईचारा कायम हो गया है। नेताओं ने बहुत दिन पहले हिन्दू-मुस्लिम एकता को राष्ट्रवादी कार्यक्रम का निदिचा घग बना रखा था। इस घाम हलचल के वक्त नीचे के वर्ग भी एक बार अपने भेदभाव भूल गये। भाईचारे के असाधारण दृश्य दिखाई दिये।"

सरकार ने असाधारण ढंग का दमन किया। अमृतगर में जनिवावाला बाग की पटना इसी समय हुई जहाँ जनरल डायर ने चारों ओर दीवारों में घिरे हुए एक स्थान में एहमित जनता पर, जिसके बाहर निकलने का कोई मार्ग न था, १,६०० गोलीया बरसाया। इस हत्याकांड में (सरकारी आकड़ों के अनुसार) ३७६ आदमी मारे गये और १,२०० जख्मी हुए जो बिना चिकी तरह की मरहमपट्टी के पटना-स्थान पर ही पड़े रहे। जनरल डायर ने बाद में कहा कि गोली चलाने का उद्देश्य "बड़ा पर मोहूद लोगों पर ही नहीं, बल्कि, विरोधपना पूरे पत्राब के लोगों पर अतिकर रट्टि में अतिकर प्रभाव डानना था।" मोपे-नादे गन्धों में रहा जान तो जनरल डायर के अनुसार जनिवावाला बाग के हत्याकांड का उद्देश्य मारो जनता को अनाशित करना था। उस समय भारत पर इन का ऐसा पटाटोरा पटना हुआ था, वह इगने जाना जा सकता है कि राष्ट्रम के नेताओं को भी इस हत्याकांड का विस्तृत गनासार पटना के चार महीने बाद मिला, और तबमय पाठ महीने तक सरकार ने उगकी एक भी गबर गनासार पता में नहीं पाने से तथा उसे ब्रिटिश पार्लामेंट और अरबेब जनता से दिगाने गया। जब बहुत पटाटोरा हुआ और राष्ट्रम ने मानों की जान करने के लिए,

अपनी एक कमिटी नियुक्त कर दी, तब ब्रिटिश सरकार को भी कूटनीति के नाम पर मजबूर होकर घटना की जांच और निन्दा करनी पड़ी। लेकिन जनरल डायर की साम्राज्यवादियों ने बड़ी तारीफे की (और उसे २०,००० पौंड की एक थैली भी दी) और लार्ड-सभा ने उसके काम की वाक्यादा प्रशंसा की। पंजाब में मार्शल-लाॅ लगा दिया गया। आतंक-राज्य के उस काल में वहा किस बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुए, फासिया दी गयी, हवाई जहाजों से बम गिराये गये, और भयानक सजाए दी गयी, इसका पूरा हिसाब अभी तक नहीं लगाया जा सका है। बाद को जो जाच-पड़ताल हुई, उससे भी केवल आंशिक जानकारी ही प्राप्त हो सकी।

ब्रिटिश सरकार का मत था कि इस काल में "आन्दोलन ने निस्सन्देह अंग्रेजी राज के खिलाफ संगठित विद्रोह का रूप ले लिया था।" परिस्थिति को यों बदलते देखकर गांधी जी को धबराहट हुई। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद और अन्य कुछ स्थानों में जनता ने शासको के खिलाफ इक्के-दुक्के हिसा का प्रयोग किया। इस पर गांधी जी ने ऐलान किया कि मेने "एक हिमालय जैसी भूल की थी जिससे कुछ ऐसे लोगों को उपद्रव करने का मौका मिल गया जिनका उद्देश्य अच्छा नहीं था और जो सच्चे सत्याग्रही कदापि न थे।" चुनावे एक हफ्ता हड़ताल चलने के बाद ही गांधी जी ने अप्रैल के बीच में सत्याग्रह आन्दोलन रोक दिया। इस प्रकार ठीक उस समय, जब आन्दोलन शिखर पर पहुचने ही वाला था, उसे बन्द कर दिया गया। बाद में गांधी जी ने २१ जुलाई को अखबारों के नाम एक खत लिखकर यह बताया कि आन्दोलन इसलिए वापिस ले लिया गया है क्योंकि "सत्याग्रही कभी सरकार को परेशान नहीं करना चाहता।" सत्याग्रह का यह अनुभव आगे चलकर एक बड़े पैमाने पर दुहराया जानेवाला था।

हम ऊपर देख चुके हैं कि दिसम्बर १९१९ में कांग्रेस मुधारों से काम लेने की बात सोच रही थी और गांधी जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय आन्दोलन का कर्तव्य है कि "चुपचाप मुधारों से काम लेना शुरू करे, ताकि वे कामयाब हों।" लेकिन अब देश की परिस्थिति ऐसी नहीं रह गयी थी कि यह सपना सच्चा होता। १९१९ में जनता में बेचनी की जो लहर तेजी से उठी थी, वह १९२० और १९२१ में बराबर आगे बढ़ती रही और १९२० के उत्तरार्ध में जो अर्थ-संकट शुरू हुआ, उससे तो इस लहर का वेग और भी बढ़ गया। १९२० के पहले छः महीनों में हड़ताल सबसे तेज रही। इस काल में २०० हड़तालें हुईं जिनमें १५ लाख मजदूरों ने भाग लिया। इस बाढ़ के सामने "चुपचाप मुधारों से काम लेना शुरू करने" की सलाहे एक मखौल बन गयी। सितम्बर १९२० में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष लाला लाजपतराय ने कहा :

“इस सत्य की ओर से आँखें मूढ़ लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम लोग एक क्रान्तिकारी जमाने से गुजर रहे हैं...हम स्वभाव और परम्परा से क्रान्तियों के खिलाफ हैं। परम्परा से हम धीरे-धीरे चलनेवाले लोग हैं; मगर जब एक बार हम तै कर लेते हैं कि चलना है तो फिर हम बहुत तेजी में चलते हैं और बहुत जल्दी-जल्दी डग भरते हैं। कोई भी सजीव वस्तु अपने जीवन काल में क्रान्तियों से एकदम झट्टी नहीं रह सकती।”

कांग्रेस अध्यक्ष के इस विद्वलेपण की मूल बात सही थी। उनके ऐलान का अर्थ में यह मतलब था कि जमाना क्रान्तिकारी है, मगर नेता-गण “स्वभाव और परम्परा से क्रान्तियों के खिलाफ हैं,” और इसलिए उनके सामने समस्या यह पैदा हो गयी है कि बढ़ते हुए आन्दोलन का आतिर कैसे नेतृत्व किया जाय। युद्ध के बाद भारत में जो राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गयी थी, उसका भीतरी विरोध इसी बात में था। उस समय और भी बहुत से देशों में ऐसी हालत थी कि युद्ध ने जो अचानक पैदा हुआ था, उसमें लाभ उठाने की परिपक्वता राजनीतिक आन्दोलन में नहीं थी।

इस परिस्थिति में गांधी जी और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं ने (नरम दली नेता तो इस समय तक कांग्रेस छोड़ ही चुके थे) अपना मोर्चा एकदम बदल देने का फैसला किया। १९२० में उन्होंने मुंधारो से सहयोग करने की बात छोड़ दी और बढ़ने हुए जन आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में लेने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला “अहिंसात्मक असहयोग” का। यहाँ में जन-आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस करने लगती है, मगर इसके लिए देश को यह कीमत देनी पड़ती है कि मध्यम मदा “अहिंसात्मक” रहेगा।

अहिंसात्मक असहयोग की नयी योजना कांग्रेस ने गितम्बर १९२० में कानपुर के अपने विशेष अधिवेशन में स्वीकार की। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी और पण्डित मोतीलाल नेहरू के साथ उपनासे मुकामान नेता अली-बखुषो के मिल जाने में एक ऐसा उबरल मोर्चा कायम हो गया था कि विरोधियों की कुछ न करने पायी। अली-बखुषु इस समय अहिंसात्मक आन्दोलन की अनुमति कर रहे थे, जो कि नाम की ही तुर्कों के साथ मंत्रोत्तर की मधि के द्वारा क्रिये गये अन्वय का विरोध करत का आन्दोलन था, मगर अन्वयार में मुस्लिम जनता के अन्वयार की एक मूख में आपने का काम कर रहा था। अन्वयार अधिवेशन के अन्वयार में एकान्तर का कि “अहिंसात्मक गांधी ने जो अन्वयार करने का अहिंसात्मक अन्वयार आन्दोलन आरम्भ किया है, वह अन्वयार आगे बढ़ेगा अब तक कि अन्वयार

अन्याय की बातों का निराकरण नहीं किया जाता और स्वराज्य नहीं कायम होता।" असहयोग का यह आन्दोलन कई मंजिलों में से होकर बढ़नेवाला था। उसका शीर्षगोश सरकार की दी हुई उपाधियों को त्यागने और तीन तरह के बहिष्कार से होनेवाला था। तीन तरह के बहिष्कार में धारा-सभाओं का, अदालतों और कचहरियों का तथा स्कूलों-कालेजों का बहिष्कार शामिल था। उसके साथ ही "हर घर में फिर से चर्खा और करघा चालू करने" की बात थी। आन्दोलन की अन्तिम अवस्था में कर-बन्दी आरम्भ करने की योजना थी, पर यह निश्चित नहीं था कि यह समय कब आयेगा। यह बात देखने की है कि तुरन्त जो कदम उठाये जा रहे थे, वे मध्य-वर्ग के कदम थे; जैसे वकीलों को अदालतों का बहिष्कार करना था और विद्यार्थियों को स्कूलों-कालेजों का, और अफसरों को सरकारी नौकरिया छोड़नी थी। मगर आम जनता से केवल चर्खा फातने के लिए कहा गया था। कर-बन्दी (जो लाजिमी तौर पर लगान-बन्दी बन जाती) के कार्यक्रम में जनता सचमुच सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी, लेकिन वह बाद के लिए टाल दिया गया था।

धारा-सभाओं का चुनाव नवम्बर में होनेवाला था। उसका बहिष्कार बहुत सफल रहा। दो-तिहाई वोटों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। स्कूलों, कालेजों का बायकाट भी काफी कामयाब रहा। विद्यार्थियों में बड़ा जोश था। उनकी बहुत बड़ी संख्या असहयोग आन्दोलन में खिच आयी। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार कम कामयाब रहा। हां, पं. मोतीलाल नेहरू और श्री चितरजनदास जैसे देश के कुछ वकीलों ने ज़रूर मुकदमे लड़ना छोड़ दिया।

दिसम्बर १९२० में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। वहां लगभग एकमत से नया कार्यक्रम पास हो गया। इसके पहले कांग्रेस का लक्ष्य साम्राज्य के अन्दर रहते हुए औपनिवेशिक खुदमुस्तार हुकूमत प्राप्त करना था। अब उसे बदलकर "शान्तिपूर्ण तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना" कांग्रेस का लक्ष्य बना दिया गया। इसके पहले कांग्रेस का संगठन बड़ा ढीला-ढाला था। नागपुर में एक आधुनिक ढंग की पार्टी का विधान स्वीकार हुआ ताकि कांग्रेस की स्थानीय शाखाएं एंर गांव और मुहल्ले में कायम हो सकें। पूरे संगठन का संचालन करने के लिए पन्द्रह सदस्यों की एक कार्यसमिति बनायी गयी।

गांधी जी के दिये हुए नये कार्यक्रम और नीति को अपनाकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। अब कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सरकार के खिलाफ संपर्क में जनता का नेतृत्व करनेवाली राजनीतिक पार्टी बन गयी थी। इस स्थिति से (जिसको देखकर गुरु के उमाने के उप राष्ट्रवादी भी घ्रांस मलते नज़र आते) प्रगति करते-करते कांग्रेस भागे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य केन्द्र बन गयी।

लेकिन इस नये कार्यक्रम और नीति में एक दूसरा तत्व भी था, जो जन-संपर्क से मेल नहीं खाता था। यह मध्य-वर्गीय आध्यात्मिकता, नैतिक उपेक्ष-भुन और मथारपथी शान्तिवाद का तत्व था जो "अहिंसा" के बड़े निर्दोष लगनेवाले शब्द के रूप में प्रकट हुआ था। गांधी जी के हाथों में यह शब्द एक पूरी धार्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा का सूचक बन गया। गांधी जी बहुत प्रभाव-शाली दम ने और बड़ी लगन के साथ इस विचारधारा का प्रतिपादन और प्रचार कर रहे थे। कुछ बातों में उनकी विचारधारा भारत की पुरानी दार्शनिक चिन्तन-धाराओं में मिलती-जुलती थी, मगर उसका घनिष्ठ सम्बंध पश्चिम के तोल्मटोय, घोरो, और इमेसन जैसे आधुनिक विचारकों के चिन्तन के साथ था। जब गांधी जी अपने युवाकाल में विलायत गये थे, तब वहाँ इन लोगों के विचारों का बड़ा चलन और प्रभाव था। गांधी जी की चिन्तनधारा के निर्माण में इन विचारों का जबरदस्त हाथ रहा। गांधी जी के बहुत से सहयोगी उनके दार्शनिक विचारों को नहीं मानते थे। मगर उन्होंने भी अहिंसा शब्द को यह मोचकर ग्रहण कर लिया कि जहाँ निहृषी जनता को एक शक्तिशाली सशस्त्र शासक वर्ग से नडना है, वहाँ, कम में कम संपर्क की शुरुआती अवस्था में, उसके लिए अहिंसात्मक उपायों में काम लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन, जैसा कि बाद की घटनाओं से और इस शब्द को नित नयी और अधिक विस्तृत व्याख्याओं से स्पष्ट हो गया, ऊपर से यह शब्द कितना ही निर्दोष, मान्यतावादी और उपयोगी क्यों न लगता हो, वास्तव में, उसके गर्भ में न सिर्फ अन्तिम संपर्क से भागने की बात छिपी हुई थी, बल्कि उसमें छोरी अवस्था तात्कालिक संपर्क को रोकने की नीति भी निहित थी, क्योंकि अहिंसा के नाम पर आम जनता के हितों को बड़े-बड़े पूर्जापतिशों और उमोंदरारों के हितों से पटरी बंठाया जाती थी, जब कि ये लोग सादिमी तौर पर हर तरह के निर्णायक जन-संपर्क के खिलाफ थे। यही वह भीतरी विरोध था जिसके कारण आन्दोलन बहुत बड़े सफलताएँ प्राप्त करने के बाद भी न तो पटनी बार सफल हुआ, और न दम मान बाद दूसरी बार, जब कि पहले में भी बड़े पैमाने पर संपर्क देखा गया। नेताओं ने हर जगह को विश्वास दिया था कि नयी नीति बनाने पर बहुत जल्द और निश्चय रूप से स्वराज्य मिल जायगा। इसी भीतरी विरोध के कारण यह माना पूरी नहीं हो सका।

अ-२ में अन्द स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संपर्क बनाने का जो नया नडाहू कार्यक्रम बनवाया, उसमें जन-आन्दोलन शी तैली में प्राण बड़ बना। गांधी जी ने स्पष्ट और टह शब्दों में यह भविष्यवाणी की थी कि स्वराज्य बारह नहीं के अन्दर मिल जायगा। यही तब कि उसके लिए उन्होंने एक तारीख भी निश्चय कर दी थी— ११ डिगम्बर, १९२१ के

पहले-पहले स्वराज्य मिल जानेवाला था। बात यहां तक बढ़ गयी थी कि सितम्बर १९२१ में गांधी जी ने एक सम्मेलन में कह डाला कि "साल सतम होने के पहले-पहले स्वराज्य प्राप्त कर लेने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि बिना स्वराज्य लिए मैं ३१ दिसम्बर के बाद जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता।" लेकिन जाहिर है कि इस तारीख के बहुत वर्षों बाद तक गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते रहे और आखीर तक अपनी यह दो-तरफा भूमिका अदा करते रहे।

गांधी जी ने विजय की तिथि को निश्चित कर दी थी, लेकिन उनकी आन्दोलन की योजना उतनी सुनिश्चित नहीं थी। कांग्रेस का इतिहास में यह लिखा गया है :

"लोग इस बात से आकर्षित हो रहे थे कि इस बार साधारण जनता सत्याग्रह करेगी। यह कैसा सत्याग्रह होगा; यह आन्दोलन क्या रूप धारण करेगा? खुद गांधी जी ने यह कभी नहीं बताया था, इसकी कभी विस्तार से व्याख्या नहीं की थी, और खुद अपने दिमाग में भी इसका कोई चित्र नहीं बनाया था।"

मुभाप बोस ने अपनी पुस्तक में बताया है कि कैसे वह १९२१ के उन ऐतिहासिक दिनों में एक युवा शिष्य के रूप में बड़ी उत्सुकता के साथ पहली बार महात्मा जी से मिले थे और कैसे गांधी जी की बात सुनकर उन्हें घोर निराशा हुई थी। मुभाप बोस महात्मा जी से "साफ-साफ और तफ़्सील के साथ यह जानना चाहते थे कि उनकी योजना क्या है, वह किन मजिलों में से होकर बढ़ेगी, और एक-एक कदम रखते हुए अन्त में किस तरह विदेशी नौकरशाही के हाथों से सत्ता छीनी जायेगी।" लेकिन गांधी जी ने उनकी जिज्ञासा शान्त नहीं की। मुभाप बाबू ने लिखा है :

"मैं यह समझने में असमर्थ रहा कि गांधी जी सचमुच चाहते क्या थे। या तो वह समय से पहले अपना भेद नहीं देना चाहते थे और या उनके दिमाग में इस बात की कोई साफ समझ न थी कि आखिर किन दावपेचों से सरकार को परास्त किया जायगा।"

श्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की "मज्जेदार अस्पष्टता" का जिक्र इन शब्दों में किया है :

"यह बात साफ थी कि हमारे अधिकतर नेताओं के लिए स्वराज्य का मतलब स्वतंत्रता से बहुत छोटी चीज़ था। गांधी जी इस विषय पर एक मज्जेदार अस्पष्टता से काम लेते थे, और वह यह भी नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग ही उनके बारे में कोई साफ़ समझ रखें।"

लेकिन फिर भी, जैसा कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है :

“हम सब यह महसूस करते थे कि वह एक महान और अनोखे व्यक्ति तथा तेजस्वी नेता हैं; और एक बार उनमें विश्वास कर लेने के बाद हमने उन्हें अपनी तरफ से, कम से कम उस समय, सब कुछ करने का अधिकार दे दिया था।”

१९२१ में आन्दोलन की प्रगति केवल इसी बात में नहीं दिखाई देती थी कि लोग बड़े जोश के साथ असहयोग आन्दोलन में भाग ले रहे थे, बल्कि उसके साथ-साथ देश के तमाम भागों में जन-सम्पर्क नया और अधिकाधिक उग्र रूप धारण कर रहा था। आसाम-बंगाल रेलवे पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। मिदनापुर में कर-बन्दी आन्दोलन चल रहा था। दक्षिण में मत्तावार के मोसला किसानों ने विद्रोह कर दिया था। पंजाब में सरकार के दलाल महन्तों के खिलाफ भ्रूणियों का उग्र आन्दोलन चल रहा था।

१९२१ के अन्तिम महीनों में सम्पर्क और तेज हो गया। सरकार पूरी परिस्थिति में बहुत अधिक चिन्तित और घबरायी हुई थी। उसने बहुत सोच-विचारकर और बड़ी उम्मीदों के साथ गांधी जी को हराने के लिए अपना नुस्खा का इस्तेमाल किया। वर्ष के शुरू में कनाडा के ड्यूक को भारत का दौरा करने के लिए भेजा गया था। इस बार सरकार ने खुद युवराज को भारत यात्रा पर भेजा। सरकार को यह आशा तो नहीं थी कि इस तरह जनता चुन हो जायगी, लेकिन पूर्ण के रहस्यों का हर प्रयत्न विशेषतः यह समझना था कि पूर्ण के लोगों के लिए राजा प्रथम युवराज करने अधिक श्रद्धा और भक्ति का पात्र होता है। इसलिए, सरकार युवराज को भारत में घुमाकर जनता की भावनाओं को धरना चाहती थी। युवराज के दौरे का परिणाम सरकार की आशाओं में अधिक हुआ — लेकिन उल्टी दिशा में। १७ नवम्बर को जब प्रयत्न युवराज ने भारत में पैर रखा, तो एक देशव्यापी हड़ताल में उनका स्वागत किया गया। जनता के प्रमतोष का ऐसा जबरदस्त और कामयाब प्रदर्शन भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। एक तरफ जनता का विरोध, दूसरी तरफ प्रोथ में भरी सरकार का दमन-धरु, दोनों में शून्य टक्करें हुईं। गांधी जी ने उन्हें रोहने की कोशिश की, पर यह सफल नहीं हुए। पाकिर में उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्हें स्वयंसेवक बनने में भी पिन घाने नहीं है।

इसी समय ने राष्ट्रीय मेरादल का मण्डन और पकड़ने लगा। अभी भी स्वयंसेवकों का मण्डन कार्यक्रम का गिलालत आंदोलन के नाहक या और उगका आधार “सर्वसाधारण समन्वय” का गिलालत था। लेकिन स्वयंसेवकों की मन्था बहुत बड़ी थी। वे वहीं पकड़ने में, कराए करने थे और जब वे हड़ताल

कराते और विलायती कपड़े की दूकानों पर धरना देने या लोगों को शान्तिपूर्ण ढंग से समझाने के लिए जाते, तो सिपाहियों की तरह लाइन बनाकर चलते।

सरकार ने अपनी पूरी ताकत से सेवादल का दमन किया। स्टेट्समैन और इंग्लिशमैन जैसे सरकारी अखबार चीख रहे थे कि कलकत्ते पर सेवादल के स्वयंसेवकों ने कब्जा कर लिया है और सरकार खतम हो गयी है। वे मांग कर रहे थे कि सेवादल के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई की जाय। सरकार ने सेवादल को गैर-कानूनी करार दे दिया। हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये। उनकी खाली जगहों को तुरन्त हजारों विद्यार्थियों और कारखानों के मजदूरों ने भर दिया।

दिसम्बर खतम होते-होते एक गांधी जी को छोड़कर कांग्रेस के बाकी सभी प्रमुख नेता जेलों में बन्द कर दिये गये। जेलों में राजबन्दियों की संख्या बीस हजार तक पहुँच गयी। अगले वर्ष जब आन्दोलन अपने शिखर पर पहुँचा, तो राजबन्दियों की संख्या तीस हजार हो गयी। जनता का जोश मानो उबला पड़ रहा था।

सरकार उलझन और परेशानी में थी। उसके हाथ-पंर ढीले पड़ने लगे थे। उसे डर था कि यदि सार्वजनिक विद्रोह की यह बीमारी शहरों से फैलती हुई करोड़ों किसानों के बीच पहुँच गयी, तो फिर अंग्रेजी राज को कोई नहीं बचा सकेगा और उसके सारे हवाई जहाज और तोपें भी ३० करोड़ नर-नारियों के क्रोध की धकती आग को शान्त न कर सकेंगी। वायसराय ने मंडित मदन-मोहन मालवीय को बीच में डालकर जेल में बन्द राजनीतिक नेताओं से समझौते की बातचीत शुरू की। वायसराय का सुझाव था कि यदि कांग्रेस असहयोग आन्दोलन को रोक दे, तो सरकार सेवादल को फिर से कानूनी करार दे देगी और राजबन्दियों को रिहा कर देगी। बातचीत बीच में ही टूट गयी। समझौता नहीं हो सका।

इस परिस्थिति में, वर्ष के अन्त में, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। अब नेताओं में अकेले गांधी जी जेल के बाहर थे। अधिवेशन के अध्यक्ष बंगाल के वीर नेता चित्तरंजन दास चुने गये थे, लेकिन वह भी जेल में थे। गांधी जी अधिवेशन की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक अंग्रेज पादरी को ले आये थे। यह कहा गया कि पादरी साहब कांग्रेस को एक धार्मिक सदेश देंगे। उन्होंने इस अवसर से लाभ उठाया और विलायती कपड़ा जताने के खिलाफ एक उपदेश भाड़ दिया।

अहमदाबाद अधिवेशन ने बड़े उत्साह के साथ कुछ प्रस्ताव पाम किये। इन प्रस्तावों में "कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय" प्रकट किया गया कि वह "अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन को और भी जोर से चलावेगी और उस वक्त

“यदि कांग्रेस उस क्रान्ति का नेतृत्व करना चाहती है जो तमाम भारत को हिलाये डाल रही है, तो उसे केवल प्रदर्शनों और क्षणिक आवेश पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे मजदूर यूनियनों की तात्कालिक मांगों को अपनाना चाहिए; उसे किसान सभाओं के कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करना चाहिए; और तब वह बक्त दूर नहीं रहेगा जब कि कोई भी बाधा कांग्रेस का रास्ता नहीं रोक पायेगी; क्योंकि तब अपने भौतिक हितों के लिए सचेत होकर लड़नेवाली समस्त जनता की अजेय शक्ति कांग्रेस के पीछे होगी।”

लेकिन अहमदाबाद में लड़ाई का बिगुल नहीं बजाया गया। उसकी जगह, देखनेवालों ने देखा कि अहमदाबाद के प्रस्ताव में कर-बन्दी का ज़रा भी जिक्र नहीं होने दिया गया है। जहा-जहा आम सत्याग्रह का जिक्र था, वहाँ उसे भी तरह-तरह की अंगर-मंगर की शर्तों से घेर दिया गया था। कही कहा गया था : “आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर ही” आन्दोलन छेड़ा जायगा; कही पर “आन्दोलन के लिए खास हिदायतें” देने की बात थी; और कही पर कहा गया था कि “जब आम जनता अहिंसा के तरीको को अच्छी तरह सीख जायगी,” तभी आन्दोलन छेड़ने की इजाजत दी जायगी।... इसके बाद प्रजातन्त्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना हसरत मोहानी वाली घटना हुई। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया था कि स्वराज्य का मतलब ऐसी “पूर्ण स्वतन्त्रता” है “जिसमें हर प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति मिल जायगी।” गांधी जी ने इस प्रस्ताव का जोरो से विरोध किया और कहा कि “इस प्रस्ताव से मुझे चोट लगी है क्योंकि इससे जिम्मेदारी की भावना का अभाव प्रकट होता है।” अन्त में उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार करा दिया।

भारत सरकार आखे फाड़कर अहमदाबाद का रवैया देख रही थी। उमने पीछे हटने के छोटे-छोटे चिन्हों को पहचाना और सुख की सास ली। वायसराय ने भारत मंत्री के पास इस आशय का तार लन्दन भेजा :

“बड़े दिन की छुट्टियों में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। गांधी जी पर बम्बई के दगों का बड़ा असर पड़ा था। उम वक्त उन्होंने जो बयान दिये थे, उनसे भी यही जाहिर होता था। इन दगों में उनकी समझ में यह भा गया था कि आम सत्याग्रह शुरू करने में क्या-क्या छतरे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस के प्रस्तावों से भी यह बात जाहिर होती है। उनमें न सिर्फ़ खिलाफ़ूट पार्टी के सबसे ज्यादा उग्रवादी लोगों का यह सुभाव नहीं माना गया है कि कांग्रेस को अहिंसा की नीति को छोड़ देनी चाहिए; बल्कि उनमें यह ऐसान करते हुए भी कि दिल्ली वाली

सतें पूरी हो जाने पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया जायगा, वही पर भी कर-बन्दी का जिक्र नहीं किया गया है।"

भव गांधी जी क्या करेंगे ? अहमदाबाद अधिवेशन तो बिना कोई योजना बनाये ही खतम हो गया। सारा दारोमदार गांधी जी पर था। जिस तरह पेरिस के घेरे के समय पेरिस-निवासी यह कहकर अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे कि जनरल थ्रोन्नू ने जरूर कोई न कोई योजना तैयार कर रखी होगी, उसी तरह साम्राज्यवादी दमन की चक्की में पिसती भारतीय जनता गांधी जी की ओर आशाभरी नजरों में देख रही थी कि बस, भव वह अपनी योजना आरम्भ करने ही वाले हैं।

मगर गांधी जी ने जो कुछ किया वह विचित्र था। एक महीने तक वह इन्तजार करते रहे। पूरे महीने जिले में गांधी जी के पास दरखास्तें घाते रही कि उन्हें कर-बन्दी शुरू करने की इजाजत दी जाय। एक जिनने ने—गुंडर ने—तो बिना इजाजत पाये ही कर-बन्दी शुरू कर दी। गांधी जी ने तुरन्त वहाँ के कांग्रेस अधिकाारियों को लिखा कि निश्चित तारीख तक सारे कर जमा कर दिये जायें। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से इलाके में कर-बन्दी आरम्भ करने का निश्चय किया। यह बारदोली का इलाका था। यहाँ गांधी जी ने बड़ी ऐह-तिपात के साथ पूर्ण अहिंसा की परिस्थितिया तैयार की थी। जब पूरा देश गांधी जी ने नेतृत्व पाने की बाट देत रहा था, तब उन्होंने अपने को केवल बार-दोली के उम छोटे से इलाके तक सीमित कर लिया जिसकी आबादी ८७,००० थी, यानी देश की आबादी का चार-हजारवा हिस्सा। १ फरवरी को उन्होंने वायगराय के पाम प्रेसिडेन्ट भेजा कि अगर राजबन्दी फौरन रिहा नहीं किये गये और दमन बन्द नहीं हुआ, तो "पाम सविनय अवज्ञा आन्दोलन" शुरू कर दिया जायगा—नेकिन केवल बारदोली के ताबुके में। उन्होंने प्रेसिडेन्ट भेजा ही था कि चन्द दिन बाद खबर आयी कि उत्तर प्रदेश के घोरोचौरा नामक एक गांव में झुंझनाये हुए किसानों ने एक पाने पर हमला करके उसे जला दिया है और उसमें बाढ़ग पुलिसवालों की जान चली गयी है। इस खबर से प्रबट होता था कि किसानों में बेधेनी कितनी बढ़ गयी है। गांधी जी ने समाचार मुने ही त कर लिया कि भव ज्यादा करने का मनन नहीं है। जल्दी-जल्दी कांग्रेस कार्यमिति की बैठक १२ फरवरी को बारदोली में बुनायी गयी। उसने फैसला किया कि "घोरोचौरा में भोड़ के समाचारक आधार" को ध्यान में रखा जाए यह जरूरी है कि न गिहं पाम सविनय अवज्ञा आन्दोलन की, बल्कि उसके प्रचार मेंगे पूरे आन्दोलन की ही बन्द कर दिया जाय। त कर दिया गया कि राजगवकों के जखू निकालना, सरकारों को रोड़ को जोड़कर मनाए करना, घांसि गव तक दिये जाय; और इस गवके करने पता, आगव-ब-री, और गिला की

“रचनात्मक” कार्य किया जाय; यानी, लड़ाई रोक दी गयी। पूरा आन्दोलन खतम हो गया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

अगर हम यह कहे कि बारदोली के फंसले से कांग्रेस के सभी लोग हक्के-वक्के रह गये, तो इससे उनकी असली भावनाएं प्रकट नहीं होगी। इंग्लैंड निवासियों को समझाने के लिए यह कहा जा सकता है कि भारत में बारदोली के फंसले का १९२२ में वही असर हुआ था, जो १९२६ में इंग्लैंड में ग्राम हड़ताल को वापस ले लेने का हुआ था। सुभाष बाबू ने लिखा है :

“जब जनता का जोश उबला पड़ रहा था, ठीक उस वक्त पीछे हटने का विगुल बजा देना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी। महात्मा जी के प्रमुख सहायक देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय, सब के सब जेल के अन्दर थे। साधारण जनता की तरह वे भी इस फंसले को मुनकर बहुत नाराज हुए। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और यह देख सकता था कि वह क्रोध और दुख से पागल हो रहे हैं।”

पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय और दूसरे नेताओं ने जेल से गांधी जी को उनके फंसले का विरोध करते हुए क्रोध से भरे हुए लम्बे-लम्बे खत लिखे। गांधी जी ने उन्हें यह सीधा सा उत्तर दे दिया कि जो लोग जेल में बन्द हैं, वे “नागरिकता की दृष्टि में मर चुके हैं,” और नीति के मामले में उन्हें कुछ कहने-मुनने का अधिकार नहीं है।

यह पूरा आन्दोलन एक आदमी की इच्छा के आधीन बना दिया गया था। उसका सगठन ही इस आधार पर हुआ था कि जनता की स्वयं-स्फूर्त क्रियाशीलता को जरा भी बढ़ावा न दिया जाय और एक नेता के सभी आदेशों का यंत्रवत पालन किया जाय। इसलिए, बारदोली के फंसले का लाजिमी तौर पर यह नतीजा हुआ कि पूरा आन्दोलन उलझन, निराशा और पस्तहिम्मती का शिकार हो गया। पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस आधार पर बारदोली के फंसले का समर्थन करने की कोशिश की है कि यदि आन्दोलन को रोकना न जाता, तो वह हाथ से निकल जाता और हिंसा और खून-खण्वर के रास्ते पर चला जाता; और ऐसा होने से निश्चय ही सरकार की जीत होती। लेकिन जवाहरलाल जी ने भी यह माना है कि जिन दंग से यह फंसला किया गया, उससे :

“कुछ पस्तहिम्मती फंती। यह भी मुमकिन है कि इतने बड़े आन्दोलन को इस तरह यकायक बोटल में बन्द कर देने से देश में घटनाओं के शोचनीय रूप पकड़ने में मदद मिली। राजनीतिक सपर्य में छिट-मुट और अनावश्यक हिंसा की प्रवृत्ति तो रुक गयी, मगर यह दबी हुई हिंसा

सतें पूरी हो जाने पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया जायगा, वही पर भी कर-बन्दी का विक्रम नहीं किया गया है।”

अब गांधी जी क्या करेंगे ? प्रहमदावाद अधिवेशन तो बिना कोई योजना बनाये ही खतम हो गया। सारा दारोमदार गांधी जी पर था। जिन तरह पेरिस के घेरे के समय पेरिस-निवासी यह कहकर अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे कि जनरल त्रोट्ट ने जरूर कोई न कोई योजना तैयार कर रखी होगी, उसी तरह साम्राज्यवादी दमन की चक्की में पिसती भारतीय जनता गांधी जी को घोर आशाभरी नजरों में देख रही थी कि बस, अब वह अपनी योजना प्रारम्भ करने ही वाले हैं।

मगर गांधी जी ने जो कुछ किया वह विचित्र था। एक महीने तक वह इन्तजार करते रहे। पूरे महीने जिलों से गांधी जी के पास दरखास्तें माती रहीं कि उन्हें कर-बन्दी शुरू करने की इजाजत दी जाय। एक जिले ने—गुड्डर ने—तो बिना इजाजत पाये ही कर-बन्दी शुरू कर दी। गांधी जी ने तुरन्त वहाँ के कांग्रेस अधिकांशियों को लिखा कि निश्चित तारीख तक सारे कर जमा कर दिये जायें। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से इलाके में कर-बन्दी प्रारम्भ करने का निश्चय किया। यह बारदोली का इलाका था। यहाँ गांधी जी ने बड़ी ऐह-तियात के साथ पूर्ण अहिंसा की परिस्थितिया तैयार की थी। जब पूरा देश गांधी जी में नेतृत्व पाने की बाट देता रहा था, तब उन्होंने अपने को केवल बार-दोली के उम छोटे से इलाके तक सीमित कर लिया जिसकी आबादी ८३,००० थी, यानी देश की आबादी का चार-हजारवा हिस्सा। १ फरवरी को उन्होंने वायसराय के पास प्लेटोमेटम भेजा कि अगर राजबन्दी फौरन रूखा नहीं गिये गये घोर दमन बन्द नहीं हुआ, तो “आम सविनय अवज्ञा आन्दोलन” शुरू कर दिया जायगा—लेकिन केवल बारदोली के तालुकों में। उन्होंने प्लेटोमेटम भेजा ही था कि बन्द दिन बाद मखर आयी कि उत्तर प्रदेश के चोरीचोरा नामक एक गांव में भूमनाये हुए किसानों ने एक पाने पर हमला करके उसे जला दिया है। घोर उगमें वाइसराय पुलिसवालों की जान चली गयी है। इस मखर से प्रबट होता था कि किसानों में बेचनी कितनी बढ़ गयी है। गांधी जी ने गमाआर मुने ही कर लिया कि अब बसाइ करने का समय नहीं है। जल्दो-जल्दी कांग्रेस कांग्रेसी की बैठक १२ फरवरी को बारदोली में बुलाई गयी। उनमें प्रस्ताव किया कि “चोरीचोरा में भोज के प्रमाणिक आपरणु” को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि न गिके आम सविनय अवज्ञा आन्दोलन को, बल्कि उनके प्रसार में पूरे आन्दोलन को ही बन्द कर दिया जाय। उं कर दिया गया कि १५ फरवरी के अगुग निकालना, सरकारों से रोक को तोड़कर सभाएं करना, घोर मख रोक दिये जाय; घोर इस मखके बन्दे थपाने, सरकार-बन्दी, घोर किया का

“रचनात्मक” कार्य किया जाय, यानी, लडाईं रोक दी गयी। पूरा आन्दोलन खतम हो गया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

अगर हम यह कहे कि बारदोली के फंसले से कांग्रेस के सभी लोग हक्के-वक्के रह गये, तो इससे उनकी असली भावनाएँ प्रकट नहीं होंगी। इंग्लैंड निवासियों को समझाने के लिए यह कहा जा सकता है कि भारत में बारदोली के फंसले का १९२२ में वही असर हुआ था, जो १९२६ में इंग्लैंड में ग्राम हड़ताल को वापस ले लेने का हुआ था। सुभाष बाबू ने लिखा है :

“जब जनता का जोश उबला पड़ रहा था, ठीक उस वक्त पीछे हटने का विगुल बजा देना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी। महात्मा जी के प्रमुख सहायक देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय, सब के सब जेल के अन्दर थे। साधारण जनता की तरह वे भी इस फंसले को सुनकर बहुत नाराज हुए। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और यह देख सकता था कि वह क्रोध और दुःख से पागल हो रहे हैं।”

पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय और दूसरे नेताओं ने जेल से गांधी जी को उनके फंसले का विरोध करते हुए क्रोध से भरे हुए लम्बे-लम्बे खत लिखे। गांधी जी ने उन्हें यह सीधा सा उत्तर दे दिया कि जो लोग जेल में बन्द हैं, वे “नागरिकता की दृष्टि से मर चुके हैं,” और नीति के मामले में उन्हें कुछ कहने-सुनने का अधिकार नहीं है।

यह पूरा आन्दोलन एक आदमी की इच्छा के आधीन बना दिया गया था। उसका सगठन ही इस आधार पर हुआ था कि जनता की स्वयं-सूक्त क्रियाशीलता को जरा भी बढ़ावा न दिया जाय और एक नेता के सभी आदेशों का यंत्रवत पालन किया जाय। इसलिए, बारदोली के फंसले का लाजिमी तौर पर यह नतीजा हुआ कि पूरा आन्दोलन उलझन, निराशा और पस्तहिम्मती का शिकार हो गया। पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस आधार पर बारदोली के फंसले का समर्थन करने की कोशिश की है कि यदि आन्दोलन को रोका न जाता, तो वह हाथ से निकल जाता और हिंसा और खून-स्रवण के रास्ते पर चला जाता; और ऐसा होने से निश्चय ही सरकार की जीत होती। लेकिन जवाहरलाल जी ने भी यह माना है कि जिस ढंग से यह फंसला किया गया, उससे :

“कुछ पस्तहिम्मती फंसी। यह भी मुमकिन है कि इतने बड़े आन्दोलन को इस तरह यकायक बोटल में बन्द कर देने से देश में घटनाओं के शोचनीय रूप पकड़ने में मदद मिली। राजनीतिक सघर्ष में छिट-पुट और अनावश्यक हिंसा की प्रवृत्ति तो रुक गयी, मगर यह दबी हुई हिंसा

अपने निकलने का रास्ता ढूँढती ही रही; और शायद यही कारण था कि आनेवाले वर्षों में साम्प्रदायिक भगड़े बहुत बढ़ गये।”

जब आन्दोलन को इस तरह भीतर में पंगु और पस्तहिम्मत बना दिया गया, तब सरकार ने हिम्मत के साथ कार्रवाई की। १० मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार करके छ. बरस की कैद की सजा सुना दी गयी। लेकिन इससे जन-आन्दोलन में जरा सी हलकतक न आयी। दो वर्षों के भीतर ही गांधी जी रिहा कर दिये गये। मकड़ की घड़ी चलतम हो गयी थी।

बारदोली के फैसले को लेकर बहुत बहमें हुई हैं। उनके जो कटु परिणाम हुए और मधुपर्ग को रोक देने में आन्दोलन में छ. बरस तक जो ढोल बनी रही है, उनके बारे में बहुत तेज वाद-विवाद होता रहा है। दलील दी गयी है कि बारदोली के फैसले की प्रगल्भी बजह चौरीचौरा के कांड में उपादा गृही थी; और प्रगल्भीयत यह थी कि “हमारा आन्दोलन ऊपर से तो बहुत ताकतवर दिखाई देता था और जनता में बहुत श्यादा जोंग भी मानूम पड़ता था, पर भीतर में वह छिप्र-भिन्न हुआ जा रहा था,” और इसलिए उसे रोक देना जरूरी था। पूछा जा सकता है कि आन्दोलन किम माने में “छिप्र-भिन्न हुआ जा रहा था।” यदि हमका यह मतलब है कि आन्दोलन पर सुधारवादी-शान्तिवादी विचारों का नियंत्रण बीला पड़ रहा था, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आन्दोलन की प्रगल्भी के फलस्वरूप यह होना तो लाजिमी था और गंगा हुए बिना आन्दोलन चलन नहीं हो सकता था (नेहरू जी ने अपने ही यह मान लिया ही कि सारे देश में जनता के विद्रोह करने पर सरकार को जीत होनी, लेकिन सरकार को अपनी जीत का इतना भरोसा न था)। दूसरी ओर, यदि आन्दोलन के छिप्र-भिन्न होने का यह मतलब है कि जन-मधुपर्ग का उठान सम्भव हो चुका था और अब यह हमको परदेन लगा था, तो निश्चय ही यह दावा सही था। मगर तो यह है कि मुर बारदोली के निर्णय के सम्बन्ध में यह दावा नहीं करने थे। इसका मूल प्रश्न यह है कि मुर भारत सरकार ने बारदोली के फैसले के तौर दिख पर ही परिणामों का बिल्कुल दूसरा मूल्यांकन किया था। ६ फरवरी, १९२२ को राजगुरु ने एक बार इन्हें कहा था, किममें उन्हात पर किया था :

“मुर के निर्णयों पर प्रत्यक्षतः आन्दोलन का महारा प्रभाव पड़ा है...। मुर इतना ही, मगर यह धारणा पारी, उन्हा प्रदेन, बिना और शरीरों तथा बर्तान में किया जा पर भी प्रभाव पड़ा है। जरा उन्हा प्रभाव का प्रभाव है, जरा प्रभाव ही आन्दोलन, देशीय में प्रभाव ही प्रभाव जनता तक पहुंच गया है। मुर के म. सुभाषचन्द्र जी का एक बड़ा हिस्सा मुर मुरा और नागव देता है... किमों भी उन्हा मरनाक जनता प्रेस ही

सकती है...भारत सरकार समझती है कि यहां पर अभी तक जैसे उपद्रव हुए हैं, निकट भविष्य में उससे कहीं अधिक भयंकर उपद्रव हो सकते हैं। सरकार इस बात को जरा भी छिपाना नहीं चाहती कि वह देश की परिस्थिति को देखकर बहुत अधिक चिन्तित है।”

१२ फ़रवरी को बारदोली के फैसले ने सारे आन्दोलन को रोक दिया। उसके तीन दिन पहले, ९ फ़रवरी को भारत सरकार ने परिस्थिति का यह मूल्यांकन किया था।

जनता कंसे अनुशासन के साथ आन्दोलन चला रही थी, और निर्णायक लड़ाई के लिए कितनी तैयार थी, यह गुट्टर के उदाहरण में स्पष्ट है, जहां गांधी जी के आदेशों के बावजूद एक गलतफहमी के कारण कर-बन्दी आन्दोलन शुरू कर दिया गया था। जब तक गांधी जी के पास-से आन्दोलन को रोकने और सरकारी-कर जमा करा देने का आदेश नहीं आया, तब तक गुट्टर में सरकार ५ प्रतिशत से ज्यादा कर या लगान नहीं वसूल कर पायी थी। कांग्रेस के केन्द्र से एक इशारा भर मिलने की देर थी कि सारे देश में यह क्रिया आरम्भ हो जाती और जनता सरकारी कर और लगान देने से इनकार कर देती। मगर इस क्रिया के परिणामस्वरूप केवल साम्राज्यवाद का ही नहीं, बल्कि जमींदारी प्रथा का भी सफाया हो जाता।

बारदोली का फैसला सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। यह खुद फैसले के शब्दों से साफ हो जाता है। १२ फरवरी को कांग्रेस कार्यसमिति ने बारदोली में जो फैसला किया था, वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसे पूरा उद्धृत कर देना उचित होगा। उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्तियों और असक्तियों को समझने में मदद मिलेगी। बारदोली के प्रस्ताव के मुख्य ग्रंथ ये हैं :

“धारा १। कार्यसमिति चोरीचोरा में भीड़ के इस अमानुषिक आचरण की दुख के साथ निंदा करती है कि उसने पुलिसवालों की पाशविक ढंग से हत्या कर डाली और अंधे होकर पुलिस के थाने को जला दिया।

“धारा २। जब भी सविनय अवज्ञा का जन-आन्दोलन आरम्भ किया जाता है, तभी हिंसात्मक उपद्रव होने लगते हैं। इससे जाहिर होता है कि देश अभी काफी अहिंसक नहीं हुआ है। इसलिए, कांग्रेस कार्य-समिति फैसला करती है कि आम सविनय अवज्ञा आन्दोलन...फ़िलहाल रोक दिया जाय, और वह स्थानीय कांग्रेस कमिटियों को आदेश देती है कि वे किसानों को सरकार का लगान तथा दूसरे कर भुगतान करने की सलाह दें और हर तरह की हमलावर कार्रवाइयों को बन्द कर दें।

“धारा ३ । सविनय भ्रवज्ञा का ग्राम ध्रान्दोलन उस समय तक रुका रहेगा जब तक कि देश का वातावरण इतना ग्रहिसक नहीं हो जायगा कि इस बात की गारंटी हो जाय कि श्रव गोरखपुर जैसी बंबला या १७ नवम्बर की बम्बई और १३ जनवरी की मद्रास जैसी हुल्लड़बाजी फिर कभी न हो सकेगी ।...

“धारा ५ । सरकारी रोक को तोड़कर जलूस निकालना और नभाए करना बन्द कर देना चाहिए ।

“धारा ६ । कांग्रेस कार्यसमिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व संगठन को सलाह देती है कि वे किसानों को यह बात बता दें कि जमींदारों को लगान न देना कांग्रेस के प्रस्तावों के खिलाफ है और हानिकर भी है ।

“धारा ७ । कांग्रेस कार्यसमिति जमींदारों को विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस के ध्रान्दोलन का उद्देश्य किसी तरह भी उनके कानूनी अधिकारों पर चोट करना नहीं है; और जहां किसानों को कुछ शिकायतें हैं, जहां भी कांग्रेससमिति यहो चाहेगी कि प्राप्त के सलाह-मशारिफे से और पंचायत करके मामला निपटा दिया जाय ।”

प्रस्ताव में जाहिर है कि उनके पैग करनेवालों के मन में जो प्रेरणा काम कर रही थी, वह ग्रहिमा के मिद्धान्त की प्रेरणा नहीं थी । प्रस्ताव की तीन धाराओं में (जो कानूनी दाय में धरि हैं) ग्राम तोर पर बहुत जोर देना, और एक बहुत ही उरूरी हिदायत के रूप में यह कहा गया है कि किसानों को जमींदारों का और सरकार का लगान घटा कर देना चाहिए । महा हिमा या ग्रहिमा का कोई म्वाल नहीं है । म्वाल माक-माक खन-हितों का है । म्वाल गोंगलों और गोंगलों का है । कोई नहीं कह सकता कि लगान न देना “हिमरु” कार्य है । इसके विरुध, यह विरोध प्रकट करने का सबसे म्वाणिकी (और माप ही म्वाणिकी) इग है । तब फिर जो प्रस्ताव “हिमा” की निन्दा करने बना था, उसमें म्वाल न देने पर और जमींदारों के “इतनी अधिकारों” के म्वाल पर इन्त और बरा दिया गया ? इग म्वाल का निक एक ही उदाहरण हो सकता है । वह यह कि “ग्रहिमा” की म्वालकनी एक म्वाल-नामो म्वाल है, त्रिम मोइहर इरममल जाने या घनजाने में म्वाल-नामो का म्वालन किया जाता है और म्वाल-नामो की म्वालन म्वाल जाता है ।

कांग्रेस के उदाहरण म्वालन ने, जो म्वालो को के माप से, इरममल म्वाल-नामो का उदाहरण है कि वे म्वाल को बारी हुई म्वाल-नामो म्वाल म्वाल से, म्वालिक उनमें उन म्वाल-नामो म्वाल के म्वाल के म्वाल म्वाल म्वाल है म्वाल या त्रिम के माप म्वालो का म्वालन म्वाल म्वाल है ।

जिस सवाल पर १९२२ में राष्ट्रीय आन्दोलन टूटा, वह "हिंसा" बनाम "अहिंसा" का नहीं, बल्कि वर्ग-स्वार्थ बनाम जन-संघर्ष का सवाल था। इसी चट्टान पर आन्दोलन टूटा था। अहिंसा का असली मतलब यही था।

३. संघर्ष की तीसरी बड़ी लहर (१९३०-३४)

बारदोली के धक्के के बाद पांच वर्ष तक राष्ट्रीय आन्दोलन को नकवा मारे रहा। कांग्रेस ने बड़ी पस्ती आ गयी। १९२४ में गांधी जी ने बताया कि कांग्रेस अपने एक करोड़ मेम्बर बनाना चाहती थी, मगर वह दो लाख से ज्यादा मेम्बर नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि "हम राजनीतिज्ञ लोग सरकार के विरोध के सिवा और किसी बात में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते।" गांधी जी ने उस वर्ष कांग्रेस के विधान में चर्खा कातने की शर्त रखवा दी थी, जिसके अनुसार चुनी हुई कमिटियों के सदस्यों को हर महीने दो हजार गज सूत खुद कातकर देना होता था। उसके मातहत, १९२५ के पतभङ तक केवल १०,००० मेम्बर ही बन पाये। तब अखिर इस शर्त को हटा लिया गया और सूत कातकर देना सदस्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। १९२५ में बम्बई क्रॉनिकल ने लिखा कि "चारों तरफ गतिरोध और जड़ता फैली हुई है।" उसी वर्ष लाला लाजपतराय ने "अराजकता और मत-भ्रम" का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि "राजनीतिक परिस्थिति आशाजनक और उत्साहप्रद कदापि नहीं है। जनता में पस्ती आ गयी है। सिद्धान्त, पार्टियाँ और राजनीति, हर चीज टूटती-बिखरती दिखाई देती है।" राष्ट्रीय आन्दोलन की पस्ती के इस काल में साम्प्रदायिक भगडों की जहरीली हवा देश में चलने लगी। मुस्लिम लीग ने फिर अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। उसके जवाब में हिन्दू महासभा संकुचित और प्रतिक्रियावादी ढंग का प्रचार करने लगी।

कांग्रेस के नेताओं के एक हिस्से ने, जिसका प्रतिनिधित्व देशबंधु चितरंजन दास और प. मोतीलाल नेहरू करते थे, बारदोली के फंसले के बाद एक नया मोड़ लेने की कोशिश की। ये लोग समझते थे कि गांधी जी की नीति अनुपयोगी और अव्यावहारिक है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अन्दर रहते हुए, चुनाव लड़ने के लिए और नयी धारामहालों में वैधानिक मोर्चे पर संघर्ष चलाने के लिए एक नयी पार्टी बनायी। इस पार्टी का नाम स्वराज्य पार्टी रखा गया।

जन-आन्दोलन की कमजोरी को देखते हुए चुनाव और धारामहालों का बहिष्कार रतम करने का नुस्खा निस्संदेह एक प्रगतिशील क्रदम था। कांग्रेस के उन पुरानपथी, निष्क्रिय लोगों ने उसका विरोध किया जो "नो-चेम्बर" या "अपरिचर्तनवादी" कहलाते थे और चर्खा, शरायबंदी, अष्टोद्वार तथा भा ११

ऐसे ही अन्य सामाजिक सुधारों के "रचनात्मक कार्यक्रम" को ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग मानते थे। लेकिन ये लोग कांग्रेस के उस हिस्से को रोکنने की सामर्थ्य नहीं रखते थे जो एक ज्यादा ठोस नीति अपनाना चाहता था। १९२२ तक कांग्रेस ने स्वराज्य पार्टी के सामने पूरी तरह और बिना शर्त हथियार डाल दिया। कांग्रेस में स्वराज्य पार्टी का बहुमत हो गया। उसके नेताओं ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली और गांधी जी कुछ समय के लिए पृथुभूमि में चले गये।

गांधी जी की नीति से आन्दोलन दबदब में पम गया था। उससे हटना उम्मीद थी। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता उससे इस तरह हटे कि जनता ने और भी दूर हो गये। गांधी जी की नीति से आने बढ़ने का केवल यही तरीका था कि जिन ऊपरी वर्गों के हितों के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ विराम-पान किया गया था, उनके प्रभुत्व को हटाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नये आधार पर, गट्ट के बहुमत के आधार पर, मजदूरों और किसानों के हितों के आधार पर खड़ा किया जाय, क्योंकि ये ही ऐसे वर्ग थे जिनका साम्राज्यवाद में समझौता करने में कोई तान नहीं था। जहाँ तक हवाई मिदान्तों का सवाल है, स्वराज्य पार्टी ने यह बात मान ली थी। देशबन्धु चित्तरजन दाम ने कहा था कि "हम लोग देश के ६८ प्रतिशत लोगों के लिए स्वराज्य चाहते हैं;" और उनके ये शब्द गारे देश में गूब उठे थे। नये कार्यक्रम में भी मोटे तौर पर मजदूरों और किसानों के मसलों की आवश्यकता का जिक्र था। लेकिन घनती तौर से स्वराज्य पार्टी प्रबोधित वर्ग के ऊपरी स्तर के प्रगतिशील लोगों की पार्टी थी। उनका प्रस्तित्व इसी स्तर के समर्थन पर निर्भर करता था। उनके प्रमुख नेता इसी वर्ग के थे। और ये लोग मजदूरों और किसानों के हितों के बारे में धाटे त्रिजनी भावनापूर्ण बातें करते रहे हों, पर ऊपरी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें यह बात बिनकुल ग्राह्य कर देनी पड़ी थी कि उर्मा-शक्ति प्रथा और प्रबोधन के लिए उनकी पार्टी में कोई मन्त्र नहीं है। इन्हीं उर्मा-स्वराज्य पार्टी की स्थापना के समय आने उद्देश्यों का ऐलान करते हुए उनकी पार्टी का एक नाम उद्देश्य यह बताया था कि "जिसी और व्यक्तिगत मन्त्रों को मानता ही जानती और उसी स्था की प्राप्ति, और हर आशय को इस बात का परिहार था कि वह एक और प्रथम दोनों तरह का अपना व्यक्त-

इसलिए, हालांकि स्वराज्य पार्टी बनाने का उद्देश्य एक प्रगतिशील कदम उठाना था, मगर व्यवहार में उस पर जन-संघर्षों की लहर के नीचे गिरने की ही छाप थी। स्वराज्य पार्टी उस प्रगतिशील पूजोपति वर्ग की पार्टी थी जो वैधानिकता की ढालू जमीन पर बड़ी तेजी से चुढ़कता हुआ साम्राज्यवाद से सहयोग करने की ओर बढ़ रहा था। अपने जन्म से ही स्वराज्य पार्टी तथाकथित दुश्मन की ओर खिसकने लगी थी। शुरू में कहा गया था कि काउंसिलों में जाने का उद्देश्य “केवल हर कदम पर रुकावट डालना” है। इस नीति के आधार पर १९२३ के चुनाव में पार्टी की काफी बड़ी जीत हुई और उसने केन्द्रीय असेम्बली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रवेश किया। स्वतंत्र या लिबरल (पुराने नरमदली) सदस्यों के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी थोड़ी खींचतान करके अपना बहुमत भी कायम कर सकती थी। पार्टी के नेता देशबधु चित्तरजन दास ने असेम्बली में प्रवेश करने के समय ऐलान किया : “मेरी पार्टी यहां सहयोग करने के लिए आयी है। यदि सरकार उनका सहयोग स्वीकार करेगी, तो वह पायेगी कि स्वराज्य पार्टी के लोग उसके अपने आदमी हैं।” और १९२५ तक तो देशबधु यह कहने लगे थे कि उन्हें सरकार में “हृदय परिवर्तन” (यह कहना कितना गंरवाजिव था, इसे तत्कालीन भारत मंत्री लार्ड बर्कनेहेड के रुख से देखा जा सकता है जिन्होंने उन्ही दिनों एक भाषण में खुलेआम “भारतीय राष्ट्रीयता के भूत” की खिल्ली उड़ायी थी) के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यह बात उन्होंने फरीदपुर के अपने प्रसिद्ध बयान में कही थी और उसके साथ-साथ उन्होंने कुछ शर्तों के साथ सरकार से सहयोग करने का भी मुझाव रखा था। उनमें से एक शर्त यह थी कि स्वराज्य पार्टी और सरकार दोनों मिलकर क्रान्तिकारी आन्दोलन का विरोध करेंगी। लिबरलों के नेता ने इसके बाद कहा कि अब स्वराज्य पार्टी के साथ हमारा कोई खास मतभेद नहीं रह गया है। १९२६ के बसन्त में साबरमती के समझौते के रूप में पद-ग्रहण का फ़सला होने जा रहा था, लेकिन साधारण कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण न हो सका। १९२६ के पतझड़ में नये चुनाव हुए। उनमें मद्रास के सिवा बाकी हर जगह स्वराज्य पार्टी को पीछे हटना पडा।

लेकिन साम्राज्यवाद से मधुर सहयोग करने के पूजोपति वर्ग के मीठे सपने पूरे होनेवाले नहीं थे। उनका भग होना लाजिमी था। जब यह बात साफ हो गयी कि राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिया कमजोर पड गयी हैं, और जन-आन्दोलन से कटकर स्वराज्य पार्टीवालों के सामने समझौते के लिए गिडगिठाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया है, तब साम्राज्यवाद ने भी अपने दजिन का मुह मोड़ दिया, और पिछले चन्द नानों में उनसे भारत के पूजोपति वर्ग को जो छोटी-मोटी धार्मिक रियायतें दी थी, उन्हें वह वापस छीनने लगा। अब

साम्राज्यवाद ने अपना पूर्ण प्रभुत्व कायम करने के लिए एक बड़ा आर्थिक हमला शुरू किया। १९२७ में, मुद्रा कानून बनाकर रुपये की कीमत १ सिक्कि ६ पंग निश्चित कर दी गयी। सारे देश ने इसका विरोध किया, मगर साम्राज्यवाद ने कोई परवाह न की। १९२७ में ही नया इस्पात संरक्षण कानून बनाया गया। १९२४ के कानून से भारत के इस्पात उद्योग को जो संरक्षण मिला था, वह इस कानून के द्वारा खतम कर दिया गया और इंग्लैंड आनेवाले इस्पात पर चुगी कम कर दी गयी। १९२७ के अन्त में भारत का भावी विधान बनाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया जिसमें एक भी भारतीय सदस्य न था।

इस प्रकार भारत के पूँजीपति वर्ग को अनिच्छा रहते हुए भी प्रायः इस नतीजे पर पहुँचना पड़ा कि साम्राज्यवाद में सहयोग करने की आशाएँ पूरी-भूल नहीं हो सकती और अगर अच्छा नौदा करना है, तो एक बार फिर जनता की शक्तियों को काम में लाना होगा। लेकिन अब देश वर्ग पहले के मुद्दाबन्धों में परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा कठिन और पेचोदा हो गयी थीं। कारण कि इस बीच जनता की शक्तियों ने नयी करवट लेनी शुरू कर दी थी, वे मुद्रा स्थापना में और आने-आने वाले उद्देश्यों के साथ देश के राजनीतिक समस्य पर प्रष्ट होने लगी थीं। उन्होंने न केवल साम्राज्यवाद के विनाश, बल्कि भारतीय लोगों के विरुद्ध भी सक्रिय संपर्क शुरू कर दिया था। इस प्रकार, अब स्वतंत्रता के सपने का निर्यात स्वल्प पढ़ने में नहीं अधिक स्पष्ट हो गया था; या यह नया आदिष्ट कि अब साम्राज्यवाद और भारतीय जनता का अधिक महत्त्व संपर्क और भारत के पूँजीपति वर्ग की दुर्गम भूमि का अधिक स्पष्ट हो गया था। अर्थात् सपने को नया नहर इस बार एक नये रूप में सामने आया। इस नयी नहर के प्रथम चिह्न १९२७ के उत्तरार्ध में दिखाई दिये और १९३०-३६ के बीच यह नदी अपने पूरे और पर पहुँच गयी। यह नया सपने एक तरह तो पहले से अधिक व्यापक और गहरा था और उसका दिनांक यह था; दूसरी तरफ इसका विकास एक-एक, अटका के साथ, और उद्देश्यों के मामले में नयी दुर्गमता दिखाई देता था और अन्त में समाप्त पर पहुँचता था। बीच-बीच में समस्य की बराबरी शुरू हो जाती थी और बिना कोई समझौता हुए असाध्य असाध्यों का सामना हो जाता था। और अन्त में ही अन्त में एक-एक हो कर टूट गया।

इसके साथ-साथ मजदूर वर्ग की नयी विचारधारा—समाजवाद का भारत में प्रचार होने लगा था। नौजवानों और उग्रवादी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में इस नयी विचारधारा का काफी असर हुआ था, और उससे उन्हें एक नया जीवन, नयी शक्ति और अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुए थे। समाजवाद भारत की राजनीति का एक नया तत्व बन गया था। १९२४ के कानपुर पडयत्र केस से यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि साम्राज्यवाद भी चौकन्ना हो गया है और वह मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी राजनीति के पहले अक्रुरों को ही कुचल देना चाहता है। १९२६ और १९२७ में मजदूर-किसान पार्टों नामने आयी। उसके विकास ने १९२८ के ट्रेड यूनियन आन्दोलन और हड़तालों की प्रचंड लहर की भूमिका का काम किया। १९२८ में मजदूर हड़तालों की जो लहर आयी, उसमें ३१,६४७,००० काम के दिनों का नुकसान हुआ। पिछले पाच वर्षों की हड़तालों में कुल मिला कर भी इतने दिन जाम नहीं हुए थे। बम्बई के कपडा मजदूरों की नयी लडाकू यूनियन गिरनी कामगार यूनियन (लाल बावटा) के मेम्बरों की संख्या साल भर के अन्दर, सरकारी रजिस्ट्रों के अनुसार भी, ६५,००० तक पहुच गयी। देश भर में मजदूर यूनियनों के मेम्बरों की संख्या में ७० प्रतिशत की बढ़ती हो गयी। इसी साल साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उनमें राजनीतिक दृष्टि से मजदूर वर्ग ने सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया। मजदूर यूनियनों की लडाकू वर्ग चेतना आगे बढ़ी और १९२९ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अन्दर गरम दल की जीत हो गयी। संघर्ष की नयी लहर के उठने की सूचना इन सभी बातों से मिल चुकी थी। यही वह नयी शक्ति थी जो इस बार भारतीय जनता को संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी।

इस प्रगति की छाया कांग्रेस में भी दिखाई दी। कांग्रेस के अन्दर एक नया गरम दल बन गया। राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नया वामपक्ष प्रकट होने लगा। १९२७ के अन्त में प. जवाहरलाल नेहरू डेढ़ साल तक योरप का दौरा करने के बाद भारत लौटे। उन्होंने योरप में समाजवादी क्षेत्रों और उनके विचारों से सम्पर्क कायम किया था। १९२७ के आखीर में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। उसमें भी नयी वामपक्षी प्रवृत्तियाँ दिखाई दी, और यह स्पष्ट हो गया कि खासकर नौजवानों में उनका बहुत असर हो गया है। मद्रास अधिवेशन ने सर्वमम्मति में एक प्रस्ताव पाम किया जिसमें राष्ट्रीय आन्दोलन का नश्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया था। ध्यान रहे कि कांग्रेस के नेता अभी तक हमेशा इस तरह के प्रस्तावों का विरोध करते आये थे। इस बार प्रस्ताव के पास हो जाने का एक कारण यह भी था कि गांधी जो मद्रास अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। बाद की उन्होंने प्रस्ताव की निन्दा की और कहा कि यह जल्दी-जल्दी में और बिना सोचे-समझे पास कर दिया गया है। इसी

अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय हुआ; साथ ही यह भी फैसला किया गया कि नये विधान की सरकारी योजना के मुकाबले में भारतीय योजना बनाने के लिए एक सर्वदली सम्मेलन हो और उसमें कांग्रेस भाग ले। कांग्रेस ने अन्तरराष्ट्रीय साम्राज्य-विरोधी लीग में शामिल होना स्वीकार किया। प. नेहरू और सुभाष बोस नौजवानों के और कांग्रेस के धर बढ़ती हुई वामपक्षी प्रवृत्तियों के मुख्य नेता समझे जाते थे। वे कांग्रेस के प्रभु मंत्री नियुक्त कर दिये गये।

ऊपर से देखने में लगता था कि १९२७ के अधिवेशन में वामपक्ष की विजय हुई है। लेकिन असल में, यह जीत एक सतही चीज थी। उसका आधार यह था कि किली ने मद्रास में वामपक्ष का विरोध नहीं किया था। १९२८ में जैने-जैने घटनाचक्र घागे बढ़ा, जैसे-जैसे कांग्रेस के पुराने नेता चौरुने होते गये। साइमन कमीशन के विरोध में बड़े सफल प्रदर्शन हुए। हड़तालों की लहर और जंगी उठी। "इंडिपेंडेंट (स्वाधीनता) लीग" नामक सस्था, जो घनी हाल में कायम हुई थी, और युवकों तथा विद्यार्थियों के संगठन बढ़ी तेजी से बिकाग करने लगे। इन सब बातों से पुराने नेताओं के सामने यह चीज साफ हो गयी कि वामपक्ष एक ऐसी उपरंतत ताकत बनता जा रहा है जो पूरी कांग्रेस पर कब्जा कर सकता है। सर्वदली सम्मेलन में पुराने नेताओं ने कांग्रेस के बाहर के नरमदली या प्रतिक्रियामारी नेताओं के साथ मिलकर एक वैधानिक योजना बनाने (जो कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि योजना बनानेवाली गर्भित के अध्यक्ष, प. मोतीलाल नेहरू थे)। इस योजना में ब्रिटिश साम्राज्य के धर रहें हुए जिम्मेदार सरकार की माग की गयी थी और इन प्रकार स्वायत्त की माग की स्वीकार कर दिया गया था। लेकिन जनता की बढ़ती हुई भावनाओं की शक्ति हुए, इसमें सफ था कि कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट की स्वीकार कर लेगी।

हालांकि बहुत ताकत थी। इस माग पहले के मुकाबले में बनाना बहुत घागे बढ़ गया था। और इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा था कि बड़े-बड़े कार्य होकर रहेंगे। ऐसी हालात में, नरमदली नेताओं ने फिर उम्मीदों की सन्ध की शिगे उठाने लगी में हटा दिया था। १९२८ के अन्त में कांग्रेस का अधिवेशन का लक्ष्य भी हुआ। उदा माफी की की फिर कांग्रेस का प्रमुख बना दिया गया। उसकी अर्थ-व्यवस्था विविधताओं के अर में नरमदली नेता फाई हुए भी नहीं रहे, पर इसमें शिरो ही सफ न था कि युवा नेतृत्वों में माफी की सन्ध बहुत और प्रमुखी घासी है, जिसका कला पर उदा उपरंतत प्रकार है कि बड़े जनता मुकाबल नहीं कर सकता, और प्रत्येक माता-पिता बच्चा न भाग्य का सन्ध बहुत शक्ति बना दिया है। अतिशयता की पूजा की शिखर के धरि धार्मिक एव धार्मिकी विधान-संकेत के अन्त में माफी की शक्ति

मुनियों की भाति सम्पत्ति का समर्थन करते थे। शास्त्रार्थ में बाल की खाल निकालनेवाले तार्किकों की भाति वह व्याख्याओं और दलीलों का ऐसा जाल फैला सकते थे जिसमें हर अच्युती और बुरी बात सही मालूम पड़े। साधारण मिट्टी के बने हुए आदमियों में यह बात बेईमानी समझी जाती; मगर जब रैमजे मैकडोनल्ड या गांधी जी जैसे महान व्यक्ति इस तरह की दलीले देते हैं, तो उनकी गिनती ऐसे महात्माओं में होने लगती है जो तर्क और विवेक से ऊपर उठकर केवल अन्तरात्मा की पुकार सुनते हैं। नरमदली नेताओं को यह एक ऐसा मसीहा मिला था जो अपने व्यक्तिगत महात्मापन और त्याग से जनता के हृदय कपाट खोल देता था, जहां से कि नरमदली पूजीवादी नेता सिर पटक-पटककर लौट आते थे। और यह एक ऐसा नेता था जिसकी रहनुमाई स्वीकार करने पर हर जन-आन्दोलन के ठप हो जाने की गारंटी हो जाती थी। क्रान्ति की नैया को हर वार मरुभार में डूबोनेवाला यह खेवन्हार मानो पूजीपति वर्ग के लिए शुभ धड़ी लानेवाला तावीज बन गया था, जिसे वह संधपं की हर बड़ी लहर के उठने पर पहन लेता था। इसीसे भारतीय राजनीति के इस सम्पूर्ण युग की यह प्रधान विशेषता—हर देशव्यापी आन्दोलन का यह अलिखित नियम—पैदा हुआ कि जब कभी कोई आन्दोलन होता था, तो गांधी जी का नेतृत्व अनिवार्य हो जाता था (वास्तव में, इससे यह प्रकट होता था कि वर्ग-शक्तियों का संतुलन कितना नाजुक है)। जब कभी आन्दोलन छेड़ना आवश्यक होता था, तभी पूजीपति वर्ग की सारी आशाएं (विरोधी लोग कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की सभी आशाएं) गांधी जी पर केन्द्रित हो जाती थी, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जो आन्दोलन की लहरों पर सवारी गाठ सकते थे, उनको काबू में रख सकते थे, और जिनमें यह सामर्थ्य था कि बस इतना जन-आन्दोलन छेड़ें जिससे साम्राज्यवाद के साथ सौदा पट जाय और साथ ही जो भारत को क्रान्ति से भी बचा ले जाय।

दिसम्बर १९२८ में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कराने में गांधी जी को काफी दिक्कत हुई। उन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था, उसमें कहा गया था कि इस रिपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य छोड़ दिया गया है, और अगर सरकार ३१ दिसम्बर, १९२९ तक यह रिपोर्ट नहीं मंजूर कर लेती, तो कांग्रेस एक बार फिर अहिंसात्मक पनहयोग आन्दोलन छेड़ेगी और इस बार कर-बन्दी में शुरू करेगी। (गांधी जी ने पहले अपने प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर, १९३० की तारीख रखी थी और सरकार को दो वर्ष की मुहलत दी थी; लेकिन अधिवेशन ने सिर्फ एक मान बर्ग मुहलत देना ही स्वीकार किया।) यह प्रस्ताव भी अंग्रेजों के कम बोटों में पास हुआ। उसके पक्ष में १,३५० वोट आये, जब कि मुनाफ बाबू और प. जवाहर

नाल नेहरू के उस उपवादी संशोधन के पक्ष में ६७३ वोट पड़े, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट के बढ़ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना तात्कालिक लक्ष्य घोषित किया था। उस प्रकार आन्दोलन छेड़ने की बात साल भर के लिए टाल दी गई, हालांकि १९२० की घटनाओं ने यह बात साफ हो गयी थी कि जनता के बीचों-बीच नमोना पर पहुँच गयी है। साम्राज्यवाद को पहले से बता दिया गया कि साल भर बाद हम आन्दोलन करनेवाले हैं, उसे दबाने के लिए तुम दो नौयारी करना चाहो अभी मे कर लो। सुभाष बाबू ने लिखा है: "ब्रिटीश कांग्रेस के टावरमहल के प्रस्ताव का सिर्फ यह नतीजा हुआ कि नेशनलीस्ट हाथ में निकल गया।" इस बीच कांग्रेसी नेताओं को एक चेतावनी भी मिल गयी थी। कलकत्ते के २०,००० मजदूरों ने (कांग्रेस के इतिहास में उनकी संख्या २०,००० बतायी गयी है) कांग्रेस पडाल में घुसकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता और "स्वतंत्र समाजवादी भारतीय प्रजातंत्र" के नारों के साथ प्रदर्शन किया। ये लोग दो घंटे तक पडाल पर कब्जा किये रहे। सुधारवादी नेताओं को उनके लिए सब छोड़ देना पड़ा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हड़त सपर्य छेड़ने की मजदूर वर्ग की भाव को मुनन, पड़ा।

बागह महीने की इस दंगे ने साम्राज्यवाद को अपनी कर पुखरे का मोड़ मिल गया। उसने इन भयमर को हाथ में नहीं जाने दिया। मार्च १९२६ में उठो हुए मजदूर आन्दोलन के सभी प्रमुख नेताओं को देश के विभिन्न भागों में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर दूर मरठ में मुकदमा चलाया गया जहाँ जिन लोगों के मुकदमे भी मुनवाई हो सकी थी। यह मुकदमा चार साल तक चलता रहा और इन दौरान में मजदूर नेता जेल में बन्द रहे। इन बीच मजदूरों की तरह उठो और उठकर दब भी गयी, मगर इन लोगों को मजदूर वर्ग ने मुक्त कर दिया। गिरफ्तार नेताओं में मजदूर यूनियनों और मजदूर-विमान वर्गों के प्रमुख नेताओं के साथ-साथ अखिल भारतीय कांग्रेस समिती, यानी कांग्रेस की मजदूर समिती की समिती के तीन सदस्य भी शामिल थे। इस तरह, कांग्रेस के नेहरू के मजदूर विद्रोह के पहले ही मजदूर वर्ग का निर काट जगा गया और राजनीति के मजदूर मुकदमे हुए और हरिजन नेताओं को, जिनका जल्दा दर मजदूर वर्ग में वे भी बन्द कर दिया गया। भाव ही, बाबूबाबू ने जन-मुक्ति कार्यकर्ता बनने की राह दिखाई और वे मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए

नेता प. जवाहरलाल नेहरू को, जो समाजवाद से सहानुभूति प्रकट कर चुके थे, नामजद कर दिया। उस समय अपनी पसन्द के हक में दलील देते हुए उन्होंने प. नेहरू के बारे में कहा :

“देश-प्रेम में कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। वह वीर और भावुक हैं, और इस समय इन गुणों की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन संपर्क में दृढ़ता और भावुकता का परिचय देने के साथ-साथ उनमें एक राजनीतिज्ञ के विवेक से काम लेने की क्षमता भी है। वह अनुशासन-प्रेमी हैं और अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध कर चुके हैं कि उनमें असहमत होते हुए भी फैसलो को मानने की क्षमता है। वह विनम्र स्वभाव के हैं और इतने व्यावहारिक भी हैं कि कभी हवा में नहीं उड़ने लगते। उनके हाथों में देश बिलकुल सुरक्षित है।”

नरमदलील नेताओं ने साम्राज्यवाद से समझौता करने की एक आखिरी कोशिश की। ३१ अक्टूबर, १९२६ को वायसराय ने एक बहुत ही स्पष्ट किस्म का बयान दिया जिसमें आगे चलकर कभी “डोमोनियन स्टेट्स के लक्ष्य” तक पहुँचने का कुछ खिन्न था। लन्दन के टाइम्स तक ने बयान के भगले दिन लिखा कि इस बयान में “न तो कोई वायदा किया गया है और न ही उससे नीति में कोई परिवर्तन मालूम होता है।” लेकिन भारतीय नेताओं ने इस बयान के निकलते ही तुरन्त एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर दिया — जो बाद में दिल्ली का घोषणा-पत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बयान में सरकार से हार्दिक सहयोग करने का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि “हम सरकार के बयान से प्रकट होनेवाली सरकार की सच्ची भावना का आदर करते हैं...। भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल डोमोनियन विधान की कोई योजना बनाने के लिए सम्राट की सरकार जो भी प्रयत्न करेगी, हम आशा करते हैं कि हम उसमें सहयोग दे सकेंगे।” इस वक्तव्य पर गांधी जी, श्रीमती बेसंट, पं. मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, प. जवाहरलाल नेहरू, आदि ने हस्ताक्षर किये। जवाहरलाल जी उससे असहमत थे और बाद को उन्होंने लिखा कि यह वक्तव्य “गलत और खतरनाक” था। लेकिन उन्हीं के शब्दों में, उग वक्त उनसे “बातों-बातों में बयान पर दस्तखत करा लिये गये।” दलील यह दी गयी कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये हैं, इसलिए यदि वह दस्तखत नहीं करे तो एवता भग हो जायगी। और दस्तखत करने के बाद गांधी जी ने उन्हें एक पत्र लिगकर दिलाया दिया जिससे उनका सन्ध दूर हो गया। साम्राज्यवाद को दिन्ना या घोषणा-पत्र पढ़कर बहुत मुसी हुई। उसने समझा कि नेता कमबोर पड़ रहे हैं। (टाइम्स ने ४ नवम्बर, १९२६ को लिखा : “कल रात को जो बयान प्रकाशित हुआ है,

उसका यह मतलब है कि जिन कार्यक्रम के लिए लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है।") बतव्य से सिवा इनके कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ कि कांग्रेस-जनो की उत्तमता बढ़ गयी। लाहौर अधिवेशन के कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता वायसराय से भी मिले; मगर उनसे कोई फल नहीं निकला।

जुनाये १९२६ के आखीर में लाहौर अधिवेशन हुआ और उसमें पान्दोलन छेड़ने का फैसला कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में डोमोनियन स्टेट्स लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर में ऐलान कर दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया है, कांग्रेस ने कांग्रेस का ध्येय "पूर्ण स्वराज्य" रहेगा। कांग्रेस ने अधिनियम भारतीय कांग्रेस कमिटी को इस बात का अधिकार दे दिया कि "बहु जय भी उपयुक्त समझे, सविनय अवज्ञा पान्दोलन छेड़ दे, जिसमें कर-बन्दी भी शामिल रहे।" साथी रात को जब पुराना साल छतम हुआ और १९३० आरम्भ हुआ तो भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया (इस भंडे में पहले भारत, मछेद और हारा, ये तीन रंग थे; बाद को साल की जपह केमलिया रंग कर दिया गया)। २६ जनवरी, १९३० को सारे देश में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। हर जगह बिराट प्रदर्शन और सभाएं हुईं जिनमें पूर्ण स्वाधीनता के लिए समर्थन करने की प्रतिज्ञा की गयी। जनता ने घोषणा की कि पहले रात को "धर और मानना मनुष्य और भगवान के प्रति पार करता है;" और अपना विश्वास प्रकट किया कि "यदि हम सरकार से स्वाधीनता पूर्ण सहयोग करना और उसे कर देना बन्द कर दे और उद्योगों जाने पर भी हिसा न करें, तो यह अमानुषिक राज व्यवस्था ही मान्य हो जायगा।"

धर जो समर्थन शुरू हो रहा था, उसका ध्येय क्या था? इस पान्दोलन को योजना क्या थी? इस क्रम में क्या था? कौन सी थी जिन पर सरकार ने समझौता करना उचित समझा जाता था? ब्रिटिश सरकार पर इतना उबड़-काढ़ा उभाने के लिए कि यह "अमानुषिक राज मान्य हो जाय," क्या तरीका घोषित किया था? इन सवालों के उत्तरों पर शुरू से ही कोई गाराई न थी।

किन्तु गांधी जी की धारणा यह नहीं थी। लाहौर अधिवेशन सतम होते ही न्यूपाक वर्ल्ड के ६ जनवरी के अंक में उनका एक वयान प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया था कि “स्वतंत्रता के प्रस्ताव से किसी को डरना नहीं चाहिए।” (माचं में उन्होंने वायसराय के नाम खत लिखकर इसी बात को फिर दोहराया।) ३० जनवरी को उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में म्यारह शतें रखी और कहा कि अगर ये शतें मान ली जाय तो आन्दोलन नहीं होगा। इन शतों में छोटे-मोटे सुधारों की मांग थी (जैसे : रुपये की कीमत १ शिलिंग ४ पेंस हो, देश में मुकम्मिल शराबबन्दी हो, मालगुजारी और फ़ौजी खर्च घटाया जाय, विदेशी कपड़े पर चुंगी लगायी जाय ताकि देशी कपड़े के उद्योग की रक्षा हो सके, आदि)। संघर्ष आरम्भ करने के ठीक पहले इन म्यारह शतों को प्रकाशित करके विरोधी पक्ष के सामने यह बात साफ़ कर दी गयी कि स्वतंत्रता की मांग केवल मोल-भाव करने के लिए है; बाज़ार में सौदे की बातचीत शुरू होने पर जिस प्रकार आरम्भ में भाव को खूब बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, वैसे ही यहाँ भी देश की मांग को एकदम बढाकर रखा गया है, मगर सौदा उससे बहुत कम पर भी पट सकता है।

आन्दोलन की रणनीति भी इतनी ही अस्पष्ट थी। फ़रवरी १९३० में सावरमती में अखिल भारतीय कांग्रेस का मटी की बैठक हुई। उसने आन्दोलन चलाने के लिए कोई उप-समिति नहीं चुनी, बल्कि एक बार फिर आन्दोलन की वागडोर पूरी तरह “महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों” के हाथों में सौंप दी। दलील यह दी गयी कि “सविनय अवज्ञा आन्दोलन का श्रीगणेश उन लोगों को करना चाहिए, और उन्हीं लोगों के हाथों में उसकी वागडोर रहनी चाहिए जो... एक धार्मिक विश्वास के रूप में अहिंसा में यकीन करते हैं।” कांग्रेस के चुने हुए नेताओं ने इस प्रकार आन्दोलन का नेतृत्व दूसरे लोगों के हाथों में सौंप दिया और उन्हें यह हिदायत भी नहीं दी कि आन्दोलन किस तरह चलाया जाय। तब फिर आखिर संघर्ष किस प्रकार चलाया जानेवाला था? लाहौर अधिवेशन की चर्चा करते हुए सुभाष बाबू ने यह लिखा है :

“वामपक्ष की ओर से मने यह प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस को देश में एक समानान्तर सरकार कायम करना चाहिए और उसके लिए मजदूरों, किसानों और नौजवानों का संगठन करना चाहिए। यह प्रस्ताव गिर गया, और उसका यह परिणाम हुआ कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय तो स्वीकार कर लिया, मगर उसे प्राप्त करने की कोई योजना नहीं बनायी गयी, और न ही आगामी वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया। इससे अधिक हात्पास्पद क्या और क्या हो सकती थी ?”

प. जवाहरलाल नेहरू ने भी यह लिखा है :

“ फिर भी कांग्रेस के बारे में हमें साफ़-साफ़ कुछ न मूमता था। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन में बड़ा जोश दिखाई देता था, मगर चीं नहीं ज्वलता था कि लड़ाई के कार्यक्रम का देस कहा तक साथ देगा। इन इतने कांग्रेस बड़ गये थे कि अब पीछे नहीं सोट सकते थे। लेकिन कांग्रेस का रास्ता कंसा है, इसका हमें लगभग तनिक भी ज्ञान न था।”

श्री लोग यह मान कर रहें थे कि उन्हें कांग्रेसोतन की योजना बतानी जाय, उनका आटने हुए, डॉ. पट्टाभि मोनारमय्या ने यह लिखा है :

“ माबरमतो में जो लोग जमा थे, उन्होंने गाधी जी से पूछा कि कांग्रेसी योजना क्या है। उनका पूछना सही ही था, हालांकि महातुड के पहले कोई कांग्रेसी नाईं किचनर या माराल फौर मयवा यांन हिरेनबन में यह कभी न पूछता कि उनकी तुड की योजनाए क्या हैं। योजनाए उन सबके पाम थी, परन्तु उनमें से बताता कोई नहीं था। पर महातुड में यह नहीं होता। हमारी योजनाओ में कोई भी गुप्त बात नहीं थी। लेकिन उनमें कोई स्पष्ट बात भी नहीं-थी। हमारा विस्वास था कि हमारे कांग्रेसोतन की योजनाए तो पीरे-पीरे घाने-घान उनी तरह प्ररट होी जायेगी, येमे जोहरे मे डकी हुई मुबह के धीए प्रंसान में एफ पी चलो मोटर की कांग्रेस का रास्ता पीरे-पीरे, एफ-एफ गड करके, घाने-घान दिखाई देता जाता है। हमारा विस्वास था कि महातुड ही तो मानो घाने मन्तर पर ऐसी गेगनी थाधकर चला है, जो उने घाने कदम के लिए गला दिखाती चली है।” (कांग्रेस का इतिहास)

इस प्रकार मर कुछ इनी पर निर्भर था कि मुद गाधी श्री कांग्रेसोतन के बारे में क्या सोचते थे। देस के भाव्य की पूर्ण नीर पर उनी के हाथों में घोर रिया गया था।

से ही काम चल जाने की उम्मीद की जा सकती थी। जाहिर है कि लाहौर अधिवेशन में पहली तरह के आन्दोलन की बात सोची गयी थी और भारत की साधारण जनता भी उसी की आशा कर रही थी। लेकिन अगर यही उद्देश्य या तो इतने बड़े काम को सभालने के लिए और इतने ताकतवर दुश्मन को पस्त करने के लिए जरूरी था कि अपनी तरफ की ज्यादा से ज्यादा ताकत बटोरकर दुश्मन पर चढ़ाई की जाती, ताकि वह जवाबी हमले की बात सोचने के पहले ही डेर हो जाता। ऐसा करने पर ही आन्दोलन में किसी सफलता की आशा की जा सकती थी; और इसके लिए आवश्यक था कि देश में आम हड़ताल का नारा दिया जाता और उसके पीछे कांग्रेस तथा मजदूर आन्दोलन की पूरी शक्ति लगा दी जाती, सभी किसानों से लगान और कर देना बन्द कर देने के लिए कहा जाता; और एक समानान्तर सरकार कायम की जाती जिसकी अपनी अदालतें, स्वयंसेवक दल, आदि होते। उस वक्त देश में जैसा वातावरण था और जनता में जैसी भावनाएं थी, उनको देखते हुए यह आशा की जा सकती थी कि यदि इस प्रकार का आन्दोलन बहुत ही तेजी और दृढ़ता से चलाया जाता, तो वह जनता की जल्पेबन्दी करने में कामयाब होता, साम्राज्यवाद का कोई सहायक न रह जाता (गडवाली सिपाहियों की बग़ावत तथा पेशावर और शोलापुर के अनुभव से इस बात की पुष्टि होती है) और देश स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाता।

परन्तु गांधी जी की धारणा यह नहीं थी। बल्कि सच तो यह है कि उन दिनों की और बाद की उनकी तमाम बातों से यही जाहिर होता था कि उनको सबसे अधिक चिन्ता इस बात की थी कि आन्दोलन को इस रास्ते पर बढ़ने से कैसे रोका जाय। मई १९३१ में प्रकाशित एक लेख में गांधी जी ने बताया कि यदि अहिंसा के सिद्धान्त से “बाल बराबर भी हटने” से जीत मिलती हो, तो वह जीत से हार ज्यादा पसन्द करेंगे। उनके मन्त्र थे :

“अहिंसा से बाल बराबर भी हटकर जो सारात्मक सफलता मिलनेवाली हो, उसके मुकाबले में यह ज्यादा पसन्द करूंगा कि अहिंसा पर बट्टा न लगे, भले ही हमारी एकदम हार हो जाय।”

२ मार्च, १९३० को वायसराय के नाम पत्र लिखकर गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके विचार में आगामी मर्ष के पीछे कौन भी शक्तिवा काम कर रही हैं और वह किस उद्देश्य से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह लिखा था :

“हिंसा का पक्ष बनाना ही सही है और उमरा प्रभाव प्रकट होने लगा है। ... मेरा उद्देश्य यह है कि हिंसा के बड़ने हुए पक्ष को अचंगठित

हिंसा के खिलाफ और उसके साथ-साथ अंग्रेजी शासन की सगळी हितों के खिलाफ भी मैं उम शक्ति को (अहिंसा की शक्ति को) मैदान में ले जाऊँ। इन समय चुपचाप बंटे रहना उपरोक्त दोनों शक्तियों को गुप्त खोलने का मौका देना होगा।”

इन प्रकार, जन-मधर्ष आरम्भ होने के ठीक पहले गांधी जी ने दो मोर्चों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। उनका सधर्ष केवल अंग्रेजी राज के ही खिलाफ नहीं था, बल्कि अपने अन्दरूनी दुश्मन के खिलाफ भी था। दो मोर्चों पर लड़ने की यह धारणा भारतीय पूजापति वर्ग की भूमिका के सर्वथा अनुकूल थी। यह वर्ग जन-आन्दोलन की साम्राज्यवाद ने बढ़ती हुई टक्कर को देखकर दहल रहा था। यह देख रहा था कि उनके पैरो तले की जमीन खिसकी जा रही है। इसलिए, मजबूर होकर उम मधर्ष की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी थी। वह जानता था कि इन काम में “अमानक पत्रिका” है (बापूदास के नाम आने पत्र में गांधी जी ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था)। लेकिन उन्हें लिए जरूरी हो गया था कि वह आन्दोलन को सीमाओं में बाधकर रखे (स्पोर्ट्स “इन समय चुपचाप बंटे रहना उपरोक्त दोनों शक्तियों को गुप्त खोलने का मौका देना होगा”) और अहिंसा के जादू की छड़ी से दोनों शक्तियों को मनाने की कोशिश करे। लेकिन, बाद के दिनों में जिस तरह स्पेन के मामले में दुनिया की प्रजातान्त्रिक सरकारों की “हस्तक्षेप न करने” की बयानाम नीति एकतरफा रूप में बरती गयी, उसी तरह गांधी जी की यह “अहिंसा” भी “एकतरफा अहिंसा” साबित हुई। भारतीय जनता के लिए तो यह “अहिंसा” थी, लेकिन साम्राज्यवाद के लिए नहीं। यह दिव्य मोतकर दिग्गज करता रहा—घोर घन्ट में बंद भी उगी ही हुई।

कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूर सघर्ष में भाग लेंगे। गांधी जी ने अपने हरेक बयान में यह बात साफ़ कर दी थी कि भारत में उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी एक वर्ग से लगता है। इस प्रकार के सघर्ष में किसानों का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता अवश्य थी, और साथ ही इस बात का भी कोई भय नहीं रहता था कि वे ज़मींदारों के खिलाफ़ सघर्ष करने लगेंगे। आन्दोलन को सीमाओं में रखने के अपने बन्दोबस्त को धीरे भी मजबूत करने के लिए गांधी जी ने ऐलान किया कि शुरू में वह खुद और उनके कुछ शिष्यों का एक छोटा सा जत्था ही नमक सत्याग्रह करेगा। उन्होंने लिखा :

“जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं चाहता हूँ कि केवल आश्रमवासियों और उन लोगों के जरिए यह आन्दोलन शुरू करूँ जो आश्रम का अनुशासन स्वीकार कर चुके हैं और जिन्होंने उसकी कार्यप्रणाली हृदयंगम कर ली है।”

इस प्रकार, समुद्र के किनारे-किनारे गांधी जी और उनके ७२ चुने हुए अनुयायियों ने डांडी-यात्रा आरम्भ की। तीन क़ीमती हफ़्ते बीत गये। दुनिया के भ्रूख़वारों के फोटोग्राफ़र तसवीरें खींचते रहे। जनता से कहा गया—भ्रभी इन्तज़ार करो; देखो, क्या होता है। भ्रूख़वारों, सिनेमाघरों और प्रचार के ग्रन्थ साधनों के जरिए डांडी-यात्रा का घनघोर प्रचार हुआ। कांग्रेस के नेता समझते थे कि जनता को जगाने और जल्पेबन्द करने के लिए यह नीति खूब सफल रही। इसमें सन्देह नहीं कि इससे जनता के पिछड़े हुए हिस्सों को जगाने में सचमुच मदद मिली थी। लेकिन साथ ही साम्राज्यवादी सरकार ने डांडी-यात्रा का प्रचार करने की जो खुली छूट दे रखी थी, उसकी बज़ह महज़ सिपाई या नासमझी नहीं थी। भागे चलकर सरकार ने जो रुख़ भ्रपनाया, वह बहुत भिन्न था। और मुभाय बावू को तो सघर्ष शुरू होने के पहले, स्वतंत्रता दिवस के पहले ही पकड़ लिया गया था क्योंकि उनको सरकार वामपंथी राष्ट्रवादियों का नेता समझती थी। साम्राज्यवाद डांडी-यात्रा का महत्व ग्रन्थी तरह समझता था। सरकार ने जान-बूझकर उसके प्रचार में मदद दी ताकि आन्दोलन की गाड़ी उस लोक में जाकर फस जाय जो गांधी जी ने उसके लिए तैयार की थी।

फिर भी, तीन हफ़्ते छलम होने पर जब ६ अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के किनारे धूम-धाम से नमक बनाया (और वह पकड़े नहीं गये), तो मारे देश में क्यायक जन-आन्दोलन का ऐसा तूफ़ान उठ सड़ा हुआ कि उसे देखकर दोनों तरफ़ के नेता भ्रचम्भे में रह गये। गांधी जी की तरफ़ से बहुत ही सीमित और अपेक्षाकृत ग्र-हानिकर दम था सत्याग्रह करने का आदेश दिया गया था। लोगों से कहा गया था कि वे नमक-क़ानून तोड़ें, विदेशी वपनों का बहिष्कार करें,

गांधी जी का प्रत्येक शान्तिवादी भक्त और प्रशंसक इस वाक्य पर विचार करे। वारदोनी के फैसले की तरह ही, इस वाक्य से भी "अहिंसा" का अर्थ तो मतलब एकदम साफ हो जाता है।

जब यह बात साफ हो गयी कि जन-भ्रान्दोलन का वेग उस पर नगाने गयी सीमाओं से तोड़े डाल रहा है, और गांधी जी की बात को लोग कम मानने लगे हैं, तो सरकार ने, जिम्मे अभी तक गांधी जो को छुट्टा छोड़ रखा था, १ मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकार की विजय में गिरफ्तारी का कारण बनाने हुए कहा गया -

"मि. गांधी इन हिंसात्मक उपद्रवों की बराबर निन्दा करते घाने हैं, लेकिन अपने अनुशासन-विहीन अनुयायियों के शिनाऊ उनकी धाराएँ दिन-ब-दिन कमजोर पड़ती जा रही हैं, और यह बात स्पष्ट है कि जब वह उनको कानून में रखने में असमर्थ हैं।...नवंबर-दशक के दौरान में उनके स्वाम्य और धाराम का पूरा-पूरा अभाव रखा जायगा।"

गांधी जी की गिरफ्तारी का दिन पर त्या प्रभाव पड़ा था, यह हड़तालों की संख्याओं सहित में प्रकट हो गया। बम्बई प्रांत के सोलापुर नामक औद्योगिक नगर की धारामें १६०,००० थी। उगमें में ५०,००० कपड़ा-निर्माता के मजूर थे। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। पुलिस को जगह मजबूत करने की धीर धरना माग्न आवश्यक कर लिया। गांधी दिन तक यहाँ हानत रही। धारामें १२ मई को बड़ा मार्च-ना जागी हो गया। १६ मई, १९३० को टाइम्स धारामें के महादरशा ने लिखा - "भीड़ के ऊपर राष्ट्र के नेताओं ने एक भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। यह मुझे धरती दुर्भाग्य मानना करना पड़े था।" पूना के स्टार नामक पत्र ने लिखा : "मोरो ने दुर्भाग्य धरने धारामें में भी थी और वे धरने धारामें धरने धरने की कोशिश कर रहे थे।" उग समय के मोरो की महादरशा ने पत्र भवता है कि विद्रोही जनता ने सोलापुर में पूर्ण अंधारण आवश्यक कर भी थी।

सरकार राजवन्दी मानती थी। राष्ट्रवादियों ने उस जमाने की गिरफ्तारियों का हिसाब बड़ी तफसील से रखा है। उसके अनुसार ६०,००० लोगों को आन्दोलन के सिलसिले में सजाए दी गयी थी। कांग्रेस का इतिहास में लिखा गया है कि "१९३०-३१ में दस महीने के भीतर ही ६०,००० मर्दों, औरतों और बच्चों को सजाएं सुना दी गयी।" यह सब ब्रिटेन में "लेबर" (मजदूर-दली) सरकार के रहते हुए हुआ। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि प्रतिक्रियावादी पत्र औम्बर्षर ने २७ अप्रैल, १९३० को यह लिखा "यह बड़े सौभाग्य की बात है" कि इस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार है, और "भारत की हालत को देखते हुए अब यह बात एक सार्वजनिक आवश्यकता बन गयी है कि लेबर मंत्रि-मंडल को कायम रखा जाय।"

लोगों को जेलों में डाल देना दमन का सबसे नरम रूप था। जेलें ठसाठस भर गयी थीं, और यह बात साफ हो गयी थी कि जेलें भरने से आन्दोलन नहीं रुक सकता। इसलिए सरकार जिस मुख्य अस्त्र का उपयोग कर रही थी, वह शारीरिक यातना का अस्त्र था। इस काल में जितने अधाधुध लाठी-चाजें हुए, जितने लोगों को बेरहमी से पीटा गया, जितनी बार निहत्थी जनता पर गोली चलायी गयी, जितने मर्दों और औरतों को जान से मार डाला गया और जस्मी किया गया, और जितने गांवों और शहरों पर चढाई की गयी, उन सबका यदि पूरा हिसाब लगाया जाय, तो एक बहुत ही भयानक चित्र उपस्थित होगा। * इन तमाम कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए खबरो पर सतत संसर लगा दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने नकड़ों घटनाओं का व्यौरा पूरी गवाहियों के साथ इकट्ठा किया है। उससे पता चलता है कि सरकार ने उस दौरान में कितनी अमानुषिकता दिखाई थी।

लेकिन, इस सबके बावजूद, १९३० में आन्दोलन की ताकत बराबर बढ़ती गयी। सरकारी अधिकारियों का सारा हिसाब उलट गया। दमन भी कुछ काम नहीं आ रहा था। साम्राज्यवादी पक्ष में बड़ी पवराहट फैलने लगी। १९३० की गरमियों में ही यह बात खुलकर सामने आने लगी थी। छाग तोर पर अंग्रेज व्यापारी वर्ग बहुत पवराया हुआ था, क्योंकि विलायती कपड़े के बहिष्कार से उसे सतत पक्का लगा था। बम्बई में यह बात विशेष रूप से देखने में आ रही थी। बम्बई शहर कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूर वर्ग का केन्द्र है। वहां दमन भी सबसे भयानक हुआ था और आन्दोलन भी और सब जगहों से ज्यादा ताकतवर था। बार-बार पुलिस हमले करती और बार-बार

* १४ जुलाई, १९३० को लेजिस्लेटिव असेम्बली में सरकारी तौर पर एक मसाला था जससे देते हुए बताया गया था कि १ अप्रैल से लेकर १४ जुलाई तक २४ गो.ली-अड हो चुके थे। इनमें १०३ आदमी मारे गये थे और ४२० जस्मी हुए थे।

हुकूमत का उत्तरदायित्व घोर भार, उत्तर्की कठिनाइयाँ घोर उनके बंधों के साथ-साथ उनका गौरव और सम्मान भी प्राप्त हो जाय।”

बड़े गोल-मटोल शब्दों में लपेटकर चारा डाला गया था, घोर जंगल कि बाद की घटनाओं ने साबित होनेवाला था, जहाँ तक ठोस प्रमत्त का सम्बन्ध था, इस ऐलान के जरिए ब्रिटिश सरकार ने कोई वायदा नहीं किया था।

२६ जनवरी को गांधी जी घोर कांग्रेस कार्यसमिति को बिना शर्तों दिया कर दिया गया और उन्हें अपनी बंधन करने की इजाजत भी दे दी गयी। गांधी जी ने ऐलान किया कि वह “बिलकुल गुला हुआ दिमाग” लेकर जेल से निकले हैं। समझौते की लम्बी बातचीत चली। ४ मार्च को गांधी-इरविन समझौते पर दस्तखत हो गये और आन्दोलन प्रस्थायी रूप से रोक दिया गया।

त्रिजि उद्देश्यों के लिए कांग्रेस ने सपनं छोड़ा था, गांधी-इरविन समझौते से उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। (नमक-कर तक भी रद्द नहीं हुआ।) मगर सत्याग्रह बन्द कर देना पड़ा। त्रिजि गोलमेड सम्मेलन का बहिष्कार करने की कांग्रेस ने कसम खायी थी, मगर जगमें शरीक होने का फैसला हुआ। मुन्-मुन्धार हुकूमत कायम करने की दिशा में एक भी ऊर्ध्व नहीं उठाया गया। हुकूमत कि गोलमेड सम्मेलन में एक संघ-विधान के प्राधार पर बातचीत चलेगी, त्रिजिमें भारतीयों के हाथों में जिम्मेदारी रहगी, मगर “भारत के ही हितों में ध्यान में रखने हुए कुछ विभिन्न अधिकार धर्मोच्च अधिकारियों के हाथों में स्थिति रहेंगे।”

परन्तु एक बात थी जिससे शुरू में जनता में खुशी और जीत की भावना फैली। जिस कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार ने गैर-कानूनी करार दे दिया था और जिसे उसने चकनाचूर करने की कोशिश की थी, उसी कांग्रेस के नेता से सरकार को खुलेआम सधि करनी पड़ी। यह निस्सन्देह राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति का एक महान प्रदर्शन था। राजनीतिक दृष्टि से अधिक सचेत कुछ हिस्सों को छोड़ कर बाकी सभी लोगों में इस बात से खुशी की लहर दौड़ गयी। थोड़े ही लोग यह समझ पाये कि वास्तव में क्या हुआ और किस तरह उनके सारे सघर्ष एवं वलिदानों को समझौते की बातचीत में भुला दिया गया है। बहुत धीरे-धीरे समझौते की शर्तों का असली मतलब लोगों की समझ में आया, और तब उन्होंने समझा कि देश को कुछ भी नहीं मिला है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने और साम्राज्यवाद से समझौता न करने के जो बड़े-बड़े नारे लाहौर में इतने जोर से बुलन्द किये गये थे, वे सब हवा उड़ गये थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने कांग्रेस की पीठ-पीछे समझौते की जो ग्यारह शर्तें रखी थी, उन सबका भी अर्थ कहीं पता न था। उनमें से एक भी शर्त नहीं मानी गयी थी। कांग्रेस की यह हालत हो गयी थी कि जिस गोलमेगोल सम्मेलन में भाग लेने से उसने इनकार कर दिया था, अब वह उसीमें भाग लेने जा रही थी; हालांकि यह चीज तो उसे बिना आन्दोलन किये भी मिल सकती थी (इस समय अगर कुछ फर्क पड़ता तो केवल इतना ही कि शुरू में वह चाहती तो उसे कहीं ज्यादा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल सकता था)।

इस प्रकार, गांधी-इरविन समझौते से असल में बारदोली का अनुभव ही बहुत बड़े पैमाने पर दोहराया गया था। एक बार फिर बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मरकायक ठीक उस समय आन्दोलन रोक दिया गया जब वह अपने शिखर पर पहुँच रहा था। (सुद गांधी जी ने फ्रांसीसी पत्र मोंद के २० फरवरी, १९३२ के अंक में गांधी-इरविन समझौते के समय की भारत की परिस्थिति के विषय में यह कहा था : "यह कहना सरासर भूठ है कि हमारा आन्दोलन ठप होनेवाला था; आन्दोलन के धीमे पड़ने का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता था।") ५ मार्च को लन्दन के प्रसिद्ध टाइम्स ने लिखा : "ऐसी जीत मायद ही किसी वायसराय को पहले कभी मिली हो!" गांधी जी ने ५ मार्च को आश्चर्यचकित पत्रकारों के बीच समझौते का औचित्य साबित करने की कोशिश की और कहा कि "कायम ने जीतने की कोशिश ही कब की थी?" अचर्य ही, गांधी जी ने यह बात बिलकुल सच कही थी और इन दायों में अपने रणनीति की प्रसन्नता प्रकट कर दी थी। बाद को उन्होंने अपने सोचने का ढंग और भी साफ़ किया। जून १९३१ में उन्होंने अपने पत्र पंग इंडिया में यह लिखा : "इस समय हमें स्वराज्य का विधान प्राप्त करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हम जो कुछ

चाहते हैं, वह बिना राजनीतिक ताकत के भी मिल सकती है।" एक दूसरे इस ने दूसरी बात समझाते हुए उन्होंने ६ मार्च को, पत्रकारों से एक बैठक के दौरान में कहा था कि पूर्ण स्वराज्य का अगली मतलब "आन्तरिक अनुशासन और आत्म-नियंत्रण" है और "इंग्लैंड के साथ सम्बन्ध रखना" उसके बाहर नहीं है ("सम्बन्ध रखने" की भी सूख ही रही—छात्र तोर पर जब उनका मतलब समझने की तेज नोक में "सम्बन्ध रखना" हो!)। इस तरह, एक ओर ने रैम्से मैक्डोनाल्ड और दूसरी ओर ने गांधी जी ने शब्दों की तीरी की जर्पा कर-करके ऐसा प्रटाटोप कर दिया था जिसमें स्वतंत्रता जैसे तीथे और मरुत शब्द का अर्थ भी आगों में घोसल हो गया। ताहीर अधिसेसन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में राष्ट्र के ध्येय की घोषणा की थी। (कार्यक्रम का ध्येय था "ब्रिटिश प्रभुत्व व ब्रिटिश साम्राज्यवाद में पूर्ण स्वाधीनता" प्राप्त करना।) लेकिन इन दोनों महात्माओं ने इस गांधी जी बाल की कानूनी परिभाषाओं और धार्मिक सूत्रों के अक्षर के नीचे छिपा दिया। हामन मठा तक पहुँच गयी कि यह कहना कठिन हो गया कि वाजी स्त्रिके हाथ रही—रैम्से मैक्डोनाल्ड के या गांधी जी के। आत्म-समर्पण और दागला ही कड्यो वस्तुवित्ता पर आध्यात्मिक तर्कों और शब्दों के गोरगधधे या पदां डाल देने की रत्ता में दोनों ही मिट्टहस्त थे।

उसी महीने में, रूसी-जर्मनी राष्ट्रों का अधिसेसन कराची में हुआ गया। वहा सर्व-सम्मति से समझौते की स्वीकार किया गया। अधिसेसन के आगमें समझौते की पेश करने का काम प. जवाहरलाल ने किया गया। मुझे उन्ही के शब्दों में, ऐसा नहीं था कि यह काम करने हुए उन्हें "महा-मार्क्सिस्ट कमरेसन और मार्गीक रसेन का अनुभव न करना पडा हो।" उनके मन में मसाह उठ रहा था कि "या उन्ही के लिए हमारे देश के लोगों ने एक काँव तक इन्ही बलादुर्गे ईसाई थी? या हमारी समाज बनी-बडी बागें और बनी-बडी कामा या उन्ही तरह आत्मता होता था?" परन्तु, उनके आत्म-आप ही ऐसा कि समझौते में अती अधर्मिता प्रकट करना "अधिकांश अधर्म" का परिणाम देता होगा। मुझा बाबू समझौते के लिए था सो हाँ, परन्तु मैं मना कि राष्ट्रों का समझौते में असाह ब्रिटीश कला मरुत नहीं है, काँव

हो गयी। सुभाष बाबू ने वाद को लिखा कि समझौते के विरोधियों को "चुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत कम समर्थन प्राप्त होता और कांग्रेस के अधिवेशन में केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट कर सकते थे। लेकिन, आम जनता में और खासकर नौजवानों में बहुत लोग उनके साथ थे।" इन "बहुत लोग" की आवाज बुलन्द करनेवाला कांग्रेस में कोई न था। कराची अधिवेशन में वामपथी राष्ट्रवादिता एकदम बहराकर गिर पड़ी। इससे मालूम होता था कि गांधी जी की स्थिति कितनी मजबूत थी।

बदले में, उग्रवादियों का दिल रखने के लिए, वहाँ एक प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम पास कर दिया गया। यह कार्यक्रम "मौलिक अधिकारों" वाले प्रस्ताव के रूप में था। उसमें एक काफी उन्नत ढंग की बुनियादी जनवादी मागों की तालिका थी, जिसमें मुख्य उद्योगों व यातायात का राष्ट्रीकरण, मजदूरों के अधिकार, और खेती की व्यवस्था में सुधार की मागे भी शामिल थी। इस कार्यक्रम को कांग्रेस आज भी मानती है। उसे स्वीकार करके कांग्रेस ने एक बड़ा ऊदम आगे की ओर उठाया था। लेकिन गांधी-इरविन समझौते के रूप में हुए आत्म-समर्पण से देश को जो नुकसान हुआ था, वह इस कार्यक्रम से पूरा नहीं हो सकता था।

कांग्रेस के बाहर, युवक आन्दोलन और मजदूर आन्दोलन ने समझौते की तीव्र आलोचना की। युवक संगठनों तथा युवक सम्मेलनों ने उनके खिलाफ अनेक प्रस्ताव पान किये, और बम्बई के मजदूरों ने गोलमेज सम्मेलन के वास्ते खिलाफत के लिए रवाना होने के समय गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन किये। लन्दन के टाइम्स ने लिखा कि दस साल पहले इस तरह के प्रदर्शनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

जल्द ही और लोगों के भ्रम भी टूटने लगे। १९३१ में लन्दन के गोलमेज सम्मेलन में (और अघ्यात्मवाद के भक्तों की उन अनगिनत छोटी-छोटी सभाओं में, जो गोलमेज सम्मेलन की बैठकों के बीच में विरव-गुरु गांधी का सदेव भुनने के लिए हुआ करती थी) गांधी जी की क्या भूमिका रही, उस पर पर्दा डाले रखना ही प्रच्छा है। वह हृदय एक बहुत शोचनीय प्रहसन के समान था। पुराने जमाने में जिन तरह रोमन सम्राट रोमवासियों को दिगाने के लिए विदेशों ने कैदियों को पकड़कर मगवाया करते थे, उन्ही तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों के मनोरञ्जन के लिए भारत ने रग-दिल्ली मरगारी वस्तुनिधियों को मगवाकर लन्दन में इकट्ठा किया गया था और वे बड़ी स्वाभिमानिक के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और फूट का प्रदर्शन कर रही थीं। और कांग्रेस भी उन्ही वस्तुनिधियों के बीच बँधी थी। गांधी जी, सन्त में मुसोलिनी से निरपेक्ष रूप भारत सोट घाटे। गोलमेज सम्मेलन में उन्हें कुछ न मिला।

चाहते हैं, वह बिना राजनीतिक ताकत के भी मिल सकती है।" एक दूसरे ढंग से अपनी बात समझाते हुए उन्होंने ६ मार्च को, पत्रकारों से एक भेंट के दौरान में कहा था कि पूर्ण स्वराज्य का असली मतलब "आन्तरिक अनुशासन और आत्म-नियन्त्रण" है, और "इंग्लैंड के साथ सम्बंध रखना" उसके बाहर नहीं है ("सम्बंध रखने" की भी खूब ही रही—खास तौर पर जब उसका मतलब सगिन की तेज नोक से "सम्बंध रखना" हो!)। इस तरह, एक ओर से रैमजे मैकडोनल्ड और दूसरी ओर से गांधी जी ने शब्दों की तीरों की वर्षा कर-करके ऐसा घटाटोप कर दिया था जिसमें स्वतंत्रता जैसे सीधे और सरल शब्द का अर्थ भी आखों से ओझल हो गया। लाहौर अधिवेशन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस के ध्येय की घोषणा की थी। (कांग्रेस का ध्येय था "ब्रिटिश प्रभुत्व व ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वाधीनता" प्राप्त करना।) लेकिन इन दोनों महात्माओं ने इन सीधी सी बातों को कानूनी परिभाषाओं और धार्मिक सूत्रों के अन्वय के नीचे छिपा दिया। हालत यहां तक पहुंच गयी कि यह कहना कठिन हो गया कि बाजी किसके हाथ रही—रैमजे मैकडोनल्ड के या गांधी जी के। आत्म-समर्पण और दासता की कड़वी वास्तविकता पर आध्यात्मिक तर्कों और शब्दों के गोरखधंधे का पर्दा डाल देने की कला में दोनों ही सिद्धहस्त थे।

उसी महीने में, जल्दी-जल्दी कांग्रेस का अधिवेशन करांची में बुलाया गया। वहां सर्व-सम्मति से समझौते को स्वीकार किया गया। अधिवेशन के सामने समझौते को पेश करने का काम पं. जवाहरलाल को दिया गया। खुद उन्हीं के शब्दों में, ऐसा नहीं था कि यह काम करते हुए उन्हें "सख्त मानसिक कशमकश और शारीरिक क्लेश का अनुभव न करना पड़ा हो।" उनके मन में सवाल उठ रहा था कि "क्या इसी के लिए हमारे देश के लोगो ने एक साल तक इतनी वहादुरी दिखाई थी? क्या हमारी तमाम बड़ी-बड़ी बातों और बड़े-बड़े कामों का इसी तरह खातमा होना था?" परन्तु, इसके साथ-साथ उन्हें लगा कि समझौते से अपनी असहमति प्रकट करना "व्यक्तिगत घमंड" का परिचय देना होगा। मुभाय बाबू समझौते के तीव्र आलोचक थे, परन्तु उन्हें लगा कि कांग्रेस अधिवेशन में उसका विरोध करना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय एकता को भंग करना प्रतीत होगा। पं. जवाहरलाल नेहरू के अनुसार समझौता "लोकप्रिय नहीं था।" फिर भी कांग्रेस अधिवेशन में बहुत कम आवाजे उनके खिलाफ उठीं। एक प्रतिनिधि ने कहा कि यदि गांधी जी के लिया किन्ही और ने इस तरह का समझौता हमारे सामने रखा होता, तो लोग उसे उठाकर समुद्र में फेंक देते। लेकिन, खुली बैठकों में इस तरह की बातें कही जाना एक अपवाद मात्र था। कांग्रेस के ठस सगठन और जनता के व्यापक आन्दोलन के बीच जो घातक खाई पैदा हो गयी थी, वह करांची में प्रकट

हो गयी। सुभाष बाबू ने वाद को लिखा कि समझौते के विरोधियों को "चुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत कम समयन प्राप्त होता और कांग्रेस के अधिवेशन में केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट कर सकते थे। लेकिन, आम जनता में और खासकर नौजवानों में बहुत लोग उनके साथ थे।" इन "बहुत लोगों" की आवाज बुलन्द करनेवाला कांग्रेस में कोई न था। करांची अधिवेशन में वामपंथी राष्ट्रवादिता एकदम भहराकर गिर पड़ी। इससे मालूम होता था कि गांधी जी की स्थिति कितनी मजबूत थी।

बदले में, उपवादियों का दिल रखने के लिए, वहाँ एक प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम पास कर दिया गया। यह कार्यक्रम "मौलिक अधिकारों" वाले प्रस्ताव के रूप में था। उसमें एक काफी उन्नत ढंग की बुनियादी जनवादी भागों की तालिका थी, जिसमें मुख्य उद्योगों व यातायात का राष्ट्रीकरण, मजदूरों के अधिकार, और खेती की व्यवस्था में सुधार की भागें भी शामिल थी। इस कार्यक्रम को कांग्रेस आज भी मानती है। उसे स्वीकार करके कांग्रेस ने एक बड़ा क्रमदम आगे की ओर उठाया था। लेकिन गांधी-इरविन समझौते के रूप में हुए आत्म-समर्पण से देश को जो नुकसान हुआ था, वह इस कार्यक्रम से पूरा नहीं हो सकता था।

कांग्रेस के बाहर, युवक आन्दोलन और मजदूर आन्दोलन ने समझौते की तीव्र आलोचना की। युवक संगठनों तथा युवक सम्मेलनों ने उसके खिलाफ अनेक प्रस्ताव पास किये, और बम्बई के मजदूरों ने गोलमेज सम्मेलन के वास्ते बिलायत के लिए रवाना होने के समय गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन किये। लन्दन के टाइम्स ने लिखा कि दस साल पहले इस तरह के प्रदर्शनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

जल्द ही और लोगों के ध्रम भी टूटने लगे। १९३१ में लन्दन के गोलमेज सम्मेलन में (और अध्यात्मवाद के भक्तों की उन अनगिनत छोटी-छोटी सभाओं में, जो गोलमेज सम्मेलन की बैठकों के बीच में विरज-गुरु गांधी का सदेश चुनने के लिए हुआ करती थी) गांधी जी की क्या भूमिका रही, उस पर पर्दा डाले रचना ही अच्छा है। वह दृश्य एक बहुत गोचनीय प्रदर्शन के समान था। पुराने जमाने में जिन तरह रोमन सम्राट रोमवासियों को डिगाने के लिए विदेशों में बंदियों को पकड़कर मगयाया करते थे, उन्ही तरह ब्रिटिश पार्लामेंट के सदस्यों के मनोरंजन के लिए भारत में रज-विरगी मर्रागो पकड़वानियों को मगसाकर लन्दन में दुरुहा किया गया था और वे बड़ी न्यामिर्भक्त के साथ अपनी बुद्धिहीनता और पूट का प्रदर्शन कर रही थी। और वाशिंग भी उन्ही पकड़वानियों के बीच बंटी थी। गांधी जी, रात्रों में मुनाविरी में बिनो टूट, भारत लौट घाये। गोलमेज सम्मेलन ने उन्हें कुछ न मिला।

रास्ते में गांधी जी ने यह आशा प्रकट की कि शायद फिर आन्दोलन शुरू करने की जरूरत न पड़ेगी। पोटैं सैयद से उन्होंने इंडिया आफ्रिस को तार भेजा कि वह अपनी ओर से जहा तक हो सकेगा शान्ति कायम रखने के लिए प्रयत्न करते रहेगे। भारत पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्होने इस आशय का एक प्रस्ताव भी तैयार कर डाला। लेकिन वह इस बात को भूल गये थे कि सरकार कुछ और ही सोच रही थी।

साम्राज्यवाद का पलड़ा चूक इस समय भारी हो गया था, इसलिए उसने बदली हुई परिस्थिति से पूरा-पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। कांग्रेस और सरकार के बीच जो "अस्थायी मुलह" हुई थी, वह असल में तो शुरू से ही एकतरफा मुलह थी। सरकार की तरफ से दमन बराबर जारी था। गांधी जी १९३१ के आखीर के दिनों में स्वदेश लौटे तो अपने सहयोगियों से उन्होने एक कथन कहानी सुनी। उन्होने तुरन्त वायसराय को तार भेजकर मुलाकात के लिए समय मांगा। वायसराय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। "अस्थायी मुलह" पर दस्तखत हुए नौ महीने हुए थे। इस बीच लन्दन में तो गोलमेज सम्मेलन का प्रहसन होता रहा, मगर भारत में साम्राज्यवाद ने एक-एक दिन का इस्तेमाल दमन की तैयारी करने के लिए किया। उसने इस बार फंसलाकुन लड़ाई लड़ने की तैयारी की थी। इसके लिए सर जॉन एंडर्सन को खास तौर पर बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, क्योंकि यह महाशय आयरलैंड में विद्रोही देशमत्तो का क्रूर दमन करने में बड़ा नाम कमा चुके थे। इस बार सरकार पहले से ही-चौकन्नी थी। उसने कांग्रेस की अक्ल-ठीक करने का फैसला किया था। उसने तै किया था कि इस बार निपटारे की लड़ाई होगी और जब तक कांग्रेस बिना शर्त सरकार के सामने आत्म-समर्पण न कर देगी, तब तक लड़ाई बन्द नहीं की जायगी।

४ जनवरी, १९३२ को उसने अचानक और जबरदस्त हमला किया। समझौते की बातचीत यकायक तोड़ दी गयी। वायसराय ने अपना एक ऐलान प्रकाशित कराया और उसी रोज गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से आर्डिनेस भी उसी रोज एक साथ जारी हो गये (१९३० की तरह इस बार एक-एक करके आर्डिनेस नहीं जारी किये गये, बल्कि पहले ही रोज मानो किसी बक्से से निकाल कर सब के सब एक साथ लागू कर दिये गये)। देश भर में कांग्रेस के तमाम संगठनकर्ता और प्रमुख नेता पकड़ लिये गये। कांग्रेस को और उसके तमाम सहकारी संगठनों को ग्रैंड-कानूनी क्ररार दे दिया गया। उनके अखबार बन्द कर दिये गये। दफ्तरों पर ताला डाल दिया गया। उनका रुपया-पैसा, जमीन-जायदाद सब जब्त कर ली गयी। सरकार ने दिखा दिया कि संगठन इसको कहते हैं !

सरकार ने यह बात साफ़ कर दी कि इस बार वह कांग्रेस को पछाड़ कर ही दम लेगी। सर संम्युअल होर ने कामस सभा में बताया कि आर्डिनेंस "बहुत व्यापक और कठोर है," और इस बार लड़ाई बीच में नहीं रहेगी। भारत सरकार के गृह-मंत्री सर हैरी हेग ने कहा कि "हम इस बार नकली क्रायदे मानकर खेलने नहीं उतरे हैं," और जहां तक सरकार का सम्बंध है, उसने अपने लिए वक्त की कोई मियाद नहीं बांधी है। बम्बई सरकार के प्रतिनिधियों ने प्रान्तीय धारासभा में खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि "लड़ाई दस्ताने पहन कर नहीं लड़ी जाती।"

कांग्रेसी नेता इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे हक्के-बक्के रह गये। कहा गोलमेज सम्मेलन का वातावरण और कहा यह भयानक हमला! अचानक पूरी दुनिया बदल गयी थी। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। १९३० में कांग्रेस ने हमला शुरू किया था। इस बार उसे बचाव की लड़ाई लड़नी पड़ी। नेताओं ने यह नहीं समझा था कि गांधी-इरविन समझौते की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य डॉ. सैयद महमूद ने इंडिया लीग के प्रतिनिधि-मंडल को बताया :

"महात्मा गांधी ने जो प्रस्ताव तैयार करके कार्यसमिति के सामने रखा था, उसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। महात्मा जी सहयोग करने पर तुले हुए थे...सरकार सहयोग नहीं चाहती थी। मुझे जो भीतरी जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हू कि कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार न थी। हम आशा कर रहे थे कि लन्दन से लौटने पर महात्मा जी किसी न किसी तरह शान्ति क्रायम करने में सफल होंगे।"

डॉ. महमूद ने आगे यह भी कहा कि "उन्हें और उनके सहयोगियों को इस बात का पक्का पता है कि सरकार ने दमन की तैयारी नवम्बर में ही कर ली थी, जब कि गांधी जी लन्दन में ही थे। सरकार के इस अचानक हमले को कांग्रेस एकाएक सभास न सकी।"

१९३२-३३ में जो दमन हुआ, वह १९३०-३१ के दमन में कहीं ज्यादा भयानक था। २ मई, १९३२ को प. मदनमोहन मालवीय ने दमन की एक गरीब रिपोर्ट जनता के सामने पेश की। उसमें उन्होंने बताया कि पहले चार महीनों में ८०,००० आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगस्त १९३३ में कलकत्ते में कांग्रेस का गैर-आतूनी अधिवेशन हुआ। उसमें बताया गया कि भारत १९३३ के अन्त तक, पन्द्रह महीने में १२०,००० गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उनके साथ-साथ, सरकार की तरफ से किस बड़े पैमाने पर हिंसा की गयी, लोगों को कंगों-कंगों घातनाएं दी गयीं, किस तरह उन पर गोलीया चलायी गयीं, गांवों और शहरों

पर किस तरह फौज और पुलिस ने धावे बोले, सामूहिक जुर्मनि किये और गांव वालों की जमीन-जायदाद जब्त की, इसका कुछ अंदाज इंडिया लीग के प्रतिनिधि-मंडल की १९३३ में प्रकाशित रिपोर्ट भारत की हालत से लग सकता है।

सरकार ने हिसाब लगाया था कि छः हफ्ते में मामला खतम हो जायगा। लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन इतना ताकतवर निकला कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी २६ महीनों तक लड़ाई चलती रही और तब जाकर कांग्रेस ने ब्रुटने टेके। लेकिन यह साधारण सिपाहियों की लड़ाई थी, जो सेनापतियों के पथ-प्रदर्शन के बिना ही लड़ रहे थे। उन दिनों सारा काम गैर-कानूनी ढंग से करना पड़ता था और भयानक दमन हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में आन्दोलन का नेतृत्व करना हर हालत में बहुत कठिन होता। मगर गांधी जी तथा कांग्रेस कार्य-समिति ने यह काम और भी कठिन बना दिया। उनके सारे काम ऐसे थे, उनकी पूरी भूमिका ऐसी थी, जिसका मतलब यही होता था कि गांधी जी और कार्य-समिति के सदस्य न सिर्फ़ खुद आन्दोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे यह भी नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उसका नेतृत्व करें। उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिये गये कि युक्त संगठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस के सिद्धान्तों की हत्या होती है। ध्यान रहे कि ये आदेश उस वक्त दिये गये थे जब कि कांग्रेस गैर-कानूनी करार दी जा चुकी थी और हर काम गैर-कानूनी ढंग से करना पड़ता था। जमींदारों को आश्वासन देने के लिए एक प्रस्ताव पास करके ऐलान कर दिया गया कि उनके हितों के खिलाफ़ कोई आन्दोलन करने की इजाजत नहीं दी जायगी। १९३२ की गरमियों के आते-आते गांधी जी ने राष्ट्रीय संघर्ष में दिलचस्पी लेना कतई तौर पर बन्द कर दिया और वह हरिजन-उद्धार में लग गये। सितम्बर में उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से जो "आमरण अनशन" किया, उसका उद्देश्य सरकारी दमन को रोकना नहीं था। न ही यह अनशन जिन्दगी और मौत की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था जिसमें कि उस वक्त देश जूझ रहा था। उसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि धारासभाओं में "दलित जातियों" के प्रतिनिधियों को अलग से चुनवाने की योजना अमल में न आने पाये। अनशन न तो आमरण हुआ और न ही उमका कथित उद्देश्य पूरा हुआ। पूना का समझौता हो जाने पर अनशन समाप्त कर दिया गया। इस समझौते के द्वारा "दलित जातियों" के लिए गुराहित सीटों की सख्या दुगनी कर दी गयी। हां, इस घटना का यह परिणाम जरूर हुआ कि लोगों का ध्यान राष्ट्रीय आन्दोलन से हट गया, जिनके नेता अब भी गांधी जी ही समझे जाते थे।

मई १९३३ में गांधी जी ने एक नया अनशन शुरू किया। यह भी सरदार के खिलाफ़ नहीं था, बल्कि इमका उद्देश्य खुद देशवासियों का हृदय परिष्कार

करना था। गांधी जी ने बताया कि यह व्रत "मेरी अपनी और मेरे सहयोगियों की आत्म-शुद्धि के लिए है, जिससे कि हम लोग हरिजन-उद्धार के लिए और अधिक सचेत और सतर्क हो सकें।" सरकार ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। गांधी जी के छूटते ही कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने उनके परामर्श से छः हफ्ते के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया। आन्दोलन इसलिए नहीं बन्द किया गया था कि सरकार ने कांग्रेस की कोई शर्त मान ली थी या इसकी कोई आशा पैदा हो गयी थी, बल्कि गांधी जी के शब्दों में, वह केवल इसलिए बन्द किया गया था कि जब तक उनका अनशन चलेगा, तब तक देश "बड़ी बेचैनी की हालत" में रहेगा, और इसलिए इस दौरान में आन्दोलन को रोक देना ही बेहतर होगा (सरकार ने अपना दमन इस चीज नहीं रोका, यह दूसरी बात है)।

अनशन के बाद गांधी जी ने फिर वायसराय से मिलने की कोशिश की, मगर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक सत्याग्रह आन्दोलन आखिरी तौर पर बन्द नहीं कर दिया जाता, तब तक वह गांधी जी से मिलने को तैयार नहीं हैं। चुनावे जुलाई १९३३ में कांग्रेस के नेताओं ने जन-सत्याग्रह बन्द कर दिया और केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह की इजाजत दी। इसके साथ-साथ कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी सगठनों को भग कर दिया। मगर सरकार तब भी न पसीजी। उल्टे उसने व्यक्तिगत सत्याग्रह करनेवालों पर दमन और तेज कर दिया। अगस्त में गांधी जी फिर गिरफ्तार कर लिये गये, पर उन्होंने फिर अनशन आरम्भ कर दिया, और एक महीने के अन्दर ही वह रिहा कर दिये गये। पतझड़ में उन्होंने यह घोषणा की कि राजनीतिक कामों से वह अपना हाथ खींच लेंगे क्योंकि अब उनकी आत्मा ऐसे कामों के लिए गवाही नहीं देती। यह ऐलान करने के बाद वह हरिजन-उद्धार के लिए देश का दौरा करने निकल पड़े। इधर आन्दोलन धिमटता रहा। उसको न तो छतम किया गया और न ही उसकी रहनुमाई की गयी।

१९३० में जो आन्दोलन इलनी धानबान के साथ शुरू किया गया था, यह आखिरी तौर पर कहीं मई १९३४ में जाकर समाप्त हुआ। अगस्त में गांधी जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी राय में आन्दोलन की प्रसफुलता के क्या कारण थे। उनके विचार ने दोष जनता का था। उन्होंने कहा : "मे समझता हूँ कि सत्याग्रह का संदेश जनता तक पहुंचते-पहुंचते धुंध हो जाता है और इसलिए अभी तक जनता उसे ग्रहण नहीं कर पायी है। मेरे सामने यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जब आध्यात्मिक प्रश्नों का उपयोग करना, अनाध्यात्मिक साधनों द्वारा सिंगाने की कोशिश की जाती है, तब ये प्रश्न कुट्टि हो जाते हैं.. बहुत से लोगों के अग्रगं सत्याग्रह में...(दर्शाए)...

शासकों का हृदय द्रवित नहीं हुआ है।" अब जन-सत्याग्रह को छोड़कर व्यक्तिगत सत्याग्रह का तरीका अपना लिया गया था। मगर उससे भी यह समस्या हल नहीं हुई थी कि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी भी जन-आन्दोलन को नियंत्रण में कैसे रखा जाय। इसलिए गांधी जी ने अकाट्य तर्क-प्रणाली से यह निष्कर्ष निकाला कि "एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को सत्याग्रह करना चाहिए और उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सत्याग्रह करने के योग्य हो।" "वर्तमान परिस्थितियों में फिलहाल केवल मैं ही सत्याग्रह करने की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ।" गांधीवादी सिद्धांत ने भारत की जनता को आजादी दिलाने के लिए जो "अहिंसात्मक असहयोग" का रास्ता निकाला था, उसका अन्त में जाकर यह रूप हो गया था।

मई १९३४ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का अधिवेशन पटना में होने दिया गया ताकि वह सत्याग्रह आन्दोलन को (गांधी जी के बताये हुए एकमात्र अपवाद को छोड़कर) बिना शर्त नमास्त कर दे। सरकार ने अपनी तरफ से न कोई शर्त मानी थी और न कोई रियायत की थी। इसके साथ-साथ कमिटी ने कुछ ऐसे फ़ैसले किये जिनके लिए पहले से ज़मीन तैयार कर ली गयी थी। इन फ़ैसलों का उद्देश्य यह था कि आनेवाले चुनाव सीधे कांग्रेस के नाम पर लड़े जाय।

जून १९३४ में सरकार ने कांग्रेस पर लगी हुई रोक हटा ली, हालांकि कांग्रेस के बहुत से सहकारी सगठन, युवक सगठन, किसान सभाएं, और सरहदों सूबे के खुदाई खिदमतगारों की संस्था अब भी गैर-कानूनी बनी रही। जुलाई १९३४ में सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर-कानूनी करार दे दिया। अब एक नयी मंजिल शुरू हो रही थी।

१९३४ के पतझड़ में गांधी जी ने कांग्रेस की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल उनका काम पूरा हो चुका था। कांग्रेस में विदा लेते हुए उन्होंने एक वयान दिया। उसमें अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा: "मुझ में और बहुत से कांग्रेस-जनों में जबदस्त मतभेद है और वह बढ़ता जा रहा है।" स्पष्ट है कि "अधिकतर कांग्रेस-जनों के लिए" अहिंसा "एक नीति" मात्र है और एक "मौलिक सिद्धान्त" के रूप में उनकी अहिंसा में आस्था नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस में समाजवादी तत्वों का प्रभाव और सख्या बढ़ रही है। "यदि वे कांग्रेस पर छा गये, जो असम्भव नहीं है, तो मैं नहीं रहूंगा।" लोगों को इस बात का अहसास होने लगा था कि नयी मंजिल धा गयी है; और पुराने विचार के लोगों को यह बात पसन्द नहीं थी।

गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन उससे अलग होने के पहले वह कांग्रेस के विधान व सगठन में कुछ प्रतिक्रियावादी सशोधन करते गये। इन

संशोधनों से कांग्रेस के प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ने में बहुत बाधा पड़ी। अलग होने के बाद भी, गांधी जी पदों के पीछे से कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली पथ-प्रदर्शक बने रहे। इसके अलावा यह बात भी तँ धी कि जरूरत पडने पर वह फिर खुलेआम कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जायेंगे। १९३६-४० के सफ़ट में और फिर १९४२ में उन्होंने सीधे-सीधे कांग्रेस का नेतृत्व किया।

१९३०-३४ में संधर्ष की जो महान लहर उठी थी, उसका अन्त बडा दुखद हुआ। लेकिन इस बात से हमें उसकी महान सफलताओं को नहीं भूल जाना चाहिए। इससे हमें यह न भुला देना चाहिए कि १९३०-३४ के आन्दोलन से जनता ने बहुत गूढ़ और स्थायी महत्व के सबक हासिल किये और उससे देश का बहुत भारी स्थायी लाभ हुआ। एक ऐसा आन्दोलन, जिसके लिए जनता के समर्थन, श्रद्धा, भक्ति और त्याग की कोई सीमा नहीं थी, और जो इसमें सन्देह नहीं कि सफलता के बिलकुल निकट पहुँच गया था, क्यों असुखी रूप से असफल हो गया और नेताओं के किन तरीकों और किस कार्यनीति के कारण वह असफल हुआ — इस पर भविष्य के लिए बार-बार विचार करना आवश्यक है। इन प्रश्नों का उत्तर हम घटनाओं का बरान करके हुए ऊपर दे चुके हैं। फिर भी उन दिनों जो कुछ हुआ, उस पर राष्ट्रीय आन्दोलन गर्ब कर सकता है। साम्राज्यवादी उन दिनों सोचते थे कि दमन के नये-नये तरीके ईजाद करके वे भारत की जनता को कुचलकर रख देंगे और स्वतंत्रता के आन्दोलन को जड़ से नष्ट कर देंगे। वे यह नहीं कर पाये। इस तमाम दमन के बावजूद दो साल के अन्दर ही राष्ट्रीय आन्दोलन पहले से अधिक वेग के साथ आगे बढ़ चला। १९३०-३४ का संधर्ष व्यर्थ नहीं गया था। उसकी भट्टी में तपकर जनता में एक नयी और पहले से अधिक दृढ़ राष्ट्रीय एकता, एक नया आत्म-विश्वास, एक नया गौरव और नयी दृढ़ता उत्पन्न हुई।

वारहवाँ अध्याय

मजदूर वर्ग का उभार

लेनिन ने १९०८ में ही इस बात का स्वागत किया था कि "भारतीय मजदूर वर्ग अब इतना परिपक्व हो गया है कि वह वर्ग चेतना के साथ राजनीतिक जन-सघर्ष चला सकता है।" उन्होंने यह बात इस आधार पर कही थी कि उस वर्ष लोकमान्य तिलक को छः वर्ष की सजा सुनाये जाने के विरोध में बम्बई के मिल मजदूरों ने राजनीतिक हड़ताल की थी। इस हड़ताल से लेनिन इस नतीजे पर पहुँचे थे कि अब भारत में अंग्रेजी राज के दिन खतम होनेवाले हैं।

आज घटनाओं का वेग लेनिन की दूरदर्शिता को सही साबित कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि सघर्ष का हर नयी मजिल के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में मजदूर वर्ग की भूमिका का महत्व और बज्रन बढ़ता गया है; और समाजवाद या कम्युनिज्म के सवाल भारत में चलनेवाली राजनीतिक बहसों के मुख्य सवाल बन गये हैं।

१९१४ के पहलेवाले काल में मजदूर वर्ग की यह भूमिका पुष्टभूमि में पड़ी हुई थी। मजदूर वर्ग राष्ट्रीय आन्दोलन के आगे चलने के बजाय, उसके पीछे-पीछे चलता था। उस जमाने में उसने केवल एक ही बड़ा राजनीतिक काम किया। वह था तिलक महाराज को छः साल की सजा सुनाये जाने के विरोध में बम्बई की ग्राम हड़ताल।

पहले महायुद्ध के खतम होने पर भारत में नयी जाग्रति आयी और एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर की शुरुआत १९१८-२१ की ज्वरदस्त हड़तालों ने की, और उन्होंने ही अन्त में कांग्रेस को भी मैदान में ला उतारा और उसने १९२०-२२ का असहयोग आन्दोलन छेड़ा।

उसके दस साल बाद मजदूर वर्ग एक स्वतंत्र और सगठित शक्ति बन गया। उसकी अपनी विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने लगी, हात्ताकि अभी उसने राजनीतिक आन्दोलन में नेतृत्व का स्वान प्राप्त नहीं किया था।

१९२८ में हड़तालों की एक ज्वरदस्त लहर आयी जिसका नेतृत्व मजदूर वर्ग के लड़ाकू एवं श्रेणी-सजग हिस्सों ने किया। हड़तालों की इस लहर के साथ-साथ नौजवानों और निम्न-पूँजीवादी लोगों में भी नयी जाग्रति आयी, और इस प्रकार मजदूरों की ये हड़ताले राष्ट्रीय आन्दोलन की एक नयी लहर की अग्रदूत बन गयी। राष्ट्रीय सघर्ष की यह नयी लहर १९३० से १९३४ तक रही। इस समय पूँजीवादी नेताओं ने खुन्नेग्राम यह कहा कि वे दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, और जितने वे साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, उतने ही वे नीचे से उठनेवाले जन-विद्रोह के खिलाफ भी हैं।

दूसरे महायुद्ध के बाद से यह बात और भी स्पष्ट हो गयी है कि भारत की राजनीति में मजदूर वर्ग ही निर्णायक शक्ति का काम करेगा।

१. औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती

भारतीय मजदूर वर्ग की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक भेद को समझ लेना आवश्यक है। सम्पत्ति-विहीन, सर्वहारा श्रम-जीवियों की संख्या भारत में बहुत बड़ी है; और आधुनिक ढंग के उद्योगों में काम करनेवाले औद्योगिक मजदूरों की संख्या छोटी है। लेकिन, भारतीय मजदूर वर्ग का सबसे सगठित, सचेतन और निर्णायक हिस्सा, जो दूसरों का नेतृत्व करता है, यही है।

यदि "मजदूर" शब्द का बहुत मोटा अर्थ लगाया जाय, तो १९३८ का एक अनुमान है कि भारत में मजदूरी करके जीनेवालों की संख्या ६ करोड़ थी। अन्तरराष्ट्रीय मजदूर सगठन (आई. एल. प्रो.) ने १९३८ में नीचे लिखे आंकड़े प्रकाशित किये थे :

"१९२१ में बताया गया था कि सेंटिहर मजदूरों की संख्या २ करोड़ १५ लाख थी। १९३१ की जन-गणना से पता चला कि यह संख्या ३ करोड़ १५ लाख हो गयी है। भारतीय मताधिकार समिती के अनुसार दसमें २ करोड़ ३० लाख 'भूमि-विहीन' सेंट-मजदूर थे, और उती समिति के अनुसार ग्रँ-सेंतिहर मजदूरों की कुल संख्या २ करोड़ ५० लाख थी। इस तरह मजदूरी करके जीनेवालों की कुल संख्या करोड़ ५ करोड़ ६५ लाख हो जाती है, जब कि समूचे भारत में सभी तरह के धंधों में लगे हुए कुल आदमियों की तादाद १५ करोड़ ४० लाख है। इनका मतलब यह हुआ कि सभी तरह के धंधों में लगी हुई कुल आबादी का ३६ प्रतिशत में ज्यादा हिस्सा मजदूरी करके अपनी जीविका का साधन हासिल करता है।"

यदि मजदूर शब्द का सकुचित अर्थ लगाया जाय और केवल आधुनिक उद्योग-धंधों में काम करनेवाले औद्योगिक मजदूरों को ही लिया जाय और छोटे-छोटे कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को छोड़ दिया जाय, तो हम देखेंगे कि १९२१ की जन-गणना के अनुसार दस या उससे ज्यादा मजदूरों से काम लेने वाले कारखानों के मजदूरों की कुल तादाद २६ लाख थी। उसके बाद औद्योगिक जन-गणना कभी नहीं हुई। लेकिन १९३१ की जन-गणना से पता चला कि ऐसे मजदूरों की कुल तादाद ३५ लाख तक हो गयी है। इस विषय में सही आकड़े केवल फंक्टरी ऐक्ट से सम्बन्धित विभाग में मिलते हैं। १९३४ के फंक्टरी ऐक्ट के मातहत वे कारखाने आते थे जिनमें भाप या बिजली आदि की ताकत से मशीनें चलती थी और बीस या उससे ज्यादा मजदूर काम करते थे। कुछ सूचों में दस या दस से ज्यादा मजदूरों से काम लेनेवाले कारखाने भी फंक्टरी ऐक्ट के मातहत आ जाते थे। १९३८ में कुल १,७३७,७५५ मजदूर इन तमाम कारखानों में काम करते थे। इनके साथ उन २६६,००३ मजदूरों को जोड़ना पड़ेगा जो देशी रियासतों के "बड़े कारखानों" में काम करते थे। इस तरह पता चलता है कि १९३८ में भारत में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों की कुल तादाद २,०३६,७५८ थी।

इस संख्या को अपना आधार मानकर हम यह नक्शा बना सकते हैं :

मजदूरों और बड़े कारखानों के मजदूरों की संख्या

(उपरोक्त आधार पर)	२,०३६,७५८
खान के मजदूर	४१३,४५८
रेलवे मजदूर	७०१,३०७
जल-यातायात के मजदूर				
(डॉक-मजदूर, जहाजी)*	३६१,०००
इन सब का जोड़	३,५१२,५२३

इन ३५ लाख मजदूरों को उस औद्योगिक मजदूर वर्ग का सार-तत्व समझना चाहिए जो १९३८ में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों में काम करता था। इस संख्या में वे मजदूर शामिल नहीं थे जो छोटे (यानी दस से कम मजदूरों से काम लेनेवाले) उद्योगों में काम करते थे, या ऐसे बड़े कारखानों में काम करते थे जिनमें भाप या बिजली, आदि की ताकत का दस्तमाल नहीं होता था (मसलन सिगरेट बनाने के कुछ कारखानों में पंचाम से भी ज्यादा

* यह १९३५ की संख्या है।

घादमी काम करते हैं, मगर वहाँ पाँवर का इस्तेमाल नहीं होता)। सगठित मजदूर आन्दोलन की कुल शक्ति कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाने के लिए हमें इनके साथ उन दस लाख से ज्यादा मजदूरों को धीरे जोड़ना पड़ेगा, जो बागानों में काम करते हैं। इन मजदूरों को एक जगह जमा करके उनसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कमरतोड़ मेहनत ली जाती है। अभी तक वे हर तरह के सगठन से अलग, आन्दोलन से दूर और बहुत ही दबाकर रखे गये हैं। फिर भी जब कभी देश में बेचनी फलती है, तो बागानों के मजदूर भी बहुत ऊँचे दर्जे की लड़ाकू प्रवृत्ति का परिचय दिये बिना नहीं रहते। इसके अलावा, छोटे-छोटे उद्योगों के और फैक्टरी ऐक्ट के मातहत न आनेवाले बड़े उद्योगों के मजदूरों के एक हिस्से को भी अपने हिसाब में जोड़ना पड़ेगा। इस तरह भारत में सगठित किये जाने योग्य मजदूरों की कुल तादाद, दूसरा महायुद्ध शुरू होने तक, ५० लाख से ज्यादा हो गयी थी।

१९५२ में अनुमान लगाया गया कि “कल-कारखानों, बागानों, सानों, यातायात और मचार-व्यवस्था, आदि में काम करनेवाले औद्योगिक मजदूरों की कुल संख्या” ६५ या ७० लाख है। इनमें म्युनिसिपल बोर्डों, स्थानीय यातायात, भवन-निर्माण और घरेलू उद्योगों में काम करनेवालों को धीरे जोड़ दिया जाय, तो कुल तादाद १ करोड़ २० लाख हो जाती है।

२. मजदूर वर्ग की हालत

भारत में औद्योगिक मजदूर वर्ग की क्या हालत है, इसका एक मोटा सा खाका हम दूसरे अध्याय में दे चुके हैं। १९२८ में ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि-मंडल ने भारत का दौरा करके वहाँ के मजदूरों की हालत की बाबत जो कुछ कहा था, उसकी याद दिला देना भी उपयोगी होगा। उन्होंने कहा था :

“सारी जाच-पड़ताल से यही पता चलता है कि भारत के अधिकांश मजदूरों को १ गिनिंग रोड में ज्यादा नहीं मिलता।”

दूसरी प्रतिनिधि-मंडल ने मजदूरों के घरों के बारे में यह निगया था :

“हम लोग जहाँ भी ठहरे, वहाँ मजदूर बस्तियों को देखने शुरू गये और घर घर हम उनको न देखते तो हमें कभी यह यकीन न होगा कि दुनिया के परे पर इतनी गरीब जगहें भी हैं।”

१९३८ में भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि एन. पी. परनेकर ने जेनेवा में अन्तरराष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन के नामने यह रिपोर्ट दी थी :

“भारत में ज्यादातर मजदूरों को जितनी मजूरी मिलती है, उससे वे जिन्दगी की मामूली से मामूली जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। १९२१ में मि. फिडले शिरास ने बम्बई के मजदूरों के माहवारी खर्चों की जाच की थी। उनका कहना है कि कारखानों में काम करनेवाला मजदूर उतना ही अन्न खाता है, जितना अकाल के कानून के मातहत सरकार की तरफ से अकाल-पीड़ितों को दिया जाता है। लेकिन बम्बई के जेल-कानून के मातहत हर एक कैदी को जितना अन्न दिया जाता है, मजदूर को उससे कम मयत्सर होता है। मि. शिरास के रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से हालत और खराब हो गयी है, क्योंकि अब मजदूरों की कमाई १९२१ से कम हो गयी है...।

“असंगठित उद्योगों में, जिनकी संख्या भारत में बहुत बड़ी है, मजदूरों की दर बयान में बाहर है; उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है...।

“धीमारी, बेकाना, बुढापा और मौत के समय मजदूरों की मदद करने का भारत में कोई प्रबन्ध नहीं है...।

“१९३१ की जन-गणना की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केन्द्र बम्बई में लोग जिस तरह के घरों में रहते हैं, वे किसी भी सम्य समाज के लिए कलक की बात हैं ..।

“नीचे दिये आकड़ों से पता चलता है कि बम्बई में जितने बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से कितने बचपन में ही मर जाते हैं। बाकी आबादी के मुकाबले में मजदूरों के बच्चे कितने ज्यादा मरते हैं, यह देखकर किसी का भी दिल सहम उठेगा :

१ कोठरी या कम में रहनेवाले परिवारों में	...	हजार में	५२४	बच्चे मर गये	
२ कोठरियों में रहनेवाले परिवारों में	...	”	”	३६८	”
३ कोठरियों में रहनेवाले परिवारों में	...	”	”	२५५	”
४ कोठरियों या ज्यादा में रहनेवाले परिवारों में	...	”	”	२४६.५	”

“तब से आज तक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।”

भारत में कहां कितनी मजूरी मिलती है, इसके कोई आंकड़े नहीं मिलते। ऐसा भी नहीं है कि एक औद्योगिक केन्द्र में एक ढग के काम के लिए

एक सी मजदूरी मिलती हो। ह्विटले कमिशन ने मजदूरों के मुआवजा-कानून के मातहत चलनेवाले मुकदमों के आकड़ों का अध्ययन किया था। उनमें १९२५ से लेकर १९२९ तक पांच साल के मुकदमों को लिया। उनमें इस बात का कुछ अन्दाजा मिल गया कि अर्ध-कुशल औद्योगिक मजदूरों को औसतन किन दरों पर मजदूरी मिलती है। अकुशल मजदूरों या कम तनखा पानेवाले मजदूरों के बारे में इन मुकदमों से कुछ नहीं मालूम हो सकता था, क्योंकि ऐसे मजदूर बहुत लाचार होते हैं और उनमें से बहुतों को तो मुआवजा-कानून की कोई जानकारी तक नहीं होती और वे कभी मुआवजा मागने कचहरी नहीं जाते। इसके अलावा इन मुकदमों के कागजों से प्राप्त होनेवाले आकड़ों पर सरकारी अधिकारियों ने भी काफी रम-रोगन चढ़ाया था और उसके बाद उन्हें इन रूप में पेश किया था कि "उनसे संगठित उद्योगों के अर्ध-कुशल मजदूरों की मजूरी की दरों का बहुत मोटा सा अनुमान लग सकता है।" यानी खुद सरकारी अधिकारियों के कथन के अनुसार इन आकड़ों में बच्चों, अ-कुशल मजदूरों और अनगठित उद्योगों के बहुत ही कम मजूरी पानेवाले मजदूरों की हालत के बारे में कुछ पता नहीं लगता। फिर भी, इन आकड़ों में प्रस्ट होना है कि उत्तर प्रदेश में एक चौधार्द में ज्यादा अर्ध-कुशल वार्षिक मजदूरों की प्रति सप्ताह ४ शिलिंग ६ पेंस में कम, और आधे से ज्यादा को ६ शिलिंग में कम मजूरी मिलती थी, मध्य प्रान्त में आधे से ज्यादा अर्ध-कुशल मजदूरों की और मद्रास तथा बिहार और उड़ीसा में लगभग आधे मजदूरों की ६ शिलिंग में कम मजूरी मिलती थी; बंगाल में आधे मजदूर ७ शिलिंग ९ पेंस से कम पाने थे। और यहाँ तक कि बम्बई में भी जहाँ कि रहन-सहन का खर्चा बहुत ज्यादा था, आधे से ज्यादा मजदूर प्रति सप्ताह ९ शिलिंग ६ पेंस में कम ही कमाने थे।

ध्यान रहे कि ये आकड़े अपेक्षाकृत अधिक खाते-पीते मजदूरों के हैं और उनपर कुछ सरकारी रोगन भी चढ़ा है। ये सब मजदूरों के घाम आकड़े नहीं हैं। इन तरीके के चौथे दशक में प्रान्तीय सरकारी के मजदूर-विभागों की देखरेख में मजदूर-परिवारों के माहवार खर्च की जाच-पड़ताल कई बार हुई थी। उनमें पता चला कि एक घौनत परिवार की घाय (एक मजदूर की घाय नहीं) बम्बई में ५० रुपये माहवार थी, अहमदाबाद में ४६ रुपये माहवार, शोलापुर में ६० रुपये माहवार, और मद्रास के संगठित उद्योगों में ३७ रुपये और अनगठित उद्योगों तथा फार्मों में २० से लेकर २७ रुपये माहवार तक थी। बम्बई, शोलापुर और अहमदाबाद की जाच में यह भी मालूम हुआ था कि एक घौनत परिवार में पार नदर्य थे, जिनमें से डेढ़ या दो घासगी काम करते थे। दूसरे मजदूर के बाद में पौखों के काम बहुत बराबर करते थे, और इन बरत में मजदूरों की घासगी मजूरी बिल गिर गयी है।

यह याद रखना भी जरूरी है कि कागज पर लिखी हुई मजूरी में से तरह-तरह की अनेक कटौतियां हो जाती हैं; कमीशन, जुमाना, फोरमैन का "हक", मजदूरों पर लदे हुए कर्जों का कमरतोड़ सूद—इतनी सारी मदों में कटौती होते-होते कागज पर लिखी तनखा कुछ की कुछ हो जाती है। (कर्ज लेना हर मजदूर के लिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर मजदूरों को माहवार तनखा मिलती है और अक्सर महीना खतम हो जाने के भी दस-पन्द्रह दिन बाद उनको पैसे दिये जाते हैं। इस तरह हर मजदूर को छः हफ्ते उधार लेकर खर्च चलाना पड़ता है। थोड़े से भाग्यशाली मजदूर ही ऐसे हैं जिन्हें हर पखवारे तनखा मिल जाती है।) ब्रिटिश कमीशन ने अनुमान लगाया था कि "अधिकतर औद्योगिक केन्द्रों में कम से कम दो-तिहाई मजदूर या उनके परिवार ऐसे हैं जो कर्ज से लदे हुए हैं," और "उनमें ज्यादातर मजदूरों का कर्ज उनकी तीन महीने की तनखा से ज्यादा है और अक्सर तो वह उससे बहुत आगे निकल जाता है।" बाद में जो जाच-पड़तालें हुईं, उनसे पता चला कि ब्रिटिश कमीशन ने दो-तिहाई मजदूरों के कर्जदार होने का जो अनुमान लगाया था, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयानक है। बम्बई की जिस जांच का हमने ऊपर जिक्र किया था, उससे मालूम हुआ था कि ७५ प्रतिशत परिवार कर्ज से लदे हैं। मद्रास की जांच से पता चला था कि संगठित उद्योगों के ६० प्रतिशत मजदूर कर्जदार थे और औसतन हरेक का कर्ज छः महीने की तनखा से भी ज्यादा बैठता था।

वागानों के मजदूरों की हालत सबसे खराब है। श्री शिव राव का कहना है कि "आसाम घाटी के चाय-वागानों में (भारत की ज्यादातर चाय आसाम और बंगाल में पैदा होती है) वसे मजदूरों में मर्दों की औसत माहवारी आमदनी ७ रुपये १३ आने, औरतों की ५ रुपये १४ आने, और बच्चों की ४ रुपये ४ आने होती है।" इसके अलावा मजदूरों को जो मुफ्त "घर", दवा-दारु, और दूसरी रियायतें मिली हुई हैं, उनसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ये लोग गुलामों जैसी हालत में रहते हैं।

इस तरह के क्रूर शोषण से पूंजीपति कैसा वेणुमार मुनाफा कमाते हैं, यह सारी दुनिया में मशहूर है। पहले महायुद्ध के बाद जब व्यवसाय में तेजी आयी थी, तब रास तौर पर इन लोगों का मुनाफा आसमान को छूने लगा था। १९२५ में डंडी की जूट मिलों के मजदूरों के एक प्रतिनिधि-मंडल ने भारत के जूट-उद्योग की जांच करके यह रिपोर्ट दी थी :

"रिजर्व फंड और मुनाफे को जोड़ने पर पता चलेगा कि १९१५ से १९२४ तक के दस साल में ३० करोड़ पाँड का मुनाफा हिस्सेदारों को मिला है; यानि जूट उद्योग में लगे हुई पूंजी पर ६० प्रतिशत सालाना

का लाभ होता है। इस उद्योग में ३ लाख से लेकर ३ लाख २७ हजार तक मजदूर काम करते हैं और उन्हें १२ पौंड १० शिलिंग सालाना की औसत मजूरी मिलती है। ३ लाख मजदूरों से दस साल में ३० करोड़ पौंड का मुनाफा चूसने का मतलब यह होता है कि हर मजदूर से साल भर में १०० पौंड चूमे गये। मजदूरों की सालाना मजूरी भूँक १२ पौंड १० शिलिंग की आदमी है, इसलिए इतसे साबित होता है कि मालिकों का सालाना मुनाफा मजदूरों की सालाना मजदूरी का आठ-गुना होता है।”

मूती उद्योग के बारे में चुनी बोर्ड ने १९२७ में जांच करके इस आराय का एक रिपोर्ट प्रकाशित कराया था :

“बम्बई की मिलों के आमदनी और खर्च के चिट्ठों को देखने पर पता चलता है कि १९२० में ३५ कम्पनियों ने, जो ४२ मिलों की मालिक थी, अपने हिस्सेदारों को ४० प्रतिशत या उससे भी अधिक मुनाफा बांटा था। इनमें से दस कम्पनियों ने, जो १४ मिलों की मालिक थी, १०० प्रतिशत या उससे भी अधिक मुनाफा बांटा था, और दो मिलों ने २०० प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा अपने हिस्सेदारों को दिया था। १९२१ में ऐसी कम्पनियों की संख्या ४१ हो गयी थी, जो ४७ मिलों की मालिक थी। इनमें से ६ कम्पनियों ने, जिनके पास ११ मिलें थी, १०० प्रतिशत या उससे भी ज्यादा मुनाफा बांटा था।”

३६५ प्रतिशत का मुनाफा बांटनेवाली कम्पनियां भी देखने में आयी हैं। १९२७ में नागपुर की एम्प्रेस मिल ने अपनी स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक पुस्तिका निकाली थी। उसमें बड़े गर्व के साथ यह लिखा गया था :

“यह काफ़ी दिलचस्प बात है कि ३० जून, १९२६ तक एम्प्रेस मिल ने कुल ६२,२१४,५२७ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो मामूली हिस्सेदारों की कुल पूँजी का करीब ६१.४७ गुना होता है। इस वार्षिक तक कम्पनी मामूली हिस्सेदारों को ५६,४३१,२६७ रुपये का मुनाफा बांट चुकी है। दस तरह मूल पूँजी पर हिस्सेदारों की बाँटे गये मुनाफे की दर ८०.८६ प्रतिशत सालाना बैठती है...।”

भारत में मजदूरों के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं, वे भी बहुत निम्नरे हूँ हैं। और नागज पर ये कानून जो कुछ रहते हैं, धसन में वे उससे भी बहुत कम फायदा मजदूरों को पहुँचाते हैं। फ़ैक्टोरियों के बारे में पहले-महा १८८१ में कानून बना था। उस वक़्त महासागर के विन-मालिक भारतीय मितों की बग़ी को देखकर बहुत घबरा गये थे। उनके दबाव से यह फ़ैक्टरी ऐक्ट बना।

पर दसियों बरस तक वह सरकारी फाइलों में ही बन्द पड़ा रहा। हालांकि यह कानून मजदूरों की बहुत ही थोड़ी बातों में दखल देता था, मगर उन बातों में भी उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि कानून में उसकी धाराओं पर अमल करने की कोई पाबन्दी न थी। श्री शिव राव ने १९३६ में लिखा था :

“ कारखानों, खानों, बागानों, गोदियों, रेलों, बन्दरगाहों, आदि में काम करनेवाले मजदूरों के लिए जितने कानून बने हैं, उन सबको यदि लिया जाय तब भी इसमें सन्देह है कि उनका असर ७० या ८० लाख मजदूरों से ज्यादा पर पड़ता है। बाकी मजदूर, जिनकी संख्या इन ७० या ८० लाख से बहुत ज्यादा है, छोटे अथवा तथाकथित अनियमित उद्योगों में काम करते हैं। ”

१९४४ में कारखानों में सम्बन्धित मुख्य कानून केवल २,५२२,७५३ मजदूरों पर लागू होते थे। यह भारत के मजदूर वर्ग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा था। और ये मजदूर भी इन कानूनों से खास फायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उनको लागू करनेवाली व्यवस्था बड़ी ढीली और कमजोर थी। १९४४ में १४,०७१ कारखाने फॅक्टरी ऐक्ट के मातहत सरकारी रजिस्ट्रारों में दर्ज थे। उनमें से केवल ११,७१३ यानी ८३.२ प्रतिशत कारखानों की फॅक्टरी इंस्पेक्टरों ने जांच की। २,३५८ यानी १६.८ प्रतिशत कारखानों की साल में एक बार भी जांच नहीं हुई। जिनकी हुई, उनमें से ज्यादातर में साल भर में केवल एक बार इंस्पेक्टर गया। इससे समझा जा सकता है कि कारखानों के मालिक फॅक्टरी ऐक्ट पर कितना अमल करते होंगे। ऐक्ट के मातहत १,७७५ मामलों में मालिकों को दंड दिया गया। मगर यह दंड केवल जुर्माना था और वह भी इतना हल्का कि उससे ऐसा मालूम होता था कि मालिकों को कानून तोड़ने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। १९४८ में उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया गया था कि “ इस तरह के जुर्मानों से कानून तोड़नेवालों का कोई मुधार नहीं होगा, क्योंकि कानून तोड़ने में जितना नफा होता है, जुर्माने में उससे बहुत कम देना पड़ता है। ”

भारत में उद्योग-धंधों का अधिकांश भाग ऐसा है जिस पर सरकार के कानून लागू नहीं होते। ऐसे उद्योगों में छोटे से छोटे बच्चों से मेहनत करायी जाती है। काम के घंटों पर कोई पाबन्दी नहीं है। मजदूरों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए बहुत मामूली इन्तजाम तरु नदारद है। १९३८ की मद्रास की रिपोर्ट का कहना है कि उन प्रान्त के अमगठित उद्योगों में बच्चों से पहले से ज्यादा मजदूरों करायी जाने लगी है। चमड़ा, दरी और मिर्गट के कारखानों में बच्चे घाम तोर पर पांच या छः वर्ष की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें हाथों में एक

दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती और रोज दस-दस, बारह-बारह घंटे काम करना पड़ता है। और इतना काम करने पर उन्हें मजदूरी मिलती है केवल दो आने।

वर्तमान युग में जिन्हे सामाजिक कानून कहते हैं, उनका लगभग बिलकुल अभाव है। मजदूरों के स्वास्थ्य का बीमा नहीं होता, उन्हें बीमारी का भत्ता नहीं मिलता, बुढ़ापे की पेगन नहीं मिलती, बेकार होने पर उनकी कोई मदद नहीं करता, और उनकी शिक्षा की भी कोई आम व्यवस्था नहीं है। उन मजदूरों के लिए जो बारहों महीने कारखानों में काम करते हैं, १९४८ में एक राजकीय बीमा कानून बनाया गया। जाहिर है कि ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत छोड़ी है। लेकिन १९५२ तक यह कानून भी केवल दो ही स्थानों पर लागू किया गया था—एक कानपुर और दूसरा दिल्ली में।

३. मजदूर आन्दोलन का जन्म

भारत में मजदूर आन्दोलन की शुरुआत करीब पचास साल पहले हुई थी। लेकिन एक संगठित आन्दोलन के रूप में उसका इतिहास-जन्म पहले महायुद्ध के बाद में ही आरम्भ होता है।

जब उन्नीसवीं सदी के आठवें दशक तक देश में कल-कारखाने सड़े हो गये, तब हड़ताल का होना भी लाजिमी हो गया, हालांकि शुरू-शुरू में उनका रूप आदिम ढंग का और असंगठित था। इतिहास में १८७७ की एक हड़ताल का उल्लेख है जो नागपुर की एम्प्रेस मिल में मजदूरों की दर के सवाल पर हुई थी। १८८२ से लेकर १८९० तक के काल में बम्बई और मद्रास प्रान्त के २५ हड़तालों का उल्लेख मिलता है।

साधारण परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर आन्दोलन का इतिहास १८८४ में बम्बई के मजदूरों की एक सभा में शुरू होता है, जिसे एन. एम. सोलंके नामक एक स्थानीय सम्पादक ने बुलाया था। इन संज्वन ने मजदूरों की मागों का एक आवेदन-पत्र तैयार किया था, जो बम्बई के मजदूरों की तरफ से फेक्टरी कमिशन को दिया जानेवाला था। इन आवेदन-पत्र में मांग की गयी थी कि काम के घंटों पर पाबंदी लगायी जाय, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, दोरहर में गाने-गाने के लिए छुट्टी दी जाय, और घंट-फोट लगने पर मजदूरों को मुआवजा मिले। यह नोटबंद आंदोलन को "बम्बई मिल-मजदूर एगोतिवेशन का महापति" कहते थे।

मोगडे का भारत के मजदूर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है; लेकिन यह गम-भला कल है कि भारत में मजदूर आन्दोलन मोगडे के बान में शुरू हुआ है। "बम्बई मिल-मजदूर एगोतिवेशन" क्रिष्ण भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं

पर दसियों बरस तक वह सरकारी फाइलों में ही बन्द पड़ा रहा। हालांकि यह कानून मजदूरों की बहुत ही थोड़ी बातों में दखल देता था, मगर उन बातों में भी उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि कानून में उसकी धाराओं पर अमल करने की कोई पाबन्दी न थी। श्री शिव राव ने १९३६ में लिखा था :

“ कारखानों, खानों, बागानों, गोदियों, रेलों, बन्दरगाहों, आदि में काम करनेवाले मजदूरों के लिए जितने कानून बने हैं, उन सबको यदि लिया जाय तब भी इसमें सन्देह है कि उनका असर ७० या ८० लाख मजदूरों से ज्यादा पर पड़ता है। बाकी मजदूर, जिनकी संख्या इन ७० या ८० लाख से बहुत ज्यादा है, छोटे अथवा तथाकथित अनियमित उद्योगों में काम करते हैं। ”

१९४४ में कारखानों में सम्बन्धित मुख्य कानून केवल २,५२२,७५३ मजदूरों पर लागू होते थे। यह भारत के मजदूर वर्ग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा था। और ये मजदूर भी इन कानूनों से खास फायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उनको लागू करनेवाली व्यवस्था बड़ी ढीली और कमजोर थी। १९४४ में १४,०७१ कारखाने फैक्टरी ऐक्ट के मातहत सरकारी रजिस्ट्रियों में दर्ज थे। उनमें से केवल ११,७१३ यानी ८३.२ प्रतिशत कारखानों की फैक्टरी इस्पेक्टरों ने जांच की। २,३५८ यानी १६.८ प्रतिशत कारखानों की साल में एक बार भी जांच नहीं हुई। जिनकी हुई, उनमें से ज्यादातर में साल भर में केवल एक बार इस्पेक्टर गया। इससे समझा जा सकता है कि कारखानों के मालिक फैक्टरी ऐक्ट पर कितना अमल करते होंगे। ऐक्ट के मातहत १,७७५ मामलों में मालिकों को दंड दिया गया। मगर यह दंड केवल जुर्माना था और वह भी इतना हल्का कि उससे ऐसा मालूम होता था कि मालिकों को कानून तोड़ने के लिए बड़ावा दिया जा रहा है। १९४८ में उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया गया था कि “ इस तरह के जुर्मानों से कानून तोड़नेवालों का कोई मुधार नहीं होगा, क्योंकि कानून तोड़ने से जितना नफा होता है, जुर्माने में उससे बहुत कम देना पड़ता है। ”

भारत में उद्योग-धंधों का अधिकांश भाग ऐसा है जिस पर सरकार के कानून लागू नहीं होते। ऐसे उद्योगों में छोटे से छोटे बच्चों से मेहनत करायी जाती है। काम के घंटों पर कोई पाबन्दी नहीं है। मजदूरों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए बहुत मामूली इन्तजाम तक नदारद है। १९३८ की मद्रास की रिपोर्ट का कहना है कि उम्र प्रान्त के असंगठित उद्योगों में बच्चों से पहले से ज्यादा मजदूरों करायी जाने लगी है। चमड़ा, दरी और मिगरेट के कारखानों में बच्चे प्रायः तोर पर पांच या छः वर्ष की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें हाथों में एक

दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती और रोज दस-दस, बारह-बारह घंटे काम करना पड़ता है। और इतना काम करने पर उन्हें मजदूरी मिलती है केवल दो आने।

वर्तमान युग में जिन्हें सामाजिक कानून कहते हैं, उनका लगभग विलकुल अभाव है। मजदूरों के स्वास्थ्य का वीमा नहीं होता, उन्हें बीमारी का भत्ता नहीं मिलता, बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलती, बेकार होने पर उनकी कोई मदद नहीं करता, और उनकी शिक्षा की भी कोई आराम व्यवस्था नहीं है। उन मजदूरों के लिए जो बारहों महीने कारखानों में काम करते हैं, १९४८ में एक राजकीय वीमा कानून बनाया गया। जाहिर है कि ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत थोड़ी है। लेकिन १९५२ तक यह कानून भी केवल दो ही स्थानों पर लागू किया गया था—एक कानपुर और दूसरा दिल्ली में।

३. मजदूर आन्दोलन का जन्म

भारत में मजदूर आन्दोलन की शुरुआत करीब पचास साल पहले हुई थी। लेकिन एक संगठित आन्दोलन के रूप में उसका इतिहास-जन्म पहले महायुद्ध के बाद में ही आरम्भ होता है।

जब उन्नीसवीं सदी के आठवें दशक तक देश में कल-कारखाने खड़े हो गये, तब हड़तालों का होना भी लाजिमी हो गया, हालांकि शुरू-शुरू में उनका रूप आदिम ढंग का और असंगठित था। इतिहास में १८७७ की एक हड़ताल का उल्लेख है जो नागपुर की एम्प्रेस मिल में मजदूरों की दर के सवाल पर हुई थी। १८८२ से लेकर १८९० तक के काल में बम्बई और मद्रास प्रान्त के २५ हड़तालों का उल्लेख मिलता है।

साधारण परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर आन्दोलन का इतिहास १८८४ में बम्बई के मजदूरों की एक सभा से शुरू होता है, जिने एन. एम. लोखंडे नामक एक स्थानीय सम्पादक ने बुलाया था। इन संजन ने मजदूरों की मांगों का एक आवेदन-पत्र तैयार किया था, जो बम्बई के मजदूरों की तरफ से फैक्टरी कमीशन को दिया जानेवाला था। इन आवेदन-पत्र में मांग की गयी थी कि काम के घंटों पर पाबंदी लगायी जाय, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, दोसहर में खाने-पीने के लिए छुट्टी दी जाय, और चोट-कोट लगने पर मजदूरों को मुआवजा मिले। यह लोखंडे माहब खाने को "बम्बई मिल-मजदूर एनोनिमेशन का सभापति" रहते थे।

लोखंडे का भारत के मजदूर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है; लेकिन यह गमनाता गन्त है कि भारत में मजदूर आन्दोलन लोखंडे के काम से शुरू हुआ है। "बम्बई मिल-मजदूर एनोनिमेशन" किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं

पर दसियों बरस तक वह सरकारी फाइलो में ही बन्द पड़ा रहा। हालांकि यह कानून मजदूरों की बहुत ही थोड़ी बातों में दखल देता था, मगर उन बातों में भी उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि कानून में उसकी धाराओं पर अमल करने की कोई पाबन्दी न थी। श्री शिव राव ने १९३६ में लिखा था :

“कारखानों, खानों, बागानों, गोदियों, रेलों, बन्दरगाहों, आदि में काम करनेवाले मजदूरों के लिए जितने कानून बने हैं, उन सबको यदि लिया जाय तब भी इसमें सन्देह है कि उनका असर ७० या ८० लाख मजदूरों से ज्यादा पर पड़ता है। बाकी मजदूर, जिनकी संख्या इन ७० या ८० लाख से बहुत ज्यादा है, छोटे अथवा तथाकथित अनियमित उद्योगों में काम करते हैं।”

१९४४ में कारखानों से सम्बंधित मुख्य कानून केवल २,५२२,७५३ मजदूरों पर लागू होते थे। यह भारत के मजदूर वर्ग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा था। और ये मजदूर भी इन कानूनों से खास फायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उनको लागू करनेवाली व्यवस्था बड़ी ढीली और कमजोर थी। १९४४ में १४,०७१ कारखाने फैक्टरी ऐक्ट के मातहत सरकारी रजिस्ट्रारों में दर्ज थे। उनमें से केवल ११,७१३ यानी ८३.२ प्रतिशत कारखानों की फैक्टरी इंस्पेक्टरों ने जाच की। २,३५८ यानी १६.८ प्रतिशत कारखानों की साल में एक बार भी जाच नहीं हुई। जिनकी हुई, उनमें से ज्यादातर में साल भर में केवल एक बार इंस्पेक्टर गया। इससे समझा जा सकता है कि कारखानों के मालिक फैक्टरी ऐक्ट पर कितना अमल करते होंगे। ऐक्ट के मातहत १,७७५ मामलों में मालिकों को दंड दिया गया। मगर यह दंड केवल जुर्माना था और वह भी इतना हल्का कि उससे ऐसा मालूम होता था कि मालिकों को कानून तोड़ने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। १९४८ में उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया गया था कि “इस तरह के जुर्मानों से कानून तोड़नेवालों का कोई मुधार नहीं होगा, क्योंकि कानून तोड़ने में जितना नफा होता है, जुर्माने में उससे बहुत कम देना पड़ता है।”

भारत में उद्योग-पंथों का अधिकांश भाग ऐसा है जिस पर सरकार के कानून लागू नहीं होते। ऐसे उद्योगों में छोटे से छोटे बच्चों से मेहनत करायी जाती है। काम के घंटों पर कोई पाबन्दी नहीं है। मजदूरों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए बहुत मामूली इन्तजाम तक नदारद है। १९३८ की मद्रास की रिपोर्ट का कहना है कि उन प्रान्त के अमगठित उद्योगों में बच्चों से पहले से ज्यादा मजदूरों करायी जाने लगी है। चमड़ा, दरी और सिगरेट के कारखानों में बच्चे आम तौर पर पाच या छः वर्ष की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें हफ्ते में एक

दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती और रोज दस-दस, बारह-बारह घंटे काम करना पड़ता है। और इतना काम करने पर उन्हें मजदूरी मिलती है केवल दो आने।

वर्तमान युग में जिन्हें सामाजिक क्रांति कहते हैं, उनका लगभग बिल्कुल अभाव है। मजदूरों के स्वास्थ्य का बीमा नहीं होता, उन्हें बीमारी का भत्ता नहीं मिलता, बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलती, बेकार होने पर उनकी कोई मदद नहीं करता, और उनकी शिक्षा की भी कोई ग्राम व्यवस्था नहीं है। उन मजदूरों के लिए जो यारहों महीने कारखानों में काम करते हैं, १९४८ में एक राजकीय बीमा कानून बनाया गया। जाहिर है कि ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत थोड़ी है। लेकिन १९५२ तक यह कानून भी केवल दो ही स्थानों पर लागू किया गया था—एक कानपुर और दूसरा दिल्ली में।

३. मजदूर आन्दोलन का जन्म

भारत में मजदूर आन्दोलन की शुरुआत करीब पचास साल पहले हुई थी। लेकिन एक संगठित आन्दोलन के रूप में उसका इतिहास-ग्रम पहले महापुद्ग के बाद से ही आरम्भ होता है।

जब उन्नीसवीं सदी के आठवें दशक तक देश में कल-कारखाने खड़े हो गये, तब हड़तालों का होना भी लाजिमी हो गया, हालांकि शुरू-शुरू में उनका रूप आदिम ढंग का और असंगठित था। इतिहास में १८७७ की एक हड़ताल का उल्लेख है जो नागपुर की एम्प्रेस मिल में मजदूरों की दर के सवाल पर हुई थी। १८८२ से लेकर १८९० तक के काल में बम्बई और मद्रास प्रान्त के २५ हड़तालों का उल्लेख मिलता है।

साधारण परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर आन्दोलन का इतिहास १८८४ में बम्बई के मजदूरों की एक सभा से शुरू होता है, जिसे एन. एम. लोखंडे नामक एक स्थानीय सम्पादक ने बुलाया था। इन सज्जन ने मजदूरों को भांगों का एक आवेदन-पत्र तैयार किया था, जो बम्बई के मजदूरों की तरफ से फैक्टरी कमिशन को दिया जानेवाला था। इस आवेदन-पत्र में मांग की गयी थी कि काम के घंटों पर पाबंदी लगायी जाय, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, दोपहर में खाने-पीने के लिए छुट्टी दी जाय, और चोट-फोट लगने पर मजदूरों को मुआवजा मिले। यह लोखंडे साहब अपने को "बम्बई मिल-मजदूर एसोसियेशन का सभापति" कहते थे।

लोखंडे का भारत के मजदूर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है; लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि भारत में मजदूर आन्दोलन लोखंडे के काम ने शुरू हुआ है। "बम्बई मिल-मजदूर एसोसियेशन" किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं

था। उसके न तो सदस्य थे, न कायदे-कानून और न ही कोई कोष था। लोखंडे मजदूरों की भलाई चाहनेवाले एक परोपकारी वृत्ति के व्यक्ति थे जो मजदूरों के हित में कानून बनवाने का प्रयत्न किया करते थे। वह मजदूरों के संगठन या मजदूरों के संघर्ष का शीरोधार्य करनेवाले व्यक्ति नहीं थे।

भारतीय मजदूर आंदोलन का प्रारम्भिक इतिहास जानने के लिए उन्नीसवीं सदी के नवें दशक और उसके बाद के कागजों को देखना होगा कि उनमें किन हड़तालों का जिक्र मिलता है। हालांकि उस वक्त तक मजदूरों का कोई संगठन नहीं बन पाया था, मगर उस जमाने के मजदूर जिस तरह संघर्ष में एक-दूसरे का साथ देते थे, और उनमें प्राथमिक ढंग की जो वर्ग चेतना उत्पन्न हो गयी थी, उसे कम करके नहीं आकना चाहिए। बजबज जूट मिल के डायरेक्टरों ने १८९५ में अपनी वजट की रिपोर्ट में लिखा था : "उन्हें इस बात का अफसोस है कि इस छमाही में मजदूरों ने एक हड़ताल की और उसकी वजह से मिल छः हफ्ते तक बन्द पडी रही।" १८९५ की बम्बई फैक्टरी रिपोर्ट में अहमदाबाद के ८,००० बुनकरों की एक हड़ताल का जिक्र मिलता है, जो अहमदाबाद के मिल मालिक संघ के खिलाफ की गयी थी।

डॉ. एच. बुकानन ने अपनी पुस्तक भारत में पूंजीवादी व्यवसाय का विकास में लिखा है :

"१८८० और १९०८ के बीच विभिन्न सरकारी कमिशनो के सामने जितनी भी गवाहियां आयी, लगभग सभी में यह बात कही गयी कि मजदूरों की अभी कोई वास्तविक यूनियन नहीं बनी है। फिर भी बहुत से लोगों ने बताया कि अलग-अलग मिलों के मजदूर अक्सर आपस में एक साथ मिल जाते हैं और एक समूह के रूप में बड़ी आजादी का परिचय देते हैं। १८९२ में बार्थलरों के इन्स्पेक्टर ने बताया था कि 'मजदूरों में एक अजीब एका दिखाई देता है जिसकी न तो कोई लिखा-पडी हुई है और न ही जिसे कोई नाम दिया गया है;' और बम्बई के कलक्टर ने लिखा था कि हालांकि यह एका 'केवल हवा में ही दिखाई देता है, मगर तब भी यह है एक जोरदार चीज।' उसने सरकार को लिखा था : 'मुझे विश्वास है कि इसी एके के कारण मजदूरों ने बहुत दिनों में अपनी मजदूरी में कोई हेर-फेर नहीं होने दिया है।'... बम्बई प्रान्त में उद्योगों के मंचालक मि. भरुचा ने कहा था कि 'मालिकों के मुद्दाबारे में मजदूर नय-शक्तिमान मानूम पड़ते हैं, और हालांकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, मगर मालिकों के घिनाऊ एक हो जाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती।' इन बयानों में यदि थोड़ी प्रतिशयोक्ति है, तो

वर्षा के उस अग्रज डिप्टी कमिश्नर ने तो हृद ही कर दी, जिसने कहा कि 'मजदूरों की तूती बोल रही है; अब सवाल उनकी हिफाजत करने का नहीं है, बल्कि हमें मालिकों की हिफाजत करनी है' ।" (पृष्ठ ४२५)

इन शब्दों की ध्वनि बताती है कि भारतीय मजदूरों की नवजात वर्ग चेतना को देखकर उस जमाने में भी मालिकों को डर लगने लगा था ।

१९०५-०६ में लड़ाकू राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर के उठने के साथ-साथ मजदूर आन्दोलन ने भी उल्लेखनीय उन्नति की । बम्बई की मिलों में काम के घंटे बढ़ाने के विरोध में एक हड़ताल हुई । रेलों पर, खास तौर पर इस्टर्न बंगाल स्टेट रेलवे पर जबर्दस्त हड़तालें हुईं । रेलवे-वर्कशापो में हड़तालें हुईं । कलकत्ते के सरकारी प्रेस में हड़ताल हुई । इन हड़तालों से उस समय के वातावरण का पता चलता है । हड़तालों की यह लहर अपने शिखर पर उस समय पहुंची जब १९०८ में तिलक महाराज को छः साल की सजा दी गयी और उसके विरोध में बम्बई के मजदूरों ने छः दिन की राजनीतिक ग्राम हड़ताल की ।

अभी मजदूरों का कोई टिकाऊ संगठन बनाना सम्भव नहीं था । लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी कि भारत के मजदूर पिछड़े हुए थे, या उनमें लड़ाकू मनोभावना की कमी थी । इसकी वजह केवल यह थी कि मजदूर हृद से ज्यादा गरीब थे, पढ़े-लिखे नहीं थे और उनके पास साधनों का अभाव था ।

पहला महायुद्ध खतम होने के बाद भारत में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो गयी थी, और इस देश पर रूसी क्रान्ति तथा उसके बाद सारी दुनिया में उठनेवाली क्रान्तिकारी लहर का जो प्रभाव पड़ा था, उनके कारण भारत का मजदूर वर्ग मानो एक छलांग मारकर कर्म-भूमि में उतर आया । यही से भारत में आधुनिक ढंग के मजदूर आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ । उस वक्त देश की आर्थिक हालत और राजनीतिक परिस्थिति दोनों ने ही मजदूरों में नयी जाग्रति पैदा करने में मदद दी । लड़ाई के दिनों में चीजों के दाम दुगने हो गये थे । लेकिन मजदूरों की तनखाओं में इस हिसाब से बढ़ती नहीं हुई थी । मिल मालिक अंधाधुंध मुनाफ़ा कमा रहे थे । राजनीतिक क्षेत्र में नयी माँगें बुलन्द हो रही थी । देश को तुरन्त स्वराज्य मिले — इस कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित हो गयी थी । संसारव्यापी क्रान्तिकारी लहर का प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगा था ।

इस तरह १९१८ में हड़तालों की जो लहर गुरू हुई, वह १९१६ और १९२० में सारे देश में फैल गयी । इस लहर का वेग जबर्दस्त था । १९१८ के आखिर में एक बड़े औद्योगिक केन्द्र में पहली बार एक पूरा उद्योग हड़ताल के कारण ठप हो गया । यह उस वक्त हुआ जब बम्बई की मूती मिलों में हड़ताल गुरू हुई । जनवरी १९१६ तक लगभग सभी मिलों के १२५,००० मजदूर बाहर

निकल आये। १९१९ के वसन्त में रोलट ऐक्ट के खिलाफ हड़ताल हुई। उसमें मजदूरों ने जिस तरह भाग लिया, उससे साफ हो गया कि मजदूर वर्ग राष्ट्रीय संघर्ष में भी सबसे आगे बढ़कर लड़ता है। १९१९ में हड़तालों की लहर सारे देश में फैल गयी। १९१९ के खतम होते-होते और १९२० के पूर्वार्ध में हड़तालों की व्यापकता और तेजी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी। श्री आर. के. दास ने अपनी पुस्तक भारत का मजदूर आन्दोलन में लिखा है :

“इस काल में हड़तालों की तेजी और फंलाव का कुछ अन्दाजा नीचे दिये आकड़ों से लग सकता है : ४ नवम्बर से २ दिसम्बर, १९१९ तक कानपुर की ऊनी मिलों के १७,००० मजदूरों ने हड़ताल की; ७ दिसम्बर, १९१९ से ९ जनवरी, १९२० तक जमालपुर के १६,००० रेलवे मजदूरों ने हड़ताल की; १९२० में ९ से १८ जनवरी तक कलकत्ते के ३५,००० जूट मिलों के मजदूरों ने काम बन्द रखा; २ जनवरी से ३ फरवरी तक बम्बई में ग्राम हड़ताल रही, जिसमें २ लाख मजदूरों ने भाग लिया; २० नवम्बर से ३१ जनवरी तक रगून के २०,००० मिल मजदूरों ने काम बन्द रखा; ३१ जनवरी को बम्बई में ब्रिटिश इंडिया नैवीगेशन कम्पनी के १०,००० मजदूरों ने हड़ताल की; २६ जनवरी से १६ फरवरी तक गोन्दापुर के १६,००० मिल-मजदूरों ने काम बन्द रखा; २ से १६ फरवरी तक इंडियन मैरीन डॉक (गोदी) के २०,००० मजदूरों ने हड़ताल रखी; २४ फरवरी से २९ मार्च तक टाटा के लोहे और इस्पात के कारखाने के ४०,००० मजदूरों ने हड़ताल रखी; ९ मार्च को बम्बई के ६०,००० मिल मजदूरों ने काम बन्द रखा; २० से २६ मार्च तक मद्रास के १७,००० मिल मजदूरों ने हड़ताल की, मई १९२० में अहमदाबाद के २५,००० मजदूरों ने काम बन्द रखा।”

१९२० के पहले छः महीनों में २०० हड़तालों हुईं और उनमें १५ लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया।

इन परिस्थितियों में भारत का ट्रेड यूनियन आन्दोलन पैदा हुआ। साम-ग्राम उद्योगों तथा केंद्रों की अधिस्तर ट्रेड यूनियनों द्वारा काल में बनीं, हालांकि परिस्थितियों के कारण ये संगठन कभी लगातार कायम न रह सके। भारत के आधुनिक मजदूर आन्दोलन ने इसी अवस्थात लड़ाई जमाने में जन्म लिया था।

इन काल में बीमियों ट्रेड यूनियनों बनीं। बढते-ते तो यूनियनादी तौर पर हड़ताल समिटिया मान थी, जो फौरी लड़ाई चलाने के लिए बनायी जाती थी, मगर जिनमें टिकने की शक्ति नहीं होती थी। मजदूर लड़ने के लिए तैयार होते थे, मगर यूनियन का दायरी काम दूसरे लोग ही कर सकते थे। इंग्लैंड, यूष्-

गुरु के मजदूर आन्दोलन में एक असंगति पैदा हो गयी। अभी देश में समाजवाद के आधार पर, मजदूर वर्ग के विचारों तथा वर्ग संघर्ष के आधार पर, चलनेवाला कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर जो “बाहरी” लोग दूसरे वर्गों से मजदूरों के संगठनों की मदद करने को आये, उनमें मजदूर आन्दोलन के उद्देश्यों तथा जरूरतों की कोई समझ नहीं थी। उस प्रारम्भिक काल में इन “बाहरी” लोगों की मदद मजदूरों के लिए नितान्त आवश्यक थी, मगर ये लोग अपने साथ मध्य-वर्गीय राजनीति के विचार लेकर मजदूर आन्दोलन में आये थे। उनमें से कुछ परोपकार की भावना से आये थे, कुछ सिर्फ़ नेता बनना चाहते थे, और कुछ राष्ट्र के राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मजदूर आन्दोलन में आये थे। मगर उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, वे सब एक गैर-वर्ग का दृष्टिकोण लेकर आये थे और इसलिए वे वर्ग संघर्ष के आधार पर नवजात मजदूर आन्दोलन की रहुमुमाई नहीं कर सकते थे, जब कि मजदूर असल में वर्ग संघर्ष की ही लड़ाई लड़ रहे थे। भारत के मजदूर आन्दोलन के गले में बहुत दिनों तक यह पत्थर बंधा रहा, और उसने मजदूरों की शानदार लड़ाकू भावना और वीरता के बढने में बहुत बाधा डाली; और उसका असर अब भी बाकी है।

आप तौर पर समझा जाता है कि भारत में ट्रेड यूनियनों की शुरुआत मद्रास लेबर यूनियन से हुई थी, जिसकी स्थापना थियोसोफिस्ट नेत्री श्रीमती एनी बेमंट के सहयोगी श्री पी. वाडिया ने १९१८ में की थी। भारतीय मजदूर वर्ग के जीवित इतिहास को देखते हुए यह धारणा कुछ भ्रम में डालनेवाली मालूम होती है। इस काल में ट्रेड यूनियन बनाने की प्रारम्भिक कोशिशें सारे भारत में हो रही थी। लगता है कि अहमदाबाद की सूती मिलों में “वार्किंग” का काम करनेवाले मजदूरों ने १९१७ में ही अपनी एक यूनियन बना ली थी। लेकिन संगठन का आधार उस वक्त तक बहुत कमजोर था और मजदूर वर्ग के लड़ाकूपन तथा क्रियाशीलता के स्तर को देखते हुए उनका संगठन बहुत पीछे था। इसमें शक नहीं कि मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहली बार एक बड़े औद्योगिक केन्द्र में मजदूरों की यूनियन बनाने की एक बाकायदा कोशिश हुई थी। वहाँ यूनियन के मेम्बर बनाये गये थे; उनसे बाकायदा चन्दा वसूल किया गया था। इस सब के लिए मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापकों को श्रेय दिया ही जाना चाहिए। लेकिन जिस औद्योगिक केन्द्र में यह पहलकदमी शुरू हुई थी, वह खुद अपेक्षाकृत कमजोर था। १९२१ से १९२३ तक वहाँ कुल मिलाकर केवल २८ लाख दिन हड़ताल हुईं जब कि इसी काल में बंगाल में २ करोड़ दिन और बम्बई प्रान्त ६ करोड़ दिन काम बन्द रहा। इससे मालूम होता है कि मद्रास में यह संगठन संयोगवश और किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से बन गया था; और

भारत के मजदूर आन्दोलन के विकास में उसके महत्व को बहुत बढ़ा-बढ़ाना दिखाना सही न होगा। मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक श्री बी. पी. वाडिया का दृष्टिकोण कितना संकुचित और सीमित था, यह जल्द ही मान्य हो गया। अप्रैल १९१८ में उनकी अध्यक्षता में यूनियन कायम करने के बाद मद्रास ने मजदूरों ने मालिकों के सामने अपनी मांगों पेश की और जब उससे कुछ काम न बना तो उन्होंने मांग की कि अब हड़ताल होनी चाहिए। वाडिया साहब ने हड़ताल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य की राजभक्त प्रजा हैं, हम हड़ताल कैसे कर सकते हैं? यानी धीमती एनी बेसेंट राष्ट्रीय आन्दोलन में जो रख लेती थी, वही उनके सहयोगी श्री वाडिया ने मजदूर आन्दोलन में अपनाया। ३ जुलाई, १९१८ को श्री वाडिया ने एक भाषण के दौरान में कहा -

“अगर हड़ताल करके तुम लोग सिर्फ़ बिनी एंड कम्पनी का नुकसान करते तो मुझे कोई चिन्ता न होती, क्योंकि वह काफ़ी पैसा कमा रही है। लेकिन हड़ताल करके तुम मित्र-राष्ट्रों को हानि पहुँचाओगे। हमारे सिपाहियों को परेशानी होगी। हमें उनके लिए कपड़ा तैयार करना है। और सिर्फ़ इसलिए कि मिलों से सम्बंधित कुछ योरोपियन लोगों का और इस सरकार का बरताव ठीक नहीं है, हमें यह धियार नहीं मिल जाता कि हम उन लोगों को परेशान करें जो हमारे राजा को लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए, हमें हड़ताल नहीं करनी चाहिए।”

श्री वाडिया ने हड़ताल तो नहीं होने दी, लेकिन बिनी एंड कम्पनी ने वाडिया साहब के “राजभक्ति” के उपदेश को अनसुना करके कारखाने में ताला डाल दिया। मजदूर इस हमले के लिए तैयार नहीं थे; और वाडिया साहब की बातों में आकर वे अपना हड़ताल का धियार पहले से ही त्याग चुके थे। मजदूर होकर कुछ समय के लिए उन्हें अपनी मांगों को छोड़ देना पड़ा। मद्रास में असन्तोषी परीक्षा १९२१ में तब हुई जब मिलों में ताला घुलने के बाद हड़ताल शुरू हुई। कम्पनी ने तब हार्डहोट की धारण ली। हार्डकोर्ट ने हड़ताल करने की मनाही कर दी। और उसका हुकम तोड़ने के अपराध में यूनियन को ७,००० पौंड (यानी १ लाख ५ हजार रुपये) जुर्माने की सजा दी गयी। कम्पनी ने कहा कि अगर वाडिया साहब मजदूर आन्दोलन से अलग हो जायें, तो हम तुम्हारा समूल कराने की कार्रवाई नहीं करेंगे। वाडिया साहब ने यह शर्त कबूल कर ली और मजदूर आन्दोलन से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। पुरु में मजदूर आन्दोलन को कुचलने के लिए भारत में कैंमे-कैंमे तरीक़े इस्तेमाल किये गये थे, वह इनकी एक बहुत अच्छी मिगान्त है।

दूसरे केन्द्रों में मजदूरों के तरह-तरह के भददगार मजदूर संगठनों की बागडोर अपने हाथ में संभालने के लिए आ पहुँचे। इनमें से कुछ का मालिकों के साथ घनिष्ठ सम्बंध था। अहमदाबाद में गांधी जी ने मालिकों के सहयोग से एक फूटपरस्त संगठन बनाया, जिसका आधार वर्ग-शान्ति कायम रखना था। उनका बनाया हुआ यह अहमदाबाद लेबर एसोसियेशन, अथवा “मजूर महाजन संघ” भारत के मजदूर आन्दोलन से हमेशा अलग रहा।

इसी जमाने में, १९२० में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। उसका प्रथम अधिवेशन अक्टूबर १९२० में बम्बई में हुआ। राष्ट्रीय नेता लाला लाजपतराय इसके सभापति थे और श्री जोसेफ वैंटिस्टा उप-सभापति। शुरू-शुरू में यह सस्था केवल ऊपरी नेताओं का संगठन थी; और उसके बहुत से लीडरों का मजदूर आन्दोलन से बहुत कम सम्पर्क था। उसकी स्थापना के पीछे खास तौर पर यह इच्छा काम कर रही थी कि इस बहाने नेताओं को, जेनेवा के अन्तरराष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों को नामजद करके भेजने का अधिकार मिल जायेगा। श्री एन. एम. जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से थे। उन्होंने अपनी पुस्तिका भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में यह मत प्रकट किया था कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वाशिंगटन के मजदूर सम्मेलन के प्रभाव से हुई थी। उन्होंने लिखा है : “इससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि न सिर्फ मजदूरों के संगठन बनाना आवश्यक है, बल्कि उनके बीच किसी न किसी प्रकार का सहयोग स्थापित करना भी जरूरी है ताकि वे सब एक आवाज से अपनी बात कह सकें।” ट्रेड यूनियन कांग्रेस का चौथा अधिवेशन १९२४ में हुआ। उसके सभापति स्वराज्य पार्टी के नेता देसाबंधु चितरंजन दास थे। अधिवेशनों में जो भाषण होते थे, उनमें प्रायः वर्ग-शान्ति का उपदेश और मजदूरों के सामाजिक एवं नैतिक सुधार की बातें रहती थी और सरकार से मजदूरों के सम्बंध में कानून बनाने और उनका रहन-सहन सुधारने की मांग की जाती थी। प्रारम्भिक वर्षों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मध्य-वर्गीय नेताओं का दृष्टिकोण किस प्रकार का था, इसका एक उदाहरण १९२६ में छठे अधिवेशन के सभापति श्री बी. बी. गिरि का भाषण है। उन्होंने कहा था :

“बम्बई के केन्द्रीय मजदूर बोर्ड के चरित्र-सुधार मंडल ने जो सुन्दर काम किया है, मैं बड़े उत्साह से आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता हूँ।...मंडल का काम इस उद्देश्य में गुरु किया गया था कि वह मजदूरों को बुरी आदतें छोड़ने में मदद दे और उन्हें ईमान-दारी, शान्ति और सन्तोष का जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करे ..

सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर वस्तियों में जा-जाकर शराब, जुआ और दूसरी बुरी आदतों के दोष मजदूरों को बताते हैं। मजदूरों को इसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है और यही वह चीज है जो उसे सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से बेहतर इंसान बना सकेगी।”

इन नेताओं का हड़तालों की तरफ क्या रुख था, यह ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री एन. एम. जोशी की उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने १९२७ में कानपुर में हुए आठवें अधिवेशन के सामने पेश की थी :

“जिस जमाने की यह रिपोर्ट है, उसमें कार्यकारिणी ने कोई भी हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन भारत के विभिन्न भागों और विभिन्न घटों में मजदूरों की हालत चूक बहुत खराब थी, इसलिए कुछ हड़तालों और तालाबदियों की नौबत आ ही गयी, जिनमें ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी दिलचस्पी लेनी पड़ी।”

१९२७ तक ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मजदूरों के वर्ग संघर्ष से झमकी तौर पर बहुत ही थोड़ा सम्बंध था। फिर भी इसमें शक नहीं कि इस सस्या के रूप में वह मंच तैयार हो गया था जहा नवजात ट्रेड यूनियनों के नेता जमा होते थे, और इसलिए उसको मजदूर संघर्षों की हवा लगने में सिर्फ थोड़े समय की ही देर थी। १९२७ तक ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ५७ यूनियनों शामिल हो गयी थी जिनके वाकायदा दर्ज मेम्बरो की सख्या १५०,५५५ थी।

४. राजनीतिक जागरण

गुरु-शुरू में भारत के मजदूर आन्दोलन के नामधारी नेता जिस प्रकार के लोग थे, उनके बावजूद सरकार को यह समझने में बहुत देर न लगी कि मजदूर आन्दोलन के जन्म का क्या महत्व है। उसे कितनी चिन्ता थी, यह इस बात में प्रकट हुआ कि १९२१ में बंगाल में औद्योगिक अग्रान्ति की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गयी, १९२२ में बम्बई प्रान्त में औद्योगिक भगड़ों की जांच करने के लिए कमिटी बनायी गयी, १९१९-२० में मद्रास प्रान्त में सरकार ने एक मजदूर-विभाग खोना और उसके बाद बम्बई प्रान्त में भी यह विभाग खुल गया। १९२१ में एक ट्रेड यूनियन बिल तैयार किया गया, हालाकि यह पान हुआ कहां १९२६ में जाकर। १९२१ में औद्योगिक भगड़ों के बाकायदा प्राकड़े रने जाने लगे। ये प्राकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनमें आन्दोलन की प्रगति का चित्र मिल जाता है।

श्रौचोगिक भगड़े

वर्ष	हड़तालो और ताला- वदियो की संख्या	उनमें कितने मजदूर शामिल थे	काम के कितने दिनो का नुकसान हुआ
१९२१	३९६	६००,३५१	६,९८४,४२६
१९२२	२७८	४३३,४३४	३,९७२,७२७
१९२३	२१३	३०१,०४४	५,०५१,७०४
१९२४	१३३	३१२,४६२	८,७३०,९१८
१९२५	१३४	२७०,४२३	१२,५७८,१२९
१९२६	१२८	१८६,८११	१,०९७,४७८
१९२७	१२९	१३१,६५५	२,०१९,९७०
१९२८	२०३	५०६,८५१	३१,६४७,४०४
१९२९	१४१	५३२,०१६	१२,१६५,६९१
१९३०	१४८	१९६,३०१	२,२६१,७३१
१९३१	१६६	२०३,००८	२,४०८,१२३
१९३२	११८	१२८,०९९	१,९२२,४३७
१९३३	१४६	१६४,९३८	२,१६८,९६१
१९३४	१५९	२२०,८०८	४,७७५,५५९
१९३५	१४५	११४,२१७	९७३,४५७
१९३६	१५७	१६९,०२९	२,३५८,०६२
१९३७	३७९	६४७,८०१	८,९८२,०००
१९३८	३९९	४०१,०७५	९,१९८,७०८
१९३९	४०६	४०९,१८९	४,९९२,७९५
१९४०	३२२	४५२,५३९	७,५७७,२८१
१९४१	३५९	२९१,०५४	३,३३०,५०३
१९४२	६९४	७७२,६५३	५,७७९,९६५
१९४३	७१६	५२५,०८८	२,३४२,२८७
१९४४	६५८	५५०,०१५	३,४४७,३०६
१९४५	८२०	७४७,५३०	४,०५४,४९९
१९४६	१,५९३	१,९५१,७५६	१२,६७८,१२१
१९४७	१,८११	१,८४०,७८४	१६,५६२,६६६
१९४८	१,६३९	१,३३२,९५६	७,२१५,४५६

१९३७ तक औद्योगिक भगड़ों में काम के कुल जितने दिनों का नुकसान हुआ, यदि उसका हिसाब लगाया जाय तो मालूम होता है कि आधे से काफ़ी ज्यादा दिन अकेले कपडा मिलों में जाम हुए थे। इसी तरह यदि बम्बई में होनेवाले औद्योगिक भगड़ों को लिया जाय, तो मालूम होगा कि १९३७ तक आधे से ज्यादा दिन अकेले बम्बई के भगड़ों के थे।

सरकार बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यदि इस बढ़ते हुए मजदूर आन्दोलन ने, जिसकी सघर्ष करने की शक्ति पिछले वर्षों में प्रमाणित हो चुकी है, एक बार राजनीतिक चेतना प्राप्त कर ली और यदि उसे मजबूत संगठन और वर्ग-चेतन नेता मिल गये, तो साम्राज्यवाद का पूरा आधार खतरे में पड़ जायगा। यही कारण है कि इस दौराम में सरकार मजदूरों की हालत की जाच बराने के लिए बहुत सी कमिटियाँ और कमीशन नियुक्त कर चुकी है। सरकार के सामने सवाल यह था कि मजदूरों के आन्दोलन को किसी ऐसे रास्ते पर लगाने का क्या तरीका है जिससे साम्राज्यवाद के लिए कोई खतरा न रहे। या जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था, सरकार की समस्या यह थी कि "सही ढंग के ट्रेड यूनियन आन्दोलन" को कैसे बढ़ावा दिया जाय। साम्राज्यवादी देश के मुकाबले में औपनिवेशिक देश में यह काम ज्यादा कठिन होता है। १९२६ के ट्रेड यूनियन ऐक्ट का यही उद्देश्य था, जिसके द्वारा मजदूर यूनियनों की राजनीतिक कार्रवाइयों पर विशेष रूप से रोक लगा दी गयी थी। यही सोचकर सरकार इस बात से बड़ी चौकन्नी रहती थी कि मजदूर वर्ग में राजनीतिक जागरण के तो कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं।

फिर भी, इन सारी बाधाओं और शुरू के जमाने की उलझनों के बावजूद लड़ाई के बाद के वर्षों में भारत में धीरे-धीरे मजदूरों के राजनीतिक जागरण के प्रारम्भिक चिन्ह दिखाई देने लगे थे और समाजवादी तथा कम्युनिस्ट विचारों का प्रसार होने लगा था। यहाँ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कमजोर थी; मगर उसका साहित्य १९२० से ही भारत में लोगों तक पहुँचने लगा था। बम्बई में १९२४ से सोशलिस्ट ("समाजवादी") नाम की एक पत्रिका निकलने लगी थी, जिसके सम्पादक श्रीपाद अमृत डांगे थे, जो बाद में चलकर ट्रेड यूनियन कार्यक्रम के महायुक्त मंत्री और अध्यक्ष चुने गये। १९२६ में डांगे, शीरत उस्मानी, गुजपकर प्रहमद और दासगुता—इन चार कम्युनिस्ट नेताओं पर नानपुर गडियन वेग चलाया गया। उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। चांगे नेताओं को चार-चार वर्ष की गज़ा मुना दी गयी। भारत के राजनीतिक मजदूर आन्दोलन की अग्नि-परीक्षा इस प्रकार धारम्भ हो गयी।

दमन में जागरण रोक नहीं जा सका। १९२६-२७ तक देश में समाजवादी विचारों का व्यापक रूप में प्रसार हो गया था। मजदूर और किसान

पाटियों के रूप में मजदूर वर्ग के राजनीतिक और समाजवादी संगठन का एक नया प्रारम्भिक रूप देश में जगह-जगह दिखाई देने लगा था। इन संगठनों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लड़ाकू कार्यकर्ता और कांग्रेस के उग्रवादी तत्व एक जगह इकट्ठा हो गये थे। पहली मजदूर-किसान पार्टी फ़रवरी १९२६ में बंगाल में बनी; फिर बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी इस तरह की पार्टियां कायम हो गयीं। १९२८ में इन सबको मिलाकर अखिल भारतीय मजदूर-किसान पार्टी कायम की गयी, जिसका पहला अधिवेशन दिसम्बर १९२८ में हुआ। मजदूरों में जिस नयी जाग्रति के पहले चिन्ह १९२७ में प्रकट हुए थे, उसका राजनीतिक रूप इस संगठन के रूप में सामने आया, हालांकि शुरू-शुरू में वह बहुत सी उलझनों का शिकार बना रहा। इस संगठन से यह जाहिर होता था कि देश में कौन सी नयी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं।

१९२७ के बसन्त में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हुआ (जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य श्री शापुरजी शकलतवाला भी शामिल हुए)। इस अधिवेशन में, और इसी साल आगे चलकर कानपुर अधिवेशन में तो और भी स्पष्ट रूप में यह बात प्रकट हो गयी कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लड़ाकू नेताओं की चुनौती-भरी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। बहुत जल्द यह बात साफ हो गयी कि भारत की अधिकतर ट्रेड यूनियनों मजदूर वर्ग के इन नये नेताओं के साथ हैं, हालांकि ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्री कराने में लगनेवाली देरी के कारण बाकायदा तौर पर यह बात १९२९ तक नहीं मानी गयी। १९२७ में पहली बार बम्बई में मई दिवस मजदूरों के त्यौहार के रूप में मनाया गया। यह इस बात का चिन्ह था कि भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में एक ऐसे नये युग का आरम्भ हो रहा है, जब वह अन्तरराष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के एक सचेत अंग के रूप में काम करेगा।

१९२८ में मजदूर आन्दोलन ने जैसी प्रगति की और जैसी कार्यशीलता का परिचय दिया, वैसी लड़ाई के बाद के काल में कभी देखने में नहीं आयी थी। इस प्रगति का केन्द्र बम्बई था। पहली बार मजदूर वर्ग के ऐसे नेता सामने आये जिनका कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों से घनिष्ठ सम्पर्क था, जो वर्ग सपनों के सिद्धान्तों को मानकर चलते थे, और जो आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में एक अविभाज्य शक्ति की तरह काम करते थे। मजदूरों ने हृदय से इस नये नेतृत्व का स्वागत किया। फ़रवरी में साइमन कमिशन के आने पर जो राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन हुए, उनमें कुछ समय के लिए मजदूर वर्ग की राष्ट्रीय आन्दोलन में अग्रदल का स्थान मिल गया। कारण कि कांग्रेस के नेता और ट्रेड यूनियन आन्दोलन के मुखारवादी नेता दोनों ही इस प्रश्न पर नाक-भौं चमा रहे थे कि साइमन कमिशन के खिनाक होनेवाली हड़तालों और प्रदर्शनों में

१९३७ तक औद्योगिक भगडों में काम के कुल जितने दिनों का मुक़ाबला हुआ, यदि उसका हिसाब लगाया जाय तो मालूम होता है कि आधे से काफ़ी ज्यादा दिन अकेले कपडा मिलों में जाम हुए थे। इसी तरह यदि बम्बई में होनेवाले औद्योगिक भगडों को लिया जाय, तो मालूम होगा कि १९३७ तक आधे से ज्यादा दिन अकेले बम्बई के भगडों के थे।

सरकार बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यदि इस बढ़ते हुए मजदूर आन्दोलन ने, जिसकी संघर्ष करने की शक्ति पिछले वर्षों में प्रमाणित हो चुकी है, एक बार राजनीतिक चेतना प्राप्त कर ली और यदि उसे मजबूत संगठन और वर्ग-चेतन नेता मिल गये, तो साम्राज्यवाद का पूरा आधार खतरे में पड़ जायगा। यही कारण है कि इस दौरान में सरकार मजदूरों की हालत की जाब बराने के लिए बहुत सी कमिटियाँ और कमीशन नियुक्त कर चुकी है। सरकार के सामने सवाल यह था कि मजदूरों के आन्दोलन को किसी ऐसे रास्ते पर लगाने का क्या तरीका है जिससे साम्राज्यवाद के लिए कोई खतरा न रहे। या जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था, सरकार की समस्या यह थी कि "सही ढंग के ट्रेड यूनियन आन्दोलन" को कैसे बढ़ावा दिया जाय। साम्राज्यवादी देश के मुकाबले में औपनिवेशिक देश में यह काम ज्यादा कठिन होता है। १९२६ के ट्रेड यूनियन ऐक्ट का यही उद्देश्य था, जिसके द्वारा मजदूर यूनियनों की राजनीतिक कार्रवाइयों पर विशेष रूप से रोक लगा दी गयी थी। यही सोचकर सरकार इस बात से बड़ी चौकशी रहती थी कि मजदूर वर्ग में राजनीतिक जागरण के तो कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं।

फिर भी, इन सारी बाधाओं और गुरु के जमाने की उलझनों के बावजूद लड़ाई के बाद के वर्षों में भारत में धीरे-धीरे मजदूरों के राजनीतिक जागरण के प्रारम्भिक चिन्ह दिखाई देने लगे थे और समाजवादी तथा कम्युनिस्ट विचारों का प्रसार होने लगा था। अभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कमजोर थी; मगर उमका माहिल्य १९२० में ही भारत में लोगों तक पहुँचने लगा था। बम्बई में १९२४ से सोशलिस्ट ("समाजवादी") नाम की एक पत्रिका निकलने लगी थी, जिसके सम्पादक श्रीपाद प्रभूत डोगे थे, जो बाद में चलकर ट्रेड यूनियन कार्यों के महापुरु मंत्री और अध्यक्ष चुने गये। १९२४ में डोगे, मौलत उस्मानी, मुजफ्फर प्रहमद और दामयुक्ता—इन चार कम्युनिस्ट नेताओं पर बानपुर गढ़ाव बैंग चलाया गया। उम समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की गरफार थी। सागे नेताओं को चार-चार बरग की गजा मुना दी गयी। भारत के रात्रनीति मजदूर आन्दोलन की प्रगति-गोशा इस प्रकार प्रारम्भ हो गयी।

दमन में जागरण रोका नहीं जा गया। १९२६-२७ तक दमन में समाजवादी विचारों का व्यापक रूप में प्रचार हो गया था। मजदूर और किसान

पाटियों के रूप में मजदूर वर्ग के राजनीतिक और समाजवादी संगठन का एक नया प्रारम्भिक रूप देश में जगह-जगह दिखाई देने लगा था। इन संगठनों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लड़ाकू कार्यकर्ता और कांग्रेस के उग्रवादी तत्व एक जगह इकट्ठा हो गये थे। पहली मजदूर-किसान पार्टी फरवरी १९२६ में बंगाल में बनी; फिर बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी इस तरह की पार्टियां कायम हो गयीं। १९२८ में इन सबको मिलाकर अखिल भारतीय मजदूर-किसान पार्टी कायम की गयी, जिसका पहला अधिवेशन दिसम्बर १९२८ में हुआ। मजदूरों में जिस नयी जाग्रति के पहले चिन्ह १९२७ में प्रकट हुए थे, उसका राजनीतिक रूप इस संगठन के रूप में सामने आया, हालांकि शुरू-शुरू में वह बहुत सी उलझनों का शिकार बना रहा। इस संगठन से यह जाहिर होता था कि देश में कौन सी नयी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं।

१९२७ के वसन्त में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हुआ (जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य श्री शापुरजी शकलतवाला भी शामिल हुए)। इस अधिवेशन में, और इसी साल आगे चलकर कानपुर अधिवेशन में तो और भी स्पष्ट रूप में यह बात प्रकट हो गयी कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लड़ाकू नेताओं की चुनौती-भरी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। बहुत जल्द यह बात साफ हो गयी कि भारत की अधिकतर ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग के इन नये नेताओं के साथ हैं, हालांकि ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्री कराने में लगनेवाली देरी के कारण बाकायदा तौर पर यह बात १९२९ तक नहीं मानी गयी। १९२७ में पहली बार बम्बई में मई दिवस मजदूरों के त्यौहार के रूप में मनाया गया। यह इस बात का चिन्ह था कि भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में एक ऐसे नये युग का आरम्भ हो रहा है, जब वह अन्तरराष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के एक सचेत अंग के रूप में काम करेगा।

१९२८ में मजदूर आन्दोलन ने जैसी प्रगति की और जैसी कार्यशीलता का परिचय दिया, वैसी लड़ाई के बाद के काल में कभी देखने में नहीं आयी थी। इस प्रगति का केन्द्र बम्बई था। पहली बार मजदूर वर्ग के ऐसे नेता सामने आये जिनका कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों से घनिष्ठ सम्पर्क था, जो वर्ग सघर्ष के सिद्धान्तों को मानकर चलते थे, और जो आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में एक अविभाज्य शक्ति की तरह काम करते थे। मजदूरों ने हृदय से इन नये नेतृत्व का स्वागत किया। फरवरी में साइमन कमीशन के आने पर जो राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन हुए, उनसे कुछ समय के लिए मजदूर वर्ग की राष्ट्रीय आन्दोलन में अग्रदल का स्थान मिल गया। कारण कि कांग्रेस के नेता और ट्रेड यूनियन आन्दोलन के मुधारवादी नेता दोनों ही इस प्रस्ताव पर नाच-भों चढ़ रहे थे कि साइमन कमीशन के खिन्नाफ होनेवाली हड़तालों और प्रदर्शनों में

मजदूरों को भाग लेना चाहिए; और इस चीज में जो शानदार कामयाबी मिली, उसे देखकर वे एकदम चौंक पड़े। हड़ताल में भाग लेने के लिए बम्बई के बहुत से म्युनिसिपल मजदूरों को नौकरी से जवाब दे दिया गया। दोबारा हड़ताल करने पर ही उनकी नौकरी उन्हें वापिस मिली।

ट्रेड यूनियनों के संगठन का काम बड़ी तेजी से बढ़ चला। मरकारी आकड़ों के अनुसार बम्बई में ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की संख्या, जो १९२३ में ८८,६६६ थी और तीन साल में (यानी १९२६ तक) केवल ५६,५४४ तक ही बढ़ पायी थी, वह १९२७ में ७५,६०२ तक पहुँच गयी, मार्च १९२८ में यथायक ९५,३२१ हो गयी और मार्च १९२९ तक तो २००,३२५ पर पहुँच गयी। सब यूनियनों में आगे बम्बई के मिल मजदूरों का गिरनी कामगार यूनियन (लाल बायटा) था, जिसके सदस्यों की संख्या १९२८ के शुरू में केवल ३२४ थी, मगर सरकार के लेबर गवर्नमेंट में प्रकाशित आकड़ों के अनुसार, दिसम्बर १९२८ में ५६,००० और मार्च १९२९ तक ६५,००० हो गयी थी। इसी बीच बम्बई की पुरानी सूती मजदूर यूनियन, जो १९२६ में कायम हुई थी और जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मंत्री श्री एन. एम. जोशी के मुखारवादी नेतृत्व में काम कर रही थी, और जिस पर सरकार तथा मिल मालिक दोनों का बरदहस्त था, जहाँ की तहा पड़ी रही। अक्टूबर १९२८ में उसके ८,४३६ सदस्य थे, दिसम्बर १९२८ में केवल ६,७६६ रह गये। मजदूरों को कौन सी यूनियन पसन्द थी, यह बात बिलकुल साफ हो गयी। गिरनी कामगार यूनियन की शक्ति इस बात में थी कि अलग-अलग मिलों में उभरी मिल-कमिटियाँ थी और उनका मजदूरों के साथ बहुत नजदीक का सम्बन्ध रहता था।

१९२८ में जो हड़तालें हुईं उनमें ३ करोड़ १५ लाख काम के दिनों का नुकसान हुआ। पिछले पाँच साल में कुल मिलाकर भी इतने दिन जाम नहीं हुए थे। हालाँकि इस आन्दोलन का केन्द्र बम्बई की कपड़ा मिलों के मजदूर थे, मगर वैसे यह आन्दोलन समूचे देश में फैला हुआ था। १९२८ में जो २०३ औद्योगिक भग्ने हुए, उनमें से १११ बम्बई में हुए, ६० बंगाल में, ८ बिहार तथा उड़ीसा में, ७ मद्रास में और २ पंजाब में। इनमें से ११० भग्ने सूती और ऊनी कपड़े की मिलों में हुए थे, १९ जूट मिलों में, ११ इजीनियरिंग कारखानों में, ९ रेलवे व रेलवे वर्कशॉपों में और १ कोयले की खानों में। सबसे शानदार बम्बई में कपड़ा-मिलों की हड़ताल रही जिसमें बम्बई के मारे के मारे उपर्युक्त मजदूरों ने, जिसकी संख्या १५०,००० होती थी, छः महीने तक मरुत होकर सरकार के दर दरह के दबाव और टिगा का मुँहबन्ना दिया। उद्योग शुरू हुई रंगभेनाइजेशन और साडे ७ प्रतिशत तकगा तटोनी के मजदूरों को नेटर, बेनिन बाद में और बहुत सी माणों भी बुट गयी। मुखारवादी नेणों ने शुरू में उद्योग

का विरोध किया। श्री एन. एम. जोशी ने कहा कि हम लोगों की हैसियत "दर्शको" की है। लेकिन बाद को ये नेता भी आन्दोलन में खिच आये। जब हड़ताल तोड़ने की हुर्रे कोशिश नाकामयाब हो गयी, तो अन्त में सरकार ने फ़ौसेट कमिटी तैनात करने का ऐलान किया। इस कमिटी ने यह कटौती वापिस ले ली और मजदूरों की कुछ अन्य मागों को भी पूरा कर दिया।

इस प्रकार, १९२६ के आरम्भ होते-होते एक नाजुक हालत पैदा हो गयी थी। मजदूर आन्दोलन आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में सबसे आगे-आगे चल रहा था। पुराने मुधारवादी नेता रास्ते से हटाये जा रहे थे। १९२७-२८ में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत आया। साम्राज्यवाद को उससे बड़ी आशाएं थी (लन्दन के टाइम्स ने १४ जून, १९२८ को लिखा था कि "ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भारत के मजदूरों की हालत में जो दिलचस्पी लेनी शुरू की है, वह बहुत फायदेमन्द साबित हो सकती है, यदि उससे भारत की मजदूर यूनियनों का संगठन सुधर जाय और कम्युनिस्ट उनसे निकाल दिये जाय।")। लेकिन सरकार की आना पूरी नहीं हुई। प्रतिनिधि-मंडल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का योरप की मुधारवादी ट्रेड यूनियन इंटर-नेशनल से सम्बंध स्थापित कराने में असफल रहा। सरकार की घबराहट छिपी नहीं। जनवरी १९२६ में लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने भाषण करते हुए वायसराय लार्ड इरविन ने कहा कि "कम्युनिस्ट विचाराधारा के प्रचार से बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो रही है," और ऐलान किया कि सरकार इसे रोकने के उपाय करेगी। "१९२८-२९ में भारत" शीर्षक सालाना सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि "कम्युनिस्टों के प्रचार और प्रभाव से, खास तौर पर कुछ बड़े-बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच उनके प्रचार और प्रभाव से, अधिकारियों को बहुत चिन्ता हुई।" इंग्लैंड के उदारपथियों ने भी यही राग भलापा। अगस्त १९२६ में मंचेस्टर गाजियन ने लिखा : "पिछले दो वर्षों के अनुभव ने दिखा दिया है कि फ़्रेंच-बुरे का कोई खयाल न करनेवाले कम्युनिस्टों के फन्दे में बड़े-बड़े फ़ैक्ट्रों के औद्योगिक मजदूर बहुत जल्दी फंस जाते हैं।" भारत के राष्ट्रवादी प्रसवारी ने भी मुर में मुर मिलाया। मई १९२६ में बम्बे पॉनिकल ने लिखा : "देश में आजकल समाजवाद का वातावरण है। कुछ महीनों से भारत में विभिन्न सभा-सम्मेलनों, और खास तौर पर किसानों और मजदूरों के सम्मेलनों द्वारा समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार हो रहा है।" मुधारवादी नेता अपने पैरों तले की जमीन खिसकते महसूस कर रहे थे। उन्होंने माग की कि अब कम्युनिस्टों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री शिव राव ने मई १९२८ में ही कह दिया था कि "अब बक्त घा गया है जब भारत के ट्रेड यूनियन आन्दोलन

को अपने संगठन में से शरारती लोगों को निकाल देना चाहिए। यह चेतावनी देना इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि कुछ लोग हड़ताल की गीता मजदूरों को पढ़ाते फिरते रहे हैं।”

१९२९ में सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू की और बढ़ते हुए मजदूर आन्दोलन को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। सितम्बर १९२८ में सरकार ने एक पब्लिक सेप्टी (सार्वजनिक सुरक्षा) बिल प्रसेम्बली में पेश किया था। उसका उद्देश्य सरकारी तौर पर “भारत में कम्युनिस्टों की कार्रवाइयों को रोकना” बताया गया था। लेकिन लेजिस्लेटिव प्रसेम्बली ने उसे पास नहीं किया। तब १९२९ के बसन्त में वायसराय ने एक विशेष आर्डिनैस के रूप में उसे लागू कर दिया। फिर मजदूरों की हालत की जांच करने के लिए व्हिटले कमिशन नियुक्त किया गया। मजदूरों और मालिकों के झगड़ों को समझौते के द्वारा सुलझाने की व्यवस्था करने के लिए, दूसरों की हमदर्दी में हड़ताल करने पर बन्दिश लगाने के लिए, और सार्वजनिक आवश्यकता के घंटों में हड़ताल के अधिकार को सीमित करने के लिए एक ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट (औद्योगिक झगड़ों का कानून) बनाया गया। बम्बई में दंगा जाच-समिति बंठायी गयी, जिसने सिफारिश की कि “बम्बई में कम्युनिस्टों की कार्रवाइयों को रोकने के लिए सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए।” इस समिति ने यह सवाल भी उठाया कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट में इस तरह का कोई संशोधन क्यों न किया जाय जिससे “रजिस्टरी-मुदा ट्रेड यूनियनों में कम्युनिस्टों को कोई पद न मिलने पाये।”

५. मेरठ का मुकदमा

मार्च १९२९ में सरकार ने अपना मुख्य प्रसन्न चलाया। सारे भारत में मजदूर आन्दोलन के ग्राम-ग्राम सक्रिय नेता पकड़े लिये गये और उन्हें मुकदमे के लिए औद्योगिक केन्द्रों से दूर मेरठ नामक एक छोटे से शहर में लाया गया। यह इतिहास के सबसे लम्बे और सबसे विचित्र सरकारी मुकदमों में गिना जाता है।

शुरू में इकतीस नेता पकड़े गये थे। बाद में एक घादमी और जुड़ गया। इन सबके नामों की यहाँ उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि प्रागे चलकर चाहे इन लोगों की भूमिका और कार्रवाइया कसो भी क्यों न रही हों, इतिहास की दृष्टि से वे भारत के मजदूर आन्दोलन के जन्मदाता हैं और उनमें से बहुत से प्राग भी भारतीय मजदूर वर्ग के सबसे अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। इन लोगों के नाम इस प्रकार थे :

एस. ए. डागे
 किशोरीलाल घोष
 डी. आर. ठेंगरी
 एस. वी. पाटे
 के. एन. जोगलेकर
 एस. एच. भाववाला
 शौकत उस्मानी
 मुजफ्फर अहमद
 फिलिप स्ट्रैट
 बी. एफ. ब्रैंडले
 एस. एस. मिरजकर
 पी. सी. जोशी
 ए. ए. आलवे
 जी. आर. कासले
 गोपाल बसक
 धर्मवीर सिंह

जी. एम. अधिकारी
 एम. ए. मजोद
 आर. एस. निम्बकर
 विश्वनाथ मुकर्जी
 केदारनाथ सहगल
 राधारमन मैत्र
 धरनी गोस्वामी
 गौरीगकर
 शिवनाथ बनर्जी
 गम्मुल हुदा
 गोपेन्द्र चक्रवर्ती
 मोहनमिह जोश
 एम. जी. देसाई
 अयोध्या प्रसाद
 लक्ष्मणराव कदम

बत्तीसवें अभियुक्त, जो बाद में गिरफ्तार किये गये, लेस्टर हर्चमन नामक एक अग्रज थे, जिन्होंने गिरफ्तारियों के बाद न्यू स्पार्क पत्र के सम्पादन का भार संभाला था। इनको भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया।

अभियुक्तों में तीन अग्रज थे। इंग्लैंड के मजदूर आन्दोलन के ये तीन प्रतिनिधि जब भारतीय मजदूरों के साथ अदालत के कटपरे में खड़े हुए और बाद को उनके साथ कैद काटने गये, तो दुनिया ने मजदूर वर्ग की अन्तरराष्ट्रीय एकता का एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, जिसने पुरानी दीवारों को तोड़ दिया और जो ब्रिटेन तथा भारत की जनता के भविष्य के भाईचारे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग-चिह्न बन गया।

भारत के मजदूर आन्दोलन के बन्दी नेताओं ने जेल और अदालत में अपने व्यवहार से यह बात प्रमाणित कर दी कि भारत का मजदूर आन्दोलन हालांकि अभी सगठन की प्रारम्भिक अवस्था में ही है, मगर फिर भी उसने इस बात की पूर्ण चेतना प्राप्त कर ली है कि उसे कमी गोरवपूर्ण-भूमिका भेदा करनी है। अभियुक्तों ने अदालत में जो भाषण दिये, वे भारतीय मजदूर आन्दोलन की सबसे अधिक मूल्यवान दस्तावेजों में गिने जाते हैं। उनमें एक नये भाग के दर्शन होते हैं।

इन मुद्दने में भारत के मजदूर आन्दोलन की जो भूमिका रही, यह अन्तरराष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुकूल थी। उनमें

उन लोगों को सदा प्रेरणा मिलती रहेगी जिनके कंधों पर अब भारत में सर्वहारा और समाजवाद के झंडे को लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आ पड़ी है।

सरकार ने साढ़े तीन साल तक मुकदमे को खींचा। ये चार साल भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक साल थे। इस अरसे में मजदूर वर्ग के सर्वोत्तम नेता जेलों में बन्द रहे। सरकार भी यह बात मानती थी कि अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए वह उनके किसी काम का हवाला नहीं दे सकती थी। हाईकोर्ट के जज ने फ्रंसले में कहा था :

“यह बात स्वीकार की गयी है कि तथ्यांकित पड़यंत्र की उद्देश्य-सिद्धि के लिए कोई गैर-कानूनी काम करने का आरोप अभियुक्तों पर नहीं लगाया गया है।”

सरकारी वकील ने कहा था :

“अभियुक्तों पर यह इलजाम नहीं लगाया गया है कि वे कम्युनिस्ट विचार रखते हैं। बल्कि, उन पर तो यह इलजाम लगाया गया है कि उन्होंने भारत में बादशाह के सर्वोच्च अधिकार को खतम करने के लिए पड़यंत्र रचा है। मुकदमे के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि अभियुक्तों ने सचमुच कोई चीज की है। उसके लिए तो महज पड़यंत्र साबित कर देना ही काफी है।”

“पड़यंत्र” कही कुछ न था। अभियुक्त अपने समाजवादी सिद्धान्तों की गुलेमाम घोषणा और प्रचार करते थे। मजदूरों के संगठन का काम भी बिलकुल मुला हुआ काम था। “मुजरिमाना बल प्रयोग” की कही कोई बात न थी। वे जो कुछ करते थे, वह था मजदूर आन्दोलन का संगठन और उसका नेतृत्व।

पसली आरोप अभियोग-पत्र से ही साफ़ हो गया। उसमें कहा गया था कि अभियुक्त “पूजी और भ्रम का विरोध बढ़ाते हैं,” “मजदूर-किसान पार्टियाँ, मूय लीग, और यूनियनों, आदि बनाते हैं,” और “हड़तालों को बढ़ावा देते हैं।” सत्र में जो गवाहियाँ पेश की गयीं, उनका भी पूरा जोर इन्हीं कामों पर, और साम तौर पर ट्रेड यूनियन के कामों पर था। एक अभियुक्त बंगाल के दूध मजदूरों की यूनियन का मंत्री था। उसका जिक्र करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि वह “पड़यंत्र में उम वक्त से शामिल हुआ जब कि उसने कनकूते के भगियों की हड़ताल में भाग लिया।” दस मुकदमे के पीछे सरकार का मसग़े बड़ा उद्देश्य बना था, यह जज के नब्बे में प्रकट हो गया :

“शाब्द इसमें खास गम्भीर बात यह है कि बम्बई के मजदूर इन लोगों के धर में आ गये हैं। इनका प्रमाण १९२८ की हड़ताल और गिरनी कामगार यूनियन की प्राणितारों नीति है।”

भारत के बढ़ते हुए मजदूर आन्दोलन को रोकने के लिए इस मुकदमे का वही महत्व था जो ब्रिटिश मजदूर आन्दोलन के इतिहास में सी वर्प पुराने डोरचेस्टर के मजदूरों के मुकदमे का था। और यह मुकदमा लेबर पार्टी की सरकार के रहते हुए चलाया गया था और लेबर सरकार ने उसकी "पूरी जिम्मेदारी" अपने ऊपर ली थी। (१९२६ में ब्राइटन में लेबर पार्टी का सम्मेलन हुआ था; उसमें डॉ. ड्रमंड शील्स ने कहा था: "हम पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेते हैं; भारत मंत्री पूरी शक्ति से भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं।") २५ जून, १९२६ को डेली हेराल्ड ने कहा था: "कानून की मशीन को तो चलना ही चाहिए।" भारत की ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मेरठ के मुकदमे के सिलसिले में ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अपील की थी। उसके जवाब में सर वाल्टर सिट्टीन ने १ अक्टूबर, १९२६ को लिखा था: "मुकदमे की कार्रवाई जितनी जल्द हो सके, पूरी हो जानी चाहिए। अभियुक्तों पर जो जुर्म लगाया गया है, वह एक राजनीतिक जुर्म है। जनरल काउंसिल की राय में इस जुर्म से भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन का कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं है।" बाद को जब मुकदमा खतम हो गया और लेबर पार्टी की सरकार नहीं रही, तब १९३३ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस और लेबर पार्टी की संयुक्त राष्ट्रीय समिति ने एक पुस्तिका प्रकाशित की और उसमें कहा कि "गुरु से धाखीर तक मुकदमे की पूरी कार्रवाई इस तरह चलायी गयी जिसका एक क्षण के लिए भी समर्थन नहीं किया जा सकता और जो कानून का गला घोटने के समान थी।"

जनवरी १९३३ में बंबई सजाएं सुना दी गयी: मुखपफर अहमद को आठ साल का कालापानी; डागे, घाटे, जोगलेकर, निम्बकर और स्ट्रॉट को बारह साल का कालापानी; अंडले, मिरजकर और उस्मानी को दस साल का कालापानी; और इसी तरह की और सजाएं दी गयी थीं। सबसे कम सजा ३ साल की थी। पर जब सारी दुनिया में इन सजाओं के खिलाफ आन्दोलन हुआ, तो अपील में सजाएं काफी घटा दी गयी।

६. मेरठ के बाद मजदूर आन्दोलन का पुनर्गठन

मेरठ की गिरफ्तारियों के बाद कुछ साल तक भारत के मजदूर आन्दोलन को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि, जैसा कि हर ऐसी घटना का नतीजा होना है, मेरठ के मुकदमे ने भी आन्दोलन की भावी शक्ति और विजय के बीज बोये। मगर उन समय तो इन गिरफ्तारियों ने आन्दोलन को सत्त धक्का ही लगा।

उस वक्त भारत का मजदूर वर्ग अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में था। वह इस हालत में नहीं था कि जो नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे, उनके अभाव को प्रासानी से पूरा कर लेता। ये अर्ध-संकट के वर्ष थे। इस काल में जो हड़तालें हुईं, उनमें बार-बार मजदूरों की करारी हार हुई। फिर राष्ट्रीय आन्दोलन का नाजुक जनाना भाया। उसमें मजदूर वर्ग की राजनीतिक भूमिका कमजोर पड़ गयी — साम्राज्यवाद आखिर यही तो चाहता था।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन को भी अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछले दो वर्षों में सगठन के व्यावहारिक काम और अपनी बढ़ी हुई शक्ति के बल पर गरम दल ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अन्दर जो संघर्ष आरम्भ किया था, वह आखिर १९२६ के अन्त में नागपुर अधिवेशन में सफल हुआ और ट्रेड यूनियन कांग्रेस में उसका बहुमत हो गया। पुराने सुधारवादी नेता अल्पमत में रह गये। उन्होंने बहुमत के जनवादी फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फूट डाल दी। सुधारवादी नेता अपने पीछे चलने वाले यूनियनों को लेकर ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने अपना एक अलग ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन बना लिया। सर्वश्री एन. एम. जोशी, शिव राव, गिरि, दीवान चमनलाल, आदि के नाम से एक बयान प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया था : "अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी की कार्यवाही में यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उसके अधिकतर सदस्य कांग्रेस को ऐसी नीति पर चलाना चाहते हैं जिससे हमारा कर्तई मतभेद है। हमें इन बातों में मन्देह नहीं है कि कांग्रेस का बहुमत उनके साथ है। ऐसी परिस्थिति में हम फूट देना चाहते हैं कि कार्यकारिणी के प्रस्तावों में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है और हम यह भी महसूस करते हैं कि कांग्रेस की कार्यवाही में अब आगे हिम्मा लेने से कोई फायदा न होगा।"

परन्तु अब जिन गरमदली नेताओं के हाथों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बागडोर घा गयी थी, उनमें एकता या सहयोग नहीं था। उनमें तरह-तरह के लोग थे, और कुछ समय बाद मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका के प्रश्न पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फिर फूट पड़ गयी। कम्युनिस्ट दल का मत था कि मजदूर वर्ग की राजनीतिक भूमिका स्वतंत्र होनी चाहिए। उनमें अनेक अनेक साल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना ली।

इस दोहरी फूट में ट्रेड यूनियन आन्दोलन बहुत कमजोर हो गया। लेकिन मजदूर अलग-अलग हड़तालों करते रहे। वे न केवल आर्थिक मांगों के लिए, बल्कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को निरुत्तरे के खिलाफ भी मड़ने रहे। इन प्रकार उन्होंने सगठन के जनवादी अधिकार के लिए संघर्ष किया। १९२६ में १५१ हड़तालें हुई थीं। १९३० में १४८ हड़तालें हुईं और १९३१ में १५५।

हर साल १ लाख से ज्यादा मजदूरों ने हड़तालों में भाग लिया। इन संघर्षों का नेतृत्व लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने किया। १९३३ तक सरकार को खिसियाकर यह मानना पड़ा कि मेरठ के बन्दी नेता हालांकि सब भी जेल में हैं, फिर भी कम्युनिस्ट "खतरा बना हुआ है और पहले से बढ़ गया है।" (भारत, १९३२-३३)

इन भ्रम-भ्रमण हड़तालों से १९३४ की बड़ी लहर के लिए आधार तैयार हो गया। यह बड़ी लड़ाई मिल-मालिकों की "रेशनसाइजेशन" योजना के खिलाफ लड़ी गयी, जो वास्तव में काम की तीव्रता को बढ़ाने और मजदूरों का और कसकर दोपण करने की योजना थी। हड़तालों की इस लहर की तेजी बफलाव का पता इससे लगता है कि १९३३ में जहाँ १४६ हड़तालें हुई थी, और उनमें सिर्फ १६४,६३८ मजदूरों ने भाग लिया था और कुल २,१६८,६६१ काम के दिन जाम हुए थे, वहाँ १९३४ में १५६ हड़तालें हुईं और उनमें २२०,८०८ मजदूरों ने भाग लिया और ४,७७५,५५६ काम के दिन जाम हुए। यानी, १९३४ में १९३३ के मुकाबले दुगुने काम के दिन जाम हुए। भयानक दमन के बावजूद कपड़ा मजदूरों की भ्रमण हड़ताल बम्बई में अप्रैल से जून तक चली और शोलापुर में फरवरी से मई तक। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि मजदूर वर्ग ने अपनी बिलखी हुई शक्ति को फिर से बटोर लिया था, अपनी एकता कायम कर ली थी, और लड़ाकू नेताओं की एक नयी पीढ़ी को जन्म दिया था।

सरकार ने फिर वार किया। एक संकट-कालीन अधिकार-घाड़िनस जारी कर दिया गया और कम्युनिस्ट नेता तथा ट्रेड यूनियन नेताओं को बिना मुकदमा पकड़कर नजरबन्द कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी और कानूनी करार दे दी गयी। एक दर्जन से ज्यादा रजिस्टरी-मुदा ट्रेड यूनियनों को भी और कानूनी करार दे दिया गया। यह बर्कस सोग (नौजवान मजदूर सभा) पर रोक लगा दी गयी। मजदूर वर्ग के लड़ाकू तथा क्रान्तिकारी संगठन को कुचलने के लिए बन्दूकों का इस्तेमाल किया गया।

इस जबर्दस्त संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि मजदूर संगठनों में फिर से एकता कायम करने का विचार पैदा हुआ। १९३५ में दोनों ही ट्रेड यूनियनों फिर से एक हो गयीं, और प्रखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्वागता-प्यक्ष एस. एच. आबवाला ने मई १९३६ में बम्बई में हुए पन्द्रहवें अधिवेशन के सामने अपने भाषण में कहा :

"मैं बिना किसी प्रतिपाद्योक्ति के डर के अपने व्यक्तिगत अनुभव में कह सकता हूँ कि कम्युनिस्टों के साथ काम करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और उनमें मुझे मजदूरों के रोडमार्च के हितों तथा एकता के लिए सबसे बटकर लड़नेवाले कुछ सोग मिले हैं।"

इस अधिवेशन के मंच से राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सुधारवादी नेताओं से अपील की गयी कि उन्हें मजदूरों के केन्द्रीय नेतृत्व में एकता स्थापित करने के लिए रजामन्द हो जाना चाहिए, क्योंकि मालिकों और सरकार ने मजदूरों पर जो हमला शुरू किया है, उसे "मजदूर वर्ग का एक देशव्यापी जवाबी हमला ही रोक सकता है।" ट्रेड यूनियन फेडरेशन नेताओं को विश्वास दिलाया गया कि एकता के लिए उनकी तमाम शर्तें मान ली जायगी, बसर्तें कि वे दो बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार कर लें। एक यह सिद्धान्त कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन का आधार वर्ग संघर्ष है, और दूसरा यह कि ट्रेड यूनियनों के अन्दर जनवाद होना चाहिए। फेडरेशन के नेताओं ने तुरन्त संगठनात्मक एकता हो जाने का विरोध किया। इसलिए १९३६ में एक संयुक्त बोर्ड बनाया गया और १९३८ में ही नागपुर अधिवेशन के समय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस की प्रबंध समिति में दोनों हिस्सों को बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। एक बार फिर ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के पूरे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को एकजुट करनेवाला संगठन बन गया। केवल अहमदाबाद का लेबर एसोसियेशन (मजूर महाजन) उसके बाहर रहा, जो गांधीवादी प्रेरणा से चल रहा था।

राजनीतिक क्षेत्र में भी नयी घटनाएं हुईं। मेरठ के बाद मजदूर-किसान पार्टियां तसवीर से गायब हो गयीं। इन पार्टियों का दो-वर्गी रूप था; वे विकास की एक परिवर्तन-कालीन अवस्था में तो कुछ-कुछ काम दे सकती थीं, मगर वे मजदूर वर्ग के राजनीतिक संगठन का कोई पक्का आधार नहीं बन सकती थीं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी १९३४ में गैर-कानूनी करार दे दी गयी थी, मगर फिर भी इस तरह की कार्रवाइयों ने समाजवादी और कम्युनिस्ट प्रभाव का बढ़ना और मानववादी विचारों का प्रचार नहीं रखा था। १९३०-३४ का सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द हो जाने के बाद इन विचारों को नया बल मिला, क्योंकि बहुत से युवा राष्ट्रवादी उस संघर्ष में सबक सीखने लगे।

१९३४ में वापसही राष्ट्रवादी युवकों के एक दल ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनायी। यह दल इस काल में धार्मिक रूप में मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव में आ गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की विनोदता यह थी कि उनके सदस्य केवल वे ही लोग हो सकते थे, जो कांग्रेस के मेम्बर थे। इन प्रकार यह पार्टी कांग्रेस का एक घंग धी और आधारण वर्गों को बड़ी संख्या में उमका मेम्बर बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। पार्टी के सदस्यों में कुछ प्रगतिशील लोग भी थे। मगर उनके इरादे चाहे जो कुछ रहे हों, पार्टी का कार्यक्रम और विधान ऐसा था कि मजदूर आन्दोलन तांत्रिकों और पर कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन

हो जाता था और उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती थी; और व्यवहार में इसका मतलब यह था कि मजदूर भ्रान्दोलन पूर्जापति वर्ग के अधीन हो जाता था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यह असंगति उसके जन्म से ही उसमें पैदा हो गयी थी और उसका सम्पूर्ण इतिहास इसका प्रमाण है। मजदूरों के सघर्ष के हर नाजुक अवसर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भूमिका से यह असंगति प्रकट हुई। यह विरोध इस बात में भी प्रकट हुआ कि पार्टी के वामपक्ष और दक्षिण पक्ष के बीच बराबर सघर्ष चलता रहा। वामपक्ष कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर वर्ग के तत्वों से सहयोग करना चाहता था; और प्रतिक्रियावादी दक्षिणपक्ष, जिसका कांग्रेस समाजवादी पार्टी में जोर था, कम्युनिस्ट पार्टी का तथा मजदूर वर्ग की हर प्रकार की स्वतंत्र कार्यवाही का विरोधी था।

७. दूसरे महायुद्ध के पहले का उभार

चुनाव में कांग्रेस की जीत तथा प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के क्रियम होने के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों के काम में एक नया उभार आया, जिसके परिणाम-स्वरूप १९३७-३८ में हड़तालों की एक बड़ी लहर देश में उठी। युद्ध-सामग्री तैयार करने के लिए पूंजीवादी देशों में जो होड़ लगी थी, उसकी वजह से पूंजीवाद में अस्थायी रूप से फिर धोड़ी जान पड़ गयी थी और इसके परिणाम-स्वरूप सारी दुनिया में हड़तालों की एक बड़ी लहर आयी थी। भारत की ये हड़तालें उस संसारव्यापी लहर की ही एक भंग थी।

ट्रेड यूनियन भ्रान्दोलन बड़ी तेजी से फैला। अनेक नयी यूनियनें बनीं। यहां तक कि मौसमी कारखानों और असंगठित उद्योगों के मजदूर भी भ्रान्दोलन में लिच आये। १९२८ में रजिस्टरी-मुदा यूनियनों की संख्या केवल २६ थी; १९२९ में वह ७५ हो गयी, और १९३४ में १६१। लेकिन १९३८ तक वह संख्या २६६ पर पहुंच गयी, और यूनियनों के सदस्यों की संख्या २६१,००० हो गयी। वास्तव में, ये ट्रेड यूनियन संगठन मजदूरों की इससे बहुत बड़ी संख्या को मैदान में उतार सकते थे।

१९३७ में हड़तालों की संख्या ३७६ पर पहुंच गयी। १९२१ के बाद से अभी तक किसी वर्ष इतनी हड़तालें नहीं हुई थी, और १९२१ में भी इतने केवल १७ हड़तालें ज्यादा हुई थी। इन हड़तालों में ६४७,८०१ मजदूरों ने हिस्सा लिया। इससे अधिक संख्या में मजदूरों ने हड़तालों में कभी हिस्सा नहीं लिया था। और उस एक ट्रेड यूनियनों के जितने सदस्य थे, उनसे तो यह संख्या तिगुनी थी। इन हड़तालों में कुल मिलाकर ८,६८२,००० काम के दिन खाम हुए। १९२६ के बाद से कभी इतने दिन हड़तालों में नहीं खाम हुए थे।

मिली-जुली यूनियन की सदस्य-संख्या २०,००० से भी आगे निकल गयी। बी. वी. एंड सी. आई., एम. एंड एस. एम. और साउथ इंडियन रेलवे पर भी यही बात देखने में आयी। लडाकू ट्रेड यूनियन आन्दोलन के बढ़ते हुए छतरे का मुकाबला करने के लिए रेलवे अधिकारियों ने क्या-क्या दांवपेच चले, इसकी एक मिसाल यह है कि उन्होंने बी. वी. एंड सी. आई. रेलवे की सुधारवादी यूनियन से कहा कि "जब तक श्री जमनादास मेहता का उस यूनियन से सम्बन्ध रहेगा और जब तक कम्युनिस्टों को उससे बाहर रखा जायगा," तब तक उसे रेलवे से मान्यता मिली रहेगी। लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन चूकि मिलकर एक हो गये, और चूकि रेलवे मजदूरों में एक ही लाइन पर काम करनेवाली अलग-अलग यूनियनों को मिलाकर एक करने की जबदस्त इच्छा काम कर रही थी, इसलिए फूट डालने की इस तरह की चालें चल नहीं पायी।

३० अक्टूबर, १९३८ को ट्रेड यूनियन कांग्रेस की वर्षगांठ थी। उस रोज उसकी सदस्य संख्या ३२५,००० थी। मजदूर वर्ग साम्राज्यवादी कुकर्मों के विरोध में और राष्ट्रीय मांगों के समर्थन में जबदस्त राजनीतिक प्रदर्शन और हड़तालें करने लगा था। साम्राज्यवादी दमन का वह दिन-रात डटकर मुकाबला कर रहा था। इसलिए सभी लोग यह समझने लगे थे कि वह साम्राज्य-विरोधी शक्तियों का एक मजबूत और संगठित घग है।

इन सब घटनाओं के साथ-साथ और उनके कारण, राष्ट्रीय आन्दोलन के घन्दर मजदूर आन्दोलन की राजनीतिक भूमिका और प्रभाव महसूस होने लगा था। कम्युनिस्ट पार्टी पर लगी हुई रोक को हटवाने के लिए उग्रवादी कांग्रेस-जनों के नेतृत्व में एक व्यापक आन्दोलन चला जिसका अनेक ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया। कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के बन जाने पर देश को पहले से अधिक नागरिक स्वतंत्रता मिली थी। उससे यह सम्भव हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी पर कानूनी रोक लगी रहने के बावजूद वह नेशनल फ्रंट नामक अपनी धरती और फ्रान्ति नामक मराठी साप्ताहिक पत्र बम्बई में निकालने लगी। बम्बई के अधिकतर मजदूरों की भाषा मराठी है। इन पत्रों में साम्राज्यवाद के खिलाफ तथा फासिज्म के बढ़ते हुए छतरे के खिलाफ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के विचार का प्रचार करने में बहुत मदद मिली। ये आचार मजदूरों, किसानों तथा रियासती प्रजा के सपनों का जनता के हृदय हिलने में प्रचार करते थे और उनके लिए जनता का समर्थन-प्राप्त करने की कोशिश करते थे। कम्युनिस्ट विभिन्न कांग्रेस कमिटियों के महत्वपूर्ण पदों पर चुन लिये गये। कांग्रेस की सचिव जगो चुनी हुई कमिनि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी में २० कम्युनिस्ट थे। कांग्रेस के दक्षिण-पश्चिमी नेताओं की समन्वयवादी नीति में मदद के लिए

कम्युनिस्टों तथा कांग्रेस समाजवादियों के बीच वामपक्षी एकता स्थापित करने की बार-बार कोशिश की गयी; मगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के प्रतिक्रियावादी हिस्से ने इन कोशिशों का जबर्दस्त विरोध किया, जिससे इस काम में केवल सीमित सफलता ही मिल पायी ।

८. दूसरे महायुद्ध के काल में मजदूर वर्ग

सितम्बर, १९३९ में दूसरा महायुद्ध छिड़ जाने पर भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन तथा भारतीय मजदूर वर्ग के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय का श्रीगणेश हुआ ।

जब कि राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता-गण अभी टालमटोल करने में ही लगे हुए थे, सबसे पहले मजदूर वर्ग ने साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ लड़ाई का विद्युल बजाया । २ अक्टूबर, १९३९ को साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध में बम्बई के ६०,००० मजदूरों ने हड़ताल की । यह दुनिया की पहली युद्ध-विरोधी मजदूर हड़ताल थी । मजदूर वर्ग, जो अभी तक भारत की साम्राज्य-विरोधी शक्तियों का एक मजबूत और संगठित अंग था, अब इन शक्तियों के अग्रदल के रूप में सामने आ रहा था ।

लड़ाई के कारण रहन-सहन का खर्चा बहुत बढ़ गया, लेकिन मजूरी में उतनी बढ़ती नहीं हुई । भारत सरकार के सलाहकार डॉ. टी. ई. प्रेगरी ने भी यह बात मानी जब उन्होंने कहा कि यदि सितम्बर १९३९ के दामों को १०० मान लिया जाय, तो दिसम्बर तक "प्राथमिक चीजों के दामों का सूचक संक १३७ तक पहुंच गया था ।"

युद्ध के इस भयानक आर्थिक बोझे के खिलाफ मजदूर वर्ग ने ५ मार्च, १९४० को तब संपर्क का श्रीगणेश किया, जब कि बम्बई के १७५,००० कपड़ा मजदूरों ने मंहगाई भत्ता पाने के लिए हड़ताल शुरू की । हड़ताल मुकम्मिल थी और नेताओं की घाम गिरफ्तारी तथा पुलिस के भयानक दमन के बावजूद, जो मजदूरों के घरों में घुम-घुमकर उनको पीटती घूमती थी, हड़ताल ४० दिनों तक चली । ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने हड़ताली कपड़ा मजदूरों के समर्थन में १० मार्च को घाम हड़ताल करने की घोषणा की । हम हड़ताल में सभी उद्योगों के साथे तीन लाख मजदूरों ने भाग लेकर अपने भाईचारे का प्रदर्शन किया ।

बम्बई की इन हड़तालों ने मारे देस में हड़तालों का ताता शुरू कर दिया । कानपुर में २०,००० कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की; कनकत में २०,००० म्युनिसिपल मजदूरों ने, बंगाल और बिहार में जूट मजदूरों ने, घागान में डिगबोई की तेल की खानों में काम करनेवाले मजदूरों ने, धनबाद और झरिया

में कोयला खानों में काम करनेवाले मजदूरों ने, जमशेदपुर में लोहे और इस्पात के कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल की। और भी बहुत से उद्योगों में मजदूरों ने महंगाई भत्ता पाने के लिए हड़तालों की। यह बात साफ़ थी कि पूरा मजदूर-आन्दोलन इस माग के लिए लड़ रहा था।

सरकार ने एक बार फिर हमला किया। नेशनल फ्रंट तथा क्रान्ति पर रोक लगा दी गयी। भारत रक्षा आर्डिनेंस के दमनकारी क़ानून जारी कर दिये गये। देश भर में कम्युनिस्ट तथा अन्य वामपथी कार्यकर्ताओं को चुन-चुनकर पकड़ लिया गया। और जनवरी १९४१ में सरकार के गृह-सदस्य रेजिनेल्ड मैक्सवेल ने ऐलान किया कि इस समय ७०० आदमी जेलों में बिना मुकदमा नज़रबन्द हैं और "उनमें से लगभग ४०० व्यक्ति बिना किसी अपवाद के या तो जाने-माने कम्युनिस्ट हैं या हिंसक जन-क्रान्ति के कम्युनिस्ट कार्यक्रम के सक्रिय समर्थक हैं।" इनके अलावा ६,४६६ व्यक्तियों को विभिन्न दफ़ाओं में सजा हो चुकी थी और १,६६४ के आने-जाने पर बन्दिशें लगा दी गयी थी; या उन्हें कुछ खास इलाकों में निर्वासित कर दिया गया था, या कुछ खास स्थानों में नज़रबन्द कर दिया गया था।

एक तरफ़ सरकार कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला कर रही थी। दूसरी तरफ़, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कम्युनिस्टों के खिलाफ़ जिहाद छेड़ रखा था और अपनी पार्टी के तमाम ऐसे सदस्यों को निकाल बाहर किया था जिन पर कम्युनिस्ट होने का या कम्युनिज़म से सहानुभूति रखने का शक़ था। निकालने के लिए दलील यह दी गयी कि ये लोग अहिंसा का गांधीवादी सिद्धान्त नहीं मानते। "कुछ गैर-जिम्मेदार लोग हैं... जो बिना सोचे-समझे हिंसा की भावना को बढ़ावा देते हैं... लेकिन गांधी जी जानते थे कि हम सदा शान्ति-पूर्ण एवं सुव्यवस्थित जन-संघर्ष पर जोर देने थे।" (कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्यों के नाम पार्टी के प्रधान मंत्री जयप्रकाश नारायण का ग़स्ती पत्र)। इस काल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अधिष्ठाता लड़ाकू सदस्य उमेश चोड़कर गैर-कानूनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये, क्योंकि उनमें समाजवादी पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ़ घोर अगतोष था, जिन्होंने इस प्रकार अंगे संपर्क का माध्यम त्याग दिया था और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धान्त के मामने आत्म-समर्पण कर दिया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी मुख्यतया केवल नेताओं की पार्टी रह गयी जिनके पास न तो कोई जन-संगठन था और न ही जिनका मजदूर-जग में कोई वास्तविक आधार था।

सरकार का हमला कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन तोड़ने का उसकी शक्तिशाली भूमिका को लक्ष्य कर देने में कामयाब नहीं हुआ। पार्टी के लगभग सभी नेता पकड़ लिये गये, फिर भी यह काम नहीं हो सका; बन्द नेता दुर्लभ हो पायों में

धूल भोककर काम करते रहे और कानूनी जन-घान्दोलन के माथ-माथ गैर-कानूनी क्रान्तिकारी प्रचार भी होता रहा। संख्या में पार्टी छोटी थी और उसे तरह-तरह की भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वह घटनाओं की दिशा को तो न बदल सकी; लेकिन इसमें किसी को शक न रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की सबसे प्रभावशाली पार्टी है और भारतीय राजनीति में वह एक प्रमुख शक्ति बन गयी है।

इसके साथ-साथ, मजदूर वर्ग के देश भर में मिलकर लड़ने का यह परिणाम हुआ कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों में पूर्ण एकता कायम हो गयी। नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियन्स पूरी तरह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मिल गयी; मगर मिलने के पहले उसने विधान में यह परिवर्तन करा लिया कि "सभी राजनीतिक सवाल, हड़तालों के प्रश्न और किसी विदेशी संगठन से सम्बंध कायम करने का सवाल तीन-चौथाई बहुमत से तै किये जायेंगे।" उप्रवादी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने एकता के हित में यह धारा मान ली, हालांकि घानेवाले जमाने में वे इस धारा की वजह से मजदूरों को स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व नहीं दे सके।

इस वन्दिश से जो खराबियां पैदा हुईं, वे लड़ाई के बढ़ने पर तब सामने आयी जब सोवियत संघ पर नात्सियां ने आक्रमण कर दिया, जापान ने युद्ध में प्रवेश किया और पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया को रौंद डाला, संयुक्त राष्ट्रों का मोर्चा कायम हो गया और भारत के सामने जापानी हमले का खतरा बढ़ने लगा; और इन सब बातों के कारण कुछ नयी समस्याएं सामने आयीं।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन फरवरी १९४२ में हुआ। इस बीच मजदूरों की हालत बहुत खराब हो गयी थी। जापानी फ़ौजें मलाया और बर्मा को रौंदने के बाद भारत की तरफ बढ़ रही थी।

लेकिन ट्रेड यूनियन घान्दोलन का केन्द्रीय नेतृत्व मजदूरों को कोई स्पष्ट एवं संयुक्त नेतृत्व न दे सका। बहुमत ने कम्युनिस्टों के प्रस्ताव का गमपंन किया जिसमें देश की रक्षा के वास्ते युद्ध का बिना शर्त समपंन करने के लिए कहा गया था और मजदूरों ने अचल की गयी थी कि देश की रक्षा के काम को कारगर बनाने के वास्ते उन्हें राष्ट्रीय मांगों के लिए लड़ना चाहिए। इन प्रस्ताव का बहुमत ने गमपंन किया, मगर उसे विधान की धारा के अनुसार तीन-चौथाई वोट नहीं मिले। चुनावों के ट्रेड यूनियन घान्दोलन में काम करनेवाले हर राजनीतिक दल को छूट मिल गयी कि वह अपनी मनचाही नीति का प्रचार करे।

१९४२-४५ का काल मजदूर वर्ग तथा पूरे देश के लिए बटिन गरीबा का काल था। सरकार युद्ध का खर्च निशानने के लिए अघातुध मोट धारा

रही थी। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं चोरबाजार करनेवाले नफ़ाखोरो के चोर-भोदाभो में पहुँच गयी थी। रहन-सहन का खर्चा २०० प्रतिशत बढ़ गया था। ऊपर से सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सारे देश में बहुत ही बेरहमी से दमन-चक्र चलाया। सरकार की नीति से सारा देश क्रोध से पागल हो उठा। ये तमाम बातें ऐसी थीं जिनमें से कोई एक अकेले भी होती तो पूरे मजदूर वर्ग से हड़ताल करा देने के लिए काफी थी। लेकिन मजदूर वर्ग तथा उसका नेतृत्व करनेवाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्वस्थ वर्ग भावना और प्रगतिशील अन्तरराष्ट्रीय चेतना का प्रमाण यह है कि उन्होंने बदली हुई परिस्थिति को ममत्ता। उन्होंने यह पहचाना कि जर्मनी, इटली तथा जापान के फ़ासिस्ट त्रिशुट के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए, फ़ासिस्ट तत्त्वों को उलटकर जनता को आजाद करने के लिए जो युद्ध चल रहा है और जिसमें सोवियत तथा चीन की जनता भाग ले रही है, उसने एक नयी परिस्थिति पैदा कर दी है। और यह सब समझकर मजदूरों ने हड़तालें करना बन्द कर दिया, हालांकि उनको उकसाकर या धूस देकर हड़ताल कराने की अनेक कोशिशें की गयीं। यह बात भी महत्व से खाली नहीं है कि इस काल में बड़ी हड़तालें केवल दो हुईं—एक ग्रहमदाबाद में जो गांधीवादी ट्रेड यूनियन आन्दोलन का गढ़ था, और दूसरी जमशेदपुर के लोहे और इस्पात के कारखाने में। और इन हड़तालों का जितना श्रेय मजदूरों को था कम से कम उतना ही मालिकों को था।

इस काल में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूर वर्ग ने दृढ़तापूर्वक साम्राज्यवादी दमन का मुकाबला किया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने २५ मितम्बर, १९४२ को दमन-विरोधी दिवस मनाने की अपील की। उसने देश-रक्षा के विचार का प्रचार किया और जनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए—जैसे मूल्य-नियंत्रण तथा राशनिंग के लिए—जोखदार आन्दोलन किया और चोरबाजार चलानेवालों तथा अनाज और कपड़ा दबाकर बँध जानेवालों के खिलाफ आन्दोलन चलाया। इसके साथ-साथ उमने जनता को आगाह किया कि उमने साम्राज्यवादी उकसावे में या जापानियों की भीटी बातों के भुत्तावे में नहीं आना चाहिए।

इस सबके ट्रेड यूनियन आन्दोलन की बहुत प्रगति हुई और उम पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ा। १९४२ में ८ वरों तक गैर-क्रान्ती रहने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्ती करार दे दी गयी। यह पूरे मजदूर आन्दोलन के लिए एक फायदे की चीज थी। इस काल में ट्रेड यूनियन आन्दोलन दिन तरफ़ बढ़ा, यह अगिला भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मद्दियों की मन्थ्या के इन बातों ने स्पष्ट रूप में मान्य हो जाता है :

वर्ष	ट्रेड यूनियनों की संख्या	रजिस्टरी गुदा सदस्यों की संख्या
१९३८	१८८	३६३,४५०
१९४०	१९५	३७४,२५६
१९४१	१८२	३३७,६९५
१९४२ (फरवरी)	१९१	२६६,८०३
१९४३	२५६	३३२,०७६
१९४४	५१५	५०६,०८४
१९४७	६०८	७२६,०००

१९४२-४५ के सकट-काल में, भयंकर कठिनाइयों के होते हुए भी, कम्युनिस्टों ने जो बहुमुखी कार्य किया, उससे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गयी। जुलाई १९४२ में वह केवल ४,००० थी, मई १९४३ में वह १५,००० हो गयी; जनवरी १९४४ में ३०,००० और १९४६ की गरमियों में ५३,००० तक पहुँच गयी।

लडाई के जमाने में एम. एन. राय के समर्थकों ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन में फूट डाल देने का एक असफल प्रयत्न किया। श्री एम एन राय ने अपने को पूरी तरह कांग्रेस साम्राज्यवादियों के हितों से मिला दिया था। उनके अनुयायियों ने १९४१ में तथाकथित "इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर" कायम किया, जिसे सरकार ने १३,००० रुपये माहवार की मदद मिलती थी। मगर धुमाधार प्रचार के बावजूद वह मजदूरों के बीच अपनी जड़ें न जमा सका। मितम्बर १९४६ में एक सरकारी जांच में यह बात अन्तिम रूप में सिद्ध हो गयी कि असल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके उस समय ७ लाख सदस्य थे, भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन की निर्णायक रूप से प्रतिनिधि संस्था है।

१९४० के बाद कांग्रेस गमाजवादी पार्टी मुख्यतः केवल नेताओं की पार्टी बन गयी थी। अगस्त १९४२ के प्रस्ताव के पाम हो जाने तथा कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद उमने अपना गुप्त संगठन बनाने की कोशिश की और कांग्रेसी नेताओं के पकड़ लिए जाने के बाद जनता में अपने-घात जो उभार आया था, उसे संगठित रूप देने की कोशिश की। इन कोशिशों में कांग्रेस गमाजवादी नेता मजदूर वर्ग का सहयोग हासिल नहीं कर पाये। फिर भी, यदि उन्होंने जनता की स्वयं-सूत्रों की प्रवृत्तियों में बहूत सा संश्लेषण हासिल प्रदान किया और कुछ हद तक सोझोड के कामों का संगठन किया, इसलिए नौजवान राष्ट्रवादियों पर, गामहर विद्यार्थियों पर, उनका प्रभाव बढ़ गया,

हालांकि मजदूरों में यह बात नहीं हुई। लड़ाई सतम हो जाने के बाद उन्होंने बहुत ही तीव्र कम्युनिस्ट-विरोधी एवं सोवियत-विरोधी प्रचार शुरू कर दिया।

युद्ध के काल में मजदूर आन्दोलन ने जो प्रगति की और जो सफलताएं प्राप्त कीं, वे सदा याद रहेंगी। युद्ध समाप्त होते-होते तथा क्रासिचम पर विजय प्राप्त होने तक मजदूर आन्दोलन साम्राज्यवाद से लड़नेवाला सबसे सगठित, अनुशासन-बद्ध और हड़ दस्ता बन गया था। यह बात लड़ाई के जमाने के महान जन-सघर्षों में भली-भांति प्रकट हो गयी। ग्राम राजनीतिक आन्दोलन के ऊपरी नेताओं में साम्प्रदायिक मतभेद बहुत तेज होते गये; लेकिन मजदूर आन्दोलन में हिन्दू, मुसलमान और अछूत सब एकजूट हो गये थे और यह एकता बराबर कायम रही। राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुक्ति के लिए भागे जो लड़ाइयां होनेवाली थीं, मजदूर वर्ग ने उनमें सबसे भागे बढ़कर लड़नेवाले अग्रदल का स्थान प्राप्त कर लिया था।

दूसरे महायुद्ध के बाद जो तूफानी जमाना शुरू हुआ, जो महान राष्ट्रीय उभार आया और हड़तालों की जो ज्वरदस्त लहर उठी, उसमें मजदूर वर्ग का तथा पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने की उसकी भूमिका का विकास एक नये युग में पहुंचा और उसने नयी समस्याएं पैदा हुईं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विरोध में सरकार तथा बड़े-बड़े मिल-मालिकों की सरपरस्ती में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गयी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने हिन्दू मजदूर सभा बना डाली। इसमें मजदूर वर्ग की एकता को सला धक्का लगा। फिर भी तीनों संगठनों के अनुयायियों में यह आन्दोलन जोर पकड़ता गया कि हर विचार के मजदूरों को मिलकर लड़ना चाहिए।

राजनीतिक क्षेत्र में, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना निर्णायक नेतृत्व स्थापित कर लिया, जिसका प्रमाण १९५२ के शुरू में पहले ग्राम चुनाव के समय मिला। यह चुनाव बानिग मताधिकार के आधार पर हुआ और उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके समर्थक देग की दूसरे नम्बर की राजनीतिक शक्ति बनकर निकले। समाजवादी पार्टी (जिम्हने कांग्रेस के सरकारी पार्टी बन जाने के बाद उमंग धरना पुराना सम्बन्ध तोड़ लिया था) उग प्रजा पार्टी के साथ मिल गयी, जो कांग्रेस से टूटा हुआ एक दल था। दोनों ने कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रजा समाजवादी पार्टी बनायी। इन नयी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवाद के लक्ष्य के स्थान पर राष्ट्रीयता के सामाजिक विद्वानों की स्थापना की गयी, और कार्यक्रम के क्षेत्र में विगत विद्रोह के मुकाबले में भूदान आन्दोलन का समर्थन किया गया (जिसमें छि उमंगदारी में दया-धर्म के नाम पर गरीब तथा भूमि-हीन किसानों को भूमि-दान करने की प्रतीति की जाती है)। प्रजा समाजवादी पार्टी के दक्षिण-पश्चिमी नेताओं का योग्य के गठन

डेमोक्रेटिक नेताओं और संगठनों से घनिष्ठ सम्बंध है। भारत में जनरीका के घुसने के साथ भी उनका गहरा ताल्लुक है। इन नेताओं को बहुत सफलता नहीं मिली और उनकी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता उनका अधिकाधिक विरोध करने लगे। उग्रवादी कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण भाग पार्टी ने अलग हो गया और अन्त में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। विभिन्न राज्यों के चुनावों में, म्युनिसिपल बोर्डों के चुनावों में और केन्द्रीय पार्लामेंट के उप-चुनावों में, उसके साथ-साथ बढ़ते हुए जन-संघर्षों में यह बात स्पष्ट हो रही कि कम्युनिस्ट पार्टी तथा बढ़ते हुए जनवादी मोर्चों के उसके समर्थकों को जनता ने अधिकाधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम मोहड़त काल को एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कार्यक्रम १९५१ में स्वीकार किया गया था। इसमें इन मार्ग का निर्देश मिलता है जिस पर चलकर भारतीय जनता किसानों के साथ एकताबद्ध मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करेगी और भारत में जनता का सच्चा जनतंत्र स्थापित करेगी।

तेरहवां अध्याय

भारतीय जनतंत्र की समस्याएं

भारत में जनतंत्र के विकास के रास्ते में साम्राज्यवादी शासन बहुत सी बाधाएं और समस्याएं अपनी विरासत के रूप में छोड़ गया है। भारत की प्रत्येक प्रतिक्रियावादी सामाजिक शक्ति को अपने शासन के स्तम्भ के रूप में जान-बूझ कर पालना-पोसना और राष्ट्रीय क्रान्ति की शक्तियों में फूट डालने के लिए जनता के प्रत्येक मतभेद और विरोध को बढ़ाना ही साम्राज्यवाद की नीति थी। अपने प्रत्यक्ष शासन के पतन तथा खातमे के काल में उसने नास तौर पर इस नीति का प्रयोग किया।

दो क्षेत्रों में यह नीति विशेष रूप से प्रकट हुई : एक तो देशी राजाओं की कायम रहने के मामले में; और दूसरे साम्प्रदायिक भेदभावों को, खास तौर पर हिन्दू-मुस्लिम विरोध को बढ़ाने के क्षेत्र में।

१. देशी राजा और नवाब

भारत में कुल ५६३ देशी रियासतें थीं, जिनका कुल रकबा ७१२,००० वर्ग मील और घाबाड़ी (१९३१ की जन-गणना के अनुसार) = करोड़ १० लाख, यानी कुल घाबाड़ी की लगभग चौथाई (२७ प्रतिशत) होती थी। इनमें हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें भी थीं, जिनका घाकार इलाकों के बराबर घोर घाबाड़ी १ करोड़ ४० लाख थी; और नावा जैसी नन्हीं रियासतें भी थीं, जिनका रकबा केवल १२ वर्ग मील था। उनमें निम्नता की पहाड़ी रियासतें भी थीं जो छोटी-छोटी बमीदारियों से बसाया हुआ नहीं थी। इन रियासतों के राज्य तथा अधिकारों में बड़े भेद हैं कि उनका कोई सामान्य वर्तुन नहीं किया जा सकता। उनमें से १०० बड़ी रियासतें थीं जिनके शासक मुद्र नरेंद्र-महल के सदस्य थे। १२७ छोटी रियासतें थीं जिनके शासक अपने बगल प्रतिनिधि कुमहार नरेंद्र-

मडल में भेजते थे। बाकी ३२८ रियासतें असल में एक तरह की जमीदारियां थीं जिनको कुछ सामन्ती हक भी मिले हुए थे, मगर जिनके अधिकार बहुत सीमित थे। अधिक महत्वपूर्ण रियासतों में निर्णायक शक्ति प्रिंसेज रेजीडेंट के हाथों में रहती थी। छोटी रियासतें प्रिंसेज पोलिटिकल एजेंटों के मातहत थीं। भ्रलग-भ्रलग इलाकों की छोटी रियासतों के समूह को एक-एक पोलिटिकल एजेंट की देखरेख में दे दिया गया था।

इन राजाओं और नवाबों को छोटे-मोटे मामलों में जो चाहे करने की छूट थी। वे जनता पर मनमाना प्रत्याचार कर सकते थे। उन्हें कानूनों को उठाकर ताक पर रख देने की इजाजत थी। लेकिन असली और फ़ैसलाकुन राजनीतिक ताकत प्रिंसेजों के ही हाथ में रहती थी। जैसा कि मार्क्स ने १८५३ में ही लिख दिया था :

“देशी राजा और नवाब मौजूदा घृणित प्रिंसेजों शासन व्यवस्था के दृढ़ स्तम्भ हैं और भारत की उन्नति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं।”

परन्तु प्रिंसेजों की हमेशा यह नीति नहीं थी कि देशी राजाओं को कठपुतलिया बनाकर सदा कायम रखा जाय। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जब प्रिंसेजों राज बड़े जोर-शोर से घागे बढ़ रहा था और प्रिंसेजों को अपनी ताकत में यकीन था, वे सही या गलत किसी भी बहाने में एक के बाद दूसरी रियासत को अपने राज्य में मिला लेने की नीति पर चलते थे। लेकिन १८५७ के विद्रोह के बाद उनकी नीति एकदम बदल गयी। जहा तक १८५७ के विद्रोह के नेतृत्व का प्रश्न है, वह सामन्ती शक्तियों का, देश के पुराने शासकों का विदेशी प्रभुत्व की बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए प्राचिरी प्रयत्न था। विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन प्रिंसेजों ने उससे सबक सीखा लिया। उसके बाद से ही सामन्ती शासक प्रिंसेजों राज्य के मुख्य प्रतिद्वन्दी नहीं रह गये, बल्कि जागती हुई जनता की प्रगति के मार्ग की मुख्य बाधा बन गये। इस काल में अधिकाधिक सामन्ती तत्वों का महारा लेने और देशी राजाओं और नवाबों तथा उनकी रियासतों को प्रिंसेजों शासन के स्तम्भ के रूप में कायम रखने की नीति अपनायी गयी।

१८५८ में महारानी की घोषणा में इस नयी नीति का ऐंमान कर दिया गया कि “हम देशी राजाओं और नवाबों के अधिकारों, प्रतिष्ठा और सम्मान का अपने अधिकारों, प्रतिष्ठा और सम्मान जैसा ही आदर करेंगे।” इस नीति का क्या उद्देश्य था, यह लार्ड बंनिंग ने १८६० में बहुत गाम्भीर्य तथा दया दिया :

“सर जॉन मॅन्रोल्ड ने बहुत पहले यह कहा था कि अगर हमने भारत को केवल प्रिंसेजों बिना में बाट दिया, तो कुर्रन का तमाशा है कि हमारा साम्राज्य पचास साल भी नहीं टिक पायेगा; लेकिन अगर

हमने कुछ देशी रियासतों को बिना राजनीतिक ताकत के अपने शाही हथियारों के रूप में बनाये रखा, तो जब तक समुद्रों पर हमारे जहाजों की धाक रहेगी, तब तक हम भारत में भी बने रहेंगे। सर जॉन की इस बात में बहुत तत्व है, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। और हाल की बातों ने तो उनकी बात को और भी ध्यान के योग्य बना दिया है।”

इस प्रकार, देशी रियासतों का कायम रहना, जो यदि अंग्रेजी राज न होता तो आगे-पीछे कभी न कभी जरूर खतम हो जाती, अंग्रेजों की आधुनिक नीति का परिणाम था; और यह समझना बिल्कुल गलत है कि इन रियासतों के रूप में भारत की प्राचीन परम्पराओं एवं संस्थाओं के अवशेष जीवित थे। देशी राजाओं और नवाबों के प्रधान सरकारी प्रचारक प्रोफेसर रसायुक्त विलियम्स थे। उन्होंने १९३० में कहा था :

“देशी रियासतों के शासक अंग्रेजी हुकूमत के साथ अपने सम्बन्ध के प्रति बहुत वफादार हैं। उनमें से बहुत से तो अंग्रेजी इसाफ और अंग्रेजी तलवार के बल पर ही जिन्दा हैं। अठारहवीं सदी के बाद के और उन्नीसवीं सदी के शुरू के हिस्से में जो लड़ाइयाँ हुई थीं, उनमें अगर अंग्रेजों ने अनेकों देशी राजाओं और नवाबों की मदद न की होती, तो आज कहीं उनका नामोनिशान न होता। आज के इन भगड़ों में और आगे चलकर जो उलट-फेर होगा, उममें भी इन राजाओं और नवाबों की वफादारी और मुहब्बत में ब्रिटेन को बड़ी मदद मिलेगी।...

“हारे भारत में बिखरे हुए इन मामूली राज्यों की भौगोलिक स्थिति हमारे लिए बड़ी हितकर है। उनकी स्थिति ऐसी है मानो लड़ाई के मैदान में हमारे दोस्तों ने पहले से अपने किलों का लम्बा-चोड़ा जाल फैला रखा हो। इन ताकतवर और वफादार देशी रियासतों के इस जाल के कारण यह बहुत मुश्किल होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई माम बिद्रोह पूरे देश में फैल जाय।”

१९२९ की बटनर कमिटी की रिपोर्ट में रम्लो गौर पर भी यह बात गाढ़ कर दी गयी कि “बिद्रोह अपनावन” में देशी राजाओं की रक्षा करना अंग्रेजी सरकार का कर्तव्य है। उममें यह कहा गया था :

“बादशाह ग्नामन ने यह दावा किया है कि वह देशी राजाओं के अधिकारों, सम्मान और गौरव की मदद अङ्ग्रेजु करेंगे। इस दाव में यह बात भी शामिल है कि अगर किलों देशी राजा को रक्षा कर उमकी अपर

पर दूसरे ढंग की शासन व्यवस्था क्रायम करने की कोशिश की जाय, तो मंत्रों की सरकार का फर्ज होगा कि वह उसकी रक्षा करे।"

मंत्रों की छत्रछाया में भारत के ये कठपुतली राजा और नवाब जिस प्रकार अपना राजकाज चलाते थे, उस प्रकार के राज की इतिहास में कोई और मिसाल भी मिलेगी, इसमें शक है। चन्द देशी रियासतें ऐसी थी जिनके शासन प्रबंध का स्तर ब्रिटिश भारत से कुछ ऊंचा था और जिनके यहाँ अनिवार्य शिक्षा की योजनाओं पर प्राथमिक रूप से धमल हुआ था, या जिनके यहाँ बहुत ही कम अधिकारोवाली, बहुत ही प्राथमिक ढंग की, सलाहकार परिषदें बना दी गयी थी। लेकिन ये रियासतें अपवाद के रूप में थीं। अधिकतर रियासतों में जो युलामी, तानाशाही और जुल्म देखने को मिलता था, वह बयान के बाहर है। वैसे तो एशिया के स्वेच्छाचारी राजाओं के इतिहास में भ्रष्टाचार और जुल्म कोई नयी चीज नहीं थी; लेकिन उन पुराने राजाओं को कम से कम बाहरी हमले या घन्दस्त्री बग़ावत का डर तो लगा ही रहता था। इन नये राजाओं को मंत्रों की छत्रछाया में इस डर से भी निजात मिल गयी। मंत्रों की सरकार के हाथ में यह अधिकार था कि यदि वह किसी रियासत में सरासर बुरा शासन देखे, तो राजा को गद्दी से उतार दे या उसके अधिकारों पर नियंत्रण लगा दे। लेकिन व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग कुशासन रोकने के लिए नहीं, बल्कि केवल राजाओं की अपना वफ़ादार बनाने रखने के लिए किया जाता था।

मंत्रों की राज ने भारत के ४० प्रतिशत भाग में न केवल इस प्रकार की शासन व्यवस्था को ज़बर्दस्ती क्रायम रखा बल्कि जैस-जैस राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आन्दोलन प्रगति करता गया, वैसे-वैसे साम्राज्यवाद देशी राजाओं के हाथ गठबन्धन करने और राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोध में उनको सड़ा करने की नीति पर अधिकाधिक जोर देने लगा। १९२१ में नरेन्द्र-मंडल क्रायम हुआ। १९३५ के कानून में जिस सभ्य विधान की योजना थी, उसकी नीचे देशी राजाओं और नवाबों की भूमिका पर रसी गयी थी। उसमें केन्द्र की ऊपरी धारासभा में ४० प्रतिशत सीटें देशी राजाओं को दी गयी थी और निचली धारासभा में एक-तिहाई सीटें उनको दी गयी थी।

राष्ट्रीय जनवादी आन्दोलन इन कठपुतली रियासतों की सड़ी-गली सोमाओं को लोड़ता हुआ घागे बढ़ा। रियासती राज सम्मेलन की ठाठ-ठेठो में बढ़ी। रियासतों में यही संस्था जन-आन्दोलनों का संगठन किया करती थी। एक के बाद दूसरी रियासतों में प्राथमिक अधिकारों के लिए सपने छिड़ता गया।

रियासतों के जन-आन्दोलन की इस प्रगति के साथ-साथ शासकों की नीति भी बदली। बहुत दिनों तक कांग्रेस सीधे और पर देशी रियासतों में

प्रचार या आन्दोलन नहीं करती थी। "हस्तक्षेप न करने" की इस नीति को जान-बूझकर अपनाया गया था, और इस झूठी भाशा से अपनाया गया था कि इन कठपुतली राजाओं के साथ कांग्रेस का किसी तरह का संयुक्त मोर्चा बन जायगा। उनके शासन की चक्की में पिसनेवाले आठ करोड़ लोगों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने का खयाल कांग्रेस को नहीं था। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कहा था "अब तक कांग्रेस ने राजाओं की इस तरह सेवा करने की कोशिश की है कि वह उनके धरेलू तथा वंदेशिक मामलों में कोई दखल नहीं देती।"

मुद घटनाचक्र ने इस घातक नीति को परास्त कर दिया। किसी भी रियासत में यदि बहुत ही साधारण से आन्दोलन का भी सूत्रपात होता था, या राष्ट्रीय आन्दोलन से थोड़ी भी हमदर्दी प्रकट की जाती थी, तो देशी राजा बड़े हिंसापूर्ण ढंग से उसका दमन करते थे। इसमें यह जोरदार मांग उठी कि अब इस लड़ाई को राष्ट्रीय आन्दोलन की अपने हाथ में लेना चाहिए। रियासतों के सविनय अथवा आन्दोलनों का समर्थन किया जाय या नहीं — यह कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल बन गया।

१९३८ में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन ने रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति की इन शब्दों में घोषणा की थी :

"इसलिए कांग्रेस की राय में रियासतों में पूरी तौर पर जिम्मेदार हुकूमत कायम होनी चाहिए और नागरिक अधिकारों की गारंटी मिलनी चाहिए; और कांग्रेस इन बात पर खंड प्रकट करती है कि रियासतों की मौजूदा हालत पिछड़ी हुई है और बहुत सी जगहों में आबादी का नाभोग-निर्माण तक नहीं है तथा नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है।"

इसके साथ-साथ हरिपुरा के प्रस्ताव ने रियासतों के अन्दर कांग्रेस के कार्य पर मुद कुछ सीमाएं भी लगा दी थी :

"रियासतों में जनता का अन्दरूनी अर्थों में कांग्रेस के नाम से नहीं रखा जाना चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र संघटन बनाया जाना चाहिए और जहां वे पहले से मौजूद हों, उनको कायम रखना चाहिए।"

१९३९ के विपुली अधिवेशन में कांग्रेस ने इस स्थिति में घोटा-उठान संशोधन किया और यह कहा :

"हरिपुरा की नीति जनता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर अपनायी गयी थी ताकि जनता में आत्म-निर्भरता तथा गति पैदा हो। परिस्थितियों को देखकर यह नीति ने जो अर्थों में, अर्थों में बट गयी है न था कि कांग्रेस महा इन्हीं नीतियों पर चलने के लिए मजबूर है।

कांग्रेस का हमेशा यह अधिकार रहा है और साथ ही यह उनका कर्तव्य भी है कि वह रियासतों की जनता की रहनुमाई करे और अपने प्रभाव से उनकी सहायता करे। जनता में जो महान जागरण हो रहा है, उससे कांग्रेस ने अपने ऊपर जो बंधन लगाया था, उसे ढीला या एकदम दूर भी किया जा सकता है, और इनके फलस्वरूप रियासती जनता के साथ कांग्रेस का तादात्म्य अधिकाधिक बढ़ता जायगा।”

इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय नेता रियासती जनता के भ्रान्दोलनों में सक्रिय भाग लेते थे। फरवरी १९३६ में अखिल भारतीय रियासती प्रजा सम्मेलन का बुधियाना अधिवेशन हुआ। पं. जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष और डॉ० पट्टाभि सीतारमय्या उपाध्यक्ष चुने गये। सम्मेलन ने “जिम्मेदार सरकार” के संघर्ष में रियासती जनता के भ्रान्दोलन की सफलताओं का स्वागत किया और यह ऐलान किया :

“अब समय आ गया है कि इस संघर्ष की भारतीय स्वतंत्रता के उस अधिक व्यापक संघर्ष के साथ मिलाकर चलाया जाय जिसका कि वह एक अविभाज्य अंग है। इस प्रकार का संयुक्त संघर्ष लाजिमी तौर पर कांग्रेस की रहनुमाई में ही चलाया जाना चाहिए।”

युद्ध के बाद अखिल भारतीय रियासती प्रजा सम्मेलन दिसम्बर १९४५ में उदयपुर में हुआ और उसने घोषित किया कि उसका लक्ष्य “एक स्वतंत्र तथा संघ-बद्ध भारत के अविभाज्य अंग के तौर पर रियासतों में शान्तिपूर्ण तथा उचित उपायों से जिम्मेदार हुकूमत कायम करना” है। अपने अध्यक्ष-भाषण में पं. नेहरू ने ऐलान किया :

“यह अनिवार्य है कि अधिकतर रियासतें, जो सम्भवतया धार्मिक इकाइयों के रूप में नहीं रह सकतीं, धाम-धाम के इलाकों में मिला दी जाय।... इस तरह की छोटी रियासतों के नामों को किसी तरह की पैगंन दी जा सकती है और इसके अलावा अगर वे किसी और काम के काबिल हों, तो उन्हें उनके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

“दूसरी पन्द्रह-बीस रियासतें नए की गुरु-मुस्तार इकाइयों के रूप में रहेंगी। उनके शासक जनवादी उग की शासन प्रणाली में संपादिक ढंग के प्रधान के रूप में रह सकते हैं। इनमें में कुछ शासक बहुत पुराने राजवंशों के हैं, जिनका इतिहास और परम्परा में अनिष्ट सम्बन्ध है।”

देशी राजाओं में समझौता करने की नीति के कारण कांग्रेस नेता जनता के भ्रान्दोलन को निरन्तरित करने लगे। दूसरे महायुद्ध के बाद, अविभ-

कारी उभार के काल में, रियासती जनता का विद्रोही भ्रान्दोलन जबदस्त बेग में धागे बढ़ा। इस जमाने में देशी रियासतें भारत की राजनीति में तूफानी तहरीकों के केन्द्र बन गये। रियासतों में सामन्ती निरंकुशता के विरुद्ध अपने-आप संघर्ष धारम्भ हो गये और उनका बहुत ही हिसापूर्णा ढंग से दमन किया गया। इन संघर्षों का सबसे ऊँचा उभार १९४६ में कश्मीर में देखा गया जहाँ डोगरा राज वंश के गिन्नाफ जनता ने यह साफ और दो-दूक नारा बुलन्द किया था — “कश्मीर को छोड़ दो !”

१९४७ की माउटबैटन योजना में देशी राजाओं को विशेष अधिकार दिये गये थे। कहा गया कि जब प्रयोज सरकार का रियासतों पर अधिकार समाप्त हो चुका है, इसलिए जब नयी डोमोनियन सरकारों को सत्ता हस्तांतरित की जायगी, तब उनको रियासतों पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि कानून की दृष्टि में देशी राजा पूर्णतया स्वतंत्र तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न बन जायेंगे और उन्हें इन बातों की पूरी आजादी रहेगी कि वे चाहे जिन शर्तों पर और चाहे जिन डोमोनियन में शामिल हो जायें, या चाहे तो दोनों से घलग रहें। लेकिन यह कानूनी आजादी प्रमत्त में कायम न रह सकी। एक सान के अन्दर सभी रियासतें किसी न किसी डोमोनियन में शामिल हो गयी। घलग रहा सिर्फ एक हैदराबाद। अन्त में वह भी पुनिम कारंवाई के बाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। कश्मीर को लेकर दोनों डोमोनियनों में झगडा चलता रहा। छोटी रियासतों में से अधिकतर को मिलाकर स्यादा बड़ी इलाक्या बना दी गयी (इसकी योजना मुद्र साम्राज्यवाद पक्षों से बना गया था); लेकिन भारत के ४० प्रतिशत भाग में फैले हुए और सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं जातीय सोमाओं का उल्लेखन कर बिगरे हुए विरोध क्षेत्र के रूप में रियासतें कायम रही। बड़ी-बड़ी रियासतें ज्यों की त्यों कायम रयी गयीं।

इन प्रकार, वैधानिक मुधारों की छाड़ में देशी राजाओं ने समझौते करने और उनकी रियासतों का प्रभुग बनाकर कायम रखने की नीति को डोमोनियन सरकारों ने एकदम मुहम्मिन बना दिया। १६ मार्च, १९४८ को रियासती गणिसालय के गणिव श्री श्री. पी. मेहन ने “वैधानिक शासनों के रूप में देशी गणराज्यों को जीवित रखने” की नीति को स्पष्टता बनाने हुए कहा :

“वर्षात जनता का प्रयोज प्रभुग शासनों का शासना आता था, फिर भी सरकार पक्ष के मसूदा में, श्री गांधी श्री के प्रभावकार फल रहे थे, रियासती गणिसालय शासनों को यह पद देने के लिए तैयार होगा।”

२८ मार्च १९४८ को श्री मेहन ने एक और बरान प्रवचनों में प्रकटित किया। उगमें उन्होंने कहा कि देशी गणराज्यों की “नेशनलिज्म करने” का कोई

इरादा नहीं है। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा निस्सन्तान मर जायगा, तो उसकी गद्दी ममात नहीं कर दी जायगी, बल्कि उसके किसी रिश्तेदार को, या उसी रियासत अथवा डोमोनियन के किसी नागरिक को, जिनके ऊंचे दर्जे की सार्वजनिक सेवा की होगी, 'गद्दी पर बैठा दिया जायगा'। इस प्रकार, एक अस्थायी सहनियत के रूप में ही देशी राजाओं को कायम रखने की बात नहीं थी, बल्कि उनको हमेशा के लिए बरकरार रखने का इरादा था।

इस प्रकार की नीति भारत के जनवादी विकास की आवश्यकताओं के एकदम खिलाफ पड़ती है।

भारतीय राष्ट्र की एकता, भारत के प्रगतिशील विकास, तथा भारत में जनतंत्र स्थापित करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि देशी रियासतों को पूरी तौर पर खतम कर दिया जाय और सामन्ती प्रत्याचार के इन अर्थशेषों को साफ करके प्राकृतिक-भौगोलिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों के प्राधार पर भारतीय जनता को एक वास्तविक संघ में एकतायुक्त किया जाय।

२. साम्प्रदायिक भेदभाव

अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने जिस तरह देशी राजाओं के जरिए भारतीय जनता में फूट डाल रखी थी, ठीक उसी प्रकार की नीति वे हिन्दुओं और मुसलमानों के बारे में बरतते थे।

हाल के जमाने में, पाकिस्तान का अलग राज्य बन जाने के नाप, साम्प्रदायिक भेदभाव के सवाल ने जो खास राजनीतिक रूप धारण कर लिए हैं, उनमें इस भ्राम सवाल को अलग करके देखना जरूरी है। इन खास तरह के राजनीतिक रूपों से कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल पैदा होते हैं, जिन पर हम आगे विचार करेंगे; लेकिन उसके पहले साम्प्रदायिक भेदभाव के, खासकर हिन्दू-मुस्लिम विरोध के भ्राम सवाल पर विचार कर लेना आवश्यक है।

पुराने अविभाजित भारत में करीब दो-तिहाई आबादी हिन्दुओं की थी, एक-चौथाई मुसलमानों की, और कुछ छोटे-छोटे धार्मिक समुदाय थे जो अब बिलकर आबादी का अमबा भाग होते थे। इतने भारत में जो अलग उठजा है, "साम्प्रदायिक" समस्या के नाम से या अलग-अलग धार्मिक "समुदायों" के आपसी सम्बन्धों के अलग के रूप में जो सवाल सामने आता है, उसी भारत में कुछ अमबा विशेषताएं हैं। लेकिन यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जो अलग भाग की ही आगिष्ठ हो।

कुछ विशेष परिस्थितियों में, अलग-अलग नस्लों और धर्मों के लोगों के एक ही देश में रहने से बड़ी बजिनादा पैदा हो जाती है, और कभी-कभी तो दवा

और मूल-सञ्चर तक की नौवत आ जाती है। पुराने जमाने की मिसालें देने की कोई जरूरत नहीं है। बीसवीं सदी में ही इसकी अनेक मिसालें मिल जाती हैं : जैसे उत्तरी आयरलैंड में अरिजमन और कैथलिकों का भगड़ा; मंडेट के जमाने में फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों की कलह; आरशाही रुस में स्लाव लोगों और यहूदियों का विवाद; नात्सी जर्मनी में तथाकथित "आर्यों" व यहूदी लोगों का भगड़ा, योरप में यहूदी-विरोधी भावना; दक्षिण अफ्रीका में काले रंग के लोगों पर होनेवाले अत्याचार, अमरीका में ह्यूसी-विरोध; या ब्रिटिश साम्राज्य में पाया जानेवाला रंग-भेद — ये सब अलग-अलग ढंग के नस्ल या धर्म पर आधारित भेदभाव तथा विरोध की मिसालें हैं।

ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर बहुत स्पष्ट रूप में यह बताया जा सकता है कि इस प्रकार की समस्या बिना विशेष परिस्थितियों में पैदा होती है।

फिलिस्तीन के अंग्रेजी संरक्षण में आने के पहले वहाँ सदियों से अरब व यहूदी शान्ति के साथ रहते चले आये थे। लेकिन जब से अंग्रेजी शासन कायम हुआ, तब से वहाँ भयानक भगड़े शुरू हो गये। बाद में उन्होंने खुले युद्ध का रूप धारण कर लिया। साम्राज्यवादी कभी इन पक्ष की पीठ ठोकते थे, तो कभी दूसरे पक्ष की; और इस तरह वे फूट कायम रखते थे और जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक होकर आगे बढ़ने में रोकते थे।

आरशाही रुस में, घामकर आरशाही के पतन के काल में, यहूदियों के बड़े-बड़े उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने आरशाही रुस के इतिहास की कल्पित किताबों और उनके बारे में जानकर सारी दुनिया की आत्मा सिहर उठी थी। अन्तर लोग समझते थे कि रुस के लोग जाहिल और अज्ञानी हैं जो कभी-कभी क्रिश्चियन की मारकाट पर तुल जाते थे और उनको रोकना नामुमकिन हो जाता था। बाद में जब युक्रिया पुलिस के कुछ कागजात छपे, तब जाकर यह बात अन्तिम रूप में साबित हुई, जो बहुत दिनों से अभियोग के रूप में कही जाती थी और जिसके सबूत में लोग "समरूत मभा" नामक "देशभक्त" मुद्दा-अगठन के साथ सरकार के अनोखे सम्बन्धों की ओर संकेत किया करते थे। युक्रिया पुलिस के कागजातों के प्रकाशित होने पर यह बात साबित हुई कि इन हत्याकाण्डों की मोथे-मोथे सरकार में प्रेरणा मिलती थी, और नहीं उनको मारना करना था और उन पर नियंत्रण रखा जा सकता था। जिस रोज़ रुसी जनता ने मत्ता की जागरीर घनने हवा में सम्भाषित, उन्ही रोज़ से वे हत्याकाण्ड एकरून बन्द हो गये। मार्चियन तब से बन्द हो गये अन्तिम-अन्तिम नस्लों और धर्म के लोग हनी-युगों में एकसाथ रहेंगे।

जर्मनी में, आदमर प्रजापन के दिनों में, जर्मन और यहूदी लोग धर्म के साथ-साथ रहते थे। जब जर्मनी में नासो राज कायम हुआ, तो वे आरशाही रुस के अन्तिम केन्द्रीय कारण में होने लगे।

अतएव भिन्न-भिन्न नस्लों और धर्मों के लोग यदि एक ही देश में रहें भी, तो इस तरह की कठिनाइयों का पैदा होना कोई स्वाभाविक अथवा अनिवार्य बात नहीं है। ये कठिनाइयां सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा होती हैं। चास तौर पर ये कठिनाइयां वहा पैदा होती हैं जहां कोई प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था जनता के आन्दोलन के खिलाफ अपने को कायम रखने की कोशिश करती है। जब ऐसी कठिनाइयां पैदा होने लगें, तब ऐसा ममभ्रता चाहिए कि अब यह शासन व्यवस्था खतम होने को है।

भारत में इसी तरह की समस्या अंग्रेजों के शासन काल में पैदा हुई।

देश के बंटवारे के पहले भारत में (१९४१ की जन-गणना के आकड़ों के अनुसार) २५ करोड़ ४० लाख से अधिक हिन्दू रहते थे, जो कुल आबादी का ६५.६३ प्रतिशत होते थे। उनमें से १६ करोड़ ब्रिटिश भारत में रहते थे, जहां उनका अनुपात आबादी का ६४.५ प्रतिशत होता था, और ६ करोड़ ५० लाख देशी रियासतों में रहते थे, जहां उनका अनुपात रियासतों की कुल आबादी का ७०.५७ प्रतिशत होता था। मुसलमानों की संख्या ६ करोड़ २० लाख थी, जो कुल आबादी की २३.८१ प्रतिशत होती थी। इसमें से ७ करोड़ ६० लाख मुसलमान ब्रिटिश भारत में रहते थे, जहां उनका अनुपात आबादी का २६.८४ प्रतिशत होता था; और १ करोड़ २० लाख मुसलमान देशी रियासतों में रहते थे, जहां उनका अनुपात आबादी का १३.६३ प्रतिशत होता था।

अंग्रेजी राज के पहले भारत में उस तरह के हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों का कोई नामोनिशान तक न था, जिस तरह के झगड़े अंग्रेजी राज में, चास तौर से उसके विलकुल अन्त के दिनों में देखने को मिले। तब अलग-अलग राज्यों के बीच युद्ध हुआ करते थे। कभी-कभी यह हो सकता था कि एक राज्य का शासक हिन्दू हो और दूसरे का मुसलमान, मगर उनका युद्ध कभी हिन्दू-मुस्लिम झगड़े का रूप नहीं धारण करता था। मुसलमान शासक हिन्दुओं की बेगटके ऊंचे से ऊंचे पदों पर नियुक्त करते थे और हिन्दू शासक मुसलमानों की।

अंग्रेजी राज में पहले के भारत की यह परम्परा देशी रियासतों में इस उमाने में भी देखी जा सकती थी। साइमन-रिपोर्ट में कहा गया था कि "सं-मान देशी रियासतों में साम्प्रदायिक कलह का अपेक्षाकृत अभाव है।" परन्तु सही बात यह है कि जैसे-जैसे देशी रियासतों में जनता का आन्दोलन पैदा होने और ताकत पकड़ने लगा, जैसे-जैसे वहां भी जनता में पूट डानने के प्रतिक्रियावादी रूपकड़े दिखाई देने लगे।

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, हिन्दू-मुस्लिम विरोध का डिक्र करके हुए साइमन कमीशन को अपनी रिपोर्ट में दो अजीब बातों का डिक्र करना पड़ा था। एक तो यह कि इस तरह का विरोध उन इलाकों की आन विशेषता है न १९

जिन पर सीधे-सीधे अंग्रेज राज करते हैं, और वह कि देशी रियासतों में यह चीज कम पायी जाती है, हालांकि आवादी दोनों जगह एक ही तरह से मिली-जुली है, और देशी रियासतों तथा ब्रिटिश सुबों की सीमाएँ केवल शासन की मुविधा का खयाल रखकर बनायी गयी हैं। दूसरी बात यह कि ब्रिटिश भारत के इलाकों में भी यह विरोध हाल के जमाने में ज्यादा बढ़ गया है और "एक पीढ़ी पहले... ब्रिटिश भारत में नागरिक शान्ति के लिए खतरे के रूप में साम्प्रदायिक कलह बहुत ही कम थी।" अतएव, साम्प्रदायिक कलह अंग्रेजी राज की, खास तौर पर उसके अन्तिम काल की, अर्थात् साम्राज्यवादी प्रभुत्व के पतन के काल की विशेष देन है।

गुरु के जमाने में अंग्रेज शासक "फूट डालो और राज करो" के सिद्धान्त की ज्यादा खुलेखान घोषणा किया करते थे। १८२१ में ही एक अंग्रेज अफसर ने एशियाटिक रिव्यू के नम्बर १८२१ के अंक में "कर्नाटिकस" नाम से लिखते हुए कहा था कि "राजनीतिक, नागरिक अथवा सैनिक, हर क्षेत्र में हमारे भारतीय शासन प्रबंध का मूल नियम होना चाहिए : फूट डालो और राज करो!" गांधी जी ने बताया है कि किस प्रकार कांग्रेस के संस्थापक लुम साह्य ने उनके सामने गाफ-साफ यह बात स्वीकार की थी कि अंग्रेजी हुकूमत "फूट डालो और राज करो" की नीति पर टिकी हुई है।"

१९१० में जे. रैमजे मीडोन्ट्रि ने मुस्लिम लीग की स्थापना के विषय में यह लिखा था :

"अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ३० दिसम्बर, १९०६ को बनी। मुस्लिम लीग की अदनी कोशिशों में इतनी ज्यादा राजनीतिक गफलतएँ मिली हैं... कि लोगों को जरूर होने लगा है कि उनके पीछे राणी गारनाहू ताकतों का हाथ है। गन्देह रिया जाता है कि मुस्लिम ने लामों को कुछ अंग्रेज अफसरों में प्रेरणा मिली थी; सिन्धवा और कन्दन में बंटे में लीग ही रोहिता मोच-मोचकर कठमुर्तिया तथापा करते थे और मुगलमानों के साथ सिन्धवा कथाना करके हिन्दुओं और मुगलमानों के बीच आन-भूझकर खगल बढ़ाया करने थे।"

बाद की जो गूरा मिली, उनमें यह "गद" एरुम पक्का हो गया है। १९२६ में लार्ड एडमिन्सटर ने कुछ समय तक भारत मंत्री रह चुकने के बाद और लार्ड एडमिन्सटर के जाने के बाद इराक के लार्ड एडमिन्सटर में लिखा था :

'जिन लोगों को भारत के नाम से ही घने अंधकार में डाल दिया गया है, वे इस बात में इतना करके को तैयार नहीं होना कि उन्हें इस दुःखान्त धार

घर पर कुत्तानाओं का पक्ष लेते हैं। कुछ हद तक यह कुत्तों के बरतल के रूपा करते हैं, मगर सकारात्मक उनका उद्देश्य हिन्दू राष्ट्रवादियों के खिलाफ कुत्तानाओं को इस्तेफान करना होता है।

हम के जनाने में नहीं कुत्तानाओं इतिहास बोका कुत्तानाओं का रूपा है। १९४१ में टाइम्स प्रकाशक ने लिखा था -

“हिन्दू-मुस्लिम जनताओं के इतिहासों में यह घर और देश का मकान नहीं है कि घर में ‘फूट डालो घर टूट जाये’ की नीति पर चम रहे हैं। फूट है घर जब तक यह रहेगी, तब तक घर में टूट घा रहना भी निश्चित है।”

अतएव, सरकारी नीति क्या है, इसे बहुत ही जिम्मेदार सरकारी कुत्तानाओं के प्रचलित बयानों से साबित किया जा सकता है।

लेकिन, इस मान नीति ने साक्ष्य व्यवस्था का रूप प्राथमिक काल में ही धारण किया है। राष्ट्रीय आन्दोलन के बजने और एक के बाद दूसरे वैधानिक युद्धों के घाने के साथ-साथ साम्प्रदायिक फूट को बजाने की कोशिशें भी बढ़ती गयीं हैं। इसके लिए एक ऐसी सात तरह की पुनराव प्रणाली का उद्देश्य किया गया है, जिसे इन वैधानिक युद्धों के साथ जोड़ दिया गया था। यह नया कदम सबसे पहले १९०६ में उठाया गया था। राष्ट्रीय आन्दोलन की पहली बड़ी लहर भी ठीक उसी समय देग में उठी थी।

इस विरोध की प्रतिक्रिया को समझने के लिए उन सामाजिक-धार्मिक होड़ के बीजों को देखना आवश्यक है जिनका घर हिन्दू और मुसलमान जनता पर तो नहीं, पर उठते हुए मध्य-वर्ग पर जरूर पड़ता है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, प्रवांति ऐसे इलाकों में जहां हिन्दुओं का बहुमत है, उधर के मुस्लिम इलाकों के मुकाबले में व्यापार, व्यवसाय तथा शिक्षा का चलन बहुत पहले धारण हो गया था। १८८२ में हटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि विद्वविद्यालय की शिक्षा के मामले में मुसलमानों का अनुपात केवल १/११ प्रतिशत था। आज भी मुसलमानों के मुकाबले हिन्दुओं में साक्षर लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। इसलिए, भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय होने के साथ-साथ ऐसे वैधानिकों के लिए परिस्थितियां तैयार हो गयीं जो बहुत धार्मिकों के साम्प्रदायिक रूप धारण कर सकती थीं। मुसलमानों के अरबी वर्ग का मुख्य आधार बड़े उद्योगों में था। उनको व्यापारिक एवं धार्मिक पूंजीपति वर्ग की उन्नति देखकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसे वे हिन्दुओं की भाँति नहीं उन्नति समझते थे। नये मध्य-वर्ग में भी धार्मिक-धार्मिक धार्मिकों की भाँति साम्प्रदायिक विरोध का आधार मौजूद था। इनमें मुसलमानों का भाग बड़ा था।

“मैं आपके इस मुस्लिम भगड़े में फिर नहीं पड़ूंगा। बहुत घाबर के साथ मैं सिर्फ एक बार और आपको यह याद दिलाता चाहता हूँ कि मु. (मुसलमान) खरगोश को आपने ही एक भाषण में उसके विरोधाधिकारों की बात करके दौड़ने के लिए उत्साहित किया है।”

इस तरह, साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्रों और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की पूरी ऐसी प्रणाली का शींगल हो गया, जिसने हर तरह की जनवादी चुनाव प्रणाली पर कुठाराघात किया। साम्प्रदायिक संगठनों तथा साम्प्रदायिक विरोध को बढ़ावा देने के लिए इससे भी अच्छा कोई साधन हो सकता है, यह कल्पना करना कठिन है। और सचमुच मुस्लिम लोग का अलग संगठन दिसम्बर १९०६ से ही कायम हो गया।

हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, यह सबसे अधिक स्पष्टता के साथ केवल अलग चुनाव क्षेत्रों और अलग प्रतिनिधित्व की स्थापना से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी प्रकट हुआ कि मुसलमानों को खास तौर से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। उनका पन्ना भारी करने के लिए एक भारी भरकम व्यवस्था बना दी गयी। मोर्ले-मिटो मुधारों के मातहत वोट देने का अधिकार पाने के लिए मुसलमानों के यास्ते जरूरी था कि वह कम से कम ३ हजार रुपये की धामदानी पर धाय-कर देता हो, जब कि गैर-मुसलमानों के लिए कम से कम ३ लाख की धामदानी पर धाय-कर देना जरूरी था। इन्होंने मुधारों के मातहत मुसलमानों को ३ साल पुराना प्रेजुएंट होने पर वोट का हक मिल जाता था, जब कि गैर-मुसलमानों के लिए ३० साल पुराना प्रेजुएंट होना जरूरी था। कुल मिलाकर भी मुसलमानों को इसी तरह की रियायतें दी गयी थीं। इस तरह सरकार उस अल्पमत का गमर्धन प्राप्त करने को माना करती थी, जिसे उसने विशेष अधिकार दिये थे, और साथ ही यह सोचती थी कि इनसे बहुमतवाले लोग सरकार के बड़े इन अल्पमत पर अपना गुस्ता उतारेंगे।

बाद की जो और वैधानिक योजनाएं बनीं, उनमें यह व्यवस्था और व्यापक बनायी गयी। परम सीमा १९३५ में पहुची। १९३५ के कानून में न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि सिखों, एंग्लो-इंडियन लोगों, भारतीय ईसाइयों, दलित वर्गों तथा योरोपियनों, उर्मीदारों और उद्योगपतियों, आदि के लिए भी अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गयी। अल्पमत धारायन्त्र में कुल ३५० सीटें रची गयी थीं। उनमें से ८२ सीटें एक-तिहाई मुसलमानों के लिए सुरक्षित थीं, हालांकि मुसलमानों की धारासी डेग की कुल धारासी की सीधारी में भी कम थीं। दूसरी धारायन्त्र के अधिकांश भाग के लिए १९३५-३६ में

हुए थे। सरकारी नौकरियों के लिए जो प्रतियोगिता होती थी, उसमें प्रतिपोगियों की शिक्षा देखी जाती थी। मुसलमान इस मामले में पीछे रह जाते थे। फिर जब चुनाव की प्रणाली प्रारम्भ हुई और प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास होने लगा, तो मुसलमानों को फिर कठिनाई महसूस होने लगी क्योंकि अतिधिकार केवल शिक्षा या सम्पत्ति के आधार पर ही मिलता था; और इन दोनों चीजों में मुसलमान हिन्दुओं की बराबरी नहीं कर पाते थे। इसलिए, उनके बीच घलन निर्वाचन की मांग को बल मिला। और इस सबसे वह जमीन तैयार हो गयी जिसमें फूट के बीज बोना और अन्तर्निहित विरोधों को उकमाकर उनके सहारे एक पूरी राजनीति रच डालना, सरकार के लिए आसान हो गया।

१८६० में ही सर सैयद अब्दुल क़ादिर खान के नेतृत्व में मुसलमानों के एक दल ने मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों और पदों की मांग की थी। इस दल का सरकार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। लेकिन जिम्मेदार मुस्लिम लोकमत ने उस मांग का विरोध किया। मुस्लिम हेराल्ड नामक पत्र ने उसकी निन्दा करते हुए कहा कि यह मांग "गांवों और किलों के सामाजिक जीवन में उधर फैला देगी और भारत को नरक बना देगी।" मामला वही दब गया और उस वक्त उनके बारे में कुछ और सुनने को नहीं मिला।

लेकिन १९०६ में जब अंग्रेजी सरकार को भारत के पहले व्यापक राष्ट्रीय जन-प्रान्दोलन का सामना करना पड़ रहा था, तब उसने एक ऐसी नीति का शीर्षक दिया जिसमें सचमुच ही "गांवों और किलों में उधर फैल जानेवाला था और भारत नरक बन जानेवाला था।" एक मुस्लिम शिष्ट-मजल वायसरॉय से मिला। उसने मांग की कि भारत में चुनाव की जो भी प्रणाली जारी की जाय, उसमें मुसलमानों के लिए घलन और ज्यादा सीटों का बन्दोबस्त रहे। वायसरॉय नाई मिटो ने तुरन्त यह फैसला कर दिया कि उन्होंने शिष्ट-मजल की इस मांग को मान लिया है :

"घाबरी यह मांग बिन्दुस्त मती है कि घाबरी लोग या महरा घाबरी मन्दा मे न घाता जाय, बन्कि घाबरी सम्प्रदाय के राजनीतिक महत्व को देखा जाय; और उनके माध्याम्य ही जो मेवाण ही है, उनका मनात रखा जाय। में घाबरी पूरी और पर महमन है।"

बाद को मुस्लिम नेता मो. मुहम्मद अली ने कांग्रेस के १९२२ के अधिवेशन के अध्यक्षत्व में भाग्य करने शुरू किया कि यह मुस्लिम शिष्ट-मजल भूत सरकार के इशारे पर वायसरॉय से मिलने गया था। यह पूरी योजना सरकारी धारणों के दिनागों में निरूपी थी, इसका कुछ अंश नाई मिटो ने १९०६ के अन्त में नाई मिटो के नाम एक पत्र में दिया था। उन्होंने लिखा था :

“मैं आपके इस मुस्लिम भागडे में फिर नहीं पड़ूंगा। बहुत घाबर के साथ मैं सिर्फ एक बार और आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि मु. (मुसलमान) खरगोश को आपने ही एक भाषण में उसके विशेषाधिकारों की बात करके दौड़ने के लिए उत्साहित किया है।”

इस तरह, साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्रों और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की पूरी ऐसी प्रणाली का शींगल हो गया, जिसने हर तरह की जनवादी चुनाव प्रणाली पर कुठाराघात किया। साम्प्रदायिक संगठनों तथा साम्प्रदायिक विरोध को बढ़ावा देने के लिए इससे भी अच्छा कोई साधन हो सकता है, यह कल्पना करना कठिन है। और सचमुच मुस्लिम लीग का अलग मंगठन दिसम्बर १९०६ से ही क्रियम हो गया।

हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, यह सबसे अधिक स्पष्टता के साथ केवल अलग चुनाव क्षेत्रों और अलग प्रतिनिधित्व की स्थापना से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी प्रकट हुआ कि मुसलमानों को खास तौर से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। उनका पलड़ा भारी करने के लिए एक भारी भरकम व्यवस्था बना दी गयी। मोर्ले-मिटो सुधारों के मातहत वोट देने का अधिकार पाने के लिए मुसलमानों के वास्ते जरूरी था कि वह कम से कम ३ हजार रुपये की आमदनी पर आय-कर देता हो, जब कि गैर-मुसलमानों के लिए कम से कम ३ लाख की आमदनी पर आय-कर देना जरूरी था। इन्हीं सुधारों के मातहत मुसलमानों को ३ साल पुराना प्रेजुएंट होने पर वोट का हक मिल जाता था, जब कि गैर-मुसलमानों के लिए ३० साल पुराना प्रेजुएंट होना जरूरी था। कुल सीटों में भी मुसलमानों को इन्हीं तरह की रियायतें दी गयी थीं। इस तरह सरकार उम अल्पमत का समर्थन प्राप्त करने की धारा करती थी, जिसे उसने विशेष अधिकार दिये थे, और साथ ही यह नोचती थी कि इससे बहुमतवाले लोग सरकार के बदले इन अल्पमत पर भरोसा उतारेंगे।

बाद को जो और बंधानिक योजनाएं बनीं, उनमें यह व्यवस्था और व्यापक बनायी गयी। अरब सीमा १९३५ में पड़्यो। १९३५ के कानून में न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि निर्राश्रित, एंग्लो-इंडियन लोगों, भांगतीय ईसाइयों, दलित वर्गों तथा पोरोंपिचनों, जमींदारों और उद्योगपतियों, आदि के लिए भी अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गयी। राष्ट्रीय धाराधारा में कुल ३५० सीटें रखी गयी थीं। उनमें से ८२ सीटें एन-रिजर्व्ड मुसलमानों के लिए सुरक्षित थीं, हालांकि मुसलमानों को आबादी के अनुपात में भी ५०५ सीटें भी मिलनी थीं। दूसरी ओर आबादी के अतिरिक्त भाग के लिए केवल १०५

यानी ४० प्रतिशत "ग्राम सीटें" रखी गयी थी और इनमें से भी १६ सीटें प्रह्लूतों के लिए सुरक्षित थी।

चुनाव के मामले में जो नीति बरती जा रही थी, उसीके अनुसृत नीति पूरे शासन प्रबंध में बरती जा रही थी। इस चुनाव नीति का परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक विरोध हृद से जमादा बढ गया।

साम्प्रदायिक विरोधो को इसलिए बढाया जाता था ताकि शोषण की व्यवस्था और साम्राज्यवादो शासन की रक्षा की जा सके। लेकिन उनके पीछे कुछ सामाजिक और धार्मिक प्रश्न भी थे। जब मध्य-वर्गी सम्प्रदायवादी सरकारी पद या नौकरी के लिए होड करता है, तब यह बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ साम्प्रदायिक कठिनाइयाँ जनता तक पहुँच गयी हैं, वहाँ भी यह बात इतनी ही साफ दिखाई देती है। बंगाल और पंजाब के हिन्दुधर्मो में ज्यादा धनी जमींदार, व्यापारी और महाजन भी शामिल हैं, जब कि मुसलमान प्रायः गरीब किमान और महाजनों के कर्बदार होते हैं। दूसरे इलाकों में हिन्दू किमानों के बीच बड़े जमींदारों के रूप में मुसलमान पाये जाते हैं। यह बात बार-बार देखने में आयी है कि जिसे "साम्प्रदायिक" भगड़ा या "साम्प्रदायिक" विद्रोह कहा गया है, उसके पीछे हिन्दू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों का कोई मधयं, या हिन्दू महाजनों के खिलाफ मुसलमान कर्बदारों की कोई लड़ाई, मयवा हड़ताल तोड़ने के लिए बाहर से लाये गये पठानों के खिलाफ हिन्दू मजदूरों का कोई मधयं छिपा रहता है। यह बात भी मतलब से गाली नहीं है कि जब कभी किसी औद्योगिक केन्द्र में मजदूर मधे बढते हैं, तो कुछ गुमनाम लोग तुलन साम्प्रदायिक दमो करा देते हैं और फिर पुलिस मजदूरों को गोमियाँ में भूनती हुई भंडान में धा उतरती है। बम्बई में १९२९ की महान हड़ताल के बाद यही हुआ। पानपुर में १९३८ की विद्रोहो हड़ताल के बाद १९३९ में यही हमकंडा खनाया गया। प्रतिक्रियावाधियों की धान और उमका सामाजिक-धार्मिक उद्देश्य सट्ट था। उनका उद्देश्य था मजदूरों की एतता को दिव्य-भिन्न कर देना।

भारत की हिन्दू और मुसलमान जनता के दो धनग-धनग मधय नहीं है और न ही मरते हैं। मुसलमानों की गरीबी और दुनामी तथा हिन्दुधर्मो की गरीबी और दुनामी धनग-धनग धीरे नहीं है। गरीबी और दुनामी भारत के सभी लोगों के लिए एक ही है। भारत के सभी गाँवों में, मुक्त के बगल पर हिन्दू और बगल पर मुसलमान एक समान ही जमींदारी तथा के बीच के बीच बगल रहे हैं, एक में मजदूरों द्वारा भूटे जा रहे हैं, एक में साम्राज्यवाद के नीचे सिम रहे हैं; और इन दोनों के बीच फूट खाने की कोशिशें, बगल में दोनों की इस धरम्या की कल्पन समने की कोशिश है।

साम्प्रदायिक समस्या का अन्तिम हल सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर ही हो सकता है। मजदूर नूनियनों और किसान सनाभों में हिन्दू और मुसलमान अपने सारे भेदभाव भूलकर शामिल होते हैं (और वहाँ वे कभी मतलब चुनाव क्षेत्रों की जरूरत महसूस नहीं करते)। वर्गीय एकता और एक जैसी सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताएँ जाति और सम्प्रदाय की बनावटी सीमाओं को तोड़ डालती हैं। इसी से यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक समस्या को हल करने का अन्तिम और ठोस मार्ग क्या है। जनता के हितों के साधारण पर जब जन-आन्दोलन आगे बढ़ेगा और साधारण जनवादी आन्दोलन की प्रगति होगी, तभी साम्प्रदायिक विरोध भी अन्तिम और पूर्ण रूप से समाप्त किये जा सकेंगे।

लेकिन, इसके साथ-साथ समस्या का पूर्णतया जनवादी हल निकालने के लिए मतलब-मतलब क्षेत्रों अथवा जातियों के स्वायत्त शासन या आत्म-निर्णय के अधिकार के दावों के नये उठते हुए सवालों पर विचार करना भी आवश्यक है। हाल के जमाने में ये सवाल अस्थायी तौर पर हिन्दू-मुस्लिम सवाल के साथ उलझ गये थे। मुस्लिम लीग का बढ़कर एक जन-गठन बन जाना और पाकिस्तान के अलग राज्य की मांग करना, और अन्त में माउटबैटन योजना के द्वारा भारत का बंटवारा हो जाना और पाकिस्तान के डोमीनियन का बन जाना—इन तमाम बातों के पीछे भी इन्हीं सवालों की भूलक मिलती है।

३. बहु-जातीयता और पाकिस्तान

बहु-जातीयता और पाकिस्तान के सबसे ताजा सवालों पर आने से पहले मुझे में मुस्लिम लीग के विकास तथा कांग्रेस-लीग सम्बंधों के इतिहास पर एक नज़र डाल लेना जरूरी है।

मुस्लिम लीग को स्थापना दिसम्बर १९०६ में हुई थी। कांग्रेस की ही तरह मुस्लिम लीग की स्थापना में भी अंग्रेजों की नीति का काफी बड़ा हाथ था। उस समय एक अंग्रेज अफसर ने वायसरॉय लार्ड मिंटो को लिखा था :

“हुज़ूर लार्ड माहब की निदमत में यह रिपोर्ट करना जरूरी है कि आज एक बहुत ही बड़ी घटना हो गयी। राजनीतिक दूरदर्शिता का एक ऐसा अमान्य हुमा जो भारत और उसके इतिहास पर अरबों तक फल डालता रहेगा। यह जान इनके बिना और मुद्द नहीं है कि ५ अगस्त ३० काय लोगों (मुसलमानों) को राजद्रोही और विरोधी का (अंग्रेज) में निन जाने से रोक दिया गया है।”

लेडी मिटो ने (अपनी पुस्तक भारत, मिटो और मोर्ले में) लिखा है कि लन्दन की सरकार का भी यही विचार था ।

अपने शुरू के वर्षों में मुस्लिम लीग एक ऐसी सजुचित सम्प्रदायवादी सन्ध्या थी, जो मुख्यतया ऊपरी वर्ग के मुसलमान जमींदारों को आकर्षित करती थी । लेकिन, जैसा कि कांग्रेस में हुआ, उसी तरह मुस्लिम लीग में भी कुछ दिनों के बाद साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय भावना अपना प्रभाव दिखाने लगी । १९१३ के आते-आते मुस्लिम लीग ने भारत के लिए "साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य" प्राप्त करना और इस उद्देश्य के लिए "दूसरे सम्प्रदायों के साथ सह-योग करना" अपना लक्ष्य घोषित कर दिया । मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते की बातचीत शुरू हो गयी और १९१६ में कांग्रेस-लीग एकता का लखनऊ-मैसूर भी हो गया । इस समझौते में अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को मानने के साथ-साथ यह ऐलान भी किया गया था कि दोनों सम्प्रदायों का समान उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स है, जिसे प्राप्त करने के लिए दोनों कोशिश करेंगे । लखनऊ में कांग्रेस और लीग का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ । कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने कहा :

"सज्जनो, कुछ लोगो का कहना है कि हम हिन्दू अपने मुसलमान भाइयों के सामने जरूरत से ज्यादा झुक गये है । मेरा विश्वास है कि मैं देश के समस्त हिन्दुओं की तरफ से यह कह सकता हूँ कि हमारा उत्तरण से ज्यादा झुक जाना असम्भव था ।... जब हमें एक तीसरे पक्ष में लड़ना है तो यह एक बड़बूत बड़ी बात है, यह एक बड़ी महात्मापूज्य पटना है कि आज हम इस मंच पर एक साथ खड़े हुए हैं । आज इस मंच पर नरस की एकता है, धर्म की एकता है और विभिन्न राजनीतिक विचारों की एकता है ।"

इसी प्रकार लीग के नेता मि. जिन्ना ने, जिन्होंने उस समय कांग्रेस-लीग एकता के लिए बड़ी कोशिश की थी, लीग के अधिवेशन में सम्बोधन करते हुए कहा :

"मैं जिन्दा भी भर पकता कांग्रेसी रहा हूँ और साम्प्रदायिक-भारत में मुझे कभी प्रेम नहीं रहा है । लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों पर कभी-कभी अज्ञान ही जो जोड़ता लगाने वाली है, वह विस्तृत वैदिक-वाक्य और पत्र है, मान और पर जब से देखा है कि यह महान साम्प्रदायिक सन्ध्या मनुष्य भारत के जन के लिए नहीं के साथ एक बड़ी जाहल बानी जा रही है ।"

पक्ष-महाजुद्ध के बाद भी अखण्ड अन्धकार था, जैसे कि-मुस्लिम-लोग एकता और अन्धकार ही । यानी लीग के नेतृत्व में कांग्रेस और लीग के सदस्यों की

रहनुमाई में खिलाफत कमिटी के बीच सयुक्त मोर्चा स्थापित हो गया। खिलाफत कमिटी लड़ाकू मुस्लिम नेताओं का संगठन थी। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सरकार के खिलाफ संपर्क का मोर्चा तैयार किया। सड़कों पर हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वागत में उत्साहपूर्ण जन-प्रदर्शन होने लगे। १९१६ की सरकारी रिपोर्ट को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि "हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अनूतपूर्व भाईचारा कायम हो गया है...मेल-मिलाप के प्रस्तावधारण दृश्य दिखाई देने लगे हैं।"

राष्ट्रीय संपर्क के इस महान युग में कांग्रेस के साय-साय मुस्लिम नेताओं तथा मुस्लिम जनता ने भी अपने लड़ाकूपन का परिचय दिया। मौलाना हुनेन प्रहमद मदनी और प्रती-बंधुओं ने फ़ौजियों में राजद्रोह का प्रचार किया और इसके लिए उन्हें छ. बरस कंठ की सजा सुना दी गयी। मलाबार के मोपला किसान अपने-आप ही जमींदारों तथा साम्राज्यवादियों के प्रत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने निडर होकर लड़ाई लड़ी और आरक्षकजनक बीरता तथा संपर्क की क्षमता और त्याग का परिचय दिया।

यह मांग सबसे पहले खिलाफती नेताओं ने उठायी थी कि स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता समझा जाय। मौ. हसरत मोहानी ने १९२१ में कांग्रेस के प्रहमदावाद अधिवेशन में यह मांग की थी। और यह बात उल्लेखनीय है कि उसका विरोध गांधी जी ने किया था और यह कहा था कि "इस मांग से मुझे सदमा हुआ है, क्योंकि उससे ग़र-जिम्मेदारी की भावना प्रकट होती है।"

इसी प्रकार, १९१६ में मुस्लिम लीग ने अपने प्रभुतसर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया था कि भारत के मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए।

जून १९२२ में लखनऊ में खिलाफत कमिटी और ज़मीन्दुल-उन्नेमा का एक मिला-जुला अधिवेशन हुआ। उसने यह प्रस्ताव पास किया कि भारत तथा सुसलमानों के सर्वोत्तम हितों का तकाजा यह है कि कांग्रेस के लक्ष्य में "स्वराज्य" शब्द के स्थान पर "पूर्ण स्वतंत्रता" शब्द रख दिये जाय।

दुर्भाग्य से, उन दिनों कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि यह तो "कांग्रेस के विधान में एक मौनिक परिवर्तन" कर देगा।

लेकिन कांग्रेस और खिलाफत के आन्दोलन में जो एकात्मता कायम हुई थी, वह कायम नहीं रही। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आन्दोलन को दबावक बोध में ही रोक दिया और उससे आग्रह में फूट पड़ गयी। जब गांधी जी ने फरवरी १९२२ में प्रसहयोग आन्दोलन बन्द किया, तो खिलाफत कमिटी के सभी नेताओं ने इस तरह से संपर्क रोक देने का विरोध किया था।

लेडी मिटो ने (अपनी पुस्तक भारत, मिटो और मोलें में) लिखा है कि लन्दन की सरकार का भी यही विचार था ।

अपने शुरू के वर्षों में मुस्लिम लोग एक ऐसी संकुचित सम्प्रदायवादी संस्था थी, जो मुख्यतया ऊपरी वर्ग के मुसलमान जमींदारों को आकर्षित करती थी । लेकिन, जैसा कि कांग्रेस में हुआ, उसी तरह मुस्लिम लोग में भी कुछ दिनों के बाद साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय भावना अपना प्रभाव दिखाने लगी । १९१३ के प्राते-प्राते मुस्लिम लोग ने भारत के लिए "साम्राज्य के भन्दर स्वराज्य" प्राप्त करना और इस उद्देश्य के लिए "दूसरे सम्प्रदायों के साथ सह-योग करना" अपना लक्ष्य घोषित कर दिया । मुस्लिम लोग और कांग्रेस के बीच समझौते की बातचीत शुरू हो गयी और १९१६ में कांग्रेस-लोग एकता का लखनऊ-मंडल भी हो गया । इस समझौते में अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को मानने के साथ-साथ यह ऐलान भी किया गया था कि दोनों संस्थाओं का समान उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स है, जिसे प्राप्त करने के लिए दोनों कोशिश करेंगे । लखनऊ में कांग्रेस और लोग का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ । कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने कहा :

"सम्भवतो, कुछ लोगों का कहना है कि हम हिन्दू अपने मुगलमान भाइयों के सामने अरुणत से ज्यादा ड्रक गये हैं । मेरा विश्वास है कि मैं देश के समाज हिन्दुओं की तरफ से यह कह सकता हूँ कि हमारा अरुणत से ज्यादा ड्रक जाना असम्भव था ।... जब हमें एक तीव्र पथ से लड़ना है तो यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पटना है कि मात्र हम इस मंच पर एक साथ गड़े हुए हैं । आज इस मंच पर मूल्य की एकता है, धर्म की एकता है और विभिन्न राजनीतिक विचारों की एकता है ।"

इसी प्रकार लोग के नेता मि. जिन्ना ने, जिन्होंने उस समय कांग्रेस-लोग एकता के लिए बड़ी कोशिश की थी, लोग के अधिवेशन में सम्बोधन से कहा :

"मैं विश्वास भर पर यह कायेंगी रहा हूँ और साम्प्रदायिकता के नाम पर मुझे कभी प्रेम नहीं रहा है । लेकिन मुझे लगता है कि मुगलमानों पर कभी-कभी आलोचना की जो जोरदार गवाहों जाती है, वह विनाशकारी और गलत है, साथ ही यह भी देना है कि यह महान साम्प्रदायिक समस्या मुसलमानों के नाम के लिए नहीं है । यह एक बड़ी बात है ।"

पक्षों महासुख के बाद या उबरने का उभार प्राप्त, उनका हिन्दू लोकात्मक एकता और महासुख हूँ । लोकात्मक लोकात्मक और लोकात्मक लोकात्मक

रहुनुमाई में खिलाफत कमिटी के बीच संयुक्त मोर्चा स्थापित हो गया। खिलाफत कमिटी लड़ाकू मुस्लिम नेताओं का संगठन थी। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष का मोर्चा तैयार किया। चढ़कों पर हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वागत में उत्साहपूर्ण जन-प्रदर्शन होने लगे। १९१६ की सरकारी रिपोर्ट को मज़बूर होकर यह कहना पड़ा कि "हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व भाईचारा कायम हो गया है...मेल-मिलाप के प्रसाधारण दृश्य दिखाई देने लगे हैं।"

राष्ट्रीय संघर्ष के इस महान युग में कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम नेताओं तथा मुस्लिम जनता ने भी अपने लड़ाकूपन का परिचय दिया। मौलाना हुनेन प्रहमद मदनी और अली-बंघुओं ने फ़ौजियों में राजद्रोह का प्रचार किया और इसके लिए उन्हें छः बरस कैद की सज़ा सुना दी गयी। मलाबार के मोपला किसान अपने-आप ही ज़मींदारों तथा साम्राज्यवादियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने निडर होकर लड़ाई लड़ी और आश्चर्यजनक वीरता तथा संघर्ष की क्षमता और त्याग का परिचय दिया।

यह मांग सबसे पहले खिलाफती नेताओं ने उठायी थी कि स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता समझा जाय। मौ. हुसरत मोहानी ने १९२१ में कांग्रेस के प्रहमदावाद अधिवेशन में यह मांग की थी। और यह बात उल्लेखनीय है कि उसका विरोध गांधी जी ने किया था और यह कहा था कि "इस मांग से मुझे चटना हुआ है, क्योंकि उससे गैर-जिम्मेदारी की भावना प्रकट होती है।"

इसी प्रकार, १९१६ में मुस्लिम लीग ने अपने अनुसूचक अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया था कि भारत के मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए।

सन् १९२२ में सखनऊ में खिलाफत कमिटी और जमोयतुल-उलेमा का एक निला-जुला अधिवेशन हुआ। उसने यह प्रस्ताव पास किया कि भारत तथा मुसलमानों के सर्वोत्तम हितों का तकाज़ा यह है कि कांग्रेस के तत्त्व में "स्वराज्य" शब्द के स्थान पर "पूर्ण स्वतंत्रता" शब्द रख दिये जाय।

दुर्भाग्य से, उन दिनों कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि यह तो "कांग्रेस के विधान में एक मौलिक परिवर्तन" कर देगा।

लेकिन कांग्रेस और खिलाफत के आन्दोलन में जो एकता कायम हुई थी, वह कायम नहीं रही। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आन्दोलन को पकड़क बीच में ही रोक दिया और उसमें भाग्य में फूट पड़ गयी। जब गांधी जी ने अक्टूबर १९२२ में असहयोग आन्दोलन बन्द किया, तो खिलाफत कमिटी के सभी नेताओं ने इस तरह से संघर्ष रोक देने का विरोध किया था।

लेडी मिंटो ने (अपनी पुस्तक भारत, मिंटो और मोर्ले में) लिखा है कि लन्दन की सरकार का भी यही विचार था ।

अपने शुरू के वर्षों में मुस्लिम लीग एक ऐसी संकुचित सम्प्रदायवादी सस्था थी, जो मुख्यतया ऊपरी वर्ग के मुसलमान जमींदारों को आकर्षित करती थी । लेकिन, जैसा कि कांग्रेस में हुआ, उसी तरह मुस्लिम लीग में भी कुछ दिनों के बाद साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय भावना अपना प्रभाव दिखाने लगी । १९१३ के आते-आते मुस्लिम लीग ने भारत के लिए "साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य" प्राप्त करना और इस उद्देश्य के लिए "दूसरे सम्प्रदायों के साथ सह-योग करना" अपना लक्ष्य घोषित कर दिया । मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते की बातचीत शुरू हो गयी और १९१६ में कांग्रेस-लीग एकता का लखनऊ-पैक्ट भी हो गया । इस समझौते में अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को मानने के साथ-साथ यह ऐलान भी किया गया था कि दोनों सस्थाओं का समान उद्देश्य डोमीनियन स्टेटस है, जिसे प्राप्त करने के लिए दोनों कोशिश करेगी । लखनऊ में कांग्रेस और लीग का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ । कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने कहा :

"सज्जनो, कुछ लोगों का कहना है कि हम हिन्दू अपने मुसलमान भाइयों के सामने जरूरत से ज्यादा झुक गये हैं । मेरा विश्वास है कि मैं देश के तमाम हिन्दुओं की तरफ से यह कह सकता हूँ कि हमारा जरूरत से ज्यादा झुक जाना असम्भव था ।...जब हमें एक तीसरे पक्ष से लड़ना है तो यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि आज हम इस मंच पर एक साथ खड़े हुए हैं । आज इस मंच पर नस्ल की एकता है, धर्म की एकता है और विभिन्न राजनीतिक विचारों की एकता है ।"

इसी प्रकार लीग के नेता मि. जिन्ना ने, जिन्होंने उस समय कांग्रेस-लीग एकता के लिए बड़ी कोशिश की थी, लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से कहा :

"मैं जिन्दगी भर पक्का कांग्रेसी रहा हूँ और साम्प्रदायिक नारों से मुझे कभी प्रेम नहीं रहा है । लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों पर कभी-कभी अलगाव की जो तोहमत लगायी जाती है, वह बिल्कुल गैर-वाजिब और शलत है, खास तौर पर जब मैं देखता हूँ कि यह महान साम्प्रदायिक सस्था संयुक्त भारत के जन्म के लिए तेजी के साथ एक बड़ी ताकत बनती जा रही है ।"

पहले महायुद्ध के बाद जो जबर्दस्त उभार आया, उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता और मजबूत हुई । गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और अपनी भाइयों की

रहनुमाई में खिलाफत कमिटी के बीच संयुक्त मोर्चा स्थापित हो गया। खिलाफत कमिटी लड़ाकू मुस्लिम नेताओं का संगठन थी। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष का मोर्चा तैयार किया। सड़कों पर हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वागत में उत्साहपूर्ण जन-प्रदर्शन होने लगे। १९१६ की सरकारी रिपोर्ट को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि "हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व भाईचारा कायम हो गया है...मेल-मिलाप के असाधारण दृश्य दिखाई देने लगे हैं।"

राष्ट्रीय संघर्ष के इस महान युग में कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम नेताओं तथा मुस्लिम जनता ने भी अपने लड़ाकूपन का परिचय दिया। मौलाना हुसेन अहमद मदनी और अली-बंघुओं ने फ़ौजियों में राजद्रोह का प्रचार किया और इसके लिए उन्हें छः बरस कैद की सजा सुना दी गयी। मलाबार के मोपला किसान अपने-आप ही जमींदारों तथा साम्राज्यवादियों के अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने निडर होकर लड़ाई लड़ी और आश्चर्यजनक धीरता तथा संघर्ष की क्षमता और त्याग का परिचय दिया।

यह मांग सबसे पहले खिलाफती नेताओं ने उठायी थी कि स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता समझा जाय। भौ. हसरत मोहानी ने १९२१ में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में यह मांग की थी। और यह बात उल्लेखनीय है कि उसका विरोध गांधी जी ने किया था और यह कहा था कि "इस मांग से मुझे सदमा हुआ है, क्योंकि उससे शैर-जिम्मेदारी की भावना प्रकट होती है।"

इसी प्रकार, १९१६ में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया था कि भारत के मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए।

जून १९२२ में लखनऊ में खिलाफत कमिटी और जमीयतुल-उलेमा का एक मिला-जुला अधिवेशन हुआ। उसने यह प्रस्ताव पास किया कि भारत तथा मुसलमानों के सर्वोत्तम हितों का तकाजा यह है कि कांग्रेस के लक्ष्य में "स्वराज्य" शब्द के स्थान पर "पूर्ण स्वतंत्रता" शब्द रख दिये जाय।

दुर्भाग्य से, उन दिनों कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि यह तो "कांग्रेस के विधान में एक मौलिक परिवर्तन" कर देगा।

लेकिन कांग्रेस और खिलाफत के आन्दोलन में जो एकता कायम हुई थी, वह कायम नहीं रही। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आन्दोलन को यकायक बीच में ही रोक दिया और उससे आपस में फूट पड़ गयी। जब गांधी जी ने फ़रवरी १९२२ में असहयोग आन्दोलन बन्द किया, तो खिलाफत कमिटी के सभी नेताओं ने इस तरह से संघर्ष रोक देने का विरोध किया था।

इसके बाद जो निराशा का युग आया, उसने फिर कांग्रेस और लीग के अलग-अलग तथा हिन्दुओं और मुसलमानों के विरोध का रास्ता खोल दिया। साम्राज्यवादियों ने इस सुभ्रवसर से पूरा-पूरा फायदा उठाया। अगले कुछ वर्षों में यह देखने में आया कि पहले जहां आजादी के लिए संयुक्त लड़ाई लड़ी जाती थी, वहां अब ज्वरदस्त साम्प्रदायिक दगे होने लगे हैं। सम्प्रदायवादी प्रतिक्रियावाद ने जोर पकड़ लिया। १९२५ में मुस्लिम लीग के विरोध में हिन्दू महासभा अखिल भारतीय पंमाने पर बनायी गयी। उसके अध्यक्ष लाला लाजपतराय हुए। १९२७ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, मगर १९२८ के सर्व-दली सम्मेलन में समझौता कराने की नयी कोशिशें नाकाम रही।

इस तरह, जब १९३५ के नये विधान के मातहत पहली बार कुछ अधिक व्यापक मताधिकार के आधार पर प्रान्तीय धारासभाओं के चुनाव १९३७ में हुए, तो कांग्रेस और लीग आमने-सामने मैदान में उतरीं। आम सीटों में से ज्यादातर और प्रान्तों की साधारण धारासभाओं की कुल सीटों में से लगभग आधी सीटें कांग्रेस को मिलीं, लेकिन मुस्लिम सीटों में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। कुल १,५८५ आम सीटों में से ७१५ कांग्रेस को मिलीं, लेकिन ४८२ मुस्लिम सीटों में से उसने केवल ५८ के लिए चुनाव लड़ा और उनमें से भी महज २६ ही वह ले पायी (जिनमें से १५ उने सरहद्दी सूबे में और ११ सीटें बाकी देश में मिलीं)। दूसरी ओर मुसलमानों के अलग-अलग दलों और हिस्सों में चूक गहरी फूट थी, इसलिए मुस्लिम लीग को बहुत कम सफलता मिली। उसे कुल मुसलमान वोटों का केवल ४.६ प्रतिशत भाग ही मिल सका। (चुनाव में कुल मुसलमान वोट ७,३१९,४४५ थे, उनमें से उस समय मुस्लिम लीग को केवल ३२१,७७२ मिले।)

१९३७ के चुनाव के बाद मुस्लिम नेताओं ने गैर-रस्मी तौर पर कांग्रेस के नेताओं से प्रान्तीय मन्त्रि-मंडलों के विषय में समझौता करने की कोशिश की। मन्त्रि-मंडलों में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इस पर बात चलायी गयी। लेकिन कांग्रेस उस समय यह समझती थी कि उसका पाया मजबूत है। उसने लीग का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने दावा किया कि कांग्रेस पूरे देश की प्रतिनिधि है और लीग की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। जनवरी १९३७ में प. जवाहरलाल नेहरू ने मि. जिन्ना को एक पत्र में लिखा :

“अन्तिम विश्लेषण में भारत में मात्र केवल दो ही शक्तियाँ हैं— ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्र की प्रतिनिधि कांग्रेस।... मुस्लिम लीग कुछ मुसलमानों के एक दल का प्रतिनिधित्व करती है,

जिसमें निस्सन्देह बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन उसका काम केवल ऊपरी मध्य-वर्गों के हल्को तक ही सीमित है और उसका मुस्लिम जनता से कोई आम सम्पर्क नहीं है और निम्न मध्य-वर्ग से तो बहुत कम सम्पर्क है।”

इसके बाद कांग्रेस और लीग का झगड़ा बहुत तेजी से बढ़ता गया। मि. जिन्ना के कुशल नेतृत्व में लीग ने अपना संगठन मजबूत बनाना और मुस्लिम जनता में अपनी जड़े फैलाना शुरू किया। उसने अलग-अलग बिखरे पड़े विभिन्न मुस्लिम दलों और संगठनों को अपने में मिला लेने की कोशिश की ताकि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की मुख्य संस्था बन जाय। यह नीति असफल नहीं रही। १९३७ और १९४५ के बीच मुस्लिम लीग की स्थिति और उसकी तुलनात्मक शक्ति में एक निर्णायक परिवर्तन हो गया। मुस्लिम जनता अधिकाधिक संख्या में उसका समर्थन करने लगी। १९२७ में मुस्लिम लीग के मेम्बरों की कुल संख्या केवल १,३३० थी। लीग द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार वह संख्या १९३८ में लाखों तक पहुंच गयी और १९४४ में तो लीग ने यह दावा किया कि उसके मेम्बरों की तादाद बीस लाख हो गयी है। १९४६ के आम चुनावों में यह बदली स्थिति स्पष्ट हो गयी। केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं के चुनावों में कुल ५३३ मुस्लिम सीटों में से ४६० पर लीग ने कब्जा जमा लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस दौर में मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की मुख्य राजनीतिक संस्था बन गयी थी।

इस काल में मुस्लिम लीग का जनता पर असर बढ़ने के क्या कारण थे? इसके कई कारण दिखाई देते हैं।

एक तो यह कि पिछले दस साल की राजनीतिक हलचल का असर यह हुआ था कि जनता के नये हिस्से, जो अभी तक पिछड़े हुए थे, राजनीति में खिच आये थे, और उनमें राजनीतिक चेतना अपने प्राथमिक रूप में पैदा हो गयी थी। इस काल में कांग्रेस और लीग दोनों की तेजी से ताकत बढ़ी थी। १९३५-३६ और १९३८-३९ के बीच कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पहले से नौ-गुनी हो गयी और ४४ लाख तक पहुंच गयी। लेकिन इनमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। जनवरी १९३८ में प. नेहरू ने एक बयान में बताया था कि कांग्रेस के ३१ लाख मेम्बरों में से केवल १ लाख, यानी ३.२ प्रतिशत मुसलमान हैं। जिन मुसलमानों में नयी-नयी राजनीतिक चेतना पैदा हुई थी, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम लीग को अपना राजनीतिक संगठन मानते थे।

दूसरे, खुद मुस्लिम लीग के अन्दर नौजवानों और उग्रवादियों का एक ऐसा दल पैदा हो गया था जो एक जनवादी कार्यक्रम को लेकर भागे बढ़ रहा था और जिसका ऊपर के प्रतिक्रियावादी नेता विरोध कर रहे थे। कुछ जिलों

और प्रान्तों में, जैसे पंजाब और बंगाल में, ये नौजवान लोग जनता के सामाजिक और आर्थिक सवालों पर सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे और उसके जरिए गरीब मुसलमान जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे थे। इस नीति की सफलता १९४६ में हुए पंजाब के चुनाव में प्रकट हुई, जहाँ मुस्लिम लीग के हमले के सामने पुरानी जमी हुई यूनियनिस्ट पार्टी, जो पहले बहुत प्रभावशाली थी, भरभरा कर गिर पड़ी।

तीसरे, मुस्लिम लीग का जनता पर जो असर बढ़ा और कांग्रेस के अन्दर जो बहुत कम मुसलमान आये, उससे कांग्रेस को कुछ राजनीतिक, संगठनात्मक और कार्यनीति सम्बंधी कमजोरियाँ भी निस्संदेह रूप से प्रकट हो जानी हैं। कांग्रेस का बुनियादी लक्ष्य यह था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों उसके संगठन में आये। लेकिन व्यवहार में, कांग्रेस मेम्बरों के सम्बंध में, यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ। हम यह देख चुके हैं कि १९२२ में जब असहयोग आन्दोलन अपने शिखर पर था, तब उसे यकायक रोक देने से उस एकता पर जबर्दस्त आघात हुआ था, जो कांग्रेस और खिलाफत कमिटी के संयुक्त मोर्चे से कायम हुई थी। प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रि-मंडल बनने के काल में लीग ने समझौते का प्रस्ताव किया। मगर कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय लीग की शक्ति को कांग्रेस बहुत कम करके आकती थी। बाद को यह चीज लीग के हाथ में जबर्दस्त कांग्रेस-विरोधी प्रचार करने का साधन बन गयी। युद्ध के काल में और उसके ठीक पहले राजनीतिक परिस्थिति बहुत उलझी हुई थी। इस काल में कांग्रेस के नेताओं ने हृदय दर्ज की उलझनों, विरोधी प्रवृत्तियों और तुलमुलपन का परिचय दिया। (सुभाष बाबू पहले कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये, फिर कांग्रेस से ही निकाल दिये गये। जब युद्ध का रूप साम्राज्यवादी था, तब निष्क्रियता की नीति बरती गयी। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने यह स्वर अपनाया कि हम न तो युद्ध-उद्योग की मदद करेंगे और न उसका विरोध करेंगे। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया। और जब जापानी बढ़ते चले आ रहे थे, तब वह मशहूर भगस्त प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद सभी नेता पकड़ लिये गये और कठिन गैर-कानूनी परिस्थितियाँ पैदा हो गयीं और वे छिटपुट उपद्रव शुरू हो गये जिनको बाद में राष्ट्रीय सप्रास के रूप में सराहा गया।) लड़ाई का उमाना आर्थिक कठिनाइयों और अकाल का जमाना था, मगर कांग्रेस के नेताओं ने उस वक्त इन मुसीबतों से छूटने के लिए जनता की रहनुमाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप युद्ध के अन्तिम दिनों में राजनीतिक विध्वंसलता पैदा हो गयी और जनता में कुछ पस्तो आ गयी और इस तरह इस काल में संयुक्त राष्ट्रीय आन्दोलन का आकारण कमजोर हो गया।

मुस्लिम लीग के विकास के पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम जनता तक पहुंचने और उसे अपने साथ लाने की गम्भीर और लगातार कोशिश नहीं की। इसका सबूत यह था कि सरहदी सूबे में, जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खा के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने जनता के बीच गम्भीरतापूर्वक काम किया, वहां बिलकुल दूसरी परिस्थिति थी। यहां मुसलमान मजबूती के साथ कांग्रेस में थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का कार्यक्रम हालांकि असाम्प्रदायिक था और बहुत से प्रमुख देश-भक्त मुसलमान उसमें शरीक थे, फिर भी उसके बहुत से प्रचार में और खास तौर पर दक्षिण-पंथी नेताओं तथा गांधी जी के प्रचार में हिन्दू धर्म की गहरी घुट मिली रहती थी, जो मुसलमान जनता को कांग्रेस की ओर नहीं खींचती थी।

इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेताओं पर है। हम यह देख चुके हैं कि पहले महायुद्ध के पूर्व भारत में राष्ट्रीय जागरण की जो पहली बड़ी लहर आयी थी, उसके नेता तिलक, अरविन्द घोष, आदि ने हिन्दू धर्म को अपने प्रचार का आधार बनाया था और राष्ट्रीय नव-जागरण को हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान से मिला देने का प्रयत्न किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आन्दोलन से कटकर अलग हो गयी और सरकार के लिए यह रास्ता खुल गया कि वह १९०६ में मुस्लिम लीग को जन्म देकर एक नया मुहरा खड़ा कर ले।

और यह भयानक भूल पुराने जमाने के राष्ट्रवादियों या तथाकथित "उग्रपंथियों" तक ही सीमित नहीं रही। आधुनिक काल में भी इस भूल का सिलसिला जारी रहा। गांधी जी के पूरे प्रचार और आन्दोलन पर उसकी गहरी छाप थी। गांधी जी के सारे प्रचार में उनकी धार्मिक धारणाएं तथा हिन्दू धर्म का और राजनीतिक उद्देश्यों का प्रचार बुरी तरह उलझा हुआ था। १९२०-२२ में जब असहयोग आन्दोलन अपने चरम शिखर पर था और गांधी जी संयुक्त राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता थे, और जब उन पर यह जिम्मेदारी आती थी कि वह जो कहे, वह एक संयुक्त आन्दोलन के नेता के योग्य हो, उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि वह "सनातनी हिन्दू" हैं। उनके शब्द ये थे :

"मैं सनातनी हिन्दू हूँ, क्योंकि—

"१) मैं वेद, उपनिषद, पुराण और समस्त हिन्दू शास्त्रों में विद्वान् करता हूँ और इसलिए पुनर्जन्म तथा भ्रवतारों में भी मेरा विश्वास है।

"२) मैं वर्णाश्रम धर्म में विद्वान् करता हूँ—उस रूप में, जो मेरी राय में सर्वथा वेद-सम्मत रूप है, न कि उसके मौजूदा प्रचलित और भोंडे रूप में।

“ ३) मैं प्रचलित अर्थ से कही अधिक व्यापक अर्थ में गो-रक्षा में विश्वास करता हूँ ।

“ ४) सूर्ति-भूजा में मुझे अविश्वास नहीं है । ”

“ सनातनी ” शब्द का साधारण जनता क्या अर्थ लगाती है, यह जानने के लिए प. नेहरू के शब्दों का स्मरण कर लेना काफी है :

“ पीछे की तरफ चलने की इस होड़ में ... हिन्दू महासभा को मात करनेवाले सनातनी हैं जिनमें हृदय के मजहबी दकियानूसीपन के साथ-साथ अंग्रेजी सरकार के प्रति बहुत तीव्र, या कम से कम बहुत बुलन्द आवाज में प्रकट की जानेवाली राजभक्ति भी होती है । ”

हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपील करते हुए भी, गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं बोलते थे जो दोनों सम्प्रदायों में एक होने की भावना पैदा करता हो । वह एक हिन्दू नेता के रूप में बोलते थे, जो हिन्दुओं को “ हम लोग ” कहता था, और मुसलमानों को “ वे लोग ” । गांधी जी ने एक बार कहा था :

“ यदि हमें मुसलमानों के दिलों को जीतना है, तो हमें आत्म-शुद्धि के लिए तपस्या करनी होगी । ”

आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में भी, गांधी जी किसी भी समय कांग्रेस की राजनीति को छोड़कर हिन्दू धर्म में सुधार का आन्दोलन आरम्भ कर सकते थे (जैसा कि उन्होंने १९३२-३३ में, आन्दोलन के सकट-काल में किया था); और धार्मिक सुधार के आन्दोलन को छोड़कर फिर कांग्रेस की राजनीति में आ सकते थे ।

इस प्रकार, जो कांग्रेस का माना हुआ नेता था और जिसे जनता कांग्रेस का मुख्य प्रतिनिधि समझती थी, वह सदा हिन्दू धर्म तथा हिन्दू-मुनश्तवान के एक सक्रिय नेता के रूप में लोगों के सामने आता रहता था । तब क्या आश्चर्य है यदि ऐसी परिस्थिति में और कांग्रेस के ऐसे नेताओं तथा ऐसे प्रचार के होते हुए केवल शत्रु-भालोचक ही नहीं, बल्कि साधारण जनमत का भी एक बड़ा भाग कांग्रेस को “ हिन्दू आन्दोलन ” समझता था ? और जहाँ यह बात सही है कि इस मामले में मुख्य दोष गांधी जी का था, वहाँ यह बात भी सच है कि कांग्रेस के बहुत से छोटे नेता, आसकर गांधीवाद से प्रेरणा लेनेवाले नेता, इन्हीं तरीकों का प्रयोग करते थे । यदि इस सबके बाद भी कुछ चुने हुए मुस्लिम नेता सदा कांग्रेस के साथ बने रहे, तो इसका श्रेय उनकी राष्ट्रप्रेमिता को है ।

लेकिन, इन तरीकों के चलते आम मुसलमान जनता कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती थी ।

इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजी सरकार ने साम्प्रदायिक भेदभाव से फायदा उठाकर जनता के आन्दोलन के खिलाफ एक बहुत घृणित अस्त्र का उपयोग किया । मगर साथ ही यह बात भी सही है कि यह अस्त्र अंग्रेजी सरकार के हाथों में तिलकवाद और गांधीवाद ने दिया था ।

लेकिन इन सबके अलावा एक और खास कारण है जिससे जनता पर मुस्लिम लीग का, खास तौर पर १९४० में, पाकिस्तान का कार्यक्रम स्वीकार कर लेने के बाद प्रभाव बढ़ा । पाकिस्तान के कार्यक्रम पर विस्तार से हम बाद में विचार करेंगे । शुरू-शुरू में उसके द्वारा यह मांग की गयी थी कि उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भारत के उन इलाकों में, जहां मुसलमानों का बहुमत है, अलग से प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य स्थापित किये जाय । बाद को यह मांग बढ़कर छः सूवों के एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग बन गयी । इस कार्यक्रम की आलोचना के लिए बहुत मजबूत दलीले थी । लेकिन हाल के जमाने में जिस तरह यह कार्यक्रम राजनीति में सामने आया और इन इलाकों की मुसलमान जनता ने उसका जिस तरह समर्थन किया, उससे प्रकट होता है कि बहुत उलझे हुए रूप में ही सही, पर यह कार्यक्रम एक हद तक जनता की सच्ची भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता था । पाकिस्तान की मांग और जनता से उसको जो जबर्दस्त समर्थन मिला, उसके पीछे भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक नये तत्व को काम करते देखा जा सकता था ।

जैसे-जैसे राष्ट्रीय आन्दोलन जनता में फैल रहा था, वैसे-वैसे वह राष्ट्रीय चेतना के नये रूपों को धरातल पर ला रहा था । भारतीय कौम के विभिन्न जातीय तत्व इन रूपों में प्रकट हो रहे थे । जिन जातीय समूहों में मुस्लिम धर्म की प्रधानता थी उनमें, खास तौर पर उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी भारत के जातीय समूहों में, एक हद तक पाकिस्तान का नारा इस नयी बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को एक विकृत रूप में व्यक्त करता था । स्तालिन ने १९१२ में ही यह बात देख ली थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन के बढ़ने के साथ-साथ भारतीय कौम का बहु-जातीय स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होता जायगा । उन्होंने लिखा था :

“सम्भवतः भारत में भी हम यह देखेंगे कि वे असह्य जातियां जो अभी सोती रही हैं, पूजीवादी विकास के आगे बढ़ने पर जाग उठेंगी ।”

साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में भारतीय जनता को एकता की आवश्यकता थी । भविष्य का स्वतंत्र भारत आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से संयुक्त रहे, यह निस्सन्देह एक प्रगतिशील उद्देश्य था । लेकिन इन दोनों बातों

का यह मतलब नहीं कि हम भारतीय क्रौम को कोई एकरूप इकाई समझ बैठें। बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय क्रौम के बहु-जातीय स्वरूप को स्वीकार करें। जिस समय कांग्रेस ने कांग्रेसियों के मनमाने ढंग से बनाये हुए प्रान्तों की जगह पर सांस्कृतिक और भाषावार प्रान्तों को मान्यता दी थी, और जब उसने यह माना था कि भविष्य में स्वतंत्र भारत के विधान में इन प्रान्तों को स्वायत्त शासन का पूरा-पूरा अधिकार मिलेगा, तब कांग्रेस ने वास्तव में इन जातीय समूहों को ही प्रांशिक रूप से स्वीकार किया था। लेकिन इस काल में कांग्रेस ने इन समूहों के जातीय स्वरूप को नहीं माना और उनको आत्म-निर्णय का पूर्ण अधिकार देने का विरोध किया।

मगर भारतीय क्रौम के बहु-जातीय स्वरूप का यह सवाल और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं और उनके भेद को समझना अत्यन्त आवश्यक है।

पाकिस्तान की मांग को मुस्लिम लीग ने पहले-पहल १९४० में अपनाया था, हालांकि उस वक्त उसे यह नाम नहीं दिया गया था। इसके पहले, जब १९३० में कवि इकबाल ने और १९३३ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ विचारियों ने यह प्रस्ताव रखा था, तो मुस्लिम लीग के राजनीतिक नेताओं ने उसे ठुकरा दिया था। १९३३ में वैधानिक सुधारों की संयुक्त समिति के सामने बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि यह "विचारियों का सपना," "अव्यावहारिक" और "हवाई उड़ान" है। १९३७ में भी मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में यह लक्ष्य स्वीकार किया गया था कि लीग "भारत में स्वतंत्र जनवादी राज्यों के एक संघ के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना" के लिए काम करेगी। लेकिन १९४० में लीग के लाहौर अधिवेशन ने यह प्रस्ताव पास किया :

"कंसला किया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की राय में कोई वैधानिक योजना उस वक्त तक इस देश में कार्यान्वित नहीं की जा सकती, या मुसलमानों की मजूर नहीं हो सकती जब तक कि वह नीचे लिखे बुनियादी सिद्धान्तों के अनुसार नहीं बनायी जाती : भौगोलिक दृष्टि में एक-दूसरे से सटी हुई इकाइयों को अलग करके और उनमें आवश्यक सीमा-परिवर्तन करके ऐसे प्रदेश बना दिये जाय कि जिन क्षेत्रों में सच्चा की दृष्टि में मुसलमानों का बहुमत हो—जैसे कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—उन मुस्लिम बहुमत के क्षेत्रों को मिलाकर ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाय, जिनमें शामिल इकाइयों को स्वायत्त शासन का अधिकार तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी।"

वाद में इस बहुत अस्पष्ट प्रस्ताव की व्याख्या की गयी। १० दिसम्बर, १९४५ को मि. जिन्ना ने लीग की माग की इन शब्दों में व्याख्या की -

“भारत का गतिरोध उतना ज्यादा भारत और अंग्रेजों के बीच में नहीं है। वह असल में हिन्दू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में है... जब तक पाकिस्तान नहीं दिया जाता, तब तक कोई चीज हल नहीं हो सकती...। एक नहीं दो विधान सभाएं बनानी होंगी। उनमें से एक हिन्दुस्तान का विधान बनायेगी, दूसरी पाकिस्तान का।

“भारत का मसला हम दस मिनट में हल कर सकते हैं, बशर्ते मि. गांधी कह दे कि ‘मैं राजी हूँ कि पाकिस्तान बन जाय, मैं राजी हूँ कि एक-चौथाई भारत जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, सरहदी सूबा, वगाल और आसाम शामिल है, अपनी मौजूदा सीमाओं के साथ पाकिस्तान बन जाय।’

“मुमकिन है कि आबादी की बदला-बदली करनी पड़े, बशर्ते लोग अपनी खुशी से इसके लिए तैयार हों। सीमाओं में भी बिलाशक कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा।... यह सब हो सकता है, लेकिन पहले यह मानना जरूरी है कि इन सूबों की मौजूदा सीमाएं भावी पाकिस्तान की सीमाएं होंगी। पाकिस्तान की हमारी सरकार सम्भवतः एक संघीय सरकार होगी जिसमें प्रान्तों को खुद-मुस्तारी हासिल होगी...।

“व्यक्तिगत रूप से मैं अंग्रेजी सरकार की ईमानदारी में शक नहीं करता। लेकिन मुझे उन लोगों की ईमानदारी में जरूर शक है जो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को पूरा पाकिस्तान दिये बिना भी कोई समझौता हो सकता है।”

अन्त में, अप्रैल १९४६ में धारासभाओं के मुस्लिम सदस्यों का जो सम्मेलन हुआ, उसने पाकिस्तान की यह व्याख्या की -

“उत्तर-पूर्व में बंगाल और आसाम का इलाका और उत्तर-पश्चिम भारत में पंजाब, सरहदी सूबे, सिंध और बलोचिस्तान का इलाका — इन पाकिस्तानी इलाकों को, जहां मुसलमानों का प्रबल बहुमत है, मिलाकर एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बना दिया जाय।”

पाकिस्तान का सिद्धान्त इस कल्पना पर आधारित है कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग “जातियां” हैं। भले ही सारे भारत में और भारत के हर इलाके में हिन्दू और मुसलमान मिले-जुले रहते हों, भले ही हिन्दू और मुसलमान एक ही परिवार के सदस्य हों, लेकिन इस सिद्धान्त के अनुसार वे हैं

दो अलग-अलग "जातियों" के लोग। जाहिर है कि धर्म को (और धर्म से सम्बन्धित समान संस्कृति को) जातीयता का आधार बनाने की यह कोशिश जातीयता की प्रत्येक ऐतिहासिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्याख्या एवं अनुभव के खिलाफ जाती थी। यह तो उसी तरह की बात हुई मानो योरप में रहनेवाले कैथोलिक मतावलम्बियों की एक अलग जाति मान ली जाय। और सचमुच यदि इम तर्क को और आगे बढ़ाया जाय और जाति को इस व्याख्या के अनुसार मुसलमानों की एक अलग जाति मान ली जाय, तो कहना पड़ेगा कि उत्तरी अफ्रीका से लेकर भारत तक के सभी मुसलमानों की एक जाति है और पाकिस्तान के सिद्धान्त की अन्तिम परिणति विश्व इस्लामवाद में हो जायगी।

मार्क्सवाद के अनुसार जाति की व्याख्या क्या है, इसका सार-सत्त्व स्तालिन ने अपनी पुस्तक मार्क्सवाद और जातियों के प्रश्न में दिया है। उनकी दी हुई वह प्रसिद्ध परिभाषा यह है कि "जाति वह है जिसका ऐतिहासिक विकास इस प्रकार हुआ हो कि उसमें भाषा, प्रदेश, आर्थिक जीवन तथा सांस्कृतिक एकता के रूप में व्यक्त होनेवाली मानसिक गठन की एकता हो।" इसके बाद स्तालिन ने यह जरूरी शर्त और जोड़ दी थी कि "इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि ऊपर बतायी गयी विशेषताओं में से कोई भी विशेषता ऐसी नहीं है कि अकेले उससे ही जाति बन जाय। बल्कि अगर इन विशेषताओं में से एक भी गायब है, तो जाति जाति न रहेगी।"

इस कसौटी का इस्तेमाल करने पर यह बात साफ़ हो जाती है कि भारत के मुसलमानों को एक "जाति" नहीं माना जा सकता। उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके इलाके अलग हैं और संस्कृतिया अलग हैं। नस्ल की दृष्टि से उनमें अनेक तरह के भेद पाये जाते हैं। पठान और बंगाली मुसलमानों के बीच एकमात्र समानता धर्म की या पुरानी संस्कृति के कुछ अवशेषों की ही होती है। लेकिन इतने से ही तो वे एक जाति के नहीं हो जाते। पुराने हूती साम्राज्य में रहनेवाले यहूदी लोग अलग-अलग इलाकों में रहते थे और अलग-अलग भाषाएं बोलते थे। स्तालिन ने उनको एक अलग जाति नहीं माना और उनके लिए यह दलील दी:

"उनके जीवन में यदि कोई बात ममान है तो यह कि उनका धर्म एक है, उनका मूल एक है और जातीय स्वरूप के कुछ अवशेष उनमें पाये जाते हैं। इन सब बातों में कोई गन्देह नहीं है। लेकिन क्या यह सम्भारतापूर्वक यह दावा कर सकता है कि त्रिस्त मजरीय सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में वे बहूरी रहते हैं, उनमें क्या वे जड़ धार्मिक रीतिरिवाज और मिटने हुए मानसिक अवशेष उनके साम्य का निशान हैंगी?"

यहां पर प्रश्न केवल जाति की रस्मी परिभाषा का नहीं है। यदि केवल परिभाषा का प्रश्न होता, तो बहस करना बेकार था। लेकिन यदि एक बार जाति का आधार धर्म को मान लिया जाय, तो उससे कुछ बहुत ही गम्भीर राजनीतिक परिणाम निकल आते हैं। ठोस वास्तविकता में चूकि जाति केवल एक विशेष इलाके में ही रह सकती है, और चूकि यह सिद्धान्त राजनीतिज्ञों का गढा है और वह धरती से नहीं उपजा है, इसलिए इस तथाकथित "जाति" के लिए एक इलाका ज़बर्दस्ती बंटवा लेने की भी जरूरत पैदा हो जाती है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के भौगोलिक रूप की जांच करते ही इस सिद्धान्त का खोखलापन जाहिर हो जाता है।

शुरु में, जिन छः सूबों को, उनकी "मौजूदा सीमाओं के साथ" मिलाकर पाकिस्तान बनाने की बात कही गयी थी, उनकी कुल आबादी १० करोड़ ७० लाख होती थी। इनमें से मुसलमानों की संख्या ५ करोड़ ६० लाख, यानी ५५% थी और गैर-मुसलमानों की तादाद ४ करोड़ ८० लाख, यानी ४५% थी। इस प्रकार इस इस्लामी राज्य की लगभग आधी आबादी गैर-मुसलमानों की होती थी और कोई ३ करोड़ मुसलमान, यानी भारत के कुल मुसलमानों का लगभग ४० प्रतिशत भाग पाकिस्तान के बाहर रह जाता था। इससे साफ हो जाता है कि भारत की बहुत ही मिली-जुली हिन्दू-मुस्लिम आबादी की साम्प्रदायिक समस्या को ज़बर्दस्ती इलाके बांटकर हल करने की कोई काशिश कामयाब नहीं हो सकती।

जब १९४७ में माउंटबैटन योजना के अनुसार पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना हुई, तो भारत के बटवारे के साथ-साथ पंजाब और बंगाल का बंटवारा भी करना पड़ा। फिर भी नये "इस्लामी राज्य" में कोई २ करोड़ ऐसे गैर-मुस्लिम लोग रह ही गये जो कि उसकी कुल आबादी का चौथाई से लेकर तिहाई तक होते थे; और कोई ३ करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान के बाहर रह गये। इस परिस्थिति का नतीजा हुआ कि नयी सीमाओं के दोनों ओर खून-खराबी और क्रतलेयाम हुए और बड़े पैमाने पर आबादी इधर से उधर गयी; और इसके कारण करोड़ों इंसान बेघरबार हो गये।

इसलिए, भारत का बंटवारा होकर भारतीय सघ तथा पाकिस्तान के डोमिनियनों का बन जाना किसी भी मान में राष्ट्रीय स्वतंत्रता या जातीय आत्म-निर्णय की ओर बढ़ना नहीं था। असल में इन दोनों राज्यों की स्थापना साम्राज्यवाद के साथ कांग्रेस और लीग के राष्ट्रीय पूंजीवादी नेताओं के समझौता का परिणाम थी। बंटवारे के हथकंडे का प्रयोग करके भारत के जनवादी आन्दोलन को कमजोर कर दिया गया और उसमें फूट डाल दी गयी। दोनों डोमिनियनों में साम्प्रदायिक विरोध को बेहद बढ़ा दिया गया और नयी

बनी दोनों सरकारों में शुरू से ही आपसी वैर पैदा कर दिया गया। इस सबसे जो खूनी फसल तैयार हुई, यह बंटवारे के बाद होनेवाले खूखार दंगों तथा कल्लेघरों के रूप में प्रकट हुई, जिनके परिणामस्वरूप करोड़ों नर-नारी अपने घरबार छोड़कर शरणार्थी बन गये।

लेकिन, इन तमाम बातों की वजह से हमें इस सत्य की ओर से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए कि शुरू में पाकिस्तान की मांग के पीछे किसी हद तक जातीयता का सच्चा मवाल भी छिपा हुआ था। पाकिस्तान की मांग की जनता से जो व्यापक समर्थन मिला और जो पाकिस्तान की स्थापना के समय जन-समारोहों के रूप में प्रकट हुआ, उससे जाहिर होता है कि यह केवल साम्प्रदायिक प्रचार का, या सामाजिक तथा आर्थिक सवाल से पैदा होनेवाले जनता के असंतोष को साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिशों का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे यह सचाई भी काम कर रही थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन के जनता के अधिक गहरे स्तरों में घुसने के फलस्वरूप जातीय चेतना के नये रूप सामने आ गये थे। पाकिस्तान के सवाल से यह बात उभरकर सामने आयी कि भारतीय स्वतंत्रता के माधारण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में जातियों के प्रश्न को हल करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रश्न का अन्तिम हल केवल जनवादी मार्ग पर चल कर ही हो सकता है। आत्म-निर्णय का जनवादी सिद्धान्त यह बात मानता है कि जिस इलाके में साफ तौर पर आत्म-निर्णय की जातीय मांग उठ रही हो, यानी जिस इलाके के अधिकतर निवासी अपने विनिष्ट जातीय स्वरूप व संस्कृति के आधार पर स्पष्ट रूप से यह मांग कर रहे हों कि उनकी अपनी अलग राजनीतिक संस्थाएँ होनी चाहिए, और जहाँ भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से यह चीज सम्भव हो, उन इलाके के निवासियों को अपनी अलग राजनीतिक संस्थाएँ कायम करने का अधिकार है, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई राजनीतिक संस्था लादने की किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत की बहु-जातीय समस्या को हल करने का सबसे उपयोगी ढंग यही है कि आत्म-निर्णय के इस जनवादी सिद्धान्त पर सुसंगत ढंग से अमल किया जाय। और इसी ढंग पर चलकर सभी जातियों के स्वैच्छापूर्वक मिलने के लिए सबसे अच्छी परिस्थितिवा पैदा हो सकती है। बहु-जातीय सोवियत मध्य में और हाल के दिनों में चीनी जनता के जनान्त में जातियों का मवान इसी तरह गहनता के साथ हल किया जा चुका है।

इस सिद्धान्त को मानने का अर्थ यह होगा कि भारतीय जनता का प्रत्येक ऐसा हिस्सा जिसके रहने का एक मिला-जुला इलाका है, जिसकी एक ममान ऐतिहासिक परम्परा है, जिसकी एक ममान भाषा, संस्कृति, मानविक गठन और

समान आर्थिक जीवन है, उसे इस बात का अधिकार होगा कि वह स्वतंत्र भारत में एक स्पष्ट जाति के रूप में जीवन बिताये, और चाहे तो स्वतंत्र भारतीय संघ के अन्दर एक खुद-मुस्तार राज्य के रूप में रहे (जिसे संघ से अलग हो जाने का भी अधिकार होगा) ।

इस प्रकार कल को जो स्वतंत्र भारत बनेगा, वह पठान, पंजाबी, सिंधी, हिन्दुस्तानी, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, आसामी, विहारी, उडिया, आंध्र, तामिल, करेल, कन्नड़, मराठा, आदि विभिन्न जातियों के खुद-मुस्तार राज्यों के संघ (फेडरेशन या यूनियन) का रूप धारण कर सकता है । इस तरह जो नये राज्य बनेंगे, उनमें जो अल्पसंख्यक जातियों के लोग बिखरे हुए रह जायेंगे, उनके संस्कृति, भाषा तथा शिक्षा सम्बंधी अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित रहेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा और उनका उल्लंघन करनेवालों को कानूनन दंड मिलेगा ।

आत्म-निर्णय के अधिकार को, जिसमें अलग होने का अधिकार भी शामिल है, मान लेने का क्रतई यह मतलब नहीं होता कि अलग हो जाना सही है । इसके विपरीत, भारत के जनवादी विकास के हित में यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत की एकता कायम रहे । भारत की एकता इसलिए खास तौर पर जरूरी है कि उसके विभिन्न हिस्से परस्पर सहयोग के द्वारा तेजी से उन्नति कर सकें और पूरे भारत की आर्थिक उन्नति की योजना बनायी जा सके, उसके अनुसार पूरे देश का विकास किया जा सके और उसका सामाजिक स्तर ऊपर उठाया जा सके । लेकिन यह एकता स्वेच्छा से ही हो सकती है । भारतीय संघ स्वेच्छा से ही बन सकता है ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह नीति सबसे पहले १९४२ के एक प्रस्ताव में पेश की थी, जिसमें भारतीय कौम के बहु-जातीय स्वरूप से पैदा होनेवाली नयी समस्याओं पर पहली बार गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में, जो १९५१ में स्वीकार हुआ, इस नीति की अधिक विशद व्याख्या इस प्रकार की गयी है :

“ सभी जातियों के लिए आत्म-निर्णय का अधिकार हो । भारतीय प्रजातंत्र भारत की विभिन्न जातियों की जनता को बलपूर्वक नहीं, बल्कि राजी-खुशी से दी गयी उनकी राय के अनुसार एक संयुक्त राज्य की स्थापना के लिए एकत्रित करे ।

“ भारत संघ के वर्तमान प्रान्तों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाय और समान भाषा के सिद्धान्त के आधार पर प्रान्तों का फिर से निर्माण किया जाय । देशी राज्यों को, जो अभी मौजूद हैं, वगल के

उपयुक्त जातीय प्रान्तों में मिला दिया जाय और विदेशी साम्राजियों के अधीनस्थ इलाकों को देश में मिला लिया जाय और उनका पुनर्गठन भी इसी सिद्धान्त के आधार पर हो। आदिवासी क्षेत्रों को, या उन क्षेत्रों को जहां खास ढंग के लोग रहते हैं, और जहां खास तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, या जहां की आबादी किसी अल्पसंख्यक जाति की है, क्षेत्रीय स्वायत्त शासन का पूर्ण अधिकार होगा और वे अपनी क्षेत्रीय सरकारें बना सकेंगे तथा उनके विकास के लिए पूरी-पूरी मदद दी जायेगी।”

इसी दृष्टिकोण से इन समस्याओं को सबसे ज्यादा उपयुक्त ढंग से हल किया जा सकता है।”

चौदहवां अध्याय

दूसरे महायुद्ध में भारत

१९३०-३४ के महान जन-संघर्षों से लेकर दूसरे महायुद्ध तक भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को साफ-साफ तीन युगों में बांटा जा सकता है। पहले, संगठन को फिर से दुरुस्त किया गया जो दमन से छिन्न-भिन्न हो गया था, और नयी नीति निश्चित की गयी, जिसके बाद १९३७ के चुनावों में राष्ट्रीय आन्दोलन की जीत हुई, जिसको इस्तेमाल करके दक्षिण-पंथी नेताओं ने ब्रिटिश भारत के अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल कायम कर लिया। १९३४ से १९३७ तक के काल की ये सफलताएँ हैं। उसके बाद संकट तेज होने लगा, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के अनुभव से जनता के भ्रम टूटने के परिणामस्वरूप दक्षिण-पक्ष और वाम-पक्ष के मतभेद बहुत तीखे हो गये, और प्रारम्भिक रूप में १९३८-३९ में ही नये संघर्षों की ओर बढ़ने के चिन्ह दिखाई देने लगे। युद्ध की हालतों ने इस क्रिया को तेज कर दिया और पेचीदा बना दिया। युद्ध से भारत के लिए और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए बहुत गम्भीर संकट पैदा हो गया था। उसका परिणाम दूसरे महायुद्ध के बाद एक विराट क्रान्तिकारी उभार के रूप में देखने को मिला।

दूसरे महायुद्ध की घटनाओं ने भारत को अन्तरराष्ट्रीय राजनीति की भँवर के बीचोंबीच लाकर खड़ा कर दिया।

१. अंग्रेजों की अन्तरराष्ट्रीय स्थानीय और भारत

दूसरे महायुद्ध के विनोय प्रदनों पर विचार करने से पहले यह जान लेना उपयोगी होगा कि अंग्रेजों की अन्तरराष्ट्रीय स्थानीय में भारत का शुरू में क्या स्थान था और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो चुके थे तथा वैदेशिक नीति के सचानों पर राष्ट्रीय आन्दोलन का क्या स्थ था।

पिछले दो सौ बरसों में यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती गयी है कि अंग्रेजों ने भारत को अपनी अन्तरराष्ट्रीय रणनीति की घुरी बना रखा था। अठारहवीं सदी में ऊपर से देखने में योरप की बदलती हुई परिस्थितियाँ और नित नये बनते हुए घुट ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाइयों का कारण मालूम पड़ते थे। मगर वास्तव में उनका मुख्य कारण अमरीका को हथियाने और भारत पर प्रभुत्व जमाने का सवर्ष था। जब ब्रिटेन के हाथ से संयुक्त राष्ट्र अमरीका निकल गया तो भारत का महत्व और बढ़ गया। मिश्र और निकट-पूर्व पर चढ़ाई करने के समय असल में नेपोलियन भारत की तरफ बढ़ने का सपना देख रहा था। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन को सदा रूस का हीमा सताता रहता था। डर था कि रूस कहीं एशिया में बढ़ता न चला जाय और अन्त में भारत का दरवाजा खटखटाने लगे। बीसवीं सदी शुरू होने पर, जब ब्रिटेन ने उदासीनता की नीति छोड़ी, तो इस सिलसिले में उसने पहला काम यह किया कि जापान से दोस्ती की, और जब सशोधित जापान-ब्रिटेन संधि को दुहराया गया, तो उसमें एक यह शर्त भी रखी गयी कि भारत पर अंग्रेजों हुकूमत बनाये रखने में जापान मदद करेगा। जर्मनी के साथ ब्रिटेन के झगड़े का खास कारण यह प्रश्न था कि मध्य-पूर्व पर किसका नियंत्रण रहेगा, क्योंकि उससे भारत तक पहुँचने का रास्ता सुलना था।

अंग्रेजों के लिए भारत ने हमेशा कुबेर के ऐसे सजाने का काम किया है, जिससे उन्हें मनचाहें मिलाही और मनचाहा धन मिल सकता था। इसी धन-जन से अंग्रेजों ने भारत को जीता। इसीसे उन्होंने एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भारत सरकार पर जो कर्ज लदा हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा भाग इन युद्धों के कारण ही उन पर चढ़ा था। ब्रिटेन अपनी नीति के उद्देश्यों के लिए हमारे एशियाई देशों में, और एशिया की सीमाओं से दूर लड़ाइयाँ लड़ता था और उन सबका खर्च भारत के मत्पे मड दिया जाता था।

भारत की फौज का जो इतना विस्तार किया गया था और उस पर जो बेगुमार खर्चा किया जाता था, उसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि भारत की जनता को दबाकर रखने के लिए एक बहुत बड़ी फौज की आवश्यकता थी; उसकी वजह यह भी थी कि अंग्रेजी सरकार हमेशा यह हिमाय लगाती रही थी कि अपना युद्ध चलाने के लिए और भारत की सीमाओं के बाहर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कितनी बड़ी फौज की जरूरत होगी।

दो महायुद्धों के बीच ब्रिटेन के लिए भारत का फौजी महत्व घोर बढ़ गया। मध्य-पूर्व में अंग्रेजों का नया साम्राज्य और प्रभाव-क्षेत्र भारत के ही आधार पर बनाया गया था। मूमध्य सागर पर नियंत्रण गो बँडने की स्थिति के लिए पहले से तैयार रहने के बाम्ने अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका का चक्र

काटकर जानेवाले मार्ग पर तथा साइमंसटाउन के नये जहाजी अड्डे पर जोर देना, और प्रशान्त महासागर से हिन्द महासागर में प्रवेश करने के मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सिंगापुर के तथाकथित अजेय जहाजी अड्डे पर जोर देना — इन दोनों बातों से यही जाहिर होता है कि अंग्रेज लोग भारत को अपने साम्राज्य की धुरी समझते थे और भारत जानेवाले तमाम रास्तों को अपने हाथ में रखना और भारत में अपनी हुकूमत को सुरक्षित रखना अपनी नीति का मुख्य ध्येय मानते थे। जैसे-जैसे भूमध्य सागर और स्वेज नहर का रास्ता अधिकाधिक खतरे में पड़ता गया, वैसे-वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की जीवन-नाडी के रूप में ब्रिटेन को आस्ट्रेलिया से जोड़नेवाले हवाई जहाजों के रास्ते का महत्व बढ़ता गया। यह रास्ता बगदाद, कराची, कलकत्ता और सिंगापुर होकर जाता था और ब्रिटेन को भारत तथा स्याम के जरिए सुदूर-पूर्व से जोड़ता था। जैसे-जैसे जापान प्रशान्त महासागर के क्षेत्र पर और चीन के समुद्र-तट तथा नदियों पर अपना अधिकार जमाता गया, वैसे-वैसे बर्मा के जरिए चीन जानेवाली सड़क का महत्व बढ़ता गया।

अंग्रेजों के साम्राज्यवादी प्रभुत्व तथा प्रभाव के दो खास क्षेत्र हैं : एक मध्य-पूर्व का क्षेत्र; दूसरा दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में भारत धुरी का काम करता है। जहाँ तक अंग्रेजों की रणनीति का सम्बंध है, भारत एक ऐसा अड्डा है जिसके बिना उनका काम ही नहीं चल सकता। एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलनों के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई बहुत नाबुक थी। इस लड़ाई के लिए अंग्रेजों ने भारत का सदा अपने मुख्य फौजी अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। बर्मा, मलाया और इंडोनीशिया के पड़ोसी देशों में आजादी के आन्दोलनों को दबाने के लिए और इन देशों पर फिर से साम्राज्यी शासन कायम करने के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने न केवल भारत का माल लिया, बल्कि अपनी फौजों के लिए वहाँ से रंगरूट भी भरती किये (इंडोनीशिया के विरुद्ध युद्ध चलाने के लिए वह बहुत दिनों तक रंगरूट भर्ती नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन ने उसे यह नहीं करने दिया)।

२. भारत और युद्ध (१९३६-४२)

१९३६ में जब ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जग का ऐलान किया तो वह भारत को उसी तरह इस्तेमाल करना चाहता था जिस तरह उसने १९१४ में किया। वह चाहता था कि भारत ब्रिटेन के पीछे कठपुतली बना पिसटता चले और वहाँ की जनता की राय पूछने की भी कभी नीबत न भाये। युद्ध की घोषणा के बाद घंटों के अन्दर ही वायसराय ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया।

मगर घटनाओं ने बहुत जल्द यह दिखा दिया कि १९१४ के मुकाबले भारत की परिस्थिति बहुत बदल गयी है। १४ सितम्बर को कांग्रेस की कार्य-समिति ने युद्ध पर अपना बयान निकाला। उसमें कहा गया था कि "कार्य-समिति किसी ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकती, जो साम्राज्यवादी ढंग पर चलाया जा रहा हो और जिसका उद्देश्य भारत में और दूसरी जगहों में साम्राज्यवाद को दृढ़ करना हो।" चुनावे कांग्रेस ने सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दी :

"इसलिए कार्यसमिति अंग्रेजी सरकार को इस बात की दावत देती है कि वह स्पष्ट शब्दों में यह ऐलान करे कि इस लड़ाई में जनतंत्र और साम्राज्यवाद के विषय में उसके क्या उद्देश्य हैं।... क्या उसके उद्देश्यों में साम्राज्यवाद को खतम करना और भारत के साथ एक आजाद देश जैसा बरताव करना भी शामिल है? क्या भारत की नीति उसकी जनता की इच्छा के अनुसार निर्धारित हुमा करेगी?"

कांग्रेस के इस सीधे सवाल के जवाब में अंग्रेजी सरकार ने जितना कहा, वह न कहने के ही बराबर था। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर १९३६ में सभी कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने इस्तीफा दे दिया। १९४० की गरमियों में, योरप में नास्तियों के बढ़ाव के बाद, कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग देने का एक नया प्रस्ताव पेश किया, बसते कि भारत की आजादी मान ली जाय और "केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाय।" लेकिन, एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने कौरा जवाब दे दिया। उस पर कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया, जो अक्टूबर १९४० में शुरू हुआ।

जिस समय कांग्रेस के नेता वायसराय के साथ यह मोनभाव कर रहे थे, उस समय तक जनता मैदान में उतर आयी थी। २ अक्टूबर, १९३६ को बम्बई के ६०,००० मजदूरों ने युद्ध तथा साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ एक दिन की राजनीतिक हड़ताल की। जितने देश युद्ध में शरीक थे, उनमें यह पहली युद्ध-विरोधी आम हड़ताल थी। हड़ताल के दिन शाम को बम्बई के कामगार मैदान में एक विराट सभा हुई जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ। उसमें कहा गया था :

"यह सना ऐलान करती है कि यह अन्तरराष्ट्रीय मजदूर वर्ग और सत्तार की जनता के साथ है, जिसे साम्राज्यवादी ताकतें इन अत्यन्त विनाशकारी युद्ध में जबरदस्ती साँच रही हैं।"

देश में उन ताकतों का बोर बढ रहा था जो यह चाहती थीं कि साम्राज्यवाद से एक निलम्बित युद्ध किया जाय। इसका एक गवून यह था कि १९३६

श्रौर १९४० में मजदूर-किसान शक्तियों तथा उग्रवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार निर्ममता से प्रहार कर रही थी। इसके अलावा, अक्टूबर १९४० में गांधी जी ने जिस अत्यन्त सीमित ढंग का श्रौर तरह-तरह की शर्तों के बंधनों में जकड़ा हुआ आन्दोलन चलाया, उससे भी यही मालूम पड़ता था। सत्याग्रहियों की सूची तैयार करके गांधी जी के पास जाच और अनुमति के लिए भेज दी जाती थी। जिन सत्याग्रहियों को गांधी जी अनुमति दे देते थे, उनके लिए जरूरी होता था कि वे पुलिस को पहले से यह सूचना दे दें कि वह किस स्थान पर श्रौर कब युद्ध के विरोध में प्रतीकात्मक सत्याग्रह करेंगे। फिर भी आनेवाले महीनों में व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं श्रौर जेलखाने भर दिये गये।

जब १९४१ के उत्तरार्ध की घटनाओं ने युद्ध के स्वरूप में एकदम मौलिक परिवर्तन ला दिया, तो देश इसी प्रकार के गतिरोध में फंसा हुआ था। सोवियत संघ पर जर्मनी ने चढ़ाई कर दी। ब्रिटेन श्रौर सोवियत के बीच समझौता हो गया। उधर सुदूर-पूर्व में जापानियों ने हत्ला बोल दिया श्रौर ब्रिटेन व सोवियत संघ का संयुक्त मोर्चा विशाल हो गया श्रौर वह ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ श्रौर चीन का फासिस्ट-विरोधी मोर्चा बन गया। इस सबके कारण युद्ध का मौलिक स्वरूप बदल गया। भारत के राष्ट्रवादी लोकमत पर इसका तुरन्त प्रभाव पड़ा—हालाकि उसके सब हिस्सों पर नहीं। पं. नेहरू ने १९४१ में कहा : “अब दुनिया की प्रगतिशील ताकतें उस पक्ष के साथ हैं जिसका प्रतिनिधित्व रूस, ब्रिटेन, अमरीका श्रौर चीन करते हैं।” इस प्रकार, १९४१ के उत्तरार्ध से अंग्रेजी सरकार के सामने राष्ट्रीय नेताओं से समझौता कर लेने का एक नया अवसर पैदा हो गया।

लेकिन, अंग्रेजी सरकार को तरफ से कांग्रेस को नकारात्मक जवाब मिला। प्रधान मंत्री चर्चिल ने खास तौर पर ऐलान किया कि भारत, वर्मा तथा साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर अटलांटिक चार्टर लागू नहीं होता। इससे भारत के राष्ट्रवादियों को बहुत क्रोध हुआ श्रौर फासिस्ट-विरोधी संयुक्त मोर्चे की मुखालफत करनेवाली प्रवृत्तियों को बल मिला।

फिर भी, दिसम्बर १९४१ में सरकार ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। यह नये सिरे से बातचीत खोलने की दिशा में पहला कदम था। दिसम्बर १९४१ के अन्त में कांग्रेस ने वारदोली का वह प्रस्ताव पास किया, जिसमें उसने ऐलान किया था कि वह संयुक्त राष्ट्रों के मित्र के रूप में हथियार हाथ में लेकर फासिस्ट देशों का मुकाबला करेगी, बशर्तें भारत एक राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में अपनी जनता को गोलबन्द कर सकने की स्थिति में हो। भारत के बाहर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया श्रौर चीन की सरकारें अंग्रेजी सरकार पर नयी नीति अपनाने के लिए दबाव डालने लगी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट

मगर घटनाओं ने बहुत जल्द यह दिखा दिया कि १९१४ के मुकाबले भारत की परिस्थिति बहुत बदल गयी है। १४ सितम्बर को कांग्रेस की कार्य-समिति ने युद्ध पर अपना बयान निकाला। उसमें कहा गया था कि "कार्य-समिति किसी ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकती, जो साम्राज्यवादी ढंग पर चलाया जा रहा हो और जिसका उद्देश्य भारत में और दूसरी जगहों में साम्राज्यवाद को हड़ करना हो।" चुनावे कांग्रेस ने सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दी :

"इसलिए कार्यसमिति अंग्रेजी सरकार को इस बात की दावत देती है कि वह स्पष्ट शब्दों में यह ऐलान करे कि इस लड़ाई में जनतंत्र और साम्राज्यवाद के विषय में उसके क्या उद्देश्य हैं। ... क्या उसके उद्देश्यों में साम्राज्यवाद को खतम करना और भारत के साथ एक आजाद देश जैसा बरताव करना भी शामिल है? क्या भारत की नीति उसकी जनता की इच्छा के अनुसार निर्धारित हुमा करेगी?"

कांग्रेस के इस सीधे सवाल के जवाब में अंग्रेजी सरकार ने जितना कहा, वह न कहने के ही बराबर था। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर १९३९ में सभी कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने इस्तीफा दे दिया। १९४० की गरमियों में, योरप में नात्सियों के बढ़ाव के बाद, कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग देने का एक नया प्रस्ताव पेश किया, बसतें कि भारत की आजादी मान ली जाय और "केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाय।" लेकिन, एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने कोरा जवाब दे दिया। उस पर कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया, जो अक्टूबर १९४० में शुरू हुआ।

जिस समय कांग्रेस के नेता वायसराय के साथ यह मोलभाव कर रहे थे, उस समय तक जनता मैदान में उतर आयी थी। २ अक्टूबर, १९३९ को बम्बई के ६०,००० मजदूरों ने युद्ध तथा साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ एक दिन की राजनीतिक हड़ताल की। जितने देश युद्ध में शरीक थे, उनमें यह पहली युद्ध-विरोधी ग्राम हड़ताल थी। हड़ताल के दिन दान को बम्बई के कामगार मैदान में एक धिराट सभा हुई जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ। उसमें कहा गया था :

"यह सभा ऐलान करती है कि यह अन्तरराष्ट्रीय मजदूर वर्ग और संसार की जनता के साथ है, जिसे साम्राज्यवादी ताकतें इस पतन विनाशकारी युद्ध में उबरदस्ता सींच रही हैं।"

देश में उन ताकतों का तौर बड़ रहा था जो यह चाहती थीं कि साम्राज्यवाद से एक निर्लान्छित युद्ध किया जाय। इसका एक मजूर यह था कि १९३९

और १९४० में मजदूर-किसान शक्तियों तथा उग्रवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार निर्ममता से प्रहार कर रही थी। इसके अलावा, अक्टूबर १९४० में गांधी जी ने जिस अत्यन्त सीमित ढंग का और तरह-तरह की शर्तों के बंधनों में जकड़ा हुआ आन्दोलन चलाया, उससे भी यही मालूम पड़ता था। सत्याग्रहियों की सूची तैयार करके गांधी जी के पास जांच और अनुमति के लिए भेज दी जाती थी। जिन सत्याग्रहियों को गांधी जी अनुमति दे देते थे, उनके लिए ज़रूरी होता था कि वे पुलिस को पहले से यह सूचना दे दे कि वह किस स्थान पर और कब युद्ध के विरोध में प्रतीकात्मक सत्याग्रह करेंगे। फिर भी आनेवाले महीनों में व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं और जेलखाने भर दिये गये।

जब १९४१ के उत्तरार्ध की घटनाओं ने युद्ध के स्वरूप में एकदम मौलिक परिवर्तन ला दिया, तो देश इसी प्रकार के गतिरोध में फंसा हुआ था। सोवियत संघ पर जर्मनी ने चढाई कर दी। ब्रिटेन और सोवियत के बीच समझौता हो गया। उधर सुदूर-पूर्व में जापानियों ने हत्ता बोल दिया और ब्रिटेन व सोवियत संघ का संयुक्त मोर्चा विशाल हो गया और वह ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ और चीन का फासिस्ट-विरोधी मोर्चा बन गया। इस सबके कारण युद्ध का मौलिक स्वरूप बदल गया। भारत के राष्ट्रवादी लोकमत पर इसका तुरन्त प्रभाव पड़ा—हालांकि उसके सब हिस्सों पर नहीं। पं. नेहरू ने १९४१ में कहा : “अब दुनिया की प्रगतिशील ताकतें उस पक्ष के साथ हैं जिसका प्रतिनिधित्व रूस, ब्रिटेन, अमरीका और चीन करते हैं।” इस प्रकार, १९४१ के उत्तरार्ध से अंग्रेजी सरकार के सामने राष्ट्रीय नेताओं से समझौता कर लेने का एक नया अवसर पैदा हो गया।

लेकिन, अंग्रेजी सरकार की तरफ से कांग्रेस को नकारात्मक जवाब मिला। प्रधान मंत्री चर्चिल ने खास तौर पर ऐलान किया कि भारत, बर्मा तथा साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर अटलांटिक चार्टर लागू नहीं होता। इससे भारत के राष्ट्रवादियों को बहुत क्रोध हुआ और फासिस्ट-विरोधी संयुक्त मोर्चे की मुखालफत करनेवाली प्रवृत्तियों को बल मिला।

फिर भी, दिसम्बर १९४१ में सरकार ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। यह नये सिरे से बातचीत खोलने की दिशा में पहला कदम था। दिसम्बर १९४१ के अन्त में कांग्रेस ने बारदोली का वह प्रस्ताव पास किया, जिसमें उसने ऐलान किया था कि वह संयुक्त राष्ट्रों के मित्र के रूप में हथियार हाथ में लेकर फासिस्ट देशों का मुकाबला करेगी, बशर्ते भारत एक राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में अपनी जनता को गोलबन्द कर सकने की स्थिति में हो। भारत के बाहर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन की सरकारें अंग्रेजी सरकार पर नयी नीति अपना देने के लिए दबाव डालने लगीं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट

ने ऐलान किया कि अटलांटिक चार्टर "सारी दुनिया" पर लागू होता है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को लड़ाई के दौरान में ही खुद-मुस्तार हुकूमत बनाने का अधिकार मिल जाना चाहिए। च्यांग काई-शेक १९४२ में भारत आये।

इस प्रकार, १९४२ के वसन्त के आते-आते भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के आधार पर फासिस्ट-विरोधी युद्ध में कांग्रेस के सहयोग करने का सवाल सबके सामने उभर कर आ गया था। अंग्रेज अधिकारी भ्रम भी विरोध कर रहे थे। इसी बीच मार्च में जापानियों के रगून या पहुँचने से फौरन कुछ करने की आवश्यकता पँदा हो गयी।

८ मार्च को रगून का पतन हुआ।

११ मार्च को क्रिप्स-मिशन का ऐलान हो गया।

लेकिन क्रिप्स का प्रस्ताव इस बात पर आकर टूट गया कि कांग्रेस लड़ाई के दौरान में ऐसी राष्ट्रीय सरकार चाहती थी जिसके हाथ में काफ़ी ताकत हो, लेकिन अंग्रेजी सरकार इसके लिए क़तई तैयार नहीं थी। बातचीत टूट जाने पर कलकत्ते के स्टेट्समैन ने भी यही कहा था :

"दोष इंडिया आफिस और भारत सरकार के नीकरनाही हिस्से का है।"

३. अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद (१९४२-४५)

कांग्रेस फासिस्ट-विरोधी युद्ध में सहयोग करना चाहती थी। जब उसकी कोशिशें असफल हो गयी तो कुछ समय तक भागा-बीछा करने और कोई मुनिश्चित फ़ैसला न करने के बाद वह देश की मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव के मार्ग पर बढ़ चली।

अगस्त प्रस्ताव के विषय में कांग्रेस का प्रस्ताव पहले जुलाई में प्रकाशित हुआ और फिर संशोधित रूप में वह अन्तिम रूप से ८ अगस्त को स्वीकार हुआ (उसके खिलाफ १३ वोट पड़े थे। खिलाफ़ में वोट देनेवालों का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। उसे २२ जुलाई को क़ानूनी करार दिया गया था, जो उसके बढ़ते हुए प्रभाव तथा शक्ति का सूचक था)।

इस प्रस्ताव में एक बार फिर मनुष्य राष्ट्रों के नाथ हमदर्दी जाहिर की गयी थी और यह मांग दोहरायी गयी थी कि भारत को एक स्वायत्त सहयोगी के रूप में स्वीकार किया जाय ताकि वह अपनी राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग में फासिस्ट का हथियारबन्द विरोध कर सके। लेकिन प्रस्ताव

के अन्तिम अंश में यह कहा गया था कि यदि राष्ट्र की मांग को नहीं माना जाता है, तो जनता असहयोग करे। प्रस्ताव में कहा गया था :

“इसलिए समिति तै करती है कि भारत की स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता के अधिकार को मनवाने के लिए अधिक से अधिक व्यापक पैमाने पर जन-संघर्ष आरम्भ किया जाय ताकि पिछले २२ वर्षों में देश में शान्तिपूर्ण संघर्ष चलाकर जितनी भी अहिंसक शक्ति संचित की है, उसका वह उपयोग कर सके।”

अगस्त प्रस्ताव को लेकर बहुत तीखी बहस चली है। उसकी कोई भी आलोचना करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि कांग्रेसी नेता स्वतंत्रता के आधार पर सहयोग करने की हरेक कोशिश करके हार गये थे और उन्होंने निराश और विवश होकर यह रास्ता अपनाया था। फिर भी, यदि यह देखा जाय कि अगस्त प्रस्ताव का भारत के अन्दर और दुनिया के जनवादी लोकमत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों ही दृष्टि से यह प्रस्ताव अविवेकपूर्ण था। राजनीतिक दृष्टि से प्रस्ताव में एक ऐसी घातक असंगति थी जिससे यह जाहिर होता था कि प्रस्ताव तैयार करनेवालों के मन में उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। प्रस्ताव की भूमिका कुछ कहती थी और निष्कर्ष कुछ कहता था; और दोनों के बीच ऐसा विरोध था जिस पर किसी तरह की व्याख्या से लीपापोती नहीं की जा सकती थी। एक तरफ तो प्रस्ताव यह मानता था कि १९४१ से युद्ध का स्वरूप साम्राज्यवादी नहीं रह गया है। वह कहता था कि अब इस युद्ध को दो प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवादी गुटों का ऐसा युद्ध नहीं माना जा सकता जिसके परिणाम के प्रति कांग्रेस उदासीन रह सकती हो। प्रस्ताव ने साफ-साफ कहा था कि अब यह ऐसा युद्ध बन गया है जिसमें कांग्रेस संयुक्त राष्ट्रों की विजय चाहती है। प्रस्ताव का यह उद्देश्य बताया गया था कि “संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष की जीत हो” और “भारत उनका सहयोगी बने।” उसमें यह खास तौर पर ऐलान किया गया था कि कांग्रेस को इस बात की बड़ी चिन्ता है कि “चीन या रूस की हिफाजत का इन्तजाम किसी तरह कमजोर न होने पाये” और “संयुक्त राष्ट्रों की हिफाजत करने की ताकत किसी तरह छतरे में न पड़े।” मगर प्रस्ताव के अन्त में जो कार्यक्रम पेश किया गया था, वह ऐसा था जिसे कार्यान्वित करने पर संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष के एक बड़े देश में भयानक अन्दरूनी कलह और अव्यवस्था शुरू हो जाती, और इससे घमेल में संयुक्त राष्ट्रों की हिफाजत करने की ताकत निस्सन्देह छतरे में पड़ जाती और फासिस्ट ताकतों की जीत होने में मदद मिलती। और ध्यान रहे कि यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसे १९३९-४० में तब जनत समझा गया था,

जब युद्ध (कांग्रेस के शब्दों में) "साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए" लड़ा जा रहा था। उस वक्त जन-प्रान्दोलन या ग्राम सत्याग्रह के हर प्रस्ताव का सख्ती से विरोध किया जाता था और दलील दी जाती थी कि उससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के युद्ध-प्रयत्नों में बाधा पड़ेगी।

यह सच है कि इस तरह का संघर्ष छेड़ने का कोई गम्भीर इरादा नहीं था। न ही उसके लिए नेताओं ने कोई तैयारी की थी। उन्होंने तो सिर्फ़ समझौते की बातचीत छेड़ने के लिए संघर्ष की धमकी दी थी। अपनी नीति के समर्थन में नेताओं ने बार-बार यह दलील पेश की है, जिससे सिर्फ़ यही प्रकट होता है कि उनका दृष्टिकोण कितना अगम्भीर और दिवालिया था। युद्ध की नाजुक परिस्थिति में वे कोरी गीदड़भभकी की नीति पर चलना चाहते थे। इसे दाव लगाना ही कहा जा सकता है।

दावपंच की दृष्टि से भी प्रस्ताव अन्यन्त अविवेकपूर्ण था। उससे साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादियों को हमला करने के लिए यह बहाना मिल गया जिसके लिए वे बहुत दिनों से इन्तज़ार कर रहे थे। कांग्रेस की पुरानी फ़ासिस्ट-विरोधी परम्परा बेदाग़ थी। उधर साम्राज्यवाद का पुराना इतिहास फ़ासिस्टों का साथ देने का था। इसलिए जब तक कांग्रेस भारत की ऐसी निर्णायक राजनीतिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आती रही, जो फ़ासिज्म के खिलाफ़ सारे ससार की जनता के युद्ध में भाग लेने के लिए भारत की जनता को भी संगठित करना चाहती थी, तब तक साम्राज्यवाद का हथकड़ा नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही अगस्त प्रस्ताव पास हुआ, वैसे ही साम्राज्यवाद को यह कहने का मौक़ा मिल गया कि यह तो जापानी फ़ासिज्म के हमले से भारत की हिफ़ाज़त करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस हिफ़ाज़त की कोशिशों में गड़बड़ी पैदा कर रही है। उसे भारत के राष्ट्रीय प्रान्दोलन को फ़ासिस्ट-परस्त, जापान-परस्त और उग्र राष्ट्रों की जनता के युद्ध-उद्योग में तोड़फ़ोड़ करनेवाला प्रान्दोलन बताकर बरनाम करने का मौक़ा मिल गया। और इस आरोप को अपना राजनीतिक आधार बनाकर साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीय प्रान्दोलन का दमन करने की अपनी प्रतिक्रियावादी नीति चालू कर दी। अतएव, अगस्त प्रस्ताव स्वतंत्रता प्राप्त करने का हथियार नहीं था। यह साम्राज्यवादियों के उरुखाने में घा जाने और उनके विघ्नापे हुए जाल में फँस जाने का तरीक़ा था।

कांग्रेस के त्रिसु ध्वज-संकेतिक भाग (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, यह बराबर नेताओं को यह चेतावनी देता था कि इस प्रस्ताव का क्या फल होगा। राष्ट्रीय प्रान्दोलन के अति-फ़ासिस्ट-विरोधी मजदूर-वर्गीय हिस्सों का प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, वे शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम के विषय में एक स्पष्ट तथा सुदृढ़ नीति देने के

सामने रख रहे थे। उनका कहना था कि इस युद्ध से जो नये काम और जिम्मेदारियाँ पैदा हुई हैं, उनको आगे बढ़कर संभाला जाय। उस नाजुक स्थिति में असहयोग के बदले उन्होंने एक ठोस कार्यक्रम देश के सामने रखा :

१. फासिज्म का मिलकर मुकाबला करने के एक समान कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर भारत में संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाना।

२. इस तरह के राष्ट्रीय मोर्चे के आधार पर, सभी हिस्सों के समर्थन से अंग्रेजी सरकार पर यह दबाव डालना कि वह समझौता करे और राष्ट्रीय सरकार बनने दे।

३. इस न्यायोचित राजनीतिक मांग पर जोर देने के साथ-साथ युद्ध-उद्योग में पूरे जोश से भाग लेना, जनता को गोलबन्द करना और जनता के युद्ध-उद्योग को मजबूत करने के लिए तथा फासिज्म के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व में गैर-सरकारी तौर पर जनता को जल्दबन्द करना।

४. असहयोग की नीति को भारतीय जनता के हितों के लिए धातक समझकर दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करना।

लेकिन उस वक्त देश में चूँकि बहुत गुस्सा था और ब्रिटेन का शासक वर्ग राष्ट्रीय सरकार की मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यह नीति राष्ट्रीय आन्दोलन के अधिकांश भाग का समर्थन न प्राप्त कर सकी।

कांग्रेस का प्रस्ताव ८ अगस्त को पास हुआ। ९ अगस्त की सुबह को सभी प्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये। इस पर देश भर में प्रदर्शन हुए और असंगठित एवं आंशिक रूप से जहाँ-तहाँ मुठभेड़ें और टक्करें हुईं, जिनका पुलिस और फौज ने अत्यन्त क्रूरतापूर्वक दमन किया। बहुत से मारे गये। हज़ारों जल्मी हुए।

९ अगस्त, १९४२ और ३१ दिसम्बर, १९४२ के बीच, सरकारी बयानों के अनुसार ६२,२२९ आदमी गिरफ्तार किये गये; १८,००० भारत रक्षा कानून के मातहत बिना मुकदमा जेलों में बन्द कर दिये गये; ६४० आदमी पुलिस या फौज की गोलियों से मारे गये; और १,६३० जल्मी हुए।

राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश में जो गुस्सा फैला और जनता ने जो प्रदर्शन किये, वे अत्यन्त व्यापक और स्वयं-स्फूर्त थे। लेकिन इस तरह जो छिट-भुट टक्करें हुईं, बेचनी फैली या भलग-भलग गुटों और दलों की तरफ से जो परस्पर-विरोधी हिंदायतें जारी हुईं, वे कांग्रेस के किसी संगठित आन्दोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। कांग्रेस ने उनके लिए कभी अनुमति नहीं दी

थी। आन्दोलन छेड़ने का अधिकार केवल गांधी जी को दिया गया था; लेकिन उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि इन भगड़ों का कांग्रेस से कोई सम्बंध नहीं है। यह तो बाद की बात है कि एक अस्थायी और संकीर्ण राजनीतिक मकसद के लिए अगस्त १९४२ और उसके बाद के महीनों की नेता-बिहीन उलझी हुई घटनाओं को "अगस्त संग्राम" का नाम देने की कोशिश की गयी, जो बहुत चतुराई की कोशिश नहीं थी।

अगस्त की घटनाओं के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन अव्यवस्थित हो गया। कोई संगठित नेतृत्व और स्पष्ट नीति नहीं रह गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि आनेवाले वर्षों में राजनीतिक गतिरोध के साथ-साथ निराशा और उलझन का दौर-दौरा रहा। मुस्लिम लीग की ताकत इसी दौर में तेजी से बढ़ी।

६ मई, १९४४ को अस्वस्थ हो जाने के कारण गांधी जी रिहा कर दिये गये। उन्होंने बाहर आते ही ऐलान किया कि ८ अगस्त, १९४२ के प्रस्ताव का जन-सत्याग्रह सम्बंधी भाग स्वयं रद्द हो गया है, क्योंकि १९४४ में वह १९४२ की तरफ लौटकर नहीं जा सकते। लेकिन गतिरोध कायम रहा।

१९४५ की गरमियों में गतिरोध दूर करने की फिर एक कोशिश की गयी। केन्द्रीय धारासभा में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी के दो नेताओं के बीच एक अस्थायी समझौता हो गया। समझौते का आधार यह था कि सरकार में कांग्रेस और लीग के बराबर-बराबर सदस्य रहें। यह प्रस्ताव वायम-राय लाई बेवेल के मामले रखा गया। वह गलाह लेने उड़कर लन्दन गये और वहाँ से अंग्रेजी सरकार का एक नया ऐलान लेकर लौटे। कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों ने जिस शर्त को मंजूर किया था, उसमें इस ऐलान ने बहुत होशियारी से एक तब्दीली कर दी। उनके समझौते में कांग्रेस और लीग की बराबरी की बात थी। सरकारी ऐलान में उसे "स्वयं हिन्दुओं और मुसलमानों की बराबरी" में बदल दिया गया। यानी अब समस्या साम्प्रदायिक बन गयी और इस तब्दीली की वजह से समझौते की बातचीत का टूट जाना निश्चित हो गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, जो जून १९४५ में शिमला में बुलाया गया था, असफल रहा।

इस तरह, युद्ध समाप्त होने पर जब नारी दुनिया की ज़ीमें घाटादी की ओर बढ़ रही थी, भारत बँसा ही गुलाम बना रहा, बँसा कि वह युद्ध के पहले था। लेकिन भारतीय जनता के एक ऐसे नये और विराट उन्नार के लिए परिस्थितियाँ परिणम हो गयी थी, जो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव को पकनापूर कर देनेवाला था।

पन्द्रहवां अध्याय

भारत में अंग्रेजी शासन का अन्त

स्वातंत्र्य-युद्ध में फासिज्म पर विजय होने के फलस्वरूप सारी दुनिया में जनता की शक्तिया प्रगति के मार्ग पर बढ़ चली ।

योरप में नात्सी कब्जा खतम हो जाने के बाद प्रगतिशील जनवादी सरकारें बनी, जिनका आधार फासिज्म से लोहा लेनेवाली लडाकू शक्तिया थी, और जिनमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी । ब्रिटेन का विकास अपेक्षाकृत धीरे-धीरे हो रहा था । मगर वहा भी मतदाताओं ने टोरी पार्टी को सरकार से निकाल बाहर किया और पार्लामेंट का पूर्ण बहुमत पहली बार लेबर पार्टी को सौंप दिया । १९४७ तक पश्चिमी योरप में अमरीकी हस्तक्षेप मार्शल योजना और आर्थिक सहायता के जरिए इस जनवादी विकास को रोकने में कामयाब हो गया; मगर पूर्वी योरप के नये जनवादी राज्यों में जनता आगे बढ़ती गयी; उसने जनता के सच्चे जनतंत्र की स्थापना की जिसमें मेहनतकशों का राज कायम हुआ और जमींदारी प्रथा तथा बड़े पूंजीपतियों के प्रभुत्व का खातमा कर दिया गया; और फिर वह समाजवाद के निर्माण की ओर आगे बढ़ चली ।

एशिया में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के क्रान्तिकारी संग्रामों की लहर इस तरह उठी, जैसी आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी गयी थी । १९४९ में चीनी क्रान्ति ने अन्तिम रूप से और पूर्ण विजय प्राप्त कर ली और साम्राज्यवादियों तथा उनके दलालों को चीन की भूमि से साफ कर दिया । दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्वतंत्रता आन्दोलनों तथा उनकी सेनाओं ने नये आजाद राज्य कायम कर दिये । इन सेनाओं ने पश्चिमी ताकतों की साम्राज्यवादी फौजों के पहुंचने के पहले ही जापानी फौजों को अपने देशों से मार भगाया था । पर बाद को पश्चिमी ताकतों की फौजों ने वहा पहुंचकर लम्बे औपनिवेशिक युद्ध प्रारम्भ कर दिये । उनका उद्देश्य यह था कि इन देशों की जनता ने जो नयी आजादी

हासिल की थी, उसे खतम कर दिया जाय और या तो सीधे तौर पर, या फिर अपनी कठपुतलियों की आड़ में इन मुल्कों पर फिर से औपनिवेशिक शासन थोप दिया जाय। लेकिन वियतनाम, मलाया और बर्मा में साम्राज्यवादियों तथा उनकी कठपुतलियों की सेनाओं के हमले के मुकाबले में जनता के स्वातन्त्र्य-मोर्चे ने मँदान नहीं छोड़ा। कोरिया पर अमरीका के नेतृत्व में सभी साम्राज्यवादियों ने मिलकर हमला किया। वे पूरे कोरिया को अमरीकी उपनिवेश बना देना चाहते थे। यह युद्ध तीन वर्ष तक चलता रहा। अमरीकी सेना ने पूरे देश को तबाह कर दिया और साधारण नागरिकों का कत्लेआम किया; मगर साम्राज्यवादी कामयाब नहीं हुए।

भारत अधिक पेचीदा रास्तों से आजादी की ओर आगे बढ़ा। चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की तरह भारत पर न तो जापानियों का ऊँचा हुआ था और न ही वहाँ आजादी के लिए जनता का हथियारबन्द आन्दोलन चला था। युद्ध समाप्त होने पर सब देशों की तरह वहाँ भी राष्ट्रीय विद्रोह की ज्वरदस्त लहर उठी। लेकिन, दूसरी तरफ, वहाँ चूँकि लड़ाई के उमाने में साम्राज्यवादी मशीन ज्यों की त्यों बनी रही थी, और राष्ट्रीय आन्दोलन पर बड़े पूँजीपतियों के उन नेताओं का प्रभुत्व अब भी कायम था जिन्होंने युद्ध के बाद जनता के क्रांतिकारी उभार का सक्रिय विरोध किया और यहाँ तक कि उसके खिलाफ साम्राज्यवाद के सेनानायकों और गवर्नरों के माध्यम से गहपोष किया, इसलिए भारत में एक घास तरह के समझौते की सम्भावना पैदा हो गयी। १९४७ के समझौते से भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन का अन्त हो गया, लेकिन साथ ही उससे भारत में जन-क्रान्ति के बड़ाज को रोकने के लिए दोनों पक्षों के ऊपरी वर्गों की शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा भी कायम हो गया।

१. १९४५-४६ का राष्ट्रीय उभार

१९४५ में सियता सम्मेलन की असफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति कम दलदल में फँस गयी है। लेकिन, साथ ही उमंग यह बात भी जाहिर हो गयी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक बहुत ही गहरी खाई है जो ऊपर से देखने में लगती है कि कभी नहीं भरेंगी। परन्तु जनता में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक होकर लड़ने की उमंग बन्द नहीं थी। यह बात कलकत्ता, बम्बई और अन्य बड़े शहरों के प्रदर्शनों से स्पष्ट हो गयी थी। इन प्रदर्शनों में जनता कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के भरोसे को माथ से हट चली थी और बहुत से शहरों में तो उनके हाथ में कम्युनिस्ट

पार्टी के भंडे भी देखे गये थे। दुर्भाग्य से जनता की इस एकता को देखकर भी ऊपरी नेताओं ने एकता कायम नहीं की।

फिर भी, आन्दोलन आगे बढ़ता ही गया—न केवल नागरिक बल्कि फौज के लोग भी उसमें खिच आये। यह भारत के लिए एक नयी घटना थी। उसके क्रान्तिकारी महत्व को समझने में न तो साम्राज्यवादी शासकों ने भूल की और न राष्ट्रीय आन्दोलन के उच्च-वर्गीय नेताओं ने। इसके पहले, १९३० में गडवाली सिपाहियों ने गीली चलाने से इनकार किया था। पर अब तो फौजों में और खासकर हवाई सेना तथा समुद्री बेड़े में बड़े पैमाने की हड़तालें हो रही थी, जिनसे यह पता चलता था कि अंग्रेजी ताकत का आधार और उसका यंत्र ही छिन्न-भिन्न हो रहा है।

१९४६ में भारत की समुद्री सेना की बगावत ने मानो विजली की तरह चमककर भारतीय क्रान्ति की परिपक्व होती हुई समस्त शक्तियों को खोलकर सामने रख दिया। १९०५ में रूस के पोतेम्किन जहाज के नाविकों ने विद्रोह किया था। १९१७ में वहाँ क्रॉसतात के मल्लाहों ने बगावत का झंडा बुलन्द किया था। १९१८ में जर्मनी में कील के जहाजियों ने विद्रोह किया था। इन सब विद्रोहों की स्मृति बताती है कि समुद्री सेनाओं के विद्रोह महान जन-क्रान्तियों के लिए अग्रदूत का काम करते आये हैं। १९४६ में भारत के समुद्री बेड़े में जो विद्रोह हुआ, उसके समर्थन में देश में जो जन-आन्दोलन उठा और बम्बई के मेहनतकशों ने जिस बहादुरी के साथ उनका साथ दिया—ये सारी घटनाएं भारत के इतिहास में एक नया युग आरम्भ होने की सूचना दे रही थी। फरवरी के उन ऐतिहासिक दिनों में यह बात स्पष्ट हो गयी कि भारत में जनता की प्रगति के मित्र कौन हैं और शत्रु कौन हैं।

विद्रोही जहाजियों ने शुरू से ही काँग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से सम्पर्क बना रखा था। लेकिन उनसे उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जहाजियों ने एक केन्द्रीय हड़ताल-कमिटी बना ली और पूर्ण अनुशासन कायम रखा। इस विद्रोह का केन्द्र बम्बई था। बम्बई की जनता ने दिल खोलकर विद्रोहियों की मदद की और जहाजों में खाना पहुंचाया। अंग्रेज अधिकारी प्रायोगिक के विस्तार को देखकर हक्के-बक्के रह गये। धरनाकर उन्होंने क्रूर दमन का महाराज लिया। जल्दी-जल्दी फौजें और जंगी जहाज बम्बई और कराची भेजे गये। जब भारतीय सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेज फौजों का बुलाया गया और २१ फरवरी को केंद्रित बारिक के बाहर प्राण घंटे तक लड़ाई चलती रही। २१ तारीख को तीसरे पहर ऐडमिरल गौडरॉ ने गैरसैनिक विद्रोहियों को धमकी दी कि "सरकार के पास अब बंदूक नहीं है, यह सब पूरा-पूरा इस्तेमाल करेगी... मने ही समुद्री बेड़ा नौसेना का हिस्सा है।"

इसके जवाब में केन्द्रीय जहाजी हड़ताल-कमिटी ने शहर की जनता से शान्तिपूर्ण हड़ताल करने की अपील की। हालांकि उस वक्त यह जरूरी था कि गोरे ऐडमिरल की इस धमकी को चलने न दिया जाय और बिद्रोही जहाजियों की जान बचायी जाय, मगर कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से सरदार वल्लभभाई पटेल ने हड़ताल का समर्थन करने से इनकार किया और उनके खिलाफ हिदायतें जारी कर दी। बम्बई की ट्रेड यूनियनों ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताल का समर्थन किया और सरदार पटेल की हिदायतों के बावजूद बम्बई की मेहनतकर जनता ने केन्द्रीय जहाजी हड़ताल-कमिटी की अपील पर २२ फरवरी को अबर्दस्त हड़ताल की। अंग्रेज अधिकारियों ने अंधाधुंध गोलिया चलाकर आन्दोलन का दमन करने की कोशिश की। सरकारी आकड़ों के अनुसार २१ में २३ फरवरी तक, तीन दिन के भीतर २५० नर-नारी मारे गये।

अन्त में, २३ फरवरी को सरदार पटेल के दबाव में केन्द्रीय हड़ताल-कमिटी ने आत्म-समर्पण का निश्चय कर लिया। सरदार पटेल ने जहाजियों को आत्म-समर्पण कर देने की सलाह दी थी और आश्वासन दिया था कि "कांग्रेस इस बात की भरसक कोशिश करेगी कि हड़तालियों से बदला न लिया जाय।" इसी तरह का आश्वासन मुस्लिम लीग ने भी दिया था। लेकिन, दो दिन के भीतर ही हड़ताल के नेता पकड़ लिये गये। हड़ताल-कमिटी के अध्यक्ष ने अपने आखिरी बयान में कहा था "हम भारत के मामलों में आत्म-समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के मामलों में नहीं।"

फरवरी के दिनों में जहाजियों की अशांत और बम्बई की जनता के संघर्ष में यह बात एकदम स्पष्ट हो गयी कि १९४६ के शुरू में भारत में जो विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही थी, उसमें कौनसी शक्तियां किधर थीं। उसमें एक तरफ आन्दोलन का ऊंचा स्तर, जनता का साहस और हृद्द निश्चय, और हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा कांग्रेस-लीग एकता के लिए जनता की अबर्दस्त भावना प्रकट हुई थी। उसमें मालूम होता था कि यह आन्दोलन कौनो तक में पहुंच गया है और इसलिए अब अंग्रेजी शासन का आधार सुरक्षित नहीं रह गया है। मगर दूसरी तरफ, इन घटनाओं में यह भी प्रकट हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के उच्च-वर्गीय नेता जन-आन्दोलन के खिलाफ थे और कानून और व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में जनता के खिलाफ अंग्रेजों साम्राज्यवाद के साथ मिले हुए थे। उसी तरफ से बयान पर बयान निराने गये जिनमें उन साम्राज्यवादी अधिकारियों की जिम्मा की निन्दा नहीं की गयी थी किन्तु लीग इन के भीतर संरक्षकों को गोशियों में डूब दिया था, बल्कि उस निन्दा की जनता की "हिंसा" की निन्दा ही गयी थी जो गोरी पोलिस की गोशियों का निन्दा हुई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मोरारजी घाटगे ने तैयार किया था :

“ मजदूरों या शहरियों की हड़तालों का और देश की अस्थायी हुकूमत की हुकम-उदूली का अब कोई मौक़ा नहीं है। इस वक्त विदेशी शासक अस्थायी तौर पर देश की रखवाली कर रहे हैं। उनसे लड़ने की अभी हाल में कोई वजह नहीं पैदा हुई है। ”

गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण बयान में हिन्दुओं और मुसलमानों की “अपवित्र एकता” की निंदा की क्योंकि वह अहिंसा के मिद्धान्त को ठुकराकर स्थापित हुई थी।

इस प्रकार, जन-अन्दोलन और बड़े पूजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले उस राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच की वह खाई, जो चोरीचोरा कांड के बाद १९२२ में और गांधी-इरविन समझौते के समय १९३१ में पहने भी प्रकट हो चुकी थी, इस बार और भी ऊंचे स्तर पर प्रकट हुई।

अंग्रेज शासकों को राष्ट्रीय मोर्चे की इस कमजोरी को समझने में देर न लगी और उन्होंने उसमें पूरा-पूरा फायदा उठाया। जैसा कि बाद को कैबिनेट मिशन की कार्रवाइयों से पता चला, अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पूरी नीति कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को इस्तेमाल करने की हो गयी। अंग्रेज शासक एक तरफ़ उनको यह आशा बंधाते थे कि शानन की बागडोर शान्तिपूर्ण ढंग से उनके हाथों में आ जायेगी और दूसरी तरफ़ उनको जनता का डर दिखाते थे और साथ ही उनके आपसी मतभेद और विरोध से फायदा उठाते थे।

१८ फरवरी को बम्बई में जहाज़ियों की हड़ताल शुरू हुई।

१९ फरवरी को मि. एटली ने कामस-सभा में ऐलान किया कि ब्रिटिश मंत्रि-मंडल का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत भेजा जायगा।

२. कैबिनेट मिशन और माउंटबैटन समझौता

१९४६ के उत्तरार्ध तथा १९४७ के शुरू के महीनों में साम्राज्यवाद के प्रतिनिधियों तथा कांग्रेस और लीग के नेताओं के बीच बातचीत चलती रही (कैबिनेट मिशन के लौट जाने के बाद साम्राज्यवाद की तरफ़ में वायमराय लांड बैबेल बातचीत चलाने लगे)। एक तरफ़ यह कभी खतम न होनेवाली बातचीत चल रही थी; दूसरी तरफ़ भारत में संकट अधिकाधिक गहरा होता जा रहा था।

कल-कारगमनों के मजदूरों की हड़तालों की लहर बराबर ऊपर उठती जा रही थी। १९४५ में कुल ७४७,००० मजदूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया था और उनमें ४,०५६,००० काम के दिन जाम हुए थे। १९४६ में १,९५१,००० मजदूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया और उनमें १२,६७८,००० यानी १९४५

के तिगुने दिन जाम हुए। १९४७ के पहले आठ महीनों में १,३२३,००० मजदूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया और उनमें ११,१९५,८६३ यानी १९४६ के लगभग बराबर काम के दिन जाम हुए। इस प्रकार जब साम्राज्यवाद से समझौते की बातचीत में लगे हुए नेताओं की नीति के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन का बड़ा हिस्सा असंगठित और पंगु होकर पड़ा हुआ था, तब मजदूर वर्ग का संघर्ष बराबर जोर पकड़ रहा था।

इसके साथ-साथ, देशी राजाओं के शासन के खिलाफ रियासती जनता का आन्दोलन नयी ऊंचाइयों पर पहुँच गया था। सास तीर पर द्रावणकोर और हैदराबाद में, और सबसे अधिक तो कश्मीर में यह बात प्रकट हुई, जहाँ महाराजा के शासन को खतम करने के लिए शेख अब्दुल्ला तथा नेशनल कानफ़ेस के नेतृत्व में चलनेवाले "कश्मीर छोड़ो" आन्दोलन का जवाब क्रूर दमन, जेल, लाठी-गोली और घातक-राज से दिया गया।

दूसरी ओर, साम्राज्यवादी साजिदा के सामने नेताओं के आत्म-समर्पण से आन्दोलन में जो अव्यवस्था पैदा हो गयी थी, उसका प्रभाव भी दिसाई देने लगा था। मजदूर वर्ग तथा रियासती जनता के आन्दोलन के साथ-साथ प्रतिक्रियावादी तथा फूटपरस्त शक्तियों का हमला भी बढ़ रहा था। १९४५ के अन्त में और कैबिनेट मिशन के आने से पहले १९४६ के शुरू में देग में जो महान राष्ट्रीय उभार आया था, साम्प्रदायिक एकता उसकी एक खास विशेषता थी। कैबिनेट मिशन ने फूट डालने की नीति अपनायी और लगातार हिन्दुओं और मुसलमानों के मतभेदों को बढ़ाने की कोशिश की। उनको मदद मिली कांग्रेस और सींग के उन नेताओं से जो अर्ध-ज साम्राज्यवादियों से समझौता करने और एक-दूसरे को किमी भी तरह नीचा दिखाने की नीति पर चल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर देग में साम्प्रदायिक कलह की धाग बढ़क उठी। जून १९४६ में साम्प्रदायिक भगड़े फिर शुरू हो गये जिससे यह पता चलता है कि कैबिनेट मिशन भारत में क्या काम कर गया था। १९४६ का पतनभङ्ग आते-आते साम्प्रदायिक कलह ने भूत-शराबी और हत्याकांडों का रूप धारण कर लिया। अगस्त में मुस्लिम लीग ने कलकत्ते में "सीपी कारवाँ" का दिन मनाया, तो वहाँ ऐसा भयकर दंगा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर तो ऐसे दंगों का ताता लग गया। कलकत्ते के बाद प्रखुरबर में पूर्वी बंगाल में दंगे हुए। फिर बिहार में मुस्लिम-बिरोधी दंगे हुए। इन साम्प्रदायिक दंगों में हजारों घातकों मौत की धाट उतार दिने गये, दंगियों हजार जर्मी और बेपरवार हो गये, अनेक जगहों में बड़े पैमाने पर शरणाग्रहण रहे गये और घाग लगाने, फूटने और तरह-तरह के आत्याचार करने की तो कोई भीमा ही न रही।

“अहिंसा” के सिद्धान्त ने जनता की क्रान्तिकारी शक्ति को कुंठित और पंगु किया था और साम्राज्यशाही के खिलाफ उसे उभरने से रोका था। अब इस भयानक हिंसा और खून-खचर के रूप में उसका बदला मिल रहा था। प्रतिक्रियावादी नेताओं ने जनता की शक्तियों को विकृत और पथभ्रष्ट करके, असली दुश्मनों की तरफ से उनका ध्यान हटाकर, उन्हें भाई-भाई की लड़ाई तथा एक-दूसरे के विनाश में लगा दिया था। साम्प्रदायिक भावना का जोर पहले मुस्लिम लीग में था। अब हिन्दू महासभा तथा अन्य सम्प्रदायवादी हिन्दू सगठनों के तेजी से बढ़ने के साथ-साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी साम्प्रदायिक विष फैल गया और उसका कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। वहा सरदार पटेल ने जोरदार तालियों की आवाज के बीच ऐलान किया : “तलवार का जवाब तलवार से दिया जायगा !” यह साम्राज्यवाद से लड़ने का आवाहन नहीं था, बल्कि मुसलमानों से लड़ने की गुहार थी।

साम्राज्यवाद के मामले बड़ा भयानक संकट था, जो दिन-ब-दिन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। एक तरफ मजदूर वर्ग तथा किसानों के संघर्ष और देशी राजाओं के शासन के खिलाफ जनता के विद्रोह बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक विश्वस्तलता और प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक कलह तथा अराजकता भी बढ़ रही थी। इन दोनों ही बातों से यह प्रकट हो रहा था कि संकट गहरा हो रहा था। अतएव, साम्राज्यवाद ने राजनीतिक समझौते की क्रिया को तेज करने की कोशिश की। अगस्त १९४६ में कांग्रेसी और मिल नेताओं को शामिल करके एक नयी अन्तरिम सरकार बनायी गयी। नेहरू उसके प्रमुख थे। इस सरकार को अब भी वायसरॉय की कार्यकारिणी काउंसिल के रस्मो ढांचे के अन्दर ही काम करना था। अक्टूबर में उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी शामिल कर लिये गये। लेकिन यह अन्तरिम सरकार मयूक्त मन्त्रिमंडल के रूप में काम न कर सकी। दोनों दलों के नेताओं के बीच खुलेआम विरोध चलता रहा और केन्द्रीय सरकार के पूर्णतया निष्क्रिय हो जाने का खतरा पैदा हो गया।

दिसम्बर १९४६ में अंग्रेजी सरकार तथा भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया। उममें एटली, बेवेल, नेहरू और जिन्ना शरीक हुए। इस सम्मेलन में भी गतिरोध का कोई हल न निकला। लेकिन सम्मेलन के निष्कर्ष की घोषणा करते हुए अंग्रेजी सरकार ने जो बयान जारी किया, उसके अन्त में एक अत्यन्त ही धारा जोड़ दी गयी :

“यदि ऐसी विधान परिषद ने, जिसमें भारत की आवाजों के एक बड़े भाग के प्रतिनिधि शरीक नहीं हों, कोई विधान बनाया तो यह

के तिगुने दिन ज़ाम हुए। १९४७ के पहले भाठ महीनों में १,३२३,००० मजदूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया और उनमें ११,१९५,८६३ यानी १९४६ के लगभग बराबर काम के दिन ज़ाम हुए। इस प्रकार जब साम्राज्यवाद से समझौते की बातचीत में लगे हुए नेताओं की नीति के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन का बड़ा हिस्सा असंगठित और पंगु होकर पड़ा हुआ था, तब मजदूर वर्ग का सघर्ष बराबर जोर पकड़ रहा था।

इसके साथ-साथ, देशी राजाओं के शासन के खिलाफ़ रियासती जनता का आन्दोलन नयी ऊंचाइयों पर पहुँच गया था। खास तौर पर त्रावणकोर और हैदराबाद में, और सबसे अधिक तो कश्मीर में यह बात प्रकट हुई, जहाँ महाराजा के शासन को खतम करने के लिए शेख अब्दुल्ला तथा नेशनल कानफ़ेंस के नेतृत्व में चलनेवाले “कश्मीर छोड़ो” आन्दोलन का जवाब क्रूर दमन, जेल, लाठी-गोली और आतक-राज से दिया गया।

दूसरी ओर, साम्राज्यवादी साजिश के सामने नेताओं के आत्म-समर्पण से आन्दोलन में जो अव्यवस्था पैदा हो गयी थी, उसका प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। मजदूर वर्ग तथा रियासती जनता के आन्दोलन के साथ-साथ प्रतिक्रियावादी तथा फूटपरस्त शक्तियों का हमला भी बढ़ रहा था। १९४५ के अन्त में और कैबिनेट मिशन के आने से पहले १९४६ के शुरू में देश में जो महान राष्ट्रीय उभार आया था, साम्प्रदायिक एकता उसकी एक खास विशेषता थी। कैबिनेट मिशन ने फूट डालने की नीति अपनायी और लगातार हिन्दुओं और मुसलमानों के मतभेदों को बढ़ाने की कोशिश की। उनको मदद मिली कांग्रेस और लीग के उन नेताओं से जो अंग्रेज़ साम्राज्यवादियों से समझौता करने और एक-दूसरे को किसी भी तरह नीचा दिखाने की नीति पर चल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर देश में साम्प्रदायिक कलह की आग भड़क उठी। जून १९४६ में साम्प्रदायिक भगड़े फिर शुरू हो गये जिससे यह पता चलता है कि कैबिनेट मिशन भारत में क्या काम कर गया था। १९४६ का पतझड़ आते-आते साम्प्रदायिक कलह ने खून-खराबी और हत्याकांडों का रूप धारण कर लिया। अगस्त में मुस्लिम लीग ने कलकत्ते में “सीधी कार्रवाई” का दिन मनाया, तो वहाँ ऐसा भयंकर दंगा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर तो ऐसे दंगों का ताता लग गया। कलकत्ते के बाद अक्तूबर में पूर्वी बंगाल में दंगे हुए। फिर बिहार में मुस्लिम-विरोधी दंगे हुए। इन साम्प्रदायिक दंगों में हज़ारों आदमी मौत की घाट उतार दिये गये, दसियों हज़ार ज़ख्मी और बेघरबार हो गये, अनेक जगहों में बड़े पैमाने पर हत्याकांड रहे गये और घाग लगाने, लूटने और तरह-तरह के अत्याचार करने की तो कोई सीमा ही न रही।

“अहिंसा” के सिद्धान्त ने जनता की प्रान्तिकारी शक्ति को कुंठित और पंगु किया था और साम्राज्यशाही के खिलाफ उसे उभरने में रोका था। अब इन भयानक हिंसा और गून-गुच्छर के रूप में उनका बदला मिल रहा था। प्रतिक्रियावादी नेताओं ने जनता की शक्तियों को विकृत और पथभ्रष्ट करके, अंग्रेजी दुश्मनों की तरफ से उनका ध्यान हटाकर, उन्हें भाई-भाई की लड़ाई तथा एक-दूसरे के विनाश में लगा दिया था। साम्प्रदायिक भावना का जोर पहले मुस्लिम लीग में था। अब हिन्दू महासभा तथा अन्य सम्प्रदायवादी हिन्दू मंडलों के तेजी में बढ़ने के साथ-साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी साम्प्रदायिक विष फैल गया और उनका कांग्रेस के भेरेठ अधिवेशन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वहाँ सरदार पटेल ने जोरदार बातियों की धाराओं के बीच ऐलान किया : “तत्कार का जवाब तत्कार में दिया जाएगा।” यह साम्राज्यवाद से लड़ने का आवाहन नहीं था, बल्कि मुगलमानों से लड़ने की पुकार थी।

साम्राज्यवाद के सामने बड़ा भयानक मकड़ था, जो दिन-ब-दिन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। एक तरफ मजदूर वर्ग तथा किसानों के साथ ही और देशी राजाओं के शासन के खिलाफ जनता के विद्रोह बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक विश्रालता और प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक कलह तथा अराजकता भी बढ़ रही थी। इन दोनों ही बातों से यह प्रकट हो रहा था कि मकड़ गहरा हो रहा था। अतएव, साम्राज्यवाद ने राजनीतिक समझौते की श्रिया को तेज करने की कोशिश की। अगस्त १९४६ में कांग्रेसी और मिल नेताओं को शामिल करके एक नयी अन्तरिम सरकार बनायी गयी। नेहरू उसके प्रमुख थे। इस सरकार को अब भी वायसराय की कार्यकारी काउंसिल के रस्मी ढाँचे के अन्दर ही काम करना था। अक्टूबर में उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी शामिल कर लिये गये। लेकिन यह अन्तरिम सरकार मन्त्रिमण्डल के रूप में काम न कर सकी। दोनों दलों के नेताओं के बीच खुलेआम विरोध चलता रहा और केन्द्रीय सरकार के पूर्णतया निष्क्रिय हो जाने का सतारा पँदा हो गया।

दिसम्बर १९४६ में अंग्रेजी सरकार तथा भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया। उसमें एटली, बेवेल, नेहरू और जिन्ना शरीक हुए। इस सम्मेलन में भी गतिरोध का कोई हल न निकला। लेकिन सम्मेलन के निष्कर्ष की घोषणा करते हुए अंग्रेजी सरकार ने जो बयान जारी किया, उसके अन्त में एक अर्थभरी धारा जोड़ दी गयी :

“यदि ऐसी विधान परिषद ने, जिसमें भारत की आवादी के एक बड़े भाग के प्रतिनिधि शरीक नहीं हों, कोई विधान बनाया तो जाहिर

है कि बादशाह सलामत की सरकार ऐसे विधान को देश के उन भागों पर लागू करने की बात नहीं सोच सकती जो उससे असहमत हों।”

ऐलान का मतलब साफ था। “भारत की आबादी के एक बड़े भाग” से यहां देश की उस तीन-चौथाई आबादी से मतलब नहीं था जिसे अंग्रेजी सरकार ने बोट देने का हक भी नहीं दिया था और जिसने उन प्रान्तीय धारासभाओं के चुनाव में कोई भाग नहीं लिया था जिनको प्रस्तावित “विधान परिषद” के सदस्यों को चुनना था। उसका मतलब केवल मुस्लिम लीग से था जिसने विधान परिषद के बहुमत के फंसलों को मानने से इनकार कर दिया था। और सबने उसका यही मतलब लगाया भी। इस बयान में पहली बार इस बात की साफ़ झलक मिली कि अंग्रेजी सरकार भारत की समस्या को उसका बंटवारा करके “हल” करने जा रही है। इस बयान से मुस्लिम लीग को मुकम्मिल वीटो करने का अधिकार मिल जाता था, और पहले से इस बात की गारंटी हो जाती थी कि यदि मुस्लिम लीग ने इस वीटो का इस्तेमाल किया, तो अंग्रेजी सरकार जबरदस्ती देश का बंटवारा कर देगी।

१९४७ के शुरू के महीनों में सकट बराबर गहरा होता गया और उसके साथ-साथ सरकारी दमन भी तेज होता गया। जनवरी १९४७ में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरो पर सारे देश में एक साथ छापे मारे गये और सैकड़ों कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियाँ साम्राज्यवाद की साधारण पुलिस ने की थीं, मगर थोड़ा हीला-हवाला करने के बाद अन्त में उनकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की तरफ से गृह-मंत्री सरदार पटेल ने अपने ऊपर ले ली। २१ फरवरी को उन्होंने केन्द्रीय धारासभा के सामने बयान देते हुए स्वीकार किया कि १,६५० कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए हैं। ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने लन्दन भेजी जानेवाली रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया कि परिस्थिति हाथ से निकली जा रही है और सरकारी महकमों में अशुभ-व्यवस्था फैल जाने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द राजनीतिक समझौता हो जाना चाहिए।

फरवरी १९४७ में, अंग्रेजी सरकार ने जल्दी समझौता कराने के उद्देश्य से कुछ नये कदम उठाये। वायसराय लार्ड वेवेल को वापिस बुला लिया गया और उनकी जगह लार्ड माउंटबैटन को नियुक्त किया गया। वह लडाई के जमाने में दक्षिण-पूर्वी एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के प्रधान सेनापति थे (अपनी युवावस्था में वह १९२१ में ब्रिटिश युवराज के साथ भारत का दौरा भी कर चुके थे)। लार्ड माउंटबैटन को जल्दी से समझौता कराने के लिए नयी हिदायतें दी गयीं जिनका अमली मतलब यह था कि भारत का बंटवारा कर

दिया जाय। इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री मि. एटली ने २० फरवरी का कामन्स-सभा में एक नया ऐलान किया। उगमें कहा गया था :

“बादशाह सलामत की सरकार यह बात साफ़ कर देना चाहती है कि जून १९४८ के पहले-गहले जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता सौंप देने के लिए जरूरी क़दम उठाने का उसका पक्का इरादा है।”

साथ ही साथ इस ऐलान में यह चंतावनी दी गई कि बर्तानवी सरकार किसी विधान सभा द्वारा बनाये गये ऐसे किसी विधान का स्वीकार नहीं करेगी जो कॅबिनेट मिशन योजना के “मुद्दावों के अनुसार” न हो और “एक पूर्णतया प्रतिनिधि विधान सभा द्वारा न बनाया गया हो,” यानी, मुस्लिम लीग की सहमति के साथ न बनाया गया हो; और यह कि यदि मुस्लिम लीग ने मज़ूरी नहीं दी, या भारतीय विधान सभा के बहुमत प्रतिनिधियों ने एक ऐसा विधान बनाया जिसे बर्तानिया का अनुमोदन प्राप्त न हो, तो :

“बादशाह सलामत की सरकार को यह तय करना होगा कि निश्चित तिथि पर ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय सरकार की सत्ता किसके हाथों में सौंपी जाय; पूर्ण रूप से ब्रिटिश भारत के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सरकार को दे दी जाय, या कुछ इलाकों में वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को सौंप दी जाय अथवा किसी ऐसे तरीके से हस्तांतरित किया जाय जो सबसे अधिक पुच्छसंगत और भारतीय जनता के श्रेष्ठतम हित में हो।”

देशी राज्यों के बारे में ऐलान में यह कहा गया था :

“देशी राज्यों के बारे में बादशाह सलामत की सरकार सर्वोच्च सत्ता के अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार को सौंपना नहीं चाहती। सत्ता हस्तांतरित होने की अन्तिम तारीख के पहले सर्वोच्च सत्ता की व्यवस्था को खतम करने का कोई इरादा नहीं है; लेकिन यह इरादा जरूर है कि बीच के काल के लिए अलग-अलग रियासतों के साथ अंग्रेजी सत्ता के सम्बन्धों में समझौते के जरिए जरूरी रद्दोबदल कर लिये जाय।”

३. १९४७ के समझौते का स्वरूप

फरवरी १९४७ का यह ऐलान उन सतों को समझने की कुजी है जिनके अनुसार नयी शासन व्यवस्था का शीगलेश होनेवाला था। इसलिए उस पर अच्छी तरह

गौर कर लेना जरूरी है। भारत की जनता को अपनी इच्छा के अनुसार नयी सरकार का स्वरूप तै करने का कतई कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इस बात का भी कोई सवाल नहीं था कि बालिग मताधिकार के आधार पर भारत की जनता द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक चुनी हुई किसी स्वतंत्र विधान परिषद् को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जनता की तरफ से विधान बनाने का पूर्ण अधिकार रहेगा। सही माने में प्रभुसत्ता सम्पन्न जनवादी राज्य सदा इसी प्रकार स्थापित होता है। मगर यहां ऐसी कोई बात नहीं थी।

इसके विपरीत, अंग्रेजी सरकार ने पहले से ही इसके बहुत ही सख्त और साफ नियम बना दिये थे कि वह किस प्रकार के विधान की इजाजत देगी। यह बात भी साफ कर दी गयी थी कि यदि साम्राज्यवादी सरकार द्वारा एकदम एकतरफा ढंग से बनाये गये इन नियमों और शर्तों को नहीं माना गया, तो फ्रंसला केवल साम्राज्यवादी सरकार के हाथों में रहेगा और वही एकतरफा ढंग-से यह फ्रंसला करेगी कि वह "सत्ता" को किन "जिम्मेदार भारतीय हाथों में" "हस्तांतरित" करेगी। दूसरे शब्दों में, इस प्रारम्भिक अवस्था में अभी कोई स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य नहीं कायम हो रहा था, बल्कि साम्राज्यवाद ऐसे अधिकारियों के हाथों में ताकत सौंप रहा था जो उसे अपने लिए हितकारी प्रतीत होते थे। यानी, माउटबैटन समझौते के द्वारा अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के खातमे से स्वतंत्रता की ओर भारत की प्रगति केवल आरम्भ हो रही थी।

कैबिनेट मिशन की पुरानी योजना की जगह पर जो नयी माउटबैटन योजना बनायी गयी, वह बहुत तेजी से तैयार की गयी और जून में प्रकाशित कर दी गयी। और अगस्त १९४७ तक वह अमल में भी आ गयी, हालांकि इसके लिए पहले जून १९४८ की तारीख तै की गयी थी। इतनी जल्दी इसलिए की गयी क्योंकि संकट बहुत गहरा हो गया था और सरकारी अधिकारी भी यह मानते थे कि यदि भारत में साम्राज्यवाद की सत्ता को भरभराकर गिर पड़ने से बचना है और संकट का कोई क्रान्तिकारी हल निकलने से रोकना है, तो जरूरी है कि समझौता जल्द से जल्द हो जाय। जैसा कि सैंडे टाइम्स के संवाददाता ने ४ मई, १९४७ को लिखा था कि ब्रिटिश अधिकारी यह देख रहे थे कि "संभव है कि जून १९४८ आने के पहले ही भारत में अराजकता फैल जाय।"

माउटबैटन योजना में इस बात की पूरी तफसील मौजूद थी कि भारत का बंटवारा किस तरह होगा और बटे हुए भारत के दो अलग-अलग हिस्सों की अलग-अलग सरकारों को डोमिनियन स्टेट्स के रूप में जिम्मेदारी किस तरह बहुत जल्दी से सौंप दी जायगी।

भारत के बड़े राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने माउंटबैटन योजना को स्वीकार किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक नेताओं को योजना के बारे में काफ़ी सन्देह थे, पर उन्होंने उसे मंज़ूर कर लिया।

भारत के वामपक्षियों ने, जिनमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और उग्र राष्ट्रवादी सभी शामिल थे, इस योजना की ख़ूब आलोचना की, क्योंकि वह देश के टुकड़े करने की योजना थी और उगने सचमुच जनता के हाथों में सत्ता नहीं पहुँचती थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा :

“स्वतंत्रता आन्दोलन पूरे देश की मुकम्मिल आजादी चाहता है। भारत के बटवारे की नयी अंग्रेजी योजना के अरिफ़ उस पर हताश हमला किया गया है।... माउंटबैटन योजना ‘भारत छोड़ो’ की योजना नहीं है; वह तो वास्तव में एक ऐसी योजना है जिसके अरिफ़ ज्यादा से ज्यादा आर्थिक तथा क़ौजी नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में रखने की कोशिश की गयी है।”

ब्रिटेन में टोरी और लेबर पार्टी, दोनों ने योजना का समर्थन किया।

अन्तरराष्ट्रीय दुनिया में, अमरीकी सरकार का मत प्रकट करनेवाले अख़बारों ने योजना की बड़ी तारीफ़ें कीं। अधिकतर देशों के दक्षिण-पयी अख़बारों का भी यही रुख़ रहा। मगर, रायटर के शब्दों में, “वामपयी अख़बारों ने सभी देशों में योजना की आलोचना की।” सोवियत आलोचना जुकोव के शब्दों में इस प्रकार प्रकट हुई :

“ब्रिटेन को मजबूर होकर अमरीका से सबक सीखना पड़ा है और फिलीपाईंस के विषय में उसकी इस नीति की नक़ल करनी पड़ी है कि नाममात्र की भूटी आजादी दे दो। यानी भारत से इस तरह हटो कि वही बने रहो।”

माउंटबैटन योजना की नयी और केन्द्रीय विशेषता भारत का बंटवारा कर देना था। अन्य सब बातों में वह केवल भारत के बड़े पूजीपति वर्ग के साथ साम्राज्यवाद के संयुक्त मोर्चे के उस सिद्धान्त को ही और आगे ले जाती थी, जो कैबिनेट मिशन की योजना के रूप में पहले ही सामने आ चुका था।

कई पीढ़ियों से अंग्रेजी सरकार इस बात की खास तौर पर शोखी बघारती आयी थी कि उसने भारत को एकता के सूत्र में बाधा है। पर वही भारत जो दो हजार वर्ष पहले अशोक और चन्द्रगुप्त के काल में और साढ़े तीन सौ वर्ष पहले अकबर के काल में एकताबद्ध हो चुका था, अंग्रेजों के दो सौ वर्ष के राज के बाद अन्त में दो विरोधी टुकड़ों में खडित होकर पराश्रित भारतीय शासकों

को सौंप दिया गया। भारत के लिए जरूरी बना दिया गया कि वह "फूट डालो और राज करो" की इस घातक साम्राज्यवादी विरासत को दूर करने के लिए एक लम्बा और तकलीफदेह रास्ता तै करे।

माउंटबैटन योजना के अनुसार भारत का बंटवारा हो जाने से बहुत बड़ी खराबियां पैदा हो गयीं।

एक तो इस योजना के मातहत राज्यों की सीमाएं भाषा, संस्कृति या जाति के आधार पर नहीं तै की गयीं, बल्कि धर्म के आधार पर तै की गयीं। इसका सिर्फ यही मतलब नहीं हुआ कि सीमाएं मनमाने ढंग से बनायीं गयीं, जिनको लेकर और भगड़े बढ गये, बल्कि इसका यह भी नतीजा हुआ कि जिन राज्यों को एक विशेष धर्म का बहुमत होने के आधार पर बनाया गया था, उनमें दूसरे धर्म के बहुत बड़े अल्पमत को भी शामिल कर लिया गया। इससे न सिर्फ धर्म के भेद पर आधारित दो अलग-अलग राज्यों में भारत खंडित हो गया; बल्कि राजनीतिक बंटवारे का आधार चूँकि धार्मिक भेदों को बनाया गया था, इसलिए भारत के हर शहर और गांव में, हर क्षेत्र में ये भेद पैदा हो गये और पहले से कई गुना बढ गये। भारत में अन्दरूनी भगड़ों को स्थायी बना देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता था। माउंटबैटन योजना के अमल में आते ही बहुत खौफनाक दंगे और कत्लेआम शुरू हो गये और करोड़ों शरणार्थी घर-द्वार छोड़कर एक देश से दूसरे देश को भागने लगे। भारत के इतिहास में यह सब पहले कभी नहीं हुआ था।

दूसरे, एक संयुक्त भारतीय सरकार के बदले, एक-दूसरे के मुकाबले में खड़ी हुई दो भारतीय सरकारों को ताकत सौंपने का यह परिणाम हुआ कि दोनों सरकारों के बीच हमेशा कलह रहने लगी और बराबर भगड़े होने लगे। देशी रियासतों ने इस परिस्थिति में और पेचीदगी पैदा कर दी, क्योंकि हर सरकार चाहती थी कि रियासतें उसके साथ आयें, और उनको साथ लेने के लिए दोनों सरकारों में होड चलती थी। एक बरस के अन्दर दोनों राज्य सीधे-सीधे एक-दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने लगे। साथ ही, हर राज्य इस कोशिश में लग गया कि उसे संयुक्त राष्ट्र सच के जरिए दूसरे राज्य के खिलाफ साम्राज्यवादी अधिकारियों की मदद मिल जाय। इस बात से भगड़ा कम नहीं हुआ कि दोनों डोमोनियनों की सेनाओं के प्रधान सेनापति अग्रज थे, और दोनों में बहुत से अग्रज अफसर थे, बल्कि इससे पेचीदगियां और बढ गयीं। जैसा कि ३ अगस्त, १९४८ को मंचेस्टर गार्जियन ने लिखा था :

"कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान के सरकारी तौर पर भाग लेने से पूरे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के लिए गम्भीर समस्याएं पैदा हो गयीं हैं।

यह पहला मोटा है कि दो डोमिनियनों की फौजों ने आपस में जंग किया है... ।

“इसके अनायास, पाकिस्तानी तथा भारतीय दोनों ही गेनाओ के प्रधान गेनापति अंग्रेज हैं, दोनों के गलाहकार अंग्रेज हैं, और भारतीय फौज में हालांकि बहुत थोड़े अंग्रेज अफसर हैं, मगर पाकिस्तानी फौज में कई सौ अंग्रेज अफसर हैं। इन तरह अंग्रेज ही परम्पर विरोधी पानों में सड़े हैं।”

तीसरे, भारत का बटवारा इन तरह किया गया कि आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ डाले गये, एक-दूसरे पर निर्भर करनेवाले उद्योग-प्रधान तथा कृषि-प्रधान क्षेत्रों को काट दिया गया, रेल और नहरों की व्यवस्थाओं को अक्षय्य ढंग से विद्वन्-भिन्न कर दिया गया, और इससे अखिल भारतीय आर्थिक विकास के रास्ते में और विकास की एक अखिल भारतीय योजना बनाने के रास्ते में, जो भारत की भावी समृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है, एक बड़ी भारी रूकावट खड़ी हो गयी। इन प्रकार, बटवारे ने जनवादी आन्दोलन और मजदूर-किसान आन्दोलनों के विकास के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयाँ पैदा हो गयीं। इन गारे आन्दोलनों और उनके संगठनों का अखिल भारतीय आधार पर विकास दुष्साध था। पर अब नये राज्यों के बन जाने के परिणाम-स्वरूप एक तो इन आन्दोलनों और संगठनों के दो टुकड़े हो गये; और दूसरे, अब उनके लिए साम्प्रदायिक कलह के उस अंतान से लड़ना जरूरी हो गया जिसे साम्राज्यवादी योजना ने पैदा किया था।

माउंटबेटन योजना को बहुत ही तेजी के साथ अमल में लाया गया। १५ अगस्त, १९४७ को भारत और पाकिस्तान के दो नये डोमिनियनों की घोषणा हो गयी।

१९४७ का समझौता निस्सन्देह स्वतंत्रता के मार्ग पर प्रगति में एक ऐतिहासिक मजिल का प्रतिनिधित्व करता है। उससे भारत में ब्रिटेन का दो सौ वर्ष पुराना औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया—और यह चीज अंग्रेज शासकों की दया से नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सघर्षों की ताकत से हुई। फिर भी, इस समझौते में अनेक भारी-भरकम दुर्गुण थे। उससे भारत का बटवारा हो गया था, शासन-सत्ता भारत के उन ऊपरी वर्गों को सौंप दी गयी थी जिनका साम्राज्यवाद से सम्बन्ध था, और उससे भारत पर साम्राज्यवाद का आर्थिक तथा सामरिक प्रभुत्व बना रहता था। अतः पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग पर भारतीय जनता की प्रगति को बाद के वर्षों में और भी अनेकों महान परिवर्तनों से गुजरना था।

सोलहवां अध्याय

नवीनतम चरण

साम्राज्यवाद की हर प्रकार की दासता का अन्त करने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता की समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय जनता की आजादी की लड़ाई १९४७ के बाद और आगे बढ़ी है और नयी परिस्थितियों में लड़ी जा रही है ।

पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से यह बात भलीभांति स्पष्ट हो गयी है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत तथा पाकिस्तान के डोमिनियनों की स्थापना के रूप में अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारत के ऊपरी वर्गों के बीच १९४७ में जो समझौता हुआ था, उससे भारत की आजादी की लड़ाई समाप्त नहीं हो गयी थी, बल्कि, इसके विपरीत, वह समझौता एक अस्थायी परिवर्तनकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसके बाद भारत की आजादी की लड़ाई एक नयी और पहले से ऊची अवस्था में प्रवेश करनेवाली थी । यह वह अवस्था है जिसमें भारत का मजदूर वर्ग, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, अधिकाधिक आगे आता है और बड़े पूँजीपति वर्ग तथा उसके सहयोगियों से राष्ट्र का नेतृत्व अपने हाथ में लेता है और अन्तिम विजय की ओर अग्रसर होता है ।

अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर भारत तथा पाकिस्तान के डोमिनियनों की स्थापना रस्मी तौर पर स्वतंत्र तथा सर्वसत्ता सम्पन्न राज्यों के रूप में हुई थी । १९५० के आते-आते भारत का डोमिनियन भारत का प्रजातंत्र बन गया और ब्रिटेन के राजा को "कामनवेल्थ के प्रमुख" के रूप में मानने लगा । लेकिन, व्यवहार में अभी भारत तथा पाकिस्तान पर साम्राज्यवाद का आर्थिक और सैनिक शिकंजा टूटा नहीं था । भारत के आर्थिक साधन तथा उसकी जनता की मेहनत अभी भी अंग्रेजी बँक-पूँजी के नागफास में कसी हुई थी; और ऊपर से अमरीकी बँक-पूँजी भी भारत में घुस रही थी; और जनता का जीवन-स्तर औपनिवेशिक शोषण के निम्नतम स्तर पर पड़ा हुआ था ।

भारत अभी साम्राज्यवाद से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुआ था। उसकी स्वतंत्रता की घनेक सोमाएं थी। उसकी ध्यान में रखते हुए ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने १९५१ में प्रकाशित अपने कार्यक्रम में भारत को १९५७ के बाद भी एक "अर्ध-उपनिवेश" कहा था ("एशिया के सबसे बड़े देशों में अन्तिम, पराधीन अर्ध-उपनिवेशिक देश") और उनके विधान को, जिससे जनता को कुछ प्रासिक जनवादी अधिकार ही प्राप्त हुए थे, "विदेशी साम्राज्यवादी हितों, मुख्यतया अंग्रेजों साम्राज्यवादी हितों ने बंधे हुए एक जमींदार-भूजोपति राज्य" का विधान बताया था। पाकिस्तान के लिए तो यह वर्णन और भी अधिक उपयुक्त था। वहां अत्यंत सीमित ढंग के जनवादी अधिकारों को भी मनमाने तानाशाही क्रमों के जरिए कुचला जा रहा था। और १९५४ में पाकिस्तान तथा अमरीका के बीच जो फ़ौजी समझौता हुआ, उसने तो पाकिस्तान को सीधे अमरीकी साम्राज्यवाद के दायरे में लाकर पटक दिया।

लेकिन, इस सबके बावजूद, अंग्रेजों और अमरीकी दोनों साम्राज्यों से आजाद होने की जनता की लड़ाई और बहुत ही प्राथमिक ढंग की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मांगों को प्राप्त करने का सपना तथा शान्ति की रक्षा का अन्दोलन बराबर आगे बढ़ते गये। १९४९ में चीनी जन-शान्ति की अन्तिम विजय के बाद, जनता का यह सपना खास तौर पर तेजी से आगे बढ़ा। असार की राजनीति में भारत नया रस अमानने लगा। वह शान्ति की रक्षा के लिए अधिकधिक सक्रिय भूमिका अदा करने लगा। देश की अन्दरूनी राजनीतिक स्थिति में भी नयी धाराएं नजर आने लगीं। पुराना कांग्रेसी नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता की जनवादी शक्तियां आगे आने लगीं। पाकिस्तान में भी जनवादी शक्तियों का बल बढ़ा, जैसा कि १९५४ में पूर्वी पाकिस्तान के आम चुनावों में प्रकट हुआ, हालांकि वहां उन्हें अत्यंत क्रूर दमन का सामना करना पड़ा।

१. नयी सरकारें

१९५७ के माउंटबैटन समझौते के जरिए जो नयी सरकारें स्थापित हुई थीं, शुरू में उनकी खास बात यह थी की पुरानी साम्राज्यवादी शासन-व्यवस्था से उनकी शासन-व्यवस्था में कोई खास अन्तर नहीं पड़ा था। साम्राज्यवाद के पुराने शासन-अंत्र को ज्यों का त्यों अमाना लिया गया था। वही नौकरशाही थी; वही अदालतें थी; वही पुलिस थी; और दमन के तरीके भी वही थे। निहल्यी जनता पर पुलिस अब भी पहले की तरह ही गोली चलाती थी, साठी-चारज करती थी। अब भी पहले की तरह ही सभा पर रोक लगायी जाती थी, अखबार

बन्द किये जाते थे, लोगों को बिना मुकदमा जेलो में बन्द किया जाता था, मजदूर यूनियनों और किसान संगठनों का दमन किया जाता था; और जेलों में हजारों उग्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता भरे हुए थे। भारत में साम्राज्यवाद के आर्थिक हितों की, उसकी पूजा की, उसकी अतुलित सम्पत्ति की बड़ी वफ़ादारी के साथ रक्षा की जाती थी; और साम्राज्यवादी शोषण का चक्र अबाध गति से घूम रहा था। सैनिक नियंत्रण अब भी व्यवहार में साम्राज्यवादियों की फ़ौजी कमान के हाथों में था। शुरू-शुरू में तो अंग्रेज गवर्नर-जनरल को ही सघ-राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कायम रखा गया। दोनों डोमीनियनों के खास-खास प्रान्तों में अंग्रेज गवर्नर रखे गये। दोनों राज्यों की सेनाओं के प्रधान सेनापति, सैनिक सलाहकार और ऊँचे अफसर भी अंग्रेज थे।

नयी शासन व्यवस्था के शुरू के सालों में जन-आन्दोलन का, और विशेष कर मजदूर आन्दोलन का दमन चरम सीमा पर पहुँच गया। १९४८ में कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के खिलाफ, किसानों तथा विद्यार्थियों के संगठनों के खिलाफ और उग्रवादी अखबारों के खिलाफ भी, एक आम हल्ला बोल दिया गया। पश्चिमी बंगाल में, और उसके बाद मद्रास में भी, कम्युनिस्ट पार्टी गैर-कानूनी करार दे दी गयी। दूसरे प्रान्तों में पार्टी का खुलकर काम करना असम्भव बना दिया गया। मजदूर वर्ग के लगभग सभी प्रमुख नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गये या उनके नाम वारंट जारी हो गये। जेलों के बाहर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर और जेलों के अन्दर राजनीतिक कैदियों पर पुलिस ने गोलियाँ चलायीं जिससे बहुत से लोग मारे गये। साम्राज्यवाद ने जनता का दमन करने के लिए जितने क़ानून बनाये थे, नयी सरकारें उन सबका उपयोग कर रही थी, दूसरे नये क़ानून बनाकर उन्होंने दमन के हथियारों को और तेज़ बना लिया था। १९४९ में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बताया कि उस वक्त कुछ नहीं तो २५,००० मजदूर और किसान नेता जेलों में बन्द थे, जिनमें से अधिकतर बिना मुकदमा नज़रबन्द थे। नयी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उसके शासन के पहले तीन वर्षों में, यानी १५ अगस्त, १९४७ से १ अगस्त, १९५० तक उसकी पुलिस और फौज ने जनता पर १,९८२ बार गोली चलायी, ३,७८४ आदमियों को जान से मारा, लगभग १०,००० को ज़हमी किया, ५०,००० को जेल में बन्द किया और जेलों के अन्दर ८२ राजवन्दियों को गोली से उड़ा दिया।

भयानक दमन के इस प्रारम्भिक काल के बाद ही कहीं भारत में एक नया परिवर्तन आया। और १९५० के नये विधान के द्वारा (उम्की कुछ गैर-जनवादी बातों के बावजूद) जनता को कुछ जनवादी अधिकार दिये गये और

जनवरी १९५२ में बालिंग मताधिकार के आधार पर पहना घाम चुनाव हुआ। लेकिन इसके बाद भी जनवादी अधिकारों के लिए मदा सफट बना रहा। इसके बाद भी घसन गरनार सडट-कामोन अधिकारो का प्रयोग करती रही, दमन-बारी कानूनो को काम में लानी रही और नाठी-भोली का इस्तेमाल करनी रही।

पाकिस्तान में तानाशाही तरीके घमन में कायम रहे, और जनवादी राजनीतिक एवं मजदूर गगठनों का क्रूर दमन जारी रहा। एक गुप्त "पडयत्र" केम के बढ़ाने प्रमुग नम्बुनिस्ट, मजदूर तथा जनवादी नेताओं को जेल में डान दिया गया और लम्बो-लम्बो गजाए मुना दी गयी। १९५४ में पूर्वी पाकिस्तान में घाम चुनाव हुआ और उनमें प्रुड जनता ने बरनाम मुस्लिम लीगी नेताओं को उठाकर पटक दिया और ६३% वोट उग मयुक्त मोर्चे को दिये जिमने एक प्रगतिशील कार्यक्रम के आधार पर चुनाव नडा था। नगर इस चुनाव के आधार पर जो मनि-मदन बना, उगे ऊार ने (बालडिन को टोरी सरकार के बनाये हुए १९३५ के भारत-नरनार कानून को ६० वां धारा के मानहन) एक तानाशाही फरमान निकालकर बर्गास्त कर दिया गया और पूर्वी बगान में फौजी तानाशाही कायम कर दी गयी।

आर्थिक नीति का दर्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। कांग्रेस के पुगने कार्यक्रम में नभो प्रमुग आर्थिक माधनो तथा उद्योगों के राष्ट्रीकरण की बात थी। कांग्रेस यह बात मानती थी कि इन प्रकार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीकरण करना न सिर्फ प्रगतिशील पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है, बल्कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विदेशी पूजी के प्रभुत्व में मुक्त करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन बोमीनियन सरकार की स्थापना के बाद यह कार्यक्रम दायिन दफतर कर दिया गया।

१७ फरवरी, १९४८ को प्रधानमंत्री पं नेहरू ने ऐलान किया :

"आर्थिक व्यवस्था में कोई आरुत्मिक परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक सम्भव होगा, मौजूदा उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं किया जायगा।"

रॉयटर की व्यापारिक समाचार सचिस के आर्थिक विभाग ने १ अप्रैल को नयी दिल्ली से समाचार भेजा :

"भारत सरकार की अगले दस वर्षों की औद्योगिक एवं आर्थिक नीति में मौजूदा उद्योगों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीकरण करने का कोई स्थान नहीं होगा।"

६ अप्रैल, १९४८ को आर्थिक नीति के सम्बंध में सरकार का प्रस्ताव प्रकाशित हुआ, जिससे ये सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुईं। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व केवल तीन क्षेत्रों तक सीमित रहेगा : अस्त्र-शस्त्र, एटम शक्ति और रेलवे (इन क्षेत्रों में पहले से ही सरकार का स्वामित्व था)। कोयला, लोहा, इस्पात तथा अन्य प्रमुख उद्योगों के बारे में सरकार ने ऐलान किया कि उसने "इन क्षेत्रों में मौजूदा कम्पनियों को अगले दस वर्ष तक विकसित होने देने का निश्चय किया है;" बिजली पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और "बाकी सारा औद्योगिक क्षेत्र सामान्यतया निजी व्यवसाय के लिए खुला रहेगा।" इस प्रकार, पहले से जमी हुई बड़ी इजारेदारियों के हित में, जिनमें साम्राज्यवादी इजारेदारियां भी शामिल थी, राष्ट्रीकरण के कार्यक्रम की बलि चढ़ा दी गयी।

आर्थिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव के साथ-साथ उसकी एक व्याख्या भी प्रकाशित हुई थी। वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसमें कहा गया था :

"भारतीय बाजारों में हाल में यह डर पैदा हुआ था कि सरकार अनेक उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का प्रयोग करनेवाली है, और इस प्रकार इन उद्योगों की कार्यक्षमता और साख को खतरे में डालनेवाली है। अब यह डर एकदम दूर हो गया है। यह आशा की जाती है कि सरकारी नीति के ऐलान से, सरकारी हंडियों के दाम फिर अपने पुराने स्तर पर पहुँच जायेंगे।

"जानकार हल्को में उम्मीद की जा रही है कि अब चूँकि सरकारी नीति में पुनः विश्वास कायम हो गया है, इसलिए अब पुनर्निर्माण के लिए बड़े-बड़े कर्ज जुटाने के लिए सरकार का रास्ता साफ हो गया है।"

आगे इस व्याख्या में यह आश्वासन दिया गया था कि मुनाफों की हदबंदी या नियंत्रण का कोई डर नहीं है।

"बाजारों में इस बात की बड़ी आशंका थी कि कहीं सरकार निजी व्यवसायों के मुनाफों की हदबंदी या नियंत्रण न करने लगे। मगर सरकारी नीति का जो ऐलान हुआ है, उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है और इसलिए अब कम्पनियों के हिस्सों की कीमतों में लाजिमी तौर पर चढ़ाव आयेगा। इससे निजी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।"

इस बात में भी कोई सन्देह नहीं रहा कि किस प्रकार के "निजी व्यवसाय" को यह प्रोत्साहन खास तौर पर दिया जा रहा था। यह प्रोत्साहन खास तौर पर साम्राज्यवाद को, यानी अंग्रेजी-अमरीकी पूँजी को दिया जा रहा था।

सरकारी प्रस्ताव के साथ जो सरकारी व्याख्या प्रकाशित हुई थी, उसके अन्तिम अंश में सरकारी नीति का यह उद्देश्य बताया गया था :

“प्रस्ताव भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी तथा विदेशी व्यवसाय को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है और साथ ही राष्ट्रीय हित में उस पर नियंत्रण भी रखना चाहता है। प्रस्ताव के इस अंश से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार औद्योगिक प्रबंध एवं टेक्निकल शिक्षा और पूंजी दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी मदद की आवश्यकता महसूस करती है और इसलिए यह जरूरी समझती है कि भारतीय व्यवसाय की मदद के लिए विदेशी पूंजी तथा विदेशी कौशल का भारत में स्वागत किया जाय।”

“विदेशी पूंजी को पूर्ण स्वतंत्रता”—माउंटबैटन समझौते से साम्राज्यवाद को सचमुच बड़ा ठाठदार मुनाफा हो रहा था !

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि ब्रिटिश पत्र इकोनॉमिस्ट ने माउंटबैटन समझौते के समय ही यह लिखा था :

“यदि डोमिनियन स्टेट्स को तिलांजलि नहीं दे दी जाती, तो हो सकता है कि कुछ रस्मी नाता भी कायम रह जाय; और अगर कोई नया राजनीतिक रूप अपनाया गया तो भी ब्रिटेन और भारत के बुनियादी सामरिक तथा आर्थिक सम्बंध तो हर हालत में बने रहेंगे।” (७ जून, १९४७)

भारत का साम्राज्यवाद के साथ सम्बंध अब भी किस हद तक कायम था, यह बात सैनिक, सामरिक एवं वैदेशिक नीति के क्षेत्र में और साफ हो गयी, हालांकि बाद की घटनाओं से उसमें कुछ अन्तर पड़ने वाला था।

भारत पाकिस्तान और लंका के डोमिनियनों के सैनिक संगठन तथा सामरिक योजनाओं का नियंत्रण तथा नेतृत्व अंग्रेजों के हाथ में था। यहाँ तक कि शुरू के काल में उनकी सेनाओं के प्रधान सेनापति भी अंग्रेज थे। उनके अलावा भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं में सैकड़ों अंग्रेज अफसर काम कर रहे थे। भारतीय समुद्री बेड़े तथा हवाई फौज पर अंग्रेजों का खास तौर पर मजबूत नियंत्रण था। समुद्री बेड़े के अफसरों की शिक्षा, संचालन और अस्त्र-शस्त्रों की व्यवस्था सब ब्रिटेन के साथ जुड़ी हुई थी और हवाई फौज के अड्डों का संचालन अंग्रेजी हवाई बेड़े के सहयोग से होता था। लंका की त्रिकोमाली की समुद्री चौकी को अब भी अंग्रेजी साम्राज्य की एक मुख्य फौजी चौकी के रूप में बढ़ाया और फैलाया जा रहा था। भारत की धरती पर अब भी अंग्रेजी

फौज के भर्ती के दफ्तर काम कर रहे थे, जहा मलाया की जनता के खिलाफ लड़ाई चलाने के लिए गुरखा सिपाही भर्ती किये जाते थे ।

वैदेशिक नीति के मामले में भारत के बड़े पूजीपतियों ने साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन कर लिया था । भारतीय पूजीपतियों के प्रमुख पत्र ईस्टर्न इको-नोमिस्ट ने ३१ दिसम्बर, १९४८ को स्पष्ट रूप में लिखा था :

“बाल की खाल निकालनेवाले राजनीतिज्ञ कुछ भी कहें, व्यवहार में हमारी वैदेशिक नीति ने अब एक निश्चित दिशा पकड़ ली है । अब हम एक ऐसी वैदेशिक नीति अपना रहे हैं जो प्रधानतया कॉमनवेल्थ के साथ हमारी मित्रता बनाये रहेगी ।...सोवियत संघ के मुकाबले अमरीका से कॉमनवेल्थ की ज्यादा दोस्ती है । इसलिए उसके साथ सहयोग रखने का मतलब यह होगा कि हम असल में अमरीका की तरफ भुकेंगे । इस राजनीतिक तथ्य से क्या तार्किक परिणाम निकलेगा, यह अभी से स्पष्ट हो जाना चाहिए । इसका मतलब यह है कि किसी छोटे-मोटे सवाल को छोड़कर हम राष्ट्र सघ में या कही और कॉमनवेल्थ और अमरीका के रुख के विपरीत रुख नहीं अपना सकते ।”

अप्रैल १९४९ में लन्दन में डमीनियनों के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । उसकी ओर से एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ । उसमें भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर एक स्वतंत्र प्रजातंत्र मान लिया गया । ऐलान किया गया कि भारतीय प्रजातंत्र ब्रिटेन के राजा को भारत के शासक के रूप में नहीं, बल्कि “कॉमनवेल्थ के प्रमुख” के रूप में मानेगा । इस ऐलान में कहा गया था :

“भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत कॉमनवेल्थ की अपनी पूर्ण सदस्यता बनाये रखना चाहता है और बादशाह को कॉमनवेल्थ के सदस्य स्वतंत्र राष्ट्रों के स्वतंत्र सहयोग के प्रतीक के रूप में और इसलिए कॉमनवेल्थ के प्रमुख के रूप में मानता है ।”

लन्दन के इस घोषणापत्र का साम्राज्यवादियों ने स्वागत किया क्योंकि उससे अमली शकल में अंग्रेजी साम्राज्य के साथ भारत का सम्बंध बना रहता था । अंग्रेज और अमरीकी साम्राज्यवादियों को भारत से क्या आशाए थी, यह बात १९४९ के पतझड़ में और स्पष्ट हो गयी जब पंडित नेहरू अमरीका गए । अक्टूबर १९४९ में न्यू यॉर्क टाइम्स ने लिखा :

“एशिया में जनवादी शक्तियों के केन्द्र-बिन्दु के रूप में वार्शिंगटन की आशाए भारत पर केन्द्रित है, जो एशिया का दूसरे नम्बर का राष्ट्र

है और उन व्यक्ति पर केन्द्रित हैं जो भारत की नीति को निश्चित करता है। हमारा मतलब प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से है।”

और अगस्त १९५० में उसने फिर लिखा था :

“एक अर्थ में वह (नेहरू) जनवादी पक्ष के लिए मामो स्ले-नुग का जवाब है, एशिया का समर्थन प्राप्त करने के संघर्ष में पड़ित नेहरू को अपने मददगार के रूप में पा जाना कई द्वितीयक फ़ौज पा जाने के बराबर है।”

अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ भारत का सहयोग १९५० की गरमियों में तब चरम सीमा पर पहुँच गया, जब राष्ट्रसंघ में अमरीका ने कोरिया पर अपने फ़ौजी हमले को उचित ठहराते हुए एक गैर-कानूनी प्रस्ताव पेश किया और भारत सरकार ने उसका समर्थन किया। लेकिन एशियाई देशों पर पश्चिमी साम्राज्यवादी जो हमले कर रहे थे और जैसी बरबादी वा रहे थे, उसमें उनको भारत का किन्हीं भी प्रकार का सहयोग मिले—इसके खिनाक भारतीय जनता में बहुत ज़बर्दस्त भावना थी। दूसरी ओर, चीनी जनतंत्र की विजय से एशिया में एक नया शक्ति-संतुलन पैदा हो गया था। इन दोनों बातों के कारण इसी समय से नये विरोध पैदा होने लगे और भारत की बंदेशिक नीति में एक नया, महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगा।

इस आधार पर शुरू में कुछ अस्थायी सफलता प्राप्त कर लेने के कारण अंग्रेज और अमरीकी साम्राज्यवादियों की हिम्मत बढ़ी और वे भारत, पाकिस्तान, और लंका को अपने मुख्य अड्डे के रूप में और एशिया में क्रान्ति-विरोधी शक्तियों के केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाने लगे। वे चाहते थे कि इन देशों को आधार बनाकर दूसरे एशियाई देशों की जनता के स्वतंत्रता आन्दोलनों पर हमला बोलें।

भारत के बड़े पूँजीपतियों के कुछ लाख-लाख हल्कों से भी इन योजनाओं को समर्थन मिला। ये लोग एशिया में जन-क्रान्ति के बढ़ाव को देखकर बड़बुदास थे। इसके साथ ही कुछ उनके अपने आर्थिक हितों का भी सवाल था। वे भारत के बाहर एशिया के अन्य देशों तक फैला हुआ कौसा खुला क्रान्ति-विरोधी मोर्चा बनाना चाहते थे, इसकी एक भलक उप-प्रधान मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल के उस रेडियो भाषण में मिली, जो उन्होंने १५ अगस्त, १९४८ को दिया था :

“एक समय समझा जाता था कि एशिया का नेतृत्व चीन करेगा।

मगर वह भयानक धरेलू भगड़ों में फसा हुआ है।...मलाया, हिन्द-चीन

और वर्मा में भी परिस्थिति चिन्ताजनक है... यदि भारत में अवांछित तत्वों को तुरत सख्ती से नहीं दबाया गया तो निश्चय ही वे यहां भी वैसे ही अराजकता पैदा कर देंगे जैसी उन्होंने एशिया के कुछ अन्य देशों में पैदा कर दी है।”

“अवांछित तत्व”—“सख्ती से दबाना”—इतिहास का चक्र मानो एकदम घूम गया था। भारत की पूजावादी राष्ट्रवादिता का दक्षिण-पंथी नेतृत्व भारतीय नव-साम्राज्यवाद के रूप में प्रस्फुटित हो रहा था और अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद का छोटा साभ्नीदार बनने की कोशिश कर रहा था।

मगर वह आधार गायब था जिसके सहारे यह बात हो सकती। शीघ्र ही घटना-चक्र यह बात स्पष्ट कर देनेवाला था। अगली अवस्था में भारत एक नये तथा भिन्न पथ पर अग्रसर होने की तैयारी कर रहा था।

२. भारत में अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद

भारत पर आज भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रभुत्व बहुत हद तक कायम है। अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रभुत्व उससे कम है, मगर वह बढ़ रहा है।

राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद, भारत की अर्थ-व्यवस्था पर अंग्रेजी वंक-पूजा का प्रभुत्व आज भी सबसे अधिक है। भारत की कोयला खानों पर, चाय और रबड़ के बागानों पर, तेल के कुओ और तेल साक़ करने के कारखानों पर और बहुत से इंजीनियरिंग के कारखानों पर आज भी मुख्यतया अंग्रेज पूजापतियों का स्वामित्व अथवा नियंत्रण है। भारत के विदेशी व्यापार और भारतीय वंकों के नियंत्रण में निर्यातकारी भूमिका अंग्रेजी पूजा की है। जिन कम्पनियों के मालिक नाम के लिए भारतीय हैं, उनमें से भी अनेको वास्तव में अंग्रेज मैनेजिंग एजेंटियों की मातहत ही हैं। अंग्रेज और अमरीकी इजारेदारों ने भारतीय इजारेदारों के साथ मिलकर मिली-जुली कम्पनियां खोली हैं, जो नाम के लिए तो भारतीय हैं, मगर उन पर असल में विदेशी पूजा का नियंत्रण है। इन मिली-जुली कम्पनियों के जरिए अंग्रेज और अमरीकी इजारेदारों ने भारतीय इजारेदारों को अपने छोटे साभ्नीदारों के रूप में अपने अधीन कर रखा है।

भारत के रिजर्व बैंक ने हिसाब लगाया है कि ३० जून, १९४८ को भारत में ५९६ करोड़ रुपये की निजी विदेशी पूजा लगी हुई थी। इसमें से ५१९ करोड़ की दीर्घ-कालीन पूजा थी। असल में, यह संख्या भी वास्तविक संख्या से कम है क्योंकि उसमें केवल वही व्यापारिक पूजा शामिल है जो सरकारी

कागज़ों में दर्ज है, और उसमें न सिर्फ़ सरकारी तथा म्युनिसिपल कर्जों के रूप में लगी हुई निजी पूंजी शामिल नहीं है, बल्कि विदेशी बैंकों की सारी पूंजी भी उसमें से छोड़ दी गयी है। विदेशी बैंकों की पूंजी भारत में बहुत ताकतवर है और देश का अधिकतर वैदेशिक व्यापार उसी की सहायता से चलता है।

भारत सरकार के भ्रष्ट-मंत्री श्री चिन्तामण देशमुख ने १६ जून, १९५२ को पार्लामेंट में बताया था कि जुलाई १९४७ से दिसम्बर १९५१ तक ५२ करोड़ ६० लाख रुपये की विदेशी पूंजी भारत में वापिस चली गयी और ११ करोड़ की नयी विदेशी पूंजी यहाँ लगायी गयी। इसका मतलब यह हुआ कि इन काल में भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी में ४२ करोड़ ६० लाख रुपये की कमी आ गयी। इसी बयान में भ्रष्ट-मंत्री ने रिज़र्व बैंक के आकड़ों का हवाला देते हुए यह भी बताया था कि जून १९४८ में भारत में कुल ६१३ करोड़ १० लाख रुपये की दीर्घ-कालीन विदेशी पूंजी लगी हुई थी, जिसमें से २६२ करोड़ ६० लाख रुपये की पूंजी सरकारी ढुडियों की शक्ल में थी (इसमें से २५० करोड़ ५० लाख रुपये की पूंजी ब्रिटेन की थी और ३२० करोड़ ४० लाख रुपये की पूंजी व्यवसाय में लगी हुई थी (इसमें से २३० करोड़ १० लाख की पूंजी ब्रिटेन की थी; जिसकी बाज़ार में कीमत ३७५ करोड़ ६० लाख रुपये होती थी)।

इन आकड़ों में भारत में लगी नयी विदेशी पूंजी को कम करके आका गया है। फिर भी, उनके अनुसार, माउंटबैटन समझौते के बाद साढ़े चार वर्ष बाद कुल विदेशी पूंजी का केवल पन्द्रहवां हिस्सा भारत से वापिस गया। भारत सरकार की ढुडियों में जो विदेशी पूंजी लगी हुई थी, उसका ८५ प्रतिशत भाग, यानी १८ करोड़ ८० लाख पौंड ब्रिटेन का था, और भारत में लगी हुई दीर्घ-कालीन विदेशी पूंजी का ७० प्रतिशत भाग, यानी बाज़ार भाव के अनुसार, २८ करोड़ २० लाख पौंड की पूंजी अंग्रेज़ी पूंजी थी। यानी, वास्तविकता को कम करके आंकनेवाले इन आकड़ों के अनुसार भी, भारत में कुल ४७ करोड़ पौंड की दीर्घ-कालीन अंग्रेज़ी पूंजी लगी हुई थी। १९४८ में ब्रिटेन के बाहर कुल १६६ करोड़ पौंड की अंग्रेज़ी पूंजी लगी हुई थी। उसका एक-चौथाई भारत में लगा हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में कुल १११ करोड़ १० लाख पौंड की पूंजी लगी हुई थी। उसका ४० प्रतिशत से अधिक भाग भारत में लगा हुआ था। निश्चय ही सत्ता-परिवर्तन से अंग्रेज़ी पूंजीवाद के लिए भारत के महत्व में कोई कमी नहीं आयी थी।

१९४७-४८ में भारत में कुल जितनी भारतीय ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियाँ रजिस्टर्ड थी, उनमें कुल ५६६ करोड़ ५० लाख की पूंजी लगी हुई थी। इसमें १४५ करोड़ ८० लाख की वह विदेशी पूंजी और जोड़नी चाहिए जो विदेशों में रजिस्टर्ड मगर भारत में काम करनेवाली कम्पनियों की शाखाओं में लगी हुई

थी। इस प्रकार, भारत की विभिन्न कम्पनियों में लगी हुई निजी पूँजी कुल मिलाकर ७१५ करोड़ ३० लाख की होती थी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में लगी हुई कुल पूँजी का ४४.७ प्रतिशत भाग विदेशी पूँजी का था।

लेकिन यह ४४ प्रतिशत भाग भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कितना ज़बरदस्त नियंत्रण रखता है, यह बात और भी महत्वपूर्ण है। भारत में जो ३८ करोड़ ४० लाख पौंड की कुल निजी दीर्घ-कालीन विदेशी पूँजी व्यवसाय में लगी हुई है (जिसमें से अधिकांश अंग्रेजी पूँजी है), उसका ८४ प्रतिशत भाग ऐसी पूँजी का है जिसका सम्बंधित व्यवसायों पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण है। रिज़र्व बैंक ने ५ लाख रुपये या उससे ज्यादा पूँजी वाली १०६२ कम्पनियों में लगी हुई विदेशी तथा भारतीय पूँजी के अनुपात का एक विश्लेषण तैयार किया था। इन १०६२ कम्पनियों में से ६३ ऐसी विदेशी कम्पनियाँ थी जो विदेशों में रजिस्टर्ड हुई थी, ३०६ विदेशी नियंत्रण में चलने वाली भारतीय कम्पनियाँ थी और ६६३ भारतीय नियंत्रण में चलनेवाली भारतीय कम्पनियाँ थी। इस विश्लेषण से नीचे दिया हुआ चित्र सामने आया :

१९४८ में भारत में काम करनेवाली बड़ी कम्पनियों में कुल पूँजी के किस अनुपात में विदेशी पूँजी लगी हुई थी (प्रतिशत)

१. पेट्रोलियम	६७	१०. फ्राइनेस	४६
२. रबड़ के कारखाने	६३	११. विजली	४३
३. लाइट रेलवे	६०	१२. कॉफी	३७
४. माचिस	६०	१३. इंजीनियरिंग	३३
५. जूट	८६	१४. खाद्य पदार्थ	३२
६. चाय	८६		
७. कोयले के अलावा अन्य खानें	७३	१५. कागज	२८
८. कोयला	६२	१६. चीनी	२४
९. रबड़ के बागान	५४	१७. कपड़ा-मिलें	२१
		१८. सीमेंट	५

ऊपर की तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि १९४८ में पहले ६ उद्योगों में विदेशी पूँजी ५० प्रतिशत से अधिक थी, अगले ६ उद्योगों में २५ प्रतिशत से अधिक होने के कारण उसकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि वह पूरे उद्योग पर अपना प्रभुत्व बनाये रख सकती थी, और केवल कपड़ा-मिल, चीनी और सीमेंट हीं तीन ऐसे उद्योग थे जिनमें भारतीय पूँजी की सत्तमुच्च प्रमुख भूमिका थी। इनमें से कपड़ा-उद्योग भारतीय पूँजी का परम्परागत गड है।

विदेशी साम्राज्यवादी भारत से अब भी कितना खिराज हर साल वसूलते थे ? एक भारतीय अर्थ-शास्त्री का अनुमान यह है :

“रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी पूंजी के जो आरूढ़े जमा किये हैं, उनसे पता चलता है कि मूद और मुनाफ़े के रूप में विदेशी लोग हर साल ४० करोड़ रुपया वसूलते हैं। ‘भुगतान के हिसाब’ की रिजर्व बैंक ने जो अनेक व्याख्याएं की हैं, उनसे प्रकट होता है कि ‘हमारे देश में आने वाला ज्यादातर सामान चूकि विदेशी कम्पनियों डोती है, या वे ही उसका बीमा करती हैं,’ इसलिए यह मुमकिन है कि हम विदेशियों को हर साल औसतन ५० या ६० करोड़ रुपया देते हों। हमारे देश से बाहर जानेवाले माल के बारे में भी यही बात सच है। उस पर दसियों करोड़ रुपये सालाना विदेशी लोग हड़प जाते हैं।

“पिछले सप्ताह अर्थ-मंत्री ने पार्लामेंट के सामने जो बयान पेश किया था, उसके अनुसार हमें ब्रिटेन में रहनेवाले १६,६०५ व्यक्तियों को पेंशन देनी पड़ती है। १९४८-४९ और १९५०-५१ के बीच इस मद में कुल २८ करोड़ ६२ लाख रुपये दिये गये थे। यानी पेंशन की शक्त में हर साल साढ़े ६ करोड़ रुपये देने पड़ते हैं।

“अन्त में, विदेशी बैंकों को दिया जानेवाला कमीशन भी इस हिसाब में जोड़ना पड़ेगा। भारत का सारा विदेशी व्यापार चन्द विदेशी बैंकों के हाथों में है। उनको कितना कमीशन दिया जाता है, इसके अधिकृत आंकड़े फ़िलहाल नहीं मिलते, लेकिन यदि तमाम पुराने अनुमानों को ध्यान में रखा जाय और विदेशी व्यापार में आजकल जो बढ़ती हो गयी है, उसका भी खयाल रखा जाय तो इस मद में २५ से ३० करोड़ रुपये तक रखे जा सकते हैं।” (फ़ौस रोड्स, बम्बई, १४ सितम्बर, १९५१)।

यदि ऊपर दिये गये तमाम आंकड़ों को जमा किया जाय (और भारत से बाहर जानेवाले माल पर होनेवाली “दसियों करोड़ रुपये” सालाना की कमाई उसमें से छोड़ दी जाय), तो पता चलता है कि औपनिवेशिक शासन का अन्त हो जाने के बाद भी, साम्राज्यवाद भारत से १२४ करोड़ ५० लाख रुपये से लेकर १३६ करोड़ ५० लाख रुपये तक का खिराज हर साल वसूल करता है।

हाल के जमाने में अमरीकी पूंजी ने भी भारत में घुसने की सक्रिय कोशिश की है, हालांकि भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी अभी अपेक्षाकृत कम है। फिर भी अंग्रेजी पूंजी के बाद उसी का नम्बर आता है। १९४८ में रिजर्व

बैंक ने विदेशी पूंजी के जो आकड़ों जमा किये थे (जिनका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं), उनसे पता चला था कि भारत में जो कुल ५१६ करोड़ रुपये की दीर्घ-कालीन निजी पूंजी लगी हुई थी, उसमें से ३६६ करोड़ रुपये की पूंजी, यानी ७० प्रतिशत अंग्रेजी पूंजी थी, और ३० करोड़ रुपये की पूंजी, यानी ६ प्रतिशत से कम अमरीकी पूंजी थी। मगर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी अक्सर फ्रांसीसी, बेल्जियन, या भारतीय नामों के पीछे छिपी रहती है, जिसकी वजह से सरकारी आकड़ों से सही स्थिति का ज्ञान नहीं होता।

साथ ही, अमरीका भारतीय बाजार को जीतने और ब्रिटेन को हटाकर उसकी जगह लेने की भी जोरदार कोशिश कर रहा है। नीचे दिये गये आंकड़ों से यह बात साफ हो जाती है :

भारत में आने वाला माल
(लाख रुपयों में)

	१९४८-४९	१९५०-५१
ब्रिटेन से आने वाला माल	१५,३००	१२,२७०
अमरीका से आने वाला माल	१०,८७०	१५,५८०
कुल	५४,२६०	५६,५५०
बाहर से आनेवाले कुल माल में ब्रिटेन का हिस्सा	२८.२%	२१.७%
बाहर से आनेवाले कुल माल में अमरीका का हिस्सा	२०%	२७.६%

इस प्रकार १९४८-४९ में तो भारतीय बाजार में ब्रिटेन का नम्बर पहला था, लेकिन १९५०-५१ में पहला नम्बर अमरीका का हो गया था।

अमरीकी बैंक-पूजी और अमरीकी सरकार ने पहले भारतीय बाजार को हथियाने पर ही जोर दिया है, और पूंजी निर्यात करने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई है। मगर, इसके साथ-साथ वे बड़े पैमाने पर पूंजी भेजने के लिए भी जमीन तैयार करती रही हैं। इसका प्रमाण यह है कि भारत में अमरीकी कूटनीति और अमरीकी प्रचार बहुत सक्रिय है। अमरीकी सेठ भारतीय अखबारों को खरीद रहे हैं। तरह-तरह के टेक्निकल मिशन अमरीका से भारत आते रहे हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि चौथे मूत्रवाने कार्यक्रम (प्वाइंट फोर प्रोग्राम) का ऐलान करते समय विदेश-मंत्री मि० एचीसन और राष्ट्रपति ट्रुमन दोनों ने

भारत पर जोर दिया या घोर कहा था कि इस कार्यक्रम पर सबसे पहले भारत में प्रयत्न किया जायगा ।

भारत में अंग्रेज-अमरीकी वक-पूजी के घुसने की क्रिया १९५१ के अन्त में उस समय एक नयी मजिल पर पहुच गयी जब कि भारत सरकार घोर अमरीका तथा ब्रिटेन की प्रमुख तेल-कम्पनियों के बीच भारत में तेल साफ़ करने के कारखाने खोलने के सम्बंध में चन्द समझौते हुए ।

न्यू यौकं की वंकुअम तेल कम्पनी के नाथ नवम्बर १९५१ में समझौता हुआ । उसमें तं हुआ कि कम्पनी ३५० लाख डालर (या १२० लाख पाँड) की पूजी से अपनी एक भारतीय शाखा खोलेगी और १० लाख टन सालाना तेल साफ़ करने का कारखाना भारत में खड़ा करेगी । यह भी तं हुआ कि नयी कम्पनी की २५ प्रतिशत पूजी भारतीय नागरिकों से ली जा सकेगी, मगर उनको केवल ऐसे प्रिकरेंस शेयर लेने का अधिकार होगा जिनके खरीदने से उनको वोट देने का हक नही मिलेगा । साधारण शेयर सारे के सारे न्यू यौकं की कम्पनी के हाथ में रहेगे । ४ दिसम्बर, १९५१ को हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा :

“ इस देश के नागरिकों का कम्पनी की साधारण पूंजी में कोई हाथ नही रहेगा और इसलिए साधारण मुनाफे में भी उनका कोई हिस्सा नही होगा । ”

कॉमर्स ने ८ दिसम्बर, १९५१ को लिखा .

“ इस कम्पनी के प्रबंध तथा नियंत्रण में भारत के लोगों की कोई भावाज नही होगी । ”

भारत सरकार ने यह वचन दिया कि पच्चीस वर्ष तक वह कम्पनी का राष्ट्रीकरण नही करेगी, सालाना मुनाफ़ो को भारत के बाहर भेजने के लिए पूरी सुविधा देगी, दस वर्ष तक बाहर से आनेवाले तेल पर चुगी लगाकर कम्पनी की मदद करेगी और उद्योग-नियंत्रण कानून की कई धाराओ में कम्पनी को मुक्त रखेगी ।

दिसम्बर १९५१ में बरमा-शेल तेल कम्पनी से समझौता हुआ । यह अंग्रेजी कम्पनी है । इसके साथ भी उसी तरह का अहदनामा किया गया । तं हुआ कि बरमा-शेल २२ करोड़ की पूंजी से भारत में एक ऐसी कम्पनी खोलेगी जो १५ लाख टन सालाना तेल साफ़ करनेवाला कारखाना खड़ा करेगी । २२ करोड़ रुपये की कुल पूंजी में से २ करोड़ के प्रिकरेंस शेयर भारत के लोग खरीद सकेंगे, मगर उनको वोट देने का अधिकार नही मिलेगा ।

तीसरा समझौता एक और अमरीकी कम्पनी से हुआ। इस तरह कुल मिलाकर ४ करोड़ पौंड की विदेशी पूंजी भारत में आयी और उससे ऐसी कम्पनियां खुली जो पूरी तरह अंग्रेज और अमरीकी इजारेदारों के हाथ में थी और जिनका उद्देश्य केवल उनकी धैलियां भरना था।

बड़े पैमाने पर अमरीकी बंक-पूंजी के भारत में घुसने की क्रिया १९५२ के शुरू में तब और आगे बढ़ी जब भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार के बीच भारत-अमरीकी टेक्निकल सहयोग कोष स्थापित करने का समझौता हुआ। दिसम्बर १९५० में अमरीका के साथ भारत उसी प्रकार का एक "प्वाइंट फोर" समझौता कर चुका था जैसा समझौता फ़िलीपाइंस और थाइलैंड ने अमरीका से किया था। १९५१ में भारत ने अमरीका की आर्थिक सहयोग एजेंसी से १९ करोड़ डालर का अनाज उधार लिया था।

१९५२ के शुरू में टेक्निकल सहयोग के बारे में जो समझौता हुआ, उसके मातहत यह तै पाया कि जून १९५२ तक अमरीका भारत को ५ करोड़ डालर देगा जिनसे भारत-अमरीका टेक्निकल सहयोग कोष कायम किया जायगा, और अगले पांच बरस में उसमें २५ करोड़ डालर तक और अमरीका जमा कर देगा। यह रूपया भारत के औद्योगीकरण के लिए नहीं, बल्कि ऐसी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जानेवाला था "जिनका मुख्य उद्देश्य खेती की कार्यक्षमता को बढ़ाना होगा।" (हिन्दुस्तान टाइम्स, ६ जनवरी, १९५२)। इस कोष का प्रबंध टेक्निकल सहयोग के अमरीकी डायरेक्टर और भारत सरकार के अर्थ-विभाग के एक अफसर के हाथ में रहनेवाला था। तै पाया था कि डायरेक्टर एक अमरीकी अफसर होगा जिसे अमरीकी सरकार नियुक्त करेगी और जो अमरीकी राजदूत के मातहत काम करेगा। इसके साथ-साथ यह भी तै हो गया था कि इस अमरीकी डायरेक्टर और उसके तमाम कर्मचारियों को वे तमाम विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत में अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों को प्राप्त हैं और उनकी तरह इन लोगों पर भी भारतीय कानूनों के मातहत और भारतीय अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

इस सबके बावजूद, बाद के जमाने में जब भारत सरकार की बंदेशिक नीति में नया मोड़ आया, तो अंग्रेजी और अमरीकी पूंजी पर एकतरफा ढंग से निर्भर रहने की इस नीति का अधिकाधिक विरोध होने लगा। चीन और सोवियत संघ के साथ अधिक घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हुए। इस नये रूप का एक महत्वपूर्ण संकेत उस समय मिला जब फरवरी १९५५ में भारत सरकार और सोवियत सरकार के बीच एक इस्पात का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में समझौता हुआ। यह कारखाना सोवियत की मदद से खोला जायगा।

उसके लिए सारी मशीनें और तनाम नामान गोवियन मय ने प्रायेगा । उसमें कुल ३३० लाख पांड की पूंजी लगेगी और यह फागना हर साल दस लाख टन इस्पात तैयार करेगा । जिन शर्तों पर यह गमभीता हुआ, वे भारत के लिए बहुत फायदेमन्द थीं । गाय ही, बहुत कम समय के अन्दर पूरा काम खतम हो जानेवाला था । जिन वक्त इस गमभीने की बातचीत चल रही थी, उसी वक्त ब्रिटेन के कुछ पूंजीपति भी भारत सरकार से बातचीत चला रहे थे, मगर भारत सरकार को सोवियत मय की शर्तें ही पसन्द आयीं ।

एक तरफ ब्रिटेन और अमरीका की बँक-पूजी भारत और पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्थाओं में घुसने की कोशिश कर रही थी । दूसरी तरफ, इन देशों की राजनीतिक तथा सामरिक व्यवस्थाओं में भी पँटने के प्रयत्न हो रहे थे । भारत के बटवारे में न केवल भारत और पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्था और शासन प्रबंध छिन्न-भिन्न हो गये थे, बल्कि साम्प्रदायिक कलह और भगड़े हद से ज्यादा बढ़ गये थे । नयी शासन व्यवस्था के कायम होते ही खून-खचूर शुरू हो गया था, बड़ी भारी मस्या में आवादी इधर से उधर आयी-गयी थी, गरणार्थियों के रूप में दोनों देशों के लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गयी थी और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच तनाव एक स्थायी चीज बन गया था ।

साम्राज्यवादी इस परिस्थिति से पूरा फायदा उठा रहे थे और दोनों देशों में हस्तक्षेप कर रहे थे । कश्मीर के सवाल को लेकर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक लम्बा विवाद उठ खड़ा हुआ और कुछ समय तक दोनों देशों की फौजों के बीच लड़ाई भी चली (हालांकि लड़ाई के समय दोनों देशों की फौजों के प्रधान सेनापति और ऊँचे अफसर अग्रेज थे) । ब्रिटेन और अमरीका दोनों के साम्राज्यवादियों ने इस भगड़े में अपनी टांग अड़ायी । अमरीकी साम्राज्यवादियों ने खास तौर पर राष्ट्र सघ के संगठन को इस्तेमाल किया और तरह-तरह के पंच, मध्यस्थ, समझौता करानेवाले, सीमा-निरीक्षक व सैनिक विशेषज्ञ कश्मीर भेजे । कश्मीर में साम्राज्यवादियों की इतनी गहरी दिलचस्पी इसलिए थी कि एक तो कश्मीर और उसके आर्थिक साधनों का खुद अपना महत्व था; और दूसरे, सोवियत संघ की सीमा पर स्थित होने के कारण उसका सामरिक महत्व विशेष रूप से बढ़ गया था ।

जब पाकिस्तान के साथ अमरीका का फौजी समझौता हुआ और १९५४ में अमरीकी हथियार पाकिस्तान आने लगे, तो पाकिस्तान की सैनिक-व्यवस्था में अमरीका का जबरदस्त हाथ हो गया ।

एक तरफ, भारत और पाकिस्तान के बीच फौजी तनाव था । दूसरी तरफ, दोनों देशों की सरकारों को जनता का दमन करने के लिए भी अपनी

फौजी ताकत बढ़ानी पड़ रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों में फौजी खर्चा बेहद बढ़ गया। दोनों सरकारों के बजट का आधा भाग इसी मद में खर्च होने लगा। पुलिस का खर्चा उससे अलग था। इस बोझ ने दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्था को पगु बना दिया। भारत और पाकिस्तान की प्रतिक्रियावादी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पहले ही से उनका आर्थिक विकास नहीं होने देती थी। फौजी खर्च के बोझ ने विकास और पुनर्निर्माण के काम को अत्यन्त कठिन बना दिया।

लेकिन, वैदेशिक नीति में नया मोड़ आने पर, इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। १९५३ में अमरीका ने कश्मीर के प्रधान मंत्री को अपने कूट-जाल में फसाकर कश्मीर को भारत से अलग करना चाहा। भारत ने और कश्मीर नेशनल काफ्रेम की कार्यसमिति के बहुमत ने इस कोशिश का सक्रिय विरोध किया। कश्मीर के प्रधान मंत्री को अपने पद से हटा दिया गया और कश्मीर पूर्ण रूप से भारतीय सभ का भाग बन गया। भारत सरकार ने अमरीकी एडमिरल निमिन्ज को वापिस भेज दिया। वह १९४९ से ही राष्ट्र-सभ के मत-गणना प्रबंधक के रूप में कश्मीर में काम कर रहे थे। इसके अलावा, अमरीका के बहुत से अफसर भी सैनिक तथा गैर-सैनिक "दर्शको" के रूप में कश्मीर में जमे हुए थे। वे १९५४ में वापिस भेज दिये गये।

३. आर्थिक समस्याएं

प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी शासन की विरासत के रूप में, भारत और पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्थाओं को जो अन्तरविरोध मिले थे, वे केवल शासन-परिवर्तन से हल नहीं हो सकते थे। उन्हें हल करने के लिए जरूरी था कि औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था का अन्त हो। इसलिए, १९४७ के बाद के कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान की आर्थिक हालत बराबर बिगड़ती ही गयी। पहली पंच-वर्षीय योजना के काल में भी भारत में आर्थिक प्रगति का शीघ्रगणेश मात्र ही हुआ।

अर्थ-व्यवस्था का औपनिवेशिक रूप १९४७ के बाद भी बना रहा। इसका सबूत यह था कि न सिर्फ देश के आर्थिक साधनों पर विदेशी बँक-भूजों का शिकंजा बढस्तूर कायम रहा, बल्कि जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वह और भी फैला। इसके अलावा, और इसके नतीजे के तौर पर, यह बात भी देखने में आयी कि भारी उद्योगों का बहुत धीरे-धीरे विकास हो रहा है और सारा जोर हल्के उद्योगों पर तथा पहले से ही आवादी के बोझ से दबी हुई खेती पर दिया जा रहा है। १९५१ के अन्त तक इस्पात का उत्पादन केवल १० लाख टन तक ही बढ़ पाया। और सरकारी योजना के अनुसार १९५६ तक भी वह केवल १६

लाख टन तक ही बढ़ पायेगा। पहली पंच-वर्षीय योजना (१९५१-५६) में केवल ८४ प्रतिशत धन उद्योगों में लगाने की बात थी।

खेती का संकट किस प्रकार बराबर गहरा होता जा रहा है और भूमि-सुधार के सरकारी क़ानून किस तरह अमफल रहे हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं (देखिए छाटवा अध्याय)। १९४३-४४ में अनाज की पैदावार फ़ी एकड़ ६०७ पाउंड थी। १९४८-४९ में वह ५२० पाउंड रह गयी और १९५०-५१ में तो केवल ४८० पाउंड फ़ी एकड़ पर आ गयी।

जैसे-जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते गये, वैसे-वैसे आम जनता की वास्तविक आय भी गिरती गयी। १९३७ में थोरु दामों के सूचक अंक को यदि १०० माना जाय, तो १९४७ में, सत्ता-परिवर्तन के समय, वह ३०३.३ था और मई १९५१ तक वह ४५६.८ पर पहुँच गया। बम्बई में १९३८ के रहन-सहन के सूचक अंक को यदि १०० माना जाय, तो १९४७ में वह २७९ था और १९५३ में बढ़कर ३६३ पर पहुँच गया। १९३९ के सभी उद्योगों के मुनाफ़े के सूचक अंक को यदि १०० माना जाय तो १९४७ में १९१ या और १९५१ में बढ़कर ३१० हो गया (इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिस्ट्स, बजट-ग्रक, १९५४)। बढ़ते हुए दामों के कारण असली मज़दूरी बराबर गिरती गयी और उससे निम्न-मध्यम वर्ग के लोग तबाह हो गये। भारत के विभिन्न भागों में मज़ूरी और दामों का काफी विशद अध्ययन करने के बाद प्रोफ़ेसर राधाकमल मुक़र्जी अपनी पुस्तक "भारतीय मज़दूर वर्ग" में इस नतीजे पर पहुँचे हैं

“युद्ध के पहले भारतीय मज़दूर वर्ग का जितना बड़ा हिस्सा दरिद्रता के दायरे में आता था, अब उससे कहीं बड़ा हिस्सा इस दायरे में आता है। भारत के उपादात मज़दूर दरिद्रता के स्तर के भी नीचे रहते हैं।”

यदि १९३८-३९ के दामों को स्थिर मान लिया जाय, तो भारत की फ़ी आदमी राष्ट्रीय आय, जो १९३१-३२ में ८३ रुपये थी, १९४५-४६ में केवल ७७ रुपये रह गयी, १९४६-४७ में ७५ रुपये हो गयी और १९४८-४९ में ७० रुपये पर पहुँच गयी (“एशिया और सुदूर पूर्व का आर्थिक सिंहावलोकन,” राष्ट्र-संघ का १९५० का प्रकाशन। यह अनुमान बटवारे के पहले के भारतीय प्रान्तों के लिए है)। जैसा कि हम दूसरे अध्याय में बता चुके हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की थी, जिसकी रिपोर्ट १९५१ में प्रकाशित हुई। इस कमिटी ने १९४८-४९ की फ़ी आदमी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वह १९३० के साइमन कमिशन के अनुमान से कम था।

१९५१ में पहली पंच-वर्षीय योजना शुरू हुई। उससे भारत में सीमित आर्थिक प्रगति का श्रीगणेश हुआ। १९५१ और १९५४ के बीच औद्योगिक पैदावार ३७ प्रतिशत बढ़ गयी और खेती की पैदावार में १५ प्रतिशत की बढ़ती हो गयी। १९५०-५१ में ५४० लाख टन अनाज भारत में पैदा हुआ था। १९५३-५४ में ६५४ लाख टन पैदा हुआ। यानी, अनाज की पैदावार में ११४ लाख टन की बढ़ती हो गयी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, १९५०-५१ में जब कि हर भारतीय औसतन १३६८ कैलोरी की शक्ति देने वाला भोजन करता था, तब १९५३-५४ में वह १६२३ कैलोरी का भोजन करने लगा। लेकिन खुद सरकार भी यह मानती थी कि खेती की पैदावार में जो बढ़ती हुई है, उसकी आधी बढ़ती अच्छे मौसम के कारण हुई है, और कुछ बढ़ती इसलिए दिखाई देती है कि औसत निकालने के ढंग में कुछ परिवर्तन हो गया है। इसके अलावा, १९५०-५१ की पैदावार से तुलना करना भी सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि उस साल फसल अपेक्षाकृत कम हुई थी। १९४३-४४ में फसल सबसे अच्छी हुई थी (उस साल खेती की पैदावार का साधारण सूचक अंक १०६ था, मगर वह १९५०-५१ में केवल ६४ रह गया था)। यदि उस साल की पैदावार से १९५३-५४ की पैदावार की तुलना की जाय, तो पता चलेगा कि उसमें २ प्रतिशत से भी कम की ही बढ़ती हुई थी, जब कि इस बीच आवादी में इससे ज्यादा बढ़ती हो गयी थी।

यह बात काफी महत्व की है कि पहली पंच-वर्षीय योजना ने अपने मामले केवल यह उद्देश्य रखा था कि १९५५ तक राष्ट्रीय आय फिर से पहले के स्तर पर पहुँच जाय। और असल में तो उसका लक्ष्य इससे भी नीचे रह जाता था। १९५०-५१ में भारत की कुल राष्ट्रीय आय ६०० अरब रुपये थी। पहली पंच-वर्षीय योजना उसे बढ़ाकर १९५५-५६ में १००० अरब रुपये कर देना चाहती थी; यानी वह उसमें ११ प्रतिशत की बढ़ती करना चाहती थी, इस बीच में आवादी में सवा छः प्रतिशत की बढ़ती हो जाने की उम्मीद थी। इसलिए, पंच-वर्षीय योजना से फ्री आदमी राष्ट्रीय आय में केवल ५ प्रतिशत की ही बढ़ती होनेवाली थी। लेकिन फ्री आदमी राष्ट्रीय आय में चूँकि राष्ट्र सभ के आंकड़ों के अनुसार, १९३१-३२ और १९४८-४९ के बीच १६ प्रतिशत की कमी हो गयी थी, इसलिए ५ प्रतिशत की बढ़ती से वह १९३१-३२ के स्तर पर भी नहीं पहुँच सकती थी। और १९३१-३२ में राष्ट्रीय आय का स्तर भुखमरी का स्तर था !

इसलिए पंच-वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में उसके लक्ष्य से अधिक प्रगति हुई। १९५३-५४ तक राष्ट्रीय आय १,०६० अरब रुपये तक पहुँच गयी; यानी उसमें १८ प्रतिशत की बढ़ती हो गयी। फ्री आदमी राष्ट्रीय आय १९५३

-५४ तक २=३.६ रुपये हो गयी; यानी १९४८-४९ के मुकाबले उममें = प्रतिशत की बढ़ती हो गयी। लेकिन इसमें भी वह १६ प्रतिशत की कमी पूर्ण नहीं हुई, जो १९३१-३२ और १९४८-४९ के बीच आ गयी थी।

इस बीच, बड़े-बड़े इजारेदारों के मुनाफे बराबर बढ़ते गये। चोर-बाजारों और बूसबोरी हर तरफ फैल गयी। भारत में शामक पार्टी कांग्रेस के संगठन में और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के संगठन में भी चोर-बाजारियों और घुमसूरो का बोनबाला हो गया।

ऐसी परिस्थितियों में, जनता का असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। देश की अन्दरूनी राजनीतिक परिस्थिति में अनेक ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे जिनमें पता चलता था कि नयी सरकारों में और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं में जनता का विश्वास गतम होने लगा है।

४. वैदेशिक नीति में नयी प्रवृत्तियाँ

अभी हाल के जमाने में भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, वह यह है कि प्रधान मंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत शान्ति की रक्षा के लिए दुनिया की राजनीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा है। अमरीकी साम्राज्यवाद की युद्ध छेड़ने की आक्रमणकारी योजनाओं के खिलाफ एशियाई राष्ट्रों की आवाज को बुलन्द करने और उनको एकजुट करने में चीन के साथ-साथ भारत ने भी प्रमुख भाग लिया है। चीन के साथ-साथ उसने भी शान्ति की रक्षा के लिए प्रयास किया है; और शान्ति की रक्षा का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लक्ष्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। १९५५ में वाइंग में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, और उसके द्वारा एशिया, मध्यपूर्व, और अफ्रीका की कौमें इस शान्ति प्रयास में खिच आयी।

दुनिया की राजनीति में भारत की यह ऐतिहासिक भूमिका खुद इस बात का प्रमाण है कि एशिया में कैसा विराट परिवर्तन हो रहा है और इस महाद्वीप के शक्ति-संतुलन में कितनी बड़ी तब्दीली आ गयी है। इस नये युग का शीगणेश निर्णायक रूप में उस समय हुआ जब चीन में जन-क्रान्ति की विजय-दुर्धम बजी। अमरीकी हथियारों से लैस और अमरीकी धन पर चलनेवाली क्रान्ति-विरोधी सेनाओं को चीन की भूमि से खदेड़ देने के बाद १९४९ के पतझड़ में चीनी जनतंत्र की स्थापना का ऐलान हुआ। चीन उस समय भी एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था। अब नया, जनवादी चीन एशिया के पराधीन अथवा औपनिवेशिक देशों के सामने सफल स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में आ गया, जो सामन्तवाद और साम्राज्य-

वादी शोषण के बधनों को तोड़ कर सामाजिक और आर्थिक प्रगति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। नया, जनवादी चीन दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बन गया। उसकी अद्भुत एकता और शक्ति को अब साम्राज्यवादी संसार अनदेखा नहीं कर सकता था।

एशिया में इस प्रकार जो नयी परिस्थिति पैदा हो गयी थी, उसकी भारत सरकार पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। पहले उसकी नीति का झुकाव मुख्यतया साम्राज्यवादी खेमे की ओर था। अब वह चीनी जनतंत्र से भी अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करने लगी। चीन में नयी सरकार की स्थापना होने के थोड़े ही दिन बाद भारत सरकार ने उसे मान्यता प्रदान कर दी और शीघ्र ही दोनों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान भी हो गया। भारतीय जनता की भावना से इस नये रुख को जबर्दस्त बल मिला। भारत के सभी लोगों में चीनी जन-क्रान्ति की विजय से प्रबल उत्साह पैदा हुआ था, और पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने एशिया में जो लूटमार और कल्लेआम मचा रखा था, उससे सारी जनता नफरत करती थी।

जब कोरिया पर अमरीका ने चढ़ाई की तो नयी परिस्थिति यकायक परिपक्व हो उठी। राष्ट्र संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने शुरू में उस शैर-कानूनी और बदनाम प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, जिसके मातहत कोरियाई जनतंत्र के प्रतिनिधियों की बात सुने बिना ही अमरीकी फौजी गुट को कोरिया पर चढ़ाई करने की अनुमति दे दी गयी थी। भारत सरकार ने बिना पूरी सामग्री पर विचार किये ही अमरीका और उसके पिछलग्गू सिपमन-री के कहने को सच मान लिया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने ७ जुलाई, १९५० को एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि "जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला किया, तो बहुत लम्बी-चौड़ी जांच के बगैर भी यह बात साफ थी कि पहले से खूब तैयारी करके और बहुत बड़े पैमाने पर यह हमला किया गया था।" एक एशियाई देश पर पश्चिमी साम्राज्यवादियों के इस हमले में भारत सरकार ने भी आंशिक रूप से मदद की। उसने हमला करनेवालों की मरहम-पट्टी करने के लिए एक डाक्टरी दल कोरिया भेजा।

लेकिन इस पाप के काम से भारतीय जनमत के सभी क्षेत्रों में बड़ा क्रोध पैदा हुआ। पश्चिम के सभी साम्राज्यवादी देशों की फौजों, समुद्री बेड़ों और वायु-सेनाओं के संयुक्त बर्बर आक्रमण का कोरियाई जनता जिस वीरता और शौर्य के साथ मुकाबला कर रही थी, उसे देखकर भारत की जनता में जबर्दस्त उत्साह पैदा हुआ।

कोरिया पर अमरीकी आक्रमण शुरू होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रधानमंत्री स्टाविन को एक सदेश भेजा और उसमें बताया

कि भारत सरकार कोरिया के भगड़े को शान्तिपूर्वक ढंग से हल करना चाहती है। उन्होंने कहा :

“ भारत का उद्देश्य यह है कि इस भगड़े को एक स्थानीय भगड़े तक ही सीमित कर दिया जाय और उसको शान्तिपूर्वक ढंग से हल करने की कोशिश की जाय। उसके लिए सुरक्षा-समिति के वर्तमान गतिरोध को दूर किया जाय, ताकि चीन की जनवादी सरकार का प्रतिनिधि सुरक्षा समिति में अपना स्थान ग्रहण कर सके और सोवियत संघ उसमें वापिस लौट आये; और या तो सुरक्षा समिति के ढांचे के भीतर, या उसके बाहर, सोवियत संघ, अमरीका तथा चीन के बीच ग्रै-रस्मी तौर पर सम्पर्क स्थापित करके, और अन्य शान्तिप्रेमी राज्यों की सहायता और सहयोग से, इस लड़ाई को बन्द करने का कोई आधार निकाला जाय और कोरिया की समस्या का कोई अन्तिम हल खोजा जाय। ”

तत्कालीन प्रधानमंत्री स्तानिन ने इसका यह उत्तर दिया :

“ मे शान्ति के लिए आपकी इस पहल का स्वागत करता हू। मे आपके इस मत से पूर्णतया सहमत हू कि कोरिया के सवाल का सुरक्षा समिति के जरिए शान्तिपूर्वक ढंग से मुलभाना उचित होगा और इसके लिए यह नितान्त जरूरी है कि पाच बड़ी शक्तियों के, जिनमे चीन की जनवादी सरकार भी शामिल है, प्रतिनिधि इस काम मे भाग लें। ”

चीन की सरकार ने यह चेतावनी दी थी कि यदि पश्चिम की हमलावर फौजें अड़तीसवें अक्षांश से आगे बढ़ी और यदि उन्होंने पूरे कोरिया पर कब्जा करने की कोशिश की, तो चीन चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। मैकार्थर जैसे लोगों ने इस चेतावनी की खिल्ली उड़ायी और अमरीकी अधिकारियों ने उसे केवल एक गौदड़भभकी समझा। मगर भारत सरकार ने उसकी गम्भीरता को महसूस किया और उसने राष्ट्र सभ में अक्टूबर १९५० के उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया जिसे अमरीका अपने नये हमले पर पर्दा डालने के लिए पास कराना चाहता था।

इसके बाद अनेकों बार ऐसे मौके आये जब अमरीका ने अपनी युद्ध-नीति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र-संघ में अपने प्रस्ताव पास कराये और भारत उन पर वोट लिए जाने के समय तटस्थ रहा। कई बार तो उसने अमरीकी प्रस्तावों का विरोध भी किया। धीरे-धीरे राष्ट्र-संघ में अरब और एशियाई सरकारों का एक अलग गुट बन गया। यह इस बात का सूचक था कि इन सरकारों ने साम्राज्यवादियों के युद्ध के खेमे की आक्रमणकारी नीतियों से अपने को कुछ

हृद तक अलग कर लिया था। इसी कारण साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रवक्ता इन सरकारों पर "तटस्थता" का इलजाम लगाते थे।

भारत की वैदेशिक नीति में जो यह नया मोड़ आया था, उसका यह मतलब नहीं था कि भारत सरकार ने साम्राज्यवादी खेमे से अपना नाता तोड़ लिया था। न ही इसका यह मतलब था कि अब भारत सरकार यकायक युद्ध की नीतियों का और साम्राज्यवादी हमलों का पूर्ण और मुसंगत ढंग से विरोध करने लगी थी। साम्राज्यवादी खेमे के साथ उसका व्यावहारिक सहयोग अब भी जारी था। मिमान के लिए, उसने अंग्रेजों के साथ मिल कर नू सरकार को बर्मा जनता के खिलाफ लड़ाई चलाने के लिए हथियार और रुपये दिये। १९५४ तक वह फ्रांसीसियों को भारत से होकर अपनी फौज और लड़ाई का सामान वियतनाम लेजाने की सुविधा देती रही। मनाया की जनता के खिलाफ युद्ध चलाने के लिए उसने अंग्रेजी सरकार को भाग्न की भूमि पर गुरखा सिपाहियों की भर्ती करने की सुविधा दी (हालाकि इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार का भंडाफोड़ किया और उसमें मजबूर होकर भारत सरकार ने १९५२ में ब्रिटिश सरकार से इस सम्बंध में नये तिरों में बातचीत शुरू की जिसके नतीजे के तौर पर १९५४ में एक नया समझौता हुआ। इस समझौते के मातहत गुरखा सिपाहियों की भर्ती के डिपो भारत से हटाकर नेपाल में खोल दिये गये, मगर सिपाहियों को भारत में हांकर मनाया ले जाने की सुविधा कायम रही)।

साम्राज्यवाद के साथ व्यावहारिक आर्थिक सहयोग अब भी घनिष्ठ हो गया। उदाहरण के लिए, १९५१ में अंग्रेज और अमरीकी इजारेदार कम्पनियों को भारतीय कानूनों में स्वतंत्र होकर भारत में व्यवसाय खोलने की इजाजत दे दी गयी और १९५२ में भारत-अमरीकी टेक्निकल सहयोग कोष कायम किया गया। राष्ट्र मध्य में भारत सरकार अमरीकी प्रस्तावों पर तटस्थ रुझ अपना रही थी और कभी-कभी तो उनके विरुद्ध मत दे रही थी, मगर विदेशों में भारतीय राजदूत इसका महत्व कम करके बता रहे थे। उदाहरण के लिए अमरीका में भारत के राजदूत (जो बाद में राष्ट्र-मध्य की अध्यक्ष चुनी गयी) श्रीमती पटिन ने १९ सितम्बर, १९५१ को न्यूयॉर्क में कहा:

"जब हमारे बारे में यह कहा जाता है कि हम 'तटस्थता' रख अपना रहे हैं, तो हमें यह मुनकर बड़ा अफसोस होता है। राष्ट्र-मध्य की साधारण मना के हाल के अधिवेशनों में हमने इस्वारन में मे अष्ट-तीस बार आपके साथ वोट दिया, ग्यारह बार किसी तरह वोट नहीं दिया और केवल दो बार आपसे मतभेद प्रकट किया।"

फिर भी, परिवर्तन के चिन्ह स्पष्ट थे और वे अधिकाधिक एक नयी और ठोस शान्ति की नीति का रूप धारण कर रहे थे। १९५४ में दक्षिण-पूर्वी एशिया के संकट के बाद तो यह बात और भी साफ हो गयी। यह बात तो सच थी कि अभी भारत सरकार की वंदेगिक नीति जनता की साम्राज्य-विरोधी भावना को केवल प्राणिक रूप में ही व्यक्त कर रही थी, लेकिन राष्ट्र-सघ में उसके तटस्प रह जाने या किसी भी तरफ घोट न देने में भी साम्राज्यवादी बड़ी परेशानी में पड़ जाते थे। उममें यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि दुनिया की प्रावादी का बहुमत अमरीकी और उमके जंगबाज अटलाटिक गुट के खिलाफ है। साम्राज्यवादियों के सामने यह बात साफ होती जा रही थी कि जहां तक उनकी युद्ध की योजनाओं का सम्बन्ध है, भारत के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता; वह युद्ध-नीति में उनका साम्नीदार बनने को नैयार नहीं है। साम्राज्यवादियों को मन्म में यह बात भी आ रही थी कि यह नयी राज-नीतिक प्रवृत्ति सीध ही एक निर्णायक नीति-परिवर्तन का रूप भी धारण कर सकती है, और भारत साम्राज्यवादी संघे के साथ सहयोग करने की नीति को एकदम त्याग दे सकता है।

१९५४ में दक्षिण-पूर्वी एशिया का संकट सामने आने पर यह नयी प्रवृत्ति और बलवती हो गयी। १९५४ के आरम्भ में अमरीका और पाकिस्तान का सैनिक गठबंधन हुआ। भारत और पाकिस्तान को खुल्लमखुल्ला जग की अमरीकी साजिशों में घसीटने की इस कोशिश से भारतीय जनता में बड़ा क्रोध पैदा हुआ। उसके बाद १९५४ के वसन्त में, वियतनाम में युद्ध के सवाल पर यह टकराव और भी तेज हो गया। अमरीका इस बात के लिए जोर दे रहा था कि सभी साम्राज्यवादी सरकारें मिलकर वियतनाम में फौजी कार्रवाई करें और दक्षिण-पूर्वी एशिया में तुरंत एक सैनिक समन्वयता किया जाय। ब्रिटिश सरकार ने अप्रैल १९५४ में इसका विरोध किया। तभी भारत ने पांच कोलम्बो शक्तियों का (भारत, पाकिस्तान, लका, बर्मा और इंडोनेशिया का) सम्मेलन बुलाने के लिए पहल की। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि ये पांचो देश वियतनाम में हस्तक्षेप न करने और वियतनाम की स्वतंत्रता के आधार पर वहां शान्ति स्थापित करने के लिए एक होकर प्रयास करें। इस सम्मेलन में पाकिस्तान और लका की सरकारों ने ऐसा रुख लिया जिससे मालूम होता था कि उनकी नीति अमरीका की नीति से बहुत मिलती-जुलती है। फिर भी सम्मेलन ने शान्ति के पक्ष में ही निर्णय किया। जेनेवा में भी भारतीय कूटनीति ने शान्ति के पक्ष में सक्रिय भूमिका अदा की। तिब्बत के सवाल पर भारत और चीन के बीच समन्वयता हो जाने के बाद जून १९५४ में नई दिल्ली में चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-साई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात

हुई। अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में इस मुलाकात को उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना राष्ट्रपति आइजनहावर और प्रधानमंत्री चर्चिल की उस भेंट को माना गया था, जो ठीक उसी समय वाशिंगटन में हुई थी। २८ जून, १९५४ को नेहरू और चाऊ का संयुक्त बयान प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया था :

(१) दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत का उद्देश्य यह था कि जेनेवा तथा आम जगहों में शान्तिपूर्ण समझौते के जो प्रयास हो रहे हैं, उनको और आगे बढ़ाया जाय।

(२) उनका मुख्य मकसद यह था कि एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक-दूसरे के सहयोग से और अन्य देशों के सहयोग से शान्ति कायम रखने की चेष्टा करें।

(३) दोनों प्रधान मंत्री यह बात मानते हैं कि एशिया तथा संसार में अलग-अलग ढंग की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं, मगर यदि पक्षशील को माना जाय, तो उनके बीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और मित्रता के सम्बंध रह सकते हैं।

(४) दोनों प्रधान मंत्रियों ने यह विश्वास प्रकट किया कि भारत और चीन की मित्रता से एशिया में शान्ति का पक्ष बलवान होगा।

(५) यह तै पाया कि दोनों देश एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखेंगे ताकि उनके बीच पूर्ण सहयोग कायम हो सके।

द्विपक्षीय सम्बन्धी समझौते की भूमिका में जिन पांच सिद्धान्तों की घोषणा की गयी थी, वे इस प्रकार थे :

(१) एक-दूसरे की भौगोलिक अखण्डता और सार्वभौम सत्ता का आदर करना;

(२) एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करना;

(३) एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करना;

(४) समानता और पारस्परिक लाभ,

(५) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

भारत और चीन की सरकारों की इस संयुक्त शान्ति-घोषणा से एशिया के विकास में एक नये ऐतिहासिक युग का आरम्भ हुआ।

शान्ति के ये नये प्रयास १९५४ के पतनङ्ग में और आगे बढ़े जब कि प्रधानमंत्री नेहरू चीन की यात्रा को गये। उसके बाद १९५५ की गरमियों में वृत्त गॉनियन नद्य की यात्रा करनेवाले थे। भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशिया की

सैनिक संधि (सियाटो) का जोरदार विरोध किया। इस संधि में अमरीका के साथ ब्रिटेन भी शामिल था। १९५५ के प्रारम्भ में लन्दन में कॉमनवेल्थ के देशों के प्रधान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उससे प्रकट हुआ कि भारत और ब्रिटेन का यह मतभेद दूर नहीं हुआ है।

शान्ति के लिए सहयोग करनेवाले क्षेत्र का और विस्तार करने के उद्देश्य से एक नया और महत्वपूर्ण कदम वांडुग सम्मेलन के रूप में उठाया गया। १९५४ के अन्त में पांच कोलम्बो शक्तियों ने वोगोर की बँठक में यह निश्चय किया कि अप्रैल १९५५ में वांडुग में एशिया और अफ्रीका के देशों का एक अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन बुलाया जाय। कोलम्बो शक्तियों के अलावा इसमें २५ सरकारें और बुलायी गयी थी जिनमें चीनी जनतंत्र की सरकार भी थी। इस प्रकार वांडुग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के कुल २९ देशों की सरकारों के नेता जमा हुए (इन देशों के नाम थे: अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, संका, चीन, मिथ्र, इथियोपिया, गोल्ड कोस्ट, भारत, इडोनीशिया, इराक, जापान, जोर्डन, लाओस, लेबनान, लाइबीरिया, लिबिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइस, ईरान, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया, थाइलैंड, तुर्की, वियतनामी जनतंत्र, दक्षिण वियतनाम, और यमन)। इस सम्मेलन में लगभग डेढ़ अरब लोगों के प्रतिनिधि शरीक हुए थे। इस प्रकार, यह अग्रेवा सम्मेलन राष्ट्र-संघ का मुकाबला कर सकता था, क्योंकि उसमें तो अभी तक सत्तार की आवादी के एक काफी बड़े हिस्से के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इस सम्मेलन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता था कि दुनिया के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में उसमें ऐसे देश शरीक हुए थे जो कुछ समय पहले तक दूसरे देशों के गुनाम थे। वल्कि उनमें से कुछ देश तो इस समय भी पराधीन थे। साम्राज्यवादी क्षेत्रों से प्रेरणा लेनेवाले अनेक लोगों ने सम्मेलन में फूट डालने की कोशिश की। उसके बावजूद सम्मेलन कामयाब हुआ, यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। वांडुग सम्मेलन ने सर्व सम्मति से पंचशील का समर्थन किया और अपने घोषणापत्र में उन्हें फैलाकर दस सिद्धान्तों का रूप दे दिया। उसने राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धान्त का समर्थन किया और उपनिवेशवाद तथा रंग-भेद का विरोध किया। उसने एटम और हाइड्रोजन अस्त्रों पर रोक लगाने की माग की। उसने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने का निश्चय किया। इसके अलावा उसने पश्चिमी दरियन, फिलस्तीन, अदन और उत्तरी अफ्रीका के देशों के सम्बंध में भी सर्व-सम्मति से फैसले किये।

१९५५ का यह अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन, जिसमें भारत और चीन ने प्रमुख भूमिका अदा की, और जिसमें दुनिया की आवादी के बहुमत के प्रतिनिधि

शान्ति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जमा हुए थे— यह सम्मेलन इस बात का ज्वरदस्त प्रमाण था कि दुनिया में एक नया शक्ति-संगुलन स्थापित हुआ है, और यह कि मानवता के भविष्य के लिए इतना महत्व रखनेवाला यह नया परिवर्तन लाने और उसे आगे बढ़ाने में प्रधान भूमिका भारत अदा कर रहा है।

५. भारतीय जनता—प्रगति के पथ पर

अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में भारत ने जो नया रुख अपनाया था, दरअसल वह उन नये और गम्भीर परिवर्तनों का ही एक पहलू था जो चीनी जन-क्रान्ति की विजय के बाद से ही भारत की अन्दरूनी राजनीति में उत्पन्न होने शुरू हो गये थे।

हाल के जमाने का अनुभव अधिकाधिक स्पष्टता से बता रहा है कि भारत में पुरानी शक्तियां जर्जर हो रही हैं और जनता की नयी शक्तियां सामने आ रही हैं, हालांकि बंदेशिक नीति की प्रगतिशील दिशा और अन्दरूनी राजनीतिक स्थिति का विरोध अभी भी हल होने को बाकी है।

१९४७ के पहले कांग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन का परम्परागत मंच तथा उसका जन-संगठन था, हालांकि उस पर ऊपरी वर्गों के दुलमुलुतत्वों का प्रभुत्व था। १९४७ में सत्ता-परिवर्तन के बाद, वह सरकारी पार्टी बन गयी और उस पर स्थिर स्वार्थों का, इजारेदारों, बड़े जमींदारों, मुनाफाखोरों और सट्टेबाजों का प्रभुत्व हो गया। मगर इसका यह मतलब नहीं था कि कांग्रेस का जन-आधार खतम हो गया था। जनता पर कांग्रेस का असर घट रहा था; मगर फिर भी अभी उसका काफ़ी असर था। अपने पुराने काम और पुरानी साक्ष की दुहाई देकर और नेहरू जैसे नेताओं के आकर्षण को इस्तेमाल करके, जिन्होंने बरसों साम्राज्यवाद से मर्षण किया था और लम्बी कैंद काटी थीं, कांग्रेस ने अब भी काफ़ी हद तक अपना असर जमा रखा था। जब प्रधानमंत्री नेहरू की प्रगतिशील अन्तरराष्ट्रीय नीति का और विकास हुआ और १९५१ में कुछ हद तक आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई, और साथ ही कांग्रेस ने बहुत ही अस्पष्ट ढंग से “समाजवाद” को अपना लक्ष्य घोषित किया, तो रहन-महन की विगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण मजदूरों, किसानों, और निम्न-मध्यम वर्गों लोगों में बहुत असंतोष होने के बावजूद कांग्रेस के विघटन और पतन की क्रिया रुक गयी और उसका पुराना असर काफ़ी हद तक नष्ट होने में बच गया। फिर भी कांग्रेस के दक्षिण-पंथी नेताओं और उनके संगठन पर हावी बड़े पूंजीवादी हितों के खिलाफ़ जनता का असंतोष अधिकाधिक व्यक्त होता रहा।

इस परिस्थिति से घोर प्रतिक्रियावादियों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने साम्प्रदायिक संगठन खड़े करने और जनता पर उनका असर जमाने की चेष्टा की। लेकिन पानी की तरह रुपया बहाने के बाद भी उनको बहुत सफलता नहीं मिली। जनता की बढ़ती हुई चेतना उसे वामपक्ष की तरफ़ ले जा रही थी। इस काल में मजदूरों तथा किसानों के सघनों ने भीषण दमन के बावजूद बड़े लड़ाकूपन तथा ऊँचे स्तर का परिचय दिया (इस सम्बन्ध में दक्षिणी भारत में तेलंगाना का किसान-विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहाँ २,००० से अधिक गावों के रकबे में जमींदारों की जमीनों पर कब्ज़ा करके उन्हें किसानों में बाँट दिया गया था, जहाँ जनता की चुनौती हुई समितियों का शासन कायम किया गया था, और जहाँ जनता ने पहले निजाम और बाद में भारत सरकार की प्राक्रमणकारी सेनाओं का हथियारबन्द मुकाबला किया था)। इसके अलावा, शान्ति आन्दोलन के विकास में भी जनता की उपवादी भावना प्रकट हुई।

१९५१ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नया कार्यक्रम प्रकाशित हुआ। यह पूरे वामपक्षी आन्दोलन की प्रगति के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मोड़ था। इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा अंग्रेज़ी साम्राज्य से अलग होने के लिए, जमींदारी प्रथा खतम करने, जनवादी सुधार करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए, और भारत में जनता का सच्चा जनतंत्र कायम करने के लिए मजदूर वर्ग और किसानों की एकता स्थापित करने और जनता का एक व्यापक जनवादी मोर्चा बनाने का रास्ता दिखाया।

१९५१ के अन्त में और १९५२ के शुरू में बालिंग मताधिकार के आधार पर भारत में ग्राम चुनाव हुआ। उससे यह बात साफ़ हो गयी कि देश की राजनीति में कौन सी नयी तन्दीलिया आ रही है। १९४६ के ग्राम चुनाव में कांग्रेस ने ८० से लेकर ९० प्रतिशत तक वोट प्राप्त किये थे। मगर इस बार उसे केवल अल्पमत का वोट मिला। उसने सिर्फ़ ४२ प्रतिशत वोट पाये; हालांकि गैर-जनवादी "अंग्रेज़ी" चुनाव-प्रणाली के कारण कम वोट पाने के बाद भी ज्यादातर सीटें कांग्रेस को ही मिलीं। कम्युनिस्ट पार्टी तथा संयुक्त जनवादी मोर्चे के उसके सहयोगियों को ६० लाख वोट, और केन्द्रीय पार्लियामेंट में ३७ सीटें और प्रान्तीय धारा सभाओं में २३६ सीटें मिलीं। इस प्रकार, कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विरोधी दल और कांग्रेस के जवाब के रूप में देश के सामने आयी। यदि "समाजवादी पार्टी" के नेताओं ने फूट का रास्ता न अपनाया होता, तो कांग्रेस को हराना भी सम्भव था। मगर "समाजवादी पार्टी" ने वामपक्ष के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया और इस तरह कांग्रेस को बचा लिया (उसने अपने १ करोड़ वोट जाया किये और उनके बदले में पायी केवल बारह सीटें)।

कम्युनिस्टो और उनके सहयोगियो ने मद्रास, हैदराबाद, त्रावणकोर-कोचीन, बंगाल और त्रिपुरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कीं। आंध्र में पिछले काल में किसान-संघर्ष निर्णायक रूप से आगे बढ़ा था। कांग्रेस के नेताओं ने भी ऐलान किया था कि आंध्र के नतीजे यह बतलायेंगे कि उन्हें जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। वहां कम्युनिस्टो ने ६३ सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन सीटों के चुनाव में कम्युनिस्टों को १,४५२,५१६ वोट मिले और कांग्रेस को ६६८,५३०।

चुनाव के नतीजों से यह मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी की पहलकदमी से और उसके नेतृत्व में जनता का जो व्यापक जनवादी मोर्चा बना था, उसने देश के कई इलाकों में जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त कर लिया है और वह पूरे देश के पैमाने पर अपना विकास करके कांग्रेसी सरकार को निर्णायक चुनौती देने तथा भारतीय जनता के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।

१९५२ के ग्राम चुनाव के बादवाले काल में भी यह विकास-क्रम जारी रहा। प्रतिक्रियावादियों ने कम्युनिस्टों की प्रगति को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की। पुराने कांग्रेसी नेता, श्री राजगोपालाचारी ने, जो १९४८-५० में लाई माउंटवैटन के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के गवर्नर-जनरल रह चुके थे, अब मद्रास के प्रधान मंत्री का पद संभाला। उन्होंने ऐलान किया कि कम्युनिस्ट पार्टी मेरी "पहले नम्बर की शत्रु है—और यही मेरा कार्यक्रम है।" समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अब अधिकाधिक गुले डंग में अमरीकी प्रभाव को प्रतिबिम्बित करने लगा था। यह पार्टी चुनाव के बाद उस किसान-मजदूर प्रजा पार्टी में मिल गयी जो चुनाव के पहले कांग्रेस से अलग हो गयी थी। दोनों पार्टियों को मिलाकर प्रजा समाजवादी पार्टी कायम हुई। उम्मीद की जाती थी कि यह नयी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी तथा मयुक्त जनवादी मोर्चे के उसके सहयोगियों को हटाकर मुख्य विरोधी दल का स्थान ले लेगी। मगर उसके बाद जो उप-चुनाव हुए हैं, या अलग-अलग राज्यों में जो ग्राम चुनाव हुए हैं, उनसे पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनवादी मोर्चा बराबर प्रगति कर रहे हैं। १९५२ के ग्राम चुनाव के बाद, प्रठारह महीनों के अन्दर कुल ११४ प्रान्तीय उप-चुनाव हुए थे। उनके नतीजों का एक विश्लेषण सितम्बर १९५३ में कांग्रेस की ओर से प्रकाशित हुआ था। उसने पता चला कि १९५२ के ग्राम चुनाव में जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों को ७.४ प्रतिशत वोट मिले थे, वहाँ इन ११४ उप-चुनावों में उन्हें १३.२ प्रतिशत वोट मिले। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पुराना गढ़ समझा जाता था। वहाँ १९५२ के पतझड़ में मुनिसिपल बोर्डों के चुनाव हुए। उनमें ३६ मुनिसिपल बोर्डों के अध्यक्ष कांग्रेसी चुने

गये और कांग्रेस को ४३०,००० वोट मिले, २९ कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके सहयोगियों के जनवादी मोर्चे के उम्मीदवार चुने गये और उन्हें २२३,००० वोट मिले; और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार १२ वोटों के अध्यक्ष चुने गये और उन्हें २७,००० वोट मिले ।

१९५५ के वसन्त में नव-निर्मित आंध्र प्रान्त में चुनाव हुए । कांग्रेस ने सारे देश से अपनी ताकत बटोरकर वहा लगा दी थी । इसके अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों को जीतने न देने के उद्देश्य ने वहा कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मजबूत मोर्चा बनाया था । फिर भी, कम्युनिस्टों को २,६९६,००० वोट मिले, जो कुल वोटों के ३१ प्रतिशत होते थे । इनके मुकाबले में कांग्रेस को ४,२६६,००० वोट मिले ।

कम्युनिस्ट पार्टी के १९५१ के कार्यक्रम में जो रणनीति तथा कार्यक्रमों की निर्धारित की गयी थी, उसे पार्टी की तोसरी कांग्रेस में और विकसित किया गया । यह पार्टी कांग्रेस दिनांक १९५३ में हुई थी । उनमें मजदूर वर्ग तथा किसानों के संघर्ष को और आगे बढ़ाने, मजदूर संगठनों को मजबूत बनाने, मजदूर एकता को दृढ़ करने, शान्ति और राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाने और जनवादी मोर्चा बनाने का रास्ता दिखाया गया और अलग-अलग राज्यों में, तथा अखिल भारतीय पैमाने पर जनवादी एकता की संस्था स्थापित करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा गया, जिसको प्राप्त करके भारत में जनता का सच्चा जनतंत्र स्थापित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता था ।

जनवादी विकास और भारत की लोकप्रिय शक्तियों की अन्तिम विजय के मार्ग में अभी अनेक कठिनाइयां मौजूद हैं । यह नहीं हो सकता कि अन्तर-राष्ट्रीय नीति का रत्न प्रगतिशील बना रहे और अन्दरूनी राजनीति में प्रतिक्रियावादी पूँजीपतियों का बोलबाला रहे और इन विरोध में गम्भीर पेशीदगियां न पँदा हों । भारत में प्रतिक्रियावादी अभी बहुत ताकतवर हैं । साम्राज्यवादियों की घुमपँठ और नाजिमों कभी भी ऐसे खतरे पँदा कर दे सकती हैं जिनका मुकाबला करने के लिए जनतंत्र और शान्ति के समर्थकों की अधिक से अधिक जोरदार एकता और सहयोग की आवश्यकता होगी ।

लेकिन दीर्घ-कालीन दृष्टिकोण से, यह बात बिल्कुल साफ है कि भारत में किन्हीं मार्ग पर चलकर राजनीतिक विकास होगा । भारत में जिन मार्ग पर राजनीतिक विकास हो रहा है, उसका बुनियादी लक्ष्य वही है जो चीनी जन-शक्ति का लक्ष्य था, यानी साम्राज्यवाद तथा उसके सहयोगियों से मुक्ति प्राप्त करना । भारत में यदि विकास अनेकाकृत धीरे-धीरे हो रहा है, तो उनका अर्थ है कि भारत और चीन की ठोस परिस्थितियों में कुछ अन्तर है । लेकिन चीन की बुनियादी समस्याएं एक सी हैं और उनको हल करने के लिए उन्हें

की आवश्यकता है, उनमें भी समानता है; मगर इसके साथ-साथ दोनों देशों में कुछ अन्तर भी हैं जिनके कारण भारत में राजनीतिक विकास एक भिन्न ढंग और भिन्न गति से हो रहा है ।

(१) चीन एक अर्ध-औपनिवेशिक देश था । साम्राज्यवाद कभी चीन के अन्दर नहीं घुस पाया था; वह केवल समुद्री किनारों पर जमा हुआ था, जहाँ से वह व्यापार के जरिए अपने पजे देश के अन्दर गड़ाने की कोशिश किया करता था ।

भारत दो सौ बरस तक एक पूर्ण उपनिवेश रह चुका था । भारत में साम्राज्यवाद ने ऐसा शासन-यंत्र गढ़कर तैयार कर दिया था जो देश के कोने-कोने में, जिन्दगी के छोटे से छोटे पहलू को भी अपनी मुठ्ठी में रखता था, बल्कि सच तो यह है कि साम्राज्यवाद ने इस तरह जो शासन-यंत्र कायम किया था, उसे भारत के वर्तमान शासक भी इस्तेमाल कर रहे हैं ।

(२) भारत का सम्बन्ध केवल एक साम्राज्यवाद से था—यानी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ।

चीन में साम्राज्यवादियों में फूट थी । कई साम्राज्यवादी ताकतें चीन को आपस में बाट लेने की कोशिश कर रही थी, मगर अपने झगड़ों के कारण कामयाब नहीं हो पाती थी । इससे चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन को जल्दी प्रगति करने और साम्राज्यवाद को सीधे चुनौती देने में मदद मिली ।

(३) चीनी क्रान्ति शुरू से ही सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर बढ़ी थी । इसका कारण उपरोक्त परिस्थितियाँ थी । इसलिए स्तालिन ने चीनी क्रान्ति की यह खास विशेषता बताया थी कि वहाँ सशस्त्र क्रान्ति सशस्त्र प्रतिक्रान्ति का मुकाबला कर रही है । वहाँ यह नहीं हुआ था कि पहले पूँजीवादी नेतृत्व में अहिंसक राजनीतिक संघर्ष चला हो और उसके बाद चीनी कम्युनिस्टों ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया हो । इसके विपरीत, वहाँ कम्युनिस्टों ने सशस्त्र राष्ट्रीय संघर्ष को ही आगे बढ़ाया था, जिसमें कुमोमिन्तांग के नेताओं ने बीच में ही ठप कर दिया था ।

(४) भारत में चूँकि साम्राज्यवादी शासन एक लम्बे काल तक रहा था, इसलिए यहाँ एक काफी विकसित पूँजीपति वर्ग, और यहाँ तक कि बड़े पूँजीपतियों का वर्ग भी तैयार हो गया था । यह चीन के दलाल पूँजीपति वर्ग से बिलकुल भिन्न था । इसकी देश में बड़ी मजबूत जड़ें थी और इनका जनता पर प्रभाव था और यह राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व

करने की क्षमता रखता था। साथ ही, उसने, विशेषकर इजारेदारी प्रवस्था में, साम्राज्यवादी आर्थिक हितों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सम्बंध स्थापित कर लिये थे।

लेकिन, इस तमाम अन्तर के बावजूद, इन दो सबसे बड़े राष्ट्रों के हित न सिर्फ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और उनकी मित्रता तथा सहयोग एशिया और सारे ससार की शान्ति के लिए भारी महत्व रखते हैं, बल्कि दोनों देशों में साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करने के संघर्ष की और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पुनर्निर्माण की बुनियादी समस्याएँ भी एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं। चीनी जन-क्रान्ति की विजय तथा चीनी जनतंत्र की स्थापना के कुछ ही समय बाद, नवम्बर १९४९ में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ त्से-तुंग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम एक संदेश भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था :

“भारतीय कौम एशिया की एक महान कौम है जिसका एक लम्बा इतिहास और विशाल जन-संख्या है। इस देश का पुराना इतिहास और भावी मार्ग बहुत सी बातों में चीन से मिलता-जुलता है।

“स्वतंत्र चीन की तरह, एक रोज स्वतंत्र भारत भी समाजवादी तथा जनवादी देशों के परिवार के एक सदस्य के रूप में दुनिया के सामने आयेगा। उस रोज मानवता के इतिहास का प्रतिद्रव्यावादी साम्राज्यवादी युग समाप्त हो जायगा।”

भारतीय जनता के संघर्ष को अभी चाहे जितनी कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरना पड़े, लेकिन वर्तमान काल में भारत में जो घटनाएँ हो रही हैं, उनसे यह साबित हो रहा है और आगे और साबित होगा कि माओ त्से-तुंग की यह भविष्यवाणी सर्वथा सत्य थी।

अनुक्रमणिका

- अनुत्ता, शैल, २७८
- अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन, ३११
- अहमद, सर सम्यक, २४४
- अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
बैठके (१९२०-१९२६), २०७
" (१९२७), २०८, २११
" (१९२९), १६५, २१८
" (१९४२), २२७
- ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट, २१४
- ट्रेड यूनियन ऐक्ट (१९२६),
२०८, २१०
- अली बंधु, १४८
- अम्बेडकर, डा., ११३
- अमृतसर हत्याकांड, १४६
- आइबनहावर, राष्ट्रपति, ३१०
- आंध्र, ३१४, ३१५
- अरब-एशियाई गुट, ३०७
- अगस्त-प्रस्ताव (१९४२), २६८
- आजाद, मौलाना, २७६
- अकाल, ५६, १००
- अकाल कमीशन की रिपोर्ट
(१८८०), ५६
- अन्तरराष्ट्रीय साम्राज्य-विरोधी लोग,
१६६
- अमरीका,
अमरीकी पूंजी, ६८, ७२
- आर्थिक सहयोग एजेंसी, ३००
- अमरीकी टेक्निकल मिशन
(१९४२), ६, ६९
- भारत-अमरीका समझौते, ७३,
३००
- भारत-अमरीकी टेक्न. सहयोग
कोश, ३००, ३०८
- 'प्लाइ फोर', २९८, ३००
- इंडिया लीग का प्रतिनिधि मंडल
(१९३३), १८७
- इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
२३०
- इंडिपेंडेंस (स्वाधीनता) लीग, १६६
- इरविन, लार्ड, २१३
- गांधी जी के नीचे भी देखिए
- इकबाल, मोहम्मद, २५६
- ईस्ट इंडिया कम्पनी, ३५, ४०
- एन्डरसन, जान, १८६
- एंस्टे, डा. वी., १७, २१
- एचीसन, डीन, २९८
- एशियाई अर्थ-व्यवस्था, ३६
- एटलांटिक चार्टर, २६८
- एटली, फ्लीमेंट, २७७, २७९, २८१
- नीति घोषणा (फरवरी १९४७),
२८१
- कंबिनेट मिशन, २७७, २८२
- कनिंग, लार्ड, २३३

- केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमिटी (१९३१),
१०, १९, ६७, ६९, ८२, ९७
बलाहव, रावटे, ५, ४८
फोल्सबो शक्तियां, ३०९, ३११
कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन, २९२, ३११
कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय, २८६,
३०८, ३१७
अहमदाबाद ऐलान (१९२१),
१५५
गैर-कानूनी काल (१९३४),
१९०, २१९, २२४
नेशनल फ्रंट, क्रान्ति (१९३८),
२२४, २२६
अगस्त प्रस्ताव पर (१९४२),
२६८, २७०-७१
जहाजियों की बगावत पर
(१९४६), २७६
दमन (१९४७), २८६
भाउटवैटन योजना पर (१९४७),
२८३
दमन (१९४८), २८०
कार्यक्रम (१९५१), २३१, २६१,
२८७, ३१३
ग्राम चुनाव (१९५२), ३१३
तौसरी कांग्रेस (१९५३-५४),
३१५
कांग्रेस, डेलिफ़ नेशनल कांग्रेस
कांग्रेस समाजवादी पार्टी, २२०, २२५,
२२६
समाजवादी पार्टी, ३१३, ३१४
कार्नेवालिस, सार्ज, ४९, ५२, ८८-८९
क्रिप्स मिशन, २६८
कर्वेन, सार्ज, १३३
कानपुर वड़यंत्र केस (१९२४), १६५
कश्मीर, २३८, २८४,
कोरिया, २७४, २९३, ३०६-७
किसान सभा, १०६-८
किसान-मजदूर प्रजा पार्टी, २३०, ३१४
खां, अब्दुल गफ्फार, २५३
खिलाफत आन्दोलन, १४८, २४९
खुवाई खिदमतगार, २५३
गांधी, भोहनवास करमचन्द, १४१
१९१४ के मुद्दे पर, १४२
सत्याग्रह पर, १४५-१४७, १८९
अहिंसात्मक असहयोग पर, १४८-
५०
अहमदाबाद कांग्रेस, १५३-५५
स्वराज्य और राष्ट्रीय स्वतंत्रता
पर, १५५, १६७, १८३
चौरीचौरा कांड पर, १५६
दलकत्ता कांग्रेस में (१९२८),
१६७
ग्यारह शतें (यंग इंडिया), १७१,
१८३
गढ़वाली मिपाहियों के विद्रोह
पर, १७३-७४, १७७
डांडी नमक यात्रा, १७५-७६
इरविन समझौता, १८२-८३,
१८७, २७७
गोलमेज सम्मेलन में, १८२-८३,
१८५, १८७
हरिजन और पूना समझौते पर,
१८८

सनातनी हिन्दू के रूप में, २५३-५४
श्रीर व्यक्तिगत सविनय प्रवृत्ता पर
(१९४०), २६६-२६७
भ्रगस्त आन्दोलन में (१९४२),
२७१-७२
जहाजियों के विद्रोह पर
(१९४६), २७७

गढ़वाली विद्रोह, १७३, १७६
घदर आन्दोलन, १४२
गिरी, यो. यो., २०७
गिरनी कामगार मूनिषन, १६५,
२१२, २१६
गोखले, जी. के., १२८, १३३, १३८
गोलमेख सम्मेलन, बेखिए गांधी जी
घोष, भरविन्द, १३३
घोरीचौरा, बेखिए गांधी जी
च्यांग कार्ई-शोक, २६८
घोन (जनवावी), २७३, २९३, ३०५,
३०७
घटगांव शस्त्रागार पर धापा, १७६
चाप्रो एन-साई, ३०९
घच्चिल, विस्टन, २६७, ३१०
जलियांवाला बाग, १४६
जमीयतुल-उलेमा, २४९
जिन्ना, मोहम्मद अली, १४१, २५१,
२७९

कार्ग्रेस-लीग एकता पर
(१९१६), २४८
पाकिस्तान की मांग पर, २५७
जोशी, एन. एम., २०७-८,
जहाजियों का विद्रोह (१९४६),
२७५

डांडी नमक सत्याग्रह, बेखिए गांधी जी
डांगे, श्रीपाद अमृत, २१०
डफरिन, साडं, १२७
तेलंगाना किसान विद्रोह, १०५, १०८,
३१३
तिलक, बाल गंगाधर, १३३, १३५,
३९१, १४३, १९२, २४८, २५३
वास, चित्तरंजन, १४४, १४९, १५३,
१६१, २०७
वक्कन किसान विद्रोह (१८७५), १२२
वेशमुख, सी. डो., २९५
वत्त, रमेशचन्द्र, १३१
नारायण, जयप्रकाश, २२६
नीरोजी, दादाभाई, १३२, १३८
नेहरू, जवाहरलाल, १६५, १६६,
२३७, २७९, ३०५, ३०९

वादौली के फँसले पर (१९२२),
१५७-५८
कलकत्ता कार्ग्रेस में (१९२८),
१६७-६८
दिल्ली घोषणापत्र पर (१९२९),
१६९
गांधी जी की राय (१९२९),
१६९
चाऊ एन-साई के साथ सयुक्त
बयान (१९५४), ३०९-३१०
करांची कार्ग्रेस पर (१९३१),
१८४-८५
कोरिया के गृहयुद्ध पर
(१९५०), ३०६
कोरिया के बारे में स्तालिन की
सदेश (१९५०), ३०६-०७

- लाहौर कांग्रेस में (१९२६), १७२
- मुस्लिम लीग पर (१९३७), २५०
- उद्योगों के राष्ट्रीकरण पर (१९४८), २८६
- नेहरू पर 'न्यू यॉर्क टाइम्स' (१९४६-५०), २६२-६३
- सनातनी पर, २५४
- रियासती जनता के संघर्ष पर (१९४५), २३७
- स्वराज्य पर, १५१
- नेहरू, मोतीलाल, १४८, १५७, १६१, १६६
- नेहरू (मोतीलाल) रिपोर्ट, १६६
- पाकिस्तान, १२८, २५५, २८४, २८५, २८६, २८७
- साम्राज्यवाद का मुहताज, ३०१
- पूर्वी पाकिस्तान के चुनाव (१९५४), २८७, २८६
- स्थापना, २५६-२६०, २८६
- पर जिन्ना, २५७
- में कौजो संगठन, २६१
- के लिए मुस्लिम लीग का प्रोग्राम, २५५-५६
- के लिए मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, २५६
- और राष्ट्रीय भ्रान्दोत्तन, २५६-६१
- रावलपिंडी मुकदमा, २८६
- और "दो जातियां", २५८
- पारु-भ्रमरीकी गठबंधन, २८७, ३०१
- पाल, विपिनचन्द्र, १३३
- पंच-शील, ३१०
- पंडित, श्रीमती विजयालक्ष्मी, ३०८
- पटेल, बल्लभभाई, २७६, २६३
- प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, २३०, ३१५
- पंच-वर्षीय योजना (प्रथम), ८२, ३०३
- पूँजी (माक्स) ३५, ३७
- फंक्टरी ऐक्ट (१९२२, १९३४), २८
- बेसेंट, श्रीमती एनी, १४३, १४४, १६६, २०५
- बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, १३२
- बैंक व्यवस्था और बैंकिंग, ६७-६६
- रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट, २६५
- बम्बई योजना, ७३
- बनर्जी, डब्लू. सी., १२६
- चौस, मानन्वमोहन, १२३, १३२
- चौस, सुभाषचन्द्र, १५१, १५७, १६८, १७१, १७५, १८४-८५, २५२
- क्रिश्चियन पूंजी, ५८, ६४-६५, २६५
- श्रद्धेज-भारतीय पूंजीपतियों के समझौते, ७३
- ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार, २१०, २१७, २८०
- ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन कांग्रेस, १६५, १६८
- मेरठ पड़यंत्र केस पर, २१७
- भावे, विनोबा, १०५
- भूमि व्यवस्था,
- इस्तमरारी बन्दोवस्त, ४६, ५२
- मोजाबारी बन्दोवस्त ६०
- रैयतवारी बन्दोवस्त, ६०
- फ्लाउड कमीशन, ६४, १०१

"जमींदारी उन्मूलन", १०४

भूदान, १०५, २३०

मैकडोनल्ड, रैमवे, १८१, १८४, २४२

महमूद, संयुक्त, १८७

मलाया, २७४, २६२, २०८

माल्यस, १६

मालवीय, मदन मोहन, १५३, १८७

मैनेजिंग एजेंसियां, ६७

माधो ली-तुंग, २६३, २१७

माशाल योजना, २७३

माक्स, कार्त, ३४

प्राचीन भारतीय ग्राम व्यवस्था
पर, ३७-३८, ४२

एशियाई अर्थतंत्र पर, ३६

भारत में ग्रंथों की विजय के
परिणामों पर, ३६

माल्यम पर, १६

मेरठ थंडयंत्र मुकदमा, १६८, २१४

मेहता, फिरोजशाह, १३१

मोहानी, हसरत, २४६

मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (१९१८),
११५, १४४

मांटैग्यू घोषणा (१९१७), १४३

मोपला विद्रोह, १५२

मोर्ले-मिटो सुधार (१९०६), १३६,
१४४, २४४

मुस्लिम लीग, १४३ २७२, २८०

स्थापना, २४५, २४७

और चुनाव (१९३७), २५०,
२५१

और चुनाव (१९४६), २५१,
२५२

लाहौर (पाकिस्तान) प्रस्ताव,
२५६

विकास (१९३७-४६), २५१,
२५२

जहाजियों के विद्रोह पर, २७५
साम्प्रदायिकता पर, २७८-७९

और विधान सभा, २७६, २८१
और भारत का बटवारा, २५६

माउंटबैटन, लाई, २८०

माउंटबैटन समझौता, २८२

माउंटबैटन योजना, ७१, १२८, २४७,
२५६, २०७, २८७, २६५

और भारत का बटवारा, २५६-
६०

और राजे-रजवाड़े, २३८

मुकर्जी, राधाकमल, २०

रेलवेमेन्स फेडरेशन, २२३

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, ३१४

राय, ताला लाजपत, १४७, १६१,
२०७, २५०

राय, एम. एन., २२६

रौलट ऐक्ट, १४६, २०४

रौलट कमोशन, १४२

रुखवेल्ट, राष्ट्रपति, २६७

राष्ट्रीय कांग्रेस, १२३

वैंठकें (कलकत्ता, १९०६), १३८

" (सूरत, १९०७), १३८

" (कराची, १९१३), १४३

" (तखनऊ, १९१६), १४३,
२४८

" (कलकत्ता, १९१७), १४४

" (बम्बई, १९१८), १४४

बैठकें (कलकत्ता, १९२०), १४८	लेनिन, १३६, १९२
„ (अहमदाबाद, १९२१), १५३	लंका, २६१, २६३
„ (मद्रास, १९२७), १६५	विधान परिवर्ध, २७६
„ (कलकत्ता, १९२८), १६६	वियतनाम, २७४, २६३, ३०८, ३०९
„ (लाहौर, १९२६), १७०, १७१	वेबेल, लार्ड, २७२, २७७, २७६-८०
„ (कराची, १९३१), १८४	शाह और खम्भाता, ६, ११, ६१
„ (पटना, अ. भ. कां. कमिटी, १९३४), १९०	शकलतवाला, शापुरजी, २११,
„ (हरिपुरा, १९३८), २३६	सप्रू, तेजवहाबुर, १६६
„ (त्रिपुरी, १९३६) २३६	साइमन कमिशन, ८, ११३, १६४, २११, २४१, २५०
„ (बारदोली, १९४१) २६७	सीतारमय्या, पट्टाभि, २३७
अगस्त प्रस्ताव (१९४२), २७१	स्तालिन, जोसेफ, ३०६
बारदोली प्रस्ताव (१९२२), १५६-५७	कोरिया के गृह-युद्ध पर नेहरू को सदेश, ३०७
दिल्ली घोषणापत्र, १६६	भारत की जातियों के मवाल पर (१९१२), २५५
और चुनाव (१९३७), २५०	जातियों के प्रश्न पर, २५८-५९
और चुनाव (१९५२), ३१३-१४	स्टलिंग कर्ज, ५६, ७०
स्थापना, १२३	स्वराज्य पार्टी, १६३
१९३६ के युद्ध पर, २६६	सोवियत संघ, ३, २३
हिन्दू-मुस्लिम सवाल पर, २४८	भारत-सोवियत सम्झौता, ३००
भारत के बंटवारे पर, २५६	हेस्टिंग्स, चार्ल्स, ४१, ५२
और शिमला सम्मेलन, २७२	हिन्दू महासभा, २५०, २५४
राष्ट्रीय सेनाबल, १५२	हिन्दू मजदूर सभा, २३०
रियासती जनता का सम्मेलन, २३७	हिन्दू-मुस्लिम समस्या, २४१-२४७
सास्की, हैराल्ड, जे., ३४	होर, सैम्युअल, १८७
	ए. ए. ओ., १२५, २४२

